



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042023-244927
CG-DL-E-05042023-244927

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1, 2023/चैत्र 11, 1945

No. 77]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 2023/CHAITRA 11, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2023

सं. 1/2023

फा. सं. 01/75/171/00016/एम-23/एफटीपी प्रकोष्ठ.—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 तथा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2023 को अधिसूचित करते हैं। यह 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तक, 2023 को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार

एवं पदेन अपर सचिव

प्रक्रिया पुस्तक

2023

(1 अप्रैल, 2023 से)

अध्याय-1

विधिक ढांचा और व्यापार सरलीकरण

1.01 प्रक्रिया की अधिसूचना

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के पैराग्राफ 1.03 के प्रावधानों के अनुसरण में, महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्वारा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधान इसके अधीन बनाए गए नियमों/आदेशों और विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्यातक या आयातक या लाइसेंसिंग/क्षेत्रीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को अधिसूचित करता है। उक्त प्रक्रिया निम्नलिखित संकलनों में समाविष्ट है:

(क) प्रक्रिया पुस्तिका

(ख) परिशिष्ट और आयत निर्यात प्रपत्र और

(ग) मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन)

समय-समय पर यथासंशोधित ये संकलन, अपनी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे और प्रचालन में बने रहेंगे जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट या संशोधित न की जाए।

1.02 उद्देश्य

इसका उद्देश्य सरल, पारदर्शी और डिजिटल रूप से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) संगत प्रक्रियाओं द्वारा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बनाए गए नियमों और जारी किए गए आदेशों और एफटीपी के प्रावधानों को को कार्यान्वित करना है, जो प्रयोक्ता के अनुकूल हों और अनुपालन के लिए आसान हो तथा जिनका विदेश व्यापार के प्रभावी प्रबंधन हेतु शासित किया जा सकता है।

1.03 परिभाषा

इस पुस्तिका के प्रयोजन के लिए, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, और इसके अधीन बनाए गए नियमों और जारी किए गए आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति की परिभाषाएं और शब्दावली लागू होंगे।

1.04 डीजीएफटी में विदेश व्यापार का ई-गवर्नेंस

डीजीएफटी द्वारा की गई आईटी पहलें निम्नानुसार हैं:

(क) डीजीएफटी ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल

निर्यातक को एक अनुकूलित ऑनलाइन डैशबोर्ड उपलब्ध कराया गया है जो <https://dgft.gov.in/CP> पर निर्यात संबंधी आवेदनों हेतु एक समग्र व्यवस्था प्रदान करता है।

(ख) निर्यातक आयातक प्रोफाइल

एक आयातक/निर्यातक नियमित रूप से ऑनलाइन आईईसी मॉड्यूल पर आयातक-निर्यातक प्रोफाइल को अपडेट करेगा ताकि आईईसी धारक को सेवाओं की कुशल डिलीवरी हेतु समर्थ बनाया जा सके। आईईसी प्रोफाइल में उपलब्ध दस्तावेज और विवरण और ऑनलाइन रिपोर्टिंग डीजीएफटी में पेपरलेस प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करेंगे।

(ग) आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग और प्रोसेसिंग की सुविधा

डीजीएफटी ग्राहक पोर्टल के माध्यम से, आवेदक विभिन्न व्यापार संबंधी लाभों/सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें प्राधिकार पत्र/स्क्रिप जारी करना और विभिन्न एफटीपी प्रावधानों के तहत संशोधन शामिल हैं। ऑनलाइन परिवेश पूरक दस्तावेजों को अपलोड करने, ऑनलाइन प्रश्नों का उत्तर देने और आवेदनों की स्थिति पर नजर रखने के साथ-साथ अधिकारियों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को भी सक्षम बनाता है।

(घ) ऑनलाइन परिवेश में स्वचालित प्रोसेसिंग

जोखिम आधारित प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ विभिन्न आवेदनों के स्वचालित प्रोसेसिंग के लिए नियम-आधारित, सिस्टम-संचालित वर्कफ्लो को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ड.) अंतर-मंत्रालयी परामर्श की आवश्यकता वाले आवेदन

निर्यातक विभिन्न श्रेणियों के लिए किए गए आवेदन करने और आवेदनों की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम होंगे जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं

(i) प्रतिबंधित मदों का आयात

(ii) प्रतिबंधित मदों का निर्यात

(iii) स्कोमेट मदें

(iv) मानदंड समितियों द्वारा मानदंडों का निर्धारण

अन्य मंत्रालयों/हितधारकों के साथ इन आवेदनों के लिए आवश्यक परामर्श भी ऑनलाइन परिवेश में प्रदान किया जाएगा।

(च) सीए/सीएस/लागत लेखाकार की ऑनबोर्डिंग

पेपरलेस प्रोसेसिंग की ओर बढ़ने के लिए, सनदी लेखाकार/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया विकसित की गई है। निर्यातक एफटीपी की विभिन्न योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदनों के साथ डिजिटल रूप से अपलोड किए गए अनुलग्नक को लिंक करने में सक्षम होंगे।

(छ) आवेदकों का मार्गदर्शन करने और शिकायतों की निगरानी करने के लिए 24 X 7 हेल्पडेस्क सुविधा

डीजीएफटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने और विदेश व्यापार नीति से संबंधित अन्य मामलों में निर्यातकों की सहायता के लिए एक समर्पित 24 X 7 हेल्पडेस्क सुविधा स्थापित की गई है।

एफटीपी के तहत विभिन्न आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक हेल्प मैनुअल और एफएक्यू डीजीएफटी की वेबसाइट <https://dgft.gov.in> > लर्न > एप्लीकेशन हेल्प और एफएक्यू के तहत भी उपलब्ध हैं।

सहायता के लिए निम्नलिखित में से किसी भी चैनल का उपयोग किया जा सकता है –

(i) डीजीएफटी वेबसाइट पर लिंक > सेवाएं > डीजीएफटी हेल्पडेस्क सेवा के तहत सेवा अनुरोध टिकट प्राप्त करें

(ii) डीजीएफटी के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-572-1550 / 1800-111-550 पर कॉल करें।

(iii) हेल्पडेस्क को dgftedi@nic.in पर ईमेल भेजें

(ज) सामुदायिक भागीदारों के साथ संदेश का आदान-प्रदान

संदेशों के आदान-प्रदान के लिए सीबीआईसी, सीबीडीटी, एमसीए और बैंक डीजीएफटी के प्रमुख सामुदायिक भागीदार हैं। विभिन्न सामुदायिक भागीदारों के साथ एक प्रभावी संदेश विनिमय प्रणाली मौजूद है जो निम्नानुसार है:

(i) सीबीआईसी के साथ एपीआई संदेश के आदान-प्रदान के लिए

(क) आयातक निर्यातक कोड संख्या

(ख) डीएफआईए, एए, ईपीसीजी सहित प्राधिकार पत्र/स्क्रिप

(ग) शिपिंग बिल और प्रविष्टि बिल

(घ) निर्यात प्राप्ति विवरण के लिए आरबीआई का ईडीपीएमएस

(ii) पैन संबंधी सेवाओं के लिए सीबीडीटी के साथ एपीआई संदेश का आदान-प्रदान

(iii) कंपनी से संबंधित जानकारी के लिए एमसीए के साथ एपीआई संदेश का आदान-प्रदान

(iv) बैंकों, पीएफएमएस और भारत कोष के साथ संदेशों का आदान-प्रदान

(क) आवेदन शुल्क

(ख) इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र (ई-बीआरसी) डेटा

(v) उद्यम पंजीकरण के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ एपीआई संदेश का आदान-प्रदान।

(झ) डीजीएफटी व्यापार सुविधा मोबाइल एप्लिकेशन

डीजीएफटी व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप व्यापार सांख्यिकी, एफटीपी स्कीमों और एंज़ॉइड और आईओएस दोनों के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदनों की स्थिति के बारे में जानकारी के लिए उपलब्ध है।

(ज) डीजीएफटी पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए दस्तावेजों/प्रमाणपत्र को सत्यापित करने की सुविधा

डीजीएफटी पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से जारी किए गए ई-प्राधिकार पत्र/ई-प्रमाणपत्र को डीजीएफटी वेबसाइट पर लिंक के तहत > सेवाएं > दस्तावेज सत्यापित सत्यापित किया जा सकता है।

1.05 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और आधार ई-साइन का उपयोग

डीजीएफटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) के माध्यम से प्रमाणीकृत आवेदनों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, जो कि भारतीय प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रक की किसी भी अनुमोदित इकाई द्वारा या ऑनलाइन परिवेश में आधार ई-साइन के माध्यम से जारी किया जाता है।

1.06 ई-बीआरसी में मुद्राओं का रूपांतरण

(क) मुद्राएं, जहां सीबीआईसी द्वारा विनिमय दरों को अधिसूचित किया जाता है: प्राप्त विदेशी मुद्रा (जैसा कि ईबीआरसी में बैंक द्वारा उल्लेख किया गया है) सीबीआईसी द्वारा प्रकाशित मासिक विनिमय दरों का उपयोग करते हुए मान्य निर्यात आदेश (एलईओ) तिथि पर भारतीय रुपये (आईएनआर) में परिवर्तित किया जाता है।

(ख) मुद्राएं, जहां सीबीआईसी द्वारा विनिमय दरों को अधिसूचित नहीं किया गया है: ऐसे मामलों में, भारतीय रुपये (जैसा कि ईबीआरसी में बैंक द्वारा उल्लेख किया गया है) में कुल प्राप्त मूल्य को प्रचलित अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपये में विनिमय दर का उपयोग करके सीबीआईसी द्वारा प्रकाशित प्राप्ति की तिथि पर अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाएगा।

1.07 ईबीआरसी का जेनरेशन जहां भुगतान बीमा एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं

(क) बीमा एजेंसी के माध्यम से निर्यात आय प्राप्त करने वाला आवेदक संबंधित बीमा एजेंसी द्वारा जारी किए गए भुगतान के प्रमाण के साथ संबंधित आरए से संपर्क करेगा। आरए, भुगतान की वास्तविकता से संतुष्ट होने के बाद, ईजी एंड टीएफ प्रभाग, डीजीएफटी मुख्यालय का अनुमोदन प्राप्त करेगा और फिर आरए मामले के प्रोसेसिंग के लिए डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली में मूल्य (ईबीआरसी मूल्य के बदले में) अपलोड करेगा।

(ख) यदि बीमा एजेंसी द्वारा जारी किए गए भुगतान के प्रमाण में विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये दोनों में दावा मूल्य का उल्लेख है, तो आरए प्रोसेसिंग के लिए विदेशी मुद्रा मूल्य का उपयोग करेगा। यदि दावा मूल्य केवल भारतीय रुपये के समतुल्य उल्लिखित है, तो आरए बीमा दावे के निपटान की तिथि पर लागू विनिमय दर (सीबीआईसी द्वारा प्रकाशित) का उपयोग करके इस भारतीय रुपये के मूल्य को समतुल्य अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित कर देगा।

स्तर धारक प्रमाणन

1.08 स्तर धारक: स्तर प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन

(क) निर्यातकों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ एनएफ 1ख में नीति के तहत स्तर की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(ख) स्तर प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन परिशिष्ट 1क के अनुसार कंपनी के मामले में पंजीकृत कार्यालय के स्थान और अन्य के मामले में प्रधान कार्यालय द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार आरए के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

1.09 स्तर प्रमाणपत्र की वैधता

(क) एफटीपी 2015-20 के तहत आईसीसी धारक को जारी किया गया कोई भी स्तर प्रमाण पत्र केवल 30-09-2023 तक वैध रहेगा।

(ख) इस एफटीपी के तहत जारी किए गए स्तर प्रमाण पत्र उस तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे जिस दिन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

(ग) एफटीपी के पैरा 1.26 के अनुसार उच्च स्तर सीमा प्राप्त करने पर, एक फर्म अपने विवेक से, पिछले प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के बाद और उपरोक्त 1.08 के अनुसार आवेदन करने के बाद अपनी स्तर धारक श्रेणी का उन्नयन कर सकती है।

1.10 खातों का रखरखाव और वार्षिक निर्यात विवरण प्रस्तुत करना

स्तर धारक अपने निर्यात और आयात का सही और उचित लेखा-जोखा रखेंगे, जिसके आधार पर ऐसी मान्यता प्रदान की गई है। स्तर प्रमाण पत्र प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा। जब भी आवश्यक हो, इन खातों को संबंधित आरए या डीजीएफटी द्वारा प्राधिकृत किसी भी प्राधिकारी को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

1.11 प्रमाणपत्र का अस्वीकृति/निलंबन/रद्दीकरण

संबंधित आरए द्वारा स्तर प्रमाणपत्र को अस्वीकृत/निलंबित/रद्द किया जा सकता है, यदि स्तर धारक या उसकी ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि:

(क) लगाए गए निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है;

(ख) प्राधिकर पत्र के साथ छेड़छाड़;

(ग) किसी भी प्राधिकर पत्र को प्राप्त करने में किसी भी भ्रष्ट या धोखाधड़ी के लिए गलत प्रतिनिधित्व करता है या पार्टी रहा है;

(घ) एफटी (डी एंड आर) अधिनियम, या नियमों, इसके तहत किए गए आदेशों और एफटीपी, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, फेमा अधिनियम 1999, कॉफेपोसा अधिनियम 1974 और केंद्रीय/राज्य जीएसटी अधिनियमों का उल्लंघन करता है;

(ड.) इस निदेशालय द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

इस पैराग्राफ के तहत कोई कार्रवाई करने से पहले स्तर धारक को एक उचित अवसर दिया जाएगा।

1.12 अपील

एक आवेदक, जो स्तर प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द करने हेतु लिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह 45 दिनों के भीतर डीजीएफटी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। डीजीएफटी का निर्णय अंतिम होगा और उस पर बाध्यकारी होगा।

अध्याय-2

निर्यात और आयात से संबंधित सामान्य प्रावधान

2.00 नीति

विदेश व्यापार नीति के अध्याय-2 में निर्यात और आयात के बारे में सामान्य प्रावधानों से संबंधित नीति दी गई है।

2.01 कवरेज

इस अध्याय में पूर्ण दस्तावेजीकरण सहित विभिन्न आवेदनों की प्रक्रिया शामिल है। आयात/निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/अनुमति/प्रमाणपत्र के लिए आवेदनों तथा विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ के लिए आवेदनों की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

2.02 आयात/निर्यात के देश

जब तक अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान न किया गया हो, किसी भी देश से/को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (अर्थात् भारत में आयात और/अथवा भारत से निर्यात) हो सकता है। विदेश व्यापार नीति अथवा आईटीसी (एचएस) में देश विशिष्ट निषेध/सीमाओं, यदि कोई है, का उल्लेख किया गया है।

आवेदन

2.03 आवेदन प्रस्तुत करना

(क) विदेश व्यापार नीति में स्कीमों के तहत लाभ का दावा करने या स्पटीकरण लेने और अन्य प्रयोजनों के लिए 'प्रतिबंधित' माल के आयात/निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन <https://dgft.gov.in> भेजे जा सकते हैं।

(ख) आवेदक दस्तावेज प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित कर सकता है कि दस्तावेज अंग्रेजी या हिन्दी में हो। क्षेत्रीय भाषाओं के दस्तावेजों को अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद कराया जा सकता है और अनुदित प्रतिलिपि को स्वप्रमाणित किया जा सकता है तथा मूल प्रति के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.04 क्षेत्रीय प्राधिकारियों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार

क्षेत्रीय प्राधिकारियों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के **परिशिष्ट-1क** में दिया गया है। आवेदक का पता क्षेत्रीय प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार निर्धारित करता है। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, प्रत्येक आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

2.05 अपूर्ण आवेदन पत्र

(क) अधूरे अथवा अप्राधिकृत आवेदन पत्र को अस्वीकृति का विशिष्ट कारण बताते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे अपूर्ण आवेदन पर कमियाँ दूर करने के बाद पुनः विचार किया जा सकता है।

(ख) यदि आवेदक द्वारा 90 दिनों की अवधि के भीतर कमियों को ठीक नहीं किया जाता है, तो आवेदन को वापस ले लिया गया माना जाएगा।

2.06 आवेदन-शुल्क

शुल्क की मात्रा, भुगतान का तरीका, शुल्क-वापसी की प्रक्रिया और शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणियाँ **परिशिष्ट-2ट** में दी गई हैं।

आयातक निर्यातक कोड (आईईसी)

2.07 आयातक-निर्यातक कोड संख्या छूट प्राप्त श्रेणियाँ

(क) आयातक-निर्यातक कोड आयात और/अथवा निर्यात के लिए, अनिवार्य है। तथापि, आयातकों या निर्यातकों की निम्नलिखित श्रेणियों का आयातक-निर्यातक कोड संख्या प्राप्त करने से छूट है।

क्र. सं.	आयात निर्यात कोड प्राप्त करने से छूट प्राप्त श्रेणियाँ
(i)	विदेश व्यापार (कुछ मामलों में नियमों के अनुप्रयोग से छूट) आदेश, 1993 की धारा 3(1) (उप धारा (ड.) और (ठ) को छोड़कर) में शामिल आयातक तथा धारा 3(2) (उप धारा (झ) और (ट) को छोड़कर) में शामिल निर्यातक।
(ii)	केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग।
(iii)	जो व्यक्ति अपने निजी प्रयोग के लिए माल का आयात या निर्यात करते हैं जो व्यापार अथवा विनिर्माण या कृषि से संबंधित नहीं है।
(iv)	जो व्यक्ति नेपाल, भूटान, म्यांमार (भारत-म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों के माध्यम से), और चीन (गुंजी, नामग्या शिपकिला और नाथुला पत्तनों के माध्यम से) से/को माल का आयात/निर्यात करता है, बशर्ते कि नेपाल, भूटान और म्यांमार (भारत-म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों के माध्यम से) से/को आयात/निर्यात की एकल खेप का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य भारतीय मुद्रा में 25,000/- रुपये से अधिक न हो, और चीन के मामले में (क) गुंजी और नामग्या शिपकिला के माध्यम से माल के आयात/निर्यात हेतु एकल खेप का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य भारतीय मुद्रा में 1,00,000/-रुपये से अधिक न हो, तथा (ख) नाथुला के माध्यम से माल के आयात/निर्यात की एकल खेप का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 2,00,000/-रुपये से अधिक न हो।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त श्रेणी (ii) द्वारा निर्यात के मामलों को छोड़कर आई टी सी (एच एस) 2022 की अनुसूची-2, परिशिष्ट-3 में यथा सूचीबद्ध विशेष रसायनों, जीवों, सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों (एस सी ओ एम ई टी) के निर्यात के लिए आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) प्राप्त करने की छूट लागू नहीं होगी।

(ख) आयात/निर्यात प्रयोजन हेतु गैर वाणिज्यिक सार्वजनिक उपक्रमों और निर्यातक/आयातक की श्रेणियों द्वारा उनके समक्ष दर्शाए गए निम्नलिखित स्थाई आई ई सी संख्या का उपयोग करेंगे:

क्र. सं.	स्थायी आयात निर्यात कोड	आयातक/निर्यातक की श्रेणियाँ
1.	एएमडीसीजी0111ई	केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और उनके पूर्णया आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियाँ।

2.	एडीएसजीए0129ई	राज्य सरकार के सभी विभाग और उनके पूर्ण/आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियाँ।
3.	डीसीयूएनओ0137ई	डिप्लोमेटिक कार्मिक, भारत में काउंसिलर अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र संगठन और इसकी विशिष्ट एजेंसियों के अधिकारी।
4.	आईएबीबीआर0145ई	बैगेज नियमों के अधीन लाभों का दावा करने वाले विदेश जाने/लौटने वाले भारतीय
5.	आईआईएचआई0153ई	व्यक्ति/संस्थान/अस्पताल जो व्यापार या विनिर्माण अथवा कृषि से जुड़ा न हो और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात या निर्यात करता हो।
6.	आईआईजीएन0161ई	वह व्यक्ति जो गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य से नेपाल को/से माल का निर्यात/आयात करता हो।
7.	आईआईजीएम0170ई	वह व्यक्ति जो गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य से म्यांमार को/से भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से माल का निर्यात/आयात करता हो।
8.	एटीआईएफ1096ई	आयातक जो एटीए कार्नेट के प्रावधानों के अधीन मेलों/प्रदर्शनियों या इसी प्रकार के आयोजनों में प्रदर्शन या उपयोग करने के लिए माल का आयात करता हो। यह आईईसी संख्या प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.60 के अनुसार प्रदर्शनियों/मेलों हेतु आयात के लिए भी आयातक प्रयोग कर सकता है।
9.	आईडीएनबीजी1100ई	निदेशक, राष्ट्रीय ब्लड ग्रुप।
10.	आईसीआईआरएन1126ई	व्यक्ति/धर्मार्थ संस्था/पंजीकृत गैर सरकारी संगठन जो माल का आयात करते हैं और जिन्हें प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पीड़ितों द्वारा वास्तविक उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन सीमाशुल्क से छूट दी गई है।
11.	आईआईजीसी1134ई	उपरोक्त पैरा 2.07 (iv) में यथा उल्लिखित एकल खेप की मूल्य सीमा के अधीन गुंजी, नामग्या, शिपकिला और नाथुला पत्तनों के माध्यम से चीन से/को समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुमत माल का आयात/निर्यात करने वाले व्यक्ति।
12.	एनसीआईईई1169ई	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत इकाइयों द्वारा गैर वाणिज्यिक आयात व निर्यात

2.08 आयातक-निर्यातक कोड के लिए आवेदन पत्र

(क) निर्यातक/आयातक लागू फीस और आवश्यक दस्तावेजों के साथ <https://dgft.gov.in> पर ऑनलाइन मॉड्यूल में एएनएफ 2ए प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन फाइल करेंगे।

(ख) आईईसी ऑटो जनरेट किया जाएगा और आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आवेदक डैश बोर्ड में लागिन करके आवेदन के प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने ई-आईईसी को देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

(ग) आवेदकों को आईईसी आवेदन के साथ निम्नलिखित विवरणों/दस्तावेजों (स्कैन प्रतियाँ अपलोड की जाएँ) सहित ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है:-

- पूर्व-मुद्रित इकाई का नाम दर्शाता हुआ रद्द किया गया चेक या निर्धारित प्रारूप में बैंक प्रमाणपत्र;
- आवेदक इकाई के पते का प्रमाण जैसा कि आवेदन में दिया गया है।

(घ) क्षेत्रीय प्राधिकारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आईईसी की पश्च-सत्यापन करेंगे।

2.09 आयातक—निर्यातक कोड फार्मेट

आईईसी की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि डेशबोर्ड से ऑनलाइन डाउनलोड की जा सकती है। किसी भी आईईसी का विवरण डीजीएफटी वेबसाइट के तहत सेवाएँ → 'आईईसी से संबंधित विवरण देखें' पर सत्यापित किया जा सकता है।

2.10 आयातक—निर्यातक कोड संख्या की वैधता

(क) किसी आवेदक को आबंटित आयातक निर्यातक कोड संख्या की स्थायी वैधता होगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित/रद्द नहीं की गई हो। आईईसी में आवेदक के सभी शाखा/प्रभाग/यूनिट/फैक्टरी शामिल होंगे।

(ख) हालांकि आईईसी पैरा विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.05 (ड.) में नीति के अनुसरण में निष्क्रिय किया जा सकता है।

2.11 ईओयू/एसईजेड के लिए आईईसी की वैधता

आईईसी डीटीए यूनिट या ईकाई या एसईजेड/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट के रूप में फर्म का स्तर दिए बिना आयातक निर्यातक कोड वैध रहेगा।

2.12 एक पैन—एक आईईसी

एक 'पैन' नम्बर के मद्दे सिर्फ एक ही आईईसी जारी किया जाएगा।

2.13 आयातक—निर्यातक कोड का अभ्यर्पण

यदि कोई आईईसी धारक आबंटित आईईसी को प्रचालित नहीं करना चाहता है, तो वे इसे जारी करने वाले प्राधिकारी को ऑनलाइन अभ्यर्पित कर सकते हैं। प्राप्त होने पर, जारी करने वाला प्राधिकारी अनुरोध की जांच करेगा। अनुमोदन पर अद्यतित आईईसी सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। आईईसी का केवल तभी अभ्यर्पण किया जा सकता है जब आईईसी के लिए सभी प्राधिकार पत्रों/दायित्वों को समाप्त कर दिया गया हो या उन मामलों में जहां फर्म को किसी अन्य इकाई के साथ समामेलित/अधिग्रहित/विलय किया गया हो, जैसे कि सभी प्राधिकार पत्र/दायित्व नई इकाई के आईटीसी को स्थानांतरित कर दिए गए हों।

2.14 आयातक—निर्यातक कोड में संशोधन

(क) आईईसी में संशोधन अद्यतन लागू शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन ही किया जा सकता है।

(ख) फर्म के गठन, पते, बैंक विवरण या किसी अन्य प्राथमिक विवरण में कोई भी परिवर्तन, आईईसी धारक को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि आईईसी विवरण इस तरह के परिवर्तन (परिवर्तनों) के प्रभावी होने के 30 दिनों के भीतर उपयुक्त रूप से ऑनलाइन अद्यतित किया गया हो।

(ग) (i) मौजूदा आईईसी को रद्द करने और (ii) मौजूदा संख्यात्मक आईईसी में पैन परिवर्तन के लिए अनुरोध संबंधित क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय प्राधिकारी को किए जाने हैं।

(घ) क्षेत्रीय प्राधिकारी आईईसी (सभी संख्यात्मक) में संशोधन से संबंधित आवेदनों जिनमें पैन बदलना हो, के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि पिछले आवेदक/पिछली आवेदक फर्म की देयताएं उस नए आवेदक/नई आवेदक फर्म को हस्तांतरित कर दी गई हैं जिसका पैन संशोधित आईईसी में प्रदर्शित होगा।

(घ) विलय, अधिग्रहण, परिसमापन, वंशानुक्रम, व्यवसाय हस्तांतरण आदि के माध्यम से पैन आधारित आईईसी के गठन में परिवर्तन के मामले में इस तरह से बनाई गई नई इकाई का पैन पहले वाले से अलग है, इस तरह के परिवर्तन को प्रभावी करने के 30 दिनों के भीतर नए पैन के मद्दे एक आईईसी का लाभ उठाया जाएगा, यदि पहले से मौजूद नहीं है। पिछले आईईसी (ओं) को भी नई इकाई के आईईसी से परिचालन रूप से जोड़ा जा सकता है।

(च) पूर्व के आईईसी से नए आईईसी में अमोचन किए गए प्राधिकार पत्र के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन सहायक दस्तावेजों के साथ मूल क्षेत्राधिकार आरए को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। संबंधित आरए दिए गए लिंकेज को शपथ-पत्र आदि प्रस्तुत करने सहित आवेदक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य की जांच के बाद संस्वीकृति दे सकता है।

2.15 आयातक/निर्यातक की प्रोफाइल

(क) आयातक निर्यात प्रपत्र-1 में आयातक/निर्यातक की प्रोफाइल है। आयातक-निर्यातक कोड धारक इसमें परिवर्तन होने पर तत्काल या किसी भी तरह कम से कम वर्ष में एक बार इसका अद्यतनीकरण करने के लिए जिम्मेवार होगा।

(ख) उन दस्तावेजों को इस विदेश व्यापार नीति की विभिन्न स्कीमों के तहत प्राधिकार पत्रों/स्क्रिप्स/लाइसेंस के लिए आयातक/निर्यातक द्वारा प्रत्येक बार आवेदन करने पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें आयातक-निर्यातक प्रोफाइल में अपलोड किया जाता है।

(ग) विनिर्माता निर्यातक के रूप में स्तर का प्रमाण भी अपलोड किया जाना अपेक्षित है।

प्राधिकार पत्र जारी करना:**2.16 प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार-पत्र/अनुमतियाँ की वैधता अवधि**

(क) जारी होने की तिथि से आयात/निर्यात प्राधिकार पत्र की वैधता इस प्रकार होगी जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो:

क्र.सं.	प्राधिकार पत्र का प्रकार	वैधता अवधि
(i)	प्रतिबंधित (गैर-स्कोमेट) माल के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र	24 माह
(ii)	स्कोमेट मर्चें के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र	24 माह
(iii)	प्रतिबंधित मर्चों के लिए आयात प्राधिकार पत्र	18 माह
(iv)	ईपीसीजी प्राधिकार पत्र	24 माह
(v)	मान्य निर्यात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए)	परियोजना कार्यान्वयन की संविदा अवधि के साथ समाप्त अथवा 12 महीने, जो भी अधिक हो।
(vi)	विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के अनुसार रत्न एवं आभूषणों के लिए प्राधिकार पत्र (उपयुक्त (v) को छोड़कर), शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र और पुनः पुर्ति प्राधिकार पत्र।	जारी होने की तारीख से 12 महीने।
(vii)	विदेश व्यापार नीति के पैरा 1.05 के अनुसार मर्चों के आयात/निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (परिवर्ती व्यवस्था)	आईसीएलसी में उल्लिखित अनुसार मूल शिपमेंट अवधि अथवा डीजीएफटी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार

तथापि एकजिम सुविधा समिति (ईएफसी) और अंतर मंत्रालयी कार्य दल (आईएमडब्ल्यूजी) (गैर-स्कोमेट वस्तुओं हेतु) अनुबंध संबंधी दायित्व/डिलीवरी मोड्यूल को पूरा करने के लिए या संबंधित तकनीकी/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/या अन्य किसी एजेंसी की विशिष्ट सिफारिश पर अल्पावधि/दीर्घावधि के लिए निर्यात आयात प्राधिकार पत्र जारी करने का अनुमोदन दे सकते हैं।

(ख) डीजीएफटी अल्पावधि/दीर्घावधि के वैधता अवधि के लिए विशिष्ट प्राधिकार-पत्र/प्राधिकार पत्रों की श्रेणी जारी करने का निर्णय ले सकता है। ऐसे मामलों में किसी भी विस्तार/पुनर्विधायन की अनुमति केवल डीजीएफटी द्वारा दी जाएगी।

2.17 आयात/निर्यात की गणना की तारीख

(क) आयात की गणना की तारीख प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 11.11 में यथा उल्लिखित आपूर्तिकर्ता देश से माल के पोतलदान/प्रेषण की तारीख से निर्धारित की जाती है न कि भारतीय पत्तन पर माल पहुंचने की तारीख से।

(ख) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 11.12 में यथा उल्लिखित भारत से माल के पोतलदान/प्रेषण की तारीख के संदर्भ में निर्यात की गणना की तारीख का निर्णय किया जाता है। तथापि, विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ के लिए मान्य निर्यात आदेश (एलईओ) की तारीख निर्यात की गणना की तारीख होगी।

2.18 आयात/निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र/लाइसेंस की वैधता

- (क) प्राधिकार पत्र आयात की तारीख को वैध होने चाहिए।
- (ख) इसी प्रकार, प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि निर्यात की तारीख को वैध होनी चाहिए। तथापि, अग्रिम प्राधिकार पत्र/ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक निर्यात दायित्व अवधि के बाद अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर निर्यात करना जारी रख सकते हैं। प्रभावित निर्यात को निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए केवल तभी गणना की जाएगी जब संबंधित प्राधिकार पत्र निर्यात दायित्व विस्तार को मंजूरी दे।

2.19 स्क्रिप की वैधता

विदेश व्यापार नीति के तहत जारी स्क्रिप्स उस तारीख को वैध होने चाहिए जिस तारीख को शुल्क का वास्तविक डेबिट किया गया हो।

2.20 गैर-स्कोमेट मर्च के लिए आयात/निर्यात लाइसेंस प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति का पुनः वैधीकरण

- (क) डीजीएफटी (मुख्यालय) द्वारा वैधता की समाप्ति की तिथि से छह माह की अवधि के लिए योग्यता के आधार पर आयात प्राधिकार पत्र का पुनः वैधीकरण किया जा सकता है।
- (ख) छह माह की अवधि के लिए और अधिकतम 12 माह तक की अवधि के लिए योग्यता आधार पर निर्यात प्राधिकार पत्र का फिर से पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है।
- (ग) तथापि, मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्राधिकार पत्र/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स और स्टॉक तथा बिक्री (स्कोमेट मर्च को छोड़कर) प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि इनकी वैधता सीमाशुल्क प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी/सरकारी प्राधिकारी के पास होते हुए ही समाप्त न हो गयी हो।
- (घ) प्राधिकार पत्र/ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का पुनर्वैधीकरण भी विलम्ब की अवधि (अवधि जिसके लिए प्राधिकार पत्र/स्क्रिप धारक उसका उपयोग करने में असमर्थ रहा) या छः महीने, जो भी कम हो, के लिए कोई शुल्क लिए बिना निम्नलिखित कारणों से अनुमत होगा:
- यदि प्राधिकार पत्र/स्क्रिप या उसमें किसी संशोधन को निर्गम/संशोधन की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर सीमा शुल्क सर्वरों पर प्रेषित नहीं किया गया हो;
 - यदि सीमाशुल्क सर्वर द्वारा त्रुटि कोड के साथ प्राधिकार पत्र/स्क्रिप अस्वीकार किया गया हो;
 - यदि बांड/ईओडीसी की छूट जारी करने हेतु अनुरोध पर प्रक्रिया पुस्तक, के पैरा 11.10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विचार नहीं किया गया हो जहां पूर्ण दस्तावेज प्राधिकार पत्र वैधता के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

ऐसे मामलों में पुनर्वैधीकरण विलम्ब की अवधि के लिए पृष्ठांकन की तारीख अथवा छः माह के लिए, जो भी कम हो, से अनुमत होगा। उदाहरण के लिए, प्राधिकार पत्र दिनांक 01.04.2017 को 12 माह की प्रारंभिक वैधता के साथ जारी किया गया है। इसे सीमाशुल्क के सर्वर में डीजीएफटी के सर्वर द्वारा 01.04.2017 को प्रेषित किया गया परन्तु सीमाशुल्क के सर्वर द्वारा इसे 31/10/2017 को स्वीकार किया गया। इस प्रकार, प्राधिकार पत्र धारक को 7 माह (अभी भी 5 माह की वैधता शेष है) का नुकसान हुआ। ऐसे मामले में क्षेत्रीय प्राधिकारी पृष्ठांकन की तारीख से 6 माह (5 माह की वैधता को शामिल कर लिया गया है) की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण की अनुमति देगा।

आवेदक अपने दावे के समर्थन में डीजीएफटी के सर्वर के साथ-साथ सीमाशुल्क के सर्वर के स्क्रीन शॉट के साथ प्राधिकार-पत्र/स्क्रिप के पृष्ठांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी पुनर्वैधीकरण की अनुमति देने से पहले इसका सत्यापन करेगा।

तथापि, आवेदन सीमाशुल्क के सर्वर में प्राधिकार पत्र/स्क्रिप की अंतिम स्वीकृति की तारीख से एक माह के भीतर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त निहित किसी बात के बावजूद पुनर्वैधीकरण के ये प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे जहां प्राधिकार पत्र/स्क्रिप धारक के पास इसके उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से छह माह उपलब्ध था।

2.21 पुनः वैधीकरण का प्राधिकारी

पैरा 2.20 के तहत ऐसे पुनः वैधीकरण की अनुमति संबंधित कार्यालयों के विशेष आदेशों के तहत दी जाएगी तथा ऐसे पुनः वैधीकरण अधिकतम अभिरक्षा अवधि तक सीमित होगी।

2.22 पुनः वैधीकरण के लिए आवेदन

प्राधिकार पत्र के पुनः वैधीकरण के लिए आवेदन कार्यालय जो प्राधिकार पत्र जारी करता है को प्रस्तुत किया जा सकता है।

डुप्लीकेट प्रतियां जारी करने की प्रक्रिया

2.23 निर्यात/आयात प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रतियाँ

जब कोई प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र/लाइसेंस/प्रमाण पत्र की वास्तविक प्रति खो जाती है, या गुम हो जाता है तो परिशिष्ट-2ड में दिए गए फार्म में, स्व-घोषणा पत्र की प्रति के साथ उस संबंधित कार्यालय को उसकी डुप्लीकेट प्रतिलिपि जारी करने के लिए आवेदन किया जा सकता है जहां मूल लाइसेंस जारी किया गया था।

2.24 मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रति के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रति निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन के मद्दे जारी की जाएगी:

- (i) बचाए गए शुल्क अथवा शुल्क क्रेडिट (अप्रयुक्त बकाया का) के 10 प्रतिशत के समतुल्य फीस के साथ एक आवेदन पत्र।
- (ii) नुकसान को दर्शाने वाली प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) की एक प्रति।
- (iii) ऐसे डुप्लीकेट जारी करने के कारण राजस्व की होने वाली क्षति की पूर्ति करने की स्व-घोषणा।

2.25 अपवाद

जब प्राधिकार पत्र सरकारी एजेन्सी द्वारा गुम हो जाता है और इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो उपर्युक्त पैरा 2.24 के (i) से (iii) तक के दस्तावेज नहीं माँगे जाएंगे। ऐसे मामलों में, पुनः वैधीकरण पृष्ठांकन की तारीख से छः महीनों की अवधि के लिए होगा।

2.26 डुप्लीकेट जारी करने के लिए प्रणाली

संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, अप्रयुक्त अधिशेष के लिए डुप्लीकेट जारी करने से पूर्व पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी से ऐसे प्राधिकार पत्र के उपयोग से संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

2.27 डुप्लीकेट प्राधिकार पत्र की वैधता

डुप्लीकेट प्राधिकार पत्र की वैधता मूल अवधि के साथ समाप्त होगी। यदि वैधता समाप्त हो गई हो तो किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.28 प्रावधान की अनुप्रयोज्यता

पैरा 2.26 तथा 2.27 के प्रावधान, पैरा 2.23 तथा 2.24 दोनों में शामिल मामलों में लागू होंगे।

बैंक गारंटी/एल्यूटी/नैगमिक प्रतिभूति

2.29 अग्रिम प्राधिकार पत्र/ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन

(क) सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा माल की निकासी से पूर्व, प्राधिकार पत्र धारक को सीमा शुल्क प्राधिकारियों के साथ एक बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित करनी होगी। ऐसे मामलों में, लाइसेंस/प्राधिकार पत्र पर क्षेत्रीय प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तें पृष्ठांकित करेगा: “यथा लागू बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारियों के साथ निष्पादित करना होगा।”

(ख) स्वदेशी स्रोतों से माल की प्राप्ति के मामले में, प्राधिकार पत्र धारक समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 58/2004 दिनांक 31.10.04 के अनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकारी को बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा। यदि, फर्म ने सीमाशुल्क प्राधिकारियों को लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र (स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त मर्च सहित) के कुल मूल्य के लिए पहले ही बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित कर दी है और क्षेत्रीय प्राधिकारी को उसका प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी को बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र पर पृष्ठांकित करेगा कि सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र या ईओडीसी की प्राप्ति के बाद ही बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को जारी/मोचन करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी उसकी एक प्रति अग्रेषण पत्र के साथ पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास उसकी सूचना एवं रिकार्ड के लिए भेजेगा।

(ग) स्तरधारक या पीएसयू भी इस संबंध में प्रासंगिक सीमा शुल्क परिपत्र के प्रावधानों के संदर्भ में बैंक गारंटी/एल्यूटी के बदले में कॉंपरेट गारंटी प्रस्तुत कर सकते हैं।

2.29क एनसीएलटी कार्यवाहियों के तहत आने वाली कोई भी फर्म/कंपनी राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष कार्यवाही शुरू होने की तिथि तक बचायी गयी शुल्क की राशि और लागू ब्याज, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना, शुल्क आदि जैसे कोई भी अन्य देय राशि, को दर्शाते हुए विदेश व्यापार नीति के स्कीमों के तहत बकाया निर्यात दायित्वों/देयताओं के विवरण का सारांश तैयार करेगी और सांविधिक फाइलिंग के भाग के रूप में एनसीएलटी की कार्यवाही शुरू होने से पहले इसे संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी और एनसीएलटी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सनदी अभियंता/सनदी लेखाकार द्वारा अभिप्रमाणित निविष्टियों की खपत/पूँजीगत माल की खरीद का विवरण भी बचायी गयी शुल्क की राशि को पूरा करने हेतु दावा किए गए किसी भी निर्यात दायित्व की आंशिक रूप से पूर्ति के अन्य दस्तावेजी विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

2.30 अग्रिम भुगतान

यदि भुगतान पहले प्राप्त हो जाता है और निर्यात/मान्य निर्यात बाद में किया जाता है तो प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन आगामी माह के लिए विशिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिस माह के दौरान निर्यात/मान्य निर्यात किया गया हो, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

2.31 पट्टा वित्तीयन के तहत आयात

ईओयू/एसईजैड, स्कीम के अन्तर्गत पट्टा वित्तीयन के तहत आयात उपलब्ध होगा। मान्य निर्यात की पात्र श्रेणियों के पूँजीगत माल के घरेलू आपूर्तिकर्ता, ऐसे मामलों में भी जहां आपूर्ति, पट्टा वित्तीयन के तहत की गई है, विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 7.03 में यथा उल्लिखित मान्य निर्यात लाभों के हकदार होंगे।

2.32 दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना

जहां मूल दस्तावेज भिन्न क्षेत्रीय प्राधिकारी/नामित एजेंसियों या उसी क्षेत्रीय प्राधिकारी के भिन्न प्रभाग को सौंपे गए हैं, आवेदक मूल प्रति के एवज में विधिवत रूप से स्वप्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है।

गोदामों की सुविधा

2.33 गोदामों की सुविधा

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.36 के अनुसार मर्चों का आयात करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय-IX के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों में सार्वजनिक/निजी सीमाशुल्क बाण्डेड गोदाम स्थापित किये जा सकते हैं। माल की प्राप्ति पर, ऐसे गोदाम इस माल को यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना एक वर्ष की अवधि के लिए रख सकेंगे। घरेलू उपभोग के लिए सक्षम सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी ऐसे माल की निकासी के आदेश के बाद, सीमाशुल्क का भुगतान करने और प्राधिकार पत्र की प्रस्तुति, जहाँ कहीं आवश्यक हो, पर घरेलू उपभोग के लिए प्रविष्टि बिल के तहत के माल की निकासी की जा सकती है। शुल्क मुक्त श्रेणियों/शुल्क रियायत श्रेणियों के मद्दे निकासी के मामलों में, शुल्क में छूट/रियायत, की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना माल का पुनः निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे माल के मामले में शिपिंग बिल या निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया हो; और ऐसे माल का निर्यात करने के लिए सक्षम सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया हो।

प्रमाणपत्र**2.34 मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र**

(क) (i) क्षेत्रीय प्राधिकारी, आवेदन करने पर, अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक आदि में प्रयोग होने वाले चिकित्सीय और शल्य उपकरणों के लिए, औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत न आने वाली निर्यात की मदों के लिए और जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं उनके लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र भी जारी कर सकता है। ऐसे प्रमाणपत्र की वैधता जारी होने की तारीख से दो वर्ष तक होगी जबकि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(ii) ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए निःशुल्क बिक्री एवं वाणिज्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को किया जा सकता है।

(iii) मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र के लिए आवेदन परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के एएनएफ-2ज में दिए गए प्रपत्र में अनुलग्नक क सहित संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी एएनएफ-2ज के अनुलग्नक ख के अनुसार मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(ख) (i) क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदन करने पर अन्य किसी भी मद का निर्यात जो प्रतिबंधित या निषिद्ध नहीं है उनके लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण-पत्र भी जारी कर सकता है। ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तारीख से दो वर्ष तक होगी जबकि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(ii) इन मदों के लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के एएनएफ-2ज में दिए गए प्रपत्र में अनुलग्नक 'क' सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी एएनएफ-2ज के अनुलग्नक 'ख' के अनुसार मुक्त बिक्री और व्यापार प्रमाण पत्र जारी करेगा।

2.35 वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाण पत्र

भारत में किसी मुक्त आयात की जाने वाली मदों के आयात के मामले में, यदि विदेशी सरकार मद के वास्तविक प्रयोक्ता के प्रमाण पर बल देती है तो, उनके देश से उसका निर्यात करने से पहले परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट-2थ के अनुसार ऐसा प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। यह प्रमाण पत्र एएनएफ-2ज में, निर्धारित दस्तावेजों सहित, किए गए आवेदन के आधार पर जारी किया जायेगा।

2.36 भारत-अमेरिका समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आयात

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) से विशिष्ट पूंजीगत माल, कच्चे माल, संघटकों आदि का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका निर्यात नियंत्रण विनियमों के अधीन किया जाएगा। ऐसी मदों के संयुक्त राज्य अमेरिका के आपूर्तिकर्ताओं को, भारत में जारी आयात प्रमाणपत्र के आधार पर आयात प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होगा। आयात प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी (आई.सी. आई.ए.) निम्नलिखित हैं:

(i) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पर आधारित सिस्टम के आयात हेतु इलैक्ट्रॉनिक विभाग; (डीओई)

(ii) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर आधारित सिस्टम को छोड़कर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) प्रौद्योगिकी सहायता खण्ड (टीएसडब्ल्यू), के अधीन पंजीकृत संगठित क्षेत्र की यूनिटों के लिए।

(iii) रक्षा से संबंधित मदों के लिए रक्षा मंत्रालय (एमओडी)।

(v) लघु उद्योग तथा इकाइयाँ जो उपर्युक्त में शामिल नहीं साथ ही साथ उपर्युक्त में से किसी के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय।

(vi) उपर्युक्त किसी की भी ओर से भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डी सी।

(ख) आयात प्रमाणपत्र के लिए 'आयात-निर्यात प्रपत्र'-2ट (i) में आवेदन करना होगा। परिशिष्ट-2त (क) में आयात प्रमाण-पत्र आई.सी.आई.ए. द्वारा सीधे ही आयातक को दिया जाएगा तथा इसकी प्रतिलिपि (i) विदेश मंत्रालय (एमईए) (एएमएस अनुभाग), नई दिल्ली (ii) इलैक्ट्रॉनिक विभाग, (डीओई) नई दिल्ली, और (iii) विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

(ग) तथापि, आयात प्रमाणपत्र को आईटीसी (एचएस) में यथा प्रतिबंधित उल्लिखित मदों के लिए आयात प्राधिकार पत्र को के स्थान पर नहीं माना जाएगा और ऐसी मदों के लिए जब अपेक्षित हो आयात प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होगा।

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका के एकपक्षीय निर्यात नियंत्रण मदों परिशिष्ट-2त (ii) (क) में यथा सूचीबद्ध अपराध नियंत्रण (सीसी) मद और परिशिष्ट 2त (ii) (ख) में यथा सूचीबद्ध क्षेत्रीय सुरक्षा (आरएस) मद के संबंध में भारत का आयात और निर्यात निम्नलिखित विनियमनों से अभिशासित होगा:

संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात के लिए परिशिष्ट 2त (ii) (क) और परिशिष्ट-2त (ii) (ख) दोनों में सूचीबद्ध मदें विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमत होंगी बशर्ते आयातक आयात निर्यात प्रपत्र 2ट (i) में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

- (i) संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्तन को दर्शाते हुए लदान-पत्र का दस्तावेजी प्रमाण,
- (ii) विधिक वचनबद्धता कि माल का निर्यात/हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और
- (iii) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ आयात किया गया है।

(ड.) यदि आयातक संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित मदों या उससे हिस्से का बाद में निर्यात करना चाहता है तो ऐसे निर्यात के लिए आयात निर्यात प्रपत्र 2ट (ii) के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होगी तथा निर्यात प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-2त (i) (ख) प्रपत्र में जारी किया जाएगा।

(च) इन मदों का आयात/निर्यात भारत के केवल ईडीआई समर्थित पत्तनों से अनुमत होगा।

आयात

2.37 उपभोक्ता अथवा अन्य माल का उपहार के रूप में आयात

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.26 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, आई टी सी (एच एस) में आयात के लिए प्रतिबंधित रूप में उल्लिखित मदों का उपहार के रूप में आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात निर्यात प्रपत्र 2ड में दिए प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।

(ख) जहां उपहार का प्राप्तकर्ता लागू कानून के अधीन पंजीकृत धर्मार्थ, धार्मिक अथवा एक शैक्षिक संस्थान हैं और आयात किए, जाने वाले उपहार को सीमाशुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, ऐसा आयात सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सीमाशुल्क निकासी अनुज्ञा पत्र के बिना अनुमत होगा।

2.38 चैक बुक/टिकट फार्म आदि का आयात

विदेशी बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा ट्रेवल एजेंसियों की भारतीय शाखाओं द्वारा चैक बुक, बैंक ड्राफ्ट फार्म तथा ट्रेवेलर चैक फार्मों का सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना आयात किया जा सकता है। इसी प्रकार, भारत में कार्यरत एअरलाइन्स/शिपिंग कम्पनियाँ, जिनमें इन एअरलाइन्स/शिपिंग कम्पनियों, जिनमें इन एअरलाइन्स/शिपिंग कम्पनियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी शामिल हैं, सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना पैसेजर्स टिकट फार्मों का आयात कर सकती है।

2.39 वायुयान के रीकंडीशन्ड/पुराने कल पुर्जों का आयात

नागर विमानन महानिदेशक, भारत सरकार (डीजीसीए) की सिफारिशों पर वायुयान के रीकंडीशन्ड/पुराने कलपुर्जों के लिए आयात प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

2.40 प्रतिस्थापन माल का आयात

सामान और उसके पुर्जे आयात करने पर खराब या अन्यथा उपयोग के लिए उपयुक्त न हो अथवा जो आयात करने के बाद नष्ट हो गये हों, उनका प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है तथा प्रतिस्थापन वाले सामान की विदेशी सप्लायरों द्वारा बिना प्रभार की आपूर्ति की जा सकती है या समुद्री बीमा के प्रति आयात अथवा बीमा कम्पनी द्वारा निपटायें गए समुद्री सह निर्माण बीमा दावों का निपटान के विरुद्ध आयात किया जा सकता है। ऐसे सामान का सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा आयात प्राधिकार पत्र के बिना निकासी करने की अनुमति होगी बशर्ते कि:

(क) सीमाशुल्क द्वारा पिछले आयातित सामान की निकासी की तारीख से 24 माह के भीतर प्रतिस्थापन माल का पोतलदान किया जाता है अथवा मशीन या उसके कलपुर्जों के मामलों में, जहाँ 24 माह से अधिक समय लग गया है, गारंटी अवधि के भीतर ऐसा किया जाता है; और

(ग) आयातक द्वारा किए गए बीमा और/अथवा भाड़े के भुगतान के अधीन विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान की प्रतिपूर्ति पर बीमा और भाड़े के भुगतान को छोड़कर कोई प्रेषण शुल्क अनुमत नहीं होगा और प्रेषण शुल्क देते समय इस प्रयोजन का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

2.41 प्रतिस्थापन माल के आयात की अन्य शर्तें

(क) ऐसे मामलों में जहाँ माल पोत में कम चढ़ाया, कम उतारा गया पाया जाए या आवाजाही में गुम पाया जाए, प्रतिस्थापन माल का आयात, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर बिना किसी आयात प्राधिकार पत्र के अनुमत होगा।

(ख) यह प्रक्रिया उस मामले में भी लागू होगी जहाँ विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा पोत में सामान के कम लदान को प्रमाणित किया जाता है और वह सामान मुफ्त बदलने के लिए तैयार है।

(ग) जो मामले उपर्युक्त प्रावधानों में शामिल नहीं होते हैं उनके संबंध में वस्तुओं के प्रतिस्थापन के लिए प्राधिकार पत्र की मंजूरी हेतु विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा, जिसके लिए आवेदन पत्र प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.47 के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे।

2.42 विदेशी कार्यालय उपकरणों का आयात

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से स्थापित समुद्रपारीय कार्यालयों को बंद करने पर, प्रयुक्त कार्यालय उपकरणों और अन्य मदों का आयात प्राधिकार पत्र के बिना किया जा सकता है।

2.43 लाइसेंसधारी/प्राधिकृत हथियार व्यापारियों द्वारा हथियारों का आयात

(क) लाइसेंसधारी हथियार व्यापारियों द्वारा प्राधिकार पत्र के मद्दे निम्नलिखित प्रकार के हथियारों का आयात अनुमत है बशर्ते कि यह यथाविनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो:

(i) शाटगन कार्टरिज 28, बोर के;

(ii) रिवाल्वर कार्टरिज .450, .455 और .45 बोर के;

(iii) पिस्टल कार्टरिज .25, .30 माउजर, .450 और .45 बोर के;

(iv) राइफल कार्टरिज 6.5 एम एम, .22 सेवेज, 22 हार्नेट, 300 शेरवुड, 32/40, 256, 275, 280, 7 एम/एम माउजर, 7 एम/एम माउजर, 7 एम/एम मैनस्वूनर, 9 एम/एम माउजर, 9 एम/एम मैनस्वूनर, 8x57, 8x57 एस, 9.3 एम/एम, 9.5 एम/एम, .375 मैगनम, .405, .30 .06, .270, .30/30 विंच, .318, .33 विंच .275 मैग, .350 मैग, 400/350, .369 पुरडे, .450/400, .470, .32 विन .458 विन, .380 रुक, .220 स्वीपट और .44 विन बोर्स के।

(ख) आयात प्राधिकार पत्र विगत 3 लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान गोला बारुद के वार्षिक औसत बिक्री कारोबार (देशी अथवा आयातित) के मूल्य के 5 प्रतिशत मूल्य तक दिया जाएगा बशर्ते कि यह न्यूनतम 2000/— रुपये से कम न हो।

(ग) उपर्युक्त सूचबद्ध मदों के लिए प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन उसमें विहित निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात-निर्यात फार्म-2ड में डीजीएफटी मुख्यालय को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.44 विशिष्ट क्षेत्र के लिए शुल्क मुक्त आयात

(क) भषज और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास उपकरण

(i) पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 25 प्रतिशत तक वस्तुओं (समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क अधिसूचना सं० 21/2012 दिनांक- 17.03.2012 की सूची 28 में यथा निर्दिष्ट) के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी।

(ii) पात्र यूनिट परिशिष्ट-8क में दिए अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रति-हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(iii) अनुसंधान और विकास उपकरण के शुल्क मुक्त आयात के मामले में उन यूनिटों को स्वतंत्र सनदी अभियंता द्वारा जारी अधिष्ठापन प्रमाण-पत्र देने की अनुमति होगी जो क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं हैं।

(ख) खाद्य-रसायन क्षेत्र

- (i) कृषि रसायन क्षेत्र यूनिट जिनका पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान निर्यात कारोबार 20 कराड़े रुपये या अधिक है को पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत तक, सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 21/2012 दिनांक 17-03-2012 की सूची 28क में यथा निर्दिष्ट माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति होगी।
- (ii) पात्र यूनिट परिशिष्ट-8ख में दिए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रति-हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।
- (iii) जो यूनिटें क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं हैं उन्हें अनुसंधान एवं विकास उपकरण के शुल्क मुक्त आयात के संबंध में स्वतन्त्र सनदी अभियन्ता द्वारा जारी अधिष्ठापन प्रमाण पत्र देने की अनुमति होगी।

2.45 एक सरकार से दूसरी सरकार के समझौतों के अन्तर्गत आयात

एक सरकार से दूसरी सरकार के समझौतों के अन्तर्गत माल का आयात, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को उनकी संतुष्टि के अनुसार आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्राधिकार पत्र या सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना अनुमत किया जा सकता है।

2.46 आयातित माल का हस्तांतरण**(क) ऐसे मामले जहाँ पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है:-**

ऐसे आयातित माल, जो वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन हैं और वास्तविक उपयोक्ता की आवश्यकता से अधिक है, का हस्तांतरण केवल जारी करने वाले प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। सहायक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित सूचना, हस्तांतरण के लिए मंजूरी के अनुरोध सहित, जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी :-

- (i) आयातित सामग्री के हस्तांतरण के कारण;
- (ii) जिसको हस्तांतरित किया जाना है उस व्यक्ति का नाम, पता, आयातक/निर्यातक कोड संख्या तथा औद्योगिक प्राधिकार पत्र पंजीकरण, यदि कोई हो;
- (iii) आयातित माल का विवरण, मात्रा और मूल्य तथा जिसका हस्तांतरण करने की अनुमति मांगी गई है;
- (iv) किए गए आयात से संबंधित आयात प्राधिकार पत्र और प्रविष्टि बिल की प्रतियां;
- (v) क्रेता और विक्रेता के बीच हस्तांतरण की नियम एवं शर्तें जिस पर सहमति बनी है।

(ख) ऐसे मामले जहाँ पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है:-

- (i) मुक्त रूप से आयातित माल के आयातक द्वारा बिक्री अथवा अन्यथा के मामले में।
- (ii) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त सहित आयातित माल हेतु, बशर्ते ऐसा माल हस्तांतरण की वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के बिना मुक्त रूप से आयातित हो।
- (iii) आयात की तिथि से दो वर्ष की अवधि के पश्चात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त वाले माल हेतु।
- (iv) आयातित आग्नेयास्त्रों के हस्तांतरण हेतु (क) आयात 10 वर्ष बाद अथवा (ख) आयातक के 60 की आयु प्राप्त कर लेने पर, बशर्ते कि अस्त्र-शस्त्र अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों में दी गई शर्तें पूरी करता हो।
- (v) प्रसिद्ध निशानेबाजों (जिन्हें आईटीसी (एचएस) 2022 के अध्याय 93 की नीति शर्त 3 में यथा परिभाषित) के लिए आयातित हथियार (आग्नेयशस्त्रों) के हस्तांतरण जो किसी उभरते निशानेबाज के खेल के क्षेत्र में निशानेबाजी करने के उद्देश्य हेतु या राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन आफ इण्डिया (एनआरएआई) अथवा खेल विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयात के दो वर्ष पश्चात प्रमाणित किया जाना चाहिए। तदुपरांत हस्तांतरित पहली बिक्री की तिथि से एक वर्ष के पश्चात निशानेबाजी को जारी रखने के एकमात्र उद्देश्य हेतु एनआरएआई अथवा खेल विभाग द्वारा प्रमाणित किए जाने पर किसी खरीददार को हस्तांतरित/पुनः बेच

सकता है। ऐसा हस्तांतरण/बिक्री शास्त्र अधिनियम, 1959 तथा राज्य/स्थानीय पुलिस द्वारा लागू अन्य नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अधीन होगा। एनआर.एआई/खेल विभाग अपेक्षित रिकार्ड का रखरखाव करेंगे।

प्रतिबंधित मदों का आयात

2.47 'प्रतिबंधित' मदों का आयात/निर्यात

(क) आईटीसी (एचएस) में 'प्रतिबंधित' के रूप में उल्लिखित मदों के आयात या निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र, क्रमशः एएनएफ-2ड/एएनएफ-2ढ में निर्धारित दस्तावेजों सहित ऑनलाइन डीजीएफटी मुख्यालय को भेजा जा सकता है।

(ख) आयात अथवा निर्यात प्राधिकार पत्र में संशोधन हेतु आवेदन डीजीएफटी मुख्यालय को ऑनलाइन किया जाएगा।

2.48 निर्यात आयात सुविधा समिति

(क) प्रतिबंधित मद प्राधिकार पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक या उनकी ओर से इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय/क्षेत्रीय प्राधिकारी, पत्र देते समय सुविधा समिति की सहायता और सलाह ले सकते हैं। तकनीकी प्राधिकारियों से भी लिखित में सलाह लेकर सहायता ली जा सकती है। सुविधा समिति में संबंधित तकनीकी प्राधिकरणों और विभागों/मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

(ख) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाता है तो प्रतिबंधित मद के लिए आयात प्राधिकार पत्र, आवेदक द्वारा लिखित रूप से बताये गये विकल्प के अनुसार किसी पत्तन या हवाई अड्डे अथवा आई.सी.डी अथवा एल.सी.एस. के माध्यम से आयात हेतु जारी किये जाएंगे। प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार पत्र में निर्दिष्ट पत्तन पर पंजीकृत करवायेगा और इसके बाद उक्त प्राधिकार पत्र के मद्दे सभी आयात केवल इसी पत्तन के माध्यम से किये जाएंगे जब तक कि प्राधिकार पत्र धारक किसी अन्य विनिर्दिष्ट पत्तन से आयात करने के बारे में संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता।

(ग) निर्यात आयात सुविधा समिति (ईएफसी) सामान्यतः महीने में एक बार बैठक करेगी। जहां मामले को ईएफसी में तकनीकी प्राधिकारियों और संबंधित विभागों/मंत्रालयों से टिप्पणियों के अभाव में आस्थगित कर दिया गया है और तत्पश्चात् एजेंसी (एजेंसियों) से बिना किसी भिन्न दृष्टिकोण के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है/हो गए हैं, अध्यक्ष, ईएफसी के अनुमोदन से प्राधिकार-पत्र जारी किया जाएगा और ईएफसी की अनुवर्ती बैठक में कार्योत्तर आधार पर अनुमोदन हेतु मामले को रखा जाएगा।

2.49 होटलों, रेस्तराओं, ट्रेवल एजेंटों, टूर-आपरेटरों और अन्य विनिर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा अपेक्षित प्रतिबंधित मदों का आयात

महानिदेशक, पर्यटन, भारत सरकार की सिफारिशों के आधार पर होटलों, रेस्तराओं, ट्रेवल एजेंटों और टूर आपरेटरों द्वारा अपेक्षित आईटीसी(एचएस) में आयात के लिए प्रतिबंधित के रूप में उल्लिखित मदें प्राधिकार पत्र के मद्दे अनुमत होंगी।

(क) महानिदेशक, पर्यटन, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटन होटलों सहित होटल, पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान होटल और पर्यटन उद्योग से संबंधित आवश्यक माल के आयात के लिए, विदेशी पर्यटकों से उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 25 प्रतिशत मूल्य तक के आयात प्राधिकार पत्र के पात्र होंगे।

(ख) भारत सरकार के पर्यटन महानिदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंटों, टूर संचालकों, रेस्तराओं तथा पर्यटन परिवहन संचालकों और साहसिक/वन्य जीव जैसे पर्यटन के लिए अन्य यूनिट और कन्वेन्शन यूनिट को गत लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान उनके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत मूल्य का आयात प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे और ऐसे प्राधिकार पत्र ट्रेवल तथा पर्यटन उद्योग को उनकी व्यावसायिक प्रयोग के लिए अपेक्षित कार्यालय एवं अन्य उपकरणों सहित अनिवार्य वस्तुओं, जिनका आयात प्रतिबंधित है उनका आयात करने के लिए दिए जाएंगे।

(ग) पैरा 2.49 (क) तथा 2.49 (ख) के अन्तर्गत किसी भी लाइसेंसिंग वर्ष की आयात हकदारी के लिए पूरी अथवा उसके एक भाग को आगे ले जाया जा सकता है तथा दो आगामी लाइसेंसिंग वर्षों की आयात हकदारी में जोड़ा जा सकता है।

- (घ) ऐसी आयातित वस्तुएं विदेश व्यापार महानिदेशालय की अनुमति से 2 वर्ष के बाद हस्तांतरित की जा सकती हैं। आयातित माल के पुनर्निर्यात के मामले में हस्तांतरण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि पुनर्निर्यात, आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-II में यथा अपेक्षित सभी शर्तों अथवा लाइसेंस की आवश्यकताओं अथवा अनुमति के अधीन किया जाएगा।
- (ड.) पैराग्राफ 2.49 (क) और 2.49 (ख) के अधीन प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 2ड में महानिदेशक विदेश व्यापार को निदेशक, पर्यटन विभाग, भारत सरकार के जरिए देना होगा।

2.50 सरकार की यूनिटों द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रतिबंधित मदों का आयात

अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन के लिए जीवित जानवरों को छोड़कर सभी प्रतिबंधित मदों और एसटीई के माध्यम से अनुमत मदों का आयात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास यूनिटों द्वारा प्राधिकार पत्र के बिना किया जा सकता है।

2.51 धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात

किसी प्रकार के धात्विक छीजन, स्क्रेप का आयात इस शर्त के अधीन होगा कि उसमें खतरनाक, जहरीला छीजन, रेडियोएक्टिव दूषित छीजन/स्क्रेप जिसमें रेडियोएक्टिव सामान, किसी प्रकार के हथियार, गोला बारुद, माइन्स, गोलियों के खोल जिंदा या चला हुआ बारुद या किसी भी प्रकार की अन्य विस्फोटक सामग्री हो चाहे वह प्रयोग की गई हो या नहीं, नहीं होगी।

- (क) निम्नलिखित प्रकार के धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात कुछ शर्तों के अधीन होगा, जिनका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रं सं.	एग्जिम कोड	मद ब्यौरा
1	72041000	कास्ट आयरन का छीजन और स्क्रेप
2.	72042190	अन्य
3.	72042920	हाई स्पीड स्टील का
4.	72042990	अन्य
5.	72043000	टिन वाले लोहे या स्टील का छीजन और स्क्रेप
6.	72044100	टर्निंग, शेविंग, चिप्स, मिलिंग वेस्ट, सॉ डस्ट, फीलिंग, ट्रीमिंग और स्टेम्पिंग, चाहे बण्डल में हो या न हों।
7.	72044900	अन्य
8.	72045000	दोबारा पिघलने वाले स्क्रेप इन्गोट्स
9.	74040012	कॉपर स्क्रेप
10.	74040022	ब्रास स्क्रेप
11.	75030010	निकल स्क्रेप
12.	76020010	ऐल्युमिनियम स्क्रेप
13.	79020010	जिंक स्क्रेप
14.	80020010	टिन स्क्रेप
15.	81042010	मैगनीशियम स्क्रेप

- (ख) 'मुक्त रुप' से आयातित (खंडित रुप में) धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत के सभी पत्तनों से अनुमत किया जाएगा:

- (i) माल की निकासी के समय आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकारी को परिशिष्ट-2छ में दिए गये किसी भी जाँच और प्रमाणन अभिकरणों से प्राप्त परिशिष्ट-2ज में दिये गये प्रपत्र के अनुसार इस आशय का

पोतलदान पूर्व जाँच प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इस खेप में किसी भी प्रकार के रेडिएशन स्तर के लिए जाँच कर ली गई है और स्कैप में प्राकृतिक रूप से आधिक्य में रेडिएशन स्तर (गामा और न्यूट्रान) शामिल नहीं है। प्रमाण पत्र स्कैप पर अधिकतम रेडिएशन स्तर के साथ बैकग्राउंड रेडिएशन स्तर के मान को दर्शाएगा; और

- (ii) आयातक निर्यातक के साथ हुए करार की प्रति प्रस्तुत करेगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि इस खेप में किसी भी रूप में कोई रेडियो एक्टिव दूषित सामग्री नहीं है।

(ग) होदाईडेह, यमन और बंदार अबासट ईरान से आयात केवल खंडित रूप में होगा।

(घ) पैरा 2.51 (क) में उल्लिखित अखंडित, संकुचित और टूटे रूप में धात्विक छीजन और स्कैप का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा:—

- (i) माल की निकासी के समय आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकारी को परिशिष्ट-2छ में दिए गये किसी भी जाँच और प्रमाणन अभिकरणों से प्राप्त परिशिष्ट-2ज में दिये गये प्रपत्र के अनुसार इस आशय का पोतलदान पूर्व जाँच प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इस खेप में किसी भी प्रकार के हथियार, बारुद, माइन्स, शैल्स, कार्ट्रिज या किसी भी रूप में विस्फोटक सामग्री चाहे प्रयुक्त हुई हो या नहीं, विद्यमान नहीं है और रेडिएशन स्तर के लिए इस खेप की जाँच कर ली गई है और इसमें प्राकृतिक बैकग्राउण्ड के आधिक्य में रेडिएशन स्तर (गामा और न्यूट्रान) शामिल नहीं है। प्रमाण पत्र में स्कैप पर अधिकतम रेडिएशन स्तर के साथ बैकग्राउंड रेडिएशन स्तर के मान को दर्शाया जाएगा।
- (ii) आयातित मद (मदें) ऐसे वर्गीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदंड के अनुसार धात्विक अपशिष्ट/स्कैप/पुराने दोषपूर्ण है।
- (iii) आयातक और निर्यातक के बीच समझौते की प्रति जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि इस खेप में किसी भी प्रकार के हथियार, बारुद, माइन्स, शैल्स, कार्ट्रिज, रेडियो एक्टिव कंटैमिनेटेड अथवा अन्य रूप में विस्फोटक सामग्री, चाहे प्रयुक्त हुई हो अथवा नहीं है।
- (iv) स्कैप का आयात केवल निम्नलिखित नामित पत्तनों द्वारा किया जा सकेगा और ईओयू तथा एसईजैड के मामले में भी कोई अपवाद नहीं दी जाएगी:

1. चैन्नई 2. कोचीन 3. इन्नोर 4. जे.एन.पी.टी. 5. काण्डला 6. मोर्मूगाव 7. मुम्बई
8. न्यू मंगलोर 9. पारादीप 10. तूतीकोरिन 11. विशाखापट्टनम 12. पिपावा 13. मुन्द्रा 14. कोलकाता 15. कृष्णापट्टनम 16. कटपूली और 17. हजिरा और 18. कामराजार

(v) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अखंडित धात्विक अपशिष्ट और स्कैप के आयात के लिए केवल प्रविष्टि समुद्री पत्तनों को नामित और अधिसूचित किया जाएगा:

- (i) अखंडित धात्विक स्कैप के आयात के लिए नामित किसी भी समुद्री पत्तन को पर्याप्त सुरक्षा युक्त रेडिएशन पोर्टल मॉनीटर और कंटेनर स्कैनर अधिस्थपित करना होगा। उपर्युक्त पूरा कर लेने वाले समुद्री पत्तन को निरीक्षण और प्रमाणन के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क कार्यालय में सम्पर्क करना होगा। सीमा शुल्क कार्यालय आईआरबी से प्रमाणन प्राप्त कर लेने के बाद आवश्यक मंजूरी प्रदान करेगा। सीमा शुल्क कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय ऐसे पत्तन को अखंडित स्कैप के आयात के लिए नामित पत्तन के रूप में अधिसूचित करेगा।
- (ii) मौजूदा नामित समुद्री पत्तन नामतः चेन्नई, कोचिन, इन्नोर, जेएनपीटी, काण्डला, मर्मूगाव, मुम्बई, न्यू मंगलोर, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पिपाव, मुन्द्रा और कोलकाता को 30.09.2021 तक अखंडित स्कैप के आयात के लिए अनुमति होगी और तब तक उन्हें रेडिएशन पोर्टल मानीटर और कंटेनर स्कैनर अधिष्ठपित और प्रचालित करना होगा। ऐसे समुद्री पत्तनों जो समय-सीमा का पालन नहीं करते हैं, की 01.10.2021 से अखंडित धात्विक स्कैप के आयात के प्रयोजन हेतु मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
- (iii) इसके अलावा, कोई भी आईसीडी अखंडित धात्विक स्कैप की मंजूरी कर सकता है बशर्ते यह उपरोक्त नामित किसी भी समुद्री पत्तनों या समय-समय पर अधिसूचित/नामित किए जाने वाले किसी नए पत्तन से गुजरता हो जहां रेडिएशन पोर्टल मानीटर और कंटेनर स्कैनर प्रचालन में है तथा सीमाशुल्क

कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार खेप जोखिम आधारित स्कैनिंग/मानीटरिंग के अधीन है।

- (iv) धातु अपशिष्ट और स्क्रेप की आयात खेप मूल देश से पोतलदान पूर्व निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) के अधीन होगी। हालांकि, धातु अपशिष्ट और स्क्रेप (दोनों कटे हुए और बिना कटे हुए) सुरक्षित देशों/क्षेत्र से आयात किया जाता है अर्थात् यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ को पीएसआईसी की आवश्यकता नहीं होगी यदि खेप आठ (8) बंदरगाहों अर्थात् चेन्नई, टूटीकोरिन, कांडला, जेएनपीटी, मुम्बई कृष्णापट्टनतम, मुंद्रा और कटदुपल्ली, के माध्यम से मंजूरी दे दी जाती है। इन छह देशों/क्षेत्रों के खेपों को आपूर्तिकर्ता/स्क्रेप यार्ड प्राधिकारी से इन आशय का प्रमाणपत्र दिया जाएगा कि इसमें कोई रेडियोधर्मी सामग्री/विस्फोटक नहीं है। हालांकि ये इन बंदरगाहों पर पोर्टल मॉनीटर और कंटेनर स्कैनर के माध्यम से विकिरण और विस्फोटक जांच के अधीन होंगे। इन देशों/क्षेत्रों के माध्यम से ट्रांस-शिपमेंट को इस सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। शेष आठ (8) अन्य बंदरगाहों (कटे हुए और बिना कटे हुए स्क्रेप/अपशिष्ट दोनों के लिए) के माध्यम से आयात, चाहे मूल देश के बावजूद, पीएसआईसी के अधीन होगा।

2.52 पोतलदान पूर्व निरीक्षण एजेंसी (पीएसआईए) को मान्यता देना और पोतलदान-पूर्व निरीक्षण प्रमाण पत्र (पीएसआईसी) जारी करना।

- (क) एफटीपी के परिशिष्ट 2ट के अनुसार लागू शुल्क के भुगतान द्वारा पीएसआईए के संबंध में मान्यता के लिए आवेदन डीजीएफटी वेबसाइट (<https://dgft.gov.in>) पर ऑनलाइन किए जाने हैं।
- (ख) अन्तर-मंत्रालयी समिति द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाएगा।
- (ग) मान्यताप्राप्त पीएसआईए को तीन वर्षों की अवधि के लिए **परिशिष्ट-2छ** के तहत अधिसूचित किया जाएगा। 3 वर्ष पूरा होने पर पीएसआईए को आगे मान्यता प्राप्त करने के लिए नया आवेदन करना होगा।
- (घ) पीएसआईए **परिशिष्ट-2ज** में दिए गए प्रपत्र में पोत-लदान पूर्व निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) जारी करेगी। पीएसआईसी में पीएसआईए का विशिष्ट रूप से अंकित हॉलोग्राम भी होगा।
- (ङ) पीएसआईए उन देशों में भी अपने निरीक्षकों की तैनाती करके निरीक्षण कर सकती है जहां इसका पूर्णकालिक सुव्यवस्थित शाखा कार्यालय नहीं है किन्तु जो इसके प्रचालन के क्षेत्र में आता है। तथापि, अन्य देशों में ऐसे निरीक्षणों के लिए पीएसआईए को ईमेल (psia-travel-dgft@gov.in पर) भेजकर तथा निरीक्षक द्वारा किए गए दौर/निरीक्षण का ब्यौरा पीएसआईसी में प्रस्तुत करके विदेश व्यापार महानिदेशालय को पूर्व में सूचित करना होगा।
- (च) आवेदक आयात निर्यात **प्रपत्र-2ठ** की क्रम सं. 9 के अंतर्गत यथा अपेक्षित बैंक गारंटी के बिना प्रारंभ में अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके आवेदन-पत्र केवल बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे। तथापि, आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें पीएसआईए के रूप में अधिसूचित किए जाने से पूर्व बैंक गारंटी या कोई समतुल्य वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (छ) मौजूदा पीएसआईए के उपकरणों और/या संचालन के क्षेत्रों में संशोधन के लिए कोई भी आवेदन डीजीएफटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है।

2.53 पीएसआईए और आयातक की जिम्मेवारी और देयता

- (क) पीएसआईए में गलत घोषणा या पीएसआईए के रूप में मान्यता के लिए आवेदन-पत्र में गलत घोषणा के मामले में पीएसआईए पर मान्यता के निलंबन/निरस्तीकरण के अलावा यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- (ख) आयातक और निर्यातक संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होंगे कि आयात की गई सामग्री पीएसआईसी में की गई घोषणा के अनुसार है। किसी गलत घोषणा के मामले में उनपर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

- (ग) पीएसआईए, डीजीएफटी वेबसाइट के माध्यम से पीएसआईसी को ऑनलाइन जनरेट और अपलोड कर सकता है। आवश्यक निरीक्षण किए जाने के बाद पीएसआईए द्वारा पीएसआईसी जनरेट किया जाएगा। इन ऑनलाइन पीएसआईसी प्रक्रिया के दौरान पीएसआईए द्वारा आवश्यक वीडियो या फोटोग्राफिक प्रमाण अपलोड किए जाने हैं। पीएसआईसी की सत्यापित प्रति (पीडीएफ प्रारूप में) पीएसआईए द्वारा डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। यह प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 2ज में जारी किया जाएगा।
- (घ) पीएसआईए को निम्नलिखित कार्यकलापों/ब्यौरों को विधिवत रूप से कैप्चर करते हुए किए गए निरीक्षण का फोटोग्राफ लेना होगा या वीडियो बनाना होगा:
- (i) निरीक्षण का समय, तारीख के साथ पीएसआईए निरीक्षक (अनिवाय) और निर्यातक/आयातक का प्रतिनिधि, यदि उपलब्ध है (वैकल्पिक) के साथ निरीक्षण स्थल की फोटोग्राफ या वीडियो क्लिपिंग (कम से कम 1 फोटोग्राफ या क्लिपिंग);
 - (ii) निरीक्षण के लिए प्रयुक्त जांच उपकरण (उपकरणों) के फोटोग्राफ या वीडियो क्लिपिंग;
 - (iii) कंटेनर की संख्या दर्शाते हुए कंटेनरों को भरने की प्रक्रिया के फोटोग्राफ या वीडियो क्लिपिंग (कम से कम प्रति कंटेनर 1 फोटोग्राफ या वीडियो क्लिपिंग);
 - (iv) सील करने की प्रक्रिया के फोटोग्राफ या वीडियो क्लिपिंग (प्रति कंटेनर कम से 1 फोटोग्राफ या वीडियो क्लिपिंग)।
 - (v) पृष्ठभूमि में खाली कंटेनर के साथ इंसपेक्टर की एक तस्वीर खींची जाएगी जिसमें केवल एक दरवाजा बंद (कंटेनर नंबर वाला दरवाजा) होगा और उस फोटो में कंटेनर नंबर स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकेगा। स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य दरवाजे पर उसी कंटेनर नंबर के साथ सीलबंद कंटेनर के साथ इंसपेक्टर की एक और तस्वीर खींची जाएगी।
 - (vi) निरीक्षण के लिए उपयोग किए गए उपकरण की फोटो (जैसा कि पीएसआईसी के क्रम संख्या (ज) में दर्शाया गया है) को कंटेनर सील के साथ खींचा जाएगा, जिसमें कंटेनर सील नंबर और उपकरण क्रम संख्या होगी, जो उसी फोटो में दिखाई देगी।
- (ड.) तस्वीरें और/या वीडियो क्लिपिंग [ऊपर 2.53 (घ) के अनुसार] पीएसआईसी जारी करते समय पीएसआईए द्वारा डीजीएफटी की वेबसाइट (<https://www.dgft.gov.in/C/P>) पर अपलोड की जाएगी।

2.54 अन्य प्रकार के धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप का आयात

आईटीसी (एचएस) की शर्तों के अनुसार अन्य प्रकार के धातु अपशिष्ट और स्क्रैप के आयात की अनुमति होगी।

2.55 पुराने एवं दोषपूर्ण वस्तुओं का आयात

आईटीसी (एचएस) में पुराने और दोषपूर्ण, चिथड़े, पीईटी बोतलें/अपशिष्ट और जहाजों के लिए आयात नीत दी गई है।

2.56 निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरणों की सेवाएँ

सीमाशुल्क विभाग अथवा अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के प्राधिकरण पूंजीगत वस्तुओं की बाकी मियाद और मूल्य/खरीदने की कीमत को प्रमाणित करने के लिए परिशिष्टो एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2झ में निरीक्षण तथा प्रमाणन अभिकरणों की सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रशुल्क दर कोटा स्कीम

2.57 प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अन्तर्गत आयात की प्रक्रिया

- (क) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 28/2020-सीमा शुल्क दिनांक 23.06.2020 के अनुसार प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के तहत आयात किया जाएगा।
- (ख) कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल के लिए प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) आयात केवल वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान आवंटित किया जाएगा, प्रति वर्ष मात्रा तक जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

मद विवरण	आईटीसी (एचएस)	प्रति वर्ष प्रशुल्क दर कोटा (टीएम में)
कच्चा सोयाबीन तेल, चाहे डीगम्मड हो या नहीं	15071000	20,00,000
कच्चे सूरजमुखी के बीज तेल	15121110	20,00,000

उपर्युक्त टीआरव्यू के तहत शुल्क छूट का लाभ वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 30/2022 सीमाशुल्क विभाग दिनांक 24.05.2022 के अनुसार लिया जा सकता है।

टिप्पणी: उपर्युक्त पैरा 2.57 (ख) के तहत वर्ष 2022-23 के लिए कोटा का आवेदन हेतु प्रक्रिया सार्वजनिक सूचना सं. 50/2015-20 दिनांक 11.01.2023 और 60/2015-20 दिनांक 01.03.2023 के साथ पठित सार्वजनिक सूचना सं. 10/2015-20 दिनांक 24.05.2022 द्वारा पहले ही अधिसूचित किया गया है।

2.58 कोटे के आवंटन के लिए पात्र कंपनियाँ

प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.57 (क) के संदर्भ में निम्नलिखित इकाई कोटा के आवंटन के लिए पात्र होंगी।

- (क) दुग्ध चूर्ण (प्रशुल्क कोड संख्या 0402.10 अथवा 0402.21): तथा व्हाइट बटर, बटर ऑयल, एनहाइड्रस मिल्क फ़ैट (0405): राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध संघ (एनसीडीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड)।
- (ख) मक्का (कान) (प्रशुल्क कोड संख्या 1005.90): भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और राज्य सहकारी विपणन संघ।
- (ग) कच्चे सूरजमुखी के बीज अथवा कुसुम्भ तेल अथवा उनके भाग (प्रशुल्क कोड संख्या 1512.11) और रिफाइन्ड रेप, कोल्जा, कैनोला या सरसों का तेल, अन्य (प्रशुल्क कोड संख्या 1514.19 या 1514.99): राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) और केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य सहकारी विपणन संघ और राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम।

2.59 कोटा प्राप्त करने हेतु लागू शर्तें

सभी पात्र कंपनियाँ नीचे दी गई शर्तों के अधीन कोटा प्राप्त करने की पात्र हैं।

- (i) सभी पात्र कंपनियाँ, जो उपर्युक्त कोर्ट को प्राप्त करने के इच्छुक हैं विदेश व्यापार महानिदेशालय मुख्यालय में, एएनएफ-2ड में निर्यात आयात सुविधा समिति को आवेदन कर सकते हैं। पूरे भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित दस्तावेजों सहित कोटा वर्ष के प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 1 मार्च, तक पहुँच जाने चाहिए।
- (ii) आयात वित्तीय वर के 31 मार्च से पूर्व पूरा हो जाना चाहिए अर्थात् इस तारीख से पूर्व सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा खेप की निकासी कर दी जानी चाहिए।
- (iii) चूँकि, मक्के (कान) का आयात एसटीई के तहत है, कोटे के आवंटन अर्थात् इस मद के लिए पैरा 2.58 (ख) में नामित एजेंसियाँ को भी, विदेश व्यापार नीति, के पैरा 2.21 के अनुसार सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 21/2002 दिनांक 1/3/2002 की क्रम संख्या 21 (ख) में दर्शाई आवंटित मात्रा के लिए आयात प्राधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (iv) परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट-2ट में शामिल प्रक्रिया के अनुसार इन आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- (v) विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात सुविधा समिति (ईएफसी) मूल्यांकन करेगी और कोटा वर के प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तीय वर के 31 मार्च तक आवेदकों के मध्य कोटा आवंटित करेगी।

प्रदर्शनियां एवं नमूने**2.60 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों या मेलों और प्रदर्शनियों के लिए अपेक्षित प्रदर्शित वस्तुएँ**

- (क) प्रदर्शनी-वस्तुओं जो मुक्त रूप से आयातित/निर्यातित की जाती है का आयात/निर्यात जिसमें प्रदर्शनियों, मेलों अथवा इस प्रकार के शो और डिस्प्ले में पुनः निर्यात/पुनः आयात आधार पर छह महीनों के लिए विदेशी/भारतीय प्रदर्शकों के लिए अस्थायी तौर पर दिखाने के लिए अपेक्षित 'प्रतिबंधित' या स्कोमेट सूची में मदों को छोड़कर निर्माण तथा सज्जा सामग्रियां शामिल हैं उन्हें सीमाशुल्क विभाग अथवा एटीए कार्नेट को एक अनुबंध पत्र/प्रतिभूति प्रस्तुत करके बिना प्राधिकार पत्र के अनुमत किया जाएगा।
- (ख) पुनः निर्यात/पुनः आयात के लिए छः माह से आगे अवधि बढ़ाने पर विचार सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा। प्रदर्शित वस्तुओं से संबंधित फेंट, शॉप्रिंट सामग्री, पैम्पलेट, साहित्य आदि जैसे उपभोग्यों के पुनः निर्यात/पुनः आयात की आवश्यकता नहीं है।

2.61 प्रदर्शित मदों की बिक्री

- (क) प्रतिबंधित मदें: अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी/मेलों के लिए आयातित आईटीसी (एचएस) में उल्लिखित प्रतिबंधित मदों के प्रदर्शों की बिक्री, प्रभावी सीमाशुल्क का भुगतान करने पर प्राधिकार पत्र के बिना, बाण्ड अवधि के भीतर पुनः निर्यात की अनुमति होगी, बशर्ते कि प्रत्येक प्रदर्श के लिए ऐसे प्रदर्शों की निर्धारित सीमा 5 लाख रु. (सीआईएफ) हो।
- (ख) मुक्त रूप से आयात की जाने वाली मदें: तथापि, जिन प्रदर्शित मदों का मुक्त आयात किया जाता है उनकी, लागू सीमा शुल्क के भुगतान पर पुनः निर्यात की अनुमत बाण्ड अवधि के भीतर बिक्री की जाएगी।
- (ग) यदि आयातक के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण प्रदर्शनी के लिए लाई गई वस्तुओं का बाण्ड अवधि के अंदर पुनः निर्यात या बिक्री नहीं की जाती है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी गुण-दोष आधार पर बंध पत्र अवधि में वृद्धि कर सकते हैं।

2.62 नमूनों का आयात

- (क) सब्जियों के बीज, मधुमक्खी और नई औषधियों को छोड़कर, आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित मदों के वास्तविक, तकनीकी और व्यापार नमूनों के आयात के लिए किसी प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। चाय उद्योग से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को प्राधिकार पत्र के बिना एक खेप में 2000 रुपए (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) तक चाय के नमूनों के आयात की अनुमति होगी।
- (ख) सभी निर्यातकों के लिए 300,000 रुपए तक नमूनों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति सीमा-शुल्क अधिसूचना के नियम एवं शर्तों के अनुसार दी जाएगी।

2.63 नमूनों/नुमाइशी वस्तुओं का निर्यात

- (क) मुक्त रूप से निर्यात की जाने वाली मदों के व्यापार के निर्यातों और तकनीकी नमूनों का निर्यात बिना किसी सीमा के अनुमत होगा।
- (ख) ऐसे नमूनों या नुमाइशी वस्तुएँ, जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित हों, के निर्यात के लिए आवेदन पत्र एएनएफ 2थ के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किए जाएं।

निर्यात**2.64 निर्यात नीति**

निर्यात से संबंधित नीति, विदेश व्यापार नीति के अध्याय-2 में दी गई है। इसके अलावा, आईटीसी (एच एस) के परिशिष्ट 1 अनुसूची-2 में उन मदों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनका किसी प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है, जो कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।

2.65 उपहार/पुर्ज/प्रतिस्थापन माल

विदेश व्यापार नीति में उपहार के निर्यात के लिए निर्धारित सीमा/अवधि से अधिक में उपहारों, स्वदेशी/आयातित वारण्टी स्पेयर्स और प्रतिस्थापन माल, उपहार के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को एएनएफ 2थ में प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.66 डाक द्वारा निर्यात

डाक द्वारा निर्यात के मामले में समुद्र/वायु मार्ग द्वारा निर्यात के लिए निर्धारित दस्तावेजों के स्थान पर निर्यातक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

(क) परिशिष्ट-2प में ई-बीआरसी के अनुसार निर्यात और वसूली का बैंक प्रमाणपत्र।

(ख) संबद्ध डाक रसीद।

(ग) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित बीजक।

2.67 निर्यात दस्तावेजों का सीधे लेन-देन

उन मामलों में जहाँ निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से दस्तावेज का सीधे (प्राधिकृत डीलर के माध्यम से नहीं) लेन-देन करता है, तो उसे निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

(क) दस्तावेजों के सीधे लेन-देन की अनुमति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति (स्तर धारकों हेतु आवश्यक नहीं है);

(ख) बीआरसी के बदले में आयकर विभाग के फार्म-10ज के अनुसार विदेश से स्वदेश में धन प्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) की प्रति तथा

(ग) शिपिंग बिलों/बीजक के ब्यौरे देने का विवरण जिसके मद्दे एफआईआरसी जारी किया गया था।

2.68 निर्यात प्राधिकार पत्र/प्रमाण-पत्र/गैर स्कोमदमट मदों हेतु अनुमति पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र

निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 हेतु परिशिष्ट-3 में उल्लिखित प्रतिबंधित मदों [विशेष रसायनों, आर्गेनिज्म, सामग्रियों, उपस्कर और प्रौद्योगिकियों (स्कोमैट) को छोड़कर] के संबंध में निर्यात प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र, आयात-निर्यात फार्म 2ढ में उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) को दिया जाए। निर्यात सुविधा समिति, निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए गुणावगुण के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगी।

राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के माध्यम से निर्यात**2.69 एसटीई के तहत मदों का निर्यात लागत**

एसटीई व्यवस्था के तहत आईटीसी (एचएस), में उल्लिखित मदों के निर्यात हेतु एएनएफ-2ढ के तहत एफटीपी के पैरा 2.21 के अनुसार डीजीएफटी को आवेदन किया जा सकता है।

निर्यातकों के लिए प्रावधान/कारोबार और व्यापार करने हेतु अन्य प्रावधान**2.70 स्तरधारकों के लिए निःशुल्क निर्यात लागत**

स्तर धारक निर्यात संवर्धन के लिए निःशुल्क आधार पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों का निर्यात करने के पात्र होंगे जोकि पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 10 लाख रु या 2 प्रतिशत की वार्षिक सीमा, जो भी कम हो, के अधीन होगा। फार्मा निर्यात हेतु, वार्षिक सीमा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति 2 प्रतिशत होगी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि यूएन और डब्ल्यूएचओ-पीएचओ के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सरकारी सहायता और वैक्सीन की आपूर्ति और जीवनदायी दवाओं के मामले में पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति 8 प्रतिशत तक होगी। ऐसी निःशुल्क लागत वाली आपूर्तियां शुल्क वापसी अथवा किसी भी निर्यात संवर्धन स्कीम के तहत कोई अन्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए हकदार नहीं होगी।

2.71 बीमा कवर के जरिए भुगतान पर लाभ की स्वीकार्यता

(i) ईसीजीसी कवर के जरिए किए गए भुगतान पर विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ हेतु विचार किया जाएगा।

(ii) साधारण/निजी बीमा कम्पनियों के जरिए भुगतान:

भारत में साधारण बीमा और निजी अनुमोदित बीमा कम्पनियों द्वारा पारगमन हानि हेतु बीमा कवर की राशि को विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात हेतु प्राप्त भुगतान के रूप में माना जाएगा।

- (क) बीमा एजेंसी के जरिए निर्यात आय प्राप्त करने वाले आवेदक को संबंधित बीमा एजेंसी द्वारा जारी किए गए भुगतान के साक्ष्य के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से सम्पर्क करना होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी दावे के प्रामाणिक आवेदक से संतुष्ट होने के पश्चात् अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार (ईडीआई) का अनुमोदन प्राप्त करेगा और मामले की प्रक्रिया हेतु डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली में मूल्य (ईबीआरसी मूल्य के बजाए) अपलोड करेगा।
- (ख) यदि बीमा एजेंसी द्वारा जारी भुगतान के साक्ष्य में दावा मूल्य का उल्लेख विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपया दोनों में हो, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रक्रिया हेतु विदेशी मुद्रा मूल्य का प्रयोग करेगा। यदि दावा मूल्य का उल्लेख केवल समतुल्य भारतीय रुपए में ही हो तो क्षेत्रीय प्राधिकारी इस भारतीय रुपए के मूल्य को बीमा दावे के निपटान की तारीख को लागू विदेशी मुद्रा (सीबीईसी द्वारा प्रकाशित), का उपयोग करके समतुल्य अमरीकी डॉलर में बदल देगा।

2.72 निर्यात आय वसूली को आर बी आई द्वारा बट्टे खाते में डालना

विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात आय की प्राप्ति पर जोर नहीं दिया जाएगा, यदि गुण-दोष के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अन्य अधिकृत बैंक (इस प्रयोजन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत) प्राप्ति की आवश्यकता को बट्टे खाते में डाल देता है और निर्यातक भारत के संबंधित विदेशी मिशन से क्रेता से निर्यात प्राप्तियों की गैर-वसूली के बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देता है। तथापि, यह स्वयं द्वारा बट्टे खाते में डाले गए मामलों पर लागू नहीं होगा।

2.73 शिपिंग बिल का एक स्कीम से दूसरी स्कीम में परिवर्तन

सीमाशुल्क प्राधिकारी, लिखित में कारण दर्ज करने के बाद, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत विनियमों के अनुसार किसी भी स्कीम-शिपिंग बिल जिस पर स्कीम का लाभ नहीं उठाया गया है के परिवर्तन की अनुमति देते हैं और निर्यातक उस स्कीम के तहत लाभ पाने का हकदार होगा जिसमें शिपमेंट को बाद में परिवर्तित किया जाता है।

2.74 निर्यात आय की ऑफसेटिंग

किसी भी निर्यात संवर्धन स्कीम के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र धारक किसी देय या इक्विटी निवेश के मद्दे अपनी निर्यात आय को ऑफसेट प्राप्तियों के रूप में प्रयोग कर सकता है बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक का विशेष अनुमोदन लिया गया हो। ऐसे मामलों में, ऑफसेटिंग निर्यात आय की प्राप्ति के बराबर होगी तथा निर्यातक को निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

- (क) बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र की एवज में परिशिष्ट-2ठ
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष अनुमति।

गुणवत्ता प्रमाणन से संबंधित प्रावधान

2.75 गुणवत्ता प्रमाणन

यह निरन्तर कोशिश रही है कि निर्यात उत्पाद का विनिर्माण करने वाले एककों/निर्यात उत्पाद में गुणवत्ता मानदण्डों को बढ़ावा दिया जाए।

गुणवत्ता प्रमाणन प्रदान करने हेतु अधिकृत एजेंसियाँ:

- (क) गुणवत्ता प्रमाणन देने के लिए जिन्हें प्राधिकृत किया गया है, ऐसे अभिकरणों की सूची परिशिष्ट-2झ में दी गई है।
- (ख) आईएसओ 9000 (शृंखला) और आई एस ओ 14000 (शृंखला) के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत नैशनल एक्रिटिडेशन बोर्ड फार सर्टिफिकेशन बाडीज (एनएबीसीबी) से मान्यता प्राप्त अधिकरणों को इस नीति के तहत प्राधिकृत माना जायेगा। ऐसे मान्यता प्राप्त अभिकरणों की सूची www.qcin.org वेबसाइट पर उपलब्ध है और परिशिष्ट-2झ में दी गई है।
- (ग) एजेंसियों को आईएसओ (9000) शृंखला और आईएसओ 14000 शृंखला के लिए निम्नलिखित के अतिरिक्त वर्गीकरण पर मान्यता दी गई है:

- (i) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) <http://www.qcin.org> गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए
- (ii) पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) <http://www.qcin.org> पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए।

इन एजेंसियों को एएनएफ के परिशिष्ट-2 में सूचीबद्ध किया गया है।

(घ) परिशिष्ट-2 में अपना नाम लिखवाने के इच्छुक अभिकरण **परिशिष्ट-2 के अनुलग्नक-I** के अनुसार डीजीएफटी को अपना आवेदन कर सकते हैं।

2.76 औषध सूत्रीकरण के निर्यात के लिए खोज-बीन प्रणाली

औषध सूत्रीकरण के निर्यात के लिए खोज-बीन प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

(i) औषध सूत्रीकरण के विनिर्माता अथवा निर्यातक अपने उत्पादों की खोज-बीन को सुकर बनाने हेतु विभिन्न पैकेजिंग स्तरों पर **जीएस1 वैश्विक स्तर** के अनुसार बारकोड का मुद्रण करेंगे। इसका ब्यौरा इस प्रकार है:

(क) प्रारंभिक स्तर:

14 अंकीय वैश्विक व्यापार मद संख्या (जी.टी.आई.एन) के प्रारूप में अद्वितीय और **सार्वभौम वैश्विक उत्पाद पहचान** कोड का कूटलेखन करते हुए द्विआयामी (2डी) बार कोड का बैच सं०, समाप्ति की तारीख और प्राथमिक पैक की अद्वितीय क्रम संख्या सहित समावेश। प्रारंभिक स्तर पर बार कोड लेबल लगाए जाने पर अगली अधिसूचना तक छूट प्राप्त है, तथापि, अगली अधिसूचना तक **वैकल्पिक आधार पर** ऊपर उल्लिखित ब्यौरे को पढ़ने योग्य रूप में मुद्रण किया जाना अपेक्षित है।

(ख) द्वितीयक स्तर:

एक अथवा द्वि-आयामी (1डी अथवा 2 डी) बारकोड को सम्मिलित करना जिसमें द्वितीयक पैक की बैच संख्या, अंतिम तिथि तथा एक विशिष्ट क्रम संख्या के साथ 14 अंकों की वैश्विक व्यापार मद संख्या (जीटीआईएन) के प्रारूप में विशिष्ट और सार्वभौमिक वैश्विक उत्पाद पहचान कोड उल्लिखित किया गया हो। तथापि, मोनो कार्टनों के मामले में विनिर्माता अथवा निर्यातक अगली अधिसूचना तक वैकल्पिक आधार पर एक प्रारंभिक पैक वाले मोनो कार्टन पर बारकोड मुद्रित करेंगे।

(ग) तृतीयक स्तर:

एक आयामी (1डी) बारकोड को सम्मिलित करना जिसमें तृतीयक पैक की बैच संख्या, अंतिम तिथि तथा एक विशिष्ट श्रेणी संख्या अर्थात् क्रमिक पोतलदान कंटेनर कोड (एसएससीसी) के साथ 14 अंकों की वैश्विक व्यापार मद संख्या (जीटीआईएन) के प्रारूप में विशिष्ट एवं सार्वभौमिक वैश्विक उत्पाद पहचान कोड उल्लिखित किया गया हो।

(ii) एसएसआई तथा गैर एमएसआई विनिर्माताओं हेतु पैरेंट-चाइल्ड संबंध:

विनिर्माता अथवा निर्यातक त्रि-स्तरीय पैकेजिंग अर्थात् प्रारंभिक द्वितीयक तथा तृतीयक पैकेजिंग तथा इनकी आपूर्ति संख्या में संचालन हेतु आंकड़ों की देख-रेख पैरेंट-चाइल्ड संबंध के रूप में करेंगे।

(iii) पैरेंट चाइल्ड संबंध के डाटा का रख-रखाब:

ऊपर पैरा (ii) में उल्लिखित आंकड़ों को बिक्री या वितरण हेतु संरूपण जारी किए जाने से पहले विनिर्माता अथवा निर्यातक अथवा उसकी पदनामित एजेंसी द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय पोर्टल (<http://dava.gov.in>) पर अपलोड किया जाएगा।

(iv) शुद्धता, पूर्णता और केन्द्रीय पोर्टल पर डाटा समय पर अपलोड करने की जिम्मेवारी विनिर्माता अथवा निर्यातक की होगी।

(v) इन मामलों में, आयात देश की सरकार ने यदि विशिष्ट मांग की अनिवार्यता रखी है तो निर्यातक को उसे पूरा करने का विकल्प है और इस प्रकार के मामलों में उपर्युक्त उप पैरा (i) से (iv) के तहत शर्त को पूरा करने का अनुपालन करना अनिवार्य नहीं होगा और यदि कोई निर्यातक भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त बार-कोडिंग से इस तरह की छूट का लाभ उठाना चाहता है, तो निर्यातक को देश से निर्यात के हित में इस प्रकार की छूट स्पष्ट करते हुए, इस कार्य के लिए फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्माएक्सिल) को आवेदन करने का विकल्प दिया गया है। फार्माएक्सिल,

केस-टू-केस आधार पर ऐसे आवेदनों का निपटान, सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ करेगा। तथापि तृतीय स्तर की पैकेजिंग में आयात देश की आवश्यकता, यदि कोई हो, के अलावा उपर्युक्त (i) (ग) के अनुसार बार-कोड की अतिरिक्त प्रिंटिंग होगी।

(vi) एसएसआई और नान एसएसआई इकाइयों द्वारा निर्मित और 31.03.2023 को या इससे पूर्व निर्माण की तारीख वाली दवाओं के निर्यात को तीन स्तर की पैकेजिंग सैन्ट्रल पोर्टल (<http://dava.gov.in>) पर उनकी अपलोडिंग के लिए पेरेन्ट-चाइल्ड के संबंध में डाटा के रख रखाव से छूट दी गई है।

(vii) एसएसआई और नान-एसएस आई इकाइयों द्वारा निर्मित 31.03.2023 से बाद के निर्माण की तारीख वाली दवाओं का निर्यात, सैन्ट्रल पोर्टल पर अपलोड किए गए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निर्धारण अनुसार और संबंधित डाटा अनुसार यदि दोने तृतीयक और द्वितीयक पैकेजिंग बार-कोडिंग वाले हो तो किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :

(क) इस नियम के प्रयोजन हेतु,

- (i) औषध संरूपण का अर्थ ऐसे संरूपण से है जो औषध एवं सौन्दर्य सामग्री अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमावली के तहत औषध नियंत्रण प्राधिकारी से प्राप्त लाइसेंस के अंतर्गत विनिर्मित हो और आयातकर्ता देश के खाद्य एवं औषध प्रशासन के पास "औषध" के रूप में पंजीकृत हो।
- (ii) प्रारंभिक पैकेजिंग का अर्थ ऐसे पैकेज से है जो सक्रिय घटक के साथ प्रत्यक्ष वास्तविक सम्पर्क में है।
- (iii) द्वितीय पैकेजिंग का अर्थ एक अथवा एक से अधिक प्रारंभिक पैक्स युक्त कार्टन और एक प्रारंभिक पैक युक्त मोनो कार्टन समाविष्ट है।
- (iv) तृतीय पैकेजिंग का अर्थ एक अथवा एक से अधिक द्वितीय पैकेजिंग युक्त शिपर है।
- (ख) विशेष रियायत (रियायतें) यदि कोई है, को प्रदान करने के संबंध में सभी प्रासंगिक दिशा-निर्देश, डेटा आवश्यकता/रखरखाव की प्रक्रिया केन्द्रीय पोर्टल पर अपलोड है और इस अधिसूचना के तहत जारी स्पष्टीकरण आदि केन्द्रीय पोर्टल अर्थात् <http://dava.gov.in> पर उपलब्ध हो जाएगी।
- (ग) औषध विनिर्मातकों/निर्यातकों की यह जिम्मेवारी होगी कि जैसी स्थिति हो वह सीमाशुल्क प्राधिकारी को संतुष्ट करें कि निर्यात खेप अधिसूचना की शर्तों की पूर्ति कर रहा है।

निर्यात संवर्धन परिषद् (ईपीसी)/पण्य बोर्ड

2.77 पंजीकरण प्राधिकरण

- (क) इस संबंध में पंजीकरण प्राधिकरण डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित एक निकाय है जिसका उद्देश्य आयातकों/निर्यातकों को आरसीएमसी जारी करके अपने सदस्य के रूप में पंजीकृत करना है।
- (ख) अधिसूचित पंजीकरण प्राधिकरणों की सूची परिशिष्ट-2न पर है।

2.78 पंजीकरण प्राधिकरणों के रूप में ईपीसी के लिए मानदण्ड

ईपीसी को वस्तुतः लोकतान्त्रिक और सहभागी स्वरूप का बनाने तथा बेहतर अभिशासन और पारदर्शिता लाभ के उद्देश्य से पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने हेतु मानदण्ड निर्धारित किया जा रहा है जो इस प्रकार हैं:-

- (क) **ई.वोटिंग:** उपाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के सदस्यों के पदों के निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रॉनिक मतदान अनिवार्य होगा जिससे कि व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
- (ख) **निर्वाचित प्रमुखों का कार्यकाल:** एक निर्वाचित प्रमुख का कार्यकाल दो वर के लिए होगा। ईपीसी के अध्यक्ष का निर्वाचन उपाध्यक्ष के माध्यम से होगा तथापि कोई सदस्य जो अध्यक्ष तथा/अथवा उपाध्यक्ष के पद पर रहा हो, अधिक से अधिक चार वर्ष के अन्तराल के पश्चात् उसी परिषद में उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर सकता है।
- (ग) **केन्द्र सरकार के निर्देश:** पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहे ईपीसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन और विकास संबंधी केन्द्र सरकार के सभी निर्देशों द्वारा पालन किया जाएगा।

2.79 पंजीकरण दृ-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)

- (क) निर्यातक, एएनएफ-2ग में दिए गए प्रपत्र में आवेदन करके स्वयं को पंजीकृत करवा सकता है और ईपीसी का सदस्य बन सकता है। सदस्यता मिल जाने पर आवेदक को परिशिष्ट-2द में दिए गए प्रपत्र में संबंधित ईपीसी का

पंजीकरण—सह—सदस्यता प्रमाणपत्र दिया जाएगा। यदि कोई निर्यातक विनिर्मात निर्यातक के रूप में पंजीकरण करवाना चाहता है तो उसे इस आशय का सबूत देना होगा।

- (ख) भावी/सम्भावित निर्यातक भी आवेदन करके स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं और ईपीसी के सहयोगी सदस्य बन सकते हैं।

2.80 पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना

- (क) पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय निर्यातक को आवेदन में अपने मुख्य व्यापार की घोषणा करनी होगी। निर्यातक को उस परिषद से पंजीकरण सह सदस्यता प्राप्त करना होगा जो उसके मुख्य व्यापार के उत्पाद से संबंधित हो।
- (ख) यदि निर्यात उत्पाद ऐसा है कि वह किसी निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड आदि में शामिल नहीं है तो इसके संबंध में पंजीकरण सह सदस्यता फियो से प्राप्त की जाएगी। आगे यदि बह—उत्पाद निर्यातक जो किसी भी निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत नहीं हैं, जहाँ मुख्य व्यापार समझने योग्य नहीं है, वहाँ निर्यातक के पास फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट्स आर्गेनाइजेशन (फियो) से पंजीकरण सह—सदस्यता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।
- (ग) जिन बहु उत्पाद निर्यातकों के मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय उत्तर पूर्व राज्यों में स्थित हो वे आरसीएमसी सैलक व वन्य उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (एपीडा, स्पाइस बोर्ड और टीबोर्ड के द्वारा देखे जाने वाले उत्पादों के अतिरिक्त) से प्राप्त करेंगे।
- (घ) जम्मू—कश्मीर संघशासित प्रदेश से हथकरधा एवं हस्तशिल्प के निर्यातकों के लिए पंजीकरण—सह—सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) जारी करने हेतु निदेशक, हथकरधा, जम्मू—कश्मीर सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

2.81 आरसीएमसी की वैधता अवधि

आर सी एम सी लाइसेंसिंग वर्ष, जिसमें यह जारी किया गया है, के 1 अप्रैल से वैध होगा और लाइसेंसिंग वर्ष, के 31 मार्च के अन्त तक पाँच वर्ष के लिए वैध होगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

2.82 आरसीएमसी धारक के व्यापारिक संविधान में परिवर्तन के संबंध में सूचना देना

- (क) निर्यातक का स्वामित्व, संविधान, नाम या पते में परिवर्तन होने पर आर सी एम सी धारक को ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को इस परिवर्तन के बारे में बताना जरूरी होगा। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारी गुण दोष के आधार पर विलम्ब को नज़रअंदाज़ कर सकता है।

2.83 पंजीकरण रद्द करना

पंजीकरण प्राधिकारी पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर निर्दिष्ट अवधि के लिए आर सी एम सी धारक का पंजीकरण रद्द कर सकता है। इस प्रकार पंजीकरण रद्द करने से पहले, आर सी एम सी धारक को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और प्रस्तावित पंजीकरण रद्द करने के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त अवसर दिया जाएगा। पंजीकरण रद्द किए जाने पर संबंधित ईपीसी इसके बारे में सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों को सूचित करेगा।

2.84 पंजीकरण रद्द करने के विरुद्ध अपील

यदि किसी व्यक्ति को आरसीएमसी जारी किए जाने के संबंध में पंजीकरण प्राधिकारी के निर्णय से कोई दिक्कत है तो वह विदेश व्यापार महानिदेशालय या इनकी ओर से पदनामित किसी अधिकारी को उक्त निर्णय लिए जाने के विरुद्ध 45 दिन के भीतर अपील कर सकता है और अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

2.85 विदेश व्यापार महानिदेशालय के निर्देश

विदेश व्यापार महानिदेशालय निर्यातक को पंजीकृत करने या उसका पंजीकरण रद्द करने के बारे में पंजीकरण प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है अथवा विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों, इसके तहत बनाये गए नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति या इस प्रक्रिया पुस्तक को कार्यान्वित करने के लिए अन्य कोई निर्देश जारी कर सकता है।

2.86 आयातकों/निर्यातकों के लिए पहचान पत्र

- (क) विदेश व्यापार महानिदेशालय मुख्यालय और क्षेत्रीय प्राधिकारियों से प्राधिकार पत्र तथा अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने की सुविधा के लिए आयातकों और निर्यातकों को प्रोपराइटर/साझेदारों/निदेशकों और प्राधिकृत कर्मचारियों (तीन से अधिक नहीं) को ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र (3 वर्षों के लिए वैध) जारी किए जा सकते हैं।
- (ख) लिमिटेड कंपनियों के मामले में, कम्पनी तीन से अधिक पहचान पत्र जारी करने का अनुमोदन दे सकता है। पहचान पत्र गुम होने के मामले में, एक स्व-घोषणा के आधार पर डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जा सकता है।
- (ग) ईलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के लिए क्यूआर कोड और एक विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) के साथ पहचान पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा।

2.87 प्राधिकृत अधिकारियों के साथ साक्षात्कार

अधिकारी अपने विवके से आयातक/निर्यातक के प्राधिकृत प्रतिनिधि को साक्षात्कार दे सकते हैं। ई-मेल के माध्यम से साक्षात्कार दे सकते हैं। ई-मेल के माध्यम से भी साक्षात्कार/स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। जहां तक संभव हो बातचीत ऑनलाइन माध्यम/विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होनी चाहिए।

अधिमान्य व्यापारिक समझौते:**2.88 मुक्त व्यापारिक समझौते (एफटीए)/अधिमान्य व्यापारिक समझौते (पीटीए)**

- (क) भारत हमेशा पारदर्शी, साम्य, समोवशी, पूर्वानुमेय, गैर-अधिमान्य और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली का पक्षधर रहा है। इस संबंध में भारत के व्यापारिक समझौतों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारतीय अर्थव्यवस्था के नपे-तुले और सुदृढ़ प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार भारत ने 13 मुक्त व्यापारिक समझौतों और 6 सीमित अधिमान्य व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत वर्तमान में अपने कुछ व्यापारिक भागीदारों के साथ एफटीए वर्ता कर रहा है, इन एफटीए में उल्लेखनीय हैं भारत-युके मुक्त व्यापार समझौता, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता और भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)/प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता (ईपीटीए)।
- (ख) भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए एफटीए की सूची इस प्रकार है:
- (i) भारत-श्रीलंका एफटीए
 - (ii) दक्षिण एशिया मुक्त व्यापारिक समझौते पर समझौता (साप्टा)
 - (iii) अनधिकृत व्यापार पर नियंत्रण के उद्देश्य को भारत और नेपाल सरकार के बीच सहयोग का संशोधित समझौता।
 - (iv) व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता
 - (v) भारत-थाइलैंड एफटीए-अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (ईएसएच)
 - (vi) भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)
 - (vii) भारत-आसियान सीईसीए (माल, सेवा एवं निवेश)
 - (viii) भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)
 - (ix) भारत-जापान सीईपीए
 - (x) भारत-मलेशिया सीईसीपीए
 - (xi) भारत-मॉरिशस सीईसीपीए
 - (xii) भारत-यूई सीईपीए
 - (xiii) भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए
- (ग) भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए अधिमान्य व्यापारिक समझौता (पीटीए) की सूची:
- 2500 एशिया प्रशांत व्यापारिक समझौता (एपीटीए)

(ii) व्यापारिक प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी)

2500 भारत-अफगानिस्तान पीटीए

(iv) भारत-मर्कोसुर पीटीए

2500 भारत-चिली पीटीए

(vi) सार्क अधिमान्य व्यापारिक समझौता (साप्टा)

(घ) भागीदार देशों के साथ उक्त समझौते और उनके लागू होने की तारीख की सूची परिशिष्ट-2क में दी गई है।

(ङ.) मूल के अधिमान्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क प्रभार परिशिष्ट-2ट के विवरण के अनुसार है। यह भी किसी भी मुक्त व्यापार समझौतों के तहत जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र के नियमों के लिए सत्यापन शुल्क के रूप में लागू होगा, सत्यापन के मामले में परिशिष्ट-2ट के विवरण अनुसार है। हालांकि, कुछ एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाने के मूल प्रमाण पत्र का तत्काल प्रावधान बंद कर दिया जाएगा। आवेदन करने के 24 घण्टे/1 (एक) कार्य दिवस के भीतर मूल प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा।

2.89 एकपक्षीय टैरिफ प्राथमिकताएँ

इन स्कीमों के तहत विकसित और विकासशील दोनों देश अल्प विकसित देशों (एलडीसी) सहित विकासशील देशों से निर्यात को एक पक्षीय टैरिफ प्राथमिकताएँ देते हैं। इनमें से कुछ स्कीमों इस प्रकार हैं:

(क) तरजीहों की सामान्यकृत प्रणाली (जीएसपी):

(क) जीएसपी एक गैर अनुबंधीय व्यवस्था है जिसके द्वारा औद्योगिक (विकसित) देश एकतरफा तौर पर और गैर-आदान प्रदान के आधार पर विकसित देशों को प्रशुल्क छूट दे सकती हैं। निम्नलिखित देश अपनी जी एस पी स्कीम के तहत प्रशुल्क तरजीहें उपलब्ध कराते हैं: (i) संयुक्त राज्य अमेरिका (ii) न्यूजीलैंड (iii) बेलारूस (iv) यूरोपीय संघ (v) जापान (vi) रूस (vii) कनाडा (viii) नार्वे (xi) ऑस्ट्रेलिया (केवल एलडीसी के लिए) और (x) स्विट्जरलैंड

(ख) लाभ दिलाने की शर्तों और प्रक्रियाओं सहित इन देशों की जीएसपी स्कीमों में सैक्टरों/उत्पादों और टैरिफ लाइनों के ब्यौरे हैं जिसके तहत ये लाभ उपलब्ध हैं। ये स्कीमों समय-समय पर नवीकृत और संशोधित की जाती हैं। सामान्यतः जीएसपी प्रदान करने वाले देशों के सीमाशुल्क कार्यालय लाभान्वित देशों के निर्यातकों द्वारा विधिवत रूप से भरे हुए फार्म 'क' (उद्गम के जीएसपी नियमों हेतु निर्धारित) में अपेक्षित सूचना मांगते हैं जो प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रमाणित हो। उद्गम का जीएसपी उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने वाली एजेंसियों की सूची परिशिष्ट-2ग में दी गयी है।

(ग) *(i) यूरोपीयन संघ (ईयू) ने 1.1.2017 के बाद से जीपीएस के तहत मूल के नियमों को प्रमाणित करने के लिए स्वयं-प्रमाणन योजना लागू की है। निर्यातक प्रणाली (आरईएक्स) के तहत लागू की गई है, आरईएक्स संख्या वाले निर्यातकों को जीएसपी योजना के तहत ईयू को निर्यात किए जाने वाले अपने सामान के मूल पर स्वयं प्रमाणित बयान करने में सक्षम हो जाएगा। आरईएक्स पर पंजीकरण बिना किसी शुल्क या चार्ज के है। इस योजना का विवरण परिशिष्ट-2ग के अनुलग्नक-I पर है।*

(ii) सक्षम स्थानीय प्राधिकारी आयात करने वाले देश के आयातकों/सीमाशुल्क एजेंसियों के अनुरोध के आधार पर स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र के पश्च सत्यापन का कार्य करेंगे और परिशिष्ट-2ट में विस्तृत शुल्क का विवरण दिया गया है। एजेंसियां, यूनिट से अलग, सरकारी दरों के अनुसार टी.ए. और डी.ए. वसूल सकती हैं।

(iii) इसके अलावा, स्व-प्रमाणन प्रणाली के तहत जीएसपी लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों के अनुसार, लाभार्थी देश को मूल के ऐसे स्व-प्रमाणित प्रमाणपत्रों की एक सत्यापन प्रणाली की आवश्यकता है। सभी प्राधिकृत एजेंसियों/स्थानीय प्रशासकों द्वारा स्व प्रमाणित ई-सीओओ प्रतियों के सत्यापन के लिए मानक संचालक प्रक्रिया परिशिष्ट ग में अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ख) एलडीसी के लिए शुल्क मुक्त प्रशुल्क वरीयता (डीएफटीपी) स्कीम:

(क) अल्प विकसित देशों (एलडीसी) तक शुल्क मुक्त कोटा मुक्त (डीएफक्यूएफ) अभिगम दिसंबर, 2005 के हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र के पैरा 47 में आया है। एलडीसी के लिए शुल्क मुक्त प्रशुल्क वरीयता (डीएफटीपी) स्कीम के माध्यम से एलडीसी को यह सुविधा देने वाला भारत पहला विकासशील देश बन गया है, जो अगस्त, 2008 में पांच वर्षों में प्रशुल्क कटौती के साथ प्रभावी हुआ। स्कीम ने प्रशुल्क लाइनों पर अधिमान्य बाजार अभिगम प्रदान की जिसमें सभी एलडीसी के वैश्विक निर्यात का 92.5 प्रतिशत शामिल है।

(ख) इसके बाद 2014 में, स्कीम को कवरेज में वृद्धि के साथ-साथ इसके सरलीकरण दोनों के संदर्भ में संशोधित किया गया था। यह उनके निर्यात हित की तर्ज पर अतिरिक्त उत्पाद कवरेज और मूल प्रक्रियाओं के नियमों के सरलीकरण के लिए कई एलडीसी के अनुरोधों के जवाब में था। नई विस्तारित डीएफटीपी स्कीम के तहत, भारत कुल प्रशुल्क लाइनों के 96.4 प्रतिशत पर शुल्क मुक्त अभिगम प्रदान कर रहा है, इस तरह बहिष्करण और सकारात्मक सूचियों में लगभग 3.6 प्रतिशत पंक्तियाँ ही बनी रहती है। विवरण के लिए वाणिज्य विभाग की वेबसाइट और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 8/2014 दिनांक 1 अप्रैल, 2014 को भी इस संबंध में देखा जा सकता है।

2.90 उद्गम प्रमाणपत्र (सीओओ)

(क) उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) किसी देश से आयातित माल के उद्गम का प्रमाण स्थापित करने का साधन है।

(ख) उद्गम प्रमाण पत्र की दो श्रेणियाँ हैं अर्थात्

2500 तरजीही और

(iii) गैर-तरजीही।

2.91 उद्गम की नियमावली (तरजीही)

(क) उद्गम की नियमावली ऐसी नियमावली है जिसके द्वारा किसी माल के उद्गम का निर्धारण कारोबारी भागीदार को निर्यात के प्रयोजन हेतु किया जाता है। एफटीए, पीटीए अथवा एकपक्षीय प्रशुल्क रियायत के तहत प्रशुल्क रियायत किसी आयातकर्ता देश द्वारा तभी प्रदान की जाती है जब उद्गम की इस निर्धारित नियमावली का पालन किया जाता है। उद्गम नियमावली से कारोबार संबंधी आंकड़ों के आकलन तथा कारोबार संबंधी उपचारात्मक उपायों के निर्धारण और अधिरोपण में भी आसानी होती है।

(ख) उद्गम नियमावली के निर्धारण में इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रमुख मानदण्ड इस प्रकार हैं:

(i) पूर्णतः प्राप्त

(ii) प्रशुल्क वर्गीकरण में परिवर्तन

(iii) मूल्य वर्धन

(iv) गैर न्यूनतम प्रचालन

(ग) भारत के एफटीए, पीटीए और जीएसपी के निर्यात हेतु उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट एजेंसियाँ अधिकृत हैं, ये एजेंसियाँ उद्गम नियमावली, किसी समझौते के अन्तर्गत आने वाली मदों की सूची, प्रशुल्क प्राथमिकता की सीमा, पात्रता का सत्यापन और प्रमाणन सहित उद्गम प्रमाणपत्र संबंधी सेवाएं भी प्रदान करेंगी। विभिन्न एफटीए/पीटीए के तहत इन अधिकृत एजेंसियों की सूची परिशिष्ट -2 ख में दी गई है।

(घ) निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) ऐसी एजेंसी है जो रिक्त प्रमाणपत्र के मुद्रण हेतु अधिकृत है। ईआईसी की वेबसाइट (www.eicindia.gov.in) में उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रक्रिया संबंधी ब्यौरे (शुल्क सहित) उपलब्ध हैं।

2.92 एफटीए/सीईसीए के अधीन टीआरक्यू

सरकार समय-समय पर विभिन्न एफटीए/सीईसीए प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत आयात हेतु अपनी वचनबद्धताएं पूरा करती हैं: तदनुसार डीजीएफटी समय-समय पर टीआरक्यू के प्रकाशन हेतु प्रक्रिया अधिसूचित करता है।

मौजूदा प्रशुल्क कोटा इस प्रकार है

विवरण	एचएस सं.	डब्ल्यूटीओ के अनुसार कोटा दर से कम/अधिक	भारतीय प्रशुल्क के अनुसार कोटा दर से कम/अधिक	अधिसूचना	टीआरक्यू
भारत मर्कसुर व्यापार समझौते के तहत पराग्वे से कच्चा सोया तेल	15071000	-	10 प्रतिशत	57/2009 दिनांक 30/05/2009	30,000 मी.टन

श्रीलंका से वनस्पति, बेकरी शॉर्टनिंग और मार्जरीन	1516,1517 या 1518 (15161000, 15171010, 15179030 और 15180040 से भिन्न जो आयात हेतु निषिद्ध है।)	-	-	सं. 2/2007 सीमाशुल्क दिनांक 5 जनवरी 2007	*2,50,000 मी.टन
श्रीलंका से काली मिर्च	0904	-	-	सं. 2/2007. सीमाशुल्क दिनांक 5 जनवरी 2007	*2500 मी.टन
श्रीलंका से सूखा नारियल	08011100	-	-	सं. 2/2007. सीमाशुल्क दिनांक 5 जनवरी 2007	*500 मी.टन
श्रीलंका से आयात की जाने वाली पोशाक और इनकी अनुांगी वस्तुएँ	61,62	.	5 प्रतिशत / 10 प्रतिशत	26/2000. सीमाशुल्क सूची 3	8 मिलियन पीस
श्रीलंका से आयतित चाय और इससे तैयार वस्तुएँ	2101	.	5 प्रतिशत / 30 प्रतिशत	26/2000. सीमाशुल्क सूची 4	15 मिलियन किग्रा0
नेपाल से वनस्पति वसा (वनस्पति)				22/2007 सीमाशुल्क 5 जून 2007	एक लाख मी. टन
नेपाल से अक्रिलिक यार्न				22/2007. सीमाशुल्क 5 जून 2007	10,000 मी.टन
नेपाल से तांबा उत्पाद	अध्याय 74 आईटीसी (एचएस) और 8544			22/2007.सीमाशुल्क 5 जून 2007	10,000 मी.टन
नेपाल से जिंक आक्साईड				22/2007.सीमाशुल्क 5 जून 2007	2500 मी.टन

भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के तहत टीआरक्यू क अंतर्गत निम्नलिखित मदों की अनुमति है। #

ताजा:	06031900	-	30%	सं. 25/2021-सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2021	15 टन
अन्य					
अनानास	08043000	-	10%		1000 टन
लीची	08109060	-	10%		250 टन
वेनिला: न तो कुचला और न ही पीसा हुआ	09051000	-	10%		15 टन
वनीला :	09052000	-	10%		1 टन
कुचला या पीसा हुआ					
टुनस	16041410	-	0%		7000 टन

अन्य	16041490	-	0%		7000 टन
अन्य विनिर्मित या संरक्षित मछली	16042000	-	0%		7000 टन
अन्य (विशेषता चीनी)	17011490	-	10%		15000 टन
माल्ट से बनी बीयर।	22030000	-	25%		2,000,000 लीटर
फल शराब: अन्य किण्वित पेय (उदाहरण के लिए, साइडर, पेरी, मीड, सेक किण्वित पेय पदार्थों का मिश्रण और किण्वित पेय पदार्थों और गैर-मादक पेय पदार्थों का मिश्रण, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं है।	22060000	-	0%		5000 लीटर
2 लीटर या उससे कम रखने वाले कंटेनरों में: ——— रम	22084011	-	0%	संख्या 25/2021—सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2021	1.50 लाख लीटर
2 लीटर या उससे कम रखने वाले कंटेनरों में: ——— अन्य	22084012	-	0%		1.50 लाख लीटर
अन्य: ---- रम	22084091	-	0%		1.50 लाख लीटर
अन्य ---- अन्य	22084092	-	0%		1.50 लाख लीटर
परिधान की वस्तुएं और वस्त्र उपस्कर	6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109; 6110; 6111; 6112 6203; 6304;	-	-	उपरोक्त अधिसूचना की तालिका 3 में एचएस कोड का विवरण	7.5 मिलियन टुकड़े \$
भारत-यूएई सीईपीए के तहत टीआरक्यू के तहत निम्नलिखित मदों की अनुमति है					

एच एस कोड 8	विवरण	प्रभावी दर (%)	प्रस्तुत प्रशुल्क तौर-तरीके	प्रशुल्क दर रियायतों की अनुसूची (%)									
39011010	रैखिक कम घनत्व वाली पॉलीथीन (एलएलडीपीई), जिसमें एथिलीन मोनोमर इकाई कुल बहुलक सामग्री के वजन से 95% या उससे अधिक का योगदान करती है	7.5	विशिष्ट वर्ष-वार टीआरक्यू के साथ 5 वर्षों में 50% टीआर	7.0 (टी आरक्यू - 45,000 एमटी)	6.5 (टी आरक्यू - 50,500 एम टी)	6.0 (टी आरक्यू - 56,000 एम टी)	5.0 (टी आरक्यू - 61,500 एम टी)	3.75 (टी आरक्यू- 67,500 एम टी)	3.75 (टी आरक्यू - 86,300 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 105,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 105,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 105,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 105,000 एमटी)
39011020	कम घनत्व वाली पॉलीथीन (एलडीपीई)	7.5											
39011090	0.94 से कम विशिष्ट गुरुत्व वाले अन्य पॉलीथीन	7.5											
39012000	0.94 या अधिक के विशिष्ट गुरुत्व वाले पॉलीथीन	7.5	विशिष्ट वर्ष-वार टीआरक्यूएस के साथ 5 वर्षों में 50% टीआर	7.0 (टी आरक्यू - 150,000 एमटी)	6.5 (टी आरक्यू - 168,000 एमटी)	6.0 (टी आरक्यू - 186,000 एमटी)	5.0 (टी आरक्यू - 204,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 222,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 252,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 285,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 285,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 285,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 285,000 एमटी)
39014010	रैखिक कम घनत्व वाली पॉलीथीन (एलएलडीपीई), जिसमें एथिलीन मोनोमर इकाई कुल बहुलक सामग्री के वजन से 95% से कम योगदान करती है	7.5	विशिष्ट वर्ष-वार टीक्यूआरएस के साथ 5 वर्षों में 50% टीआर	7.0 (टी आरक्यू - 45,000 एमटी)	6.5 (टी आरक्यू - 50,500 एमटी)	6.0 (टी आरक्यू - 56,000 एमटी)	5.0 (टी आरक्यू - 61,500 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 67,500 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 86,300 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 105,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 105,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 105,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 105,000 एमटी)
39014090	अन्य एथिलीन-अल्फा-ओलेफिन कोपॉलिमर, जिनका विशिष्ट गुरुत्व 0.94 से कम है	7.5											

39019000	प्राथमिक स्रोतों में एथिलीन के अन्य पॉलिमर	7.5		7.0 (टी आरक्यू - 11,000 एमटी)	6.5 (टी आरक्यू - 12,000 एमटी)	6.0 (टी आरक्यू - 13,000 एमटी)	5.0 (टी आरक्यू - 14,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 16,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 20,600 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 25,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 25,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 25,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 25,000 एमटी)
39021000	पॉलीप्रोपाइ लीन प्लास्टिक	7.5		7.0 (टी आरक्यू - 70,000 एमटी)	6.5 (टी आरक्यू - 77,500 एमटी)	6.0 (टी आरक्यू - 85,000 एमटी)	5.0 (टी आरक्यू - 92,500 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 100,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 129, 200 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 158,500 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 158,500 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 158,500 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 158,500 एमटी)
39023000	प्रोपलीन कॉपॉलिमर	7.5		7.0 (टी आरक्यू - 50,000 एमटी)	6.5 (टी आरक्यू - 55,000 एमटी)	6.0 (टी आरक्यू - 60,000 एमटी)	5.0 (टी आरक्यू - 65,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 70,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 90,900 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 112,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 112,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 112,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 112,000 एमटी)
39029000	प्राथमिक रूपों में प्रोपलीन या अन्य ओलेफिनिक अन्य पॉलिमर	7.5		7.0 (टी आरक्यू - 4,000 एमटी)	6.5 (टी आरक्यू - 4,500 एमटी)	6.0 (टी आरक्यू - 5,000 एमटी)	5.0 (टी आरक्यू - 5,500 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू Q - 6,000 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 7,700 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 9,500 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 9,500 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 9,500 एमटी)	3.75 (टी आरक्यू - 9,500 एमटी)
39041010	पायस ग्रेड पीवीसी रेजिन/ पीवीसी पेस्टरेसिन/ पीवीसी फैलाव रेजिन	10	टीआर (60,000 एमटी का संचित वार्षिक टीआरक्यू)	9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
39041020	निलंबन ग्रेडपीवीसी राल	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
39041090	अन्य पॉली (विनाइल क्लोराइड), किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित नहीं	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
39042100	गैर-प्लास्टिसाइज्ड पॉली (विनाइल क्लोराइड), अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5

[illegible]

71131930	हीरे जड़ित सोने के आभूषणों की वस्तुएं	20											
71131940	सोने के आभूषणों की वस्तुएं, अन्य कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों से जड़ित	20											
74081110	कॉपर वेल्ड वायर, क्रॉस सेक्शनल जिसका 6 मिमी से कम आयाम है।	5	5 वर्षों में टीईपी (3 वर्षों के मूविंग एवरेज वॉल्यूम का 150% का टीआर क्यू)	4.0 (टीआरक्यू - 85,000 एमटी)	3.0 (टीआरक्यू - 95,000 एमटी)	2.0 (टीआरक्यू - 105,000 एमटी)	1.0 (टीआरक्यू - 115,000 एमटी)	0.0 (टीआरक्यू - 125,000 एमटी)	0.0 (टीआरक्यू - 2 से 4 साल का मूविंग एवरेज)	0.0 (टीआर क्यू - 3 से 5 साल का मूविंग एवरेज)	0.0 (टीआर क्यू - 4 से 6 साल का मूविंग एवरेज)	0.0 (टीआर क्यू - 5 से 7 साल का मूविंग एवरेज)	0.0 (टीआर क्यू - 6 से 8 साल का मूविंग एवरेज)
74081190	परिष्कृत तांबे के अन्य तार, जिसका अधिकतम क्रॉस सेक्शनल आयाम 6 मिमी से अधिक है	5											
74081910	कॉपर वेल्ड वायर, क्रॉस सेक्शनल आयाम <6 मिमी	5	5 वर्षों में टीईपी (3 वर्षों के मूविंग एवरेज वॉल्यूम का 150% का टीआर क्यू)	4.0 (टीआरक्यू - 270 एमटी)	3.0 (टीआरक्यू - 302.5 एमटी)	2.0 (टीआरक्यू - 335 एमटी)	1.0 (टीआरक्यू - 367.5 एमटी)	0.0 (टीआरक्यू - 400 एमटी)	0.0 (टीआरक्यू - 2 से 4 साल का मूविंग एवरेज)	0.0 (टीआर क्यू - 3 से 5 साल का मूविंग एवरेज)	0.0 (टीआर क्यू - 4 से 6 साल का मूविंग एवरेज)	0.0 (टीआर क्यू - 5 से 7 साल का मूविंग एवरेज)	0.0 (टीआर क्यू - 6 से 8 साल का मूविंग एवरेज)
74081920	तांबे के वेल्डिंग तार, क्रॉस सेक्शनल आयाम <6 मिमी	5											
74081990	परिष्कृत तांबे के अन्य तार, क्रॉस सेक्शनल आयाम <6 मिमी	5											
भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के टीआरक्यू के तहत वस्तुओं का आयात													
एचएस कोड	मद विवरण		कोटा दर में (%)		कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए टीआरक्यू मात्रा		टीआरक्यू मात्रा कैलेंडर वर्ष 2023 आगे						
07134000	मसूर की दाल		आवेदन का 50% शुल्क की दर		1,233 एमटीएस		1,50,000 एमटीएस						
08021100	खोल बादाम में		आवेदन का 50%		279 एमटीएस		34,000 एमटीएस						

08021200	छिलके वाले बादाम	शुल्क की दर		
08051000	संतरे	आवेदन का 50%	113 एमटीएस	13,700 एमटीएस
08052100	मंदारिन (कीनू और सत्सुम सहित)	शुल्क की दर		
08083000	रहिला	आवेदन का 50%	30 एमटीएस	3,700 एमटीएस
		शुल्क की दर		
52010020	न्यूनतम 28 मिमी स्टेपल लंबाई का अतिरिक्त लंबा स्टेपल कॉटन	0% दर	419 एमटीएस	51,000 एमटीएस
# आयात की अनुमति परिशिष्ट-2क के अनुबंध-I, II और III, IV और V में निर्धारित व्यवस्थाओं/प्रक्रिया के अधीन होगी।				

2.93 उद्गम (गैर-तरजीही) के नियम

(क) उद्गम (गैर-तरजीही) के नियमों का मानदंड निम्नानुसार है:

- (I) माल को विदेश व्यापार नीति के पैरा 11.31 में 'विनिर्माण' की परिभाषा के अनुसार निर्यातक कंपनी द्वारा विनिर्मित होना चाहिए; और
- (II) यदि आयातित निविष्टियाँ (शुल्क प्रदत्त अथवा शुल्क मुक्त) का उपयोग निर्यात उत्पाद के उत्पादन के लिए हुआ हो तो निर्यात उत्पाद को तभी भारत में उद्गम होने वाला माना जाएगा (गैर अधिमान्य) जब आयातित निविष्टियाँ निम्नलिखित प्रक्रियाओं/परिचालनों से होकर गुजरती हो:
 - (i) सामान्य प्रचालन जिसमें धूल हटाना, फटकना अथवा जाँच करना, छांटना, वर्गीकृत करना, मिलाना (वस्तुओं का सेट बनाना सहित), धुलाई करना, रंगना, काटना, रंगना, काटना शामिल हैं;
 - (ii) पैकिंग में बदलाव करना और अलग-अलग करना और माल को जोड़ना;
 - (iii) सामान्य कटिंग, स्लाइसिंग और पुनः पैकिंग अथवा बोतल, प्लास्क, बैग, बक्सों में भरना, कार्ड अथवा बोर्ड पर फिक्स करना और अन्य सभी सामान्य पैकिंग कार्य;
 - (iv) परिवहन और भण्डार (जैसे सुखाना, फ्रिज में रखना, लवण-जल में रखना, हवादार बनाना, फैलाना, ठण्डा करना, लवण, सल्फर डाईआक्साइड अथवा अन्य जलीय घोलों में रखना, टूटे हुए भागों को हटाना और इसी तरह के कार्य) के दौरान उत्पादों को अच्छी स्थिति में संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कार्य;
 - (v) उत्पादों अथवा उनकी पैकिजिंग पर चिन्ह, लेबल, अथवा अन्य विशेष संकेत लगाना;
 - (vi) उत्पादों का सामान्य मिलान करना;
 - (vii) पूर्ण उत्पाद बनाने हेतु उत्पादों के पूर्जों को सामान्य रूप से जोड़ना;
 - (viii) पूर्जों को अलग-अलग करना;
 - (ix) पशु वध जिसका अभिप्राय पशुओं की हत्या है; तथा
 - (x) जल व अन्य पदार्थ के साथ मात्र विलयन करना जिससे उत्पादों की विशेषताएं भौतिक रूप से परिवर्तित नहीं होती है।

(ख) सरकार ने भी गैर-तरजीही उद्गम का प्रमाणपत्र (सीओओ) जारी करने के लिए कुछ एजेंसियों को नामित किया है। उद्गम के प्रमाणपत्र सामान के उद्गम उद्गम के साक्ष्य हैं और ये तरजीही प्रशुल्क का कोई अधिकार नहीं देते। इन अधिसूचित एजेंसियों की सूची **परिशिष्ट-2ड** में दी गई है। इसके अलावा, तरजीही उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियाँ गैर-तरजीही उद्गम प्रमाणपत्र भी जारी करने हेतु प्राधिकृत हैं।

(ग) सभी निर्यातकों जिन्हें उद्गम प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) प्रस्तुत करना है, को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ **परिशिष्ट-2ड** में उल्लिखित एजेंसियों में से किसी एक को आवेदन करना होगा।

- (i) निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त मात्रा/निविष्टियों के उद्गम/उपभोग्यों के ब्यौरे।

- (ii) बीजक की दो प्रतियाँ ।
- (iii) संबंधित बीजक के लिए पैकिंग सूची दो प्रतियों में।
- (iv) शुल्क 200/— रु. प्रत प्रमाण पत्र न हो।
- (घ) उद्गम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) मंजूर करने से पूर्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उपर्युक्त (क) में परिभाषित मानदंड के अनुसार वस्तुएँ भारतीय मूल की हैं । प्रमाणपत्र **परिशिष्ट-2ड. के अनुलग्नक II** में दिये गये प्रपत्र के अनुसार जारी किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमाणपत्र में कोई शुद्धि/पुनः टंकन नहीं किया गया है। **परिशिष्ट-2ड.** में सूचीबद्ध होने हेतु कोई भी इच्छुक एजेंसी **परिशिष्ट-2ड. के अनुलग्नक-I** के अनुसार डीजीएफटी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।
- (ड) गैर-अधिमानी-स्व-प्रमाणन: विनिर्माता निर्यातक जो स्तर धारक भी हों **परिशिष्ट-2ड. के अनुलग्नक III** के अनुसार अपने माल को भारत से उद्गम होने को स्व-प्रमाणित करने के पात्र होंगे बशर्ते उनका माल निविष्टि परिवर्तन मानदण्ड को पूरा करता हो।

2.94 स्व-प्रमाणन हेतु अनुमोदित निर्यातक स्कीम (ईईएस)

स्कीम का ब्यौरा एएनएफ के परिशिष्ट 2च में दिया गया है।

नीति व्याख्या और रियायत:

2.95 पीआईसी को आवेदन

विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.58(ख) के तहत नीति व्याख्या समिति (मुख्यालय में) के एएनएफ-2च में दिए गए किसी भी नीति प्रावधान की व्याख्या के लिए आवेदन किया जाएगा।

2.96 पीआरसी को आवेदन

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.59 के तहत ऑनलाइन नीति रियायत समिति (पीआरसी) के लिए आवेदन, निर्धारित शुल्क और दस्तावेजों के साथ एएनएफ-2घ के अनुसार ऑनलाइन किया जाएगा। इसी प्रकार एफटीपी के पैरा 2.60 के तहत किसी भी अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी समिति के निर्णय या निर्णय/आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन, एएनएफ-2ड. में विदेश व्यापार महानिदेशालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशक, सभी अपर महानिदेशकों, सभी संयुक्त महानिदेशकों, सदस्य के रूप में मुख्यालय में नीति प्रभाग के प्रभारी के साथ पीआरसी के अध्यक्ष होंगे अपर/संयुक्त महानिदेशालय विदेश व्यापार (पीआरसी) सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे; और समिति, जब भी आवश्यकता होगी, विशिष्ट विशेषज्ञता/अनुभव के साथ सदस्य/सदस्यों को चुन सकते हैं।

2.97 ईपीसीजी समिति हेतु आवेदन

(क) एफटीपी के पैरा 2.59 के तहत निर्यात संवर्धन पूंजिगत माल (ईपीसीजी) समिति के लिए, आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट 2ट के अनुसार निर्धारित शुल्क के साथ एएनएफ-2घ में ऑनलाइन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ख) ईपीसीजी के अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रभारी ईपीसीजी समिति के अध्यक्ष होंगे, सदस्य सचिव के रूप में संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार (ईपीसीजी) और सदस्य के रूप में राजस्व विभाग के अधिकारी होंगे। जब भी आवश्यक हो, संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है।

अध्याय-3

जिलों का निर्यात हब के रूप में विकास

3.01 नीति

जिलों का निर्यात हब के रूप में विकास हेतु नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में दी गई है।

3.02 नीति के उद्देश्य

देश के प्रत्येक जिले को निर्यात हब में उत्पादों की पहचान करके निर्यात हब में परिवर्तित करने के लिए इन उत्पादों के निर्यात के लिए अड़चनों को दूर करते हुए, स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं का समर्थन करना और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के बाहर संभावित खरीददारों को ढूंढना, जिले में विनिर्माण एवं सेवा उद्योग को बढ़ावा देना है। अनुकूल विदेशी व्यापार माहौल को समर्थ करने हेतु, केन्द्र सरकार की पहल पर तैयार किए गए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई भी नीतिगत कार्यनीति राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के सहयोग से ही प्रभावी रूप से लागू की जा सकती है। इससे पहले,

निर्यात संवर्धन बुनियादी स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेने में राज्य या जिला स्तर के स्टेकहोल्डरों को शामिल करने वाले किसी भी सक्रिय तंत्र के बिना केवल केन्द्र सरकार से संबंधित एक विषय था। निर्यात संवर्धन कार्यकलापों को स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और जिलों को स्थानीय/उत्पादों/सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने में सक्रिय स्टेकहोल्डर बनाने के उद्देश्य से विकेंद्रीकृत करने की आवश्यकता है।

3.03 जिला निर्यात संवर्धन समितियां – जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र

प्रत्येक जिले में एक जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) होती है, जिसकी अध्यक्षता ज्यादातर जिले के कलेक्टर/डीएम/डीसी द्वारा की जाती है और इसके सदस्यों के रूप में विभिन्न अन्य हित धारकों के साथ नामित डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा सह-अध्यक्षता की जाती है।

डीईपीसी की संभावित संरचना निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	अधिकारी/विभाग	भूमिका
1	कलेक्टर/डीएम/डीसी	अध्यक्ष
2	डीजीएफटी द्वारा पदनामित क्षेत्रीय प्राधिकारी	सह अध्यक्ष
3	जीएम- जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी)	समन्वयक
4	राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग)	सदस्य
5	अग्रिम बैंक प्रबंधक	सदस्य
6	प्रतिनिधि – एमएसएमई विभाग, भारत सरकार	सदस्य
7	प्रतिनिधि – क्षेत्र विशिष्ट निर्यात संवर्धन काउंसिल	सदस्य
8	प्रतिनिधि – गुणवत्ता और मानक कार्यान्वयन निकाय	सदस्य
9	जिला व्यापार/उद्योग एसोशियेशन से प्रतिनिधि	सदस्य
10	भारत सरकार में क्षेत्र विशिष्ट मंत्रालय (कृषि, मछली पालन, वृक्षारोपण बोर्ड इत्यादि)	सदस्य
11	राज्य सरकार में क्षेत्र निर्दिष्ट मंत्रालय	सदस्य
12	प्रत्येक जिले में पहचान किए गए उत्पाद के लिए विशिष्ट क्षेत्रीय एजेंसी (नाबार्ड इत्यादि)	सदस्य
13	राज्य सरकार के अन्य प्रतिनिधि (आवश्यकतानुसार)	सदस्य

3.04 जिला निर्यात संवर्धन समितियां – कार्य

डीईपीसी का मुख्य कार्य केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर संबंधित सभी हित धारकों के सहयोग से जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजना को तैयार और लागू करना होगा।

प्रारंभिक अभ्यास में वर्तमान निर्यात रुपरेखा की पहचान करने के लिए जिले का मूल्यांकन, जिले में इसकी क्षमता, जिले से निर्यात प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मात्रात्मक लक्ष्य शामिल हो सकते हैं। इसमें उन उत्पादों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना शामिल है, जो वर्तमान में वहां से निर्यात किए जा रहे हैं, और इसमें जिले में अप्रयुक्त निर्यात क्षमता वाले नए उत्पादों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना भी शामिल है। इन प्रयासों को एक संस्थागत तंत्र के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं में एक आधारभूत अध्ययन के लिए आगे बढ़ाया जाना है, ताकि मौजूदा निर्यात गतिविधियों और भविष्य की संभावनाओं के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और अन्य बाधाओं को दूर किया जा सके।

जिला निर्यात संवर्धन समिति के सुझाए गए कार्यों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

क्रम सं.	कार्यकलाप
----------	-----------

1.	निर्यात हब के रूप में विकसित करने हेतु जिले के लिए एक समयबद्ध, विस्तृत जिला निर्यात कार्यनीति/योजना तैयार करना।
2.	निर्यात विस्तार—क्षेत्र, गंतव्यों आदि के साथ वर्तमान में निर्यात किए गए उत्पादों और सेवाओं तथा निर्यात बाजारों को परिलक्षित करने की अच्छी संभावना के साथ अतिरिक्त उत्पादों/सेवाओं को चिन्हित करने सहित जिले की निर्यात निष्पादन बेंचमार्किंग बेसलाइन।
3.	प्रत्येक जिले के सामर्थ्य और निर्यात की जा रही मौजूदा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए व्यवधानों को चिन्हित करने और नए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए उपलब्ध संभावना प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पाद गुणवत्ता/डिजाइन, उत्पादन दक्षता/प्रतिस्पर्धा, अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, उपयोगिता, मानकों को लागू करने आदि में अंतराल का व्यापक विश्लेषण।
4.	जिले में विनिर्मित/उत्पादित वस्तु और सेवाएं, ऐसे जिलों में उपलब्ध मदों (जीआई उत्पादों सहित) की निर्यात क्षमता को चिन्हित करना।
5.	जिलों में थ्रस्ट सेक्टर के लिए उपलब्ध मौजूदा व्यापार अवसंरचना ढांचा तैयार करना।
6.	जिलों में थ्रस्ट सेक्टर के निर्यात में अवरोधक प्रमुख अड़चनों और चुनौतियों को चिन्हित करना। आगे के गहन विश्लेषण के लिए निर्यात परिप्रेक्ष्य से थ्रस्ट मदों/जीआई उत्पादों/कृषि मदों को चिन्हित करना।
7.	जिला उद्योगों के प्रशिक्षण और विकास आवश्यकता और अन्य विभागों के साथ प्रशिक्षण हेतु समन्वयन को चिन्हित करना।
8.	उत्कृष्टता के अन्य जिलों के साथ प्रशिक्षण, सेमिनार, अतिथि व्याख्यान, व्यवहारिक प्रशिक्षण, विनिमय यात्राओं के माध्यम से सूचना का प्रसार करना।
9.	जिला स्तर पर निर्यात संवर्धन के लिए एक बिन्दु सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना।
10.	डीजीएफटी द्वारा विकसित किए जा रहे पोर्टल में और जिले में सभी स्टैकहोल्डरों को उन्हें बोर्ड पर आने के लिए सक्षम/सुविधा प्रदान करके विकसित करने और उन तक पहुंचने हेतु एक वर्चुअल बातचीत/संवाद फोरम हेतु सक्रिय पोर्टल के माध्यम से सभी जिला स्तर आँकड़े सूचना/प्रगति की प्रविष्टि करना।
11.	निर्यातकों के लिए एक शिकायत निवारण फोरम के रूप में कार्य करना और संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसी के साथ अनुपालन करना।
12.	विश्व में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में क्रेता-विक्रेता बैठकें, प्रदर्शनियां, व्यापार मेलों आदि के आयोजन को सुगम बनाना।
13.	परिलक्षित निर्यात वृद्धि प्राप्त करने के लिए जिलों को सुनिश्चित करने हेतु चरणबद्ध तरीके से जिला निर्यात कार्य योजना को लागू करना।

डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रत्येक जिले में इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे।

3.05 प्रत्येक जिले के लिए जिला निर्यात कार्य योजना

प्रत्येक जिले के लिए जिला निर्यात कार्य योजना तैयार की जा सकती है। इसमें उत्पादन चरण से निर्यात चरण तक उद्योग को समर्थन देने पर प्रोत्साहन के साथ स्थानीय उद्योग और व्यापार को अपनी विनिर्माण गतिविधि और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समर्थन शामिल हो सकता है। भारत सरकार और निर्यातकों की संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों पर सूचनात्मक सामग्री उद्योग और अन्य संभावित निर्यातकों को प्रसारित की जा सकती है। योजना में जिला स्तर पर लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की नीति भी शामिल हो सकती है और जिला स्तर पर रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक के तहत विदेशी खरीदारों को आमंत्रित करने के लिए वाणिज्य विभाग की बाजार पहुंच पहल (एमआईए) योजना का बेहतर उपयोग और उपयुक्त रूप से जिला स्तर पर निर्यात डाटा एकत्रित करना शामिल है।

जिला कार्य-योजना में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

क्रम सं.	सूचक विषय—वस्तु
I.	जिला रुपरेखा
II.	उद्योग रुपरेखा
III.	जिले से निर्यात क्षमता के साथ प्रमुख उत्पादों (वस्तुओं और सेवाओं) का व्यापक विश्लेषण
IV.	उद्योग के समक्ष उत्पन्न अड़चनों को चिन्हित करना।
V.	संस्थागत जिम्मेदारियों, नीति की बारीकियों, विनियामक और परिचालन सुधार को चिन्हित करना।
VI.	अपेक्षित अवसंरचना/उपयोगिताओं/लॉजिस्टिक्स/नीति व्यवधानों को चिन्हित करना।
VII.	कार्य योजना को उनके कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय सीमा के साथ मात्रात्मक लक्ष्यों को परिभाषित करना
VIII.	राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन/सहायता को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना।
IX.	चिन्हित किए गए निर्यात उत्पादों सेवाओं हेतु प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता
X.	जिले के निर्यात डेटा का विश्लेषण और प्रणाली रूप से इसे कैचर करने के तरीके और साधन
XI.	निर्यात हब के रूप में जिले को बढ़ावा देने के लिए मध्यावधि और दीर्घकालिक कार्यनीति/सुझाव

3.06 राज्य/केन्द्र शासित निर्यात संवर्धन समितियां

वाणिज्य विभाग/डीजीएफटी और राज्य/संघ राज्य सरकारों के बीच राज्य सरकारों से निर्यातों के संवर्धन के लिए प्रयासों हेतु ताल-मेल हेतु प्रत्येक राज्य एक राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) का गठन करेगा जिसके मुखिया राज्य सरकार के मुख्य सचिव होंगे। समिति का सह-समन्वयक डीजीएफटी का नामित क्षेत्रीय प्राधिकारी होगा।

एसईपीसी का मुख्य कार्य राज्य विशिष्ट निर्यात संवर्धन नीति/रणनीति को तैयार करना, राज्य सरकारों के साथ निर्यातकों की भागीदारी सुगम बनाना, राज्य स्तर पर सभी निर्यात संवर्धन मुद्दों को हल करना और राज्य के प्रत्येक जिले में डीईपीसी की प्रगति की निगरानी करना है। डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी व्यापार और उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार के स्थानीय समर्थक के रूप में कार्य करेंगे।

3.07 नोडल डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकारी

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को नोडल क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रदान किया गया है और नोडल क्षेत्रीय प्राधिकारी उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उन जिलों में निर्यात हब पहल के तौर पर जिले से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे। डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों की जिला और राज्यवार क्षेत्राधिकार की सूची परिशिष्ट 1क में दी गई है।

3.08 जिला निर्यात कारवाई योजना की ऑनलाइन निगरानी

डीजीएफटी एक ऑनलाइन निगरानी पोर्टल विकसित करेगा जो डीजीएफटी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है जिससे राज्य/डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रत्येक जिले के निर्यात संभावित उत्पादों से संबंधित सभी जानकारी अपलोड करने में सक्षम हो सकें। पोर्टल जिला निर्यात कार्य योजना के सभी जिलों की प्रगति की निगरानी करने में भी मदद करेगा। प्रत्येक डीजीएफटी नोडल क्षेत्रीय प्राधिकारी आरए मूलतः प्रत्येक जिले में अपने क्षेत्राधिकार के अधीन निर्यात कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु सूचना/प्रगति को अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सूचना पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध होगी। व्यापार के लाभ हेतु सूचना सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध रहेगी।

3.09 जिला आउटरीच कार्यक्रम

प्रत्येक नोडल डीजीएफटी आरए राज्य और जिला प्रशासन और केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित एजेंसियों/ईपीसी के सहयोग से जिले से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु। प्रत्येक जिले में गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करेगा। जिले के प्रत्येक संभावित निर्यातक तक पहुंचने के लिए इन आउटरीच कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार किया जाएगा।

अध्याय — 4

शुल्क छूट/माफी स्कीम

4.01 नीति

शुल्क छूट/माफी स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 में विनिर्दिष्ट की गई है।

4.02 सामान्य प्रावधान

- (i) आईईसी धारक द्वारा अग्रिम प्राधिकार पत्र/परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) की मंजूरी के लिए आवेदन परिशिष्ट-1क के अनुसार संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी को आनलाइन (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित) प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदक आईईसी धारक का पंजीकृत कार्यालय अथवा मुख्यालय अथवा शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट हो सकता है।
- (ii) आवेदक आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय आयात निर्यात प्रपत्र 4क में यथा निर्धारित दस्तावेजों, यदि कोई हो, को अपलोड करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी को वास्तविक प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

4.03 आवेदक का ब्यौरा

जहां आवेदक कोई शाखा कार्यालय या विनिर्माण यूनिट है, आवेदक के इलेक्ट्रॉनिक आरसीएमसी और आईईसी में शाखा कार्यालय या विनिर्माण यूनिट का नाम होना चाहिए।

4.04 अग्रिम प्राधिकार पत्र

आवेदक एएनएफ 4क में आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा। प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के अनुसार तदर्थ मानदंड या स्वघोषणा आधार पर समान प्रपत्र प्रयोग किया जाएगा जहां मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) अधिसूचित किए गए हैं।

4.05 निर्यात के लिए अन्यथा निषिद्ध मदों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

- (i) आईटीसी (एचएस) अनुसूची 2 के अध्याय 7 और अध्याय 15 के अंतर्गत शामिल मदें जो निर्यात हेतु निषिद्ध हैं, अग्रिम प्राधिकार-पत्र स्कीम के अंतर्गत निर्यात करने हेतु अनुमत किए जा सकते हैं जब तक यह विशिष्ट रूप से अस्वीकृत न हो। निर्यात को प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.06 के अनुसार अधिसूचित सिओन/मानदंड समिति द्वारा मानदंडों के पूर्व निर्धारण के अंतर्गत पूर्व निर्यात शर्त के अधीन अनुमत किया जाएगा। आयात और निर्यात केवल ईडीआई समर्थित पत्तनों के माध्यम से अनुमत होगा।
- (ii) ऐसी मदों के लिए जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) आयात खेप की मंजूरी की तारीख से 90 दिनों की होगी तथा निर्यात दायित्व की अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। ऐसा आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा तथा जॉब कार्य सहित किसी प्रयोजन के लिए आयातित कच्चे माल का अंतरण नहीं किया जाएगा। निर्यात दायित्व पूरा नहीं किए जाने/निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त नहीं किए जाने के मामले में, लागू शुल्क और ब्याज के अलावा आयातित माल के सीआईएफ मूल्य के पांच गुना के बराबर दंड जो निर्यात दायित्व में कमी के अनुरूप हों, लगाया जाएगा। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.49 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे।
- (iii) अग्रिम प्राधिकार-पत्र स्कीम के अंतर्गत "गेहूं का आटा (आटा)" निर्यात किए जाने के लिए अनुमत है बशर्ते कि गेहूं की आयात-पूर्व शर्तों को केवल सिओन के अधधीन अधिसूचित किया गया हो। गेहूं को किसी घरेलू/स्वदेशी रूप से प्राप्त करने की अनुमति नहीं है और अमान्य पत्र/एआरओ की सुविधा नहीं है। इस मामले में तृतीय पक्ष निर्यात भी अनुमत नहीं होगा। केवल ईडीआई पत्तनों के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति होगी। गेहूं के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तारीख से 180 दिनों की होगी तथा निर्यात दायित्व की अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। ऐसा आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा तथा आयातित गेहूं के अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्यात दायित्व पूरा नहीं किए जाने/निर्धारित मूल्य वर्धन प्राप्त नहीं किए जाने के मामले में, लागू शुल्क और ब्याज के भुगतान के अलावा आयातित माल के सीआईएफ मूल्य के पांच गुना के बराबर जुर्माना जो निर्यात दायित्व में कमी के अनुरूप हों, लगाया जाएगा। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.49 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे।

4.06 मानदंड निर्धारण

(i) उन मामलों में जहां मानदंड अधिसूचित नहीं किए गए हैं, अथवा जहां आवेदक अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन करने से पहले तदर्थ मानदंड निर्धारित कराने का इच्छुक हो सिओन/तदर्थ मानदंड निर्धारण के लिए एएनएफ 4ख में आवेदन निर्धारित दस्तावेज समेत डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति (एनसी) को आनलाइन अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक मानदंड समिति द्वारा देखरेख किए जा रहे उत्पाद समूह के साथ मानदंड समितियों और मानदंड निर्धारण से संबंधित पत्राचार हेतु संबंधित ईमेल पता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

डीजीएफटी मुख्यालय में मानदंड समिति (एनसी)	निम्नलिखित आईटीसी एचएस अध्याय के तहत निर्यात उत्पादों के मानदंडों का निर्धारण/परिशोधन/संशोधन	संबंधित मानदंड समिति के साथ सम्पर्क हेतु ईमेल पता
एनसी-1	81 से 84, 86 से 93	nc1.dgft@nic.in
एनसी-2	72 से 76, 78 से 80, 85	nc2.dgft@nic.in
एनसी-3	29, 30	nc3.dgft@nic.in
एनसी-4	27, 28, 31 से 38, 44 से 49, 68 से 71	nc4.dgft@nic.in
एनसी-5	41 से 43, 50 से 67	nc5.dgft@nic.in
एनसी-6	1 से 26, 94 से 98	nc6.dgft@nic.in
एनसी-7	39, 40	nc7.dgft@nic.in

(ii) मानदंड समितियों के निर्णय डीजीएफटी की वेबसाइट (<http://dgft.gov.in>) पर आवधिक रूप से उपलब्ध रहेंगे तथा आवेदक स्वयं को प्राप्त प्राधिकार पत्र के संबंध में मानदंड निर्धारण की स्थिति को स्वयं को अद्यतन करेगा।

(iii) निर्यातक/ईपीसी निर्यात उत्पाद के लिए सिओन/तदर्थ मानदंड के निर्धारण के लिए संबंधित मानदंड समिति को आंकड़ा उपलब्ध कराएंगे। मानदंड समिति सम्पूर्ण आंकड़ा के प्राप्त होने के बाद सिओन या तदर्थ मानदंडों को निर्धारित करने का प्रयास करेगी। इस पैरा के अधीन निर्धारित तदर्थ मानदंड निर्यातक द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर केवल एक प्राधिकार पत्र के लिए वैध होगा जिसके लिए यह आवेदन किया गया है और दुबारा प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, मानदंड समिति ऐसे मानदंड के तहत आगे प्राधिकार पत्र देने के लिए इन तदर्थ मानदंडों के निर्धारण की तारीख से अधिकतम 2 वर्षों की बढ़ायी गई वैधता अवधि को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(iv) मानदंड समितियां सिओन की अधिसूचना के लिए सिफारिशी प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेंगी तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय समय-समय पर ऐसे मानदंड अधिसूचित कर सकता है।

(v) उद्योग जगत/विनिर्माताओं/ईपीसी के लिए पिछले वर्षों का उत्पादन एवं खपत आंकड़ा प्रदान करना अनिवार्य है जिसकी सिओन के निर्धारण के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा मांग की जाए अन्यथा, आवेदकों को स्व-घोषणा आधार पर दुबारा अग्रिम प्राधिकार-पत्र लेने के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम का लाभ लेने की अनुमति नहीं होगी। मानदंड समिति भी राजस्व विभाग (सीबीआईसी) से आंकड़ों की मांग कर सकती है।

(vi) मानदंडों के निर्धारण हेतु वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक संस्थानों से विशेषज्ञों को मानदंड समिति के सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

4.07 स्वघोषित प्राधिकार पत्र जहां सिओन नहीं है

(i) क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदक द्वारा स्वयं घोषणा के आधार पर निर्यात उत्पाद या जहाँ सिओन/तदर्थ मानदंड को अधिसूचित/प्रकाशित किया गया है परंतु विनिर्माण प्रोसेस में अतिरिक्त निविष्टियों के प्रयोग की नियत से किया गया

निर्यात है, के लिए कोई सियोन/वैध तदर्थ मानदंड निर्धारित नहीं है, उनको अग्रिम प्राधिकार-पत्र भी जारी किया जा सकता है। इस प्रकार दावा किया गया अपशिष्ट मानदंड समिति द्वारा निर्धारित अपशिष्ट मानदंड के अध्यक्षीन होगा। आवेदक मानदंड समिति के निर्णय का अनुपालन करने का वचन देगा। इससे संबंधित प्रावधान विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.03 और 4.11 में दिए गए हैं।

- (ii) संशोधन/अस्वीकृति के मामले में आवेदक मानदंड समिति के निर्णय को डीजीएफटी की वेबसाइट पर डालने की तारीख से तीस दिनों के भीतर राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित शुल्क और ब्याज का भुगतान करेगा।
- (iii) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.11 में सूचीबद्ध मदों के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा इस पैराग्राफ के तहत कोई प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

4.07क स्व-अनुसमर्थन स्कीम

- (i) स्व-अनुसमर्थन स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति (2023) के पैरा 4.06 पर दी गई है। आवेदन परिशिष्ट 4ड. में चार्टर्ड इंजीनियर से प्रमाण-पत्र सहित परिशिष्ट 4ट में पूर्ण विवरण के साथ ऑनलाइन फाइल किया जाएगा। ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए चार्टर्ड इंजीनियर अपनी योग्यता अनुसार डोमेन में ही कार्य करेगा।
- (ii) पैकिंग सामग्री और ईंधन के लिए नीति सहित मानक निविष्टि-उत्पादन मानदंड नामक पुस्तक में दी गई सामान्य टिप्पणियां जो कि इस स्कीम के अनुरूप नहीं हैं, वे भी इस स्कीम के लिए लागू होंगी।
- (iii) आवेदक, 8 अंकों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण सहित विशिष्ट विवरण के साथ निविष्टियों के लिए आवेदन करेगा। जहां कहीं भी निर्यात उत्पाद और/या निविष्टि ब्रांड नामों में दिए गए हैं वहाँ सही रासायनिक/तकनीकी नाम भी आवेदन में दिया जाएगा।
- (iv) क्षेत्रीय प्राधिकारी विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया पुस्तक (2023) में निर्दिष्ट शर्तों के तहत आवेदन अनुसार अग्रिम प्राधिकार-पत्र जारी कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन अनुसार निविष्टि उत्पादन मानदंड और अपव्यय दावा अन्तिम माना जाएगा। एनसी द्वारा उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है।
- (v) आवेदक या उसका सहायक विनिर्माता/सह-लाइसेंसधारी, परिशिष्ट-4ज में निर्धारित अनुसार प्रत्येक प्राधिकार-पत्र के प्रति शुल्क मुक्त आयात/घरेलु रुप से खरीदी गई निविष्टियाँ के उपभोग और उपयोग का उचित खाता बनाए रखेगा। ईओडीसी के लिए आवेदन परिशिष्ट 4 ज के साथ निर्धारित प्रारूप में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी, प्राधिकार पत्र में अनुमत निविष्टियों के साथ परिशिष्ट-4ज के विवरण का मिलान करेगा। इस तरह के रिकॉर्ड को निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक प्राधिकार-पत्र धारक/विनिर्माता द्वारा संरक्षित किया जाएगा।
- (vi) इस स्कीम के तहत निर्यात मद के उत्पादन और खपत रिकॉर्ड को संबंधित मानदंड समिति द्वारा ऑडिट किया जा सकता है। इस प्रकार का ऑडिट जोखिम आधारित प्रबंधन प्रणाली (आरबीएमएस) पर आधारित प्राधिकार-पत्र के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर किया जा सकता है। निर्यातकों को ऑडिट पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करनी होगी और ऑडिट के समय पर पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है। संबंधित मानदंड समिति ऑडिट टीमों का गठन करेगा और प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से समय-समय पर ऑडिट के तरीके को निर्दिष्ट करेगा।
- (vii) आवेदक द्वारा ऑडिट टीम को निर्धारित दस्तावेजों/सूचना प्रस्तुत नहीं कराना, यथा संशोधित एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम, 1992 और उनके अंतर्गत नियमों और आदेशों के प्रावधानों के अधीन दंडात्मक कार्रवाई के लिए उनको उत्तरदायी बनाएगा। आयातित/खरीदे गए शुल्क मुक्त वस्तुओं के मामले में अधिक मात्रा में या पूरी तरह से उपमुक्त न करना पर आवेदक सीमाशुल्क को लागू ब्याज सहित, सीमा शुल्क तत्काल अपनी ओर से भुगतान करेगा। तथापि यदि ऑडिट टीम ने पाया कि शुल्क मुक्त वस्तुएं की अधिक मात्रा में आयात किए गए थे या परिणामी उत्पादों में पूरी तरह से खपत नहीं की गई थी और अपनी ओर से सीमाशुल्क और ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था तो आवेदक को यथा संशोधित विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1993, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम/सीमाशुल्क अधिनियम के तहत अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अलावा अस्वीकृत सूची में रखा जाएगा। चार्टर्ड इंजीनियर को भी विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 11(2) के प्रावधानों के तहत अन्मूलन के लिए दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

(viii) अग्रिम प्राधिकार-पत्र स्कीम के सभी प्रावधान भी इस स्कीम पर लागू होंगे जब तक वे इस स्कीम के विशिष्ट प्रावधानों के साथ असंगत न हों।

4.08 निविष्टि के रूप में ऐसेटिक एनहाइड्राइड, एफेड्रिन और स्यूडो इफेड्रिन से संबंधित मामले

- (i) जहाँ आयात के लिए निविष्टि के रूप में ऐसेटिक एनहाइड्राइड, इफेड्रिन और स्यूडो इफेड्रिन की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन आनलाइन प्रस्तुत करने के बाद आवेदक द्वारा ऐसे आवेदनों की प्रिन्टेड प्रतियाँ (क) भारत के आंध्र नियंत्रक, निर्माण भवन, नई दिल्ली, (ख) स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर और (ग) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के संबंधित जोनल निदेशक को भी पृष्ठांकित की जाएगी। आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि आवेदक निर्धारित रिकार्डों/दस्तावेजों का रखरखाव करेगा और समय-समय पर विधि द्वारा यथा निर्धारित समय के भीतर संगत प्राधिकारियों को निर्धारित रिकार्ड/विवरणियाँ भी प्रस्तुत करेगा।
- (ii) क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्र की प्रति उपर्युक्त तीनों एजेंसियों को पृष्ठांकित करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी यह शर्त भी पृष्ठांकित करेगा कि आयात करने से पूर्व, भारत भोज नियंत्रक एवं स्वापक आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

4.09 स्वच्छता आयात परमिट की आवश्यकता वाले मामले

- (i) जहाँ, स्वच्छ, शीतित और प्रशीतित माँस, मुर्गियों के उत्तक अथवा अंग, सूअर, भेड़, बकरी; अण्डे और अण्डे का चूर्ण; दुग्ध व दुग्ध उत्पाद; गाय, भेड़ और कैप्राइन के भ्रूण, अण्डाणु अथवा शुक्राणु; तथा पशु से उत्पन्न पालतू पशुओं के खाद्य उत्पादों सहित किसी भी प्रकार के माँस और माँस उत्पादों का एक निविष्टि के रूप में आयात करने हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत माँग की गई है, क्षेत्रीय प्राधिकारी, अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करते समय, यह शर्त पृष्ठांकित करेगा कि इन निविष्टियों में से किसी के भी आयात से पूर्व, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन विभाग (डीएएचडीएफ) से स्वच्छता आयात परमिट प्राप्त करना होगा।
- (ii) क्षेत्रीय प्राधिकारी डीएएचडी कृषि भवन, नई दिल्ली को प्राधिकार-पत्र की एक प्रति भी पृष्ठांकित करेगा।

4.10 एक से अधिक यूनिटों वाले आवेदकों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र

- (i) विनिर्माण प्रयोजन हेतु कंपनी की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित या प्राप्त किसी शुल्क मुक्त माल का हस्तांतरण क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना के साथ किया जाएगा। ऐसी हस्तांतरित निविष्टि पर कोई निविष्टि कर क्रेडिट के लाभ का दावा नहीं किया जाएगा।
- (ii) आयातित शुल्क मुक्त निविष्टियों को पत्तन/स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के परिसर से प्राधिकार पत्र/ सह-प्राधिकार-पत्र धारक के फैक्टरी या परिसर अथवा सहायक विनिर्माता की फैक्टरी में ले जाया जाएगा (जिनका नाम प्राधिकार पत्र में पृष्ठांकित या क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा अनुमत है) तथापि अग्रिम प्राधिकार-पत्र के तहत आयातित अथवा खरीदे गए ऐसे शुल्क मुक्त माल को राजस्व विभाग की दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए आयात के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी को बांड तथा अन्य दस्तावेजों/घोषणा प्रदान करने के अधीन परियोजना प्राधिकारी के परियोजना स्थल पर पत्तन से सीधे ही ले जाया जा सकता है।

4.11 निःशुल्क और भुगतान किए गए माल हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र

विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.19 के अनुसार जारी प्राधिकार पत्रों में क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अग्रिम प्राधिकार-पत्र के शर्त-पत्र पर निःशुल्क पूर्ति किए जा रहे माल हेतु भुगतान को अस्वीकृत करने संबंधी एक विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा।

4.12 हकदारी

प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.07 के तहत जारी किए जाने वाले एक या एक से अधिक प्राधिकार पत्रों का अधिकतम सीआईएफ मूल्य निम्नानुसार होगा:

- (i) स्तर धारकों के लिए – पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और/या पिछले वर्ष के निर्यात और/या आपूर्ति के एफओआर मूल्य का 300 प्रतिशत।

- (ii) स्तर धारकों के अलावा — पिछले वर के निर्यात और/या आपूर्ति के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और/या एफ ओ आर मूल्य का 300 प्रतिशत या 10 करोड़ रु. इसमें से जो भी अधिक हो।
- (iii) मानदंड समिति द्वारा मानदंड निर्धारित कर दिए जाने के बाद उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (i) और (ii) में उल्लिखित मूल्य सीमाएं प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.07 के तहत जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों पर लागू नहीं होंगी। मानदंड समिति द्वारा मानदंड के निर्धारण के बाद ऐसे प्राधिकार पत्रों का मूल्य बढ़ाया जा सकता है यदि अग्रिम प्राधिकार पत्र सीआईएफ मूल्य को उपर्युक्त उप-पैरा (i) और (ii) के अधिकतम मूल्य तक सीमित कर जारी किया गया हो।
- (iv) ऐसे मामलों में “तदर्थ मानदंड निर्धारित” श्रेणी के तहत संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे तथा आवेदन की प्रतियाँ मानदंडों के निर्धारण/पुष्टि हेतु मानदंड समिति को भेजने की जरूरत नहीं होगी। मानदंडों की पुष्टि के पहले जहाँ आवेदन पहले ही अग्रेषित कर दिया गया है, पक्षकार के इस तरह के मामलों में क्षेत्रीय प्राधिकारी उसके बाद मानदंड समिति द्वारा पुट मानदंड के अनुसार मामले को अंतिम रूप देगी।
- (v) ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र धारक मानदंड समिति द्वारा बाद में अनुमोदन की आवश्यकता के बिना मानदंड समिति द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार प्राधिकार पत्रों हेतु पात्र होगा। ऐसे मामलों में आवेदक ‘तदर्थ मानदंड निर्धारित’ श्रेणी के तहत संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (vi) पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किसी भी अग्रिम प्राधिकार-पत्र के संबंध में 01.04.2023 को या उसके बाद महानिदेशक विदेश व्यापार कार्यालय में किसी भी मानदंड समिति (एनसी) द्वारा अभिपुष्टि किए गए मानदंड, अभिपुष्टि की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, मान्य होंगे। चूंकि मानदंड समिति के सभी निर्णय विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट पर कार्यवृत्त के रूप में उपलब्ध हैं अतः अग्रिम प्राधिकार-पत्र के अन्य सभी आवेदक, आवेदन करने के योग्य हैं और इन मानदंडों की वैधता के दौरान, आवृत्ति आधार पर ऐसे अभिपुष्टि मानदंडों के आधार पर अपने प्राधिकार-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय इस पैरा की परिधि से किसी भी वस्तु/सिधोन को हटा सकता है। ऐसी वस्तुएं/सिधोन प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4त के तहत सूचीबद्ध हैं।
- (vii) जहां, भी आवेदक ने “जवाबदेही शर्त के साथ निवल दर निवल आधार” पर संघटकों के लिए आवेदन किया है और ऐसे मामले सभी निर्यात उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणी के पैराग्राफ-6 के अन्तर्गत आते हैं तो इन्हें मानदंड निर्धारण के लिए मानदंड समिति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। तथापि निर्यातक जवाबदेही क्लोज के साथ निवल दर निवल आधार पर आयातित ऐसे संघटकों का निर्यात/आपूर्ति दस्तावेजों नामत शिपिंग बिल, बिल आफ एकस्पॉर्ट सीजीएमटी/एसजीएसटी /यूटी/जीएसटी नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निर्यात/आपूर्तियों हेतु कर बीजक पर स्पष्ट रूप इंगित करेगा जिसमें यह साक्ष्य हो कि इन आयातित निविष्टियों का निर्यात किया गया है।

4.13 हकदारी से अधिक प्राधिकार पत्र

आवेदक सीमाशुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु सीमाशुल्क प्राधिकारी को 100 प्रतिशत बैंक गारण्टी प्रस्तुत करके पैरा 4.12 में उल्लिखित हकदारी से अधिक प्राधिकार पत्र हेतु हकदार होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र पर इस आशय का विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा। यह प्रावधान स्तरधारकों के लिए भी लागू होगा।

4.14 मानदंड/तदर्थ मानदंड निर्धारण के लिए आवेदन और आनलाइन अन्तर-मंत्रालयी परामर्श

- (i) आवेदक द्वारा आनलाइन प्रस्तुत आवेदन को डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति द्वारा तीन दिनों के भीतर संबंधित तकनीकी/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक संस्थाओं या किसी अन्य एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।
- (ii) संबंधित तकनीकी/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक संस्थाओं या कोई अन्य एजेंसी, जैसा भी मामला हो, 45 दिनों के भीतर अपने विचार/टिप्पणी/सिफारिश इलेक्ट्रॉनिक रूप से/आनलाइन भेज सकते हैं। यदि

90 दिनों के भीतर कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त होती है तो मानदंड समिति रिकार्ड में उपलब्ध तथ्य के आधार पर अपना मत बना सकती है।

4.15 वचनबद्धता

आवेदक यह वचन देगा कि वह मानदंड समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन करेगा तथा तदनुसार बिना किसी संदेह के निम्नलिखित कार्यवाई करेगा।

- (i) मानदंड समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज के साथ बचाए गए सीमा शुल्क का भुगतान करेगा। तथापि, यदि मानदंड समिति एक, अधिक या सभी निविष्टियों के लिए कम मानदंड की अनुमति देती है तो प्राधिकार पत्र धारक के पास अतिरिक्त अप्रयुक्त निविष्टि के अनुपात में अतिरिक्त निर्यात दायित्व का विकल्प होगा।
- (ii) यदि मानदंड समिति द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, तो प्राधिकार पत्र धारक राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित लागू निविष्टियों पर बचाए गए सीमा शुल्क का, ब्याज सहित भुगतान करेगा। स्वदेशी रुप से खरीदी गई निविष्टियों के मामले में भुगतान की जाने वाली राशि, घरेलू आपूर्तिकर्ता द्वारा सीमा शुल्क/कर/उपकर पर ली गई छूट/रिफंड पर आधारित होगी।
- (iii) यदि निविष्टियां मुक्त रूप से आयात की जाने वाली नहीं है तो आवेदक प्रक्रिया-पुस्तक के पैरा 4.49 (क)(ii) के अनुसार धनराशि जमा करेगा। यह राशि उपर्युक्त उप-पैरा (i) की राशि के अलावा है।

4.16 मानदंड समिति द्वारा मानदंडों का निर्धारण

- (i) सभी मानदंड समितियाँ, मानदंडों के शीघ्र से शीघ्र निर्धारण के लिए प्रयास करेंगी।
- (ii) जिन मामलों में मानदंड समिति या मानदंड समिति में प्रतिनिधित्व वाले तकनीकी प्राधिकारी को अपेक्षित दस्तावेज/सूचना न देने के कारण तदर्थ/मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के निर्धारण के आवेदन को रद्द कर दिया जाता है, वहाँ प्राधिकार पत्र धारक को राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमाशुल्क तथा पैरा 4.49 (क) (ii) के अनुसार राशि का भुगतान करना होगा। यदि उक्त उत्पाद के लिए मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड अधिसूचित है, तो मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड अपशिष्ट मानदण्ड और निर्यात दायित्व निश्चित करने के प्रयोजन हेतु लागू कर दिए जाएंगे।
- (iii) ऐसे मामले जहाँ प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.12 के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदक की हकदारी अग्रिम प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत आवेदक द्वारा आवेदन की गई निविष्टि की मात्रा से कम है तथा निर्यात दायित्व पूरा कर ली जाती है जबकि मानदंड समिति द्वारा मानदंडों का निर्धारण किया जाना लंबित है तो पैराग्राफ 4.12 में यथा उल्लिखित प्राधिकार पत्र की हकदारी विगत प्राधिकार पत्रों के संबंध में निर्यात दायित्व की पूर्ति दर्शाने वाले दस्तावेजी प्रमाण (शिपिंग बिल/निर्यात बिल की प्रतियाँ/सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटी जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित आपूर्ति हेतु कर बीजक) प्रस्तुत करने पर पुनः उनके खाते में डाली जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में मानदंडों के निर्धारित होने तक बांड मुक्त करने/बांड निष्क्रिय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.17 अभ्यावेदन के लिए समय-सीमा

आवेदक मानदंड के निर्धारण के संबंध में मानदंड समिति के निर्णय के विरुद्ध इसके डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 90 दिनों की अवधि में अभ्यावेदन दर्ज कर सकता है। 90 दिनों के बाद अभ्यावेदन दर्ज कराना 5000रु. /— के संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। तथापि मानदंड समिति के निर्णय के विरुद्ध विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट पर निर्णय डालने की तारीख से 12 महीनों की अवधि के बाद अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

4.18 भेषज उत्पादों के लिए प्रावधान

क्षेत्रीय प्राधिकारी गैर-उल्लंघन (एनआई) प्रक्रिया के द्वारा विनिर्मित भेषज उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी कर सकता है। उक्त उत्पाद के लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिऑन) अथवा तदर्थ मानदंड (प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के अनुसार स्वघोषित आधार पर) के उपलब्ध होने या नहीं होने पर भी विनिर्माता निर्यातक इस प्रावधान का लाभ उठा सकता है।

‘विनियमित बाजारों की संबंधित एजेंसी द्वारा यथा अनुमोदित, गैर-उल्लंघन प्रक्रिया के तहत अनुमत निविष्टि संयोजन’ निर्यातक विशिष्ट और देश विशिष्ट होगा और केवल तभी उपलब्ध होगा जब निर्यात उसी देश के लिए हो।

4.19 भेशज उत्पादों हेतु आवेदन की प्रक्रिया

(i) पैरा 4.18 के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन आयात और निर्यात प्रपत्र 4ड. में उसमें अपलोड किए गए दस्तावेजों सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) उत्पाद के विनिर्माण के लिए गैर-उल्लंघन प्रक्रिया के तहत अनुमत निविष्टि संयोजन को प्रत्येक निविष्टि के ब्यौरे और आवेदक के संक्षिप्त रूप नए औषध आवेदन (एएनडीए)/औषध मास्टर फाइल (डीएमएफ) में दी गई इसकी मात्रा के समुचित सत्यापन के बाद चार्टर्ड इंजीनियर (रसायन) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। चार्टर्ड इंजीनियर (रसायन) प्रक्रिया पुस्तक में निर्धारित परिशिष्ट 4ठ के अनुसार ब्यौरे को प्रमाणित करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदन में दिए गए ब्यौरे के अनुसार तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत चार्टर्ड इंजीनियर के प्रमाण पत्र के अनुसार निविष्टियों की आवश्यकता की पुनः सत्यापन करेगा और प्राधिकार पत्र जारी करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसे आवेदन को मानदंड समिति को अग्रेषित नहीं करेगा और क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अनुमत निविष्टि और निर्यात उत्पाद को गैर-उल्लंघन प्रक्रिया के तहत अनुमत निविष्टि संयोजनों के रूप में माना जाएगा।

4.20 प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.18 के तहत जारी प्राधिकार पत्र का मोचन।

उप पैराग्राफ (च) को छोड़कर प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैराग्राफ 4.49 में उल्लिखित प्रावधान लागू रहेंगे। क्षेत्रीय प्राधिकारी गैर-उल्लंघन प्रक्रिया के द्वारा विनिर्मित भेशज उत्पाद (उत्पादों) के लिए जारी प्रत्येक अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे विमुक्ति अथवा बाँड में छूट की अनुमति देने से पहले क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित और प्रमाणित परिशिष्ट-4झ के ब्यौरे से प्राधिकार पत्र में दी गई/अनुमत निविष्टियों के ब्यौरे की तुलना करेगा या चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा क्रॉस अटेस्टेशन के साथ चार्टर्ड इंजीनियर (रसायन) जो प्रक्रिया में उपयोग की गई निविष्टियों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करेंगे। सत्यापन प्रक्रिया के फलस्वरूप यदि यह पाया जाता है कि प्राधिकारी पत्र धारक ने आयात की गई मात्रा की तुलना में कम मात्रा की खपत की है तो प्राधिकार पत्र धारक अप्रयुक्त आयातित माल पर राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमा-शुल्क भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा अथवा निर्यात दायित्व अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्यात करेगा। तथापि, सीमा शुल्क घटक के लिए प्राधिकार पत्र धारक के पास विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के अध्याय 3 के अंतर्गत जारी मान्य ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स प्रस्तुत करने का भी विकल्प होगा।

4.21 प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.18 के तहत जारी प्राधिकार पत्रों हेतु उचित लेखे का रखरखाव

प्रत्येक प्राधिकार पत्र धारक परिशिष्ट 4झ में यथा निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे शुल्क मुक्त आयातित/स्वदेशी रूप से खरीद की गई निविष्टियों की खपत और उपयोग का सही और उपयुक्त लेखे का रखरखाव करेगा या चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा क्रॉस अटेस्टेशन के साथ चार्टर्ड इंजीनियर (रसायन) जो प्रक्रिया में उपयोग प्रविष्टियों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करेंगे। क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित और प्रमाणित, परिशिष्ट 4झ प्रपत्र में यह रिकार्ड विमुक्ति/बाँड में छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे विमुक्ति अथवा बाँड में छूट की अनुमति देने से पहले परिशिष्ट-4झ के ब्यौरे से प्राधिकार पत्र में अनुमत निविष्टियों के ब्यौरे की तुलना करेगा। ऐसे रिकार्डों को निर्यात दायित्व निवर्हन प्रमाण पत्र की तारीख से न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के लिए रखा जाएगा।

4.22 तदर्थ मानदण्डों का मानकीकरण

(क) मानदण्डों के मानकीकरण के लिए, एएनएफ 4ख में सम्पूर्ण आंकड़ों सहित आनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऐसे आवेदन डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति को किए जा सकते हैं।

(ख) मानदंड समिति द्वारा मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ ईंधन के आयात की अनुमति भी दी जा सकती है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों:-

(i) ईंधन के आयात की सुविधा केवल कैप्टिव पावर प्लांट वाले विनिर्माताओं को दी जायेगी।

(ii) उन मामलों में जहाँ ईंधन को विशिष्ट तौर पर मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत अनुमति है, उसे अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत अनुमति दी जाएगी। तथापि, निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत आने वाले उत्पादों के लिए

सामान्य ईंधन नीति के अनुसार ईंधन की अनुमति दी जाएगी या उपर्युक्त पैरा 4.07 के तहत अनुमति दी जाएगी।

- (iii) नये क्षेत्रों के लिए ईंधन हकदारी के निर्धारण के लिए तथा प्रक्रिया पुस्तक में ईंधन हेतु सामान्य टिप्पणी के अनुसार मौजूदा हकदारी के संशोधन के लिए आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 4ख में अपेक्षित डाटा सहित मानदंड समिति को आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

4.23 मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड का संशोधन

डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति को आयात निर्यात प्रपत्र 4ख में मौजूदा मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों में संशोधन के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

4.24 निर्यात मद और निविष्टि का संशोधन

- (i) सिओन अथवा तदर्थ मानदण्ड के अन्तर्गत निर्यात मद अथवा निविष्टि या निविष्टि की मात्रा के संशोधन हेतु निर्यातक आयात निर्यात प्रपत्र 4ख में आनलाइन आवेदन किया जाएगा।
- (ii) आवेदक को संशोधन हेतु औचित्य बताना होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय प्रमुख के विशेष अनुमोदन के साथ इस पर विचार करेगा। निविष्टि में किसी मुख्य परिवर्तन अथवा तदर्थ मानदण्ड अथवा सिओन के तहत अनुमत अधिक अपशिष्ट के लिए आवेदन के मामले में इसे पुष्टि के लिए मानदंड समिति को भेजा जाएगा।

4.25 मानदण्ड समिति द्वारा सिओन का संशोधन

मानदंड समिति ऐसे सिओन की पहचान करेगी, जिनमें उसके विचार से पुनरीक्षण की आवश्यकता है। निर्यातकों को ऐसे पुनरीक्षण के लिए दिए गए आयात निर्यात फार्म 4ख में संशोधित डाटा देना होगा। उद्योग/निर्यातक (निर्यातकों) के लिए यह अनिवार्य है कि सिओन के पुनरीक्षण के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय/ईपीसी को उत्पादन और खपत के आँकड़े आदि उपलब्ध करवाएँ। अन्यथा, आवेदक को अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

4.26 अग्रिम प्राधिकार पत्र का विवरण

अग्रिम प्राधिकार पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट किया जायेगा:

- (क) विनिर्देशनों, जहां लागू हो, सहित आयात और निर्यात/आपूर्ति की जाने वाली मदों का नाम और विवरण;
- (ख) आयात की जाने वाली प्रत्येक मद की मात्रा अथवा जहां कहीं मात्रा नहीं बताई जा सकती, मद का मूल्य बताया जाएगा। जहां कहीं भी मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड में प्रत्येक निविष्टि की मात्रा और मूल्य सीमाकारी कारक है तो वह लागू होगा;
- (ग) आयातों का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य;
- (घ) निर्यात/आपूर्तियों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और मात्रा, और
- (ङ) आयात की वैधता और निर्यात दायित्व अवधि।

4.27 प्राधिकार-पत्र जारी होने से पूर्व और बाद में निर्यात/मान्य निर्यात आपूर्तियों।

- (क) अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए ई डी आई द्वारा तैयार फाइल संख्या जारी करने की तारीख से किए गए निर्यात/आपूर्तियों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकार किया जाएगा। जारी प्राधिकार पत्र के साथ निर्यातों/आपूर्तियों से संबंध स्थापित करने के लिए फाइल संख्या अथवा प्राधिकार पत्र संख्या के साथ पोतलदान/आपूर्ति दस्तावेज पृष्ठांकित करना होगा। निर्यात/आपूर्ति दस्तावेज (दस्तावेजों) में छूट प्राप्त सामग्री/खपत की गई निविष्टियों जैसा भी मामला हो, का ब्यौरा भी होना चाहिए।
- (ख) यदि आवेदन अनुमोदित हो, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख को प्रभावी निविष्टि/उत्पादन मानदंडों के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा। यदि बीच की अवधि (अर्थात् आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि और प्राधिकार-पत्र जारी करने की तिथि) में मानदंडों में परिवर्तन हो जाता है, तो प्राधिकार-पत्र, मानदंडों में संशोधन अधिसूचित किए जाने तक पहले से किए गए अनंतिम निर्यातों/आपूर्तियों के अनुपात में जारी किया जाएगा। निर्यात के शेष हिस्से के लिए, प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख को प्रभावी नीति/प्रक्रिया लागू होगी।

(ग) स्कोमैट मदों का निर्यात प्राधिकार पत्र के प्रति अनुमत नहीं होगा जब तक कि आवेदक द्वारा अपेक्षित स्कोमैट प्राधिकार-पत्र प्राप्त न कर लिया जाए ।

(घ) प्राधिकार पत्र की प्रत्याशा में किए गए निर्यात/आपूर्तियाँ निविष्टियों के लिए पात्र नहीं होंगी।

4.28 निर्यातक जोखिम

अग्रिम प्राधिकार पत्र मिलने की प्रत्याशा में किया गया निर्यात/आपूर्तियाँ पूर्णतः निर्यातक के जोखिम और जिम्मेदारी पर होगा।

4.29 आवेदन के निरस्त होने के द्वाबैक में वापसी की स्वीकार्यता

यदि अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन को क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत अथवा संशोधित किया जाता है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र के अंतर्गत प्रस्तुत पोतलदान बिलों के लिए शुल्क वापसी की अनुमति प्रदान कर सकता है।

4.30 अन्तरवर्ती आपूर्तियों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा डीएफआईए

(क) अन्तरवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस अथवा डीएफआईए की मंजूरी के लिए आवेदन, अग्रिम प्राधिकार-पत्र अथवा डीएफआईए धारक अन्तिम निर्यातक (वास्तविक/मान्य) के साथ पारस्परिक करार के आधार पर दिया जा सकता है। ऐसे अनुरोध पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

(ख) अन्तरवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा डीएफआईए अन्तरवर्ती विनिर्माता द्वारा आपूर्ति की गई मदों के सीधे आयात के लिए अंतिम निर्यातक के प्राधिकार पत्र/निर्यातक को अवैध घोषित करने के बाद जारी किया जाएगा। ऐसे मामले में, अंतिम प्राधिकार पत्र धारक को अवैधीकरण पत्र की एक प्रति दी जाएगी तथा उसकी एक प्रति मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के साथ-साथ मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के क्षेत्रीय प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी। ऐसे मामले में, प्राधिकार पत्र धारक के पास अग्रिम प्राधिकार पत्र/(अथवा अंतिम निर्यातक) अथवा डीएफआईए को अन्तरवर्ती उत्पाद की आपूर्ति करने अथवा सीधे निर्यात (वास्तविक/मान्य) करने का विकल्प होगा। अंतिम निर्यातक (डीएफआईए अथवा अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक) द्वारा निर्यात के पत्तन को सीधे उत्पाद (उत्पादों) की आपूर्ति भी अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता कर सकता है। ऐसे मामलों में शिपिंग बिल फर पृष्ठांकित अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता के नाम के साथ अंतिम निर्यातक का नाम होगा।

(ग) अवैधीकरण-पत्र जारी करने के समय यदि अवैधीकरण-पत्र का अनुरोध सीमाशुल्क पर लाइसेंस के पंजीकरण के बाद किया गया है तो सीमाशुल्क द्वारा जारी किया गया उपयोग प्रमाणपत्र, अवैधीकरण के लिए आवेदन करते समय आयातित मात्रा दर्शाता हुए अवैधीकरण के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यदि अग्रिम प्राधिकार पत्र के अवैधीकरण के साथ आवेदित किया गया है, तो उपर्युक्त साक्ष्य अपेक्षित नहीं है।

(घ) अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता के लिए अग्रिम प्राधिकार की सुविधा उन मामलों में भी उपलब्ध होगी जहाँ अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता ने अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए वाले निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व पूरा करने फर सामग्री की आपूर्ति कर दी है या करना चाहता है जहाँ से अवैधीकरण पत्र जारी किया गया था।

(ङ.) अवैधीकरण पत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा:

(i) आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन;

(ii) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक/डीएफआईए धारक की प्राप्तकर्ता यूनिट का जीएसटीआईएन और पता जहाँ निविष्टियों को प्रसंस्कृत किया जाएगा;

(iii) नाम, विनिर्देशन सहित विवरण, जहाँ लागू हो, और मदों की मात्रा; और

(iv) खरीद की जाने वाली प्रत्येक मद का मूल्य।

4.31 अग्रिम निर्मुक्ति आदेश (एआरओ)

स्वदेशी स्रोतों/एसटीई से निविष्टियों की खरीद करने के लिए एआरओ प्राप्त करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को एएनएफ 4क में आवेदन आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.30 (ग) में यथा उल्लिखित उपर्युक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा, यदि लागू हो।

4.32 एआरओ जारी करने हेतु ओवदन

(क) एआरओ के लिए आवेदन तथा एआरओ में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:

- (i) आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन;
- (ii) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक/डीएफआईए धारक की प्राप्तकर्ता यूनिट का जीएसटीआईएन और पता जहां निविष्टियों को प्रसंस्कृत किया जाएगा;
- (iii) नाम, विनिर्देशन सहित विवरण, जहां लागू हो, और मदों की मात्रा; और
- (iv) खरीद की जाने वाली प्रत्येक मद का मूल्य।
- (v) एमएसएमई द्वारा निर्यात समता मूल्य पर स्टील की घरेलु खरीद के लिए ईईपीसी का निर्यातक (समय-समय पर संशोधित ओ.एम. दिनांक 24.06.2020 के साथ पठनीय इस्पात मंत्रालय के ओ.एम.सं. एस 21016/3/2020-ट्रेड-टैक्स-पार्ट (1) दिनांक 27.05.2020 के अनुसार), जहाँ से स्टील की खरीद की जा रही है वहाँ से घरेलु स्टील के सर्विस सेंटर/डिस्ट्रिब्यूटर/डीलर/घरेलु स्टील/स्टॉकयार्ड का ईईपीसी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित विवरण प्रस्तुत करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी करते समय उसे एओआर पर पृष्ठांकित किया जाएगा।

(ख) एआरओ अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए के साथ या उसके बाद जारी किया जा सकता है और इसकी वैधता अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए की वैधता के साथ सह-समाप्य होगी।

4.33 सह-विनिर्माता/जाबकर्ता/सह लाइसेंस धारक की सुविधा

- (क) आयातित माल प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.10 की शर्त के अधीन अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक या जाबकर्ता/सहविनिर्माता के किसी भी एकक में प्रयुक्त हो सकता है बशर्ते कि उसका पृष्ठांकन क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र में किया गया है। यदि आवेदक किसी विनिर्माता अथवा जाबकर्ता का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ना चाहता है, वह आवेदन कर सकता है। जहाँ अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्यात से पहले आयात एक शर्त है और प्राधिकार-पत्र धारक किसी अन्य विनिर्माता अथवा जाबकर्ता के जरिए सामग्री संसाधित करवाना चाहता है वहाँ ऐसा पृष्ठांकन अनिवार्य होगा।
- (ख) क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे पृष्ठांकन पर, प्राधिकार पत्र धारक और सह-प्राधिकार पत्र धारक संयुक्त रूप से और अलग-अलग निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सह-प्राधिकार पत्र धारक में से कोई एक माल का आयात अपने नाम अथवा संयुक्त नाम से कर सकता है। उनके संयुक्त नाम में बैंक गारण्टी/विधिक बचनबद्धता भी प्रस्तुत की जाएगी।
- (ग) यदि प्राधिकार पत्र धारक जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र के पृष्ठांकन के बदले सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटी जीएसटी नियमावली के अनुसार क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय द्वारा पृष्ठांकित जाबकर्ता के नामों को प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि प्राधिकार पत्र धारक विनिर्माता निर्यातक जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है/पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, वहां संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से प्राधिकार पत्र में सहायक विनिर्माता के नाम के पृष्ठांकन के पश्चात जाब वर्क की अनुमति होगी। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक आयातित मदों और निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

4.34 बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति

- (क) प्राधिकार पत्र धारक प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.29 की शर्तों के अनुसार बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता, जैसा भी मामला हो, का निष्पादन करेगा।
- (ख) यदि बैंक गारण्टी/विधिक वचन बद्धता विमुक्त कर दी गयी है, तो अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, जीएसटी अधिनियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित जाब कार्य विनियमन के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन किसी विनिर्माता से शुल्क मुक्त निविष्टियों का प्रसंस्करण करा सकता है और इस संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारी को सूचित करेगा। तथापि, हस्तांतरणीय डीएफआईए धारक के मामले में ऐसे प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

4.35 पंजीकरण का पत्तन

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र नीचे विनिर्दिष्ट किसी खूत्ण समुद्र पत्तन या वायुपत्तन अथवा आई सी डी अथवा एल सी एस के माध्यम से आयात और निर्यात के प्रयोजन के लिए जारी किया जाएगा। प्राधिकार पत्र धारक, पोर्ट पर प्राधिकार पत्र पंजीकृत करेगा। प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार में विनिर्दिष्ट पत्तन पर प्राधिकार पत्र को पंजीकृत करेगा और उसके बाद उस प्राधिकार पत्र के प्रति सभी आयात तब तक केवल उसी पत्तन से करेगा जब तक कि वह उस पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी से किसी दूसरे विशिष्ट पत्तन के माध्यम से आयात करने की अनुमति नहीं ले लेता। तथापि, निर्यात किसी भी एक विनिर्दिष्ट पत्तन के माध्यम से किया जा सकता है।

समुद्री पत्तन

बेदी (रोजी.जामनगर सहित), चेन्नई, दाहेज, धरमतार, घामरा, दिधी, इन्नौर, (तमिलनाडु), हल्दिया, हजिरा, (सूरत जामनगर, काकीनाडा, कांडला, कट्टुपल्ली समुद्री पत्तन (तमिलनाडु), कोच्चि, कोलकाता, कृष्णापत्तनम, मंगलौर, मारमागोवा, मुल्हारका, मुम्बई, मुन्धा, नागापट्टिनम, न्हावाशेवा, ओखा, पारादीप, पीपावाव, पोरबंदर, सिक्का, सूरत (मगदल्ला), तुतीकोरीन, वदिनार, विशाखापत्तनम।

वायु पत्तन:

अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, कालीकट हवाईअड्डा (केरल), चेन्नई, कोयम्बटूर एयर कार्गो परिसर, डबोलिम (गोवा), दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, (अमौसी), मुम्बई, नागपुर, राजासांसी (अमृतसर), श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, विशाखापट्टिनम।

आईसीडी:

आगरा, अहमदाबाद, अनापार्थी, अरक्कोनाम (तमिलनाडु), बंगलौर, बाबरपुर, भदोही, भटिण्डा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, भूसावल, चेट्टीपलयम (तमिलनाडु), छेहराटा (अमृतसर), कोयम्बटूर, दादरी, दिल्ली, दीघी (पुणे), दप्पर, डेरा बस्सी, धन्नाद राऊ (इंदौर जिला), दौलताबाद, (वंजारवाड़ी और मालीवाड़ा), दुर्गापुर (निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क), फरीदाबाद, गढ़ी हरसाव, गुंटूर, गुवाहाटी (अमीनगाँव), हैदराबाद, इरुगुर गाँव (तमिलनाडु) जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, जोधपुर, कलिंगानगर और तुम्ब गाँव (तालुका उम्बरगाँव, जिला वलसाड), कानपुर, करूर, खेड़ा (पिथमपुर, धार जिला), कोटा, कुंडली, लोनी (जिला गाजियाबाद), लुधियाना, मदुरै, मल्लनपुर, मांडीदीप (जिला रायसेन), मेरीपलम, गुंटूर जिला (आन्ध्र प्रदेश), मिराज, मोरादाबाद, नागपुर, नासिक, पिम्परी (पुणे) पीतमपुर (इंदौर), पातली (गुडगाँव), पांडिचेरी, रायपुर, रेवाड़ी, रूद्रपुर (नैनीताल), सेलम, सिंगनालुर, सूरजपुर, सूरत, तालेगाँव (जिला पुणे), थूडियालूर (तमिलनाडु), तिरुपुर, तोडियारपेट (टीएनपीएम) तुतीकोरीन, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, वीरापंडी (तमिलनाडु), वालूज (औरंगाबाद), होसुर (तमिलनाड) और नाट्टकम (कोट्टयम तालुका और जिला)

एलसीएस:

अगरतला, अमृतसर रेल कार्गो, अटारी, चेंगराबंदत्, दावकी, घोजाडांगा, हिली, जोगबनी, महादीपुर, नौतनवा (सोनौली) नेपाल गंज रोग्, पेट्रापोल, रानाघाट, रक्सौल, सिंघावा, सूतरखंडी

एसईजेड:

केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई भी एस ई जेड आयात एवं निर्यात के लिए निर्दिष्ट पत्तन हो सकता है।

(ख) सीमाशुल्क आयुक्त, किसी अन्य समुद्री पत्तन/वायु पत्तन/आईसीडी या एससीएस से आयात की अनुमति दे सकता है।

(ग) पंजीकरण पत्तन के अलावा किसी वायु पत्तन/समुद्री पत्तन/आई सी डी/एलसीएस से आयात के लिए, पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी को टेलीग्राफिक रिलीज सलाह (टीआरए) जारी किया जाएगा। तथापि टीआरए की यह आवश्यकता अपेक्षित नहीं होगी यदि पंजीकरण का पत्तन और आयात का (के) पत्तन ई डी आई समर्थित है और प्राधिकार पत्र धारक ने अपना प्राधिकार पत्र पंजीकृत करवाया है।

(घ) एसईजेड से खरीद के लिए, जहां सीमा शुल्क द्वारा कोई टीआर जारी नहीं किया गया है, वहां क्षेत्रीय प्राधिकारी, "प्रत्यक्ष आयात के लिए अमान्य" आयात मद बनाने के बाद, अनुरोधित मद के लिए पैरा 4.30 (ड.) में दिए अनुसार विवरण युक्त, "एसईजेड से आपूर्ति का प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है। "एसईजेड से आपूर्ति का प्रमाण-पत्र" प्रमाण-पत्र धारक,

एसईजेड आपूर्तिकर्ता इकाई, एसईजेड में नामित अधिकारी और संबंधित बन्दरगाह सीमाशुल्क अधिकारी को प्रत्येक को एक प्रति के साथ चार प्रतियों में चिन्हित किया जाएगा। उपर्युक्त प्रमाणपत्र को प्राधिकार-पत्र के लिए ऑनलाइन संशोधन के रूप में जारी किया जाएगा और जारी किए गए प्राधिकार-पत्र के उपयोग की पुष्टि करने के बाद प्रेषित किया जाएगा यदि यह पहले से ही प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन के समय सीमा शुल्क के पास पंजीकृत है। आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी को किया जाएगा, जहाँ से प्राधिकार-पत्र सादे कागज़ पर जारी किया है, जिसमें इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.30 (ग) और पैरा 4.34 में विवरण उल्लिखित है।

4.36 प्राधिकार पत्रों को मिलाने (क्लबिंग) की सुविधा

- (i) 31 मार्च, 2009 को या इससे पहले जारी किए गए प्राधिकार पत्रों को कोई क्लबिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ii) क्लबिंग हेतु अनुरोध एएनएफ-4ग में उस संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया है, को करना होगा।
- (iii) अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा ऐसे प्राधिकार पत्रों के विमोचन/नियमितीकरण हेतु ही उपलब्ध होगी तथा आगे किसी आयात अथवा निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (v) क्लबिंग की सुविधा विदेश व्यापार नीति 2009-14, 2015-20 और 2023 की अवधि के दौरान जारी वार्षिक आवश्यकताओं हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्रों के लिए उपलब्ध होगी, जहां कही भी निर्यात एवं आयात मानक निविष्ट उत्पाद मानदंड (सिओन) के अनुसार निर्यात और आयात हुआ हो।
- (vi) क्लबिंग के लिए केवल प्राधिकार पत्रों की अनुमति होगी जिनके तहत सदृश शुल्क छूट का लाभ की लिया गया है। ऐसे प्राधिकार पत्र अलग-अलग वित्तीय वर्ष के हो सकते हैं।
- (vii) केवल ऐसे प्राधिकार-पत्रों को ही क्लब किया जाएगा जो पहले के प्राधिकार-पत्र जिन्हें क्लब किया जाने है, के जारी करने की तारीख से 18 महीनों के भीतर जारी किए गए हैं चाहे ऐसे प्राधिकार-पत्र मान्य हैं या नहीं हैं। यह इस शर्त के अधीन है कि केवल पहले के प्राधिकार-पत्र के जारी होने की तारीख से 30 महीनों के भीतर आयात पर ही क्लबिंग पर विचार किया जाएगा। पहले के प्राधिकार-पत्र के 30 महीनों के बाद किए गए किसी भी आयात को प्रक्रिया-पुस्तक के पैरा 4.49 के तहत नियमित किया जाएगा।
- (viii) प्रत्येक प्राधिकार पत्रों के निर्यात दायित्व अवधि/विस्तार के दौरान किया गए निर्यात (प्रक्रिया-पुस्तक के पैरा 4.40 के प्रावधानों के अनुसार संघटन शुल्क के भुगतान के बाद) को क्लब किया जाएगा।
- (ix) क्लब करने पर, यदि मूल्य या मात्रा में कमी देखी जाती है, तो वही प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.49 के प्रावधानों के तहत नियमित किया जाएगा।
- (x) अलग-अलग निर्यात दायित्व अवधि के साथ जारी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की भी अनुमति होगी।
- (xi) निविष्टियों जो सभी प्राधिकार पत्रों के लिए सामान्य है, को ही क्लब किया जाएगा और सिऑन/मानदंड समिति द्वारा निर्धारित तदर्थ मानदंडों के अनुसार शुल्क मुक्त निविष्टियों का हिसाब किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, सभी प्राधिकार पत्रों में शामिल सभी निविष्टियों का समान होना आवश्यक नहीं है।
- (xii) क्लबिंग करने पर निर्यात उत्पाद के लिए विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाओं में यथा निर्धारित न्यूनतम मूल्य वर्धन को बनाए रखना होगा।
- (xiii) क्लबिंग के बाद प्राधिकार पत्रों को सभी प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकार पत्र के रूप में मान्य माना जाएगा। प्राधिकार पत्रों को क्लब करने के बाद परिकलित कुल सीआईएफ और कुल एफओबी के आधार पर मूल्य संवर्धन की गणना की जाएगी।
- (xiv) पहले के प्रावधानों के अनुसार क्लबिंग के सभी मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा।
- (xv) उन प्राधिकार पत्रों के संबंध में किसी क्लबिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी को किसी गलत तथ्य/धोखा की जानकारी मिलती है। इसके अलावा, उन प्राधिकार पत्रों को क्लब करने की अनुमति नहीं होगी जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा ईओडीसी/मोचन पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है या न्यायनिर्णय आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है।

(xvi) परिशिष्ट-30क (एफटीपी 2009-14 के तहत जारी) परिशिष्ट-4त्र (एफटीपी 2015-20 और विदेश व्यापार नीति-2023 के तहत जारी) के अंतर्गत शामिल प्राधिकार पत्रों तथा 18 महीने से कम ईओपी के साथ जारी प्राधिकार पत्रों को क्लब करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान:

(क) क्लब किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी भी प्राधिकार पत्रों में क्लब किए गए प्राधिकार पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि की गणना सबसे पहले किए गए आयात की तारीख से की जाएगी।

(ख) ऐसे प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी निर्यात क्लब किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी भी प्राधिकार पत्रों में सबसे पहले किए गए आयात की तारीख से गणना की गई प्रारंभिक/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि के भीतर पूरे किए जाते हैं।

4.37 अग्रिम प्राधिकार पत्र के मूल्य में वृद्धि/कमी

(क) अग्रिम प्राधिकार के संबंध में, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (अपनी वित्तीय शक्तियों के अनुसार) निम्न हेतु आवेदनों पर विचार कर सकता है :

(i) अग्रिम प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य में वृद्धि/कमी करने के लिए;

(ii) लागत बीमा भाड़ा मूल्य में वृद्धि/कमी, निविष्टियों की मात्रा, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और अग्रिम प्राधिकार पत्र के निर्यात की मात्रा। तथापि, ऐसी वृद्धि के बाद मूल्य संवर्धन विदेश व्यापार नीति और इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया पुस्तक में (निर्यात उत्पाद हेतु) निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से कम नहीं आता तथा निविष्टि उत्पादन मानदण्डों और विदेश व्यापार नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया हो जिसके अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी किया गया था।

(ख) मूल्य और मात्रा में यथानुपातिक वृद्धि हेतु आवेदन निर्यात से पूर्व या बाद में किया जा सकता है। उन मामलों में जहाँ उक्त उत्पाद के निर्यात से पूर्व मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों में परिवर्तन किया गया हो, संशोधित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों पर हकदारी की गणना करने के बाद यथानुपातिक वृद्धि प्रदान की जाएगी।

(ग) प्राधिकार पत्र के सीआईएफ अथवा एफओबी के मूल्य में वृद्धि/प्राधिकार पत्र के मूल्य में कमी ईओपी को बढ़ाने/प्राधिकार पत्र के पुनः वैधीकरण के लिए, क्षेत्रीय प्राधिकारी को आयात निर्यात प्रपत्र 4घ में ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।

4.38 वृद्धि के लिए आवेदन शुल्क

वृद्धि के लिए लगने वाला आवेदन शुल्क मूल और अन्तिम प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के अन्तर पर लगेगा। तथापि, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यदि प्राधिकार पत्र के मूल्य को कम किया जा रहा हो अथवा आवेदक ने अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए के लिए पहले ही अग्रिम प्राधिकार पत्र/ डीएफआईए हेतु अधिकतम शुल्क 100,000 रुपये जमा किए हैं।

4.39 आयात के लिए वैधता अवधि और प्राधिकार पत्र का पुनःवैधीकरण

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र के आयात के लिए वैधता अवधि प्राधिकार पत्र के जारी किए जाने की तारीख से 12 माह के लिए होगी।

(ख) एफटीपी के अध्याय-7 के तहत आपूर्तियों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र की वैधता परियोजना के निष्पादन की संविदा अवधि की सह-मियादी होगी अथवा प्राधिकार पत्र जारी किए जाने की तारीख से 12 माह, जो भी बाद में हो, के लिए होगी।

(ग) उपर्युक्त पैरा 4.39 (ख) के तहत शामिल न किए गए अग्रिम प्राधिकार-पत्रों हेतु समाप्ति की तिथि से 12 माह तक केवल एक पुनर्वैधीकरण अनुमत होगा। ऐसे प्राधिकार-पत्रों हेतु आगे कोई पुनर्वैधीकरण अनुमत नहीं होगा। ऐसे किसी पुनर्वैधीकरण हेतु आवेदनों को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऑन लाईन प्रस्तुत किया जाएगा।

4.40 निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि और इसका विस्तार

- (क) अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से 18 माह के लिए होगी अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से आरंभ होगी, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।
- (ख) एफटीपी के अध्याय-7 के तहत भारत में परियोजनाओं को अथवा विदेश की परियोजनाओं को आपूर्तियों के मामले में निर्यात दायित्व अवधि परियोजना के पूरा होने की संविदा अवधि की सह मियादी होगी, अथवा 18 माह की होगी, जो भी अधिक हो।
- (ग) रक्षा, सैन्य भंडार, एयरोस्पेस और परमाणु ऊर्जा की श्रेणी में आने वाली मदों की निर्यात दायित्व अवधि प्राधिकार पत्र जारी किए जाने की तारीख से 24 माह के लिए अथवा निर्यात आदेश की संविदा अवधि की सह-मियादी होगी, जो भी अधिक हो।
- (घ) परिशिष्ट-4अ के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की निर्धारित निर्यात दायित्व अवधि के अधिकतम आधे से अधिक अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में संयोजन शुल्क निम्नानुसार यथा निर्धारित तरीके से लगाया जाएगा।

जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए) लाईसेंस का सीआईएफ मूल्य	लगाए जाने वाला संयोजन शुल्क (भारतीय रु. में)
2 करोड़ रुपये तक	5,000
2 करोड़ रुपये से अधिक 10 करोड़ तक	10,000
10 करोड़ से अधिक	15,000

- (ङ) क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से छः माह तक के लिए निर्यात दायित्व अवधि के एक विस्तार हेतु किए गए अनुरोध पर विचार कर सकता है, निम्नानुसार यथा निर्धारित संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।

अग्रिम प्राधिकार पत्र का सीआईएफ मूल्य	लगाए जाने वाला संयोजन शुल्क (भारतीय रु. में)
2 करोड़ रुपये तक	5,000
2 करोड़ रुपये से अधिक 10 करोड़ तक	10,000
10 करोड़ से अधिक	15,000

प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि जिसमें यह बताना होगा कि अप्रयुक्त आयातित/स्वदेशी रूप से खरीदी गई निविष्टियां आवेदक के पास उपलब्ध हैं।

- (च) पहले विस्तार के पश्चात् छः माह के अतिरिक्त विस्तार, जैसा कि ऊपर (ङ.) में दिया गया है, पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार यथा निर्धारित संयोजन शुल्क के भुगतान के अधिन विचार किया जा सकता है।

अग्रिम प्राधिकार पत्र का सीआईएफ मूल्य	लगाए जाने वाला संयोजन शुल्क (भारतीय रु. में)
---------------------------------------	--

2 करोड़ रुपये तक	10,000
2 करोड़ रुपये से अधिक 10 करोड़ तक	20,000
10 करोड़ से अधिक	30,000

क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा कोई भी आगे का विस्तार अनुमत नहीं होगा। तथापि, 6 माह प्रत्येक के केवल दो विस्तार जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, की अनुमति संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन दी जा सकती है तथा किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से 12 माह के पश्चात् कोई विस्तार नहीं प्रदान करेगा। दूसरे निर्यात दायित्व विस्तार हेतु आवेदन फाइल करते समय प्राधिकार पत्र धारक द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को एक स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह बताना होगा कि अप्रयुक्त आयातित/स्वदेशी रूप से खरीदी गई निविष्टियाँ आवेदक के पास उपलब्ध है।

(छ) जब भी किसी उत्पाद के निर्यात पर रोक/प्रतिबंध लगाया जाता है, तो प्रतिबंध लगाने से पहले ही जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में निर्यात दायित्व अवधि स्वचालित रूप से प्रतिबंध की अवधि के समतुल्य अवधि के लिए बिना किसी संयोजन शुल्क के बढ़ा दी जाएगी।

(ज) एचबीपी (2023) के पैरा 4.40 के तहत ईओपी विस्तार के लिए संशोधित संयोजन शुल्क केवल 01.01.2023 को या उसके बाद किए गए अनुरोधों के लिए लागू होगा। हालांकि मौजूदा/लंबित आवेदन एचबीपी (2015-20) के पहले के प्रासंगिक प्रावधान द्वारा अभिशासित होंगे।

(झ) सभी अग्रिम प्राधिकार-पत्र जहां निर्यात दायित्व अवधि दिनांक 01.02.2020 और 31.07.2020 के बीच समाप्त हो रही है, तो निर्यात दायित्व अवधि समाप्ति की तिथि से छह माह की अवधि हेतु स्वतः बढ़ा दी जाती है। इस प्रयोजन हेतु संयोजन शुल्क, संशोधन/पृष्ठांकन के साथ किसी अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं है। इस प्राधिकार पत्रों हेतु अपनी पात्रता के अनुसार इस अवधि से परे इस पैरा के तहत वैधता को आगे बढ़ाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

(ञ) (क) अग्रिम प्राधिकार-पत्रों हेतु जहां मूल अथवा विस्तृत निर्यात दायित्व (ईओ) दिनांक 01.08.2020 और 31.07.2021 के दौरान समाप्त हो रहा है, निर्यात दायित्व अवधि बिना किसी संयोजन शुल्क के दिनांक 31.12.2021 तक आगे बढ़ाई जाएगी। तथापि यह विस्तार वास्तविक/विस्तृत निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तिथि पर शेष निर्यात दायित्व पर मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) में 5 प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात दायित्व के अधीन है।

(ख) इस पैरा 4.40 (घ), (ड.) (च) के अंतर्गत संयोजन शुल्क को भुगतान करने पर निर्यात दायित्व अवधि को बढ़ाने का विकल्प इन प्राधिकार-पत्रों के पास अपनी पात्रता के अनुसार उपलब्ध रहेगा।

(ग) ऐसे मामले जहां अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारक ने पहले ही संयोजन शुल्क का भुगतान करने पर निर्यात दायित्व अवधि को बढ़ा लिया है तो संयोजन शुल्क के रिफंड की अनुमति नहीं होगी।

(ट) सभी पीआरसी निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु जिसमें ईओपी की अवधि को आगे बढ़ाने तथा/अथवा पहले से किए निर्यात के नियमितीकरण को अनुमत करते समय संयोजन शुल्क लेवी करना शामिल है, लागू संयोजन शुल्क को निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:-

अग्रिम प्राधिकार-पत्र का सीआईएफ मूल्य	लगाए जाने वाली संयोजन शुल्क
2 करोड़ रु. तक	25,000
2 करोड़ रु. से 10 करोड़ रु. तक	50,000
10 करोड़ रु. से अधिक	1,00,000

पूर्व में भुगतान की गई संयोजन शुल्क का कोई रिफंड देना अनुमत नहीं होगा।

4.41 निर्यात खेप हेतु अनतिम स्वीकृति

सीमाशुल्क कार्यालय निर्यात खेप की अस्थायी निकासी की अनुमति दे सकता है जब प्राधिकार पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्यात दायित्व बढ़ाने के लिए आवेदन किये जाने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।

4.42 अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात

राजस्व विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयातित माल के दोषपूर्ण तथा उपयोग हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर, पुनः निर्यात किया जा सकता है। प्राधिकार पत्र धारक को ऐसे दोषपूर्ण माल के पुनः निर्यात से पहले उस क्षेत्रीय प्राधिकारी को सूचित करना होगा, जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया है।

4.43 निर्यात दायित्व की मानीटरिंग

- (क) क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसके साथ अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा विधिक वचनबद्धता निपादित की गई है, निर्यात दायित्व की मानीटरिंग करने के लिए वह एक मास्टर रजिस्टर में दायित्व अवधि प्रारंभ होने और समाप्त होने की तारीख और अन्य विवरणों का उचित रिकार्ड रखेगा। इसके अलावा इस सूचना को कम्प्यूटर प्रणाली में डालकर पुस्तक के रूप में रखरखाव किया जा सकता है।
- (ख) दायित्व की अवधि समाप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर प्राधिकार पत्र धारक, प्राधिकार पत्र के मद्दे पोतलदान बिलों का ब्यौरा जोड़कर आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा। ऐसा करने में असमर्थ होने पर क्षेत्रीय प्राधिकारी कारण बताओं नोटिस जारी कर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अनुसार कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।
- (ग) ईओडीसी आवेदन की ऑनलाईन फाइलिंग के मामले में निर्यातक डीजीएफटी ऑनलाईन, प्रणाली में निर्यातक सभी निर्यातों को फाईल संख्या/प्राधिकार-पत्र संख्या को संबंधित शिपिंग बिल सं./निर्यात बिल/मान्य निर्यात के मामले में बीजक/सीजीएसटी/एसजीएसटी /यूटीजीएफटी नियमों के अंतर्गत निर्धारित आपूर्तियों हेतु कर बीजकों को लिंक करेगा।
- (घ) एफटीपी के अध्याय-7 के अंतर्गत गैर ईडीआई पोतलदान बिलों तथा आपूर्तियों के मामले में निर्यातक डीजीएफटी की वेबसाइट पर निर्यात दायित्व की अवधि के समाप्त होने की तिथि से दो महीनों के भीतर सभी संबंधित विवरण को मैन्युअल रूप से जारी करेगा। पोतलदान बिलों की प्रतियों को निर्यात दायित्व को पूरा करने की अंतिम तिथि से दो मास की अवधि के भीतर सत्यापन हेतु संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कोई आवेदक किसी निर्धारित दस्तावेज को अपलोड नहीं कर सकता है, तो इन दस्तावेजों को वास्तविक रूप में संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (ङ) ई.बीआरसी/आरबीआई के ईडीपीएसएम से डीजीएफटीआईटी की प्रणाली में जहां भी उपलब्ध हो निर्यात आय को निर्यात दायित्व को पूरा करने/प्राप्ति की अंतिम तिथि अथवा आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा को भुनाने की निर्धारित अवधि के अनुसार इन पोतलदान बिलों से लिंक किया जाएगा। उक्त अवधि के समाप्त होने तक ई.बीआरसी/आरबीआई के ईडीपीएमएस से डीजीएफटी की आईटी प्रणाली में जहां भी उपलब्ध हो निर्यात आय को प्रस्तुत न करने पर क्षेत्रीय प्राधिकरण कोई कार्रवाई नहीं करेगा बशर्ते निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने की पुष्टि करने हेतु अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों।
- (च) यदि निर्यात दायित्व को पूरा करने अथवा संबंधित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में प्राधिकार पत्र धारक असफल रहता है, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी आगे प्राधिकार पत्र देने की मनाही, प्राधिकार पत्र की शर्त तथा वचनबद्धता को लागू करने संबंधी कार्यवाही कर सकता है जिसमें देशी निर्यातक को आगे प्राधिकार पत्र जारी करने से इंकार करना शामिल है।

4.45 वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

(क) ऐसे प्राधिकार पत्रों के लिए पात्र निर्यातक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आयात निर्यात प्रपत्र 4क में ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऊपर दिए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र पर लागू सभी प्रावधान निम्नलिखित को छोड़कर लागू होंगे:

- (i) छूट प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल करने वाले निर्यात उत्पाद समूह के अन्तर्गत आने वाले किसी उत्पाद का निर्यात करने की प्राधिकार पत्र धारक को छूट प्राप्त होगी।
- (ii) पात्रता हकदारी के भीतर, निर्यातक किसी एक लाइसेंसिंग वर में एक या अधिक प्राधिकारों के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते पंजीकरण के एक पत्तन के मद्दे उसी उत्पाद समूह के लिए पाँच से अधिक प्राधिकार पत्र जारी नहीं किए गए हों। प्राधिकार पत्र की एक बारगी वृद्धि/कटौती उपलब्ध होगी।

(iii) एक लाइसेंसिंग वर्ष में एक अथवा अधिक प्राधिकार पत्रों के प्रति निर्यात दायित्व पूरा होने पर निर्यातक की हकदारी, उस लाइसेंसिंग वर्ष के लिए प्राधिकार पत्र के मद्दे निर्यात दायित्व पूरा होने के बराबर राशि तक पुनः जीवित मान ली जाएगी।

(iv) ऐसे निर्यात उत्पाद जिनका सिओन नहीं है उनके लिए वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा जहां सिओन निर्धारित है परंतु निविष्टि 4ज में सूचीबद्ध है तो अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत कोई निर्यात नहीं किया जाएगा।

(ख) प्राधिकार पत्र के मद्दे आयात खेप की निकासी के समय निर्यातक निम्नलिखित निविष्टियों के संबंध में तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विशेष विवरण का उल्लेख करेगा जिसे सीमा

शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित आगत बिल/बीजक में पृष्ठांकित किया जाएगा।

“एलाय स्टील, स्टेनलेस स्टील, कापर एलाय, सिंथेटिक रबर, बीयरिंग्स सॉल्वेंट्स परफ्यूम्स/ सुगंधित तेल/ एरोमैटिक्स रसायन, सरफेक्टेंट्स, सम्बद्ध फ़ैब्रिक्स और संगमरमर।”

4.45 निर्यात एवं आयात का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय-61 और 62 के तहत शामिल परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र

(i) निर्यात एवं आयात का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय-61 और 62 के तहत शामिल परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र संबंधी नीति विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.04क में निर्धारित की गई है।

(ii) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.05, 4.06, 4.07, 4.10, 4.11, 4.12 (v) और (vi), 4.21, 4.24, 4.25, 4.26, 4.29, 4.33, 4.34, 4.35, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.46, 4.47(ख), 4.49, 4.50, 4.51 के प्रावधान इस स्कीम पर लागू होंगे जब तक कि वे इस स्कीम के असंगत न हो जाएँ।

4.46 निर्यात दायित्व की पूर्ति

प्राधिकार पत्र धारक, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को एएनएफ 4च में आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करेगा।

4.47 विमुक्ति/गैर बंध प्रमाण पत्र

(क) **बॉण्ड से छूट:** यदि प्राधिकार पत्र धारक आयातित निविष्टियों/स्वदेशी रूप से अधिप्राप्त कच्चे माल का प्रयोग करके पहले निर्यात करता है (आयात करने से पहले) तो ऐसे मामले में प्राधिकार-पत्र धारक किए गए निर्यात तथा इसे प्राप्त भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करके बाण्ड शर्त से छूट की मांग कर सकता है। यदि किया गया निर्यात प्राधिकार पत्र में निर्धारित निर्यात दायित्व से कम है तो यथानुपात आधार पर बाण्ड शर्त से छूट के अनुरोध पर भी विचार किया जा सकता है।

(i) ऐसे अनुरोध के लिए आवेदक को पोतलदान बिलों और ई.बी.आर.सी डीजीएफटी आईटी प्रणाली में जहां भी उपलब्ध हो आरबीआईडीपीएमएस से निर्यात आय को संलग्न करके आनलाइन आवेदन करना होगा। एएनएफ 4च में निर्धारित अन्य दस्तावेजों की स्कैंड प्रति भी अपलोड करनी होगी। मान्य निर्यात या गैर-ईडीआई पत्तनों से निर्यात के मामले में ई-बीआरसी डीजीएफटी आईटी प्रणाली में जहां भी उपलब्ध हो आरबीआईडीपीएमएस से निर्यात आय को छोड़कर वास्तविक रूप में आनलाईन आवेदन का संदर्भ देते हुए निर्यात/आपूर्ति के प्रमाण हेतु दस्तावेजों को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) यदि निर्यात दायित्व पूरा कर लिया गया है, क्षेत्रीय प्राधिकारी एक बांड से छूट प्रमाण-पत्र (बीडब्ल्यूसी) जारी करेगा और बांड से शर्त में छूट को अनुमत करते हुए, प्राधिकार पत्र के पंजीकरण के पत्तन पर, पोतलदान बिल (बिलों की संख्या), तिथि (तिथियों), पोतलदान बिल (बिलों) के अनुसार भारतीय रुपयों में एफओबी मूल्य और विचारार्थ पोतलदान के संबंध में निर्यात उत्पाद के विवरण संबंधी विवरणों को संलग्न करते हुए सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को एक प्रति संलग्न करेगा। बांड की ऐसी छूट सीमा.शुल्क अधिकारियों को सीमा.शुल्क विभाग की अधिसूचना के अनुसरण में नहीं रोकेगी।

- (iii) ऐसे निर्यात के लिए बॉण्ड की छूट देते हुए क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में उपभोग की गई निविष्टियों की पुनः पूर्ति के लिए पृष्ठांकन की तारीख से छः माह की अवधि के लिए प्राधिकार पत्र को मान्यता दे सकता है, बशर्ते कि आवेदक ने एएनएफ 4घ में विशेष अनुरोध कर रखा हो तथा पुनः मान्यकरण हेतु अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर रखा हो। आगे यह इस शर्त के अधीन होगा कि आवेदक ने प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.39(ग) के अनुसार पहले पुनः मान्यकरण प्राप्त नहीं किया था। इस पैरा के तहत अनुमत पुनः मान्यकरण सहित प्राधिकार पत्र की वैधता की अधिकतम अवधि प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से 24 माह से अधिक नहीं होगी।
- (iv) क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा बांड से छूट प्रमाणपत्र की एक प्रति पंजीकरण के पत्तन पर सीमा शुल्क विभाग को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

(ख) निर्यात दायित्व विमुक्ति प्रमाण-पत्र (ईओडीसी):

- (i) प्राधिकार-पत्र धारक निर्यात एवं आयात के पूरा होने पर एएनएफ-4च में एक आनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा जैसा कि उपरोक्त (क) (i) में दिया गया है। ऐसे मामलों में, यदि निर्यात दायित्व की पूर्ति कर ली गई है, क्षेत्रीय प्राधिकारी, प्राधिकार-पत्र धारक को एक ईओडीसी/मोचन प्रमाणपत्र जारी कर सकता है और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्राधिकार के पंजीकरण के पत्तन पर निर्यात दायित्व की पूर्ति का प्रमाण देते हुए जैसा कि उपरोक्त पैरा (क) में दर्शाया गया है, निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण के उन विवरणों को दर्शाते हुए एक प्रति अग्रेषित कर सकता है।
- (ii) क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ईओडीसी की एक प्रति पंजीकरण के पत्तन पर ईडीआई तरीके के माध्यम से सीमा शुल्क विभाग को पृष्ठांकित की जाएगी। जिसके परिणामस्वरूप संबंधित प्राधिकारी द्वारा आगे दस्तावेजों को मंगवाने और इनकी जांच करने की आवश्यकता न पड़े।

(ग) सामान्यतः बैंक गारंटी/कानूनी वचनबद्धता का मोचन करना सीमा शुल्क विभाग को यादृच्छिक आधार पर जांच करने तथा प्राधिकार-पत्र धारक के विरुद्ध गलत ब्यानी, गलत घोषणा और बाद में सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार पाई गई चूक करने हेतु कार्रवाई करने से नहीं रोकता है।

(घ) क्षेत्रीय प्राधिकारी विधिवत रूप से भरे हुए परिशिष्ट-4ज और 4झ को न सौंपने के मामले में जैसा कि नीचे दिए गए पैराग्राफ 4.51 में निर्धारित किया गया है अथवा तदनुसार परिशिष्ट-4 ज और 4झ में घोषित और प्रस्तुत किए गए विवरणों में किसी गलतबयानी, गलत घोषणा अथवा पता लगाई गई चूक के लिए प्राधिकार-पत्र धारक के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। इस संबंध में क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा मोचन प्रमाणपत्र में पृष्ठांकन किया जाएगा।

4.48 31.03.2023 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के लिए परिवर्ती व्यवस्था

- (क) 31.03.2023 तक जारी वार्षिक जरूरतों हेतु अग्रिम लाइसेंसों सहित अग्रिम लाइसेंस समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड.1 (आर ई 2001) के अध्याय-7, 31.03.2002 को यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (2002-2007) के अध्याय 4 तथा 31.08.2004 को यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड.1 (2004-2009) के अध्याय-4, 27.08.2009 को यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (2009-14) के अध्याय-4 और 01.04.2015 को यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक (2015-20) अध्याय 4 में उल्लिखित संबंधित प्रावधानों द्वारा शासित होंगे, सम्बंधित प्रावधान निर्यात दायित्व अवधि को जोड़ने और उसके विस्तार पर लागू नहीं होंगे, जो उपर्युक्त पैरा क्रमशः 4.36 और 4.40 के प्रावधानों और डी जीएफटी द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रावधान द्वारा शासित होंगे।

- (ख) जिन मामलों में अप्रयुक्त माल पर सीमाशुल्क देय है, वह उस पर राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज सहित देय होगा।

4.49 वास्तविक चूक का विनियमन

निर्यात दायित्व को पूरा करने में यदि वास्तविक चूक हो जाती है तो उस मामले में क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित तरीकों से विनियमन किया जा सकता है:-

- (क) यदि निर्यात दायित्व मूल्य के अनुसार पूरा किया गया है, लेकिन मात्रा के अनुसार उसमें कमी है तो प्राधिकार पत्र धारक विनियमन के लिए निम्नलिखित को भुगतान करेगा:-

- (i) सीमा शुल्क प्राधिकारी को राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज के साथ आयातित माल/स्वदेशी रूप से प्राप्त माल के अप्रयुक्त मूल्य पर सीमा शुल्क देगा। निर्यातक आईसगेट भुगतान गेटवे के माध्यम से लागू ब्याज सहित आन लाईन भुगतान करेगा।
- (ii) यदि आयात की मद प्रतिबंधित है, अप्रयुक्त आयातित सामग्री के सीआईएफ मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि के बराबर राशि को शीर्ष लेखा 1453, विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन तथा उपशीर्ष 102'' में डाला जाएगा। तथापि इस उप पैरा के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि आयात/घरेलू खरीद की तारीख को अप्रयुक्त माल मुक्त रूप से आयात योग्य हों।

(ख) यदि निर्यात दायित्व मात्रा के अनुसार पूरा कर लिया है लेकिन मूल्य के अनुसार इस में कमी आ गई है तो प्राधिकार पत्र धारक पर न्यूनतम निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त करने पर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। तथापि, मूल्य संवर्धन यदि निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से नीचे आ जाता है तो प्राधिकार पत्र धारक को डीजीएफटी की वेबसाइट पर आन लाईन माध्यम से पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में कमी के 3 प्रतिशत राशि के बराबर भारतीय रुपये में जमा करना अपेक्षित होगा।

(ग) मूल्यवार कमी की गणना, निर्यात की वास्तविक मात्रा के सन्दर्भ में और आयातों की यथानुपात मात्रा के सन्दर्भ में तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य के संदर्भ में अर्जित पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि निर्यात निष्पादन मात्रावार केवल 50 प्रतिशत है लेकिन आयात अनुमत पूर्ण लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए है तो मूल्यवर्धन की गणना यथानुपात अर्थात् आयात के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 50 प्रतिशत के संदर्भ के आधार पर की जाएगी। तदनुसार, उसका यह तात्पर्य होगा कि जहाँ प्राधिकार पत्र धारक निर्यात निष्पादन करने में असमर्थ हो, वहाँ मूल्यवार कमी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

(घ) यदि निर्यात दायित्व की प्रतिपूर्ति मात्रात्मक और मूल्यात्मक दोनों ही शर्तों के अनुसार पूरा नहीं होता है तो प्राधिकार पत्र धारक ऊपर उल्लिखित (क) (ख) और (ग) के अनुसार विनियमन के लिए भुगतान करेगा।

(ङ.) यदि निर्यातक, निर्यात दायित्व को पूर्ण रूप से पूरा करने में असमर्थ है और उसने प्राधिकार पत्र के अधीन कोई आयात नहीं किया है तो प्राधिकार पत्र धारक के पास पोतलदान बिलों को शुल्क वापसी पोतलदान बिलों में परिवर्तित करने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी से अनुमति लेने के बाद शुल्क वापसी हेतु आवेदन करने और लाइसेंस रद्द करवाने का विकल्प होगा।

(च) क्षेत्रीय प्राधिकारी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित और सत्यापित परिशिष्ट 4ज के सम्बद्ध अंशों को पिछले लाइसेंसिंग वर के शुरु में प्राधिकार (प्राधिकारों) के अधीन आयातित वास्तविक मात्रा और प्राधिकार (प्राधिकारों) में अनुमत मानदण्डों से तुलना करेगा। इस सत्यापन प्रक्रिया में यदि यह पाया जाता है कि प्राधिकार पत्र धारक ने आयातित से कम मात्रा की खपत की है, तो प्राधिकार पत्र धारक आयातित माल के अप्रयुक्त मूल्य पर यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमा-शुल्क का भुगतान करना होगा या निर्यात दायित्व की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्यात करना होगा।

(छ) उन मामलों में वास्तविक चूक का नियमितीकरण जहां आयात-पूर्व शर्त के साथ गैर-पंजीकृत स्रोतों से औषधियों के आयात के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया गया था।

आयात-पूर्व शर्त के साथ जारी गैर-पंजीकृत स्रोतों से औषधियों का आयात निम्नलिखित तरीके से नियमित किया जाएगा:

(i) प्राधिकार पत्र धारक मानदंडों के अनुसार पूर्ण आयतित मात्रा की खपत को दर्शानेवाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा। यदि निर्यात दायित्व पूरा करने में कमी है और अप्रयुक्त आयातित मात्रा प्राधिकार पत्र धारक के पास है तो प्राधिकार पत्र धारक घरेलू बाजार में अपंजीकृत स्रोतों से ऐसी आयातित सामग्री के विचलन के कारण भारत को कोई नुकसान या हानि न हो, के लिए एक शपथपत्र-कम-क्षतिपूर्ति बाण्ड के साथ अप्रयुक्त शुल्क मुक्त आयातित सामग्री के विनाश संबंधी चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणपत्र के साथ स्व-घोषणा प्रस्तुत करेगा। जिसे भविष्य में किसी भी प्राधिकार द्वारा पता लगाया जा सके या प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.42 के संदर्भ में आपूर्तिकर्ता को वही का वही पुनः निर्यात करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(ii) औषधियों की अप्रयुक्त मात्रा का उपयोग करके निर्यात दायित्व अवधि के समाप्त होने के बाद मुक्त पोतलदान बिलों/समान प्राधिकार पत्र के अधीन किए गए निर्यात को भी उपर्युक्त पैरा (i) में, उल्लिखित विध्वंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के एवज में स्वीकार किया जाएगा बशर्ते निर्यात किए गए औषध के सही-सही विवरण और तकनीकी विशिष्टता अग्रिम प्राधिकार पत्र में वर्णित निर्यात मद के समान हों। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित अप्रयुक्त

मात्रा पर सीमा शुल्क का भुगतान करेगा। निर्यात दायित्व अवधि से बाहर किए गए निर्यात के लिए ही विध्वंस प्रमाण पत्र से छूट पर विचार किया जाएगा, देय शुल्क और ब्याज की देयता से छूट पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.50 निर्यात दायित्व में वास्तविक चूक के मामले में सीमाशुल्क और ब्याज का भुगतान

(क) बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को विनियमित या लागू करने के संबंध में प्राधिकार पत्र धारक से राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित वसूल किया जाने वाला ब्याज सहित सीमा शुल्क, प्राधिकार पत्र धारक क्षेत्रीय/सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा की गई माँग के 30 दिनों के भीतर आईसगेट भुगतान गेटवे के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क राजस्व के “मुख्य शीर्ष 0037—सीमाशुल्क” और “उपशीर्ष 001—आयात शुल्क” में जमा करेगा और क्षेत्रीय/सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास तत्काल इस आशय का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। निर्यातक राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं/अपनी गणना के आधार पर सीमा-शुल्क और ब्याज की स्वतः अदायगी कर सकता है जिसे मामले के बंद होने के समय समायोजित किया जाएगा।

(ख) भुगतान का तरीका: आईसगेट गेटवे के माध्यम से आन लाईन भुगतान।

(ग) निर्यातक शुल्क गणना शीट के साथ आर को आन लाईन भुगतान का दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करके अपने मामले के नियमितीकरण के समय प्रस्तुत करेगा।

(घ) क्षेत्रीय प्राधिकारी मामले का मोचन करने से पहले अधिक आयात की मात्रा की जांच करेगा। आरए प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा गणना की गई देयता और क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा की गई गणना में अंतर के कारण को सूचित करने के बाद लाइसेंस धारकों को सीमा शुल्क की बकाया राशि अदा करने का निदेश दे सकता है। ऐसे मामले में, शुल्क और ब्याज की शेष राशि, यदि कोई है, प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा मामले का नियमितीकरण करने के लिए 30 दिनों के अंदर अदा की जाएगी।

(ङ.) सीमा शुल्क प्राधिकारी को ब्याज विलम्बित शुल्क राशि की अदायगी की तिथि पर लागू दर पर आन लाईन आईसगेट भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

(च) प्राधिकार-पत्र धारक से उक्त दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय प्राधिकारी मामले का मोचन करेगा और ईओडीसी/मोचन पत्र पर भुगतान किए गए शुल्क के ब्यौरे को पृष्ठांकित करेगा और पंजीकरण के पत्तन पर अथवा प्राधिकार-पत्र धारक की फ़ैक्ट्री पर क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क के आयुक्त, जैसा भी मामला हो, सीमा शुल्क प्राधिकारी को की गई वसूली/जमा के विवरण के बारे में सूचित करेगा।

(छ) तथापि, नियमितीकरण के लिए शुल्क की अदायगी, ब्याज और अन्य बकाया, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाई से परे होंगे।

4.51 खातों का समुचित रख-रखाव

प्रत्येक अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक परिशिष्ट 4ज या 4झ में यथा निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के अधीन शुल्क मुक्त आयातित/घरेलू स्रोत से प्राप्त वस्तुओं के इस्तेमाल और खपत का सही और उचित हिसाब रखेगा। प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के शुरु में उन सभी प्राधिकार पत्रों के लिए जो पिछले लाइसेंसिंग वर्षों में विमुक्त किए गये हैं, इन रिकार्ड्स को डीजीएफटी वेबसाइट पर डेशबोर्ड-रिपाजीट्री-सीए/सीई रिफाजीट्री के अंतर्गत सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ऑनलाइन भेजना होगा।

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) स्कीम

4.52 नीति

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए) स्कीम से सम्बन्धित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 में दी गई है।

4.53 आवेदन-पत्र

(क) “आयात निर्यात फार्म 4छ” में आवेदन, आवेदन पत्र में निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) इस प्रक्रिया-पुस्तक के पैराग्राफ 4.26, 4.27, 4.28, और 4.49(च) के प्रावधान डीएफआईए स्कीम के लिए भी लागू होंगे।

(ग) निर्यात के पूरा होने और धनराशि की प्राप्ति के पश्चात् हस्तांतरणीय शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु अनुरोध संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्यात की तारीख से बारह माह की अवधि के भीतर अथवा निर्यात संबंधी धनराशि के प्राप्त होने की तारीख से छः माह; (अथवा आरबीआई द्वारा प्राप्ति हेतु अनुमत अतिरिक्त समय) के भीतर, जो भी बाद में हो, किया जा सकता है।

(घ) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 11.02 में दिए गए लेट-कट प्रावधान, डीएफआईए के लिए भी लागू होते हैं।

4.54 खण्डित डीएफआईए हेतु सुविधा

हस्तांतरणीयता माँगने के अनुरोध पर प्रत्येक 10 लाख रु. के न्यूनतम लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और उसके गुणकों के अधीन डीएफआईए के अलग-अलग प्राधिकार पत्र भी जारी किए जा सकते हैं। अलग-अलग डी एफ आई ए की अनुमति उसी पंजीकरण के पत्तन से होगी जोकि मूल डी एफ आई ए पर अंकित है।

4.55 डीएफआईए स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात

- (i) हस्तांतरणीय डीएफआईए के अधीन आयातित माल, जिसे खराब या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उसे राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे मामलों में यदि ऐसे माल का आयात के बाद उपयोग नहीं किया गया है तो संबंधित सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा डीएफआईए के अधीन डेबिट किए गए लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 95 प्रतिशत तक एक प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा जिसमें धनराशि और निर्यातित माल का विवरण और मूल डीएफआईए का ब्यौरा शामिल हो।
- (ii) प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा एक नया डीएफआईए जारी किया जाएगा। इस प्रकार जारी किया गया नया डीएफआईए में पंजीकरण का समान पत्तन होगा और वह ऐसे खराब/अनुपयुक्त सामान के आयात की तारीख को उपलब्ध शेष अवधि के समतुल्य अवधि के लिए वैध होगा।

4.56 आयात और इसके उपयोग के उचित खातों का रख रखाव

मूल डीएफआईए धारक परिशिष्ट 4ज में यथा निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के अधीन शुल्क मुक्त आयातित/घरेलू स्रोतों से प्राप्त माल के उपयोग और खपत का सही और उचित लेखा जोखा रखेगा। इन रिकार्डों को हस्तान्तरणीयता के लिए अनुरोध सहित सम्बन्धित क्षेत्रीय प्राधिकारी को भेजना होगा।

रत्न और आभूषण क्षेत्र

4.57 सामान्य प्रावधान

रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र और स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों की स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति में दी गई है। आभूषण क्षेत्र के लिए निर्यात संवर्धन स्कीम के संबंध में आवेदन परिशिष्ट-4क के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास किया जाएगा।

4.58 पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन

- (क) पुनः पूर्ति प्राधिकार पत्र के लिए आनलाइन आवेदन परिशिष्ट-4ज के अनुसार किया जाएगा तथा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास परिशिष्ट 4क के अनुसार उसमें निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा।
- (ख) आवेदन उस माह से छ माह के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए जिस माह के दौरान निर्यात आय प्राप्त की गई है। माह के दौरान निर्यात से प्राप्त आय के लिए पूरे महीने के लिए समेकित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- (ग) यदि पोतलदान बिलों की ईपी प्रति और सीमा शुल्क कार्यालय से बीजक नामित एजेंसियों को सौंप दिए जाते हैं उसकी एक स्व प्रमाणित प्रति और उसकी एक स्व प्रमाणित प्रति और नामित एजेंसी से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र सौंपेगा जिसमें जड़े हुए आभूषणों के मामले में जुड़ाव का कैरेट/मूल्य प्रमाणित किया गया है।
- (घ) जिस मामले में भुगतान अग्रिम रूप से प्राप्त हो गया है और निर्यात बाद में किया जाता है तो पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन, जिस महीने के दौरान निर्यात किया गया है। उससे छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

- (ड.) यह स्पष्ट किया जाता है कि अग्रिम भुगतान मामले में, जिस माह निर्यात किया गया है और निर्यात करने के बाद जिस माह निर्यात आय आंशिक रूप से या पूर्णरूप से प्राप्त की जाती है उस माह को पुनः पूर्ति प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन पत्र दाखिल करने के प्रयोजन के लिए छः माह की अवधि में नहीं गिना जाएगा ।

4.59 छीजन मानदण्ड

स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों तथा उससे बनी वस्तुओं के लिए अधिकतम छीजन या विनिर्माण हानि नीचे दी गई है:

क्र. सं.	निर्यात की मदें	निर्यात मद में सोने/प्लेटिनम/चांदी के संदर्भ में भार अनुसार छीजन का प्रतिशत	
		सोना/प्लेटिनम	चांदी
(क)	सोना और काले मनकों/बनावटी नगीना, घनाकार जिरकोनियाट हीरेट कीमती और अर्द्ध-कीमती नगीनों सहित मंगलसूत्र जैसे सहज आभूषण, वस्तुएं और आभूषण, वस्तुएं और आभूषण	2.5 %	3.2 %
(ख)	जड़ित जेवर और उनकी वस्तुएं	5.0 %	5.0 %
(ग)	स्वदेशी रूप से विनिर्मित (गैर-मैकेनाईज्ड प्रक्रिया द्वारा) माउंटिंग्स एवं फाइनडिंग्स	2.5 %	3.2 %
(घ)	एक पूर्ण रूप से मैकेनाईज्ड और गैर जड़ित प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित कोई आभूषण/वस्तुएं अग्रिम प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत लागू नहीं।	0.9 %	0.9 %
(ड.)	जड़ित आभूषण में प्रयुक्त माउंटिंग्स, चाहे आयातित अथवा स्वदेशी रूप से प्राप्त/विनिर्मित हों।	1.8 %	1.8 %
(च)	सोने/चांदी/प्लेटिनम के पदक और सिक्के (वैध मुद्रा प्रकार के सिक्कों को छोड़कर) (अग्रिम प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत लागू नहीं)	0.2 %	0.2 %
(छ)	मैकेनाईज्ड प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित फाइनडिंग्स और माउन्टिंग्स	0.9 %	0.9 %
(ज)	सोने की धार्मिक मूर्तियां केवल देवताओं और देवियों जो 8 कैरेट या अधिक (24 कैरेट तक) हों।	सामान्य सोने की मूर्तियां – 2.5% जड़ित सोने की मूर्तियां – 5%	

4.60 मूल्य संवर्धन

आभूषण निर्यात स्कीम के तहत मूल्य संवर्धन का परिकलन विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.37 के अनुसार किया जाएगा। न्यूनतम मूल्य संवर्धन निम्नानुसार होगा:

क्र. सं.	निर्यात की मदें	न्यूनतम मूल्यवर्धन
(क)	सामान्य स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी के आभूषण, संबंधित वस्तुएं और आभूषण जैसे मंगलसूत्र जिसमें जड़ित स्वरूप के आभूषण को छोड़कर सोने और काले मनके/बनावटी नगीने हों	3.5 %
(ख)	जड़ित सोने/प्लेटिनम/चांदी के सभी प्रकार के आभूषण और तत्संबंधी वस्तुएं	6.0% (रंगीन रत्न नगीनों के साथ जड़ित के लिए) और 7.0% (हीरों के साथ जड़ित के लिए)
(ग)	एक पूर्ण रूप से मैकेनाईज्ड प्रक्रिया से विनिर्मित कोई आभूषण/वस्तुएं	2 %

(घ)	सोने/चाँदी/प्लेटिनम के पदक और सिक्के (वैध मुद्रा प्रकार के सिक्कों को छोड़कर)	1.5 %
(ड.)	मैकेनाईज्ड प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित सोने/चाँदी/प्लेटिनम के फाइनडिंग्स/माउन्टिंग्स	2.5 %
(च)	सोने की धार्मिक मूर्तियाँ (केवल देवताओं और देवियों की जो 8 कैरेट और इससे अधिक (24 कैरेट तक) हों)	सामान्य सोने की धार्मिक मूर्तियाँ (गैर-जड़ित) के मामले में 10% सामान्य सोने की धार्मिक मूर्तियाँ जो स्कीम रत्नों से जड़ित हों, के मामले में 14% हीरे के जड़ित सोने की धार्मिक मूर्तियों के मामले में 15%

4.61 हकदारी

इन धातुओं से बनायी गई वस्तुओं के निर्यात के प्रति स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा की हकदारी में निर्यात की मदों में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा के साथ-साथ दावा की गई सीमा में छीजन/विनिर्माण क्षति सहित निर्यात की मद में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की हानि की मात्रा होगी जड़ित आभूषण के मामले में कीमती धातु की मात्रा का आकलन जुड़ाव के भार को घटाकर किया जाएगा।

4.62 पारगमन में रत्न और आभूषण खो जाना

देश के बाहर निर्यातित रत्न और आभूषण मदों की खेप, जो निर्यात के बाद रास्ते में खो गए हैं तथा ऐसे निर्यातों के लिए जहाँ विदेशी मुद्रा प्राप्त हो चुकी हो अथवा बीमा दावा कर लिया गया हो, वे भी पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र के पात्र होंगे।

4.63 रत्न और आभूषण पुनः पूर्ति प्राधिकार पत्र

(क) रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र, रत्न एवं आभूषण उत्पादों के निर्यात में प्रयुक्त बहुमूल्य पत्थरों, अर्ध-बहुमूल्य तथा सिन्थेटिक पत्थरों और मोतियों के आयात के लिए वैध होगा। इसके साथ-साथ यह प्राधिकार पत्र समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर प्राधिकार पत्र के मूल्य के 5% तक आभूषणों के खाली बक्सों के आयात के लिए भी वैध होगा। जड़ित स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों/वस्तुओं के निर्यात के प्रति जारी रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र, समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक के पन्ना के अतिरिक्त कट और पालि⁷¹ किए गए बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के आयात के लिए भी वैध होगा।

(ख) रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र परिशिष्ट-4च में निर्धारित पुनःपूर्ति दर के अनुसार जारी किया जाएगा तथा जड़े हुए आभूषण के मामले में शेष एफओबी मूल्य संबंधी पुनःपूर्ति का मानदंड परिशिष्ट-4छ के अनुसार होगा।

4.64 अभिकरण कमीशन

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण स्कीम का लाभ लेने वाले निर्यातक को आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन अभिकरण कमीशन देने की अनुमति है। मूल्य संवर्धन का परिकलन अभिकरण कमीशन को घटा कर किया जाएगा।

4.65 पोतलदान बिल और बीजक पर पृष्ठांकन

आभूषणों के निर्यात के समय, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए पोतलदान बिल और बीजक में मद का विवरण, इसकी शुद्धता, स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम अंश का भार, इस पर दावा किए गए छीजन, स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम अंश का कुल भार तथा दावा किए गए छीजन तथा स्वर्ण/चाँदी के लिए 0.995/0.999 शुद्धता और प्लेटिनम के लिए 0.9999 शुद्धता में इसकी समकक्ष मात्रा तथा इसका मूल्य, निर्यात का एफ ओ बी मूल्य, प्राप्त मूल्य परिवर्धन के ब्यौरे होने चाहिए। निर्यात के लिए इन प्रत्येक धातुओं से निर्मित सभी या कुछ मदों के संबंध में इस्तेमाल किए गए स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की शुद्धता यदि वही है तो निर्यात

को स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का कुल भार और ऐसी ही मदों, जिनकी शुद्धता वही है, के अन्य ब्यौरे भी देने होंगे। जड़ित मदों के मामलों में, पोतलदान बिल में विनिर्माण में इस्तेमाल किए गए बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य पत्थरों/हीरों/मोतियों का भार और मूल्य तथा स्वर्ण/चाँदी के मिश्रण में इस्तेमाल की गई किसी अन्य बहुमूल्य धातु का भार/मूल्य के ब्यौरे भी होने चाहिए।

4.66 निर्यात की शर्तें

सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति अर्थात् निर्यात आर्डर (एलईओ) दी जाएगी बशर्ते कि पोतलदान बिल और बीजक में पृष्ठांकन ठीक से किया गया हो तथा प्राप्त किया गया मूल्य संवर्धन विदेश व्यापार नीति में निर्धारित मूल्य संवर्धन से कम न हो।

4.67 निर्यात का प्रमाण

- (क) निर्यातक को जहां कहीं अपेक्षित हो, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं के निर्यात का प्रमाण देना होगा :
- पोतलदान बिल की स्व प्रमाणित एलईओप्रति/ईपीप्रति/निर्यातक प्रति
 - सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटी जीएसटी नियमावली के तहत यथा निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए बीजक, जिसका विवरण पोतलदान बिल की एलईओ प्रति पर अपलोड किया गया है।
 - परिशिष्ट 2प में दिए गए प्रपत्र में वसूली का बैंक प्रमाण/ई-बीआरसी/जहां भी उपलब्ध हो डीजीएफटी में आईटी प्रणाली में उपलब्ध आरबीआई के ईडीपीएमएस से निर्यात आय।
- (ख) विदेशी क्रेता द्वारा आभूषणों के व्यक्तिगत सामान के मामले में निर्यात हकदारियों का दावा करने के लिए निर्यात के सबूत के तौर पर निर्यातक/विक्रेता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- भारतीय विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए पोतलदान बिल की प्रति
 - विदेशी क्रेता के आगमन के समय सीमाशुल्क कार्यालय को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्रा घोषणा प्रपत्र की एक प्रति; और
 - बैंक से विदेशी मुद्रा नकदी प्रमाणपत्र।
- (ग) इसके अलावा, स्वीकृति के प्रति दस्तावेज (डीए)/सुपुर्दगी पर नकद (सीओडी) आधार पर व्यक्तिगत सामान की भी अनुमति है। निर्यात हकदारी का दावा करने हेतु निर्यातक को निर्यात के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगे:
- भारतीय विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए पोतलदान बिल की प्रति; और
 - निर्यात और विदेशी मुद्रा प्राप्ति का बैंक प्रमाणपत्र/ई-बीआरसी/जहां भी उपलब्ध हो, डीजीएफटी में आईटी प्रणाली में उपलब्ध आरबीआई के ईडीपीएमएस में निर्यात आय।
- (घ) इस संबंध में सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी अनुदेशों का यथोचित परिवर्तनों सहित अनुसरण किया जाएगा:

4.68 शुद्धता/परिशुद्धता का परिवर्तन

परिशुद्धता के रूप में समतुल्य मात्रा के अनुसार स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित फार्मूला अपनाया जाएगा :

- जहां स्वर्ण वस्तुओं का कैरेट में निर्यात किया गया है, वहाँ स्वर्ण की मात्रा को निर्यातित स्वर्ण के कैरेट की संख्या से गुणा, 24 से भाग किया जाएगा और इसके बाद पुनः $0.995/0.999/0.900$ से भाग किया जाएगा ताकि क्रमशः $0.995/0.999/0.900$ परिशुद्धता के रूप में स्वर्ण की समकक्ष मात्रा तक पहुँचा जा सके, और
- जहां कहीं निर्यात की वस्तु की शुद्धता, परिशुद्धता के रूप में व्यक्त की गई है, वहां स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा को निर्यातित स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की परिशुद्धता द्वारा गुणा किया जाएगा और इसके पश्चात $0.995/0.999/0.900$ से भाग किया जाएगा ताकि स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की क्रमशः $0.995/0.999/0.900$ परिशुद्धता की बराबर मात्रा तक पहुँचा जा सके।

4.69 नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम जारी करना।

नामित अभिकरणों/भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकृत बैंकों द्वारा आभूषणों के निर्यातक को स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम केवल 10 ग्राम या स्वर्ण के संबंध में दस तोला छड़ों के गुणकों में जारी किया जाएगा। तथापि, निर्यातकों को चाँदी केवल 1 किग्रा गुणकों में जारी की जाएगी। स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का कोई भी शेष, निर्यातक को उसकी भावी हकदारी सहित उपलब्ध रहेगा। नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी 0.995 परिशुद्धता में और प्लेटिनम 0.900 या इससे अधिक परिशुद्धता में जारी की जाएगी।

4.70 भुगतान की शर्तें

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं का निर्यात अपरिवर्तनीय साख-पत्र के अधीन सुपुर्दगी पर नकद भुगतान के आधार पर, स्वीकृति के प्रति दस्तावेज (डीए) आधार पर या विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान अथवा निर्यातित आभूषण/वस्तुओं में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम अंश की प्रतिपूर्ति के आधार पर होगा।

4.71 निर्यात का पत्तन

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं संबंधी स्कीमों के अधीन निर्यात की अनुमति मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, कोच्चि, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, डेबोलिन एअरपोर्ट, गोवा, हैदराबाद और सूरत (सूरत हीरा बोर्स) भुवनेश्वर, अमृतसर, गुवाहाटी, वैजाग/ विजयवाड़ा स्थित सीमाशुल्क सदनों के जरिए वायु भाड़े और विदेशी डाकघर द्वारा दी जाएगी। प्रति खेप 20 लाख रुपए मूल्य के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य तक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बटूर, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, अहमदाबाद और हैदराबाद स्थित सीमा-शुल्क सदनों के माध्यम से कूरियर द्वारा भी निर्यात अनुमत होगा।

4.72 डाक द्वारा निर्यात

डाक द्वारा रत्न और आभूषण पार्सल के निर्यात की नीति विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.47 दी गयी है। निर्यात के समय, निर्यातक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

- (i) विदेशी डाकघर में प्रस्तुत किया गया सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटी जीएसटी नियमावली के तहत यथा निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए पोतलदान बिल या कर बीजक,
- (ii) नामित अभिकरणों से प्रमाण पत्र जिसमें वह मूल्य दर्शाया गया हो जिस पर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम बुक किया गया था या तुरन्त बिक्री आधार पर या ऋण के आधार पर दिया गया था।
- (iii) सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटी जीएसटी नियमावली के तहत यथा निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए कर बीजक की तीन प्रतियाँ।

4.73 प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनः आयात हेतु कटिंग और पॉलिश किए गए हीरे रंगीन रत्न का निर्यात

0.25 और इससे अधिक कैरेट के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए निम्नलिखित अधिकृत प्रयोगशालाएं हैं:

- 1) इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (आईजी।) हाँगकाँग।
- 2) अमेरिकन जेम सोसाइटी लैबोरेट्रीज (एजीएस लैबोरेट्रीज), 8917 वेस्ट सहारा एवेन्यू, लास वेगास, नीवाडा 89117;
- 3) सेंट्रल जेम लैबोरेटरी मियागी बिल्डिंग, 5-15-14 यूनो टेटोकू टोक्यो, जापान;
- 4) डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, मेडनहेड, यूके;
- 5) यूरोपीयन जेमोलॉजिकल लैबोरेटरी (ईजीएल), यूएसए;
- 6) जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (जीआईए), यूएसए;
- 7) होज रोड वुअर डायमण्ड, एंटवर्प, (एचआरडी);
- 8) इंटरनेशनल डायमण्ड लैबोरेट्रीज डीएमसीसी, दुबई;
- 9) द रॉबर्ट मुआवैड कैम्पस, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (आईजीआई) यूएसए;

- 10) वर्ल्ड डायमण्ड सेंटर ऑफ डायमण्ड्स हाई काउंसिल, एंटवर्प, बेल्जियम;
- 11) जीआईए हाँगकाँग लैबोरेटरी लि०, हाँगकाँग;
- 12) जेमोलॉजिकल रिसर्च (थाईलैंड) क०लि, बैंकॉक;
- 13) जीआईए एजुकेशन एंड लैबोरेटरी (प्रा०) लि०, जोहानेसबर्ग;
- 14) जीआईए एजुकेशन एंड लैबोरेटरी गोबोरोन (बोत्सवाना);
- 15) फोरवरमार्क एनवी, एंटवर्प, बेल्जियम;
- 16) इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (आईजी)—एंटवर्प, बेल्जियम;
- 17) जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमरिका (जीआईए), इज़राइल;
- 18) जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमरिका (जीआईए), जापान;

4.74 प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनःनिर्यात के लिए हीरे रंगीन रत्न का आयात

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.41 में इस सुविधा का उल्लेख किया गया है। हीरे रंगीन रत्न के आयात के समय प्रविष्टि बिल में हीरे, रंगीन रत्न का माप/विशिष्टियों सहित विस्तृत विवरण होगा। ग्रेडिंग/प्रमाणन के बाद पुनःनिर्यात के समय, जहाँ तक हीरे, रंगीन रत्न के माप और अन्य विशिष्टियों/ब्यौरों का संबंध है, प्रविष्टि बिल का ब्योरा पोत लदान बिल में पृष्ठांकित होना चाहिए, ताकि आयातित हीरे, रंगीन रत्न और पुनः निर्यात किए जाने वाले हीरे, रंगीन रत्न के मध्य एक स्पष्ट सहसंबंध स्थापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त पोत लदान के समय पोत लदान बिल सहित जीआईए (अथवा किसी अन्य अनुमोदित एजेन्सी) के साथ एक अलग स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा ताकि आयात को दस्तावेजों तथा जीआईए (अथवा किसी अन्य अनुमोदित एजेन्सी) प्रमाणपत्र के अनुसार निर्यातों के बराबर किया जा सके।

(ख) ऐसे सभी मामलों में, जीआईए (अथवा इस संबंध में अनुमोदित कोई अन्य एजेन्सी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार जी आर छूट प्राप्त करेगी।

(ग) आयातित हीरे, रंगीन रत्न का पुनःनिर्यात, आयात (आयातों) की तारीख से 3 माह की अधिकतम समयावधि के भीतर पूरा करना होगा। आयात के समय एजेन्सी इस बारे में सीमा शुल्क कार्यालय को वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी। जीआईए (अथवा इस संबंध में अनुमोदित कोई अन्य एजेन्सी) आगामी तिमाही अवधि के अन्त में, माह की 25 तारीख तक, आयात के पत्तन पर, सीमाशुल्क प्राधिकारी को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ताकि निर्धारित समयावधि के भीतर निर्यात सुनिश्चित किया जा सके।

4.75 0.25 और इससे अधिक कैरेट के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए प्रयोगशालाओं का सूचीकरण/प्राधिकार-पत्र

प्रयोगशालाओं के सूचीकरण हेतु आवेदन निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए आवेदन की जांच करने हेतु रत्न और आभूषण संवर्धन परिषद् (जीजेईपीसी) के पास प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जीजेईपीसी प्रामाणिक आवेदकों के सत्यापन के पश्चात् अपनी स्पट सिफारिश के डीजीएफटी के सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन के लिए आवेदन अग्रेषित करेगा। डीजीएफटी द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन के पश्चात् जीजेईपीसी प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित उपकरणों, तकनीकी मानव शक्ति और अन्य अवसंरचना की उपलब्धता के सत्यापन हेतु सुविधा का निरीक्षण करेगा जिससे कि यह 0.25 और इससे अधिक कैरेट के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए अधिकृत प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर सके। जीजेईपीसी की निरीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर संबंधित प्रयोगशाला को एफटीपी के पैरा 4.41, अथवा 4.42, जैसा भी मामला हो, में शामिल करने हेतु विचार किया जाएगा।

4.76 विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्तियों के मद्दे निर्यात

(क) विदेशी क्रेता द्वारा की गई आपूर्ति के प्रत्येक आयात खेप की निकासी से पहले, नामित अभिकरण/स्तर धारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाणपत्र हो/पात्र निर्यातक, इस आशय का एक बॉण्ड सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास निष्पादित करेगा कि वह करार में निर्धारित अवधि के भीतर अनुमत अपशिष्ट को छोड़कर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम, माउंटिंग और फाइंडिंग आदि के सम्पूर्ण आयात के बराबर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों या वस्तुओं का निर्यात करेगा।

(ख) स्तर धारक/निर्यातक को सोना/चाँदी/प्लेटिनम, मिश्रधातु, सोना/चाँदी/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और माऊंटिंग्स और सादा अर्द्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों की प्रत्यक्ष आपूर्ति के मामले में, स्तरधारक/निर्यातक आयातित सोना/चाँदी/प्लेटिनम, मिश्रधातु, सोना/चाँदी/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और माऊंटिंग्स और सादा अर्द्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों आदि पर लगने वाले मूल सीमा शुल्क के नियम और विनियमनों के अनुसार बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता सादा अर्द्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों आदि पर लगने वाले मूल सीमा शुल्क के नियम और विनियमनों के अनुसार बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता, सीमा शुल्क विभाग के पास जमा करानी होगी। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगने वाले एकीकृत माल और सेवा कर और मुआवजा उपकर आयात पर अलग से देय होगा।

(ग) सीमा शुल्क विभाग के पास निपादित बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता एक वर की अवधि के लिए वैध होगी। स्तर-धारक/निर्यातक को प्रत्यक्ष आपूर्ति के संबंध में, निर्यात 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। निर्यात दायित्व को पूरा न करने/निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त न करने की स्थिति में सीमा शुल्क प्राधिकारी, राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित, सीमा शुल्क और ब्याज की वसूली कर सकता है जिसमें बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को लागू करना भी सम्मिलित है। इसके अलावा आयातक सीमा सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का भी भागी हो सकता है।

4.77 निर्यात प्रक्रिया/सीमाशुल्क का भुगतान

(क) नामित अभिकरण/निर्यातक को उस मात्रा पर लगने वाला सीमाशुल्क देना होगा जिसके लिए नियत तिथि के भीतर निर्यात दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है।

(ख) सीमाशुल्क प्राधिकारी के जरिए नामित अभिकरण/निर्यातक द्वारा माल की निकासी की जाएगी। उन मामलों में भी जहाँ सहायक माल द्वारा निर्यात आदेश प्राप्त किया गया है, नामित अभिकरण द्वारा सीमाशुल्क विभाग के जरिए ही माल निकासी करायी जाएगी, न कि सहायक द्वारा ऐसे मामलों में प्राधिकृत नामित अभिकरण को प्रविष्टि का बिल और पोतलदान बिल प्रस्तुत करने के लिए अपने एजेंट के रूप में प्राधिकृत करेगी।

(ग) निर्यात के समय, सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए पोतलदान बिल में निम्नलिखित ब्यौरे भी होने चाहिए :-

(i) सहायक/निर्यातक का नाम और पता;

(ii) नामित एजेन्सी द्वारा पृष्ठांकित सम्बद्ध सहायक कम्पनी द्वारा प्राप्त आदेश के मद्दे निर्यात किया गया है, नामित एजेन्सी के पास इसके पंजीकरण की तिथि। निर्यातक द्वारा निर्यातों के मामले में, इस संबंध में स्व घोषणापत्र दिया जाएगा;

(iii) सीमाशुल्क सदन का नाम जिसके माध्यम से सोना/चाँदी/प्लेटिनम/सादा अर्द्ध-निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण का आयात किया गया है और प्रविष्टि बिल संख्या एवं तारीख तथा आयात की तारीख।

(घ) प्रत्येक पोतलदान बिल निर्यात हेतु केवल उस सीमा शुल्क सदन के माध्यम से वैध होगा जहाँ संबंधित नामित अभिकरण/निर्यातक का कार्यालय स्थित है। यदि निर्यात नामित अभिकरण के जरिए किया गया है तो यह पोतलदान हेतु सात दिन की अवधि के लिए वैध होगा जिसमें वह तारीख भी शामिल है जिस दिन नामित अभिकरण द्वारा पृष्ठांकन किया गया था। यदि निर्यात इस समयावधि में नहीं किया जाता है, तो निर्यातक एक नया पोतलदान बिल दाखिल करेगा।

(ङ.) निर्यात के समय निर्यातक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

(i) सीमाशुल्क सदन जिसके माध्यम से स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम/सादा अर्द्ध-निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण का तदनु रूप आयात हुआ है, को छोड़कर सीमाशुल्क सदन जहाँ निर्यात किया गया है, के पोतलदान बिल की दो अतिरिक्त प्रतियाँ सहित। अन्य मामलों में, पोतलदान बिल की एक अतिरिक्त प्रति;

(ii) सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटी जीएसटी के तहत यथा निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए कर बीजक की तीन प्रतियाँ;

(iii) विदेशी खरीदारों द्वारा भेजी गई मदों की मात्रा और मूल्य को इंगित करने वाला नामित एजेन्सी का प्रमाण पत्र।

(च) सीमाशुल्क प्राधिकरण पोतलदान बिल और सम्बद्ध बीजक की विधिवत सत्यापित दो प्रतियाँ वापिस लौटाएगा। एक प्रति उस व्यक्ति को भेजी जाएगी जिसने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और दूसरी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा नामित एजेन्सी/स्तर धारक/निर्यातक के कार्यालय को भेजी जाएगी।

(छ) नामित अभिकरण के जरिए निर्यात के मामले में निर्यातक, निर्यात की तिथि से 15 दिन के भीतर उस नामित एजेन्सी को जिसने निर्यात किया है, को निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा जो दस्तावेजों की जाँच करने के पश्चात निर्यातक को स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम इत्यादि की अनुमत मात्रा जारी करेगा।

(ज) उन मदों की अन्तरराष्ट्रीय कीमत में उन पर लगने वाले सीमाशुल्क को जोड़कर उसके बराबर राशि की बैंक गारंटी/विधिक बचनबद्धता प्रस्तुत करके निर्यातक अग्रिम रुप से विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्ति स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगने वाला एकीकृत माल और सेवा कर और मुआवजा उपकर आयात पर अलग से देय होगा। बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता की राशि तभी वापिस की जाएगी जब निर्यातक नामित एजेन्सी को निर्यात का सबूत प्रस्तुत करेगा तथा निर्यात उत्पाद में मदों की अग्रिम आपूर्ति के उपयोग को ध्यान में रखा जाएगा।

(झ) सीमाशुल्क कार्यालय के पास निष्पादित बॉड/बैंक गारन्टी/विधिक बचनबद्धता को छुड़ाने के लिए नामित अभिकरण/स्तर धारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो/निर्यातक, विदेशी खरीदार द्वारा आपूर्ति मदों की मात्रा और मूल्य, तदनुरूप आगम बिल संख्या और तिथि, तदनुरूप किए गए निर्यात संबंधी प्रत्येक शिपिंग बिल की संख्या के ब्योरे प्रस्तुत करेगा।

4.78 खातों का रखरखाव

नामित अभिकरण प्रत्येक निर्यात आदेश के निपादन के लिए आयातित सोना, चाँदी, प्लैटिनम, माउंटिंग्स, फाइंडिंग्स, सादा अर्द्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लैटिनम आभूषण इत्यादि, किए गए निर्यात और ऐसे निर्यात के लिए जारी सोना/चाँदी/प्लैटिनम, माउंटिंग्स, फाइंडिंग्स इत्यादि का प्रेषण वार पूर्ण लेखा-जोखा रखेगा। इस लेखा जोखा का रख-रखाव निर्यात की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

4.79 प्रदर्शनियों के जरिए निर्यात/निर्यात संवर्धन दौरे/ब्रान्डेड आभूषण के निर्यात

(क) नामित अभिकरण सीमाशुल्क प्राधिकारी के पत्र की मूल प्रति या इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें प्रदर्शनी लगाने/ब्रान्डेड आभूषण के निर्यात के लिए सरकारी अनुमोदन हो, प्रस्तुत करेगा। अन्य कोई व्यक्ति सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को पत्र की मूल प्रति या इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें प्रदर्शनी लगाने/निर्यात संवर्धन दौरे/ब्रान्डेड आभूषण के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट जी जे ईपीसी के अनुमोदन हो, प्रस्तुत करेगा।

(ख) पुनः आयात के मामले में, ऐसी मदों के पहुँचने पर निकासी से पहले निर्यात दस्तावेजों के साथ जाँच की जाएगी।

(ग) निर्यात के निम्नलिखित तरीकों के लिए इस योजना के अन्तर्गत निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) विदेशी प्रदर्शनी में आयोजित/भाग लेने के लिए रत्नों और आभूषणों का निर्यात।

(क) विदेशों में न बेची गई मदों का प्रदर्शनी के बन्द होने के 60 दिनों के भीतर पुनः आयात किया जाएगा। तथापि यदि निर्यातक पहली प्रदर्शनी के बन्द हो होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रदर्शनी में भाग ले रहा है तो दूसरी प्रदर्शनी के बन्द होने की तारीख से 60 दिन गिने जाएंगे। यदि प्रदर्शनी संयुक्त राज्य अमेरिका में होगी, तो ऊपर उल्लिखित समयावधि 60 दिनों के स्थान पर 90 दिन की होगी। विदेश की प्रदर्शनी में आयोजन/भाग लेने के लिए रत्न और आभूषण के व्यक्तिगत सामान के मामले में, ऐसे रत्न और आभूषण का मूल्य 5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं होगा। ऐसी प्रदर्शनियों में बेची गई मदों पर सोना/चाँदी/प्लैटिनम अंश पुनःपूर्ति के रुप में आयात किए जा सकते हैं।

(ख) निर्यातक को प्रदर्शनी में विदेश में बेचे गए माल के पुनःपूर्ति अंश के प्रयोजन के लिए सोना/चाँदी/प्लैटिनम प्रदर्शनी के बन्द होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर नामित एजेंसी से पुनःपूर्ति ले सकता है।

(घ) विदेशों के निर्यात संवर्धन दौरे/छायाचित्र प्रदर्शनियों/फैशन प्रदर्शनी हेतु वायु भाड़े/पोस्ट पार्सल मार्ग के जरिए रत्न और आभूषणों को व्यक्तिगत रुप से ले जाना या निर्यात एक मिलियन अमरीकी डालर तक सोना/चाँदी/प्लैटिनम आभूषण,

कटे और पॉलि"ड हीरे, कीमती, अर्द्ध-कीमती पत्थर, मोती और नमूनों को व्यक्तिगत रूप से ले जाना/वायु भाड़े/पोस्ट पार्सल मार्ग के जरिए निर्यात के रूप में वस्तुएँ निर्यात संवर्धन दौरे/फोटो प्रदर्शनी/फैशन प्रदर्शनी और अस्थायी डिस्पले/विदेश में बिक्री के लिए भी रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुमोदन के साथ अनुमति है बशर्ते कि प्रमोटर सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए प्रस्थान की तारीख से 45 दिनों के भीतर आभूषण/सामान या बिक्री से प्राप्त आय को वापिस लाएगा। निर्यात संवर्धन दौरे के लिए व्यक्तिगत सामान के मामले में, निर्यातक, देश को छोड़ते समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को ऐसे नमूनों को व्यक्तिगत सामान के रूप में घोषित करेगा और सीमाशुल्क के आभूषण मूल्यांकन कर्ता द्वारा जारी निर्यात प्रमाणपत्र पर आवश्यक पृष्ठांकन प्राप्त करेगा। ऐसे मामलों में, निर्यातक निर्यात संवर्धन दौरे के बाद 120 दिनों के भीतर या 45 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी पहले हो, सोना/चाँदी/प्लेटिनम विदेश में बेची गई मर्दों के प्रति पुनःपूर्ति अंश के प्रयोजन के लिए नामित एजेंसी के साथ बुक करेगा।

(ड.) ब्रान्डेड आभूषण का निर्यात

(i) ब्रान्डेड आभूषण का निर्यात भी विदेशों में स्थापित अनुमत दुकानों या उनके वितरकों/ एजेन्टों के शोरूम में डिस्पले/बिक्री के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुमोदन से अनुमत है। 365 दिनों के भीतर विदेश में न बेची गई मर्दों पुनः आयात की जाएंगी। विदेशों में बेची गई मर्दों के प्रति पुनःपूर्ति अंश के उद्देश्य हेतु स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम को 365 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद निर्यातक 120 दिनों के भीतर नामित एजेंसी को बुक करेगा।

(ii) ऐसी पुनःपूर्ति के दावे के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:

(क) निर्यात आपूर्तियों के लिए कर बीजक के साथ एस.बी. की एलईओ की प्रति

(ख) सरकार/जीजेईपीसी द्वारा जारी अनुमोदन पत्र की प्रति।

(ग) परिशिष्ट-4ण में दिए गए नामित अभिकरण/जीजेईपीसी से प्रमाणपत्र नामित अभिकरणों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के मामले में, नामित अभिकरणों द्वारा प्रदर्शनी समाप्त होने की तारीख से 60 दिन के भीतर पुनःपूर्ति के रूप में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का आयात किया जाएगा।

(च) नामित अभिकरण किए गए निर्यात, विदेश में बेची गई वस्तुओं, वस्तुओं के पुनः आयात और विदेश में खरीदी गई और भारत में आयातित धातुओं का पूरा लेखा-जोखा रखेगा। ऐसा लेखा जोखा प्रदर्शनी समाप्त होने की तारीख से कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

4.80 नामित अभिकरणों द्वारा आपूर्ति के तहत निर्यात

निर्यातक निम्नलिखित आधार पर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है :

(i) निर्यात पूरा करने के पश्चात पुनःपूर्ति के आधार पर,

(ii) अग्रिम रूप से तत्काल खरीद आधार पर,

(iv) ऋण आधार पर।

4.81 पुनः पूर्ति आधार

(क) निर्यातक बहुमूल्य धातु स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की बुकिंग के लिए नामित अभिकरण को आवेदन कर सकता है। नामित अभिकरण के पास बुक बहुमूल्य धातु की मात्रा निर्यात उत्पाद में बहुमूल्य धातु के अंश और स्वीकार्य अपशिष्ट के बराबर होनी चाहिए।

(ख) आवेदक बुकिंग के समय बहुमूल्य धातु के अनुमानित मूल्य का कम से कम 20% बयाना राशि जमा करेगा जिसे वास्तविक बिक्री के समय समायोजित कर लिया जाएगा। बुकिंग की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर निर्यात प्रभावित होगा और कीमती धातु का आहरण बुकिंग की तारीख से 150 दिनों की अवधि के भीतर या निर्यात की तारीख से 30 दिनों के भीतर जो भी बाद में हो, पूरा किया जाएगा।

(ग) बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के आधार पर निर्यातक, आभूषण अनुमान आधार पर निर्यात करेंगे। निर्यातक क्रेता के क्रेडिट शर्तों के अन्दर मूल निर्धारित करेगा तथा उसकी आय नियत समय अथवा 180 दिन, जो भी पहले हो, प्राप्त

करे। निर्यातक जो प्रतिपूर्ति स्कीम के अन्तर्गत अनुमान आधार पर निर्यात कर रहे हैं, वो उसी दर पर तथा उसी मात्रा के बराबर नामित एजेंसी से सोना बुक कर सकते हैं जो उन्होंने क्रेता के साथ बुक किया है। नामित अभिकरण निर्यातक की ओर से निर्धारित दर पर बहुमूल्य धातु खरीदेंगे और इसके पश्चात निर्यातक क्रम संख्या वाला एक खरीद प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिसमें स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य डालर में निर्दिष्ट होगा, साथ ही रुपये में भी मूल्य दर्शाया जाएगा। मूल्य वह वास्तविक मूल्य होगा जिस पर नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम खरीदा गया है और इसमें नामित अभिकरणों द्वारा मूल्य परिवर्धन के प्रयोजन के लिए स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के मूल्य पर लगाया गया अनुमत सेवा प्रभार शामिल होगा। नामित एजेंसियों द्वारा निर्यातक हेतु क्रय प्रमाणपत्र की प्रतियों सहित निर्यातक के आवेदन की दूसरी और तीसरी प्रतियाँ संबंधित सीमाशुल्क सदन को तथा लेन देन करने वाली बैंक को भेजी जाएंगी जो सोने के क्रय की पुष्टि करेगी। निर्यातक जो अनुमानित दर पर निर्यात कर रहे हैं वे पुनःपूर्ति तभी लेंगे जब आय प्राप्त हो जाएगी।

4.82 अग्रिम रुप से पूर्णतया खरीद आधार पर

(क) निर्यातक पूर्णतया खरीद आधार पर अग्रिम तौर पर बहुमूल्य धातु की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि नामित अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अभिकरणों को बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत की गई हो। निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात को प्रभावित करने में असफल रहने पर नामित अभिकरण बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता, जैसा भी मामला हो, को लागू करेंगे।

(ख) बहुमूल्य धातु की पूर्णरूप से खरीद की तारीख से 90 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा।

4.83 ऋण आधार पर

(क) निर्यातक ऋण आधार पर बहुमूल्य धातु की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते नामित अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अभिकरणों को सीमा शुल्क हेतु बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत की गई हो। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगाए जाने योग्य एकीकृत माल और सेवा कर तथा मुआवजा उपकर आयात पर अलग देय होगा। निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात करने में असफल रहने पर नामित अभिकरण बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को लागू करेंगे।

(ख) निर्यातक को ऋण के आधार पर लिए गए स्वर्ण पर यथानिर्दिष्ट दर से राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज देना होगा।

(ग) ऋण आधार पर प्राप्त सोने के रिलीज होने के 90 दिन के अधिकतम अवधि के अन्दर निर्यात पूर्ण करना है। निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) (i) निर्यातक को नामित अभिकरणों रत्न/रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) द्वारा जारी किए गए अनुमानित दर प्रमाणपत्र के आधार पर आभूषण निर्यात की स्वीकृति दी जाएगी। यह दर मौजूदा स्वर्ण/अमेरिकी डालर दर तथा अमेरिकी/भारतीय रुपया दर अनुमानित दर प्रमाण पत्र के आधार पर होगी। नामित एजेंसियों/जीजेईपीसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पोतलदान की तारीख से 7 कार्य दिवसों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(ii) खरीदार और नामित अभिकरणों के साथ निर्धारित की गई दर पर मूल्य संवर्धन को प्राप्त करना होगा।

(iii) निर्यात की तिथि से 180 दिनों के अन्दर निर्यातकों को मूल्य निर्धारण करने और स्वर्ण ऋण की वापसी की छूट होगी। इस मूल्य के बारे में नामजद अभिकरणों को सूचित किया जाएगा जो दस्तावेजों पर कार्रवाई करने वाले बैंकों को दर की अन्तिम पुष्टि दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र जारी करेगा ताकि इस दर पर निर्यात आय को सुनिश्चित किया जाएगा।

(ड.) नामित एजेंसी निर्यातक के ईईएफसी खाते से बहुमूल्य धातु के आयात की लागत का डालर में भुगतान स्वीकार कर सकती है।

4.84 अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात

- (क) मूल्य संवर्धन मानदंड, निर्यात दायित्व अवधि और चूक के विनियमन को छोड़कर इस प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 के अधीन अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए लागू प्रक्रिया इस स्कीम हेतु भी लागू होगी। इस प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.60 के अनुसार रत्न और आभूषण मदों का मूल्य संवर्धन होगा।
- (ख) निर्यात दायित्व को प्राधिकार पत्र के तहत प्रत्येक खेप के आयात की तारीख से 120 दिन के भीतर पूरा करना होगा। तथापि, निर्यात दायित्व अवधि स्वर्ण, प्लेटिनम और चांदी के बने हुए फाइंडिंग, माउन्टिंग के आयात और आभूषणों के निर्यात होने की तारीख से 180 दिन के भीतर होगी। इसके पश्चात निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि की अनुमति नहीं होगी। अग्रिम प्राधिकार पत्र निर्यात पूरा होने के पश्चात पुनःपूर्ति के रूप में स्वर्ण का आयात कर सकता है।
- (ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक सीधे आयात के बदले नामित अभिकरणों से स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है। ऐसे मामले में, नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की आपूर्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर निर्यात दायित्व पूरा किया जाना आवश्यक होगा और नामित अभिकरण प्राधिकार पत्र की विनियमन नियंत्रण प्रति और सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति दोनों सीधे आयात के लिए अवैध कर देगा।

4.84क

ऐसे मामले जहां पैरा 4.82, 4.83, 4.84, और पैरा 4.85 के विभिन्न उप-पैरों के अंतर्गत यथा गणना की गई बहुमूल्य धातु के निर्यात/पुनः प्राप्ति/आयात/निकासी की अंतिम तिथि दिनांक 01.02.2020 और 31.07.2020 के बीच थी, ऐसी अंतिम तिथि को छह माह के लिए बढ़ाया जाता है। तथापि देश-प्रत्यावर्तन/फोरेक्स आय हेतु छूट की अवधि यथा अनुमत अवधि में छह माह जोड़कर अथवा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार जो भी कम हो, होगी।

4.84ख

ऐसे मामले जहां प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.82, 4.83, 4.84 के विभिन्न उप-पैरों के अंतर्गत यथा गणना की गई बहुमूल्य धातु के निर्यात/पुनः प्राप्ति/आयात/निकासी की अंतिम तिथि दिनांक 01.02.2021 और 30.06.2021 के बीच आई थी, ऐसी अंतिम तिथि को छह माह के लिए बढ़ाया जाता है। तथापि देश-प्रत्यावर्तन/फोरेक्स आय हेतु छूट की अवधि यथा अनुमत अवधि में छह माह जोड़कर अथवा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार जो भी कम हो, होगी।

4.85 वास्तविक चूक का विनियमन

निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने में वास्तविक चूक के मामलों में, उन बहुमूल्य धातुओं को जिन्हें उसने नामित अभिकरणों से प्राप्त किया है, को नियमित करेगा बशर्ते निर्यातक ने राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमाशुल्क का भुगतान किया हो। प्राधिकार धारक के पास विदेश व्यापार नीति के तहत जारी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रस्तुत करने का विकल्प होगा। ब्याज/दंडराशि का भुगतान नकद में करना होगा। अग्रिम प्राधिकार पत्र करने का विकल्प होगा। ब्याज/दंडराशि का भुगतान नकद में करना होगा। अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में, उपरोक्त पैराग्राफ 4.49 में दिए गए उपबन्ध लागू होंगे। यह किसी भी ऐसी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना होगा जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम तथा इसके अधीन जारी, समय-समय पर यथा संशोधित आदेश या नियमों के तहत निर्यातक के विरुद्ध की जा सकती है।

4.86 उपभोक्त्यों आदि के आयात हेतु प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र

उपभोक्त्यों इत्यादि के आयात के लिए आवेदन पत्र, जैसाकि एफटीपी के पैरा 4.35 में दिया गया है, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आयात निर्यात प्रपत्र 4ज में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.87 रत्नों और आभूषणों के निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर ले जाना

- (क) सभी ईओयू/एसईजैड यूनिटों और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बटूर, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर अमृतसर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और विजाग/विजयवाड़ा के हवाई अड्डों के माध्यम से डीटीए में स्थित सभी फर्मों से भी विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्नों और आभूषणों के पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति है। निर्यात के व्यक्तिगत तौर पर ले जाने की प्रक्रिया सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित होगी। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिये प्राप्त किया जाए

(ख) विदेश जाने वाले यात्री द्वारा निर्यात के व्यक्तिगत तौर पर ले जाने के मामले में पुनःपूर्ति दावे के लिए दस्तावेज वही होंगे जो प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.81(ग) में दिये गए हैं। प्राधिकृत कुरियर कम्पनियाँ भी उपरोक्तानुसार काम कर सकती हैं।

4.88 रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर ले जाना

सभी ई ओ यू/एसई जैड यूनिटों और दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद और जयपुर के हवाई अड्डों के माध्यम से डीटीए में स्थित सभी फर्मों से भी भारतीय आयातक/विदेशी नागरिक द्वारा रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सल को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति है। इसकी प्रक्रिया हवाई भाड़े द्वारा माल के आयात के समान होगी लेकिन जाँच और रिलीज करने के लिए पार्सलों को आयातक/विदेशी नागरिक द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकारी को सौंपा जाएगा। इस स्कीम के अन्तर्गत आयातों की निकासी सामान्य सीमाशुल्क निकासी पद्धति के अनुसार होगी।

4.89 नमूनों का शुल्क मुक्त आयात

रत्न और आभूषण मदों के विगत तीन वर के निर्यात कारोबार के औसत के 0.25 प्रतिशत अथवा 3 लाख रुपये तक के रत्न और आभूषण के नमूनों का शुल्क मुक्त आयात, जो भी कम हो, सीमाशुल्क अधिसूचना की शर्तों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अनुमत होगा।

4.90 अस्वीकृत आभूषणों का पुनः आयात

सादे/जड़ित बहुमूल्य पत्थर आभूषणों के निर्यातक को, पिछले लाइसंसिंग वर (पिछले वर्ष के निर्यात की सनदी लेखाकार के प्रमाणित प्रति के आधार पर) में सीमाशुल्क नियमों और विनियमनों के अनुसार प्रयोग किए गए निवेशों पर प्राप्त किसी शुल्क छूट/वापसी/पुनःपूर्ति लाभ की वापसी के साथ, किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत तक, अस्वीकृत और खरीदार द्वारा लौटाए गए आभूषण के शुल्क मुक्त पुनः आयात की अनुमति होगी।

4.91 हीरा और आभूषण डालर लेखा

हीरा और आभूषण डालर लेखा हेतु नीति का विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.50 में उल्लेख किया गया है। इसका संचालन आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

4.92 खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषण का निर्यात तथा आयात

(क) खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषण के निर्यात के लिए नीति विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.53 में दी गई है।

(ख) इस संबंध में ब्योरेवार प्रक्रिया संगत सीमा शुल्क नियमों और विनियमनों के द्वारा अभिशासित होगी। खेप आधार पर निर्यातित मदों (पूरे अथवा आंशिक मात्रा में) का पुनः आयात इस शर्त के अधीन होगा कि निर्यातक संगत सीमाशुल्क अधिसूचना के निर्धारित प्रावधानों का पालन करेगा ताकि यह स्थापित हो कि निर्यात किया गया माल वही है।

4.93 नामित एजेंसियों द्वारा कीमती धातु के आयात हेतु दिशानिर्देश/मॉनिटरिंग

नामित एजेंसियों द्वारा कीमती धातु के आयात संबंधी दिशा-निर्देश और मॉनिटरिंग इस प्रकार है:

(क) बहुमूल्य धातु के आयात तथा इसके वितरण और/अथवा नामित अभिकरणों के द्वारा स्वप्रयोग की मॉनिटरिंग के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा (इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निर्दिष्ट बैंकों से भिन्न):

(i) प्रत्येक नामित अभिकरणों द्वारा प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4ड में दिये गए प्रारूप के अनुसार घरेलू उपभोग के प्रयोजन हेतु और मूल्यवर्धित उत्पाद के निर्यात के लिए मूल्यवान धातु के आयात (मात्रा और मूल्य दोनों) और उसके वितरण के रिकार्ड की देखरेख करना अपेक्षित है। नामित अभिकरणों को आरबीआई और डीजीएफटी के द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों/नियमों/प्रक्रियाधे/निर्देशों का भी पालन करना होगा। वैयक्तिक सुनवाई के अवसर का मैं लाभ उठाने के बाद यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992, के तहत कार्रवाई के अलावा करने में असफल होने पर नामित अभिकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है।

(ii) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निगरानी:

नामित अभिकरणों एमएमटीसी लि., हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लि., राज्य व्यापार निगम लि, पीईसी लिमिटेड, एसटीसीएल लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड, डायमन्ड इंडिया लिमिटेड के संबंध में निगरानी रत्न एवं

आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीएण्डजेईपीसी) के द्वारा होगी। नामित अभिकरण रत्न और आभूषण संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), मुम्बई को प्रत्येक छमाही के 15 दिन के भीतर, प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4ड में दिए गए प्रारूप के अनुसार अर्ध वार्षिक रिटर्न फाईल करेगा। इसके बदले में, जीएण्डजेईपीसी अर्ध वार्षिक रिटर्न और नामित अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए आँकड़ों का संकलन करेगा और नामित अभिकरण के निष्पादन की जाँच-पड़ताल करेगा। तत्तः चात, जीजेईपीसी प्रत्येक छमाही के एक महीने के भीतर नामित अभिकरण के निष्पादन पर टिप्पणी के साथ उसके संकलित किए गए अर्ध वार्षिक रिटर्न डीजीएफटी (मुख्यालय) को अग्रेषित करेगा। प्रत्येक पूर्ण छमाही के 15 दिनों के भीतर अर्ध वार्षिक रिटर्न जमा न करने पर अथवा फाइलिंग में विलंब के मामले में, जीजेईपीसी चूककर्ता नामित अभिकरण से टिप्पणियाँ माँग सकता है। जीजेईपीसी चूककर्ता नामित अभिकरण के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए डीजीएफटी मुख्यालय को चूककर्ता नामित अभिकरण के विवरण को भी भेज सकती है।

अध्याय-5

निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (ईपीसीजी)स्कीम

5.01 नीति

विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 में ईपीसीजी स्कीम से संबंधित नीति दी गई है।

5.02 आवेदन प्रपत्र

किसी पात्र निर्यातक के पंजीकृत कार्यालय या मुख्यालय या शाखा कार्यालय या विनिर्माण इकाई द्वारा प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन, आयात-निर्यात प्रपत्र 5क में निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।

5.03 अंतरसंबंध प्रमाणीकरण

(क) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी परिशिष्ट 5क में आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र सनदी अभियन्ता (सीईसी) से अन्तरसंबंध प्रमाणपत्र जारी करेगा। ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए चार्टर्ड इंजीनियर केवल अपनी क्षमता के क्षेत्र में कार्य करेगा। निर्माण के मामले में उपयुक्त अपशिष्ट, यदि कोई हो, पूँजीगत माल के संस्थापन के समय भी नेक्सस के प्रमाणपत्र में चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित होगा और इसको जारी करने के समय ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की शर्त पत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा। प्राधिकार पत्र जारी करने के समय अनुमत इस तरह के अपशिष्ट को प्राधिकार पत्र धारक द्वारा लागू शुल्क के भुगतान पर स्कैप/अपशिष्ट के रूप में बेचने की अनुमति दी जाएगी।

(ख) परिवर्धन करने/हटाने सहित आयात मद (मदों) की सूची में संशोधन हेतु आवेदन यदि कोई है, को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है बशर्ते कि आयात के लिए प्राधिकार पत्र वैध है। आवेदक को स्वतंत्र सनदी अभियन्ता से नए अंतरसंबंध प्रमाणपत्र के साथ ऐसे संशोधन (संशोधनों) के अनुरोध हेतु औचित्य देना होगा।

(ग) परिवर्धन (परिवर्धनों)/हटाने सहित निर्यात मद (मदों) की सूची में संशोधन हेतु आवेदन, यदि कोई है, को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि वैध है और पूँजीगत माल का निर्यात उत्पाद के साथ अंतरसंबंध है। आवेदक को स्वतंत्र सनदी अभियन्ता से नए अंतरसंबंध प्रमाणपत्र के साथ ऐसे संशोधन (संशोधनों) के अनुरोध हेतु औचित्य देना होगा।

5.04 पूँजीगत माल के संस्थापन का प्रमाणपत्र

(क) प्राधिकार पत्र धारक आयात पूरा करने के 6 महीने के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमाशुल्क प्राधिकारी या स्वतंत्र सनदी अभियन्ता से एक प्रमाण-पत्र प्राधिकार पत्र धारक के विकल्प पर प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात की पुष्टि हो कि पूँजीगत माल को प्राधिकार पत्र धारक या उसके सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के फैक्टरी/परिसरों में संस्थापित कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए 5000/- रु. की संरचना शुल्क के साथ उक्त अवधि को एक बार और 12 महीने की अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। जहां प्राधिकार पत्र धारक स्वतंत्र सनदी अभियन्ता के प्रमाणपत्र का चयन करता है, वहां वह क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रमाणपत्र की एक प्रति सूचना/अभिलेख के लिए भेजेगा। प्राधिकार पत्र धारक को आईईसी और आरसीएमसी में उल्लिखित अन्य इकाई को इस अवधि के दौरान पूँजीगत माल का नए संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थानान्तरण करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

- (ख) कलपुर्जों के आयात के मामले में, प्राधिकार पत्र धारक द्वारा संस्थापन प्रमाण-पत्र आयात की तिथि से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

5.05 पंजीकरण पत्तन

आयातों के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.35 के अनुसार एक मात्र पंजीकरण पत्तन के साथ ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। तथापि, प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.35 में विनिर्दिष्ट किसी भी पत्तन से निर्यात किया जा सकता है।

5.06 पुर्जों, औजारों, रिफ्रैक्ट्रीज और उत्प्रेरकों का आयात

- (क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.01 के उप-पैरा (क), (iii) और (iv) के तहत शामिल पूंजीगत माल की खरीद के लिए आवेदनों में सनदी अभियंता अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित, आवेदक की फैक्टरी/परिसर जिसके लिए ऐसे पूंजीगत माल की आवश्यकता है, में संस्थापित संयंत्र/मशीनरी की सूची संलग्न होनी चाहिए।”
- (ख) पुर्जों के आयात के मामलों में, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र पुर्जों की सूची को विनिर्दिष्ट नहीं करेगा बल्कि निम्नलिखित को दर्शाएगा:

- (i) संयंत्र/मशीनरी का नाम जिसके लिए पुर्जों की आवश्यकता है।
- (ii) प्राधिकार पत्र के तहत अनुमत बचाए गए शुल्क का मूल्य।
- (iii) निर्यात किए जाने वाले उत्पाद का विवरण और निर्यात दायित्व का मूल्य।

- (ग) प्राधिकार पत्र धारक स्कीम के तहत आयातित विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.01 के उप-पैरा (क), (iii) और (iv) के अन्तर्गत शामिल पूंजीगत माल का स्टॉक और खपत रजिस्टर रखेगा तथा ईओडीसी, प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन के समय धारक इस रजिस्टर के आधार पर संस्थापित पूंजीगत माल में उनके उपयोग की पुष्टि करते हुए स्वतंत्र सनदी अभियंता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

5.07 ईओयू/पुनर्स्थापित एसईजेड इकाइयों का ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत डीटीए इकाई में परिवर्तन

- (क) ईओयू/पुनर्स्थापित एसईजेड एकक, डीटीए इकाई में परिवर्तन करते समय ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए निर्धारित दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकता है। संबंधित विकास आयुक्त से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करना होगा।
- (ख) इकाई जो ईओयू/एसईजेड स्कीम से ईपीसीजी स्कीम में परिवर्तित होती है, की निर्यात दायित्व अवधि वही होगी जो विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के पैरा 5.01 के अनुसार सीधे ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक के लिए उपलब्ध है।
- (ग) यदि एक स्टैंडअलोन ईओयू/एसईजेड इकाई ईओयू से ईपीसीजी स्कीम के लिए डी-बॉन्ड करना चाहती है, तो औसत निर्यात दायित्व का निर्वाह कायम रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इकाई को पूंजीगत माल के मूल्यद्वयस की राशि, जिसके लिए प्राधिकार पत्र लिया गया है, पर बचाए गए आनुपातिक शुल्क के छह गुना के बराबर केवल विशिष्ट निर्यात दायित्व का निर्वाह कायम रखने की आवश्यकता होगी।
- (घ) यदि किसी फर्म/कम्पनी की एक इकाई ईपीसीजी स्कीम के लिए ईओयू से अलग होना चाहती है जबकि अन्य इकाई (इकाइयां) डीटीए इकाइयां हैं तो फर्म/कम्पनी (अलग होने वाली इकाई को छोड़कर) को जारी प्राधिकार पत्रों के लिए औसत निर्यात दायित्व अपरिवर्तित रहेगा तथा इकाई के अलग होने के बाद औसत निर्यात दायित्व फर्म/कम्पनी जो फर्म/कम्पनी की सभी इकाइयों के लिए साथ-साथ चलता है, के कुल निर्यात से अलग हुई इकाई द्वारा किए गए निर्यात को छोड़कर निर्धारित किया जाएगा। इस तरह के मामले में, पूंजीगत माल के ह्रासित मूल्य पर आनुपातिक शुल्क बचत राशि के 6 गुना का समतुल्य विशिष्ट निर्यात दायित्व ईपीसीजी स्कीम में जाने वाली इकाई पर लगाया जाएगा।

5.08 एसईजेड से आयात

(क) यदि एसईजेड से नए पूंजीगत माल के आयात के लिए प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन के साथ अनुरोध किया जाता है, तो आरए “एसईजेड से आपूर्ति का प्रमाण पत्र” जारी कर सकता है, जिसमें आयात मदों को “प्रत्यक्ष आयात हेतु अमान्य” बनाने के पश्चात अनुरोधित मदों का विवरण शामिल है। “एसईजेड से आपूर्ति का प्रमाण पत्र” में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:—

(i) नाम, पता और एसईजेड इकाई का जीएसटीआईएन।

(ii) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक की प्राप्तकर्ता इकाई जहां पूंजीगत वस्तुएं संस्थापित की जाएंगी का जीएसटीआईएन और पता

(iii) नाम, विनिर्देशों सहित विवरण, जहां लागू हो, और मदों की मात्रा: तथा

(iv) खरीदी जाने वाली मदों का अलग-अलग मूल्य।

(ख) उक्त “एसईजेड से आपूर्ति का प्रमाण पत्र” प्राधिकार पत्र धारक, एसईजेड आपूर्तिकर्ता इकाई, एसईजेड में नामित अधिकारी और संबंधित पत्तन सीमा शुल्क अधिकारियों को एक-एक प्रति के साथ चार प्रतियों में जारी किया जाएगा। उपरोक्त प्रमाणपत्र प्राधिकार पत्र के ऑनलाइन संशोधन के रूप में जारी किया जाएगा और प्रेषित किया जाएगा।

(ग) ऐसे मामलों में जहां “एसईजेड से आपूर्ति का प्रमाण पत्र” जारी करने का अनुरोध किया जाता है, तो यह आवेदन के समय प्राधिकार पत्र के वास्तविक उपयोग को सत्यापित करने के लिए आरए हेतु प्राधिकार पत्र पर उल्लिखित यथोचित सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी प्राधिकार पत्र उपयोग स्थिति के साथ होगा। उपयोगिता की स्थिति के अनुसार उपलब्ध मात्रा की सीमा तक प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है। यदि प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन के साथ “एसईजेड से आपूर्ति का प्रमाण पत्र” के लिए अनुरोध किया जाता है, तो शेष प्रक्रिया वही लागू होगी।

5.09 स्वदेशी रूप से विनिर्मित पूंजीगत माल की प्राप्ति

(क) स्वदेशी रूप से विनिर्मित पूंजीगत माल को प्राप्त करने का इच्छुक ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक अग्रिम निर्गम आदेश (एआरओ) जारी करने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी को अनुरोध करेगा।

(ख) विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 के अनुसार मान्य निर्यात लाभ उपलब्ध होंगे।

(ग) यह अनुरोध आवेदन पत्र के साथ अथवा ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि के दौरान किया जा सकता है।

(घ) आवेदक पूंजीगत माल के विनिर्माता (ओं) का नाम और पता देगा।

(ङ.) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी अवैधीकरण पत्र/एआरओ चार प्रतियों में जारी करेगा।

(च) अवैधीकरण पत्र/एआरओ की वैधता अवधि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि के साथ समाप्त होगी।

5.10 निर्यात दायित्व को पूरा करने की शर्त

विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 5.04 में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:

(क) सहायक विनिर्माता और निर्यातक का नाम निर्यात दस्तावेजों पर दर्शाया जाएगा।

(ख) यदि प्राधिकार पत्र धारक एक तृतीय पक्ष के माध्यम से निर्यात करना चाहते हैं तो उनको निर्यात दस्तावेज जैसे पोत लदान बिल/निर्यात बिल इत्यादि में ईपीसीजी प्राधिकार पत्र संख्या के साथ प्राधिकार पत्र धारक और सहायक विनिर्माता, दोनों के नाम, यदि कोई है, दर्शाने होंगे। शिपिंग बिल/निर्यात बिल, जीएसटी बीजक और ईबीआरसी/आरबीआई के ईडीपीएमएस से निर्यात प्राप्ति तृतीय पक्ष के निर्यातक के नाम पर होनी चाहिए। तृतीय पक्ष के माध्यम से निर्यात किया गया माल ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक अथवा सहायक विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किया जाना चाहिए जहां प्राधिकार पत्र के अंतर्गत आयातित पूंजीगत माल को संस्थापित किया गया है। प्राधिकार पत्र धारक द्वारा विनिर्मित वस्तुओं को अंतिम निर्यातक (तृतीय पक्ष निर्यातक) द्वारा आगे की प्रक्रिया के बिना उसी रूप में निर्यात किया जाएगा। तीसरे पक्ष के निर्यातक के

खाते से प्राधिकार पत्र धारक के खाते में सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से इस प्रकार से प्राप्त आय को ही निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए माना जाएगा।

- (ग) तीसरे पक्ष से अस्वीकरण प्रमाणपत्र कि वे, इस तरह की आय का उपयोग उनके द्वारा प्राप्त किसी भी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र (ओं) की ईओ पूर्ति के लिए नहीं करेंगे।
- (घ) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक तृतीय पक्ष (पक्षों) के निर्यातक (कों) के माध्यम से ईओ के निर्वहन हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
- (i) प्राधिकार पत्र धारक के कारखाने के परिसर से अंतिम निर्यातक/निर्यात के पत्तन को माल प्रेषित किए जाने का प्रमाण अर्थात्
- (क) जीएसटी नियमों के तहत निर्धारित निर्यात के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/कर चालान द्वारा एआरई 1 प्रमाण पत्र सीमा शुल्क विभाग द्वारा उचित प्रमाणीकरण के साथ शिपिंग बिल संख्या, तिथि और ईपीसीजी प्राधिकार पत्र संख्या के साथ निर्यात की पुष्टि करता है, या
- (ख) यदि इकाई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/जीएसटी के साथ पंजीकृत नहीं है तो बीजक पत्र जिसमें प्रेषण के समय संबंधित ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र की संख्या और तिथि का विधिवत उल्लेख किया गया हो।
- (ii) प्राधिकार-पत्र धारक के परिसर से तृतीय पक्ष/निर्यात पत्तन को भेजे गए माल की लॉरी रसीद/संभार-तंत्र साक्ष्य।
- (iii) स्टाम्प पेपर पर तृतीय पक्ष द्वारा शपथ-पत्र दिया जाए जिसमें घोषित किया जाए कि निर्यात-कथन में दिए गए विवरण के अनुसार लाइसेंस धारक की ओर से निर्यात दायित्व को पूरा करने हेतु निर्यात किए जाने वाले उत्पादों का विनिर्माण लाइसेंस-धारक द्वारा किया गया था।
- (iv) तृतीय पक्ष को आपूर्ति करने पर ऐसे निर्यात के कारण सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से तृतीय पक्ष निर्यातक के खाते से प्राधिकार-पत्र धारक के खाते में आय की प्राप्ति होने हेतु वित्तीय साक्ष्य।
- (v) तीसरे पक्ष के निर्यातक से अस्वीकरण प्रमाण पत्र कि वे अपने द्वारा प्राप्त किसी भी ईपीसीजी प्राधिकार (ओं) की ईओ पूर्ति के लिए ऐसी आय का उपयोग नहीं करेंगे।

5.11 निर्यात से आय की प्राप्ति

एफटीपी के पैरा 2.53 के अनुसार विदेश व्यापार नीति के अध्याय 7 के तहत डीमड निर्यात आपूर्ति को छोड़कर, निर्यात आय को मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में या भारतीय रुपये में वसूल किया जाएगा। एसईजेड इकाइयों को निर्यात/डेवलपर्स/कोडेवलपर्स को आपूर्ति चाहे वसूली की मुद्रा कुछ भी हो, को भी निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए गिना जाएगा। एसईजेड इकाइयों को आपूर्ति के मामले में वसूली एसईजेड इकाई के विदेशी मुद्रा खाते से होगी।

5.12 औसत निर्यात दायित्व की गणना

औसत निर्यात दायित्व की गणना करते समय वैध निर्यात दायित्व समयावधि (मूल अथवा बढ़ाया गया) के अंदर ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए विशिष्ट निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए गणना किए गए/गणना किए जा रहे पूर्ववर्ती तीन वर्षों में किए गए निर्यात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

5.13 निर्यात दायित्व को ब्लॉकवार पूरा करना

- (क) ईपीसीजी स्कीम के तहत प्राधिकार पत्र धारक औसत निर्यात दायित्व बनाए रखते समय निर्धारित ब्लॉक अवधि में निम्नलिखित अनुपात में विशिष्ट निर्यात दायित्वों को एक विशेष अवधि में पूरा करेगा:

प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से अवधि	पूरा किया जाने वाला न्यूनतम निर्यात दायित्व
1 से 4 वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत

प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से अवधि	पूरा किया जाने वाला न्यूनतम निर्यात दायित्व
5 और 6 वर्ष का ब्लॉक	बाकी निर्यात दायित्व

(ख) प्राधिकार पत्र धारक निर्यात दायित्व के साथ-साथ औसत निर्यात के पूरा होने पर ब्लॉक पूरा होने के तीन महीने के भीतर डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करके सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(ग) पहले ब्लॉक की निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध ब्लॉक से संबंधित ईओ पर बचाई गई शुल्क राशि के अनुपात में ड्यूटी राशि पर 2 प्रतिशत की संरचना शुल्क के साथ पहले ब्लॉक ईओ अवधि की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। आरए 10,000 रुपये प्रति प्राधिकार पत्र के विलंब शुल्क के साथ ब्लॉक वार ईओ अवधि के विस्तार के अनुरोध पर विचार कर सकता है, जो 6 महीने के बाद, लेकिन प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से 6 साल के भीतर प्राप्त होता है। संबंधित आरए द्वारा नियमितीकरण उद्देश्य के लिए ब्लॉक-वार ईओ अवधि के विस्तार के लिए प्रति प्राधिकार पत्र प्रति वर्ष 5,000/- रुपये के अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ 6 साल से अधिक के आवेदन पर भी विचार किया जाएगा। यह विलंब शुल्क संरचना शुल्क के अतिरिक्त है जो निर्यात दायित्व में कमी के कारण देय हो सकता है। जहां पहले ब्लॉक का ईओ उपरोक्त पैरा (क) के संदर्भ में पूरा नहीं होता है, उन मामलों को छोड़कर जहां पहले ब्लॉक के लिए निर्धारित ईओ को आरए द्वारा बढ़ाया जाता है, प्राधिकार पत्र धारक ब्लॉक की समाप्ति से 6 महीने के भीतर प्रथम ब्लॉक के कुल अपूर्ण ईओ पर बचाई गई शुल्क राशि के अनुपात में सीमा शुल्क (डीओआर द्वारा अधिसूचित लागू ब्याज के साथ) का भुगतान करेगा।

(घ) (i) 1 अप्रैल, 2002 से 31 अगस्त, 2004 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण-02) के पैरा 5.8 के उपबन्धों द्वारा अधिशासित होंगे।

(ii) 1 सितम्बर, 2004 से 17 अप्रैल, 2013 तक जारी प्राधिकार पत्र 17.04.2013 तक यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण-12) के पैरा 5.8 के उपबन्धों द्वारा अधिशासित होंगे।

(iii) 18.04.2013 से विदेश व्यापार नीति 2015-20 की अधिसूचना जारी होने तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र, सार्वजनिक सूचना संख्या 1 दिनांक 18.04.2013 के जरिए यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 5.8 के उपबन्धों द्वारा अधिशासित किए जाएंगे।

(iv) 1 अप्रैल, 2015 से 4 दिसम्बर, 2017 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र सार्वजनिक सूचना संख्या 1 दिनांक 01.04.2015 द्वारा यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.14 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

(v) 5 दिसम्बर, 2017 से 31 मार्च, 2023 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र सार्वजनिक सूचना संख्या 43 दिनांक 05.12.2017 द्वारा यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.14 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

5.14 निर्यात दायित्व पूरा करने की वार्षिक रिपोर्टिंग

प्राधिकार पत्र धारक प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक संबंधित आरए को निर्यात दायित्व पूरा करने की रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करेगा। इस तरह की रिपोर्ट में शिपिंग बिल/जीएसटी चालान संख्या, निर्यात/आपूर्ति की तारीख, निर्यात/आपूर्ति/सेवा प्रदान किए गए उत्पाद का विवरण और एफओबी/निर्यात/आपूर्ति के मूल्य के साथ-साथ औसत निर्यात दायित्व दोनों के विवरण के साथ एक ब्योरा शामिल होगा। ऐसी वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने में किसी भी देरी को प्रत्येक प्राधिकार पत्र के लिए प्रति वर्ष 5000/- रुपये के विलंब शुल्क के भुगतान पर नियमित किया जाएगा।

5.15 10 प्रतिशत शुल्क बचत राशि तक स्वतः कमी/वृद्धि और निर्यात दायित्व में यथानुपात कमी/वृद्धि

यदि जारी किया गया प्राधिकार पत्र का वस्तुओं के आयात के लिए वास्तव में उपयोग किया गया हो:-

(क) प्राधिकार पत्र पर दर्शायी गई, बचायी गई शुल्क राशि का आधिक्य जो 10 प्रतिशत से अधिक न हो, प्राधिकार-पत्र उस अनुपात द्वारा बढ़ाया हुआ माना जाएगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पृष्ठांकन के बिना, प्राधिकार पत्र के ऐसे माल की निकासी की अनुमति स्वतः ही दे देगा। प्राधिकारी-पत्र धारक ईओडीसी हेतु आवेदन के समय संबंधित

क्षेत्रीय प्राधिकारी को बचाई गई शुल्क राशि में आयात के एक महीने के भीतर, किए गए अतिरिक्त आयात को शामिल करने के लिए अतिरिक्त फीस देगा। निर्यात दायित्व स्वचालित रूप से आनुपातिक रूप से बढ़ा हुआ माना जाएगा।

(ख) प्राधिकार-पत्र पर दर्शायी गई, बचायी गई शुल्क राशि 10 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की बचत शुल्क राशि में वृद्धि को अनुमत कर सकता है। प्राधिकार पत्र धारक सीमाशुल्क प्राधिकारी को अतिरिक्त बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।

(ग) प्राधिकार-पत्र पर दर्शायी गई, बचायी गई राशि शुल्क राशि से कम हो तो, उसका निर्यात दायित्व प्राधिकार पत्र के वास्तविक प्रयोग के सन्दर्भ में यथानुपात आधार पर कम हो जाएगा।

5.16 निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार

(क) विदेश व्यापार नीति 2023 की अधिसूचना से पूर्व जारी ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र की निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार प्राधिकार-पत्र जारी होने की तारीख को लागू प्रक्रिया-पुस्तक के संगत प्रावधानों द्वारा अभिशसित होगा।

(ख) 6 वर्ष से अधिक के निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के मामले में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक एक-एक वर्ष के लिए निर्यात दायित्व अवधि में प्रत्येक दो वर्षों की बढोतरी हेतु प्रत्येक वर्ष के विस्तार के लिए अपूर्ण निर्यात दायित्व पर बचाई गई समानुपातिक शुल्क राशि के 2 प्रतिशत के बराबर संयोजन शुल्क का भुगतान किए जाने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, न्यूनतम संयोजन शुल्क 10,000 रुपये होगा।

(ग) निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार हेतु अनुरोध निर्यात दायित्व अवधि की वैधता की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को किया जाएगा। हालांकि, आरए 6 महीने के बाद प्राप्त विस्तार के अनुरोध पर विचार कर सकता है, लेकिन ईओ अवधि की विस्तार योग्य वैधता के भीतर, 10,000/— रुपये के विलंब शुल्क के साथ। 15,000/— रुपये के विलंब शुल्क के भुगतान पर ईओ अवधि की समाप्ति के बाद 6वें से 8वें वर्ष तक नियमितीकरण के उद्देश्य के विस्तार के अनुरोध पर भी विचार किया जा सकता है। यह शुल्क संरचना शुल्क के अतिरिक्त है जो निर्यात दायित्व में कमी के कारण देय हो सकता है। तथापि, इस प्रावधान के तहत आरए द्वारा प्राधिकार-पत्र जारी करने की तारीख से 8 साल से अधिक ईओ विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) उपरोक्त उप-पैरा (क) के बावजूद, उपरोक्त उप-पैरा (ख) और (ग) एफटीपी (2015-20) के तहत जारी किए गए प्राधिकार-पत्रों के लिए भी लागू होंगे।

5.17 औसत निर्यात दायित्व में राहत

(क) उन क्षेत्रों के निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए जहाँ उस क्षेत्र/उत्पाद समूह का कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत से अधिक कम हुआ है, पिछले वर्षों की तुलना में संबद्ध वर्षों में उस विशेष क्षेत्र/उत्पाद समूह के निर्यातों के समानुपात में वर्षों के लिए औसत निर्यात दायित्व को कम किया जा सकता है। तथापि, यदि निर्यात में वर्षों तक लगातार कमी जारी रहती है, तो औसत निर्यात दायित्व में पात्रता की गणना और कमी की गणना का आधार वर्ष उस वर्ष को माना जाएगा, जिसके बाद निर्यात में लगातार कमी आई है।

(ख) क्षेत्रों/उत्पाद समूहों जिनके लिए इस छूट की अनुमति दी जानी है, पिछले वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के सात महीनों के अंदर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों को सूचित किया जाएगा और तदनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकारी उस क्षेत्र/उत्पाद समूह के निर्यातकों के लिए वार्षिक औसत निर्यात दायित्व का पुनः निर्धारण करेंगे।

5.18 वार्षिक औसत निर्यात दायित्व का रख-रखाव

एक वर्ष के दौरान ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के औसत निर्यात दायित्व पूर्ति की दिशा में किए गए अतिरिक्त निर्यात का उपयोग निर्यात दायित्व अवधि या ब्लॉक अवधि के अन्य वर्ष (वर्षों) में किए गए औसत निर्यात दायित्व में किसी भी कमी को दूर करने के लिए किया जा सकता है जैसा भी मामला हो बशर्ते लगाया गया निर्यात दायित्व ब्लॉक अवधि या निर्यात दायित्व अवधि के भीतर समग्र आधार पर बनाया रखा जाता हो।

5.19 निर्यात उत्पाद पर रोक के मामले में स्वतः निर्यात दायित्व विस्तार

जब कभी किसी उत्पाद के निर्यात पर रोक/प्रतिबंध लगाया जाता है, ऐसे निर्यात उत्पादों पर रोक लगाने से पूर्व पहले से जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के सम्बंध में निर्यात दायित्व अवधि, बिना किसी संयोजन शुल्क के ऐसी रोक की अवधि की

समतुल्य अवधि के लिए स्वतः बढ़ जाएगी। प्राधिकार-पत्र धारक को रोक की अवधि के लिए औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

5.20 निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी)

(क) निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण के रूप में, प्राधिकार पत्र धारक आयात-निर्यात प्रपत्र 5ख में निर्धारित किए गए दस्तावेजों सहित निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, सन्तुष्ट होने पर, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को निर्यात निर्वहन प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति, एपीआई मैसेज एक्सचेंज के माध्यम से आईसगेट को क्षेत्राधिकार सीमाशुल्क प्राधिकारियों जिनके साथ बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित की गई है, आगे की कार्यवाही के लिए अग्रेषित की जाएगी।

(ग) क्षेत्रीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आवेदन साधारणतया 30 दिनों के भीतर निपटाए जाएं। यदि कोई कमी है तो उसे एक बार में बताया जायेगा। एक बार दस्तावेज पूरे हो जाने पर सभी दस्तावेजों/सूचनाओं के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्यात दायित्व पूरा करना होगा।

5.21 वास्तविक चूक को नियमित करना और ईपीसीजी स्कीम से बाहर निकलना

(क) प्राधिकार पत्र धारक के पास किसी भी समय अप्रयुक्त प्राधिकार-पत्र को वापस करने का विकल्प होगा। ऐसे मामलों में कोई जुर्माना या शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

(ख) यदि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो वह, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित लागू ब्याज के साथ निर्यात दायित्व में कमी के अनुपात में सीमा शुल्क/कर/उपकर जो भी लागू हो का भुगतान करेगा। ऐसी सुविधा ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक द्वारा अपने विकल्प से बाहर निकलने के लिए भी प्राप्त की जा सकती है।

(ग) अवैधीकरण पत्र/एआरओ के माध्यम से पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू स्रोतों के मामले में, देय शुल्कों, करों और उपकरों का भुगतान पूंजीगत वस्तुओं (स्पेअर्स, जिम्स, फिक्चर्स, डाइज और मोल्ड्स सहित) के एफओआर पर बचाए गए अनुमानित सीमाशुल्क/करों/उपकरों के संदर्भ में होगा।

(घ) प्राधिकार-पत्र धारक प्रक्रिया-पुस्तक के पैरा 4.50 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार स्व-गणना के आधार पर स्वतः ही शुल्क और ब्याज का अनंतिम रूप से भुगतान कर सकता है।

5.22 अभिलेखों का रख-रखाव

प्रत्येक ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र धारक विमुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए, निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए की गई आपूर्ति और प्रदान की गई सेवाओं/निर्यात का सही और उचित लेखा रखेगा।

5.23 ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल का पुनः निर्यात/मरम्मत/पुनः स्थापन

(क) ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल जिसे खराब अथवा प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उसे आरए/सीमा-शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से सीमाशुल्क विभाग द्वारा दी गई निकासी की तारीख से 3 वर्षों के भीतर विदेशी आपूर्तिकर्ता को पुनः निर्यात कर सकते हैं। परिणामस्वरूप निर्यात दायित्व पुनः निर्धारित किया जाएगा।

(ख) आयातित और खराब पाए गए अथवा अन्यथा प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं पाये गए पूंजीगत माल का आरए/सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से ऐसे माल की सीमा शुल्क विभाग द्वारा दी गई निकासी तिथि से दो वर्षों के भीतर निर्यात किया जा सकता है तथा इसके बदले में ईपीसीजी स्कीम के तहत पूंजीगत माल का आयात किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, निर्यात की अनुमति देते समय, सीमाशुल्क विभाग प्राप्त किए गए शुल्क लाभ को क्रेडिट करेगा जिसे ऐसे प्रतिस्थापित पूंजीगत माल का आयात करने के समय पुनः घटाया जा सकता है।

(ग) ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल को आरए/सीमाशुल्क प्राधिकारी की अनुमति से सीमाशुल्क विभाग द्वारा दी गई निकासी की तिथि से तीन वर्षों के भीतर विदेशों में मरम्मत के लिए पुनः निर्यात किया जा सकता है। मरम्मत तथा बीमा और भाड़ा पर दोनों ओर से किए गए व्यय संबंधी शुल्क संघटक पर निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।

5.24 दण्डात्मक कार्रवाई

निर्यात दायित्व या प्राधिकार पत्र की किसी अन्य शर्त को पूरा करने में असफल रहने पर, प्राधिकार पत्र धारक के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1992 यथासंशोधित तथा उसके तहत बनाए गए आदेशों और नियमों एवं विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया-पुस्तक तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 समय-समय पर यथा संशोधित और प्रचलित किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

5.25 ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग

- (क) एक ही प्राधिकार पत्र धारक को दो अथवा इससे अधिक ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की अनुमति होगी।
- (ख) क्लबिंग के लिए आवेदन-संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को एएनएफ 5g में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लबिंग की अनुमति केवल तब ही दी जाएगी यदि प्राधिकार-पत्रों पर पृष्ठांकित निर्यात उत्पाद वही/समान है और प्राधिकार-पत्र उसी क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हों।
- (ग) क्लब किए गए प्राधिकार-पत्रों के बचाए गए शुल्क की कुल राशि को ध्यान में रखते हुए कुल निर्यात दायित्व पुनः निर्धारित किया जाएगा।
- (घ) क्लबिंग करने पर, सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकार पत्र को एकल ईपीसीजी प्राधिकार पत्र माना जाएगा। क्लब किए प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व अवधि प्रथम प्राधिकार पत्र जारी होंगे की तिथि से मानी जाएगी।
- (ङ.) इस प्रकार क्लब किए गए प्रत्येक प्राधिकार पत्र के लिए औसत निर्यात दायित्व क्लबिंग के लिए अलग-अलग प्राधिकार पत्र पर लगाए गए औसत निर्यात दायित्वों का अधिकतम होगा।
- (च) विस्तारित अवधि यदि कोई हो, सहित वैध निर्यात दायित्व अवधि के दौरान क्लबिंग की अनुमत होगी। तथापि, सभी प्रकार के प्राधिकार पत्रों के मामले में क्लबिंग जहां निर्यात दायित्व अवधि समाप्त हो गई है नियमितीकरण उद्देश्य के लिए अनुमत होगा बशर्ते कि वे उसी नीतिगत अवधि में जारी किए गए हों।
- (छ) ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग के मामले में, जहां निर्यात दायित्व वैकल्पिक उत्पादों/सेवाओं के निर्यात द्वारा पूरा किया जा सकता है, निर्यात दायित्व पूर्ति/नियमितीकरण के लिए वैकल्पिक उत्पादों/सेवाओं का अनुपात क्लब किए गए प्राधिकार पत्रों में अनुमत वैकल्पिक उत्पादों/सेवाओं के न्यूनतम प्रतिशत तक सीमित होगा।
- (ज) 01.04.2007 से पूर्व जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (आर ई-2006) के अध्याय 5 में निहित प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगे। 01.04.2007 और 17.04.2013 के बीच जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (आर ई-2012 यथा संशोधित) के अध्याय 5 में निहित शर्तों द्वारा अभिशासित होंगे। दिनांक 18.04.2013 से प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 की अधिसूचना तक के दौरान जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र दिनांक 18.04.2013 की सार्वजनिक सूचना सं0 1 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगे। प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 (आरई-2017) की अधिसूचना से प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 (आरई-2017) की अधिसूचना के बीच जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 में निहित प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगे। एचबीपी 2015-20 (आरई-2017) की अधिसूचना से एचबीपी 2023 की अधिसूचना तक जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र एचबीपी 2015-20 (आरई-2017) में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

5.26 हरित प्रौद्योगिकी उत्पाद

विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.10 के तहत शामिल किए गए निर्यात उत्पाद जिसमें हरित प्रौद्योगिकी उत्पाद के लिए 75 प्रतिशत तक घटाया हुआ निर्यात दायित्व का प्रावधान किया गया है:

- (i) सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली और उसके पुर्जों/उपकरण,
- (ii) पवन ऊर्जा उत्पादन प्रणाली और उसके पुर्जों/उपकरण,
- (iii) विभिन्न प्रकार की एलईडी रोशनी,
- (iv) वाष्प अवशोषण चिलर,
- (v) वेस्ट हीट बॉयलर,
- (vi) वेस्ट हीट रिकवरी इकाइयां,

- (vii) अनफायर हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर,
- (viii) वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट
- (ix) सभी प्रकार के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) [हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (एचईवी) और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (पीएचईवी) के अलावा]
- (x) वर्टिकल फार्मिंग इक्यूपमेंट,
- (xi) अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण,
- (xii) वर्षा जल संचयन प्रणाली और वर्षा जल फिल्टर, और
- (xiii) ग्रीन हाइड्रोजन।

अध्याय-6

निर्यात अभिमुख इकाई (ईओयू),

इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी),

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) और

बायो टेक्नोलॉजी पार्क (बीटीपी)

6.00 स्कीम

निर्यात अभिमुख इकाई (ईओयू), इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) व बायो टेक्नोलॉजी पार्क (बीटीपी) स्कीम से संबंधित नीति, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय 6 में दी गयी है।

6.01 आवेदन/अनुमोदन/अनुमोदन का नवीकरण

(क) ईओयू स्थापित करने हेतु परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के आयात-निर्यात प्रपत्र 6क के अनुसार आवेदन की तीन प्रतियां विकास आयुक्त को प्रस्तुत करनी होंगी।

(ख) (i) ईओयू स्कीम के तहत इकाइयों की स्थापना हेतु प्रस्तावों के आवेदन, परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट-6क में उल्लिखित मापदण्डों तथा परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 6ख में दी गई अनुमोदन संबंधित क्षेत्र विशिष्ट शर्तों के अनुसार 15 दिनों के भीतर इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित अथवा रद्द किया जाएगा। अन्य मामलों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा स्वीकृति देने के बाद विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

(ii) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क परिसरों को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा उनके किसी भी संयोजन द्वारा स्थापित किया जा सकता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग-एमईआईटीवाई की अन्तर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। ईएचटीपी/एसटीपी इकाई स्थापित करने हेतु आवेदन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होगा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

(iii) बीटीपी इकाई केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा इनके किसी भी संयोजन द्वारा स्थापित किया जा सकता है। बीटीपी स्थापित करने हेतु आवेदन जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीओबीटी) को प्रस्तुत करना होगा और ऐसे आवेदन जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को पूरे करते हों उन्हें अनुमोदित किया जाएगा और डीजीएफटी को अधिसूचना हेतु संस्तुत किया जाएगा। बीटीपी इकाई को स्थापित करने हेतु आवेदन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

(ग) अनुमोदन होने पर एक अनुमति पत्र (एलओपी)/आशय पत्र (एलओआई) को विकास आयुक्त/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई के नामित अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। एलओपी/एलओआई की प्रारंभिक

वैधता 2 वर्ष की होगी ताकि इकाई संयंत्र का निर्माण कार्य और मशीनरी संस्थापित कर सके तथा इस समय तक इकाई को उत्पादन प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि इकाई प्रारंभिक 2 वर्षों की वैधता-अवधि में उत्पादन प्रारंभ करने में असमर्थ है तो विकास आयुक्त द्वारा लिखित में वैध कारणों का उल्लेख करते हुए एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। तदोपरांत इकाई अनुमोदन समिति द्वारा एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है बशर्ते इकाई को स्थापित करने से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्यकलाप पूरे किए गए हों तथा इस संबंध में इकाई द्वारा सनदी अभियंता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए। इसके आगे अतिरिक्त समय यदि आवश्यक हो, अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा। एक बार इकाई द्वारा उत्पादन शुरू करने पर इसके कार्यकलापों हेतु जारी किया गया अनुमति पत्र (एलओपी)/एलओआई 5 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा। इस अवधि को विकास आयुक्त द्वारा एक बार में 5 वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, बाहर निकलने की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक एलओपी के विस्तार के मामले में, डीसी द्वारा एलओपी को सीमित अवधि यानी 5 साल से कम के लिए बढ़ाया जा सकता है।

- (घ) औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ईओयू स्थापित करने के प्रस्तावों को अनुमोदन बोर्ड (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 6ग और एएनएफ के अनुसार) और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गुण-दोष के आधार पर 45 दिनों के भीतर विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।
- (ङ) तैयार माल, उप-उत्पाद और डीटीए में अपशिष्ट की बिक्री तथा ऐसे अन्य मामले जो आवश्यक हों के संबंध में एलओपी/एलओआई में विनिर्माण मर्दे/सेवा गतिविधियों, वार्षिक क्षमता, डालरों में प्रथम पांच वर्षों के लिए अपेक्षित वार्षिक निर्यात, निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एनएफई) सीमाओं यदि कोई हो, का उल्लेख होगा और ऐसी शर्तें भी होंगी जो अपेक्षित हों।
- (च) संबंधित प्राधिकारी द्वारा ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों को जारी एलओपी/एलओआई सभी उद्देश्यों हेतु प्राधिकार पत्र माने जाएंगे। ईओयू हेतु एलओपी का मानक प्रपत्र परिशिष्ट और एएनएफ के परिशिष्ट 6घ में दिया गया है।
- (छ) ईओयू के पास अलग एलओपी हेतु अलग निर्धारित परिसर होंगे। इसी प्रकार, ईओयू लीज परिसरों पर अनुमोदित की जा सकती हैं बशर्ते कि लीज सरकारी विभाग/उपक्रम/एजेंसी से प्राप्त की गयी हो। तथापि, यदि लीज निजी पक्षों से प्राप्त की गयी हो, तो इसकी वैधता एल्यूटी की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक होगी तथा विकास आयुक्त लीज की वास्तविकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।
- (ज) विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.05 में उल्लिखित एलओपी/एलओआई की वैधता अवधि के पूरा होने पर, स्कीम में बने रहने अथवा उससे बाहर चले जाने का विकल्प इकाई के पास होगा। जहाँ इकाइयां जारी रहने का विकल्प चुनती हैं, तो नामित विकास आयुक्त एलओपी/एलओआई की वैधता अवधि को बढ़ा देगा। यदि वैधता अवधि समाप्त होने के छः महीनों की अवधि के भीतर इकाई से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो विकास आयुक्त ईओयू स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदन को स्वयं रद्द करने की कार्रवाई करेगा और इस संबंध में आगे कार्रवाई करेगा। जहाँ इकाइयां उपर्युक्त निर्धारित 6 माह की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् कार्य जारी रखने का विकल्प चुनती है तो नामित विकास आयुक्त बीओए/आईएमएससी के अनुमोदन से अवधि को बढ़ा देगा।

6.02 विधिक वचनबद्धता (एल्यूटी)

- (क) अनुमोदित ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 6ड. में उल्लिखित प्रपत्र के अनुसार संबंधित विकास आयुक्त/नामित अधिकारी को विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी।
- (ख) सभी ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों का स्थायी ई-मेल पता होना चाहिए। स्थायी ई-मेल पता तथा उपरोक्त ई-मेल आईडी पर डिजिटल हस्ताक्षर न होने की स्थिति में नई इकाइयों हेतु कोई विधिक वचनबद्धता निष्पादित नहीं की जाएगी। ईओयू का स्थायी ई-मेल पता तथा डिजिटल हस्ताक्षर न होने की स्थिति में आगे आयात और डीटीए बिक्री की विकास आयुक्त द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.03 माल और सवाओं का निर्यात

- (क) सॉफ्टवेयर इकाइयां पेशेवर सेवाओं के निर्यात समेत डाटा संचार लिंकों का इस्तेमाल करते हुए अथवा वास्तविक निर्यात के रूप में (जो कूरियर सेवा के माध्यम से भी हो सकता है) निर्यात कर सकती हैं।
- (ख) ईओयू को नामित एजेंसी द्वारा जारी अनुमानित दर प्रमाणपत्र के आधार पर आभूषणों का निर्यात करने की अनुमति होगी। यह दर, अनुमानित दर प्रमाणपत्र में प्रचलित स्वर्ण/अमेरिकी डालर दर और अमेरिकी डालर/भारतीय रुपया दर पर आधारित होगा। नामित एजेंसी द्वारा जारी प्रमाणपत्र पोत लदान की तारीख के 7 कार्य दिवसों से पहले का नहीं होना चाहिए।
- (ग) निर्यातक को निर्यात करने की तारीख से 180 दिन के भीतर स्वर्ण का मूल्य निर्धारित करने और स्वर्ण ऋण चुकाने की छूट होगी। नामित एजेंसियों को मूल्य की सूचनाएं दी जाएगी जो प्रमाणपत्र जारी करेंगी, जिसमें निर्यात आय की प्राप्ति इस दर पर सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेज तैयार करने वाले बैंक की दर की अन्तिम पुष्टि दर्शाई गई हो।
- (घ) रत्न और आभूषण तथा आभूषण ईओयू आयातित माल का पुनः निर्यात और घरेलू तौर पर खरीदे माल का निर्यात कर सकती हैं जिसमें आंशिक संसाधन/विनिर्माण से पैदा हुई वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा, उपयुक्त शुल्क का भुगतान करके यथा लागू वैध रत्न एवं आभूषण प्रतिपूर्ति के मद्दे डीटीए में आयातित अथवा स्वदेशी तौर पर खरीदे माल के मूल्य के 5 प्रतिशत तक अनुप्रयुक्त/टूटे, कटे और पालिश किए गए हीरों, कीमती और अर्ध-कीमती रत्नों की आपूर्ति भी अनुमत होगी।

6.04 वस्तुओं का आयात/घरेलू खरीद

घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से निम्नलिखित पूँजीगत वस्तुओं के आयात/खरीद की अनुमति होगी:-

- (क) कच्चा माल, संघटक, उपभोज्य, अन्तर्वर्ती, कल-पुर्जे और पैकिंग सामग्री;
- (ख) पूँजीगत माल, चाहे नया हो या पुराना हो, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित और उनके कल-पुर्जे हों:
1. कैप्टिव बिजली संयंत्र (डीजी सेट, पवन उर्जा और सौर उर्जा) ट्रांसफार्मर और एक्सेसरीज सहित) यह इस शर्त के अधीन होगा कि ईओयू स्कीम के तहत विहित कोई कर/शुल्क लाभ ऐसे पवन उर्जा और सौर उर्जा संयंत्रों को स्थापित करने और प्रचालन तथा रखरखाव के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।
 2. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण।
 3. गुणवत्ता गारंटी उपकरण।
 4. सामग्री प्रबंधन उपकरण जैसे फोर्क लिफ्ट्स तथा ओवरहैड क्रेन्स, मोबाइल क्रेन्स, कालर क्रेन्स, हाएस्ट्स और स्टैकर्स।
 5. अबाधित बिजली आपूर्ति प्रणाली (यूपीएस) संचयन के लिए विशेष बैकस, संचयन प्रणाली, मोड्यूलर फर्नीचर, कम्प्यूटर फर्नीचर, एंटी स्टैटिक कारपेट, टेलीकॉन्फ्रेंस उपकरण, सर्वो कन्ट्रोल प्रणाली, एयर कंडीशनर्स, एयरकंडीशनिंग प्रणाली, विद्युत उपकरण के लिए पैनल और स्पेशल डाटा ट्रान्समिशन केबल।
 6. सुरक्षा प्रणालियाँ।
 7. टूल्स, जिग्स, फिक्चर्स, गेजेंज, मोल्ड्स, डाइज, उपकरण तथा सहायक सामग्री।
- (ग) इकाई के भीतर उपयोग हेतु पूँजीगत वस्तुएं बनाने के लिए कच्चा माल।
- (घ) अन्य जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
1. मौजूदा उत्पाद (उत्पादों) के लिए प्रोटोटाइप तथा तकनीकी नमूने तथा उत्पाद विविधीकरण, विकास अथवा मूल्यांकन।
 2. ड्राईंग्स, ब्लू प्रिन्ट्स, चार्ट्स, माइक्रो फिल्म और तकनीकी आंकड़े।
 3. पीएबीएक्स, फैक्स मशीनें, प्रोजेक्शन प्रणाली, कम्प्यूटर्स, लैपटाप और सर्वर सहित कार्यालय उपकरण।
- (ङ) उपरोक्त मदों के लिए कल-पुर्जे तथा उपभोज्य।
- (च) अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से अन्य कोई मद जो उल्लिखित न हो।

6.05 आभूषण की मरम्मत/पुनर्निर्माण

ईओयू मरम्मत/पुनर्निर्माण के बाद निर्यात हेतु सादा/जड़ित स्वर्ण/प्लेटिनम अथवा चाँदी आभूषणों का आयात कर सकती है।

6.06 आयात की शर्तें

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी द्वारा माल का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:—

- (क) माल का ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी परिसरों में आयात किया जाएगा। तथापि, ईओयू में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों और ग्रेनाइट क्षेत्र के एकक क्षेत्राधिकार में आने वाले सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को पहले ही सूचित करके फार्मों/फील्डों/खदानों में पूंजीगत वस्तुओं और निविष्टियों की आपूर्ति/हस्तांतरण कर सकते हैं बशर्ते माल का स्वामित्व ईओयू एकक का हो। ग्रेनाइट सैक्टर को खदान स्थल को पूंजीगत माल के मूल्य के 5 प्रतिशत तक हिस्से पूर्णों को ले जाने की भी अनुमति होगी।
- (ख) निर्यात अभिमुख इकाइयों और ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी की इकाइयों के लिए सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी नियमों के अधीन यथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के साथ समुचित बांड निष्पादित किया जाएगा।
- (ग) (i) पूंजीगत माल सहित वस्तुओं के उपयोग की अवधि एलओपी की वैधता की सहमियादी होगी।
- (ii) तथापि, आयातित चाय का इस्तेमाल आयात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर करना होगा। इसी प्रकार, मदों (आई.टी.सी. (एचएस) के अध्याय—9 के अन्तर्गत शामिल) के आयात के मद्दे निर्यात दायित्व और नारियल तेल की प्रतिपूर्ति सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात की प्रथम खेप की निकासी दिए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर करना होगा।
- (iii) इसके अतिरिक्त, वीए प्रयोजन जैसे क्रशिंग/ग्राइंडिंग अथवा मिर्च, छोटी इलायची और लाल मिर्चों के तेल (और सिर्फ साफ करने, ग्रेडिंग और रिपैकेजिंग आदि के लिए नहीं) और ओलियोरेजिन के विनिर्माण के लिए मसालों के आयात के मामले में, निर्यात दायित्व पहली खेप के आयात के तारीख से 120 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। मसालों के आयात के मामले में (काली मिर्च, इलायची, लाल मिर्च को छोड़कर) मसाला तेलों और ओलियोरेसिन के विनिर्माण हेतु निर्यात दायित्व 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।
- (घ) एलओपी/एलओआई जारी किये जाने से पूर्व आयातित/जहाज से भेजी गई/पहुँच चुकी वस्तुएँ ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी स्कीम के तहत एफटीपी के पैरा 6.01 (घ) (ii) के तहत शुल्क मुक्त निकासी हेतु पात्र होंगी बशर्ते सीमा-शुल्क का भुगतान न किया गया हो और वस्तुओं की सीमाशुल्क प्राधिकारी से निकासी न कराई गई हो।
- (ङ) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई द्वारा निविष्टियों की खपत मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सियॉन) पर आधारित होंगी बशर्ते कि:
- (i) जहाँ सियॉन को अधिसूचित नहीं किया गया है, अवशिष्ट, स्क्रेप और रैमनेट्स निवेश की मात्रा के 2 प्रतिशत तक होगी;
- (ii) जहाँ सियॉन में दी गई मदों को छोड़ कर अतिरिक्त मदें निवेशों के रूप में अपेक्षित हैं अथवा जहाँ अपशिष्ट, स्क्रेप और अवशेषों का उत्पादन इनपुट मात्रा के 2 प्रतिशत से अधिक है, ऐसे इनपुट के प्रयोग की अनुमति क्षेत्रीय निर्यात आयुक्त द्वारा आवेदन की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर और स्व घोषित मानदण्ड के आधार पर होगी और विदेश व्यापार महानिदेशालय में मानदण्ड समिति द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार इकाई द्वारा स्व घोषित/तदर्थ मानदण्डों की वचनबद्धता पर दी जाएगी।
- (iii) यथोपरोक्त सियॉन के निर्धारण में कठिनाई के मामले में, अनुमोदन बोर्ड विदेश व्यापार महानिदेशालय में मानदण्ड समिति के साथ विचार विमर्श करके मामला दर मामला निर्णय करेगा।

6.07 अनुमोदित परिसरों के बाहर फ़ैक्स मशीनें/लैपटॉप/कम्प्यूटर को ले जाना

- (क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई परिसर के बाहर, अपनी पसंद के स्थान पर एक फ़ैक्स मशीन लगा सकती है बशर्ते कि इसके कार्य स्थल के बारे में सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

- (ख) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त लैपटाप/कम्प्यूटर और वीडियो प्रोजेक्शन सिस्टम को अस्थायी रूप से इकाई परिसर के बाहर ले जा सकते हैं ताकि इन पर प्राधिकृत कर्मचारी कार्य कर सकें।
- (ग) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयां अपने पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय में राजस्व विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार शुल्क तथा/अथवा मुक्त आयातित/प्राप्त निजी कम्प्यूटर, जो दो से ज्यादा न हों, लगा सकते हैं।
- (घ) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर इकाइयों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति संचार लिंकों के माध्यम से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई में सस्थापित सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

6.08 इकाई से बाहर के स्थान पर कार्य करने की सुविधा

निम्नलिखित शर्तों के अधीन (i) आईटी संबंधित ईओयू या (ii) एसटीपी या (iii) ईएचटीपी या (iv) बीटीपी की एक इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति/कर्मचारी उक्त इकाई के बाहर किसी स्थान से काम कर सकते हैं:

- (i) इकाई द्वारा ऐसे प्राधिकार-पत्र की अवधि को दर्शाते हुए प्राधिकार-पत्र होना चाहिए।
- (ii) इकाई काम करने और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी और किसी भी दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी होगी।
- (iii) परिणामी उत्पादों/सेवाओं का निर्यात केवल इकाई के परिसर से होगा।

6.09 पूँजीगत माल की लीजिंग

लीजिंग कम्पनियों के माध्यम से वित्तपोषित अथवा मुफ्त प्राप्त और/अथवा ऋण/लीज आधार पर आयातित पूँजीगत माल के मूल्य को भी विदेश व्यापार नीति में यथा परिभाषित निवल विदेशी मुद्रा के परिकलन के उद्देश्य हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

6.10 निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) अर्जन

- (क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगी। निवल विदेशी मुद्रा की संगणना विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.04 के अनुसार खण्ड अवधि में संचयी आधार पर निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार की जाएगी। केवल एलओपी/एलओआई में विनिर्दिष्ट निर्यात हेतु विनिर्माण की मर्दे निवल विदेशी मुद्रा की संगणना हेतु ध्यान में रखी जाएगी।

सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन एनएफई = ए-बी>0 जहां

‘एनएफई’ निवल विदेशी मुद्रा है;

‘ए’ एफटीपी के पैरा 6.08 के तहत ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई के निर्यात और अन्य आपूर्ति का एफओबी मूल्य है।

‘बी’ सभी आयातित निविष्टियों की सीआईएफ मूल्य और सभी आयातित पूँजीगत वस्तुओं का सीआईएफ मूल्य और प्रथम पाँच वर्षों के दौरान कमीशन, अधिशुल्क, शुल्क, लाभांश, विदेशी उधार पर ब्याज/खुले समुद्र में बिक्री के माध्यम से विदेशी मुद्रा में किए गए सभी भुगतान का मूल्य या किसी अन्य प्रभार का समग्र योग है। इसमें खुले समुद्र पर भारतीय रुपये में किया गया भुगतान भी शामिल होगा: और

‘निविष्टि’ का तात्पर्य कच्चे माल, अन्तर्वर्ती, संघटक, उपभोज्य, कलपुर्जे और पैकिंग सामग्री से है।

- (ख) यदि कोई माल अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/एसईजैड इकाई या भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों या बॉडेड गोदामों से या बहुमूल्य धातुएं नामित एजेंसियों से प्राप्त हैं तो ऐसी वस्तुओं का मूल्य ‘बी’ के अधीन शामिल किया जाएगा।
- (ग) यदि किसी लीजिंग कम्पनी से किसी पूँजीगत माल का शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त आयात किया जाता है/अथवा लीज किया जाता है, मुफ्त और/अथवा ऋण आधार पर या हस्तांतरण आधार पर प्राप्त किया जाता है तो पूँजीगत माल के सीआईएफ मूल्य को जब ये इकाइयों के पास रहता है, ‘बी’ के अधीन यथानुपात शामिल किया जाएगा।
- (घ) निवल विदेशी मुद्रा की वार्षिक संगणना के लिए, आयातित पूँजीगत माल का मूल्य और विदेशी तकनीकी जानकारी शुल्क का एकमुश्त भुगतान निम्नानुसार प्राधिकृत किया जाएगा:
- प्रथम-दसवां वर्ष: 10 प्रतिशत।

बशर्ते कि उपर्युक्त परिशोधन दरें तभी लागू होंगी जब इकाई द्वारा यह वचनबद्धता दी जाये कि वह पहले दस वर्ष में डीटीए से बाहर नहीं जाएगी। मौजूदा इकाइयों हेतु, बाहर जाने से पूर्व, अनुपातिक सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क देना होगा जहाँ पहले से दावित मूल्य ह्रास की तुलना में निवल विदेशी मुद्रा कम है।

6.11 खातों का रखरखाव

- (क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई अपने खातों को ठीक ढंग से रखेगी और परिशिष्ट और एएनएफ के अनुलग्नक और परिशिष्ट 6ड. में यथानिर्धारित नियमों के अनुसार विकास आयुक्त/प्रौद्योगिकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नामित अधिकारी तथा सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को डिजीटल हस्ताक्षरित तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त, एसटीपी में नामित अधिकारी को परिशिष्ट और एएनएफ के परिशिष्ट 6ड. के अनुबंध VI में निर्धारित 'सेवा निर्यात रिपोर्टिंग फॉर्म (एसईआरएफ)' में परिशिष्ट और एएनएफ के परिशिष्ट 6ड. के अनुबंध V में वर्गीकृत सेवाओं की रिपोर्ट, एसटीपी इकाई प्रत्येक माह फाइल करेगी। एसईआरएफ का प्रयोग एसटीपी से सेवाओं के निर्यात पर जानकारी हासिल करने तक सीमित रहेगा।
- (ख) इकाई, डीटीए में निर्यात, बिक्री/आपूर्ति या अन्य एसईजैड/ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/बीटीपी इकाइयों को हस्तांतरित और अपने स्टॉक के शेष माल के माध्यम से सुसंगत मालों के प्रत्येक श्रेणी के शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त आयात/प्राप्त माल की कुल मात्रा का हिसाब लगा सकेगी। तथापि, किसी भी समय इकाइयों को अपने निर्यातों के साथ प्रत्येक आयात खेप को सम्बद्ध करने, अन्य एसईजैड/ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/बीटीपी इकाइयों को हस्तान्तरण करने, डीटीए में बिक्री करने और वस्तुओं को स्टॉक में रखना अपेक्षित है। माल एकरूप है या नहीं उसके बारे में निर्णय इकाई अनुमोदन समिति द्वारा लिया जाएगा।

6.12 निवल विदेशी मुद्रा की निगरानी

परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्ट 6च में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार इकाई अनुमोदन समिति द्वारा ईओयू के निपादन की निगरानी की जाएगी। ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों के निपादन की निगरानी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ संयुक्त रूप से करेगा।

6.13 स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के स्क्रेप/डस्ट/स्वीपिंग का मानक छड़ों में परिवर्तन

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के स्क्रेप/डस्ट/स्वीपिंग ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी इकाई से भारत सरकार की टकसाल/निजी टकसाल को भेजी जा सकती है और सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन्हें मानक छड़ों के रूप में लौटाया जा सकता है अथवा सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम अंश के आधार पर लागू निविष्टियों पर छूट के रूप में प्राप्त सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के रिवर्सल सहित जीएसटी और प्रतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर डीटीए में बेचने की अनुमति दी जा सकती है।

6.14 डीटीए आपूर्तियाँ

विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.07 में डीटीए बिक्री के प्रावधान के बावजूद डीटीए बिक्री उस समय लागू आयात को प्रभावित करने वाले किसी प्रतिबंध अथवा विनियमन के किसी माल के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा जब ऐसी वस्तुओं का आयात किया जाता है। आयातक को कानूनों अथवा नियमों के तहत किन्ही आवश्यकताओं के मद्दे प्रतिबद्धता अथवा अनुपालन से किसी प्रकार की छूट अथवा रियायत भी प्राप्त नहीं होगी।

6.15 अन्य ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/एसईजैड/बीटीपी इकाइयों को आपूर्तियाँ

अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजैड/बीटीपी/एसईजैड इकाइयों को आपूर्तियाँ निवल विदेशी मुद्रा के लिए गिनी जाएगी बशर्ते कि ऐसा माल इन इकाइयों द्वारा प्राप्ति के लिए अनुमत हो।

6.16 एक इकाई से दूसरी इकाई को विद्युत का हस्तांतरण

एक ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई से दूसरे ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजैड इकाई को कैपटिव पावर प्लांटों से विद्युत का हस्तांतरण परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्ट 6ख में क्षेत्र विशिष्ट शर्त में विनिर्दिष्ट अनुसार अनुमत होगी।

6.17 डीटीए से बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य/सिंथेटिक पत्थरों की आपूर्ति

डीटीए से ईओयू को बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों, सिंथेटिक पत्थरों और संसाधित मोतियों के आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित मदों और दरों पर प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र पाने के पात्र होंगे। प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के सम्बद्ध अध्याय में यथा निहित प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया लागू होगी। तथापि, आवेदन संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया जाए। विदेश व्यापार नीति के अध्याय-7 के तहत ईओयू को की गई ऐसी आपूर्तियों को किसी मान्य निर्यात लाभ के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

6.18 हकदारियों की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र

सभी हकदारियों की मंजूरी के लिए आवेदन संबंधित विकास आयुक्त/नामित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए।

6.19 अन्य निर्यातकों के जरिए निर्यात

कोई ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी की इकाई अपने विनिर्मित माल/इसके द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का निर्यात किसी निर्यातक या किसी अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/ एसईजेड इकाई के जरिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है:

- (क) वस्तुओं को संबंधित ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई में तैयार किया जाएगा।
- (ख) निवल विदेशी मुद्रा का स्तर अथवा यथानिर्धारित आयातों और निर्यातों से संबंधित अन्य शर्तें संबंधित ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई द्वारा पालन की जाएगी।
- (ग) इस प्रकार प्राप्त निर्यात आदेश ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी स्कीमों के मानदण्डों के अन्तर्गत ही निपादित किए जाएंगे और माल इकाई से सीधे ही पोत लदान के पत्तन पर भेज दिया जाएगा।
- (घ) ऐसे निर्यात के संबंध में ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों द्वारा एनएफई को पूरा करने के लिए अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/एसईजेड इकाई या अन्य निर्यातक को ईओयू द्वारा जिस मूल्य पर आपूर्ति की गई है, के आधार पर गणना की जाएगी।
- (ङ) सभी निर्यात हकदारियाँ जिसमें स्तरधारक की मान्यता भी शामिल है, निर्यातक के खाते में जोड़े जाएंगे जिसके नाम से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है। तथापि, ऐसा निर्यात केवल इस स्कीम के अन्तर्गत दायित्व को पूरा करने के लिए गिना जाएगा।

6.20 अन्य हकदारियाँ

- (क) स्तर धारक प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट डीटीए में मूल कंपनी अथवा विलोमतः के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के साथ निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को मिला दिया जाएगा।
- (ख) भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय मानदण्ड सेवा गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लागू होंगे।
- (ग) प्रशिक्षण प्रयोजन (जिसमें वाणिज्यिक प्रशिक्षण शामिल है) के लिए एसटीपी इकाईयाँ/ईएचटीपी इकाईयाँ/साफ्टवेयर ईओयू भी सभी शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त उपस्कर/वस्तुओं का उपयोग कर सकती हैं बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए परिसर से बाहर कोई शुल्क मुक्त उपस्कर/वस्तुएं संस्थापित न हों।
- (घ) लौह अयस्क का निर्यात भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अधीन होगा। आई टी सी (एचएस) के अनुसार निर्यात की अन्य शर्तें जैसे न्यूनतम निर्यात मूल्य/उपभोक्ता पैक आदि में निर्यात की अपेक्षा डीटीए से खरीदे गए कच्चे माल और ईओयू द्वारा प्रसंस्करण/ विनिर्माण के बिना निर्यात के मामले में लागू होगी। वस्त्र मदों का निर्यात द्विपक्षीय समझौते, के अन्तर्गत आएगा जहां भी लागू हो। काष्ठ आधारित एककों को इमारती लकड़ी/अन्य काठ के उपयोग के संबंध में 1996 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 171 टी.एन. गोडावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत सरकार और अन्य 1995 की रिट सिविल) संख्या 202 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश में दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा।

6.21 उप-ठेका

(क) अन्य ईओयू या एसईजेड यूनिटों अथवा डीटीए में यूनिटों के माध्यम से ईओयू रत्न और आभूषण यूनिटों द्वारा उप-ठेका निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाएगा:—

- (i) उप ठेके पर दिया गया तैयार या अर्ध तैयार माल, जिसमें जड़ित आभूषण भी शामिल हैं, को 90 दिनों के भीतर यूनिट में वापस लाना होगा। तथापि, सीमा शुल्क प्राधिकारी योग्य मामलों में 90 दिनों से अधिक समय का बढ़ावा दे सकता है।
 - (ii) किसी कटे और पालिश किए हीरों, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों (बहुमूल्य, अर्द्धबहुमूल्य और सिंथेटिक पत्थर, जिनपर शून्य शुल्क हो, को छोड़कर) उप-ठेके पर देने की अनुमति नहीं होगी।
 - (iii) डीटीए/ईओयू/एसईजेड यूनिटों से सादे स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की बराबर मात्रा के बदले प्राप्त किया जा सकता है। उक्त आभूषण में शामिल स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषण, जैसा भी मामला हो।
 - (iv) ईओयू प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.59 के अनुसार उप ठेके हेतु अदला-बदली के मद्दे यथा लागू छीजन के लिए पात्र होगा।
 - (v) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 7 के तहत डीटीए यूनिट जो स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के बदले में जॉब कार्य या आभूषण आपूर्ति का कार्य करती है, वह मान्य निर्यात लाभों की पात्र नहीं होगी।
- (ख) डीटीए यूनिट से जॉब वर्क करवाने की सुविधा उपलब्ध होगी बशर्ते जॉब वर्क पूरा होने पर वस्तुओं को यूनिट के परिसर में वापस लाया जाए।
- (ग) जॉब वर्कर के परिसर से तैयार माल के निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसे परिसर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/जीएसटी प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत हों। जहाँ जॉब वर्कर एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट है, निर्यात या तो जॉब वर्कर के परिसर अथवा यूनिट के परिसरों से किया जा सकता है। जॉब वर्कर के परिसर से ऐसे उत्पादों के तृतीय पार्टी के माध्यम से निर्यात करने की अनुमति नहीं होगी जैसा कि विदेश व्यापार नीति में उल्लेख किया गया है।
- (घ) ईओयू को उप ठेकेदारों के परिसर से मोल्ड्स, जिग्स, टूल्स, फिक्चर्स, टेकल्स, उपकरण, हैंगर्स और पैटर्न और ड्राइंग को हटाने की अनुमति होगी बशर्ते कि इन्हें निर्धारित अवधि के भीतर जॉब कार्य पूरा होने पर यूनिट के परिसर में वापस लाया जाए। इस माल के साथ कच्चा माल भेजा अथवा नहीं भी भेजा जा सकता है।
- (ङ) विदेश में उत्पादन प्रक्रिया के उपठेके के मामले में माल का उपठेकेदार के परिसर से निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि माल की निकासी के समय, ईओयू/ईएचटीपी /बीटीपी/एसटीपी यूनिट
- (i) विदेश में उप-ठेकेदार के परिसर से निकासी किए जाने वाले तैयार माल की सौदा लागत; (ii) विदेश में उप-ठेकेदार को भुगतान किए गए जॉब वर्क प्रभारों; और (iii) अन्तर्वर्ती माल के मूल्य की घोषणा करेगी;
- इसके साथ दस्तावेज अर्थात तैयार माल का बिक्री मूल्य कांट्रेक्ट/अथवा बीजक जॉब वर्क कांट्रेक्ट और अन्तर्वर्ती माल का मूल्य आंकने का आधार भी प्रस्तुत करना होगा। ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी/एसटीपी यूनिट घोषित विदेशी मुद्रा की पूरी वापसी भी सुनिश्चित करेगी जो उपठेकेदार के विदेशी परिसर से तैयार माल के सौदा लागत मूल्य के रूप में होगी।

6.22 ठेका कृषि

कृषि/बागवानी/जलकृषि उत्पादों के उत्पादन/संसाधन में संलग्न ईओयू सीमाशुल्क प्राधिकारियों से वार्षिक अनुमति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के मद्दे डीटीए फार्म से उपकरण और साजो सामान निकाल सकती है (परिशिष्ट 6अ के अनुलग्नक और एएनएफ में विनिर्दिष्ट):—

- (क) ठेके फार्मों से ईओयू द्वारा निविष्टियों की आपूर्ति विदेश व्यापार महानिदेशालय/अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निविष्टि-उत्पादन मानदंडों के मद्दे होगा
- (ख) ईओयू और डीटीए किसान (किसानों) के बीच ठेका कृषि समझौता होगा।
- (ग) ईकाई, कृषि/बागवानी/जलकृषि उत्पादों के निर्यात में कम से कम दो वर्षों के लिए संलग्न रहनी चाहिए, अन्यथा उस यूनिट को सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप/सहायक आयुक्त के पास बाहर ले जाने वाले पूंजीगत माल/निविष्टियों के लिए छोड़े गए शुल्क तथा/अथवा कर के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी, जब तक यूनिट दो वर्ष पूरे न कर लें।

6.23 प्रदर्शनियों के माध्यम से निर्यात/निर्यात संवर्धन दौरे

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शनियाँ आयोजित करने/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन माल का निर्यात कर सकती है:-

- (क) यूनिट, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को मूल पत्र या इसकी प्रमाणित प्रति जिसमें विकास आयुक्त का अनुमोदन हो, प्रस्तुत करेगा। रत्न और आभूषण मदों के लिए, उत्पाद की एक स्व प्रमाणित फोटोप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
- (ख) पुनः आयात के मामले में, आगमन पर ऐसी मदों को, निकासी से पूर्व निर्यात दस्तावेजों के साथ प्रमाणित किया जाएगा।
- (ग) जिन मदें विदेश में बिक्री न की गई हों, प्रदर्शनी समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर उनका पुनः आयात किया जाएगा। तथापि, यदि निर्यातक प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रदर्शनी में, भाग लेना चाहता है तो 60 दिनों की गणना प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने की तारीख से की जाएगी। यू.एस.ए. में प्रदर्शनी के मामले में, समयावधि ऊपर उल्लिखित 60 दिनों की बजाय 90 दिन होगी।
- (घ) वस्तुओं को व्यक्तिगत असबाब के रूप में ले जाने/विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए ऐसे रत्नों और आभूषणों का मूल्य 5 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक नहीं होना चाहिए।

6.24 निर्यात संवर्धन दौरों के लिए रत्न एवं आभूषणों को व्यक्तिगत असबाब के रूप में ले जाना।

ईओयू द्वारा निर्यात संवर्धन दौरों और विदेशों में अस्थायी प्रदर्शन/बिक्री के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डालर तक के स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों, कटे और पॉलिश किए हुए हीरों, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य रत्नों, मनकों और नमूनों के रूप में सामग्री के व्यक्तिगत असबाब की निम्नलिखित शर्तों पर विकास आयुक्त के अनुमोदन से अनुमति होगी:-

- (क) ईओयू सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भेजने की तारीख से 45 दिनों के भीतर माल अथवा प्रत्यावर्तित बिक्री आय को वापस लाएगा।
- (ख) यूनिट देश छोड़ते समय ऐसे नमूनों के व्यक्तिगत असबाब की सीमाशुल्क को घोषणा करेगा और आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा।

6.25 विदेशों में शोरूम/शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम से निर्यात

विदेश में स्थापित अनुमत दुकानों या वितरकों/एजेंटों के शोरूम में प्रदर्शनी/बिक्री के लिए भी माल के निर्यात की अनुमति है। मदें जो 180 दिनों के भीतर विदेशों में नहीं बिकती उसका 45 दिनों में पुनः आयात किया जाएगा।

6.26 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्थित शोरूम/फुटकर दुकानों से बिक्री

ईओयू सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माल की बिक्री के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वायुपत्तनों में शोरूम/फुटकर दुकान स्थापित कर सकते हैं। जो मद 60 दिनों के भीतर विदेशों में नहीं बिकती है उसे निर्यात किया जायेगा या संबंधित ईओयू को लौटा दिया जाएगा।

6.27 आयात/निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत असबाब, जिनमें विदेश जाने वाले यात्रियों का असबाब भी शामिल है, के रूप में ले जाना

(क) विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा आभूषणों के व्यक्तिगत असबाब के लिए ईओयू यूनिट द्वारा निर्यात के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:-

- (i) ईओयू द्वारा दाखिल की गई पोत लदान बिल की प्रति।
- (ii) विदेशी खरीददार द्वारा आगमन के समय सीमाशुल्क को प्रस्तुत मुद्रा घोषणा फार्म की एक प्रति।
- (iii) बैंक से विदेशी मुद्रा वसूली प्राप्ति/नकदीकरण प्रमाणपत्र।

(ख) इसके अलावा, विदेश जाने वाले यात्री के व्यक्तिगत असबाब पर स्वीकृति के प्रति दस्तावेज (डीए)/सुपुर्दगी पर भुगतान (सीओडी) आधार पर अनुमति होगी। ईओयू को निर्यात के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

- (i) पोतलदान बिल की प्रति;
- (ii) निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र।

(ग) आयात पार्सलों के व्यक्तिगत रूप से ले जाने के लिए वहीं प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो वायुभाड़ा द्वारा माल को आयात के लिए होती है इसमें वह पार्सल शामिल नहीं हैं जिसे ईओयू/विदेशी नागरिक द्वारा जाँच और निकासी के लिए सीमाशुल्क के पास लाया जाता है। इस संबंध में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुदेशों का आवश्यक परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जाएगा।

(घ) विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा पार्टस को व्यक्तिगत समान के तौर पर ले जाने की अनुमति होगी यदि ग्राहक के स्थान पर निर्यातित माल की मरम्मत हेतु उनकी आवश्यकता हो। निर्यातों के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

- (i) निर्यातों हेतु सीमाशुल्क कार्यालय से अनुज्ञा पत्र।
- (ii) मूल्य सहित बीजक (भुगतान करने पर अथवा निःशुल्क)।

6.28 आयातित/स्वदेशी माल का प्रतिस्थापन/मरम्मत

(क) यूनिट पूंजीगत माल की मरम्मत के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से इसे विदेश भेज सकता है। इस प्रयोजन के लिए किसी भी विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की भी अनुमति होगी। तथापि, देश के भीतर मरम्मत के लिए पूंजीगत माल भेजने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें अपने रिकार्ड के अनुसार और सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कार्य करेंगी :

- (i) मरम्मत/प्रतिस्थापन, जाँच या केलिब्रेशन तथा वापसी के लिए माल का डीटीए/विदेश में हस्तांतरण।
- (ii) माल की वापसी के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी को उपयुक्त बचनबद्धता देते हुए ऐसे मामलों में शुल्क तथा/अथवा कर का भुगतान किये बिना प्रतिवर्ष 10 लाख रु. तक के माल का किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला/संस्थान को गुणवत्ता जाँच/अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन के लिए हस्तांतरण किया जा सकता है। तथापि, यदि जाँच के दौरान माल का उपयोग कर लिया गया है/नष्ट हो जाता है तो इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रयोगशाला/संस्थान से सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

6.29 नमून

(क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें अपने रिकार्ड के आधार पर तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर यदि लागू हो उत्पाद शुल्क का भुगतान तथा/अथवा यदि निविष्टियों पर लाभ प्राप्त करते हैं, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के रिवर्सल सहित जीएसटी और प्रतिपूर्ति उपकर का भुगतान करने पर प्रदर्शन/बाजार संवर्धन हेतु डीटीए में नमूनों की आपूर्ति/विक्रय कर सकती हैं।

(ख) एक निर्धारित अवधि के भीतर नमूनों की वापसी के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों को एक उपयुक्त वचनबद्धता देकर शुल्क तथा/अथवा कर का भुगतान करने अथवा भुगतान किए बगैर नमूनों को हटाया जा सकता है।

(ग) एक ईओयू कूरियर एजेंसियों/डाकघर के माध्यम से निर्यात के सभी अनुमत तरीकों से, किसी सीमा के बिना, मपत नमूनों का निर्यात कर सकता है जिनमें वैक्स मोल्ड, सिल्वर मोल्ड और रबर मोल्ड के नमूने शामिल हैं। विनिर्माता के पास स्थायित्व और अवरोधन नमूने की सांविधिक आवश्यकता हेतु, ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी/एसटीपी यूनिट विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.01(घ) (ii) के अनुसार शुल्क/कर का भुगतान करने अथवा इसके भुगतान के बिना पुनः आयात कर सकती हैं, जो इसके द्वारा निर्यात किए गए हैं, जिसकी सूचना सीमाशुल्क प्राधिकारियों को देनी होगी, तथा ऐसे नमूनों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की निवल विदेशी मुद्रा प्रयोजन हेतु गणना नहीं की जाएगी, यदि कोई हो।

(घ) अपने पास रखे रिकार्डों के आधार पर और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर कोई ई.ओ.यू. अन्य ई.ओ.यू. को 30 दिनों के भीतर वापसी आधार पर प्रदर्शन हेतु नमूने भेज सकता है।

6.30 कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर परिपेरल्स का दान

संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट को यह अनुमति दी गयी है कि वह आयातित/स्वदेश से खरीदे गये/(खरीदे या उधार लिए गये) कम्प्यूटर और कम्प्यूटर परिपेरल्स जिनमें प्रिन्टर्स, प्लॉटर, स्कैनर, मानिटर, की-बोर्ड और स्टोरेज यूनिट शामिल हैं, उनको आयात/खरीद और यूनिट द्वारा उपयोग की गई दो वर्ष के बाद जीएसटी कानून के

तहत लागू कर के अलावा किए शुल्क का भुगतान किए बिना किसी मान्यता प्राप्त गैर वाणिज्यिक शिक्षण संस्थाओं, पंजीकृत धर्मार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सरकारी निधि प्राप्त अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के सामुदायिक सूचना केन्द्र, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र अथवा स्थानीय निकाय अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश के संगठनों को इस संबंध में जारी सीमा/उत्पाद शुल्क अधिसूचना के अनुसार दान स्वरूप दे सकता है।

6.31 पृथक पहचान

यदि औद्योगिक उद्यम घरेलू यूनिट के साथ साथ ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट दोनों रूप में कार्य कर रहा है तो उसकी दो पृथक पहचान होगी और पृथक-पृथक बैंक खाते होंगे। तथापि इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसकी कोई पृथक कानूनी पहचान हो लेकिन ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी द्वारा प्रभावी आयात और निर्यात अथवा आपूर्तियों को प्रतिष्ठान की अन्य यूनिटों द्वारा किये गये कार्य से पृथक करना संभव हो।

6.32 ईओयू के लिए यूनिट अनुमोदन समिति

(क) इकाई अनुमोदन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-

(i) विकास आयुक्त	:	अध्यक्ष
(ii) सीबीआईसी के क्षेत्राधिकार आयुक्त या नामित अधिकारी	:	सदस्य
(iii) संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार या नामित अधिकारी	:	सदस्य
(iv) क्षेत्र के संयुक्त/उप विकास आयुक्त	:	सदस्य
(v) विशेष अतिथि के रूप में किसी विभाग/एजेंसी के कोई या नामित अधिकारी		

(ख) ईओयू की एकक अनुमोदन समिति की शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार होंगे:-

- (i) ईओयू स्थापित करने हेतु आवेदनों पर विचार करना। औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जिन विनिर्माण मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक है उन आवेदनों पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।
- (ii) एसईजैड से ईओयू में यूनिट के परिवर्तन पर विचार करना और अनुमति देना।
- (iii) यूनिटों के कार्य निष्पादन की मानिटारिंग करना।
- (iv) यूनिट को दी गयी अनुमति, निकासी, लाइसेंस का पर्यवेक्षण और मानिटारिंग तथा विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई करना;
- (v) यूनिट को दी गयी अनुमति निकासी, लाइसेंस के अधीन उसके कार्य निष्पादन की मानिटारिंग करने के लिए अपेक्षित सूचना मांगना।
- (vi) केन्द्रीय सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना।
- (vii) राज्य सरकारों या उसकी एजेंसियों द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना।
- (viii) ईओयू की स्थापना और प्रचालन के लिए सभी अनुमोदन और निकासी देना।

6.33 ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों का अनुमोदन

ईएचटीपी/एसटीपी स्कीम के तहत यूनिटों के मामले में, इलैक्ट्रॉनीकी और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय/निदेशक (एसटीपीआई) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रदान की जाएगी। एसटीपी/ईएचटीपी के मामले में राजपत्र में दिनांक 30-1-2006 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 106 (ई) में उल्लिखित के अनुसार नामित अधिकारी को यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 खण्ड 11 के साथ पठित खण्ड 13 के अधीन प्रदान की गई न्याय निर्णय की शक्तियों का भी प्रयोग करेगा। इसी प्रकार बीटीपी के तहत यूनिटों के मामले में, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी

द्वारा आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रदान की जाएगी। तथापि, परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्टों 6क में दिए अनुसार, नए यूनिटों को स्वतः अनुमोदन देने के लिए मनोनीत अधिकारी निर्धारित मानदण्डों को अपनाएँगे।

6.34 विकास आयुक्त/नामित अधिकारी की शक्तियाँ

यूनिटों के संबंध में विकास आयुक्त/नामित अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी। विकास आयुक्त का अधिकार क्षेत्र परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्टों 6ज में दिया गया है।

- (क) रुग्ण/बन्द डीटीए यूनिट को ई ओ यू में बदलना;
- (ख) ईओयू को एसटीपी/ईएचटीपी/बीपीटीपी तथा विलोमतः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बदलना;
- (ग) विदेशी मुद्रा की दर के घटने बढ़ने के कारण भारतीय रुपये में पूँजीगत माल के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति देना;
- (घ) केवल बिना लाइसेंस वाले उद्योगों के मामले में बिना सीमा के क्षमता वृद्धि अनुमत करना;
- (ङ) एलओपी में उल्लिखित समान वस्तुओं के लिए ब्रॉड बैन्डिंग की अनुमति देना अथवा विनिर्माण की मौजूदा पद्धति को बैकवर्ड या फारवर्ड लिंकेज प्रदान करना;
- (च) कार्यान्वयन समिति या कम्पनी के नाम परिवर्तन को अधिकृत करना तथा एक कम्पनी से दूसरे में परिवर्तन करना बशर्ते कि नई कार्यान्वयन समिति/कम्पनी, मौजूदा यूनिट की सम्पत्ति और जिम्मेवारी लेने का वचन दे;
- (छ) एलओपी में उल्लिखित स्थापना-स्थल से दूसरे स्थापना-स्थल में परिवर्तन अनुमत करना और या अतिरिक्त स्थान सामिलित करना बशर्ते कि अनुमोदन की अन्य शर्तों तथा समझौतों में किसी परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और नया स्थान/स्थल विकास आयुक्त/नामित अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर है;
- (ज) एलओपी की वैधता अवधि को विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.05(क) के अनुसार एलओपी की शुरुआती वैधता अवधि से आगे बढ़ाना (अनुमोदन की शुरुआती अवधि पर जहाँ कहीं भी प्रतिबंध हैं वैसे मामलों के अलावा, जैसे तेल परिशोधन परियोजना की स्थापना करना);
- (झ) जहाँ कहीं उचित हो, एलओपी को रद्द करना;
- (ञ) दो या अधिक यूनिटों का एक यूनिट में विलय करना बशर्ते कि यूनिटें उसी विकास आयुक्त/नामित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आती हों, यह इस शर्त पर किया जायेगा कि यूनिटों का कार्यकलाप ब्रॉड बैन्डिंग के प्रावधानों के तहत आते हैं;
- (ट) राजपत्र अधिसूचना संख्या सां० आ० 194 (ड.) दिनांक 6.3.2000 में यथा उल्लिखित निर्यात अभिमुख यूनिटों के संबंध में विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, की धारा 11 के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत न्याय निर्णय की शक्तियों का प्रयोग करना;
- (ठ) भारतीय रिजर्व बैंक ए.डी. (एमए श्रृंखला) परिपत्र एपी (डीआईआर श्रृंखला परिपत्र संख्या 9 दिनांक 25.10.2001) के अनुसार निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा साफ्टेक्स फार्म पर घोषित निर्यातों का मूल्यांकन करना;
- (ड) गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 25022/7/99-एफ 1 दिनांक 20.9.1999 के अनुसार निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा निम्न स्तर के विदेशी तकनीशियनों को काम में लगाने के लिए रोजगार वीजा प्रदान करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र जारी करना;
- (ढ) पंजीकरण—सह—सदस्यता प्रमाण पत्र
निर्यातोंमुख इकाई/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में काम करना। विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.56 में दिए गए प्रावधान के अनुसार इनके मामलों में अलग से पंजीकरण—सह—सदस्यता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ण) ग्रीन कार्ड विधिक वचन बद्धता के निष्पादन के बाद स्वतः ग्रीन कार्ड जारी करना।
- (त) निर्यातोन्मुखी यूनिटों के संबंध में स्तर प्रमाण पत्र की स्वीकृति देना/नवीनीकरण करना बशर्ते कि घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में इसकी मूल कम्पनी के निर्यात के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य का मिलाना शामिल न हो।

(थ) इसके क्षेत्राधिकार के तहत ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी स्कीम का प्रचार करना।

(द) ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी स्कीम से बाहर निकलना (परिशिष्ट 6के के अनुसार 'सौद्धान्तिक रूप से निकासी को प्रदान करने सहित)

6.35 बीओए के अनुमोदन से स्थापना—स्थल में परिवर्तन/अतिरिक्त स्थापना—स्थल शामिल करना।

बीओए द्वारा एलओपी पर विचार किया जाएगा उल्लिखित स्थान से अन्य स्थान पर ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी के स्थापना—स्थल में परिवर्तन पर विचार किया जाएगा तथा/अथवा मूल डीसी/नामित अधिकारी के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर अतिरिक्त/स्थापना—स्थल शामिल किया जा सकता है बशर्ते कि अनुमोदन बोर्ड की शर्तें पूरी हों।

6.36 डीटीए में पूँजीगत माल की निकासी

डीटीए में पुराने माल सहित पूँजीगत माल की निकासी की अनुमति विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.14(ख) के अनुसार दी जाएगी और ऐसी निकासी की तारीख को लागू आयात नीति के अनुसार दी जाएगी।

6.37 मूल्यहास मानदंड

कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर पेरिपेरल्स के मामले में 5 वर्ष में 100 प्रतिशत तक मूल्यहास है तथा अन्य मदों के मामले में यह 10 वर्ष होगा।

(क) कम्प्यूटर और कम्प्यूटर पेरिपेरल्स के लिए मूल्यहास मानदण्डः—

कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पेरिपेरल्स के लिए मूल्यहास निम्नवत होगाः—

प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए	10 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए	8 प्रतिशत
तृतीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए	5 प्रतिशत
चौथे और पाँचवें वर्ष में प्रत्येक तिमाही हेतु	1 प्रतिशत

(ख) अन्य पूँजीगत माल के लिए मूल्यहास मानदण्ड

उपरोक्त के अलावा, पूँजीगत माल के लिए मूल्यहास की दर निम्नवत होगीः—

प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए	4 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए	3 प्रतिशत
चौथे और पाँचवें वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए	2.5 प्रतिशत
उसके बाद प्रत्येक तिमाही के लिए	2 प्रतिशत

6.38 परिवर्तन

(क) मौजूदा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की यूनिटें ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती हैं लेकिन पूर्वस्थापित संयंत्र, मशीनरी और उपकरण के लिए स्कीम के तहत शुल्क और करों में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी। इस प्रयोजन के लिए, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र का एकक संबंधित विकास आयुक्त/नामित अधिकारी को उसी तरह आवेदन कर सकता है जैसा कि नई यूनिट के लिए लागू होगा। यदि अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत निर्यात वचनबद्धता बकाया है तो यह परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्ट 6ड में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। यदि घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाई ने ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्राप्त कर लिया है तो परिवर्तन केवल तभी अनुमत होगा जब इकाई ने या तो निर्धारित निर्यात दायित्व पूरा कर लिया हो तथा ईओडीसी प्राप्त कर लिया हो या ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूँजीगत माल पर लागू शुल्कों एवं करों) और क्षतिपूर्ति उपकर का भूगतान किया हो।

(ख) मौजूदा ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयां ईओयू में परिवर्तन/विलय होने विलोमतः के लिए आवेदन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में यूनिटें सम्बद्ध स्कीम के तहत लागू शुल्कों और करों की छूट की अनुमति प्राप्त करना जारी

रखेंगी। ईओयू के रूप में परिवर्तन को इच्छुक ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयां संबंधित विकास आयुक्त को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से जैसा कि नई इकाई के लिए लागू है, उसी तरह आवेदन कर सकती हैं। वैसे ही ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी में परिवर्तन की इच्छुक ईओयू संबंधित विकास आयुक्त के माध्यम से इलैक्ट्रॉनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को आवेदन कर सकती है।

- (ग) विकास आयुक्त के अनुमोदन से निर्यातोन्मुखी यूनिट को विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है बशर्ते कि निर्यातोन्मुखी इकाई, निर्यातोन्मुखी इकाई स्कीम के तहत यथानुपात दायित्व प्राप्त कर चुकी हो।

6.39 शीघ्र निपटान संबंधी प्रक्रिया

- (क) **पात्रता:** विदेश व्यापार नीति के तहत स्तरधारक प्रमाणपत्र रखने वाले ईओयू शीघ्र निपटान प्रक्रिया हेतु पात्र होंगे।
- (ख) **आयात कार्गो की जाँच:** स्तरधारक यूनिटों को आयात के पत्तन पर आयात कार्गो की जाँच से छूट दी जाएगी। तथापि, सीमाशुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त यूनिट के स्थापना-स्थल पर यादृच्छिक आधार पर खेपों की जाँच कर सकता है।
- (ग) **फैक्स मशीन/कम्प्यूटरों की स्थापना:** क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक/उप सीमा शुल्क को पूर्व सूचना के तहत परिसरों के बाहर अपने प्रशासनिक/पंजीकृत कार्यालय में 2 कम्प्यूटरों को स्थापित करने हेतु निर्यातोन्मुखी यूनिट पात्र होगी।
- (घ) **डीजी सैटों को प्राप्त करना:** यूनिट की वास्तविक आवश्यकता से साथ क्षमता के अनुकूल डीजीसेट की खरीद करने की अनुमति विकास आयुक्त और क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को सूचित करते हुए दी जायेगी।
- (ङ.) **पूँजीगत माल को अस्थायी रूप से हटाना:** पात्र निर्यातोन्मुखी यूनिटें क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक/उप सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को पूर्व सूचना के तहत मरम्मत हेतु अपने पूँजीगत माल अथवा उनके हिस्सों को हटा सकती है।
- (च) **नमूनों को वैयक्तिक रूप से लाना ले जाना:** स्तर धारक निर्यातोन्मुखी यूनिटों द्वारा रत्न और आभूषणों के नमूनों को वैयक्तिक तौर पर लाने ले जाने की अनुमति पैरा 6.24 में निर्धारित सीमा के मद्दे होगी विकास आयुक्त/सीमा शुल्क प्राधिकारी से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (छ) **जिन कार्याकलापों के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है:** स्तरधारक के निम्नलिखित कार्यकलापों के संबंध में विकास आयुक्त अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। तैयार उत्पादों की विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.07(क) के अनुसार डीटीए में बिक्री; प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.23 की शर्तों की पूर्ति के मद्दे प्रदर्शनियों में भाग लेना, निर्यात संवर्धक दौरों के लिए रत्नों और आभूषणों को व्यक्तिगत रूप से ले जाना। तथापि, इसकी पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

6.41 आवेदनों का समयबद्ध निपटान

विकास आयुक्त आवेदनों को शीघ्रता से निपटारेंगे। आवेदनों को निपटाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित समय सीमा को अपनाया जाता है बशर्ते कि आवेदन हर तरह से पूरे हो और उनके साथ निर्धारित दस्तावेज़ संलग्न हों।

क्र. सं.	आवेदन की श्रेणी	निपटान के लिए समय सीमा (दिन)
1.	अनुमति पत्र/आशय पत्र जारी करना	15
2.	अनुमति पत्र/आशय पत्र का परिवर्तन	15
3.	विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति	3
4.	विधिक वचनबद्धता का नवीकरण	3
5.	ब्रांड ब्रान्डिंग/दिशान्तरण की अनुमति	3
6.	स्थापना स्थल में परिवर्तन की अनुमति	7
7.	अग्रिम घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री की अनुमति	2
8.	यूनिटों के विलयन की अनुमति	7

9.	उत्पादन क्षमता की वृद्धि की अनुमति	3
10.	अनुमति पत्र को रद्द करना	3
11.	डिब्रान्डिंग/एक्जिट की अनुमति	7
12.	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति	2
13.	निम्नस्तरीय टेक्नीशियन के लिए रोजगार वीजा हेतु पात्रता प्रमाण पत्र	2
14.	ग्रीन कार्ड जारी करना	2
15.	ग्रीन कार्ड का नवीकरण	उसी दिन
16.	पूँजीगत वस्तुओं को लीज पर देने की अनुमति	1
17.	स्क्रेप/वेस्ट के निपटान की अनुमति	2
18.	नाम में परिवर्तन की अनुमति	2
19.	अन्तर यूनिट स्थानान्तरण	2
20.	वेस्टेज संबंधी माल दण्ड, तदर्थ	2
21.	पुनः आयात करने की अनुमति	उसी दिन
22.	पुनः निर्यात करने की अनुमति	उसी दिन
23.	माल के प्रतिस्थापन/मरम्मत की अनुमति	उसी दिन
24.	सपटैक्स फार्म का प्राधिकार	1
25.	सी.एस.टी दावों की प्रति पूर्ति	7
26.	जी.एस.पी प्रमाण पत्र जारी करना	उसी दिन
27.	एस.टी.पी.आई, ई.पी.सी.जी में ई.ओ.यू के परिवर्तन की अनुमति	5
28.	ई.ओ.यू की अन्तिम निकासी की अनुमति	5
29.	ई.ओ.यू में विस्तार की अनुमति	2
30.	पूँजीगत माल के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति	2
31.	प्रदर्शनी/दौरों के माध्यम से निर्यात हेतु अनुमति	2
32.	शुल्क वापसी/अंतिम उत्पाद शुल्क (टीईडी) की प्रतिपूर्ति	7

अध्याय 7

मान्य निर्यात

7.01 नीति

मान्य निर्यात संबंधी नीति, विदेश व्यापार नीति के अध्याय-7 में दी गई है।

7.01 लाभ का दावा करने हेतु प्रक्रिया

- (क) माल के आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता को मान्य निर्यात लाभ का दावा करने हेतु एएनएफ-7क में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास जमा करना होगा।
- (ख) ईओयू को माल की आपूर्ति के मामले में दावा संबंधित विकास आयुक्त के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डीटीयू यूनिट संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से लाभ का दावा करेगी।

7.02 लाभ का दावा करने हेतु मानदंड

- (क) (i) अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआई, धारक को प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.13 के अनुसार निगमित निरस्तीकरण पत्र के प्रति मध्यवर्ती माल की आपूर्ति के संबंध में विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के तहत यथा प्रदत्त शुल्क मुक्त निविष्टियों के आयात हेतु अग्रिम प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार करना होगा। निरस्तीकरण पत्र के प्रति आपूर्ति हेतु टीईडी वापसी विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03(ग) के अनुसार की जाएगी बशर्ते कोई छूट प्राप्त न हो।
- (ii) अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएनआईए को एआरओ के प्रति माल की आपूर्ति के संबंध में प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। एआरओ के प्रति आपूर्तियों के लिए टीईडी वापसी की अनुमति विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03(ग) के अनुसार दी जाएगी बशर्ते कि कोई छूट प्राप्त न हो। शुल्क वापसी की अनुमति विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.06 के अनुसार प्रदान की जाएगी।
- (ख) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी को माल की आपूर्ति के संबंध में अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त किए जा सकते हैं। मियादी उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट के लिए यथा संशोधित परिपत्र सं० 10/2009 सीमाशुल्क दिनांक 25-05-2009 के साथ पठित उत्पाद शुल्क परिपत्र सं० 851/9/2007 सीएक्स दिनांक 03.05.2007 के अनुसार सीटी 3 के प्रति माल हटाने की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी को माल की आपूर्ति हेतु टीईडी वापसी विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 (ग) के अनुसार की जाएगी बशर्ते कि कोई छूट प्राप्त न हो। इस आपूर्ति के निमित्त शुल्क मुक्त निविष्टियों जिनका उपयोग परिणामी उत्पादों के लिए किया जाता है, के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 में यथा प्रदत्त, निविष्टियों पर भुगतान किए गए मूल सीमा के लिए शुल्क वापसी दावा संबंधित डीसी को किया जाएगा। डीटीए यूनिट द्वारा लाभ का दावा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से किया जाएगा।
- (ग) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को निरस्तीकरण पत्र के निमित्त माल की आपूर्ति के संबंध में अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए हेतु आवेदन प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार करना होगा। यदि शुल्क मुक्त निविष्टियों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए प्राप्त नहीं किया जाता है तो परिणामी उत्पाद में उपयोग की गई निविष्टियों पर भुगतान किए गए मूल सीमाशुल्क के संबंध में शुल्क वापसी की जाएगी।
- (घ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02(घ), (ड.) (च) और (छ) में यथा सूचीबद्ध अन्य श्रेणियों को माल की आपूर्ति के संबंध में शुल्क मुक्त निविष्टियों के आयात हेतु जैसा कि विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए परिशिष्ट-7ग के अनुसार परियोजना प्राधिकार पत्र के निमित्त प्राप्त किया जा सकता है। तथापि यदि शुल्क मुक्त निविष्टियों के लिए ऐसी आपूर्तियों के निमित्त अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए जैसाकि एफटीपी के अध्याय 4 में प्रावधान किया गया है, प्राप्त नहीं किया जाता है तो मूल सीमा शुल्क के संबंध में शुल्क वापसी हेतु दावा एएनएफ-7क के अनुसार किया जा सकता है। विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.08 (iii) (क) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की अनुसूची IV के तहत शामिल आपूर्ति की पात्र मदों के संबंध में उल्लिखित परियोजनाओं हेतु टीईडी वापसी की जाएगी बशर्ते कि कोई छूट प्राप्त न हो।

7.03 टीईडी/शुल्क वापसी दावा करने हेतु पात्रता मानदंड

- (क) आवेदन या तो आपूर्तिकर्ता अथवा माल प्राप्तकर्ता, जिसके पास आईईसी संख्या है, द्वारा किया जा सकता है।
- (ख) आवेदन पंजीकृत कार्यालय/मुख्य कार्यालय/शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण इकाई द्वारा किया जा सकता है।
- (ग) आपूर्तिकर्ता द्वारा टीईडी वापसी हेतु दावा किए जाने की स्थिति में एएनएफ-7क के अनुलग्नक-I के अनुसार उसे माल प्राप्तकर्ता से सेनवैट क्रेडिट प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र लेना होगा और उसे प्रस्तुत करना होगा। यदि माल प्राप्तकर्ता आवेदक है, तो आवेदक को ही यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (घ) प्राप्तकर्ता यूनिट द्वारा टीईडी/शुल्क वापसी हेतु दावा किए जाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से दावा परित्याग प्रमाणपत्र, जैसा कि एएनएफ-7क के अनुलग्नक-III में निर्धारित किया गया है, प्राप्त करना होगा और आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि माल का आपूर्तिकर्ता आवेदक है, तो माल के प्राप्तकर्ता से दावा परित्याग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (ड.) की गई आपूर्ति की मात्रा के अनुसार पूरा भुगतान प्राप्त होने के बाद ही दावा किया जा सकता है।
- (च) ई-बीआरसी के अनुसार सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए प्राप्त भुगतान के निमित्त दावा किया जा सकता है। अन्य शब्दों में आपूर्ति से संबंधित दस्तावेजों के संबंध में केवल बैंक के माध्यम से ही बातचीत की जानी है। विदेश व्यापार

नीति के पैरा 7.02(घ) से (छ) तक के अन्तर्गत की जाने वाली आपूर्ति के संबंध में परिशिष्ट-7घ में परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना है।

- (छ) उप-संविदाकार भी दावा कर सकता है बशर्ते इस माल की आपूर्ति से पहले परियोजना प्राधिकार प्रमाण-पत्र/संविदा में इसका नाम पृष्ठांकित हो।

7.04 ईंधन पर टीईडी वापसी का दावा करने हेतु प्रक्रिया।

विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02(ख) के तहत घरेलू तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के डिपो से हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की आपूर्ति के लिए एएनएफ-7क के अनुलग्नक-IV में दिए गए प्रारूप में संबंधित घरेलू तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा जारी शुल्क भुगतान प्रमाणपत्र के आधार पर मियादी उत्पाद शुल्क की वापसी की जाएगी। शुल्क वापसी ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/बीटीपी यूनिट द्वारा अपने उत्पादन संबंधी कार्यकलापों, संबंधित डीसी/बॉर्ड प्राधिकारियों द्वारा यथा प्रमाणित, के लिए अधिप्राप्त हाई स्पीड डीजल की मात्रा हेतु की जाएगी।

7.05 आवेदन की आवृत्ति और टीईडी/शुल्क वापसी हेतु समयावधि

- (क) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के पैरा 7.02(क) से (ग) के अन्तर्गत आपूर्तियों के संबंध में टीईडी वापसी/शुल्क वापसी (जो भी लागू हो) हेतु आवेदन ऐसी आपूर्तियों के निमित्त 100 प्रतिशत भुगतान की प्राप्ति की तारीख से 12 माह के भीतर किया जा सकता है। ऐसे मामलों जिनमें भुगतान अग्रिम में प्राप्त कर लिया जाता है और तत्पश्चात् आपूर्ति की जाती है, तो ऐसे मामलों में आवेदन इन आपूर्तियों की अंतिम तारीख से 12 माह के भीतर किया जा सकता है। ऊपर यथा विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर पृथक प्राधिकार पत्र के मद्दे मान्यकरण पत्र/एआरओ वार' दावा किया जा सकता है।
- (ख) एफटीपी के पैरा 7.02(घ) से (छ) के अन्तर्गत आपूर्तियों के संबंध में दावा या तो की गई आपूर्तियों अथवा प्राप्त भुगतान के साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। परियोजना प्राधिकारी द्वारा आपूर्तियों की प्राप्ति की तारीख से अथवा आवेदन के विकल्प के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान की प्राप्ति की तारीख से 12 माह की अवधि के भीतर या तो किसी विशेष परियोजना अथवा सभी परियोजनाओं के निमित्त दावा किया जा सकता है। आंशिक भुगतान प्राप्त करने के मामलों में भी दावे किए जा सकते हैं। मान्य निर्यात लाभ 100 प्रतिशत आपूर्तियों के पश्चात् प्राप्त किया जा सकता है। तथापि यह लाभ प्राप्त भुगतान की मात्रा तक ही सीमित होगा।

7.06 शुल्क वापसी दर का निर्धारण

सामान्यतः शुल्क वापसी अनुसूची में राजस्व विभाग द्वारा सभी उद्योग संबंधी निर्धारित दर के अनुसार शुल्क वापसी की अनुमति दी जा सकती है, जहां वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर क्रेडिट का लाभ न लिया गया हो। यथापि, ब्रांड दर निर्धारण के लिए एएनएफ-7क और परिशिष्ट-7ड. में निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ-7क में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी या विकास आयुक्त जैसा भी मामला हो, को आवेदन किया जा सकता है। ब्रांड दर के निर्धारण हेतु आवेदन निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है: जहां शुल्क वापसी का सभी उद्योग से संबंधी दर उपलब्ध नहीं है अथवा कथित वस्तुओं के विनिर्माण अथवा उत्पादन में प्रयोग हुए कच्चे माल अथवा कल पुर्जों पर वास्तविक रूप से किए गए शुल्कों के भुगतान का 4/5 से कम है।

7.07 समय बाधित/पूरक दावा

निर्धारित समयावधि के पश्चात दावा किए जाने की स्थिति में प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 11.02 के तहत विलम्ब कटौती का प्रावधान और प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 11.03 के तहत पूरक दावे का प्रावधान लागू होगा।

7.08 टीईडी के भुगतान से छूट

मियादी उत्पाद शुल्क जहाँ लागू हो, के भुगतान से छूट का दावा करने हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

7.09 अन्य नियमों की प्रयोज्यता

मान्य निर्यात स्कीम पर प्रक्रिया पुस्तक में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर वापसी नियमावली, 1995 अथवा सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियमावली, 2017, जो भी मामला हो, यथोचित परिवर्तन करके लागू होगी।

7.10 ब्याज भुगतान

- (क) क्षेत्रीय प्राधिकारी अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से 30 दिन के भीतर भुगतान करेगा। ऊपर दी गई अवधि के भीतर भुगतान नहीं किए जाने पर एफटीपी के पैरा 7.09 के अनुसार मूलधन के साथ आरए ब्याज घटक शामिल करेगा। ब्याज का दावा करने हेतु कोई पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मूलधन और ब्याज के लिए बैंक को एकल अधिकार पत्र जारी किया जाएगा।
- (ख) यदि क्षेत्रीय प्राधिकारी/विकास आयुक्त द्वारा ब्याज नहीं जोड़ा जाता है तो एएनएफ-7ख के अनुसार मूलधन प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर पृथक आवेदन किया जा सकता है। इसके पश्चात् ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय अधिकारी लेखाकन प्रयोजन के लिए मूलधन व ब्याज के संवितरण हेतु पृथक खाता रखेगा।
- (ग) क्षेत्रीय अधिकारी परिशिष्ट-7च में दिए गए प्रारूप में मान्य निर्यात के दावों के संवितरण हेतु मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जब भी ब्याज का भुगतान किया जाता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी ब्याज के भुगतान का कारण बताएगा।

7.11 आन्तरिक लेखापरीक्षा तंत्र

अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार के मण्डलीय कार्यालय एफटीपी के पैरा 7.10 के अनुसार अपने कार्यालयों में लेखापरीक्षा दल का गठन करेंगे और लेखा परीक्षा पश्च कार्य पूरा करेंगे।

अध्याय – 8**गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद****8.01 गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति (सीक्यूसीटीडी)**

शिकायतों और विवादों का प्रभावी रूप से निपटारा करने हेतु डीजीएफटी के 20 कार्यालयों में गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति (सीक्यूटीडी) का गठन किया गया है। जिन कार्यालयों में सीक्यूसीटीडी का गठन किया गया है उनके नाम और सीक्यूसीटीडी के क्षेत्राधिकार नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्रम सं.	सीक्यूसीटीडी की अवस्थिति	अध्यक्ष का पदनाम	सीक्यूसीटीडी का क्षेत्राधिकार
उत्तरी क्षेत्र			
1.	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, सीएलए, नई दिल्ली	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार	सीएलए नई दिल्ली
2.	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार पानीपत	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, पानीपत
3.	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, जयपुर	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, जयपुर
4.	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, कानपुर	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, कानपुर
5.	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, लुधियाना	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, लुधियाना; आरए, जम्मू और आरए श्रीनगर
6.	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाराणसी	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, वाराणसी
पश्चिमी क्षेत्र			
7.	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, मुंबई	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, मुंबई; और आर.ए. नागपुर

		व्यापार	
8.	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, पुणे	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, पुणे
9.	उप महानिदेशक विदेश व्यापार, बड़ोदरा	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, बड़ोदरा
10.	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, अहमदाबाद	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, अहमदाबाद
11.	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, सूरत	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, सूरत
12.	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, इंदौरा (एक्सटेंशन काउंटर)	संयुक्त महा.वि.व्या.,	आर इंदौरा आरए. भोपाल
13.	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, राजकोट	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, राजकोट
पूर्वी क्षेत्र			
14.	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, कोलकाता	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए. कोलकाता और आरए, गुवाहाटी,
दक्षिणी क्षेत्र			
15.	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, चेन्नई	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, चेन्नई
16.	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, बंगलौर	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, बंगलौर
17.	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, हैदराबाद	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, हैदराबाद
18.	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, कोयम्बटूर	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, कोयम्बटूर
19.	उप महानिदेशक विदेश व्यापार, विशाखापत्तनम	उप महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, विशाखापत्तनम
20.	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, कोचीन	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार	आरए, कोचीन

8.02 सीक्यूसीटीडी की संरचना

सीक्यूसीटीडी में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

1. अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार/संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार(एच.ओ.ओ.): अध्यक्ष
2. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के प्रतिनिधि: सदस्य

3. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के प्रतिनिधि: सदस्य
4. संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक के प्रतिनिधि—सदस्य।
5. भारतीय निर्यातक संघ (एफआईआईओ)/और अथवा निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड के प्रतिनिधि: सदस्य
6. निर्यात निरीक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि: सदस्य
7. राज्य सरकार के उद्योग निदेशक के नामित व्यक्ति: सदस्य
8. एमएसएमई के विकास आयुक्त के नामित व्यक्ति: सदस्य
9. अध्यक्ष द्वारा यथा नामित अधिकारी: सदस्य सचिव
10. अध्यक्ष द्वारा सहयोगित अन्य कोई एजेंसी: सदस्य

8.03 गुणवत्ता संबंधी शिकायतों/व्यापार संबंधी विवादों के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज और ट्रेक करना।

एक भारतीय/विदेशी इकाई द्वारा गुणवत्ता संबंधी शिकायत/व्यापार संबंधी विवाद की जांच और समझौते का अनुरोध “www.dgft.gov.in” सेवाएं गुणवत्ता शिकायतें एवं व्यापार शिकायतें ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरें” पर ऑनलाइन भरा जाएगा। ऐसी शिकायत को ऑनलाइन, डीजीएफटी के न्यायिक क्षेत्रीय प्राधिकरण के साथ-साथ संबंधित भारतीय मिशन को भेजा जाएगा। जमा करते समय यूनिक रेफरेंस नम्बर जेनरेट होगा और शिकायतकर्ता की ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। शिकायतकर्ता शिकायत के साथ या बाद में संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सकता है।

8.04 गुणवत्ता संबंधी शिकायतों/व्यापार विवादों के निपटान के लिए प्रक्रिया

- (i) शिकायत के निपटान के लिए डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरण में सीक्यूसीटीडी मामले को अपने अधिकार में संबंधित इकाई अथवा प्राधिकरण को पास ले जाएगा और नियमित रूप से स्थिति को ऑनलाइन अपडेट करेगा।
- (ii) जहां आवश्यक हो, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं अधिनियम) अधिनियम, 1992 और विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 के तहत चूककत्ता भारतीय इकाई के विरुद्ध प्रत्येक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- (iii) शिकायत के निपटान के लिए भारतीय मिशन मामले को संबंधित प्राधिकरण के पास ले जाएगा और नियमित रूप से स्थिति को ऑनलाइन अपडेट करेगा।
- (iv) शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायतों/विवादों की स्थिति को ट्रेक करने और देखने की सुविधा भी डीजीएफटी की वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है।

8.05 अन्य विकल्पों को चुनने की सुविधा

देश में व्यापारिक वातावरण में विश्वास निर्माण हेतु यह प्रक्रिया शिकायतों/विवादों के निपटान के लिए एक अतिरिक्त विंडो उपलब्ध कराती है। शिकायतों के निपटान के लिए प्रयास परस्पर सम्मति और शीघ्रता से किए जाएंगे। तथापि यह प्रक्रिया केवल समन्वय स्वरूप की है। असंतुष्ट पक्ष अवैध पक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सहित कोई दूसरा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र है। दो भारतीय पक्षों के मध्य विवाद अथवा दो विदेशी पक्षों के मध्य विवाद इस प्रक्रिया के, तहत अन्तर्निहित नहीं हैं।

अध्याय-9

डिजिटल अर्थव्यवस्था में सीमापार व्यापार को बढ़ावा देना

9.00 नीति

दिया गया अध्याय ‘भारत से सीमा पार ई-कॉमर्स’ अर्थात् विदेश व्यापार नीति के अध्याय 9 के तहत अधिसूचित नीति के संबंध में प्रक्रियाओं पर विस्तार से बताता है।

9.01 ई-कॉमर्स निर्यातकों हेतु विदेश व्यापार नीति लाभ/स्कीम

ई-कॉमर्स निर्यातकों को विदेश व्यापार नीति के लाभों/स्कीमों के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आईटी सक्षमता की जाएगी।

9.02 ई-कॉमर्स निर्यात हब (ईसीईएच)

(क) ईसीईएच की रचना

- i. एक ईसीईएच क्षेत्र की रचना/अधिसूचना हेतु आवेदन डीजीएफटी को किया जाएगा।
- ii. एक ईसीईएच हेतु अनुमोदन के लिए प्राधिकार डीजीएफटी के साथ अधिकृत है। समिति में समय-समय पर आवेदनकर्तानुसार अन्य सदस्यों के अलावा राजस्व विभाग का एक सदस्य होगा।
- iii. डीजीएफटी ऐसे निर्यात उत्पादों अथवा बाजारों को निर्दिष्ट कर सकता है जो ईसीईएच प्रचालनों हेतु अयोग्य होंगे। ईसीईएच के अन्दर निपटाए न जाने वाली मर्च की नाकारात्मक सूची को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

(ख) ईसीईएच का प्रशासन

- i. ईसीईएच विकासकर्ता को इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार एक वार्षिक विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ii. डीजीएफटी ईसीईएच पर पर्यवेक्षण और निरीक्षण हेतु प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा। एक स्वतंत्र मूल्यांकन और आंकलन तंत्र भी विकसित किया जाएगा।

अध्याय—10**स्कोमेट: विशेष रसायन, जीव, सामग्रियां, उपस्कर और प्रौद्योगिकियां****10.00 नीति**

दोहरे उपयोग की वस्तुओं सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित युद्ध सामग्री और परमाणु से संबंधित मद नामतः स्कोमेट के निर्यात को संचालित करने वाले सामान्य प्रावधान से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय-10 में दी गई है।

10.01 कवरेज

यह अध्याय स्कोमेट के तहत दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात से संबंधित विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु प्रक्रिया को कवर करता है।

10.02 स्कोमेट श्रेणियां और लाइसेंसिंग क्षेत्राधिकार

स्कोमेट सूची के तहत शामिल दोहरे उपयोग की वस्तुओं सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकियों का निर्यात जब तक निषिद्ध अथवा विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त न हो, निर्यात-प्राधिकार पत्र प्रदान करने पर अनुमत है। आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में यथा विनिर्दिष्ट और एफटीपी के पैरा 10.03 के अंतर्गत सारणीबद्ध स्कोमेट वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु लाइसेंस प्रदान करने वाली प्राधिकरणों का विवरण निम्नानुसार है:—

- (क) डीजीएफटी श्रेणी 0, 6 स्कोमेट सूची की वस्तु पहचान टिप्पणी (सीआईएन) की टिप्पणी 2 और किसी यथा विनिर्दिष्ट उप श्रेणी को छोड़कर उपश्रेणी 6क007 और 6क008 सभी स्कोमेट श्रेणियों हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकरण है।
- (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) श्रेणी 0 और 'सीआईएन' की टिप्पणी 2 की मदों हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकरण है। लागू किए जाने वाले दिशानिर्देशों को परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु ऊर्जा (खानों का कार्य, खनिज और निर्धारित पदार्थ का संचालन) नियम 1984 के तहत जारी परमाणु हस्तांतरण (निर्यात), निर्धारित पदार्थों, निर्धारित उपकरण और प्रौद्योगिकी की अनुसूची की अधिसूचना को डीएई द्वारा अधिसूचित किया जाता है। श्रेणी-0 में कुछ मदों हेतु प्राप्तकर्ता राज्य से लिए गए औपचारिक आवेदनपत्रों में किसी परमाणु विस्फोटक उपकरण का उपयोग न किया जाना शामिल होगा। श्रेणी-0 में कुछ मदों के निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र जारी नहीं किए जाएंगे जब तक कि हस्तांतरण पर्याप्त भौतिक सुरक्षा के अंतर्गत न किया जाए तथा यह उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) के रक्षोपाय अथवा हस्तांतरित मदों से संबंधित किसी अन्य आपसी रूप से सहमत नियंत्रणों के अंतर्गत कवर न किया जाए।
- (ग) रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) स्कोमेट की श्रेणी 6 की मदों जिसमें मदें चाहे सैन्य या नागरिक के अंतिम उपयोग के बावजूद 'युद्ध सामग्री' [सीआईएन की टिप्पणी 2 और युद्ध सामग्री सूची के टिप्पणी 3 (अर्थात् श्रेणी 6 क007, 6क008 के तहत मदें) के तहत शामिल को छोड़कर] के रूप में जाना जाता है के लिए लाइसेंस प्राधिकारी

है। स्कोमेट की श्रेणी 6 के तहत निर्यात प्राधिकार पत्र डीडीपी द्वारा उनके मौजूदा दिशानिर्देशों/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार समय-समय पर जारी किया जाता है।

10.03 डीटीए से एसईजेड/ईओयू और देश के बाहर स्कोमेट मदों की आपूर्ति

डीटीए से एसईजेड/ईओयू को स्कोमेट मदों की आपूर्ति के लिए किसी निर्यात प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। तथापि, निर्यात प्राधिकार पत्र अपेक्षित है, यदि स्कोमेट मदों को एसईजेड/ईओयू से देश के बाहर वास्तविक रूप से निर्यात किया जाना है अर्थात् दूसरे देश के लिए (एसईजेड नियम, 2006 के नियम 26 को देखें)। डीटीए से एसईजेड/ईओयू को स्कोमेट मदों की सभी आपूर्ति की सूचना आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रपत्र [निर्यात एवं आयात मदों की आईटीसी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट-3 के अनुलग्नक 1] में संबंधित एसईजेड/ईओयू के विकास आयुक्त (डीसी) को दी जाएगी। डीटीए से एसईजेड/ईओयू को ऐसी आपूर्ति की वार्षिक रिपोर्ट ईओयू द्वारा जिससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान डीटीए से एसईजेड/ईओयू को आपूर्ति के संबंध में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 मई तक निर्धारित प्रपत्र [अनुलग्नक 2 से परिशिष्ट-3] में एसईजेड/ईओयू के डीसी द्वारा डीजीएफटी (मुख्यालय) को सूचना दी जाएगी।

10.04 स्कोमेट प्राधिकार-पत्र हेतु आवेदन और दस्तावेज

- (क) आईटीसी (एचएस) निर्यात और आयात मदों का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकियों सहित स्कोमेट मदों, से संबंधित निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी करने हेतु आवेदन को निर्धारित प्रपत्र [एएनएफ-10क, एएनएफ-10ख, एएनएफ-10ग, एएनएफ-10घ, एएनएफ-10ङ, एएनएफ-10च] में जो भी लागू हों प्रासंगिक परिशिष्ट में निर्धारित दस्तावेजों के साथ डीजीएफटी (मुख्यालय) को भेजा जाए।
- (ख) तथापि, ऐसे आवेदन अनिवार्य रूप से डीजीएफटी की वेबसाइट पर आईकॉन सेवाएं → निर्यात प्रबंधन प्रणाली → स्कोमेट के अंतर्गत ऑन लाइन प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य रूप से भेजा जाना चाहिए।
- (ग) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय, प्रासंगिक परिशिष्ट में यथा लागू और और विनिर्दिष्ट सभी आवश्यक दस्तावेजों को पीडीएफ फाइलों के रूप में अपलोड किया जाना है। डीजीएफटी (मुख्यालय) के साथ आवेदन को मैन्युअल रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, अस्थायी निर्यातों के लिए लागू प्रारूप [प्रासंगिक परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट] या कानूनी वचनबद्धता के अनुसार मूल अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) को इलैक्ट्रॉनिक प्रस्तुती के अलावा स्कोमेट सेल, डीजीएफटी (मुख्यालय), वाणिज्य भवन, नई दिल्ली को विषय पंक्ति पर आवेदन की फाइल संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए प्रावरण पत्र के साथ हार्ड कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।
- (घ) आवेदन के साथ लागू प्रारूप (प्रासंगिक परिशिष्ट) के अनुसार एक ईयूसी होना चाहिए, जो प्रमाणित करता है कि:
- मद का उपयोग केवल उल्लिखित प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस तरह के उपयोग को न ही बदला जाएगा और भारत सरकार की सहमति के बिना न ही मदों को संशोधित किया जाएगा या दोहराया जाएगा।
 - भारत सरकार की सहमति के बिना न तो मद और न ही प्रतिकृतियां और न ही उनके व्युत्पन्न को फिर से स्थानांतरित किया जाएगा:
 - अंतिम प्रयोक्ता ऐसे सत्यापन की सुविधा प्रदान करेगा जो भारत सरकार द्वारा अपेक्षित है।
- (ङ) अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र निर्यात की जाने वाली वस्तु का नाम, आयातक और आपूर्ति श्रृंखला में सभी कंपनियों का नाम, संबंध वस्तु का विशिष्ट अंतिम उपयोग, खरीद आदेश/अनुबंध का विवरण इंगित करेगा।
- (च) भारत सरकार को अतिरिक्त औपचारिक आश्वासनों की भी आवश्यकता हो सकती है, जैसा उचित समझा जाए, जो जिसमें प्राप्तकर्ता के राज्य से अंतिम उपयोग और गैर-लेन-देन शामिल है।
- प्रसार संबंधी चिंताओं और अन्य कारकों के आंकलन के आधार पर सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र में अतिरिक्त अंतिम उपयोग की शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं।

10.05 दोहरे उपयोग हेतु गैर-स्कोमेट मदों पर अतिरिक्त नियंत्रण (संपूर्ण नियंत्रण)

यदि निर्यातक को डीजीएफटी अथवा वह जानता है को लिखित में अधिसूचित किया गया है या उसको ऐसा विश्वास होता है कि स्कोमेट में शामिल नहीं की गई वस्तु का सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) के रूप में या मिसाइल प्रणाली अथवा सैन्य उपयोग (आतंकवादियों और गैर राज्य अभिकर्ता द्वारा सहित) में इस्तेमाल किए जाने या तबदील किए जाने का संभावित

जोखिम है तो वह एक स्कोमेट प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन कर सकता है। ऐसी वस्तु के निर्यात को प्रक्रिया पुस्तक पैरा 10.06 में स्कोमेट मदों हेतु प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार अस्वीकृत अथवा अनुमत किया जा सकता है।

टिप्पणी: "सैन्य उपयोग" स्कोमेट श्रेणी 6 में सूचीबद्ध मदों में शामिल करना अथवा इन श्रेणियों में सूचीबद्ध सैन्य मदों के उपयोग, विकास अथवा उत्पादन से संबंधित है।

ऐसे निर्यातक जो संपूर्ण नियंत्रणों के तहत विनियमित ऐसे वस्तुओं का निर्यात/हस्तांतरण करने जा रहे हैं, उन्हें डीजीएफटी से स्कोमेट लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। आईएमडब्ल्यूजी प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 10.06 के संदर्भ में संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र (एएनएफ 10 क) में ऐसे आवेदनों की जाँच करता है।

10.06 अंतर्मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी)

डीजीएफटी (मुख्यालय) में एक अंतर्मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) जिसमें ऐसे अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जिन्हें उपयुक्त समझा जाए। निर्यात और आयात मदों की आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट-3 में यथा विनिर्दिष्ट स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु आवेदनों पर निम्नलिखित दिशानिर्देश/कारकों के आधार पर विचार करेगा।

I. स्कोमेट सूची में मदों अथवा प्रौद्योगिकी अथवा साफ्टवेयर के निर्यात हेतु, प्राधिकार पत्र के लिए आवेदनों पर निम्नलिखित सामान्य मानदंडों के आधार पर विचार किया जाता है:

- (क) अंतिम प्रयोक्ता का साख-पत्र, मद अथवा प्रौद्योगिकी के अंतिम उपयोग की घोषणा की विश्वसनीयता, आपूर्तिकर्ता से अंतिम प्रयोक्ता तक मद के हस्तांतरण की श्रृंखला और मदों अथवा प्रौद्योगिकी के निर्यात की समयावधि सहित इनकी क्षमता की अंखडता इनके अंतिम उपयोगों पर योगदान करेगा जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा विदेश नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों, वैश्विक अप्रसार के लक्ष्यों और उद्देश्यों अथवा अंतर्राष्ट्रीय संधियों/ करारों/संधिपत्रों के अनुरूप नहीं जिनका यह पक्षकार राज्य है।
- (ख) जोखिम का आकलन करना कि निर्यातित मदों का आतंकवादियों, आतंकवादी समूहों और गैर राज्य अधिकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल न किया जा सके।
- (ग) प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा प्रारंभ किए गए निर्यात नियंत्रण उपाय
- (घ) हथियारों और उनकी सुपुर्दगी से संबंधित प्राप्तकर्ता राज्य के कार्यक्रमों की क्षमता और उद्देश्य।
- (ङ.) मद (मदों) के अंतिम उपयोग (उपयोगों) का आकलन
- (च) संबंधित द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौते और व्यवस्था जिनका भारत एक पक्षकार अथवा समर्थक है, के प्रावधानों की प्रयोज्यता। इसमें समय-समय पर यथा संशोधित परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, आस्ट्रेलिया समूह (और इसकी चेतावनी सूची अथवा जागरूकता बढ़ाने संबंधी दिशानिर्देश) और वासेनार व्यवस्था (और इसकी संवेदनशील सूची और अतिसंवेदनशील सूची) के प्रावधानों की प्रयोज्यता शामिल हैं लेकिन सीमित नहीं।

II. आईएमडब्ल्यूजी सदस्यों द्वारा टिप्पणियों हेतु समयसीमा: आईएमडब्ल्यूजी के सदस्य डीजीएफटी (मुख्यालय) द्वारा ऑनलाइन आवेदन को अग्रेषित करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर डीजीएफटी को अपनी लिखित टिप्पणियां/विचारों/अनापत्ति प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। यदि निर्धारित समयावधि के अंदर कोई टिप्पणी/विचार/अनापत्ति प्राप्त नहीं होता है तो मामलों को जैसा उचित समझा जाए निर्णय लेने हेतु आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

III. आईएमडब्ल्यूजी सामान्यतः प्रत्येक माह में एक बार बैठक करेगा। जब एक मामला आईएमडब्ल्यूजी बैठक में आस्थगित किया गया हो और तदोपरान्त सभी संबंधित अधिकरणों से टिप्पणियां/विचार/अनापत्ति प्रमाण पत्र (पत्रों) बिना किसी विचारों की असहमति के प्राप्त होते हैं तो अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी के अनुमोदन से प्राधिकार-पत्र जारी किया जाएगा और मामले को कार्योत्तर आधार पर अनुमोदन हेतु आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष इसकी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

IV. मामला (मामले) जहां आईएमडब्ल्यूजी में निर्णय नहीं लिया जा सका हो को प्राधिकार-पत्र प्रदान करने के लिए उचित निर्णय लेने हेतु महानिदेशक विदेश व्यापार के समक्ष रखा जाएगा।

जैसा भी मामला हो, आईएमडब्ल्यूजी अथवा अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा स्कोमेट आवेदन के अनुमोदन के बाद निर्यात प्राधिकार-पत्र की डीजीएफटी (मुख्यालय) के स्कोमेट प्रकोष्ठ द्वारा जारी किया जाएगा।

10.07 सामूहिक विकास के हथियार अधिनियम (डब्ल्यूएमडी अधिनियम) की प्रयोज्यता

स्कोमेट सूची में न मौजूद मदों के निर्यात को भी सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी सुपुर्दगी प्रणालियों (गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक) अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जा सकता है।

10.08 किसी व्यवस्था में प्रवेश करने अथवा कार्य स्थलों की जानकारी, कार्य-स्थल पर जांच-पड़ताल और अभिलेखों/दस्तावेजों की पहुंच हेतु आवेदनों की फाइलिंग/मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया/दिशानिर्देश

निर्यात और आयात मदों की आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट 3 में यथा उल्लिखित किसी विदेशी सरकार अथवा विदेशी तृतीय पक्ष द्वारा या तो सीधा स्वयं या भारतीय पक्ष के माध्यम से कार्यस्थल का दौरा, कार्य स्थल पर जांच पड़ताल अथवा अभिलेखों/दस्तावेजों पर पहुंच सहित व्यवस्था में प्रवेश अथवा जानकारी हेतु आवेदन परिशिष्ट 10ठ सहित संबंधित दस्तावेजों के साथ डीजीएफटी (मुख्यालय), नई दिल्ली को प्रपत्र एएनएफ 10ड. में किया जाएगा। इन आवेदनों पर आईएमडब्ल्यूजी द्वारा डीजीएफटी (मुख्यालय) में परिशिष्ट 10क में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों/सामान्य मानदंडों के आधार पर विचार किया जाएगा और व्यवस्था या जानकारी के लिए अनुमति जिसमें कार्यस्थल का दौरा, कार्यस्थल सत्यापन अभिलेख या दस्तावेज पर पहुंच शामिल है परिशिष्ट 10 (क) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।

10.09 स्कोमेट मद (मदों) हेतु पुनरादेशों हेतु प्राधिकार-पत्र जारी करना

एक ही देश/इकाईयों को एक जैसे स्कोमेट मदों [श्रेणी 3क 401 और किसी भी श्रेणी के तहत साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर] हेतु पुनरादेशों हेतु प्राधिकार-पत्र जारी करने हेतु आवेदन ऑनलाइन स्कोमेट पोर्टल के माध्यम से परिशिष्ट 10ख (i) और परिशिष्ट 10ख (ii) में यथा निर्धारित प्रपत्र में अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र (एएनएफ 10क) में किया जाएगा। आवेदन पर अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आईएमडब्ल्यूजी के सदस्यों के साथ परामर्श किए बिना विचार किया जाएगा। तथापि एक जैसे स्कोमेट मद के विभिन्न देशों/इकाईयों को निर्यात हेतु पुनरादेशों के मामले में अनुमोदन अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा खरीदार/परेषिती/अंतिम प्रयोक्ता के साथ पत्रों के सत्यापन के बाद ही जारी किया जाएगा। निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के बाद, विभिन्न कारकों के आकलन के आधार पर, आईएमडब्ल्यूजी संबंधित एजेंसी (एजेंसियों) के माध्यम से पुनरादेशों के तहत किए गए निर्यात को सत्यापित कर सकता है।

अनुमोदन निम्नलिखित मानदंडों के पूरा होने के अधीन होगा:

- (i) एक जैसी स्कोमेट मदों का अभिप्राय होगा कि तकनीकी विनिर्देशों के साथ उत्पाद सूचित किया जाएगा जिस पर पूर्व में विधिवत परामर्श/सत्यापन के बाद आवेदक निर्यातक को निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी किया गया है।
- (ii) समान देश/इकाई का अभिप्राय है कि (क) विदेशी खरीदार (ख) परेषिती अथवा मध्यवर्ती यदि कोई हो (ग) अंतिम प्रयोक्ता और (घ) अंतिम उपयोग पूरी तरह समान हो जिस पर पूर्व में विधिवत परामर्श/सत्यापन के बाद आवेदक निर्यातक को निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी किया गया है।
- (iii) केवल मूल स्कोमेट प्राधिकार-पत्र के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों के अंदर प्रस्तुत आवेदन ही विधिवत सत्यापन/परामर्श प्रक्रिया के बाद पुनरादेश प्राधिकार-पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- (iv) पुनरादेश निर्यात प्राधिकार-पत्रों हेतु अनुमत संचयी मात्रा अंतिम प्रयोक्ता द्वारा यथा प्रमाणित संबंधित उत्पाद के संबंध में अंतिम प्रयोक्ता की प्रचालनात्क क्षमता के अनुरूप होगी। इस संबंध में निर्यातक द्वारा पुनरादेश प्राधिकार-पत्र के आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 10ख (i) में अंतिम प्रयोक्ता से प्राप्त एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (v) उपर्युक्त (i) से (iv) के अनुसार अर्हक शर्तों पर निर्यातक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एक घोषणा-पत्र पुनरादेश मार्ग के अंतर्गत विचारार्थ आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र [परिशिष्ट 10ख (ii)] में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (vi) किसी निर्यात खेप में संबंधित कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर डीजीएफटी पुनरादेशों हेतु प्राधिकार-पत्र (पत्रों) को वापस लेने/खारिज करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (vii) पुरादेशों हेतु सभी प्राधिकार-पत्र आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष इसकी अगली बैठक में कार्योत्तर आधार पर अनुमोदन की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे और आईएमडब्ल्यूजी प्रसार संबंधी चिंताओं पर विचार करने पर आगे पुनरादेश प्राधिकार-पत्रों के प्रदान करने को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

10.10 स्कोमेट मदों की भंडारण और बिक्री हेतु निर्यात-प्राधिकार पत्र जारी करना।

भारतीय निर्यातक से स्कोमेट मदों (श्रेणी 0, श्रेणी 3क 4001, श्रेणी 6 और किसी श्रेणी के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को छोड़कर) के बल्क मात्रा में एक विदेश इकाई (जिसका यहां 'स्टॉकिस्ट' के रूप में उल्लेख किया गया है) को अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता को बाद में हस्तांतरण करने हेतु निर्यात के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने हेतु आवेदन पर आईएमडब्ल्यूजी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर विचार किया जाएगा:

प्रयोज्यता और नीति का स्तर

(क) 'स्टॉकिस्ट' का उल्लेख विदेश में स्थित इकाई हेतु किया गया है जिसे भारतीय प्रधान/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा स्कोमेट मदों का मूलतः निर्यात किया जाता है। स्टॉकिस्ट कंपनी को विदेश में भारतीय निर्यातक की सहायता कंपनी/प्रधान कंपनी होना चाहिए,

(ख) निर्यात को भारत में प्रधान कंपनी/पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी (निर्यातक) से उनकी विदेश में सहायक/प्रधान कंपनी (स्टॉकिस्ट) को 'भंडारण और बिक्री' प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र (ईयूसी) के माध्यम से स्टॉकिस्ट से एक अंतिम प्रयोक्ता घोषणा-पत्र के आधार पर ही अनुमत किया जाएगा।

टिप्पणी: उपरोक्त कुछ मामलों में मदों के विवरण/अंतिम उपयोग/अंतिम प्रयोक्ता पर विचार करते हुए आईएमडब्ल्यूजी के क और ख प्रावधानों में छूट दी जा सकती है।

विदेशों में स्टॉकिस्ट को निर्यात और विशिष्ट देशों में अंतिम उपयोगकर्ताओं को हस्तांतरण के लिए आवेदन।

(ग) आवेदन निर्यातक द्वारा स्टॉकिस्ट से प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र (एएनएफ 10ख) में प्रस्तुत करना होगा।

- i. भारतीय निर्यातक और स्टॉकिस्ट के बीच कॉर्पोरेट के संबंध के बारे में दस्तावेजी प्रमाण;
- ii. परिशिष्ट 10अ (iii) में विदेशी स्टॉकिस्ट इकाई से अंतिम उपयोग/अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र
- iii. उन देशों की सूची (ईयूसी में) जिनमें स्टॉकिस्ट द्वारा भारत से आयातित मदों का निर्यात किया जाएगा;
- iv. खरीद आदेश (आदेशों)/बीजकों या उसके एवज में दस्तावेज;
- v. उत्पाद (उत्पादों) के तकनीकी विनिर्देश;
- vi. आंतरिक अनुपालन कार्यक्रम की प्रति (यदि आवेदक निर्यातक/स्टॉकिस्ट के पास एक है)।

स्टॉकिस्ट के देश के अंदर स्टॉकिस्ट बिक्री करने तथा स्टॉकिस्ट द्वारा अन्य देशों में अंतिम प्रयोक्ता को पुनः निर्यात करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन

(घ) आवेदन का स्टॉकिस्ट को निर्यात करने और आईएमडब्ल्यूजी द्वारा अनुमोदित अंतिम वास्तविक उपयोग के विनिर्दिष्ट देशों को पुनः निर्यात करने हेतु सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आकलन किया जाएगा।

(ङ) स्टॉकिस्ट के देश के अंदर अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) को स्टॉकिस्ट द्वारा हस्तांतरण हेतु और ऐसे अनुमोदित देशों में वास्तविक प्रयोक्ताओं को पुनः निर्यात के लिए किसी प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(च) ऐसे अनुमोदित देशों को पुनःनिर्यात स्टॉकिस्ट के देश के निर्यात नियंत्रण विनियमों के अधीन होगा।

(छ) देश एक स्वतंत्र संप्रभु इकाई का द्योतक होगा जो राजनैतिक भूगोल में एक विभिन्न राष्ट्रीय इकाई है। इस प्रकार एक आर्थिक संघ अथवा एक सीमा शुल्क संघ के अंदर हस्तांतरण को "एक ही देश में हस्तांतरण नहीं माना जाएगा।"

स्टॉकिस्ट द्वारा एक ही देश में हस्तांतरण और पूर्व-अनुमोदित देशों को पुनः निर्यात हेतु बाद में रिपोर्टिंग

(ज) एक ही देश के अंदर स्टॉकिस्ट द्वारा बिक्री/हस्तांतरण के मामले में और देश में अंतिम प्रयोक्ताओं को पुनःनिर्यात/पुनःहस्तांतरण जिसके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन जारी किया गया है, हेतु भारतीय

निर्यातक/लाइसेंस धारक ऐसे भी हस्तांतरणों से संबंधित विवरण डीजीएफटी (मुख्यालय) के स्कोमेट प्रभाग को एएनएफ 10ख में ऐसे प्रत्येक हस्तांतरण के 3 महीनों के अंदर प्रस्तुत करेगा जिसमें सभी अंतिम वास्तविक प्रयोक्ताओं से ईयूसी [परिशिष्ट-10ज(i)/10ज(ii) यथा लागू] और अंतिम गंतव्य देशों (स्टॉकिस्ट के देश के बाहर निर्यात हेतु) से प्रविष्टि बिल शामिल हैं।

अन्य देशों (पूर्व अनुमोदित के अलावा) को पुन निर्यात हेतु आवेदन

(झ) स्टॉकिस्ट इकाई से स्टॉकिस्ट के देश से बाहर वास्तविक प्रयोक्ताओं को पुनः निर्यात/पुनः हस्तांतरण जिसके लिए प्रारंभिक चरण में सैद्धांतिक अनुमोदन जारी नहीं किया गया है, के मामले में भारतीय निर्यातक (स्टाक और बिक्री प्राधिकार-पत्र धारक) स्टॉकिस्ट इकाई से संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त करके डीजीएफटी (मुख्यालय) के स्कोमेट प्रभाग को पुन-निर्यात/पुनः हस्तांतरण हेतु आवेदन एएनएफ 10ख में आवेदन ईमेल स्कोमेट dgft@nic.in के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(i) आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक लिंक से परिशिष्ट 10ज (i)/10ज (ii), यथा लागू अंतिम उपयोग/अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र

(ii) खरीद आदेश (आदेशों)/बीजक (बीजकों) या उसके बदले में दस्तावेज:

(iii) हस्तांतरित (केवल स्टॉकिस्ट द्वारा उत्पाद में कोई मूल्यवर्धन किया गया हो) किए जाने वाले उत्पाद के तकनीकी विनिर्देश¹

(ञ) आईएमडब्ल्यूजी अंतिम उपयोग/अंतिम प्रयोक्ता सत्यापन के आधार पर ऐसे पुनः निर्यात/पुनः हस्तांतरण को अनुमत करने के लिए निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए विचार करेगा।

पुनरादेश मामले

(ट) एक ही स्टॉकिस्ट इकाई को एक ही स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए आवेदन, और एक ही स्कोमेट इकाई से आवेदन और एक ही स्कोमेट इकाई से अंतिम प्रयोक्ताओं को एक ही स्कोमेट मदों का पुनः निर्यात/पुनः हस्तांतरण (स्टॉकिस्ट इकाई के देश के भीतर और केवल अंतिम उपयोग वाले देशों में जहाँ सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है), यानी अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आईएमडब्ल्यूजी के सदस्यों के साथ किसी परामर्श के बिना पुनः आदेश पर विचार किया जाएगा।

स्टॉकिस्ट के बीजक-पत्र और हस्तांतरण/पुन निर्यात की वार्षिक रिपोर्टिंग

(ठ) भारतीय निर्यातक (स्टाक और बिक्री प्राधिकार-पत्र धारक) भारत से स्टॉकिस्ट को किए गए निर्यात, स्टॉकिस्ट द्वारा अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता को किए गए हस्तांतरण और स्टॉकिस्ट के बीजक-पत्र का प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 31 दिसंबर को विवरण अगले वर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत करेगा। ऐसा करने में असमर्थ होने पर स्टाक और बिक्री नीति के अंतर्गत जुर्माना लगाया/अथवा प्राधिकार-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

(ड) स्टाक और बिक्री प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत स्टॉकिस्ट इकाई को निर्यात की गई मदों को प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 10.17 में यथा उल्लिखित प्राधिकार-पत्र की वैधता अवधि के अंदर अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) को हस्तांतरिक की जानी चाहिए।

(ढ) ऐसे प्राधिकार-पत्र का प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 10.20 में यथा उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पुनवैधीकरण किया जा सकता है।

10.11 स्टाक और बिक्री के अंतर्गत स्कोमेट मदों के स्पेयर पार्टज हेतु निर्यात प्राधिकार-पत्र का मुद्दा

आवेदक मुख्य मद/उपस्कर के निर्यात हेतु आवेदन में स्टाक और बिक्री व्यवस्था के अंतर्गत स्पेयर पार्ट्स के निर्यात के लिए भी इसके औचित्य के साथ आवेदन कर सकता है। स्कोमेट के अंतर्गत शामिल स्पेयर पार्ट्स के निर्यात के अनुरोध पर आईएमडब्ल्यूजी द्वारा मुख्य मद/उपस्कर हेतु आवेदन के साथ मुख्य मद/कल पुर्जे हेतु यथा लागू समान शर्तों पर विचार किया जा सकता है। आवेदक को उसके औचित्य के साथ न्यायसंगत और तर्कसंगत मूलयांकन के बाद स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता को इंगित करने की ज़रूरत है।

10.12 खराब स्कोमेट मदों की मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु प्राधिकार पत्रों का मुद्दा

स्कोमेट मदों के निर्यात/पुन निर्यात हेतु प्राधिकार-पत्र जारी करने हेतु आवेदन जैसा भी मामला हो (i) विदेश से आयातित मद(मदों) की मरम्मत/प्रतिस्थापन और वापसी (ii) स्वदेशी स्कोमेट मदों की मरम्मत/प्रतिस्थापन और (iii) भारत में मरम्मत व्यवस्था से मरम्मत के लिए आयातित मदों की वापसी (iv) भारत (जीआईआर) में मरम्मत के बाद स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र एएनएफ 10क में यथा लागू 10घ, 10ड., 10च, 10च(i) में यथा निर्धारित अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन स्कोमेट पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति पर आवेदन पर विचार किया जाएगा।

क. मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु आयातित स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्राधिकार-पत्र**i. पूरा की जाने वाली शर्तें:**

- (क) भारत में स्कोमेट मदों का आयात किया गया और खराब पाए जाने पर मरम्मत और प्रतिस्थापन के प्रयोजन हेतु इनका निर्यात किया जाना है।
- (ख) स्कोमेट मद (मदों) की मूल विशेषताओं/विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (ग) स्कोमेट मदों को उसी इकाई जहां से इन्हें आयात किया गया हो अथवा मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण¹ सहित) को निर्यात किया जाना है।
- (घ) आयात या संविदात्मक समझौते की शर्तों के तहत दोषपूर्ण/क्षतिपूर्ण मदों (जो भी लागू हो) के प्रतिस्थापन या मरम्मत की अनुमति है;
- (ड.) कोई निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा यदि निर्यात करने वाले देश द्वारा प्रारंभिक निर्यात प्राधिकार-पत्र को निलंबित, संशोधित अथवा वापस लिया गया हो।
- (च) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा प्रतिबंधित गंतव्यों अथवा आईएमडब्ल्यूजी द्वारा समय-समय पर यथा आकलित भारी जोखिम वाले देशों/इकाईयों को कोई निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- (छ) किसी वास्तविक उपयोग और वास्तविक उपयोग प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ज) आवेदन **परिशिष्ट 10घ** में यथा निर्धारित प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ किया जाएगा;
- (झ) निर्धारित प्रपत्र (**परिशिष्ट 10ट**) में 200/- रुपये के स्टॉम्प पेपर पर कानूनी वचनबद्धता।

ii. इकाई जहां से आयात किया गया हो अथवा मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) को निर्यात करने हेतु प्राधिकार-पत्र जारी करने हेतु आवेदन को अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आईएमडब्ल्यूजी के सदस्यों के साथ बिना किसी परामर्श के अनुमोदित किया जाएगा। तथापि, अन्य किसी इकाई को निर्यात के मामलों में अनुमोदन अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा विदेशी इकाई जिसे मदों का निर्यात किया जाता है, की साख का सत्यापन करने के बाद जारी किया जाएगा।

iii. मरम्मत/प्रतिस्थापन के बाद मद (मदों) की वापसी और पश्च-रिपोर्टिंग अनुपालन:

- (क) निर्यातित मदों को मरम्मत पूरी होने के बाद 90 दिनों के भीतर वापस लाया जाएगा, या मदों को डीजीएफटी द्वारा यथा अनुमत बढ़ाए गए समय के भीतर बदला जाएगा;
- (ख) यदि किसी कारण (मरम्मत, परीक्षण विफलता/वि"लेषण आदि से परे) के कारण दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मद का आयात नहीं किया जा सकता है, तो आयात करने वाले देश में नष्ट किए जाने का सबूत 90 दिनों के भीतर डीजीएफटी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ग) यदि पुनः आयात से पहले आयातित दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मदों की मरम्मत के लिए 90 दिनों से अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो समय को बढ़ाने की मांग के लिए विस्तृत औचित्य का संकेत देते हुए डीजीएफटी से अग्रिम अनुमति प्राप्त करनी होगी।

¹ ऐजेंसी 'स्वीकृत केंद्र' (लाइसेंस के तहत निर्यात किए जा रहे माल की मरम्मत के लिए उपकरण निर्माता द्वारा अनुमोदित सुविधा) शामिल हो सकती है।

(घ) भारत में ऐसे स्कोमेट मदों की वापसी की पुष्टि करने वाले प्रविष्टि बिल की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा सूचित और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगाके निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 10ट के अनुलग्नक-1) में डीजीएफटी (मुख्यालय) को दी जाएगी।

ख. मरम्मत/प्रतिस्थापन के बाद स्वदेशी स्कोमेट मदों के पुनःनिर्यात हेतु प्राधिकार-पत्र

i. पूरा की जाने वाली शर्तें

- (क) भारत में विनिर्मित स्कोमेट मदें जिन्हें निर्यात किया गया और खराब/क्षतिग्रस्त पाए जाने पर मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन हेतु भारत में वापस लाया जाना है
- (ख) मरम्मत/प्रतिस्थापन के बाद मदों को उसी इकाई को पुनः निर्यात किया जाता है जहां मद (मदों) मूल रूप से आवेदक निर्यातक द्वारा निर्यात किए गए थे।
- (ग) स्कोमेट मद (मदों) की मूल विशेषताओं/विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- (घ) खराब/क्षतिग्रस्त मद (मदों) को पहले ही भारत वापस लाया गया है अथवा इसके प्रतिस्थापन (यदि लागू हो) के 90 दिनों के अंदर भारत वापस लाया जाएगा।
- (ङ.) वह प्रतिस्थापन/मरम्मत (जो भी लागू हो) निर्यात या खरीद आदेश या संविदात्मक समझौते की शर्तों के तहत अनुमत है;
- (च) यदि मूल लाइसेंस निलंबित, संशोधित अथवा वापस लिया गया है तो पुनः निर्यात हेतु कोई प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- (छ) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा प्रतिबंधित गंतव्यों अथवा आईएमडब्ल्यूजी द्वारा समय-समय पर यथा आकलित भारी जोखिम वाले देशों/इकाईयों को कोई प्राधिकार-पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (ज) 'वास्तविक उपयोग' और 'वास्तविक उपयोग' प्रमाण-पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- (झ) आवेदन परिशिष्ट 10ड. में निर्धारित उचित दस्तावेजों के साथ हो;
- (ञ) निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 10ट) में 200/- रुपये के स्टॉम्प पेपर पर कानूनी वचनबद्धता।

ii. मूल स्कोमेट लाइसेंस में यथा विनिर्दिष्ट एक ही इकाई (इकाईयों) को/से प्रतिस्थापित/मरम्मत की गई मद (मदों) के निर्यात हेतु प्राधिकार-पत्र जारी करने के आवेदन अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आईएमडब्ल्यूजी के सदस्यों के साथ बिना किसी परामर्श के जारी किए जाएंगे। तथापि नई इकाई (परेषिती) को/से निर्यात के मामलों में अनुमोदन अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा नई विदेशी इकाई (इकाईयों) जिनके माध्यम से मद (मदों) का निर्यात किया जाना है के साख-पत्रों के सत्यापन के बाद जारी किया जाएगा।

iii. मरम्मत प्रतिस्थापन के बाद मद (मदों) की वापसी और पश्च-रिपोर्टिंग अनुपालन

- (क) यह कि दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मद (मदों) को पहले ही वापस लाया जा चुका है या इसके प्रतिस्थापन (प्रतिस्थापन के मामले में) के 90 दिनों के भीतर भारत वापस लाया जाएगा;
- (ख) यदि किसी कारण (मरम्मत, परिक्षण, विफलता, वि"लेषण आदि से परे) के कारण दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मद आयात नहीं किया जा सकता है, तो आयात करने वाले देश में नष्ट किए जाने का सबूत प्रतिस्थापन के निर्यात के 90 दिनों के भीतर डीजीएफटी को प्रस्तुत किया जाएगा;
- (ग) भारत ऐसे स्कोमेट मदों की वापसी की पुष्टि करने वाले प्रविष्टि बिल की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगाके निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 10ट के अनुलग्नक-1) में डीजीएफटी को दी जाएगी।

ग. विदेशी एक ही इकाई से आयातित अथवा भारत में मरम्मत के बाद किसी प्राधिकृत इकाई से स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्राधिकार-पत्र

i. पूरा की जाने वाली शर्तें

- (क) स्कोमेट मदों को एक संविदा/कराए/मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) के अंतर्गत मरम्मत के प्रयोजन हेतु भारत में नामित/प्राधिकृत मरम्मत सुविधा-केन्द्र को आयात किया गया, अथवा
- भारतीय निर्यातक, मरम्मत सुविधा इकाईयों (यदि निर्यातक से भिन्न हों) और विदेशी इकाई के बीच संविदा के अंतर्गत आयात किया गया हो, जिसमें भारत के मरम्मत की जाने हेतु शर्तों सहित 'कार्य का विवरण (एसओडब्ल्यू)'/'कार्य का स्तर' परिभाषित किया गया हो।
- (ख) मदों को विदेश में एक ही इकाई जहां से मदों का आयात किया गया है अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण² सहित) को निर्यात किया जाना है।
- (ग) दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मदों की मरम्मत की अनुमति भारतीय निर्यातक, मरम्मत की सुविधा की कंपनी (यदि निर्यातक से भिन्न है) और विदेशी कंपनी/ओईएम (ओईएम द्वारा अधिकृत एजेंसी सहित) (नाम और पता) के बीच आयात या संविदात्मक समझौते की शर्तों के तहत दी जाती है।
- (घ) मरम्मत के बाद स्कोमेट मद(मदों) की मूल विशेषताओं/विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (ङ) प्रारंभिक निर्यात प्राधिकार-पत्र को आयात करने वाले देश के द्वारा निलंबित, संशोधित अथवा वापस किए जाने पर कोई निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- (च) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा प्रतिबंधित गंतव्यों अथवा आईएमडब्ल्यूजी द्वारा समय-समय पर यथा आकलित भारी जोखिम वाले देशों/इकाईयों को कोई निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- (छ) 'वास्तविक उपयोग' और वास्तविक उपयोग प्रमाण पत्र के किसी विवरण की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ज) आवेदन परिशिष्ट 10च में यथा निर्धारित उचित दस्तावेज के साथ किया जाएगा।

ii. इकाई जहां से आयात किया गया अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) को निर्यात हेतु प्राधिकार-पत्रों को जारी करने हेतु आवेदनों को अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आईडब्ल्यूजी के सदस्यों के साथ बिना किसी परामर्श के अनुमोदित किया जाएगा। तथापि, किसी अन्य इकाई को निर्यात करने के मामलों में अनुमोदन अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा विदेशी इकाई जहां मद (मदों) का निर्यात किया जाना है के साख-पत्रों के सत्यापन के बाद जारी किया जाएगा। ऐसे सभी प्राधिकार-पत्रों को कार्यान्वयन आधार पर आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष अनुमोदन की पुष्टि हेतु इनकी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

घ. भारत में मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकरण (जीईआईआर) के तहत विदेशों में एक ही इकाई को एक ही आयातित स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र

क. भारत में मरम्मत के बाद विदेशों में एक ही कंपनी को आयातित स्कोमेट मदों के निर्यात की अनुमति भारत में मरम्मत के बाद निर्यात के लिए एक बारगी सामान्य प्राधिकार पत्र के आधार पर दी जाएगी, जो डीजीएफटी द्वारा तिमाही आधार पर पंच रिपोर्टिंग के अधीन होगी।

क. स्कोमेट मदों को अनुबंध करार/मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) के तहत मरम्मत के प्रयोजन के लिए भारत में नामित/अधिकृत मरम्मत सुविधा के लिए आयातित किया गया था, या भारतीय निर्यातक मरम्मत सुविधा की कंपनियों (यदि निर्यातक से अलग है) और विदेश में इकाई के बीच अनुबंध करार के तहत आयात किया जाता है, जिसमें भारत में मरम्मत करने की शर्तों सहित 'स्टेटमेंट ऑफ वर्क (एसओडब्ल्यू)/कार्य स्तर परिभाषित किया गया है;

ख. मदों को उसी इकाई और विदेश में निर्यात किया जाता है वहाँ मदों का आयात किया गया है/किए गए हैं।

ग. निर्यातक को वैधता अवधि के दौरान केवल एक बार मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र को पंजीकृत करना और प्राप्त करना अपेक्षित है। तदनुसार निर्यात/पुनः निर्यात पश्च रिपोर्टिंग के अधीन है।

घ. निर्यातक को प्रथम पोतलदान के लिए जीईआईआर हेतु आवेदन करते समय आयातित वस्तुओं के लिए प्रविष्टि बिल प्रदान करना अपेक्षित है।

² एजेंसी 'स्वीकृत केंद्र' (लाइसेंस के तहत निर्यात किए जा रहे माल की मरम्मत के लिए मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा अनुमोदित सुविधा) शामिल हो सकते हैं।

ड. मरम्मत के बाद निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार पत्र, सामान्य प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जो इस तरह के निर्यात की तारीख के 30 दिनों के भीतर पश्च रिपोर्टिंग के अधीन होगा।

च. अनुवर्ती निर्यात की अनुमति उसी इकाई और स्थान को दी जाएगी जिसके लिए लाइसेंस मूल रूप से जारी किया गया है।

टिप्पणी: समान इकाई का अर्थ होगा कि (क) विदेशी खरीदार (ख) परेषिति या माध्यम, यदि कोई हो (ग) अंतिम प्रयोक्ता बिल्कुल वही है जिसके लिए आवेदक निर्यातक को प्राधिकार पत्र जारी किया गया है।

(छ) मरम्मत के बाद स्कोमेट मद(मदों) की मूल विशेषताओं/विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और मरम्मत कार्य के दौरान कोई मूल्य वर्धन नहीं किया गया है।

(ज) प्रारंभिक निर्यात प्राधिकार-पत्र को आयात करने वाले देश के द्वारा निलंबित, संशोधित अथवा वापस किए जाने पर कोई निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(झ) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा प्रतिबंधित गंतव्यों अथवा आईएमडब्ल्यूजी द्वारा समय-समय पर यथा आकलित भारी जोखिम वाले देशों/इकाईयों को कोई निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(ञ) 'अंतिम उपयोग' और अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र के किसी विवरण की आवश्यकता नहीं होगी।

(ट) विशिष्ट मद और विशिष्ट इकाई (खरीदार/अंतिम प्रयोक्ता के लिए जारी किए गए जीईआईआर अलग आयातित वस्तु या एक अलग इकाई या प्राधिकृत ओईएम के मामले में लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में या तो एक नया जीईआईआर प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है या एचबीपी के पैरा 10.12 (घ) के तहत आवेदन दर्ज कर सकता है।

ख. जीईआईआर के लिए अपेक्षित दस्तावेज

1. मदों के आयात का प्रमाण

क. भारत को मदों के मूल निर्यात के लिए विदेश द्वारा जारी निर्यात लाइसेंस (यदि लागू है तो)

ख. दस्तावेजी प्रमाण और/या स्वयं घोषणा कि मद को लाइसेंस की आवश्यकता से छूट दी गई है या भारत के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

ग. प्रविष्टि बिल (पहली बार)

2. दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त वस्तुओं की मरम्मत के लिए दायित्व का प्रमाण:

भारत में मरम्मत करने के लिए शर्तों को परिभाषित करने वाले भारतीय निर्यातक और विदेशी इकाई के बीच (जिसमें माल शुरु से आयात किया गया था) के बीच अनुबंध करार और/या कार्य का विवरण (एसओडब्ल्यू)/मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए)

भारतीय निर्यातक से वचनबद्धता:

आवेतक निर्यातक से यह बताते हुए एक वचनबद्धता (फर्म के लेटर हेड पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगाई हुई) कि

क. मरम्मत के बाद निर्यात की जाने वाली आयातित मदों का उनकी स्कोमेट श्रेणी उप-श्रेणी संख्या, मात्रा, मद विवरण और विदेश के ईसीसीएन (यदि उपलब्ध है तो) के साथ विवरण

ख. उस मद (मदों) को उसी इकाई को निर्यात किया जा रहा है जिससे मूल से इसे मरम्मत और वापसी उद्देश्य से आयात किया गया था।

ग. आयात के बाद मद (मदों) की मूल विशेषताओं/विनिर्देश में परिवर्तन नहीं हुए हैं और मरम्मत कार्य के दौरान कोई मूल्य वर्धन नहीं किया गया है।

घ. भारतीय निर्यातकों और कंपनियों के बीच आयात या संविदात्मक शर्तों के तहत दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मदों की मरम्मत की अनुमति है जिनमें माल आयात किया गया था।

ड. पुननिर्यात के बाद गंतव्य देशों में पोतलदान बिल और प्रविष्टि बिल और डीजीएफटी द्वारा मांगी गई अन्य सूचना तिमाही आधार पर डीजीएफटी को प्रस्तुत की जाएगी।

च. वह मद सैन्य अनुप्रयोगों या विकास, अधिग्रहण, निर्माण, अधिकार, परिवहन अंतरण या उपयोग, रसायनिक, जैविक परिमाणु हथियारों या ऐसे हथियारों को वितरित करने में सक्षम मिसाइल के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

ग. जीईआर के तहत मदों/सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के पुनःनिर्यात हेतु पश्च-रिपोर्टिंग

- i. भारतीय निर्यातक को जीईआर के तहत स्कोमेट मदों/सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के निर्यात के प्रत्येक अंतरण/खेप का विवरण पिछली तिमाही में किए गए निर्यात के संबंध में प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के बाद के महीने के अंत तक त्रैमासिक आधार (मार्च/जून/सितम्बर/दिसम्बर) पर ई-मेल (scomet-dgft-pr@nic.in) अथवा डीजीएफटी द्वारा यथा निर्धारित एक प्रक्रिया द्वारा स्कोमेट प्रभाग, डीजीएफटी (मुख्यालय) नई दिल्ली को प्रस्तुत करना होगा।
- ii. पश्च पोतलदान विवरण में ऊपर उल्लिखित समय सीमा में प्रविष्टि बिल, (जहां लागू हो) पोतलदान बिल विवरण, वैध निर्यात लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत करना शामिल है।
- iii. ऐसा करने में विफल होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और/अथवा जीईआर का निलंबन/निरस्तीकरण किया जा सकता है और एफटीडीआर अधिनियम के अनुसार कारवाई की जाएगी।

घ. निलंबन/निरसन

जारी किया गया जीईआर का प्रसार संबंधी चिंताओं पर प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर अथवा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अनिवार्य रिपोर्ट/दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के लिए अथवा इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों का अनुपालन न होने के लिए डीजीएफटी द्वारा निलंबन/निरसन किया जा सकता है।

ड.. सामान्य शर्तें

- i. जीईआर जारी नहीं किया जाएगा यदि मदों को रसायन, जैविक, परमाणु हथियारों या सामूहिक विनाश के हथियारों की डिलिवरी करने में सक्षम मिसाइल और उनकी डिलिवरी प्रणाली के प्रयोग और/अथवा उनके डिजाइन, विकास, अधिग्रहण, विनिर्माण, रखने, परिवहन, हस्तांतरण हेतु प्रयोग किया जाएगा।
- ii. यूएनएससी प्रतिबंध या प्रतिबंध सूची में शामिल देशों अथवा ईकाईयों हेतु या प्रसार संबंधी चिंताओं का मूल्यांकन अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति कारणों आदि से जीईआर जारी नहीं किया जाएगा:
- iii. आईएमडब्ल्यूजी के पास कोई भी कारण (कारणों) को बताएं बिना जीईसी को जारी करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

च. प्रथम निर्यात/पोतलदान के बाद उसी इकाई जहाँ से माल आयातित की गयी थी को निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आईएमडब्ल्यूजी के सदस्यों के साथ परामर्श के बिना अनुमोदित की जाएगी। असाधारण मामलों में जीईआर जारी करने से पहले यदि आवश्यक है तो आईएमडब्ल्यूजी के साथ परामर्श किया जा सकता है।

छ. ऐसे सभी प्राधिकार-पत्रों को कार्योत्तर आधार पर आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष अनुमोदन की पुष्टि हेतु इनकी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

10.13 विदेश में डेमो/प्रदर्शन/प्रदर्शनी/निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी हेतु स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्राधिकार-पत्र जारी करना

विदेश में (i) डेमो/प्रदर्शन/प्रदर्शनी/निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी प्रयोजनों हेतु स्वदेशी/आयातित स्कोमेट मद (मदों) के निर्यात के लिए प्राधिकार-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन; और (ii) भारत में डेमो/प्रदर्शन/प्रदर्शनी/निविदाओं/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी में भाग लेने हेतु आयातित स्कोमेट मद (मदों) के निर्यात हेतु प्राधिकार-पत्र के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र [एएनएफ 10क] में यथा अपेक्षित अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन स्कोमेट पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आवेदन पर विचार किया जाएगा।

(क) विदेश में डेमो/प्रदर्शन/प्रदर्शनी/निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी हेतु स्वदेशी/ आयातित स्कोमेट मद (मदों) के निर्यात हेतु आवेदन

- i. पूरा की जाने वाली शर्तें

(क) डेमो (ख) प्रदर्शन (ग) प्रदर्शनी (घ) निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी के प्रयोजनों के लिए ही केवल स्कोमेट सूची में मदों (श्रेणी 0, 1, 2 और 6 अथवा किसी श्रेणी में प्रौद्योगिकी अथवा साफ्टवेयर को छोड़कर) के निर्यात हेतु प्राधिकार-पत्र पर अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर विचार किया जाएगा:—

- (क) ऐसे मामलों को एक विनिर्दिष्ट समायवधि हेतु बिलकुल अस्थायी निर्यात आधार पर विचार किया जाएगा।
- (ख) ऐसे मामलों में किसी अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र पर जोर नहीं दिया जाएगा।
- (ग) बिक्री/खरीद/किराए/पट्टे के रूप में कोई व्यवसायिक लेने-देन नहीं किया जाएगा।
- (घ) मद (मदों) की संख्या निर्यात मदों की किस्म और उद्देश्य जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है के अनुरूप होनी चाहिए।
- (ङ.) सूचना का कोई विमिष्य/प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए जिससे प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हो सकता है।
- (च) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा प्रतिबंधित गंतव्यों अथवा आईएमडब्ल्यूजी द्वारा समय-समय पर यथा आकलित भारी जोखिम वाले देशों/इकाईयों को कोई निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- (छ) परिशिष्ट 10छ में यथा निर्धारित अनुसार आवेदन के साथ संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज लगाए जाते हैं।
- (ज) निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 10ट) में 200/— रुपये के स्टॉम्प पेपर पर कानूनी वचनबद्धता।
- (झ) प्राधिकार-पत्रों को जारी करने हेतु आवेदनों को कार्यक्रम/आयोजक की साख के सत्यापन के बाद अनुमोदित किया जाएगा।

ii मद (मदों) की वापसी और पश्च-रिपोर्टिंग के बाद अनुपालन

- (क) निर्यात की गई मदों को कार्यक्रम समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर या डीजीएफटी द्वारा अनुमत बढ़ाए गए समय के भीतर भारत वापस लाया जाएगा।
- (ख) भारत में ऐसे स्कोमेट मद (मदों) की वापसी की पुष्टि करने वाले प्रविष्टि बिल की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगाके निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 10ट के अनुलग्नक-1) में डीजीएफटी को दी जाएगी।

(ख) भारत में डेमो/प्रदर्शन/प्रदर्शनी/निविदाओं/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी में भाग लेने के बाद आयातित स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्राधिकार-पत्र

डेमो/प्रदर्शन/प्रदर्शनी/निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी के बाद आयातित स्कोमेट मदों (श्रेणी, 0, 1, 2 और 6 की मदों अथवा किसी श्रेणी में प्रौद्योगिकी अथवा साफ्टवेयर को छोड़कर) के इकाई जहां से मूलतः इसे आयात किया गया है अथवा इसके ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) को निर्यात करने हेतु प्राधिकार-पत्र जारी करने हेतु आवेदन पर अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर विचार किया जाएगा:

- (क) स्कोमेट मद (मदों) को भारतीय निर्यातक और आपूर्तिकर्ता/ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) के बीच संविदा करार के अंतर्गत डेमो/प्रदर्शन/प्रदर्शनी/निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी के प्रयोजन हेतु भारत में आयात किया गया है।
- (ख) निर्यात केवल उस इकाई अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) को किया जाना चाहिए जहां से मद (मदों) का आयात किया गया है।
- (ग) अंतिम उपयोग और अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र के विवरण की कोई आवश्यकता नहीं है।
- (घ) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा प्रतिबंधित गंतव्यों अथवा आईएमडब्ल्यूजी द्वारा समय-समय पर यथा आकलित भारी जोखिम वाले देशों/इकाईयों को कोई निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- (ङ.) आवेदन परिशिष्ट 10ज में यथा निर्धारित उचित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा।

- (च) इकाई जहां से मूलतः आयात किया गया अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) को निर्यात हेतु प्राधिकार पत्रों को जारी करने हेतु आवेदनों को अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आईएमडब्ल्यूजी के सदस्यों के साथ बिना किसी परामर्श के अनुमोदित किया जाएगा।
- (छ) तथापि, मूल आपूर्तिकर्ता अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों सहित) को छोड़कर किसी इकाई को निर्यात करने के मामलों में अनुमोदन अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा विदेशी इकाई जिसे मद (मदों) का निर्यात किया जाना है के साख-पत्रों के सत्यापन के बाद किया जाएगा।
- (ज) ऐसे सभी प्राधिकार-पत्रों को कार्योत्तर आधार पर आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखा जाएगा।

टिप्पणी:

आरएफपी प्रस्ताव हेतु अनुरोध को संदर्भित करता है;

आरएफक्यू कोटेशन हेतु अनुरोध को संदर्भित करता है; तथा

एनआईटी निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना को संदर्भित करता है।

10.14 आयातित स्कोमेट मदों की एक ही विदेशी इकाई अथवा इसके ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों सहित) को पुनः निर्यात/वापसी हेतु निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी करने का मुद्दा

i. पूरा की जाने वाली शर्तें

आयातित स्कोमेट मदों को विदेशी इकाई जहां से इसे मूलतः आयात किया गया है अथवा इसके ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) को आयातित मदों की प्रौद्योगिकी के अप्रचलित होने, भारतीय खरीदार/अंतिम प्रयोक्ता द्वारा आदेश निरस्त करने, पहुंचने तक समाप्त होने इत्यादि जैसे कारणों की वजह से पुनः निर्यात/वापसी हेतु प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए आवेदन पर अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर विचार किया जाएगा:—

- (क) निर्यात केवल उस इकाई अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) को किया जाना चाहिए जहां से मद (मदों) का आयात किया गया है।
- (ख) अंतिम उपयोग और अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र के विवरण की कोई आवश्यकता नहीं है।
- (ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा प्रतिबंधित गंतव्यों अथवा आईएमडब्ल्यूजी द्वारा समय-समय यथा आकलित भारी जोखिम वाले देशों/इकाईयों को कोई निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- (घ) आवेदन अभिप्रेय मदों हेतु आदेशों के अप्रचलित होने/रद्द होने का प्रमाण सहित परिशिष्ट 10झ में यथा निर्धारित उचित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ङ.) आयातित मदों की प्रौद्योगिकी के अप्रचलित होने, भारतीय खरीदार/अंतिम प्रयोक्ता द्वारा आदेश निरस्त करने, पहुंचने तक समाप्त होने (जो भी लागू हो) आदि जैसे कारणों की वजह से पुनः निर्यात/वापसी, आयात या संविदात्मक समझौते की शर्तों के तहत अनुमत है।

ii इकाई जहां से मूलतः आयात किया गया अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) को निर्यात हेतु प्राधिकार-पत्रों को जारी करने हेतु आवेदनों को अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आईएमडब्ल्यूजी के सदस्यों के साथ बिना किसी परामर्श के अनुमोदित किया जाएगा। तथापि, ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों सहित) को छोड़कर किसी इकाई को पुनः निर्यात/वापसी के मामलों के अनुमोदन अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा विदेशी इकाई जिसे मद (मदों) का निर्यात किया जाना है के साख-पत्रों के सत्यापन के बाद किया जाएगा।

iii ऐसे सभी प्राधिकार-पत्रों को कार्योत्तर आधार पर आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखा जाएगा

10.15 साफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी सहित स्कोमेट मदों के अंतः कम्पनी अंतरण हेतु वैश्विक प्राधिकार पत्र (जीएआईसीटी)

क. क्षेत्र और पात्रता: निम्नलिखित शर्तों के अधीन, स्कोमेट श्रेणी 8 (परिशिष्ट 10ड में सूचीबद्ध मदों को छोड़कर) के तहत साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित स्कोमेट मदों के निर्यात और/या पुनः निर्यात के लिए निर्यात-पूर्व प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी:

- i. जहां निर्यात भारतीय मूल कम्पनी (आवेदक निर्यातक) से इसकी विदेशी सहायक कम्पनी को अथवा विदेशी कम्पनी (आवेदक निर्यातक) की भारतीय सहायक कम्पनी से इसकी विदेशी मूल कम्पनी/विदेशी मूल कम्पनी की अन्य सहायक कम्पनी को अंतः कम्पनी अंतरण है और;

टिप्पणी: आपूर्ति श्रृंखला में तीसरे पक्ष की भागीदारी के मामले में, अंतिम प्रयोक्ता को विदेशी मूल कम्पनी/विदेशी मूल कम्पनी की अन्य सहायक कंपनी या भारतीय कंपनी की सहायक कंपनी होना चाहिए।

- ii. जहां अंतरण निम्नलिखित (क) से (ज) पर उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है:

क. निर्यात की जाने वाली/पुनः निर्यात की जाने वाली मद/साफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी कतिपय सेवाएं निष्पादित करने के लिए भारतीय मूल कम्पनी/विदेशी कम्पनी की भारतीय सहायक कम्पनी और भारतीय कम्पनी की विदेशी सहायक कम्पनी/भारतीय सहायक कम्पनी की विदेशी मूल कम्पनी के बीच मास्टर सेवा समझौता/संविदा पर आधारित हो लेकिन डिजाइन, एनक्रिप्शन, अनुसंधान, विकास, वितरण, वैधीकरण, अंशाकन, जांच संबंधित सेवाओं आदि तक सीमित नहीं हो;

टिप्पणी 1: पुनः निर्यात के मामले में भारतीय निर्यातक द्वारा दी गई सेवा के परिणामस्वरूप मदों/साफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के वर्गीकरण में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 2: ऊपर उल्लिखित सेवाओं की सूची उदाहरणदर्शी है, संपूर्ण नहीं है। तथापि, जीएआईसीटी प्राधिकार पत्र को अनुमोदित करने का अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकारी के पास है।

ख. सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित इन मदों को नीचे तालिका 1 में सूचीबद्ध देशों को निर्यात/पुनः निर्यात किया जाना है (किसी भी तीसरे पक्ष सहित संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला इस सार्वजनिक सूचना की तालिका 1 में सूचीबद्ध देशों में होनी चाहिए);

तालिका 1

अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, रूसी संघ, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका।

टिप्पणी: तथापि, आईएमडब्ल्यूजी मामला-दर-मामला आधार पर मद के विवरण/अंतिम उपयोग/अंतिम प्रयोक्ता पर विचार करते हुए तालिका 1 में सूचीबद्ध देशों के अलावा अन्य देशों को अनुमति दे सकता है।

- ग. आवेदक निर्यातक यह घोषणा करता है कि निर्यातित मदों का उन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा जिनके लिए भारतीय कम्पनी की विदेशी सहायक कम्पनी/विदेशी मूल कम्पनी/विदेशी मूल कम्पनी की अन्य सहायक कम्पनी द्वारा उपयोग करना अभिप्रेत है, जैसा भी मामला हो;
- घ. आवेदक निर्यातक या तो प्रमाणित/अनुमोदित आन्तरिक अनुपालन कार्यक्रम (आईसीपी) प्रस्तुत करता है या विदेशी मूल कम्पनी के आईसीपी या कम्पनी के अनुपालन प्रबंधक द्वारा प्रमाणित आईपीसी या प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (ईओ) स्कीम जैसी किसी सरकारी एजेंसी द्वारा प्रमाणित आईसीपी आदि का अनुपालन दर्शाता है;
- ङ. निर्यातक विदेश व्यापार महानिदेशालय या भारत सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार साइट पर निरीक्षण की अनुमति देता है;
- च. यूएनएससी द्वारा प्रतिबंध लगाए गए गंतव्य स्थानों या देशों के लिए कोई भी निर्यात प्राधिकार पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा;
- छ. उपर्युक्त (i) में विनिर्दिष्ट किसी निर्यातक को कोई निर्यात प्राधिकार पत्र नहीं दिया जाएगा यदि वे पहले से प्रतिकूल नोटिस में आए हैं;
- ज. निम्नलिखित पैरा 10.15 ख में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्यातक को अंतः कम्पनी अंतरण के लिए वैश्विक प्राधिकार पत्र (जीएआईसीटी) दिया जाता है।

ख. अंतः कम्पनी अंतरण के लिए वश्विक प्राधिकार पत्र (जीएआईसीटी) प्रदान करने की प्रक्रिया

आवेदन प्रस्तुत करना और उसका मूल्यांकन करना

- क. सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित स्कोमेट मदों के निर्यात/पुनः निर्यात के संबंध में आवेदक निर्यातक आनलाइन स्कोमेट पोर्टल के माध्यम से जीएआईसीटी के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा और प्रपत्र-एएनएफ 10ग में सूचना संलग्न करेगा;
- ख. निर्धारित प्रपत्र में आवेदक निर्यातक द्वारा आवेदन और अन्य सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के आधार पर अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) द्वारा जीएआईसीटी जारी करने के लिए आवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा;
 - i. भारतीय मूल कंपनी (आवेदक निर्यातक) और इसकी विदेशी सहायक कंपनी के बीच या विदेशी कंपनी (आवेदक निर्यातक) की भारतीय सहायक कंपनी और इसकी विदेशी मूल कंपनी/विदेशी मूल कंपनी की अन्य सहायक कंपनी के बीच कॉर्पोरेट संबंधों का दस्तावेजी प्रमाण;
 - ii. स्कोमेट में सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित मद का वर्गीकरण (स्कोमेट श्रेणी और उप-श्रेणी को दर्शाते हुए)
 - iii. विदेश स्थित मूल कंपनी के देश से या विदेश स्थित मूल कंपनी की सहायक कंपनियों से लाइसेंस छूट/अस्थायी लाइसेंस का दस्तावेजी प्रमाण, यदि उपलब्ध हो (वैकल्पिक)
 - iv. प्रासंगिक तकनीकी विवरणों के साथ निर्यात की जाने वाली मद का विस्तृत विवरण जैसे मॉडल, पार्ट संख्या, आदि और सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के मामले में, प्रासंगिक विवरण जैसे एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, की-लैथ, एन्क्रिप्शन प्रकार्यात्मकता, क्रिप्टोग्राफी नोट के तहत पात्रता आदि प्रदान की जानी है (यदि लागू हो);
 - v. आपूर्ति श्रृंखला में तीसरे पक्ष की भागीदारी के मामले में, एक स्पष्ट अनुबंध/सेवा समझौता/क्रय आदेश प्रस्तुत करना होगा जिसमें स्कोमेट मद विवरण निर्दिष्ट किया गया हो।
 - vi. भारतीय मूल कंपनी की प्रमाणित/अनुमोदित आईसीपी या विदेशी कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी द्वारा अपनाई जा रही विदेशी मूल कंपनी के आईसीपी की स्व-प्रमाणित प्रति, उनके एक वचनपत्र के साथ;
 - vii. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी फर्म के शीर्षपत्र पर वचनपत्र:
 - क. डीजीएफटी या भारत सरकार के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक होने पर ऑन-साइट निरीक्षण की अनुमति देना;
 - ख. आवेदक निर्यातक घोषणा करता है कि निर्यातित मदों का उन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा जिनके लिए यह भारतीय कंपनी की विदेशी सहायक कंपनी/विदेशी मूल कंपनी/विदेशी मूल कंपनी की अन्य सहायक कंपनी द्वारा उपयोग करना अभिप्रेत है, जैसा भी मामला हो;
 - ग. आवेदक निर्यातक घोषणा करता है कि निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी करने के बाद, यदि लाइसेंसधारी को डीजीएफटी द्वारा लिखित रूप में संसूचित किया गया है या यदि उन्हें पता है या ऐसा प्रतीत होने के पीछे कोई कारण है कि कोई वस्तु सैन्य उपयोग के लिए अभिप्रेत हो सकती है, तो निर्यातक उस/उन मदों के निर्यात के लिए जीएआईसीटी के लिए पात्र नहीं होगा और नियमित नीति के संदर्भ में एक नए प्राधिकार-पत्र के लिए डीजीएफटी को अलग से आवेदन करेगा। [एचबीपी के पैरा 10.05 देखें]
- viii. कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:
 - क. वे आवेदन दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर और बाद के निर्यात के मामले में, गंतव्य बिंदु पर वितरण के 30 दिनों के भीतर, निर्यात प्राधिकार-पत्र जारी करने के बाद, निर्धारित प्रारूप में मूल अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे;
 - ख. उनके पास समझौते/क्रय आदेश है, उन वस्तुओं को प्राप्त करने वाली इकाई (प्रेषिती) से अनुबंध का अंश है जो बताता है कि निर्यात एक अनुमत उपयोग के लिए है;
 - ग. दस्तावेजों में ईयूसी पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का नाम और संपर्क नंबर और ईमेल आईडी शामिल है।

ix. आपूर्ति श्रृंखला में तीसरे पक्ष की भागीदारी के मामले में मद विवरण को दर्शाते हुए एक सटीक और स्पष्ट अनुबंध/सेवा समझौता/क्रय आदेश प्रस्तुत करना होगा (यदि लागू हो)

x. डीजीएफटी द्वारा मांगा गया अतिरिक्त ब्यौरा, यदि कोई हो।

ग. जीएआईसीटी के तहत मदों/सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के पुनःनिर्यात हेतु पश्च-रिपोर्टिंग

क. भारतीय निर्यातक को जीएआईसीटी के तहत स्कोमेट मदों/सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के निर्यात के प्रत्येक अंतरण/खेप के पूर्व पोतलदान का विवरण पिछली तिमाही में किए गए निर्यात के संबंध में प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के बाद के महीने के अंत तक त्रैमासिक आधार (मार्च/जून/सितम्बर/दिसम्बर) पर डीजीएफटी वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से स्कोमेट प्रभाग, डीजीएफटी (मुख्यालय) नई दिल्ली को प्रस्तुत करना होगा।

ख. पश्च-पोतलदान का विवरण विदेशी सहायक कम्पनी या विदेशी मूल कम्पनी/विदेशी मूल कम्पनी की अन्य सहायक कम्पनी से ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के भीतर परिशिष्ट 10ज (iv) में ईयूसी की प्रतिलिपि के साथ एएनएफ 10घ प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा;

ग. ऐसा करने में विफल होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और/अथवा जीएआईसीटी का निलंबन/निरस्तीकरण किया जा सकता है।

टिप्पणी: संशोधित एएनएफ (आयात निर्यात प्रपत्र)—एएनएफ 10ग, एएनएफ 10ध और अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र प्रपत्र परिशिष्ट 10ज (iv) इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न है।

घ. अभिलेख की देखरेख

निर्यातक को डीजीएफटी द्वारा जीएआईसीटी जारी करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 10.18 के अनुसार मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी निर्यात दस्तावेजों के रिकॉर्ड को रखने की आवश्यकता होगी।

ड. सामान्य शर्तें

क. रासायनिक, जैविक, परमाणु हथियारों अथवा जनविनाशकारी अस्त्रों को पहुंचाने वाली मिसाइलों और उनकी वितरण प्रणाली के निर्माण, विकास, प्राप्ति, विनिर्माण, अधिकार, परिवहन, अंतरण और/या प्रयोग के लिए प्रयुक्त की जाने वाली साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित मदों के मामले में जीएआईसीटी जारी नहीं किया जाएगा;

ख. यूएनएससी व्यापार निषिद्ध या प्रतिबंधित सूची के तहत शामिल देशों अथवा इकाइयों या राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के विचार के आधार पर प्रसार चिंता के खतरे के लिए मूल्यांकन किए गए देशों या इकाइयों हेतु जीएआईसीटी जारी नहीं किया जाएगा।

ग. मदों (सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित) को शामिल करने या संशोधित करने या आपूर्ति श्रृंखला में नई कम्पनियों को शामिल करने या मौजूदा कम्पनियों में संशोधन के मामले में, आवेदक निर्यातक प्रासंगिक विवरण के साथ डीजीएफटी की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा:

घ. किसी भी कारण से जीएआईसीटी को जारी नहीं करने का अधिकार आईएमडब्ल्यूजी के पास सुरक्षित रहेगा और अपवाद मामलों में आवश्यक होने पर नीति के किसी भी प्रावधान में छूट भी प्रदान करेगा।

च. सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित मदों (संसाधित या सम्मिलित) का पुनः निर्यात/पुनः—अंतरण

इसके अलावा, विदेशी सहायक कंपनी या विदेशी मूल कंपनी/विदेशी मूल कंपनी की अन्य सहायक कंपनी से अन्य देशों में अंतिम प्रयोक्ताओं को सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित मदों (संसाधित या सम्मिलित) का पुनः निर्यात/पुनः अंतरण भारतीय कंपनी की विदेशी सहायक कंपनी या विदेशी मूल कंपनी/विदेशी मूल कंपनी की अन्य सहायक कंपनी के देश के निर्यात नियंत्रण विनियमों के अधीन होगा।

छ. वैधता

क) साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित स्कोमेट मदों के अंतः कम्पनी अंतरणों के लिए जारी जीएआईसीटी, जीएआईसीटी के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा;

ख) एफटीपी की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 10.20 के अनुसार जीएआईसीटी को पुनः मान्य नहीं किया जा सकता है।

ज. निलंबन/निरसन

जारी किए गए जीएआईसीटी संबंधित देश से या किसी घरेलू एजेंसी से किसी भी जांच के शुरु होने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर डीजीएफटी द्वारा निलंबित किए जाने हेतु पात्र होंगे। प्रसार संबंधी चिंता, या अनिवार्य रिपोर्टों/दस्तावेजों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत न करने या इस नीति की किसी भी शर्तों का अनुपालन न होने के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी जीएआईसीटी को निरस्त कर दिया जाएगा।

10.16 स्कोमेट सूची के तहत रसायन और संबंधित उपकरण के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईसी)

क. रसायन और संबंधित उपकरण के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईसी) को प्रदान करने के लिए प्रक्रिया

I.1 ग, 1घ, 1ड., 3घ001 और 3घ004 (सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर) की श्रेणियों/उपश्रेणियों के तहत स्कोमेट मदों के निर्यात/पुनः निर्यात के संबंध में, आवेदक निर्यातक ऑनलाइन स्कोमेट पोर्टल के माध्यम से जीएईसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा और प्रपत्र-एएनएफ-10क में सूचना संलग्न करेगा;

II. आवेदक निर्यातक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में प्रस्तुत किए गए आवेदन और प्रस्तुत किए गए अन्य सहायक दस्तावेजों के आधार पर अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) द्वारा जीएईसी को जारी करने हेतु आवेदन की समीक्षा/जांच की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. इस प्राधिकार पत्र के तहत मदों जिनका निर्यात करने का प्रयोजन है उनका प्रासंगिक तकनीकी विवरण/विनिर्देशन जैसे कि मॉडेल, पार्ट संख्या आदि के साथ विस्तृत विवरण प्रदान किया जाना चाहिए (यथा लागू): उपर्युक्त श्रेणियों/उप श्रेणियों के तहत मदों के प्रथम अभीष्ट निर्यात मामले में, लक्षित निर्यात की समग्र आपूर्ति श्रृंखला (क्रेता, परेषिती, अंतिम प्रयोक्ता आदि) का विवरण प्रदान करना होगा। उपर्युक्त श्रेणियों/उप श्रेणियों के तहत मदों के पूर्व निर्यातों के मामले में यदि मदों का निर्यात कर दिया गया है तो पूर्व निर्यात का विवरण ईयूसी के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।

ख. फर्म के शीर्षपत्र पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगाया हुआ वचनबद्धता पत्र जिसमें निम्नलिखित उल्लिखित हो:

- i. यदि डीजीएफटी अथवा भारत सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अपेक्षित हो, तो साइट पर किसी निरीक्षण को आवेदक निर्यातक द्वारा अनुमति दी जाएगी;
- ii. आवेदक निर्यातक घोषित करता है कि निर्यात किए जाने के लिए लक्षित मदों का उपयोग ईयूसी में उल्लिखित प्रयोजन (प्रयोजनों) को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा और ऐसे उपयोग में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और न ही भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मदों को रूपांतरित अथवा प्रतिकृत किया जाएगा।
- iii. आवेदक निर्यातक घोषित करता है कि निर्यात प्राधिकार पत्र के जारी होने के तदोपरांत यदि डीजीएफटी द्वारा लाइसेंस-धारक को लिखित रूप से अधिसूचित किया गया है अथवा यदि वे जानते हैं अथवा उनका विश्वास है कि मद का अंतिम उपयोग सैन्य कार्य हेतु किया जाना है अथवा इसका जन संहार के हथियारों डब्ल्यूएमडी अथवा इनके मिसाइल प्रणाली में इस्तेमाल अथवा परिवर्तन किए जाने का संभावित जोखिम है तो निर्यातक उस/उन मद (वस्तुओं) को निर्यात हेतु जीएईसी प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा तथा नियमित नीति के अनुसार नए प्राधिकार-पत्र हेतु डीजीएफटी को अलग से आवेदन करेगा।
- iv. कोई गलत घोषणा करने पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत निर्यातक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

ग. जीएईसी प्राधिकार-पत्र जारी होने के बाद अथवा वास्तविक निर्यात किए जाने से पहले, आवेदक निर्यातक को निम्नलिखित को सुनिश्चित करना चाहिए:—

- i. वे निर्धारित प्रपत्र [परिशिष्ट 10अ (i) या (ii) यथा लागू अनुसार] में वास्तविक उपयोग प्रमाण-पत्र (ईयूसी), के गतव्य बिंदु पर सुपुर्दगी के 30 दिनों के भीतर गतव्य देश में प्रविष्टि-बिल की एक प्रति के साथ ऐसे निर्यात के 30 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र (आयात निर्यात प्रपत्र (एएनएफ)-10क) में डीजीएफटी के ऑनलाईन पोर्टल पर संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को अधिसूचित करेंगे।
- ii. उनके पास समझौता अथवा क्रय आदेश, मदों को प्राप्त करने वाली इकाई (परेषिती/अंतिम प्रयोक्ता) से की गई संविदा का उद्धरण होना चाहिए जिसमें उल्लिखित हो कि निर्यात वास्तविक निर्यात से पूर्व ईयूसी में यथा घोषित अनुमत उपयोग/अंतिम उपयोग के लिए अभिप्रेत है।
- iii. उनके पास वास्तविक निर्यात से पूर्व ईयूसी पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का नाम, दूरभाष संख्या और ईमेल आईडी सहित दस्तावेज हों।
- iv. अतिरिक्त विवरण यदि डीजीएफटी द्वारा कोई मांगा जाए।

ख. जीईसी के तहत मदों के निर्यात/पुनः निर्यात हेतु पश्च रिपोर्टिंग।

- क. भारतीय निर्यातक उपर्युक्त II ग (i) में यथा उल्लिखित जीईसी के तहत इसमें उल्लिखित निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त श्रेणियों/उप श्रेणियों के अंतर्गत स्कोमेट मदों के प्रत्येक निर्यात/पुनः निर्यात का पश्च पोतलदान विवरण को प्रस्तुत करेगा।
- ख. ऐसा करने में असमर्थ होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और/अथवा जीईसी का निलंबन/निरसन किया जा सकता है।

ग. सामान्य शर्तें और अपवर्जन

- क. यदि मदों को रसायन, जैविक, परमाणु हथियारों या सामूहिक विनाश के हथियारों के वितरण करने में सक्षम मिसाइल और उनकी वितरण प्रणाली के प्रयोग और/अथवा उनके डिजाइन, विकास, अधिग्रहण, विनिर्माण, रखने, परिवहन, हस्तांतरण हेतु उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के मामले में जीईसी जारी नहीं किया जाएगा।
- ख. यूएनएससी प्रनिषेध या प्रतिबंध सूची में शामिल देशों अथवा ईकाईयों हेतु या प्रसार संबंधी विचारों का मूल्यांकन अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति कारणों आदि से जीईसी जारी नहीं किया जाएगा:
- ग. आईएमडब्ल्यूजी के पास कोई भी कारण (कारणों) को बताएं बिना जीईसी को जारी करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

घ. निलंबन/निरसन

जारी किए गए जीईसी के प्रसार संबंधी विचारों पर प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर अथवा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अनिवार्य पश्च-पोतलदान विवरण/रिपोर्ट/दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के लिए अथवा प्रस्तावित नीति की शर्तों का अनुपालन न होने के लिए डीजीएफटी द्वारा निलंबन/निरसन किया जा सकता है।

10.17 स्कोमेट प्राधिकार-पत्रों की वैधता अवधि

जारी होने की तारीख से स्कोमेट प्राधिकार-पत्रों की वैधता अवधि निम्नानुसार होगी, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो

क्र. सं.	स्कोमेट प्राधिकार-पत्र के प्रकार	वैधता अवधि
1.	स्कोमेट प्राधिकार-पत्र	स्कोमेट प्राधिकार-पत्र की वैधता अवधि 24 महीने की अवधि के लिए होगी, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
2.	जीएआईसीटी नीति के तहत जारी स्कोमेट प्राधिकार-पत्र	स्कोमेट मदों/सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के लिए अंतर-कंपनी हस्तांतरण के लिए जारी जीएआईसीटी प्राधिकार-पत्र जारी होने की तारीख से 3 (तीन वर्ष) की अवधि के लिए वैध होगा और आगे निम्नलिखित वैधता समयसीमा के अधीन होगा, जो भी पहले हो:

		i. विदेशी मूल कंपनी के लाइसेंस छूट की वैधता तक; या ii. विदेश में मूल कंपनी की सहायक (सहायको) कंपनी के लिए विदेशी मूल कंपनी के लाइसेंस छूट की वैधता तक; iii. मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) / विदेशी मूल कंपनी और भारतीय सहायक कंपनी के साथ अनुबंध की वैधता तक।
3.	जीआईसी नीति के तहत जारी स्कोमेट प्राधिकार-पत्र	उपरोक्त श्रेणियों/उप श्रेणियों (सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर) के तहत स्कोमेट मदों के निर्यात/पुनः निर्यात के लिए जारी जीआईसी के जारी होने की तारीख से 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा, जो बाद में पश्च रिपोर्टिंग के अधीन होगा) तिमाही आधार पर अंतिम तिमाही से 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट किया जाना है
4	जीआईआर नीति के तहत जारी स्कोमेट प्राधिकार पत्र	मरम्मत के बाद आयातित स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए जारी जीआईआर, जीआईआर जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी जो ऐसे निर्यात से 30 दिनों के भीतर अनुवर्ती पश्च रिपोर्टिंग के अग्रिम होगी।

10.18 अभिलेख संग्रहण

प्रत्येक स्कोमेट निर्यात प्राधिकार-पत्र धारक (जीआईसीटी और जीआईसी सहित) सभी संबद्ध अभिलेखों को बनाए रखेगा, जिसमें स्कोमेट प्राधिकार-पत्र के लिए आवेदन करते समय प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज़, मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 5 साल की अवधि के लिए या निर्यात प्राधिकार-पत्र की वैधता तक, जो भी अधिक हो, निर्यात या आयात की तारीख से, जैसा लागू हो।

10.19 दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात का स्वैच्छिक स्व-प्रकटन

डीजीएफटी निर्यात नियंत्रण प्रावधानों का पालन करने में विफलता के स्वैच्छिक स्वयं प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करता है, और गैर-अनुपालन की किसी भी घटना से बचने के लिए निर्यातकों के बीच जागरूकता बढ़ाने का समर्थन करता है। यदि कोई निर्यातक एफटीडीआर अधिनियम, डब्ल्यूएमडी अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, या स्कोमेट से संबंधित किसी भी विनियमन, या डीजीएफटी द्वारा जारी निर्यात नियंत्रण पर स्कोमेट प्राधिकरण के निर्यात नियंत्रण प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो सहायक दस्तावेज़ों के साथ एक स्वैच्छिक स्वयं प्रकटीकरण अनुरोध, निर्यात उल्लंघन का पता चलने के तुरंत बाद डीजीएफटी (मुख्यालय), नई दिल्ली के स्कोमेट डिवीजन को ई-मेल (scomet-dgft@nic.in) के माध्यम से भेजा जाएगा। इससे संबंधित विस्तृत प्रक्रिया/दिशा-निर्देश डीजीएफटी द्वारा अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

आईएमडब्ल्यूजी विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित निर्यात और आयात नीति के प्रावधानों और उसके तहत जारी किए गए आदेशों के अनुसार योग्यता के आधार पर प्रत्येक मामले पर विचार कर सकता है, और विशिष्ट मामले (मामलों) में डीजीएफटी द्वारा की जाने वाली आगे की कार्रवाई पर सिफारिशें कर सकता है।

स्वैच्छिक स्वयं प्रकटीकरण के अलावा अन्य मामलों में डीजीएफटी के ध्यान में लाए गए स्कोमेट नीति के किसी भी उल्लंघन के लिए निर्यातक एफटीडीआर अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

10.20 स्कोमेट प्राधिकार-पत्र का पुनर्वैधीकरण

स्कोमेट मदों के लिए निर्यात प्राधिकार-पत्र पर योग्यता के आधार पर एक बार में छह महीने की अवधि के लिए और डीजीएफटी (मुख्यालय) द्वारा अधिकतम 12 महीने तक पुनर्वैधीकरण के लिए विचार किया जाएगा। पुनर्वैधीकरण के लिए एक आवेदन निर्धारित प्रपत्र एएनएफ 10च में प्राधिकार-पत्र की समाप्ति से 30 दिन पहले किया जा सकता है। प्राधिकार-पत्र के नवीनीकरण की अवधि की गणना प्राधिकार-पत्र की वास्तविक समाप्ति की तारीख से की जाएगी। विस्तार की कुल अवधि

12 महीने से अधिक नहीं होगी। किसी भी श्रेणी के अंतर्गत प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर हस्तांतरण के लिए जारी किए गए निर्यात प्राधिकार-पत्रों के पुनर्विधीकरण की अनुमति नहीं है। जीईसी और जीएआईसीटी और जीईआर नीति के तहत जारी स्कोमेट प्राधिकार-पत्र को पुनःसत्यापित नहीं किया जा सकता है।

अध्याय—11

विविध मामले

11.01 आयात प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुज्ञा का मूल्य-वर्ग

- (क) प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य/निर्यात दायित्व के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य को रुपयों और मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा दोनों में, उस विनिमय दर (दरों) पर जो प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि को विद्यमान हो, दर्शाया जाएगा।
- (ख) प्राधिकार पत्र के मद्दे विदेशी मुद्रा के विप्रेषित धन और निर्यात दायित्व के निर्वहन को एफटीपी के पैरा 2.52 और 2.53 अनुसार मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में अथवा भारतीय रुपयों में विनियमन किया जाएगा।
- (ग) यदि भेजी गई विदेशी मुद्रा मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में दर्शाए गए प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़े के मूल्य में निहित है तो रुपए के मूल्य में कोई वृद्धि जरूरी नहीं होगी।
- (घ) तथापि, अग्रिम प्राधिकार पत्र (पत्रों), जोकि एसीयू देशों को निर्यात के लिए जारी किया जाता है, निर्यात दायित्व का एसीयू डालरों में भुनाया तथा भुगतान किया जाएगा।
- (ङ.) अन्तर्वर्ती आपूर्ति और मान्य निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र में निर्यात दायित्व, जहाँ आपूर्तियाँ देश के भीतर की जानी हैं, का भारतीय रुपये में भुनाया और भुगतान किया जाएगा।

11.02 विलम्ब के लिए कटौती

जहाँ कहीं विदेश व्यापार नीति के तहत किसी राजकोषीय/वित्तीय लाभों हेतु समस्त रूप से पूर्ण कोई आवेदन ऐसे आवेदन को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होता है तो ऐसे आवेदन पर विलम्ब कटौती लगाकर निम्नानुसार विचार किया जा सकता है:

i	अन्तिम तारीख के बाद किन्तु अन्तिम तारीख से छः महीने के भीतर प्राप्त आवेदन	2%
ii	आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख से छः महीने के पश्चात प्राप्त आवेदन किन्तु निर्धारित तारीख से एक वर्ष के भीतर	5%
iii	आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख से 12 महीने के पश्चात प्राप्त आवेदन किन्तु निर्धारित तारीख से 2 वर्ष के भीतर	10%

11.03 पूरक दावे

जहाँ कहीं निर्धारित समयावधि के भीतर, पूरक दावे के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तो हकदारी पर 25% की दर से कटौती करके ऐसे आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

11.04 सूचना प्रस्तुत करना

प्रत्येक आयातक/निर्यातक को महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा माँगी गई सूचना निर्धारित समय के भीतर देनी होगी। निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहने पर विदेश व्यापार नीति में यथा निर्धारित या विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) नियमावली, 1993 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

11.05 नीति/प्रक्रिया का स्पष्टीकरण

विदेश व्यापार नीति या प्रक्रिया पुस्तक, आईटीसी (एच एस) के तहत मदों के आयात या निर्यात के किसी भी प्रावधान के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण महानिदेशक विदेश व्यापार से एएनएफ-2च प्रपत्र में माँगा जा सकता है। ई-मेल के माध्यम से भी स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है।

11.06 खपत रजिस्टर

आयातक, प्राधिकार पत्र के अधीन आयातित मर्चों के बारे में एक रजिस्टर, जैसा परिशिष्ट 4ज में है (3 वर्ष की अवधि के लिए) रखेगा और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ आयातित मर्चों और उनकी खपत के लिए अलग से रजिस्टर रखेगा। विशेष स्कीमों के सम्बंध में ऐसे रजिस्टर विशिष्ट अवधि के लिए रखे जाएंगे।

11.07 निर्यात सुविधा

निर्यातकों की समस्याओं का समन्वित रूप से समाधान करने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय, निर्यात सुविधा केन्द्रों और नोडल अभिकरणों के रूप में कार्य करेंगे।

11.08 स्थायी शिकायत समिति

विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया संबंधी व्यापार और उद्योग की वास्तविक शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए शिकायत समितियों का गठन किया गया है, जिनके अध्यक्ष (1) मुख्यालय में महानिदेशक, विदेश व्यापार और (2) क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालयों के क्षेत्रीय प्राधिकरण के प्रमुख होंगे। शिकायत समिति में भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईआईओ), निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड, विकास प्राधिकरण और सरकारी विभाग/तकनीकी प्राधिकारी, सीमाशुल्क प्राधिकारी, जीएसटी प्राधिकारी, डीजीएआएम, बैंक (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र), निर्यात निरीक्षण प्राधिकारी परिषद्, ईसीजीसी, उद्योग आयुक्त (राज्य/यूटी), निर्यात आयुक्त (राज्य/यूटी), महाप्रबंधक (जीएम) जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

11.09 काउंटर सहायता

(क) यद्यपि डीजीएफटी का प्रयास सभी आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग/प्रस्तुत करने का है परन्तु जब तक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, आवेदनों को काउंटर पर स्वीकार किया जाना जारी रहेगा।

(ख) आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी कार्यालयों में "काउंटर सहायता" प्रकोष्ठ खोले गए हैं। प्रत्येक कार्यालय में विदेश व्यापार विकास अधिकारी काउंटर का प्रभारी होगा। काउंटर पर आवेदन प्रस्तुत करने पर, आवेदक को सलाह दी जाएगी कि उसका आवेदन पूर्ण है या इसमें कोई कमी है जिसे आवेदक को पूरा करना है।

(ग) छोटी प्रकृति के संशोधन/पूछताछ के लिए भी काउंटर सहायता का उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में, आवेदन, उपर्युक्त रसीद के मद्दे क्षेत्रीय कार्यालयों में काउंटर पर स्वीकार किए जाएंगे। प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/सूची/पूछताछ जैसा भी मामला हो, को काउंटर पर ही जहाँ तक संभव हो, उसी दिन संशोधित करके/आवश्यक जवाब दे कर वापिस कर दिया जाएगा।

11.10 आवेदनों का समयबद्ध निपटान

क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदनों को शीघ्रता से निपटाएंगे। आवेदनों को निपटाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित समय सारणी को अपनाया जाएगा बशर्ते कि आवेदन हर तरह से पूर्ण हो और उसके साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न हों।

क्रमांक	आवेदन की श्रेणी	निपटान हेतु समय सीमा (कार्य दिवसों में)
	आयातक निर्यातक कोड संख्या	2
	अग्रिम प्राधिकार पत्र जहां निविष्टि-उत्पादन मानदण्ड को अधिसूचित किया गया है या प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के अधीन है, वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र और डीएफआईए	3
	स्वचालित मार्ग के माध्यम से अग्रिम प्राधिकार-पत्र जारी करना	1
	एसएएस हेतु निवेश निर्गम मानदंड निर्धारण एफटीपी के पैरा 4.04 के तहत शामिल है।	90

क्रमांक	आवेदन की श्रेणी	निपटान हेतु समय सीमा (कार्य दिवसों में)
	ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों का निर्गम	3
	स्वचालित मार्ग के द्वारा ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र जारी करना	1
	रत्न और आभूषण स्कीम के तहत सभी प्राधिकार पत्र	3
	क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा एए/ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र के निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि और अग्रिम प्राधिकार पत्र की पुनर्वैधता	1
	बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति	3
	अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए का मोचन/निर्यात दायित्व निष्पादन प्रमाण-पत्र	15
	ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र का मोचन और बीजी/एलयूटी का निर्गम	30
	स्तर प्रमाणपत्र जारी करना/नवीनकरण करना	3
	किसी भी श्रेणी के प्राधिकार पत्र का संशोधन	3
	विविध	10
	मान्य निर्यात के अधीन डीबीके/टीईडी की वापसी	30
	शुल्क वापसी के लिए ब्राण्ड दर का निर्धारण	30

उपर्युक्त सभी मामलों में, दिनों की संख्या की गणना सम्पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से की जायेगी। आवेदनों के निपटान में अनुचित देरी के मामलों को क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष की जानकारी में लिखित रूप से लाया जायेगा और शीघ्रता से इसकी जांच की जायेगी और उत्तर दिया जायेगा।

11.11 आयात के संबंध में पोतलदान/प्रेषण की तारीख

आयात के लिए पोतलदान/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जायेगा:-

क्रम सं.	परिवहन का माध्यम	पोतलदान/प्रेषण की तारीख
(i)	समुद्र मार्ग द्वारा	लदान-पत्र पर अंकित तारीख
(ii)	वायु मार्ग द्वारा	सम्बद्ध एयरवे बिल की तारीख बशर्ते कि इससे उस तारीख का पता चलता हो जब माल ने अपने देश जहाँ से आयात किया गया के अंतिम हवाई अड्डे को छोड़ा हो।
(iii)	स्थल-रुद्ध देशों से	प्रेषण आधार के माध्यम से भारत में खेप भेजने वाले को रेल, सड़क या अन्य मान्यता प्राप्त परिवहन के साधन द्वारा प्रेषण की तारीख।
(iv)	डाक पार्सल द्वारा	पैकेटों या प्रेषण नोट पर प्रेषण कार्यालय की स्टैम्प की तारीख
(v)	पंजीकृत कुरियर सेवा द्वारा	कुरियर रसीद/वे बिल पर अंकित तारीख

(vi)	बहु आयामी परिवहन	लदान-पत्र के संयुक्त परिवहन में पहले वाहन से सामान सौंपने की तारीख
------	------------------	--

11.12 निर्यात के संबंध में पोतलदान/प्रेषण की तारीख

(क) निर्यात के लिए पोतलदान/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जायेगा:—

	परिवहन का माध्यम	शिपमेंट/प्रेषण की तारीख
		1
(i)	समुद्री मार्ग द्वारा	(क) बल्क कार्गो के लिए, लदान-पत्र की तारीख या मेट रसीद की तारीख, जो भी बाद की हो। (ख) कंटेनर-युक्त कार्गो के लिए, "जहाज पर लदान बिल" या "लदान के जहाज-लदान-बिल के लिए प्राप्त की" तारीख जहाँ एल/सी में ऐसे लदान-पत्र की व्यवस्था है। अन्तर्देशीय कंटेनर डिपा (आईसीडी) से कंटेनरों द्वारा निर्यात के लिए, सीमाशुल्क निकासी के पश्चात आईसीडी में निर्यात माल के लदान के समय शिपिंग एजेंटों द्वारा जारी किए गए लदान-पत्र की तारीख। (ग) लैंश बार्जेज के लिए, लदान-पत्र की तारीख जिसमें जहाज पर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लदान का प्रमाण हो।
(ii)	वायु मार्ग द्वारा	उपयुक्त सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा पोतलदान बिल पर उल्लिखित तारीख, जिसमें लदान या वायु कार्गो का म्पलैक्स, जो अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है, को माल सौंपने का या उड़ान संख्या और तारीख का प्रमाण हो।
(iii)	डाक पार्सल द्वारा	डाक रसीद पर अंकित तारीख।
(iv)	रेल द्वारा	आरआर (रेलवे रसीद) की तारीख।
(v)	पंजीकृत कूरियर सेवा द्वारा	कूरियर रसीद/माल-सूची फर अंकित तारीख।
(vi)	सड़क मार्ग द्वारा	भूमि सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित भारतीय सीमा से माल बाहर जाने की तारीख।

(ख) तथापि, जहाँ कहाँ प्रक्रिया/नीति सम्बंधी उपबंधों को निर्यातकों के अहित में संशोधित किया गया है, तो इस सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना की तारीख तक जाँच के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी को पहले से ही सौंपी गई खेपों और बाद में निर्यातों पर लागू नहीं होंगे।

(ग) इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहाँ निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति से पहले माल सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंप दिया जाता है, किन्तु वास्तविक निर्यात, निर्यात दायित्व की अवधि की समाप्ति के बाद किए जाते हैं, तो ऐसे निर्यातों पर निर्यात दायित्व अवधि के भीतर विचार किया जाएगा और निर्यात दायित्व की पूर्ति मानी जाएगी।

(घ) तथापि, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत लाभों हेतु अनुमत निर्यात आदेश (एलईओ) की तिथि निर्यात की गणना की तिथि होगी।

11.13 पुनरीक्षा का सामान्य अधिकार

महानिदेशक, विदेश व्यापार स्वयं या अन्यथा, ईपीसी/एफआईओ के किसी अधिकारी, जिसमें उसके द्वारा नामित व्यक्ति, नियुक्त या प्राधिकारियों का समूह/समिति शामिल है, के पास लम्बित पड़े किसी मामले या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा तय किए गए मामले के रिकार्ड मंगा सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उपर्युक्त समझे।

शब्दावली (संक्षिप्त अक्षर)

संक्षिप्त अक्षर	पूर्णाक्षर
एए	अग्रिम प्राधिकार पत्र
एएएनएफ	परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र
एसीयू	एशियाई निकासी संघ
आईजैड	कृषि निर्यात क्षेत्र
एएनएफ	आयात निर्यात प्रपत्र
एआरई-1	निर्यात (हवाई/समुद्री/डाक/स्थल द्वारा) के लिए उत्पाद शुल्क लगाये जाने योग्य वस्तुओं को हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र
एआई-3	फैक्टरी से अथवा एक गोदाम से अन्य गोदाम में से उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य वस्तुओं का हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र
एसीपी	मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम
आईओ	प्राधिकृत इकॉनामिक ऑपरेटर
आईएस	अनुमोदित निर्यातक स्कीम
एपीडा	कृषि और संशोधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एआरओ	अग्रिम निकासी आदेश
आसियान	दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन
एएसआईडीई	निर्यात के मूलभूत विकास हेतु राज्यों को सहायता
एयू	वास्तविक प्रयोक्ता
बीसीडी	मूल सीमाशुल्क
बीजी	बैंक गारंटी
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीओटी	व्यापार बोर्ड
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाण-पत्र
बीटीपी	जैव प्रौद्योगिकी पार्क
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीसीपी	सीमा शुल्क निकासी परमिट
सीईए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण
सीईसी	चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र
सीईडी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सेनवैट	केन्द्रीय मूल्यवर्धक कर
सीईटीएफ	सामान्य बहिस्त्राव उपचार सुविधा
सीएफसी	सामान्य सुविधा केन्द्र

सीजी	पूँजीगत माल
सीआईएफ	लागत, बीमा और भाड़ा
सीआईएन	कम्पनी पहचान संख्या
सीआईएस	स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल
सीकेडी	सम्पूर्णता खराब हुए
सीओडी	सुपुर्दगी पर भुगतान
सीओओ	उद्गम प्रमाण पत्र
सीक्यूसीटीडी	गुणवत्ता की शिकायतों और व्यापार विवादों पर समिति
सीआरईएस	मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर
सीआरईएस	मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
सीईपीए	व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते
सीबाईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीएसपी	सामान्य सेवा प्रदाता
सीईसीए	व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
डीए	स्वीकृति पर दस्तावेज
डीबीके	शुल्क वापसी
डीसी	विकास आयुक्त
डीडीए	डायमंड डॉलर खाता
डीईए	आर्थिक मामलों में विभाग
डीईएल	अस्वीकृत इकाई सूची
डीईएस	शुल्क में छूट स्कीम
डीएफआईए	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र
डीजीसीआईएण्डएस	महानिदेशक, वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी
डीआईएन	निदेशक पहचान संख्या
डीपीआईएन	निर्दिष्ट साझेदार पहचान संख्या
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीओबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीईआईटी वाय	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीआरएस	शुल्क में छूट स्कीम
डीटीए	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र
ईबीआरसी	इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र
ईआईसीसी	इलेक्ट्रानिक आयातक-निर्यातक कोड

ईसीए	प्रवर्तन—सह—अधिनिर्णय
ईडीआई	इलेक्ट्रानिक—सह—अधिनिर्णयन

ईसीजीसी	निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम
ईईएफसी	विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा
ईएफसी	एक्विजिशन सुविधा समिति
ईएफटी	इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
ईजीएम	निर्यात संबंधी सामान्य घोषणा पत्र
ईएचटीपी	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
ईओईसी	निर्यात निरीक्षण परिषद
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र
ईओपी	निर्यात दायित्व अवधि
ईओयू	निर्यातान्मुख इकाई
ईपीसी	निर्यात संवर्धन परिषद
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल
ईपीओ	इंजीनियरी प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग
एक्विजि	निर्यात आयात
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफई	विदेशी मुद्रा
एफईएमए	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफआईआईओ	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
एफआईआरसी	फोरेन एक्सचेंज इन्वर्ड रेमिटेन्स सर्टिफिकेट
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफओआर	सड़क और रेल पर माल ढुलाई
एफटी (डी एंड आर) एक्ट	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 का 22)
एफटीडीओ	विदेश व्यापार विकास अधिकारी
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटी (आर) नियमावली	विदेश व्यापार (विनियमन) नियम
एफटीडब्ल्यूजैड	मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र
एफटीए	मुक्त व्यापार समझौते
जीएंडजेईपीस	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद
जीओआई	भारत सरकार
जीएटीएस	सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता
जीआर	प्राप्ति की गारंटी
एचएसीसीपी	खतरा, विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रक्रिया
एचबीपी	प्रक्रिया पुस्तक
एचएचईसी	हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम
आईसीबी	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो

आईसीएम	भारतीय वाणिज्य मिशन
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईईईए	अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी
आईएनएफसीआईआरसी	अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी की जानकारी परिपत्र
आईईईएम	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन
आईएमएससी	अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति
आईएल	औद्योगिक लाइसेंसिंग
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईसीटी (एचएस)	निर्यात और आयात मदों के लिए भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली)
केवीआईसी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
एलसी	साख पत्र
एलसीएस	भूमि सीमा शुल्क स्टेशन
एलएलपीआईएन	सीमित देयता साझेदारी संख्या
एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एलओसी	लाइन ऑफ क्रेडिट
एलओआई	आशय पत्र
एलओपी	परमिट पत्र
एलयूटी	विधिक वचनबद्धता
एमएआई	बाजार अभिगम पहल
एमडीए	बाजार विकास सहायता
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमईआईएस	भारतीय स्कीम से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात
एमआरए	परस्पर मान्यता समझौते
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमईडी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास
एमएसटीसी	धातु स्क्रेप व्यापार निगम
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी
एनसी	मानदण्ड समिति
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनआई	गैर उल्लंघनकारी
एनसीबी	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीईसी	भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड
पीआईसी	नीतिगत व्याख्या समिति
पीआरसी	नीतिगत छूट समिति
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीएच	व्यक्तिगत सुनवाई

पीटीए	तरजीही व्यापार समझौता
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरएंडडी	अनुसंधान एवं विकास
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकारी
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीएमसी	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
आरईपी	प्रतिपूर्ति
आरपीए	रुपये अदायगी क्षेत्र
एस/बी	पोत लदान बिल
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क
स्कोमेट	विशेष रसायन आर्ग्रेनिज्म, मैटीरियल्स, उपस्कर एवं प्रौद्योगिकी
एसईआईसीएमएम	सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टीट्यूट्स कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसईआईएस	भारत से सेवा निर्यात स्कीम
एसआईए	औद्योगिक सहायता सचिवालय
एसआईआईसी	राज्य औद्योगिक अवसंरचना
एसआईओएन	मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड
एसकेडी	अर्द्ध खराब
एसएलईपीसी	राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति
एसटीसी	राज्य ट्रेडिंग निगम
एसटीसीएल	मसाला ट्रेडिंग निगम लिमिटेड
एसटीई	राज्य व्यापार उद्यम
एसटीएच	स्टार ट्रेडिंग हाउस
एसटीपीआई	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया
एसटीआर	राज्य व्यापार प्रणाली
एसयूवी	स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकलस
टीईडी	अंतिम उत्पाद शुल्क
टीईई	निर्यात उत्कृष्टता के शहर
टीएच	ट्रेडिंग हाउस
टीपीओ	व्यापार संवर्धन संगठन
टीआरए	टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस
टीआक्यू	प्रशुल्क दर कोटा
टीयूएफएस	प्रौद्योगिकी उन्नयन फंड स्कीम
यूएसी	यूनिट अनुमोदन समिति
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
वीए	मूल्यवर्धन
डब्ल्यूसीओ	विश्व सीमाशुल्क संगठन
डब्ल्यूएचओजीएमपी	विश्व स्वास्थ्य संगठन माल विनिर्माता व्यवहार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**New Delhi, the 1st April, 2023**NO. 1/2023**

F. No. 01/75/171/00016/AM-23/FTP Cell.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the Handbook of Procedures, 2023. This shall come into force with effect from 1st April, 2023.

Effect of this Public Notice: The Handbook of Procedures, 2023 is hereby notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
Ex-officio Addl. Secy.

HANDBOOK OF PROCEDURES**2023****(w.e.f 1st April, 2023)****Chapter-1****Legal Framework and Trade Facilitation****1.01 Notification of Procedure**

In pursuance of the provisions of paragraph 1.03 of Foreign Trade Policy (FTP), the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby notifies the procedure to be followed by an exporter or importer or by the licensing/Regional Authority or by any other authority for purpose of implementing the provisions of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, the Rules/Orders made there under and the provisions of Foreign Trade Policy. The said procedure is contained in following compilations:

- (a) Hand Book of Procedures
- (b) Appendices & Aayat Niryat Forms and
- (c) Standard Input Output Norms (SION)

These compilations, as amended from time to time, shall come into force from the date of the notification and shall continue to be in operation unless otherwise specified or amended.

1.02 Objective

The objective is to implement provisions of FT (D&R) Act, Rules and Orders made thereunder and provisions of FTP by laying down simple, transparent and digitally (electronically) compatible procedures, which are user friendly and easy to comply with and administer for efficient management of Foreign Trade.

1.03 Definition

For the purpose of this Handbook, definitions and glossary contained in FT (D&R) Act, Rules and Orders made there under and in the FTP shall apply.

1.04 E-governance of Foreign Trade in DGFT

IT initiatives taken by DGFT are as under:

(a) DGFT Online Customer Portal

A customised online dashboard is made available to the exporter which provides a 360-degree view of Export related applications at <https://dgft.gov.in/CP>.

(b) Exporter Importer Profile

An Importer / Exporter shall regularly update the Importer Exporter profile on the online IEC module to enable efficient delivery of services to the IEC holder. The documents & details available in the IEC Profile and online Repository will facilitate paperless processing in DGFT.

(c) Facility of online filing and processing of applications

Through the DGFT Customer Portal, applicants can apply online for various trade related benefits/services including

for issue of authorisations/scripts and amendments thereof under various FTP provisions. The online environment also enables uploading of supplementary documents, replying to the queries online and tracking status of applications as well as processing of application by officials.

(d) Automated processing in online environment

Rule-based, system-driven workflow is being implemented in a phased manner for automated processing of various applications with a risk based management approach.

(e) Applications requiring Inter-Ministerial Consultation

Exporters would be able to apply and track status of the applications made against various categories including

- (i) Import of Restricted Items
- (ii) Export of Restricted Items
- (iii) SCOMET Items
- (iv) Fixation of norms by Norms Committees

The requisite consultation for these applications with other Ministries/Stakeholders will also be handled in online environment.

(f) Onboarding of CA/CS/Cost Accountant

In order to move towards paperless processing, an electronic procedure has been developed to upload digitally signed documents by Chartered Accountant / Company Secretary / Cost Accountant. Exporter shall be able to link digitally uploaded annexure with the online applications under various schemes of the FTP.

(g) 24 X 7 Helpdesk Facility to guide applicants and monitor grievances

A dedicated 24 X 7 Helpdesk facility has been put in place to assist the exporters in filing online applications on the DGFT portal and other matters pertaining to Foreign Trade Policy.

A Help manual & FAQs for filing various applications under the FTP are also available on DGFT website under the link <https://dgft.gov.in> > Learn > Application Help & FAQs.

For assistance any of the following channels may be accessed —

- (i) Raise a service request ticket on DGFT website under the link > Services > DGFT Helpdesk Service
- (ii) Call the DGFT toll free helpline number at 1800-572-1550 / 1800-111-550
- (iii) Send an email to the Helpdesk on dgftedi@nic.in

(h) Message Exchange with Community partners

CBIC, CBDT, MCA and Banks are major community partners of DGFT for message exchange. An effective message exchange system is in place with various community partners which is as follows:

(i) API Message Exchange with CBIC for

- (a) Importer Exporter Code Number
- (b) Authorisations/ Scripts including of DFIA, AA, EPCG
- (b) Shipping Bills and Bills of Entry
- (d) RBI's EDPMS for Export Realisation details

(ii) API Message Exchange with CBDT for PAN related services

(iii) API Message Exchange with MCA for company related information

(iv) Message Exchange with Banks, PFMS & Bharat Kosh

(a) Application Fee

(b) electronic Bank Realisation Certificate (e-BRC) data

(v) API message exchange with M/o MSME for Udyam Registration.

(i) DGFT Trade facilitation Mobile application

A DGFT Trade Facilitation Mobile App is available for information on Trade Statistics, FTP Schemes and status of applications submitted for both Android and iOS.

(j) Facility to verify the documents/certificate issued through DGFT Portal

Digitally issued e-authorisations/e-certificates through DGFT Portal can be verified at DGFT website under the link > Services > Verify Document.

1.05 Use of Digital Signature Certificates and Aadhar e-Sign

DGFT allows submission of applications authenticated through digital signature certificate (DSC) issued by any

approved entity of Controller of Certifying Authority of India or through Aadhar eSign in online environment.

1.06 Conversion of Currencies in e-BRCs

(a) Currencies, where Exchange rates are notified by CBIC: The foreign exchange realised (as mentioned by bank in the eBRC) is converted into Indian Rupee (INR) using the monthly exchange rates published by CBIC as on Let Export Order (LEO) date.

(b) Currencies, where Exchange rates are not notified by CBIC: In such cases, total realised value in INR (as mentioned by bank in the eBRC), will be converted into US\$ by using the US\$ /INR exchange rate prevailing on the date of realisation as published by CBIC.

1.07 Generation of eBRC where payments are realised through Insurance Agencies

(a) An applicant realising export proceeds through Insurance Agency will approach the concerned RA with the proof of payment issued by the concerned Insurance Agency. RA, after satisfying itself of the bona fide of the payment, will obtain approval of EG&TF Division, DGFT Hqrs and then RA will upload the value (in lieu of eBRC value) in EDI system of DGFT for processing of the case.

(b) If the proof of payment issued by the Insurance Agency mentions claim value both in foreign exchange and INR, RA will use the foreign exchange value for processing. If the claim value is mentioned only in equivalent INR, RA will convert this INR value in equivalent US\$ using the exchange rate (published by CBIC) applicable on the date of settlement of insurance claim.

STATUS HOLDER CERTIFICATION

1.08 Status Holder: Application for grant of Status Certificate

(a) Exporters shall be required to file an application online for recognition of status under the Policy in ANF 1B along with prescribed documents.

(b) Online Application for status certificate shall be filed with jurisdictional RA as determined by the location of Registered Office in the case of Company and of Head Office in the case of others as per Appendix 1A.

1.09 Validity of status certificate

(a) Any Status Certificate issued under FTP 2015-20 to an IEC holder shall remain valid only till 30.09.2023.

(b) Status Certificates issued under this FTP shall be valid for a period of 5 years from the date on which application for recognition was filed.

(c) On achieving higher status threshold as per Para 1.26 of FTP a firm can, at its discretion, upgrade their status holder category after surrender of the previous Certificate and applying as per para 1.08 above.

1.10 Maintenance of Accounts and Submission of Annual Export Statement

Status Holders shall maintain true and proper accounts of its exports and imports based on which such recognition has been granted. Records shall be maintained for a period of two years from the date of grant of status certificate. These accounts shall be made available for inspection to RA concerned or any Authority authorized by DGFT, as and when required.

1.11 Refusal /Suspension /Cancellation of Certificate

Status Certificate may be refused / suspended/ cancelled by RA concerned, if status holder or authorized representative acting on his behalf:

- (a) Fails to discharge export obligation imposed;
- (b) Tamper with Authorisations;
- (c) Misrepresents or has been a party to any corrupt or fraudulent practice in obtaining any Authorisation;
- (d) Commits a breach of FT (D& R) Act, or Rules, Orders made there under and FTP, The Customs Act 1962, The Central Excise Act 1944, FEMA Act 1999, COFEPOSA Act 1974 and Central / State GST Acts ;
- (e) Fails to furnish information required by this Directorate.

A reasonable opportunity shall be given to Status Holder before taking any action under this paragraph.

1.12 Appeal

An applicant, who is not satisfied with decision taken to suspend or cancel Status Certificate, may file an appeal to DGFT within 45 days. Decision of DGFT shall be final and binding thereon.

CHAPTER-2

GENERAL PROVISIONS REGARDING IMPORTS AND EXPORTS

2.00 Policy

Policy relating to general provisions regarding exports and imports is given in Chapter-2 of the FTP.

2.01 Coverage

This chapter covers procedure for various applications including their complete documentation. Procedure for applications for authorisations/ license/ permissions/ certificates for import/export and applications for benefits under FTP are laid out.

2.02 Countries of Imports/Exports

Unless otherwise specifically provided, international trade (i.e. import into India and/or export from India) can take place from/to any country. Country specific prohibitions/limitations, if any, are specified in the FTP or the ITC(HS).

APPLICATIONS

2.03 Filing of Application

(a) Applications seeking authorisation for import/export of “restricted” goods, or for claiming benefits under the schemes in FTP or for seeking clarifications or for other purposes may be made online on <https://dgft.gov.in>

(b) Applicants may ensure while submitting documents that documents are either in English or Hindi. Documents in regional languages may be translated into English or Hindi and the translated copy may be self-certified and submitted along with the original copy.

2.04 Territorial Jurisdiction of RA

Territorial jurisdiction of RAs is given in Appendix 1A of Appendices and Aayat Niryat Forms. The address of applicant determines the jurisdiction of RA. Each application, unless otherwise specified, shall be submitted to jurisdictional RA.

2.05 Incomplete Application

- (a) An incomplete or unauthorised application is liable to be rejected by the competent authority with specific reason for rejection. Such incomplete application may be re-opened on rectifying the deficiencies.
- (b) If the deficiencies are not rectified by the applicant within a period of 90 days, the application will be deemed to have been withdrawn.

2.06 Application Fee

The scale of fee, mode of payment, procedure for refund of fee and categories of persons exempted from payment of fee are provided in Appendix-2K.

A.1 IMPORTER EXPORTER CODE (IEC)

2.07 IEC Number Exempted Categories

(a) IEC is compulsory for import and /or exports. However, the following categories of importers or exporters are exempted from obtaining IEC:

Sl. No.	Categories Exempted from obtaining IEC
(i)	Importers covered by clause 3(1) [except sub- clauses (e) and (l)] and exporters covered by clause 3(2) [except sub-clauses (i) and (k)] of Foreign Trade (Exemption from application of Rules in certain cases) Order, 1993.
(ii)	Ministries /Departments of Central or State Government
(iii)	Persons importing or exporting goods for personal use not connected with trade or manufacture or agriculture.
(iv)	Persons importing/exporting goods from/to Nepal; Bhutan; Myanmar (through Indo-Myanmar border areas); and China (through Gunji, Namgaya Shipkila and Nathula ports), provided that the CIF value of single consignment of import/export of goods from/to Nepal; Bhutan and Myanmar (through Indo-Myanmar border areas) does not exceed Indian Rs. 25,000/-; and in the case of China, (a) for import/export of goods through Gunji and Namgaya Shipkila, CIF value of single consignment does not exceed Indian Rs.1,00,000/-; and (b) for import/export of goods through Nathula, CIF value of single consignment does not exceed Rs.2,00,000/-.

Further, exemption from obtaining IEC shall not be applicable for export of SCOMET items as listed in Appendix -3, Schedule 2 of ITC (HS), 2022 except in case of exports by category (ii) above.

b) Following permanent IEC numbers shall be used by non – commercial PSUs and categories or importers / exporters mentioned against them for import / export purposes:

Sr. No.	Permanent IEC	Categories of Importer / Exporter
1	AMDCG0111E	All Ministries / Departments of Central Government and agencies wholly or partially owned by them.
2	ADSGA0129E	All Departments of any State Government and agencies wholly or partially owned by them.
3	DCUNO0137E	Diplomatic personnel, Counsellor officers in India and officials of UNO and its specialised agencies.
4	IABBR0145E	Indians returning from / going abroad and claiming benefit under Baggage Rules.
5	IIHIE0153E	Persons /Institutions /Hospitals importing or exporting goods for personal use, not connected with trade or manufacture or agriculture.
6	IIEGN0161E	Persons importing/exporting goods from /to Nepal for non-commercial purposes
7	IIEGM0170E	Persons importing / exporting goods from / to Myanmar through Indo-Myanmar border areas for non-commercial purposes
8	ATAEF1096E	Importers importing goods for display or use in fairs/ exhibitions or similar events under provisions of ATA carnet. This IEC number can also be used by importers importing for exhibitions/fairs as per Paragraph 2.60 of Handbook of Procedures
9	IDNBG1100E	Director, National Blood Group
10	ICIRN1126E	Individuals /Charitable Institution /Registered NGOs importing goods, which have been exempted from Customs duty under Notification issued by Ministry of Finance for bonafide use by victims affected by natural calamity.
11	IEGEC1134E	Persons importing/exporting permissible goods as notified from time to time, from /to China through Gunji, Namgaya Shipkila and Nathula ports, subject to value ceilings of single consignment as given in Paragraph 2.07 (iv) above.
12	NCIEE1169E	Non-commercial imports and exports by entities who have been authorised by Reserve Bank of India.

2.08 Application for IEC

a) Exporters/ Importers shall file online application in ANF-2A format through the online process at <https://dgft.gov.in> with applicable fee and requisite documents.

b) IEC will be auto-generated and applicant will be informed through e-mail and SMS. Applicant can also view and download the e-IEC after completion of the submission process of application by logging onto their dashboard.

c) The applicant is required to submit online application with the following details/documents (scanned copies to be uploaded) along with the IEC application;

- Cancelled cheque bearing entity's pre-printed name or Bank certificate in format prescribed;
- Address proof of the applicant entity as detailed in the application

(d) RAs would conduct post-verification of online IECs as per the guidelines.

2.09 IEC Format

An electronic copy of the IEC may be downloaded online on their DGFT Dashboard. The details of any IEC may be verified on the DGFT Website under Services → 'View IEC Related Details'

2.10 Validity of IEC

a) An IEC allotted to an applicant shall have permanent validity unless suspended/cancelled by the competent authority. The IEC will cover all branches / divisions / units / factories of the applicant.

b) IEC's can however be de-activated in pursuance of the policy in para 2.05(e) of FTP.

2.11 Validity of IEC for EOUs / SEZs

An IEC will remain valid irrespective of a firm's status as a DTA unit or an SEZ unit or an EOU/EHTP/STP/BTP unit.

2.12 One PAN-One IEC

Only one IEC shall be issued against a single PAN.

2.13 Surrender of IEC

If an IEC holder does not wish to operate allotted IEC, they may surrender the same online to the issuing authority. On receipt, the issuing authority shall examine the request. On approval the updated IEC shall be transmitted to the Customs authorities. IEC can be surrendered only if all authorisations/ obligations have been closed for the IEC or in cases where the firm has been amalgamated/acquired/merged etc. with another entity such that all the authorisations/obligations are transferred to the IEC of the new entity.

2.14 Modification of IEC

(a) Modification(s)/Updation(s) in IEC can be done online only with applicable fees and requisite documents.

(b) Any change in constitution of firm, address, bank details or any other primary details, the IEC holder is required to ensure that the IEC details are suitably updated online within 30 days of effecting such change(s).

(c) Request for (i) Cancellation of existing IEC and (ii) PAN change in existing numeric IECs has to be made to the jurisdictional Regional Authority.

(d) RAs shall consider applications seeking modification in IEC (all numeric), involving change in PAN, by ensuring that liabilities of the previous applicant/applicant firm are transferred to the new applicant/applicant firm whose PAN will be reflecting in the modified IEC.

(e) In case of change in constitution of a PAN based IEC by way of merger, acquisition, liquidation, inheritance, business transfer etc. such that PAN of the new entity so formed is different from the earlier one, an IEC shall be availed against the new PAN within 30 days of effecting such change, if not existing already. Previous IEC (s) can also be operationally linked to the IEC of the new entity.

(f) An application for transfer of unredeemed Authorisation(s) from earlier IEC to the new IEC may be submitted online to the original jurisdictional RA along with supporting documents. Concerned RA may sanction the given linkage after due scrutiny of the evidence provided by the applicant including submission of affidavits etc.

2.15 Profile of Importer / Exporter

a) ANF-1 contains the profile of the importer/exporter. IEC Holder shall be responsible for updating the same as and when a change takes place immediately or in any case at least once in a year.

b) Documents which are uploaded in the Importer-Exporter Profile are not required to be filed each time the importer/exporter applies for authorisation/ scrip/ licence/ registration under different schemes of this FTP.

c) Proof of status as manufacturer exporter is also to be uploaded under the Profile.

ISSUANCE OF AUTHORISATION**2.16 Validity period of Authorisation/ Licence / Certificate / Authorisation / Permissions**

Validity period of Import / Export Authorisations from the date of issue shall be as follows, unless specified otherwise:

Sr. No	Type of Authorisation	Validity Period
(i)	Export Authorisation for restricted (Non-SCOMET) goods	24 months
(ii)	Export Authorisation for SCOMET items	24 months
(iii)	Import Authorisations for Restricted items	18 months
(iv)	EPCG Authorisation	24 months
(v)	Advance Authorisations (AA) for Deemed Exports	Co-terminus with contracted duration of project execution or 12 months, whichever is more.
(vi)	AA {except (v) above}, DFIA, Replenishment Authorisation for Gems & Jewellery as per Chapter 4	12 months from issue date.

of FTP.		
(vii)	Registration certificate for import/ export as per para 1.05 of FTP (Transitional Arrangement)	Original shipment period as mentioned in the ICLC or as stipulated by DGFT.

However, EXIM Facilitation Committee (EFC) and Inter Ministerial Working Group (IMWG) (for SCOMET items) may approve the grant of Export/ Import Authorisation for a shorter / longer duration in specific cases to meet contractual obligations/delivery schedule or on specific recommendation of the concerned Technical / Administrative Ministry / Department / or any other agency.

b) DGFT may decide to issue specific authorisation/ class of authorisations for a longer/shorter validity period. Any extension /revalidation in such cases to be allowed only by DGFT.

2.17 Date of reckoning of Import / Export

- (a) Date of reckoning of import is decided with reference to date of shipment / dispatch of goods from supplying country as given in Paragraph 11.11 of Handbook of Procedures and not the date of arrival of goods at an Indian port.
- (b) Date of reckoning of export is decided with reference to date of shipment / dispatch of goods from India as given in Paragraph 11.12 of Handbook of Procedures. However, for benefit under FTP, Let Export Order (LEO) date shall be the date of reckoning of export.

2.18 Validity of Authorisation/ Licence for import/export

- (a) Authorisations must be valid on the date of import.
- (b) Similarly, export obligation period of an Authorisation must be valid on the date of export. However, AA/ EPCG Authorisation holder(s) may continue to export post the export obligation period at their own risk and responsibility. The affected exports would only be accounted for EO fulfilment only if the authority concerned approves the EO extension.

2.19 Validity of Scrips

Scrips issued under the FTP must be valid on the date on which actual debit of duty is made.

2.20 Revalidation of Import / Export Licence Certificate/ Authorisation / Permissions for Non-SCOMET items

- (a) Import Authorisation, may be revalidated, on merits for a period of six months from date of expiry of validity by the DGFT (HQ).
- (b) Export Authorisation, may be revalidated, on merits for a period of six months a time and maximum upto 12 months by the DGFT (HQ).
- (c) However, revalidation of freely transferable authorisation / duty credit scrips and stock and sale (excluding SCOMET items) authorisation shall not be permitted unless validity has expired while in custody of Customs Authority / RA / Government Authority.
- (d) Revalidation of Authorisation/Duty Credit Scrip shall also be allowed without charging any fee for the period of delay (the period for which authorisation/scrip holder was unable to utilise the same) or six months, whichever is less, due to the following reasons:
 - (i) If Authorisation/Scrip or any amendment thereof could not be transmitted to Customs Server within fifteen working days from the date of issue/amendment;
 - (ii) If Authorisation/Scrip rejected by Customs server with error Code
 - (iii) If request for issue of waiver of Bond/EODC was not considered within the period specified under Para 11.10 of HBP, where complete application was submitted within the validity of the Authorisation.

In such cases, revalidation shall be allowed from the date of endorsement for the period of delay or six months, whichever is less. For example: Authorisation is issued having initial validity of 12 months on 01.04.2017. It was transmitted to Customs server on 01.04.2017 by DGFT server but it is accepted by Customs server on 31.10.2017. So, the Authorisation holder loses 7 months (still 5 months validity is left). In such a case, RA shall allow revalidation for a period of 6 months (validity of 5 months is subsumed) from the date of endorsement.

The applicant shall submit request for endorsement of Authorisation/Scrip along with screen shot of DGFT server as well as Customs Server in support of his claim. RA shall verify the same before revalidation is allowed.

However, request must be made to RA concerned within a month from the date of final acceptance of Authorisation/Scrip in the Customs Server.

Notwithstanding anything contained above, these provisions of revalidation shall not apply wherever, the

authorisation/crip holder had clear 6 months period in hand for utilisation.

2.21 Authority to Revalidate

Such revalidation under Paragraph 2.20 above would be permitted under specific orders of Head of concerned Office and such revalidation would be maximum up to the extent of custody period.

2.22 Application for Revalidation

An application for revalidation of authorisation may be made to the office which has issued the authorisation.

A.2 PROCEDURE FOR ISSUING DUPLICATE COPIES

2.23 Duplicate copies of Export / Import Authorisation

Where a physical copy of Authorisation/Permissions/ Licence / Certificate / is lost or misplaced, an application for issue of a duplicate may be made along with self-declaration, as given in Appendix 2M, to concerned office where the original Licence was issued.

2.24 Documents required for duplicate copy of freely transferable Authorisation

Duplicate copy of freely transferable Authorisation may be issued against an application accompanied with following documents:

- (i) An application with fee equivalent to 10% of duty saved or duty credit (of unutilized balance).
- (ii) A copy of FIR reporting loss.
- (iii) Self- declaration to indemnify revenue loss, which may be caused on account of issue of such duplicate.

2.25 Exception

When an Authorisation is lost by a Government agency and a proof to this effect is submitted, documents at serial nos. (i) to (iii) of Paragraph 2.24 above shall not be required. In such cases, revalidation shall be for six months from date of endorsement.

2.26 Mechanism for issuing duplicates

RA concerned shall obtain a report regarding utilization of such Authorisation from Custom authority at port of registration before issuing duplicate, for balance unutilized.

2.27 Validity of duplicate Authorisation

Validity of duplicate Authorisation shall be co-terminus with original period. No request shall be entertained if validity has expired.

2.28 Applicability of the provision

Provision of Paragraph 2.26 and 2.27 shall be applicable for cases covered under both Paragraph 2.23 and 2.24.

A.3 BANK GUARANTEE /LUT/ CORPORATE GUARANTEE

2.29 Execution of BG/Legal undertaking for Advance Authorisation/ EPCG Authorisation

- (a) Before clearance of goods through Customs, Authorisation holder shall execute a BG/LUT with Customs Authorities. In such cases, RA shall endorse the following condition on the licence/ Authorisation: "BG / LUT as applicable, to be executed with concerned Customs Authorities".
- (b) In case of indigenous sourcing, Authorisation holder shall furnish BG/ LUT to RA as per Customs Circular No.58/2004 dated 31.10.04, as amended from time to time. In case, the firm has already executed BG/LUT for the full value of the licence/ certificate/ authorisation/ permission (covering the items indigenously procured) to the Customs and furnishes proof of the same to Regional Authority (RA), no BG/LUT shall be required to be executed with the RA. The RA concerned shall endorse on the authorisation that the Customs Authority shall release/redeem BG/LUT only after receipt of NOC or EODC from the RA concerned. RA shall endorse a copy of the same along with a forwarding letter to the Customs Authority at the Port of registration for their information and record.
- (c) A status holder or a PSU may also submit Corporate Guarantee in lieu of Bank Guarantee/LUT in terms of the provisions of relevant Customs Circular in this regard.

2.29A Any firm/ company coming under the NCLT proceedings shall make a summary of statement of outstanding export obligations/liabilities under the FTP schemes, indicating duty saved amounts and applicable interest till the date of start of proceedings before the National Company Law Tribunal (NCLT), any penalty imposed under FT (D&R) Act, any other dues such as fee etc., and submit the same to the RA concerned and to NCLT, before the start of NCLT proceedings as part of the statutory filings. The statement of consumption of inputs/procurement of capital goods, attested by chartered engineer/chartered accountant, shall also be submitted along with other documentary details of

any partial fulfilment of Export Obligation claimed towards offsetting the duty saved amount.

2.30 Advance Payment

In case, payment is received in advance and export / deemed export takes place subsequently, application for an Authorisation shall be filed within specific period following the month during which exports/ deemed export is made, unless otherwise specified.

2.31 Import under Lease Financing

Import under lease financing shall be available under EOU/ SEZ scheme. Domestic supply of capital goods to eligible categories of deemed exports shall be eligible for benefits of deemed export as in paragraph 7.03 of FTP, even in cases where supplies are under lease financing

2.32 Submission of Certified Copies of Documents

Wherever original documents have been submitted to a different RA / nominated agency or to a different division of same RA, applicant can furnish photocopy of documents duly certified by him in lieu of original.

A.4 WAREHOUSING FACILITY

2.33 Warehousing Facility

- (a) Public / Private Customs Bonded Warehouses may be set up in DTA as per Chapter-IX of Customs Act, 1962, to import items in terms of Paragraph 2.36 of FTP. On receipt of goods, such warehouses shall keep these goods for one year without payment of applicable customs duties. Goods can be cleared against Bill of Entry for home consumption, on payment of custom duty and on submission of Authorisation wherever required, after an order for clearance of such goods for home consumption is issued by competent customs authorities. In case of clearance against duty free categories /concessional duty categories, exemption / concession from duty shall be allowed.
- (b) Goods can be re-exported without payment of customs duty provided shipping bill or a bill of export is presented in respect of such goods; and order for export of such goods has been made by competent customs authorities.

A.4.1 CERTIFICATES

2.34 Free Sale and Commerce Certificate

- (a)
 - (i) RAs may issue, on application, Free Sale and Commerce certificate for export of items not covered under Drugs & Cosmetics Act, 1940, which have usage in hospitals, nursing homes and clinics, for medical and surgical purposes and are not prohibited for export. Validity of such certificate shall be two years from date of issue unless otherwise specified.
 - (ii) For items falling under the Drug & Cosmetics Act, 1940, application for issue of Free Sale & Commerce Certificate may be made to the Central Drug Standards Control Organisation (CDSCO)
 - (iii) An application for grant of Free Sale and Commerce Certificate may be made to RA concerned as per format in ANF 2H of Appendices and Aayat Niryat Forms with Annexure A therein. RA shall issue Free Sale and Commerce Certificate as per Annexure B of ANF 2H.
- (b)
 - (i) RAs may also issue, on application, Free Sale and Commerce Certificate for export of any other item which is not restricted or prohibited for export. Validity of such certificate shall be two years from date of issue unless otherwise specified.
 - (ii) An application for grant of Free Sale and Commerce Certificate for these items may be made to RA concerned as per format in ANF 2H of Appendices and Aayat Niryat Forms along with Annexure A therein. RA shall issue Free Sale and Commerce Certificate as per Annexure B of ANF 2H.

2.35 End User Certificate

In case of import of any freely importable item in India, if a foreign Government insists on certification of end user of the item, before permitting export of the same from their country, RA may issue such certificates as per Appendix 2Q of Appendices and Aayat Niryat Forms. The certificate shall be issued based on application made under ANF 2J along with documents prescribed therein.

2.36 Imports under Indo-US Memorandum of Understanding

- (a) Import of specified capital goods, raw materials and components, from United States of America (USA) is subject to US Export Control Regulations. US suppliers of such items are required to obtain an export authorisation based on import certificate issued in India. The following are designated Import Certificate Issuing Authorities (ICIA):
 - (i) Department of Electronics (DoE), for computer and computer-based systems
 - (ii) Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Technical Support Wing (TSW),

for organised sector units registered under it, except for computers and computer-based systems;

- (iii) Ministry of Defence (MoD), for defence related items;
 - (iv) DGFT for small scale industries and entities not covered above as well as on behalf of any of the above;
 - (v) Embassy of India, Washington, DC, on behalf of any of the above.
- (b) Application for an import certificate shall be made in ANF 2K(i). Import certificate in Appendix-2P(I)(a) may be issued by ICIA directly to importer with a copy to (i) Ministry of External Affairs (MEA) (AMS Section), New Delhi, (ii) DoE, New Delhi; and (iii) DGFT.
- (c) However, this import certificate will not be regarded as a substitute for an import authorisation in respect of items mentioned as restricted in ITC (HS) and an import authorisation will have to be obtained for such items.
- (d) India's import and export with regard to USA's unilateral export control items [Crime Control (CC) Items as listed in Appendix 2P(ii)(a) and Regional Security (RS) items as listed in Appendix 2P(ii)(b)] will be governed by the following regulations:
- Items listed at both Appendix 2P (ii)(a) and Appendix 2P(ii)(b) will be allowed by DGFT for import from USA provided the importer submits the following documents in ANF 2K(i):
- (i) documentary proof of Bill of Lading indicating Port of USA,
 - (ii) legal undertaking that goods shall not be exported/ alienated; and
 - (iii) Import is with Actual User condition.
- (e) In case the importer wants to subsequently export the imported items from USA, or any part thereof, such export will require an authorisation from DGFT as per ANF 2K(ii) and Export certificate will be issued in the format Appendix-2P(i)(b).
- (f) Import /export of such items shall be allowed only through EDI enabled ports of India.

IMPORTS

2.37 Import of Consumer or Other goods as Gifts

- (a) In terms of provisions contained in Paragraph 2.26 of FTP, an application for grant of authorisation for import as gifts of items appearing as restricted for imports in ITC (HS) shall be made to the DGFT as in ANF 2M along with documents prescribed therein.
- (b) Where recipient of a gift is a charitable, religious or an educational institution registered under any law in force, and gift sought to be imported has been exempted from payment of customs duty, such import shall be allowed by customs authorities without an authorisation.

2.38 Import of Cheque Books /Ticket Forms etc.

Indian branches of foreign banks, insurance companies and travel agencies may import cheque books, bank draft forms and travellers' cheque forms without an authorisation. Similarly, airlines / shipping companies operating in India, including persons authorised by such airlines / shipping companies, may import passenger ticket forms without an authorisation.

2.39 Import of Reconditioned/ Second Hand Aircraft Spares

Import Authorisation for reconditioned / second hand aircraft spares is not required subject to NOC/ recommendation of Director General of Civil Aviation (DGCA), Government of India.

2.40 Import of Replacement Goods

Goods or parts thereof on being imported and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged after import, may be exported without an Authorisation, and goods in replacement thereof may be supplied free of charge by foreign suppliers or imported against a marine insurance or marine-cum-erection insurance claim settled by an insurance company. Such goods shall be allowed clearance by the customs authorities without an import Authorisation provided that:

- (a) Shipment of replacement goods is made within 24 months from date of clearance of previously imported goods through Customs or within guarantee period in case of machines or parts thereof where such period is more than 24 months; and
- (b) No remittance shall be allowed except for payment of insurance and freight charges where replacement of goods by foreign suppliers is subject to payment of insurance and / or freight by importer and documentary evidence to this effect is produced while making remittance.

2.41 Other Conditions for Import of Replacement Goods

- (a) In case of short-shipment, short-landing or loss in transit, import of replacement goods will be permitted

based on certificate issued by customs authorities without an import Authorisation.

- (b) This procedure shall also apply to cases in which short shipment of goods is certified by foreign supplier, who has agreed to replace free of cost.
- (c) Cases not covered by above provisions will be considered on merits by DGFT for grant of Authorisation for replacement of goods for which an application may be made as per paragraph 2.47 of HBP.

2.42 Import of Overseas Office Equipment

On winding up of overseas offices, set up with approval of RBI, used office equipment and other items may be imported without Authorisation.

2.43 Import of Ammunition by Licensed /Authorised Arms Dealers

- (a) Import of following types of ammunition are allowed against an Authorisation by licensed arms dealers subject to conditions as may be specified:
 - (i) Shotgun Cartridges 28 bore;
 - (ii) Revolver Cartridges of .450, .455 and .45 bores;
 - (iii) Pistol Cartridges of .25, .30 Mauser, .450 and .45 bores;
 - (iv) Rifle Cartridges of 6.5 mm, .22 savage, .22 Hornet, 300 Sherwood, 32/40, .256, .275, .280, 7m/m Mauser, 7 m/m Man Schoener, 9m/m Mauser, 9 m/m Man Schoener, 8x57, 8x57S, 9.3 m/m, 9.5 m/m, .375 Magnum, .405, .30.06, .270, .30/30 Winch, .318, .33 Winch, .275 Mag., .350 Mag., 400/350, .369 Purdey, .450/400, .470, .32 Win, .458 Win, .380 Rook, .220 Swift and .44 Win. bores.
- (b) An import Authorisation shall be issued at 5% of value of annual average sales turnover of ammunition (whether indigenous or imported) during preceding three licensing years subject to a minimum of Rs. 2000.
- (c) An application for grant of an Authorisation for items listed above may be made online to DGFT Hqrs in ANF 2M along with documents prescribed therein.

2.44 Duty Free Imports for specific Sectors

(A) R&D Equipment for Pharmaceuticals and Biotechnology Sector:

- (i) Duty free import of goods (as specified in list 28 of Customs notification No.21/2012 dated 17.3.2012, as amended from time to time) upto 25% of FOB value of exports during preceding licensing year, shall be allowed.
- (ii) The eligible unit may furnish an application given in Appendix-8A to RA concerned duly countersigned by Chartered Accountant.
- (iii) In respect of duty free import of R&D equipment, units not registered with jurisdictional Customs authority shall be allowed to give Installation Certificate issued by an independent Chartered Engineer.

(B) Agrochemicals Sector:

- (i) Duty free imports of goods as specified in list 28A of Customs notification No. 21/2012 dated 17.3.2012, upto 1% of FOB value of exports made during preceding licensing year, shall be allowed to agrochemicals sector unit having export turnover of Rs. 20 crore or above during preceding licensing year.
- (ii) The eligible unit shall apply in form given in Appendix-8B to RA concerned duly countersigned by Chartered Accountant.
- (iii) In respect of duty free import of R&D equipment, units not registered with jurisdictional Customs authority shall be allowed to give Installation Certificate issued by an independent Chartered Engineer.

2.45 Import under Govt. to Govt. Agreements

Import of goods under Government-to-Government agreements may be allowed without an Authorisation on production of necessary evidence to satisfaction of Customs authorities.

2.46 Transfer of Imported Goods

(a) Cases where prior permission is required:

Transfer of imported goods which are subject to Actual User condition and have become surplus to needs of Actual User, shall be made only with prior permission of the issuing authority. Following information along with supporting documents shall be furnished with request for grant of permission for transfer, to the issuing authority:

- (i) Reasons for transfer of imported material;

- (ii) Name, address, IEC number and industrial Authorisation registration, if any, of transferee;
- (iii) Description, quantity and value of goods imported and those sought to be transferred;
- (iv) Copies of import Authorisation and bills of entry relating to imports made;
- (v) Terms and conditions of transfer as agreed upon between buyer and seller.

(b) Cases where prior permission is not required

- (i) in case of sale or otherwise by importer of freely importable goods;
- (ii) for goods imported with Actual User condition, provided such good is freely importable without Actual User condition on date of transfer
- (iii) for goods with AU Condition after a period of two years from the date of import.
- (iv) for transfer of Imported Firearms (a) after 10 years of import or (b) on attaining the age of 60 years by such importer, subject to condition that transferee fulfils conditions as in Arms Act and Rules there under.
- (v) for transfer of weapon/s (firearm/s) imported by a Renowned Shooter (as defined in Policy Condition 3 of Chapter 93 of ITC (HS) 2022) for the purpose of his/her pursuing shooting as a sport to any upcoming shooter as certified either by the National Rifle Association of India (NRAI) or the Department of Sports, Ministry of Youth Affairs & Sports after two years from the date of import. The transferee can subsequently transfer/resell to any buyer as certified by the NRAI or Department of Sports for the sole purpose of pursuing shooting as a sport after one year from the date of its first sale. Such transfer/sale is subject to the provisions of the Arms Act, 1959 and other rules/regulations by state/local police. NRAI/Department of Sports will maintain the required records.

IMPORT OF RESTRICTED ITEMS

2.47 Import /Export of Restricted Items

- (a) An application for grant of an Authorisation for import or export of items mentioned as 'Restricted' in ITC (HS) may be made online to DGFT Hqrs in ANF 2M /ANF 2N respectively along with documents prescribed therein.
- (b) An application for amendment in import or export Authorisation has be made online to DGFT Hqrs.

2.48 EXIM Facilitation Committee

- (a) Restricted item Authorisation may be granted by DGFT or any other RA authorised by him in this behalf. DGFT / RA may take assistance and advice of a Facilitation Committee while granting authorisation. The Assistance of technical authorities may also be taken by seeking their comments in writing. Facilitation Committee will consist of representatives of Technical Authorities and Departments / Ministries concerned.
- (b) Import/Export authorisations for a restricted item, if so, directed by the competent authority, shall be issued for import/ Export through one of the sea ports or air ports or ICDs or LCS, as per the option indicated, in writing, by the applicant. Authorisation holder shall import at the port specified in the Authorisation and thereafter all imports against said authorisation shall be made only through that port, unless the authorisation holder obtains permission from customs authority concerned to import through any other specified port.
- (c) EXIM Facilitation Committee (EFC) shall normally meet once every month. Where a case has been deferred in EFC for want of comments from the Technical Authorities and Departments /Ministries concerned but subsequently, NOC(s) has / have been received from the concerned agency(ies) with no divergence in views, authorisation shall be issued with the approval of Chairman, EFC and the case shall be brought before EFC in its subsequent meeting for approval on ex-post facto basis.

2.49 Import of Restricted items required by Hotels, Restaurants, Travel Agents, Tour Operators and other Specified Categories

Items mentioned as restricted for imports in ITC (HS) required by hotels, restaurants, travel agents and tour operators may be allowed against an Authorisation, based on recommendation of Director General, Tourism, Government of India.

- (a) Hotels, including tourist hotels, recognised by Director General of Tourism, Government of India or a State Government shall be entitled to import Authorisation upto a value of 25% of foreign exchange earned by them from foreign tourists during preceding licensing year, for import of essential goods related to hotel and tourism industry.

- (b) Travel agents, tour operators, restaurants, and tourist transport operators and other units for tourism, like adventure/ wildlife and convention units, recognized by Director General of Tourism, Government of India, shall be entitled to import authorisation up to a value of 10% of foreign exchange earned by them during preceding licensing year, for import of essential goods which are restricted for imports related to travel and tourism industry, including office and other equipment required for their own professional use.
- (c) Import entitlement under paragraphs 2.49 (a) and 2.49 (b) of any one licensing year can be carried forward, either in full or in part, and added to import entitlement of two succeeding licensing years.
- (d) Such imported goods may be transferred after 2 years with permission of DGFT. No permission for transfer will be required in case the imported goods are re-exported. However, re-export shall be subject to all conditionality, or requirement of licence, or permission, as may be required under Schedule II of ITC (HS).
- (e) An application for grant of an Authorisation under paragraphs 2.49 (a) and 2.49 (b) may be made in ANF 2M to DGFT Hqrs through Director of Tourism, Government of India.

2.50 Import of Restricted items for R&D by units of Government

All restricted items and items permitted to be imported by STEs, except live animals, required for R&D purpose may be imported without an Authorisation by Government recognized Research and Development units.

2.51 Import of Metallic Waste and Scrap

Import of any form of metallic waste, scrap will be subject to the condition that it will not contain hazardous, toxic waste, radioactive contaminated waste / scrap containing radioactive material, any type of arms, ammunition, mines, shells, live or used cartridge or any other explosive material in any form either used or otherwise.

- (a) Import of following types of metallic waste and scrap will be free subject to conditions detailed below:

Sl. No.	Exim Code	Item description
1.	720410 00	Waste and scrap of cast iron
2.	72042190	Other
3.	72042920	Of High-speed steel
4.	72042990	Other
5.	72043000	Waste and scrap of tinned iron or Steel
6.	72044100	Turnings, shavings, chips, milling waste, saw dust, fillings, trimmings and stampings, whether or not in bundles.
7.	72044900	Other
8.	72045000	Re-melting scrap ingots
9.	74040012	Copper scrap
10.	74040022	Brass scrap
11.	75030010	Nickel scrap
12.	76020010	Aluminium scrap
13.	79020010	Zinc scrap
14.	80020010	Tin scrap
15.	81042010	Magnesium scrap

- (b) 'Freely' Importable metallic waste and scraps (shredded) as listed above shall be permitted through all ports of India subject to following conditions:
- (i) At the time of the clearance of goods, importer shall furnish to the Customs pre-shipment inspection certificate as per the format to Appendix 2H from any of the Inspection & Certification agencies given in Appendix-2G, to the effect that the consignment was checked for radiation level and scrap does not contain radiation level (gamma and neutron) in excess of natural background. The certificate shall give the value of background radiation level at that place as also the maximum radiation level on the scrap; and

- (ii) Importer shall also furnish copy of the contract with the exporter stipulating that the consignment does not contain any radioactive contaminated material in any form.
- (c) Import from Hodaideh, Yemen and Bandar Abbas, Iran will be in shredded form only.
- (d) Import of un-shredded compressed and loose form of metallic waste, scrap listed in paragraph 2.51(a) above in shall be subject to the following conditions: -
 - (i) At the time of the clearance of goods, importer shall furnish to the Customs pre-shipment inspection certificate as per the format in Appendix 2H from any of the Inspection & Certification agencies given in Appendix-2G to the effect that the consignment does not contain any type of arms, ammunition, mines, shells, cartridges, or any other explosive material in any form either used or otherwise, and that the consignment was checked for radiation level and it does not contain radiation level (gamma and neutron) in excess of natural background. The certificate shall give the value of background radiation level at that place as also the maximum radiation level on the scrap.
 - (ii) The imported item (s) is actually a metallic waste/ scrap /seconds /defective as per the internationally accepted parameters for such a classification.
 - (iii) Copy of the contract between the importer and the exporter stipulating that the consignment does not contain any type of arms, ammunition, mines, shells, cartridges, radioactive contaminated, or any other explosive material in any form either used or otherwise.
 - (iv) Import of scrap would take place only through following designated ports and no exceptions would be allowed even in case of EOUs, SEZs: -
 1. Chennai, 2. Cochin, 3. Ennore, 4. JNPT, 5. Kandla, 6. Mormugao, 7. Mumbai, 8. New Mangalore, 9. Paradip, 10. Tuticorin, 11. Vishakhapatnam, 12. Pipava 13. Mundra, 14. Kolkata 15. Krishnapatnam and 16. Kattupalli 17. Hazira and 18. Kamarajar.
 - (v) Only entry sea ports will be designated and notified for import of un- shredded Metallic Waste and Scrap subject to the following:
 - (i) Any sea port to be designated for import of un-shredded metallic scrap will be required to install Radiation Portal Monitors and Container Scanner with adequate security. The sea port having completed the above shall approach jurisdictional Customs for inspection and certification. Customs may give necessary clearance on receipt of certification from AERB. On getting clearance from Customs, DGFT will notify such a port as designated port for import of un-shredded scrap.
 - (ii) The existing designated sea ports namely Chennai, Cochin, Ennore, JNPT, Kandla, Mormugao, Mumbai, New Mangalore, Paradeep, Tuticorin, Vishakhapatnam, Pipava, Mundra and Kolkata will be allowed to import un-shredded scrap till 30.09.2021 by which time they are required to install and operationalize Radiation Portal Monitors and Container Scanner. Such sea ports which fail to meet the deadline will be derecognised for the purpose of import of un-shredded metallic scrap w.e.f. 01.10.2021
 - (iii) Further, any ICD can handle clearance of un-shredded metallic scrap provided the same passes through any of the designated sea ports as mentioned above or any new ports to be notified/designated from time to time, where Radiation Portal Monitors and Container Scanner are in operation and the consignment is subjected to risk-based scanning/ monitoring as per the protocol laid down by Customs.
 - (iv) Import consignments of metallic waste and scrap shall be subject to pre-shipment inspection certificate (PSIC) from the country of origin. However, metallic waste and scrap (both shredded and unshredded) imported from safe countries / region i.e., the USA, the UK, Canada, New Zealand, Australia and the EU will not require PSIC if consignments are cleared through eight (8) ports namely, Chennai, Tuticorin, Kandla, JNPT, Mumbai Krishnapatnam, Mundra and Kattupalli. Consignments from these six countries / regions will be accompanied by certificate from the supplier / scrap yard authority to the effect that it does not contain any radioactive materials / explosives. These will however be subject to radiation and explosive checks through portal monitors and container scanner at these ports. Trans-shipments through these countries / regions will not be allowed this facility. Import through remaining eight (8) other ports (for both shredded and unshredded scrap / waste), irrespective of country of origin, will be subject to PSIC.

2.52 Recognition as Pre-shipment Inspection Agency (PSIA) and issuance of Pre- shipment Certificate (PSIC)

- (a) Applications for recognition in respect of PSIAs have to be made online on DGFT Website

(<https://dgft.gov.in>) by payment of applicable fee in terms of Appendix 2K of FTP.

(b) The online applications will be considered by an Inter-Ministerial Committee.

(c) The recognized PSIA's will be notified under Appendix 2G for a period of three years. At the end of 3 years PSIA has to make a fresh online application for further recognition by DGFT.

(d) PSIA shall issue PSIC in the format given in Appendix 2H. PSIA shall generate PSICs using the facility provided on the DGFT website.

(e) A PSIA can also carry out inspections in countries, where it does not have a full-time equipped branch office but which falls within its area of operation, by deputing its Inspectors. However, for such inspections in other countries, the PSIA will be required to give prior intimation to DGFT by sending an email (at psia-travel-dgft@gov.in) and furnishing details of visit / inspection done by the Inspector in PSIC.

(f) The PSIA applicant(s) may submit online application(s) initially without bank guarantee, as required under S.No.9 of ANF-2L. Their applications would not be rejected only on the ground of non-submission of bank guarantee. Applicants would, however, be required to submit bank guarantee or an equivalent financial instrument, before they are notified as PSIA, by the competent authority.

(g) Any application for amendment in instruments and/or areas of operation of the existing PSIA has to be made online on the DGFT website.

2.53 Responsibility and Liability of PSIA and Importer

(a) In case of any mis-declaration in PSIC or mis-declaration in the online application form for recognition as PSIA, the PSIA would be liable for penal action under Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended, in addition to suspension/ cancellation of recognition.

(b) The importer and exporter would be jointly and severally responsible for ensuring that the material imported is in accordance with the declaration given in PSIC. In case of any mis-declaration, they shall be liable for penal action under Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended.

(c) PSIA may generate and upload PSIC online through the DGFT website. The PSIC shall be generated by the PSIA after the required inspection has been carried out. Required Video or photographic evidence is to be uploaded by the PSIA during this online PSIC process. The attested copy of the PSIC (in pdf format) shall have to be uploaded by the PSIA on DGFT website. The certificate shall be issued in prescribed form Appendix 2H

(d) The PSIA will also be required to take photographs or make video of the inspection carried out, duly capturing the following activities/details:

- (i) Photograph(s) or video clipping of the place of inspection with PSIA inspector (mandatory) and representatives of exporter / importer, if available (optional); with time, date of the inspection (at least 1 photograph or video clipping);
- (ii) Photograph(s) or video clipping of the testing instrument(s) used for inspection;
- (iii) Photograph(s) or video clipping of the process of stuffing of containers showing the container number (at least 1 photograph or video clipping per container)
- (iv) Photograph(s) or video clipping of the sealing process (at least 1 photograph or video clipping per container)
- (v) One Photo of Inspector shall be captured with empty container in the background having only one door closed (door with container number) and container number shall be clearly readable in that photo. Another photo of Inspector shall be captured with sealed container with same container number on the door clearly readable
- (vi) Photo of Instrument used for inspection (as indicated at serial no (h) of PSIC) shall be captured along with container seal, having container seal number and instrument serial number, visible in the same photo

(e) The photographs and/ or video clippings [as per 2.53(d) above] shall be uploaded on DGFT website (<https://www.dgft.gov.in/ICP/>) by PSIA at the time of issue of PSIC.

2.54 Import of other kinds of metallic waste and scraps

Import of other kinds of metallic waste and scrap will be allowed in terms of conditions of ITC (HS).

2.55 Imports of seconds and defectives

Import policy for second and defective, rags, PET bottles /waste, and ships is given in ITC (HS).

2.56 Services of Inspection and Certification Agencies

Customs or any other Central or State Government authority may avail of services of Inspection and Certification

Agencies in Appendix 2I of the Appendices and Aayat Niryat Forms, for certifying residual life as well as valuation / purchase price of capital goods.

TARIFF RATE QUOTA SCHEME

2.57 Procedure for import under the Tariff Rate Quota Scheme

- (a) Imports under the Tariff Rate Quota Scheme is governed as per the Customs Notification No. 28/2020-Customs dated 23.06.2020 of Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India as amended from time to time.
- (b) Tariff Rate Quota (TRQ) Imports for Crude Soya-bean oil and Crude Sunflower seed oil shall be allocated during financial year 2022-23 only, up to quantities per year as indicated below.

Item Description	ITC(HS)	TRQ per Year (in MT)
Crude Soya-bean oil, whether or not degummed	15071000	20,00,000
Crude Sunflower seed oil	15121110	20,00,000

The duty exemption under the said TRQs may be availed as per the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 30/2022-Customs dated 24.05.2022.

Note: The procedure for allocation of quota for the year 2022-23 under para 2.57(b) above has already been notified, vide Public Notice No. 10/2015-20 dated 24.05.2022 read with Public Notice Nos.50/2015-20 dated 11.01.2023 and 60/2015-20 dated 01.03.2023.

2.58 Eligible entities for allocation of quota

The following entities shall be eligible for allocation of quota with reference to para 2.57(a) of HBP:

- (a) Milk Powder (Tariff Code No. 0402.10 or 0402.21) and White Butter, Butter oil, Anhydrous Milk Fat (0405): National Dairy Development Board (NDDB), National Cooperative Dairy Federation (NCDF) and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED).
- (b) Maize (corn) (Tariff Code No. 1005.90): National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.(NAFED) and State Cooperative Marketing Federations.
- (c) Crude sunflower seed or safflower oil or fractions thereof (Tariff Code No. 1512.11) and Refined rape, colza, canola or mustard oil, other (Tariff Code No. 1514.19 or 1514.99): National Dairy Development Board (NDDB), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.(NAFED) and Central Warehousing Corporation (CWC), State Cooperative Marketing Federation & State Cooperative Civil Supplies Corporation.

2.59 Conditions applicable on availing quotas

All eligible entities are eligible to avail quotas subject to the conditions as detailed below:

- (i) All eligible entities desiring availment of quota as mentioned above, may make an online application to EFC in ANF-2M to DGFT, completed application forms along with prescribed documents must be submitted on or before 1st March of each financial year preceding to the year of quota
- (ii) Imports have to be completed before 31st March of financial year i.e. consignments must be cleared by customs authorities before this date.
- (iii) Since import of maize (corn) is through STEs, the allottees of quota i.e., designated agencies in paragraph 2.58 (b) above for this item shall also be granted an import Authorisation for allotted quantities as indicated at Sl. No. 21 (b) of Customs Notification No. 21/2002 dated 1.3.2002 in terms of paragraph 2.21 of FTP.
- (iv) Application fee for these applications shall be paid according to procedure contained in Appendix 2K of Appendices & Aayat Niryat Forms.
- (v) EFC in DGFT will evaluate and allot quota among applicants by 31st March of each financial year preceding to year of quota.

EXHIBITS AND SAMPLES

2.60 Exhibits Required for National and International Exhibitions or Fairs and Demonstration

- (a) Import / Export of exhibits, including the construction and decorative materials, except items in the 'Prohibited' or SCOMET List, required for the temporary stands of foreign / Indian exhibitors at exhibitions, fair or similar show or display for a period of six months on re-export / re-import basis, shall be allowed without an Authorisation on submission of a bond/ security to Customs or ATA Carnet.

- (b) Extension beyond six months for re-export / re-import will be considered by Customs authorities on merits. Consumables such as paints, printed material, pamphlets, literature etc. pertaining to exhibits need not be re-exported/re-imported.

2.61 Sale of Exhibits

- (a) Restricted Items: Sale of exhibits of restricted items, mentioned in ITC (HS), imported for an international exhibition / fair may also be made, without an Authorisation within bond period allowed for re-export, on payment of applicable customs duties, subject to a ceiling limit of Rs.5 lakh (CIF) for such exhibits for each exhibitor.
- (b) Freely importable items: However, sale of exhibits of items which are freely importable shall be allowed within bond period allowed for re-export on payment of applicable customs duties.
- (c) If goods brought for exhibition are not re-exported or sold within bond period due to circumstances beyond control of importer, Customs Authorities may allow extension of bond period on merits.

2.62 Import of Samples

- (a) No Authorisation shall be required for Import of bonafide technical and trade samples of items restricted in ITC (HS) except vegetable seeds, bees and new drugs. Samples of tea not exceeding Rs.2000 (CIF) in one consignment shall be allowed without an Authorisation by any person connected with Tea industry.
- (b) Duty free import of samples upto Rs.3,00,000 for all exporters shall be allowed as per terms and conditions of Customs Notification.

2.63 Exports of Samples / Exhibits

- (a) Exports of trade and technical samples of freely exportable item shall be allowed without any limit.
- (b) An application for export of samples/exhibits, which are restricted for export, may be made to DGFT as per ANF-2Q.

EXPORTS

2.64 Export Policy

Policy relating to Exports is given in Chapter-2 of FTP. Further, Schedule 2, Appendix-1 of ITC (HS) specifies list of items, which may be exported without an Authorisation but subject to terms and conditions specified.

2.65 Gifts / Spares / Replacement Goods

For export of gifts, indigenous / imported warranty spares and replacement goods in excess of ceiling / period prescribed for exports of Gifts; export of Spares and export of replacement goods in FTP, an application may be made to DGFT in ANF 2Q.

2.66 Export by post

In case of export by post, exporter shall submit following documents in lieu of documents prescribed for export by sea/air:

- (a) Bank Certificate of Export and Realisation as in e-BRC in Appendix 2U
- (b) Relevant postal receipt
- (c) Invoice duly attested by Customs Authorities.

2.67 Direct negotiation of export documents

In cases where exporter directly negotiates document (not through authorised dealer) with permission of RBI, he is required to submit following documents for availing of benefits under export promotion schemes:

- (a) Permission from RBI allowing direct negotiation of documents (not required for status holders),
- (b) Copy of Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) as per Form 10-H of Income Tax Department in lieu of BRC, and
- (c) Statement giving details of shipping bills / invoice against which FIRC was issued.

2.68 Application for Grant of Export Authorisation/Certificate/ Permission for non-SCOMET Items

An online application for grant of Export Authorisation in respect of restricted items [other than items in Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) List] mentioned in Appendix-3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items may be made in ANF 2N to DGFT (Headquarters) along with documents prescribed therein. EFC shall consider applications on merits for issue of export Authorisation.

EXPORT THROUGH STATE TRADING ENTERPRISES (STE)

2.69 Export of Items under (STE)

An application under ANF 2N for export of items mentioned in ITC (HS) under STE regime may be made online to DGFT Hqrs as per paragraph 2.21 of FTP.

A.5 PROVISIONS FOR EXPORTERS/OTHER PROVISIONS FOR DOING TRADE AND BUSINESS**2.70 Free of Cost Exports for status holders**

Status holders shall be entitled to export freely exportable items on free of cost basis for export promotion subject to an annual limit of Rs.10 lakh or 2% of average annual export realisation during preceding three licensing years whichever is lower. For Pharma exports, the annual limit would be 2% of the annual export realisation during preceding three licensing years. In case of government supplies and supplies of vaccines and lifesaving drugs to health programmes of international agencies such as UN and WHO-PAHO, the annual limit shall be upto 8% of the average annual export realisation during preceding three licensing years. Such free of cost supplies shall not be entitled to Duty Drawback or any other export incentive under any export promotion scheme.

2.71 Admissibility of benefits on payment through insurance cover

- (I) Payment through ECGC cover would count for benefits under FTP.
- (II) Payment through General/ Private Insurance companies:

Amount of Insurance Cover for transit loss by General Insurance and Private Approved Insurance Companies in India would be treated as payment realized for exports under various export promotion schemes.
- (a) An applicant realizing export proceeds through Insurance Agency will approach the concerned RA with the proof of payment issued by the concerned Insurance Agency. RA after satisfying itself of the bona fide of the claim, will obtain approval of Additional DGFT (EDI) and then will upload the value (in lieu of eBRC value) in EDI system of DGFT for processing of the case.
- (b) If the proof of payment issued by the Insurance Agency mentions claim value both in foreign exchange and INR, RA will use the foreign exchange value for processing. If the claim value is mentioned only in equivalent INR, RA will convert this INR value in equivalent US\$ using the exchange rate (published by CBEC) applicable on the date of settlement of insurance claim”.

2.72 RBI write-off on export proceeds realization

Realization of export proceeds shall not be insisted under Foreign Trade Policy, if the Reserve Bank of India (RBI) or any “Authorised Bank” (authorised by RBI for this purpose) writes off the requirement of realization of export proceeds on merits and the exporter produces a certificate from the concerned Foreign Mission of India about the fact of non-recovery of export proceeds from the buyer. However, this would not be applicable in self – write off cases.

2.73 Conversion of Shipping Bill from one Scheme to another

Customs Authorities, after recording reasons in writing, permit conversion of any scheme-shipping bill on which benefit of that scheme has not been availed, in accordance with the Regulations under Customs Act, 1962, and exporter would be entitled to benefit under scheme in which shipment is subsequently converted.

2.74 Offsetting of Export Proceeds

Subject to specific approval of RBI, any payables, or equity investment made by an Authorisation holder under any export promotion scheme, can be used to offset receipts of his export proceeds. In such cases, offsetting would be equal to realisation of export proceeds and exporter would have to submit following additional documents:

- (a) Appendix-2L in lieu of Bank Realisation Certificate.
- (b) Specific permission of RBI.

PROVISIONS RELATED TO QUALITY CERTIFICATION:**2.75 Quality Certification**

It has been a constant endeavour to promote quality standards in export product / units manufacturing export product.

Agencies authorised to grant Quality Certification:

- (a) List of such agencies authorised to grant quality certification is given in Appendix-2I
- (b) For ISO 9000 (Series) and for ISO 14000 (Series), the Agencies accredited with National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) under Quality Council of India shall be deemed to be authorised under this Policy. List of such accredited agencies is available on the web site www.qcin.org and also provided under Appendix 2I
- (c) The agencies for ISO (9000) Series & ISO 14000 Series have been accredited on further classification of:

- (i) Quality Management System (QMS)- <http://www.qcin.org> for Quality Management Systems
- (ii) Environmental Management System (EMS) - <http://www.qcin.org> for Environmental Management system.

These agencies are listed in Appendix 2I of the AANF.

- (d) Any agency desirous of enlistment in Appendix 2I may submit their application as per Annexure I to Appendix 2I to the DGFT.

2.76 Track and Trace system for export of drug formulations

Procedure for Implementation of the Track and Trace system for export of drug formulations will be as under:

- i. The manufacturer or the exporter of drug formulations will print the barcode as per GS1 Global Standard at different packaging levels to facilitate tracking and tracing of their products. The details are as follows:

a) Primary Level:

Incorporation of two-dimensional (2D) barcode encoding unique and universal global product identification code in the format of 14 digits Global Trade Item Number (GTIN) along with batch number, expiry date and a unique serial number of the primary pack. The bar code labeling at primary level is exempted till further notification; however, the above-mentioned details are required to be printed in human readable form on optional basis till further notification.

b) Secondary level:

Incorporation of one or two dimensional (1D or 2D) barcode encoding unique and universal global product identification code in the format of 14 digits Global Trade Item Number (GTIN) along with batch number, expiry date and a unique serial number of the secondary pack. However, in case of monocartons manufacturer or exporter shall affix bar code on mono carton containing one primary pack on optional basis till further notification.

c) Tertiary Level:

Incorporation of one dimensional (1D) barcode encoding unique and universal global product identification code in the format of 14 digits Global Trade Item Number (GTIN) along with batch number, expiry date and a unique serial number of the tertiary pack i.e., Serial Shipping Container Code (SSCC).

- ii. Parent-Child Relationship for SSI and Non-SSI Manufacturers:

The manufacturer or exporter shall maintain the data in the parent-child relationship for three levels of packaging i.e., Primary, Secondary and Tertiary packaging and their movement in its supply chain.

- iii. Maintenance of data of Parent-Child relationship:

The data mentioned in (ii) above shall be uploaded on the central portal of the Government of India (<http://dava.gov.in>) by the manufacturer or exporter or its designated agency before release of the drug formulations for sale or distribution.

- iv. The responsibility of the correctness, completeness and ensuring timely upload of data on the central portal shall be with the manufacturer or exporter.

- v. In case, the Government of the importing country has mandated a specific requirement, the exporter has the option of adhering to the same and in such a case, it would not be necessary to comply with the stipulation under sub para (i) to (iv) above and if an exporter is seeking to avail such exemption from bar coding prescribed by the Government of India as above, the exporter is given the option to move an application to the Pharmaceutical Export Promotion Council of India (Pharmexcil) for this purpose, clearly specifying the nature of such an exemption in the interest of the exports from the country. Pharmexcil shall dispose of such applications on case-to-case basis with prior approval of Government. However, the tertiary level of packaging will have additional printing of barcode as per Para 2 (i) (c) in addition to importing country's requirement, if any.

- vi. Export of drugs manufactured by SSI and non-SSI units and having manufacturing date on or before 31.03.2023 are exempted from maintenance of data in the Parent-Child relationship for three levels of packaging and its uploading on Central Portal (<http://dava.gov.in>).

- vii All drugs manufactured by SSI or non-SSI units and having manufacturing date after 31.03.2023 can be exported only if both tertiary and secondary packaging carry barcoding as applicable and the relevant data as prescribed by DGFT is uploaded on the Central Portal.

Explanation:

- (a) For the purpose of this rule,

- (i) Drug formulation means a formulation manufactured with a license from Drug Control

Authority under the provisions of Drugs & Cosmetics Act and Rules made there under and registered as “Drug” with the FDA of importing country.

- (ii) Primary packaging means the package which is in direct physical contact with the active ingredient.
- (iii) Secondary packaging means a carton containing one or more primary packs and includes a mono carton containing one primary pack.
- (iv) Tertiary packaging means a shipper containing one or more secondary packs.

A.5.1 (b) All relevant guidelines regarding grant of specific exemption(s) if any, procedure of data requirement / maintenance / upload on central portal and clarifications issued under this notification etc. will be available on the central portal i.e. <http://dava.gov.in>

A.5.2 (c) It will be the responsibility of the drug manufactures/exporters as the case may be, to satisfy the customs authorities that the export consignment satisfies the conditions of the Notification.

EXPORT PROMOTION COUNCIL (EPC)/ COMMODITY BOARDS

2.77 Registering Authorities

- (a) Registering Authority is a body notified by DGFT in this regard to register importers/ exporters as its members by issuing RCMC.
- (b) The list of notified Registering Authorities is at Appendix -2T.

2.78 Criteria for EPCs as Registering Authorities

In order to make the EPCs truly democratic and participative in nature and for better governance and transparency, the criteria for them to function as Registering Authority are being laid down as under:

- (a) e-Voting: Electronic Voting would be mandatory for election to the posts of Vice Chairman/Vice President and Executive Committee members with a view to ensuring wider participation.
- (b) Tenure of Elected Heads: The tenure of an elected head shall not be for more than two years. The election of Chairman/President of the EPC shall be via Vice Chairman/Vice President route. However, any member having held the post of Chairman/President and/or Vice Chairman/Vice President may come back as Vice Chairman/Vice President in the same council after a gap of not less than 4 years.
- (c) Directions of the Central Government: EPCs acting as the Registering Authorities shall abide by all directions of the Central Government in respect of promotion and development of international trade.

2.79 Registration- cum- Membership Certificate (RCMC)

- (a) An exporter may, on application given in ANF 2C register and become a member of EPC. On being admitted to membership, applicant shall be granted forthwith Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) of EPC concerned, in format given in Appendix 2R. In case an exporter desires to get registration as a manufacturer exporter, he shall furnish evidence to that effect.
- (b) Prospective / potential exporters may also, on application, register and become an associate member of an EPC.

2.80 Applying for RCMC

- (a) While applying for RCMC, an exporter has to declare his main line of business in the application. The exporter is required to obtain RCMC from the Council which is concerned with the product of his main line of business.
- (b) In case an export product is not covered by any Export Promotion Council/Commodity Board etc., RCMC in respect thereof is to be obtained from FIEO. Further, in case of multi product exporters, not registered with any EPC, where main line of business is yet to be settled, the exporter has an option to obtain RCMC from Federation of Indian Exporters Organization (FIEO).
- (c) In respect of multi product exporters having their head office/ registered office in the North Eastern States, RCMC may be obtained from Shellac & Forest Products Export Promotion Council (except for the products looked after by APEDA, Spices Board and Tea Board).
- (d) In respect of exporters of handicrafts and handloom products from the UTs of Jammu & Kashmir and Ladakh, Director, Handicrafts, Government of Jammu & Kashmir is authorised to issue RCMC.

2.81 Validity Period of RCMC

RCMC shall be deemed to be valid from 1st April of licensing year in which it was issued and shall be valid for five years ending 31st March of the licensing year, unless otherwise specified.

2.82 Intimation Regarding Change in Constitution of Business of RCMC holder

In case of change in ownership, constitution, name or address of an exporter, it shall be obligatory on part of RCMC holder to intimate such change to registering authority within a period of one month from date of such change. Registering authority, however, may condone delays on merits.

2.83 De- Registration

Registering authority may de-register an RCMC holder for a specified period for violation of conditions of registration. Before such de-registration, RCMC holder shall be given a show cause notice by registering authority, and an adequate and reasonable opportunity to make a representation against the proposed de-registration. Upon de-registration, concerned EPC shall intimate the same to all RAs.

2.84 Appeal Against De-registration

A person aggrieved by a decision of registering authority in respect of any matter connected with issue of RCMC may prefer an appeal to DGFT or an officer designated in this behalf within 45 days against said decision and decision of appellate authority shall be final.

2.85 Directives of DGFT

DGFT may direct any registering authority to register or deregister an exporter or otherwise issue such other directions to them consistent with and in order to implement provisions of FT (D&R) Act, Rules and Orders made there under, FTP or this Handbook.

2.86 Identity Cards for Importers /Exporters

- (a) To facilitate collection of Authorisation and other documents from DGFT Hqrs and RA, identity cards (valid for 3 years) may be issued to proprietor/ partners / directors and authorised employees (not more than three), of importers and exporters, upon online application
- (b) In case of limited companies, more than three identity cards can be allotted per company. In case of loss of an identity card, a duplicate card may be issued on the basis of an self-declaration.
- (c) Identity card would be issued electronically with QR code and a Unique Document Identification Number (UDIN) for electronic verification.

2.87 Interview with authorised Officers

Officers may grant interview at their discretion to authorised representative of importer / exporter. Interviews /clarifications may also be sought through E-mails. Interactions to the extent possible should be through online medium/video conference.

PREFERENTIAL TRADE AGREEMENTS

2.88 Free Trade Agreements (FTAs) / Preferential Trade Agreements (PTAs)

India has always stood for a transparent, equitable, inclusive, predictable, non-discriminatory and rules based international trading system. In this context, India's trade agreements may be seen as a measured and calibrated exposure of the Indian economy to international competition. As of March, 2023; India has signed 13 FTAs and 6 limited Preferential Trade Agreements (PTAs). India is presently engaged in FTA negotiations with some of its trading partners, notable among these FTAs are: India –UK Free Trade Agreement, India-EU Free Trade Agreement and India-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)/Early Progress Trade Agreement (EPTA).

- (a) The list of the FTAs that have been signed by India are:

- (i) India - Sri Lanka FTA
- (ii) Agreement on South Asian Free Trade Agreement (SAFTA)
- (iii) Revised Agreement of Cooperation between Government of India and Nepal to control unauthorised trade
- (iv) India - Bhutan Agreement on Trade Commerce and Transit
- (v) India - Thailand FTA - Early Harvest Scheme (EHS)
- (vi) India - Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA)
- (vii) India – ASEAN CECA (Goods, Services and Investment)
- (viii) India - South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
- (ix) India - Japan CEPA

- (x) India - Malaysia CECA
 - (xi) India –Mauritius CECPA
 - (xii) India –UAE CEPA
 - (xiii) India - Australia ECTA
- (b) The list of Preferential Trade Agreements (PTAs) signed by India are:
- (i) Asia Pacific Trade Agreement (APTA)
 - (ii) Global System of Trade Preferences (GSTP)
 - (iii) India - Afghanistan PTA
 - (iv) India - MERCOSUR PTA
 - (v) India - Chile PTA
 - (vi) SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA)
- (c) The list of these agreements with the participating countries as well as their entry into force is given in Appendix 2A.
- (d) Fees chargeable for issuance of preferential Certificate of Origin is as detailed in Appendix – 2K. The same would also be applicable as verification fee for Rules of Origin Certificate issued under any Free Trade Agreements, in case of verification as detailed in Appendix – 2K. However, the provision of Tatkal certificate of origin as being provided by some of the agencies would be discontinued. The Certificate of origin will be delivered within 24 hours/1(one) working day of the application made.

2.89 Unilateral Tariff Preferences

Under these schemes, both developed and developing countries grant unilateral tariff preferences to exports from developing countries including Least Developed Countries (LDCs). Some of these schemes are:

(A) Generalised System of Preferences (GSP):

- (a) GSP is a non-contractual instrument by which industrialized (developed) countries unilaterally and based on non-reciprocity extend tariff concessions to developing countries. Following countries extend tariff preferences under their GSP Scheme: (i) United States of America (ii) New Zealand (iii) Belarus (iv) European Union (v) Japan (vi) Russia (vii) Canada (viii) Norway (ix) Australia (only to LDCs) and (x) Switzerland
- (b) GSP schemes of these countries detail sectors / products and tariff lines under which benefits are available, including conditions and procedures governing benefits. These schemes are renewed and modified from time to time. Normally Customs of GSP offering countries require information in Form 'A' (prescribed for GSP Rules of Origin) duly filled by exporters of beneficiary countries and certified by authorised agencies. List of agencies authorised to issue GSP CoO is given in Appendix-2C.
- (c) (i) The European Union (EU) has introduced a self-certification scheme for certifying the rules of origin under GSP from 1.1.2017 onwards. Under the Registered Exporter System (REX), exporters with a REX number are able to self-certify the Statement on Origin of their goods being exported to EU under the GSP Scheme. The registration on REX is without any fee or charges. The details of the scheme are at Annexure-1 to Appendix-2C.
- (ii) The competent Local Authorities would undertake post verification of self-certified Certificate of Origin based on the request of the importers/customs agencies of the importing country and the fee to be charged is detailed in Appendix 2K. Agencies may charge TA and DA, as per government rates, separately from the unit.
- (iii) Further, as per the conditions required to avail GSP benefit under self-certification system, the beneficiary country needs to have a verification system of such self-certified certificates of origin. The standard operating procedure for verification of the self-certified e-CoOs, to be followed by all Authorized agencies/Local Administrators is detailed in Annexure-II to Appendix-2C.

(B) Duty Free Tariff Preference (DFTP) Scheme for LDCs:

- (a) The mandate for Duty Free Quota Free (DFQF) access to Least Developed Countries (LDCs) came from Paragraph 47 of the Hong Kong Ministerial Declaration of December 2005. India became the first developing country to extend this facility to LDCs through its Duty Free Tariff Preference (DFTP) Scheme for LDCs which came into effect in August, 2008 with tariff reductions spread over five years. The Scheme provided preferential market access on tariff lines that comprise 92.5% of global exports of all LDCs.
- (b) Subsequently in 2014, the Scheme was modified both with reference to increase in coverage as well as its simplification. This was in response to requests from several LDCs for additional product coverage on lines of

their export interest and simplification of the Rules of Origin procedures. Under the new expanded DFTP Scheme, India is granting duty free access on 96.4% of the total tariff lines, thereby retaining only about 3.6% of lines in the Exclusion and Positive Lists. For details Department of Commerce Website, and Customs' Notification No.8/2014 dated 1st April, 2014 may also be referred to in this regard.

2.90 Certificates of Origin (CoO)

(a) Certificate of Origin (CoO) is an instrument to establish evidence on origin of goods imported into any country.

(b) There are two categories of CoO viz.

(i) Preferential and

(ii) Non preferential

2.91 Rules of Origin (Preferential)

(a) The rules of origin are the rules that determine the origin of a good for the purpose of exports to a trading partner. Under an FTA, PTA or a unilateral tariff concession, the tariff concessions are granted by an importing country only when these prescribed rules of origin are adhered to. Rules of origin also facilitate in computation of trade statistics and for determination and imposition of trade remedial measures.

(b) Some of the key criteria used in the determination of the rules of origin are:

(i) Wholly obtained

(ii) Change in tariff classification

(iii) Value addition

(iv) Non minimal operations

(c) For exports under India's FTAs, PTAs and GSP, specified agencies are authorised to issue the certificates of origin, they shall also provide services relating to issue of CoO, including details regarding rules of origin, list of items covered by an agreement, extent of tariff preference, verification and certification of eligibility. The list of these agencies authorised under the various FTAs/ PTAs is given in Appendix 2B

(d) Export Inspection Council (EIC) is the agency authorised to print blank certificates. The website of the EIC (www.eicindia.gov.in) provides procedural details (including fee) for issuance of the certificate of origin.

2.92 TRQ under FTA/CECA

Government, from time to time, undertakes commitments for import under Tariff Rate Quota (TRQ) in various FTA/CECA. Accordingly, DGFT notifies the procedure for administration of TRQ from time to time. The Tariff Rate Quotas as existing is as under:

Description	HS No.	In/out of quota rate (%) as per WTO	In/out of quota rate (%) As per Indian Tariff	Notification	TRQ
Crude soya oil from Paraguay under India-Mercosur Trade Agreement	1507 10 00	-	10%	57/2009 dated 30/05/2009	30,000 MT
Vanaspati, bakery shortening and margarine from Sri Lanka	1516, 1517 or 1518 (other than 15161000, 15171010, 15179030 and	-	-	No.2/2007 Customs dated 5 th January 2007	*2,50,000 MT

	15180040 which are prohibited for import)				
Pepper from Sri Lanka	0904	-	-	No.2/2007Customs dated 5 th January 2007	*2500 MT
Desiccated Coconut from Sri Lanka	08011100	-	-	No.2/2007Customs dated 5 th January 2007	*500 MT
Articles of apparel and clothing accessories imported from Sri Lanka	61, 62	-	5%/10 %	26/2000-Cus List 3	8 million pieces
Tea and preparagra ptions thereof imported from Sri Lanka	2101	-	15%/30 %	26/2000-Cus List 4	15 million kgs.
Vegetable fats (Vanaspati) from Nepal				22/2007-Cus 5 th June 2007	1 Lakh MT
Acrylic Yarn from Nepal				-do-	10,000 MT
Copper products from Nepal	Chapter 74 of ITC(HS) and 8544			-do-	10,000 MT
Zinc Oxide from Nepal				-do-	2500MT
The following items are permitted under the TRQ under India-Mauritius CECPA#					
Fresh : -- Other	06031900	-	30%	No. 25/2021-Customs dated 31 st March, 2021	15 tons
Pineapples	08043000	-	10%		1000 tons
Lichi	08109060	-	10%		250 tons
Vanilla : Neither crushed nor ground	09051000	-	10%		15 tons
Vanilla : Crushed or ground	09052000	-	10%		1 ton
Tunas	16041410	-	0%		7000 tons
Other	16041490	-	0%		7000 tons
Other prepared or preserved fish	16042000	-	0%		7000 tons
Other (Specialty Sugar)	17011490	-	10%		15000 tons
Beer made from malt.	22030000	-	25%		2,000,000 litres
Fruit Wine: Other fermented beverages	22060000	-	0%		5000 litres

[illegible]

	ne (LDPE)												
3901 1090	Other Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94	7.5											
3901 2000	Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more	7.5	TR of 50% in 5 years with specified year-wise TRQs	7.0 (TRQ - 150,000 MT)	6.5 (TRQ - 168,000 MT)	6.0 (TRQ - 186,000 MT)	5.0 (TRQ - 204,000 MT)	3.75 (TRQ - 222,000 MT)	3.75 (TRQ - 252,000 MT)	3.75 (TRQ - 285,000 MT)	3.75 (TRQ - 285,000 MT)	3.75 (TRQ - 285,000 MT)	3.75 (TRQ - 285,000 MT)
3901 4010	Linear low-density polyethylene (LLDPE), in which ethylene monomer unit contributes less than 95 % by weight of the total polymer content	7.5		7.0 (TRQ - 45,000 MT)	6.5 (TRQ - 50,500 MT)	6.0 (TRQ - 56,000 MT)	5.0 (TRQ - 61,500 MT)	3.75 (TRQ - 67,500 MT)	3.75 (TRQ - 86,300 MT)	3.75 (TRQ - 105,000 MT)	3.75 (TRQ - 105,000 MT)	3.75 (TRQ - 105,000 MT)	3.75 (TRQ - 105,000 MT)
3901 4090	Other Ethylene-alpha-olefin copolymers, having a specific gravity of less than 0.94	7.5	TR of 50% in 5 years with specified year-wise TRQs										
3901 9000	Other polymers of ethylene, in primary sources	7.5		7.0 (TRQ - 11,000 MT)	6.5 (TRQ - 12,000 MT)	6.0 (TRQ - 13,000 MT)	5.0 (TRQ - 14,000 MT)	3.75 (TRQ - 16,000 MT)	3.75 (TRQ - 20,600 MT)	3.75 (TRQ - 25,000 MT)	3.75 (TRQ - 25,000 MT)	3.75 (TRQ - 25,000 MT)	3.75 (TRQ - 25,000 MT)
3902 1000	Polypropylene	7.5		7.0 (TRQ - 70,000 MT)	6.5 (TRQ - 77,500 MT)	6.0 (TRQ - 85,000 MT)	5.0 (TRQ - 92,500 MT)	3.75 (TRQ - 100,000 MT)	3.75 (TRQ - 129,200 MT)	3.75 (TRQ - 158,500 MT)	3.75 (TRQ - 158,500 MT)	3.75 (TRQ - 158,500 MT)	3.75 (TRQ - 158,500 MT)

3902 3000	Propylene copolymers	7.5		7.0 (TRQ - 50,000 MT)	6.5 (TRQ - 55,000 MT)	6.0 (TRQ - 60,000 MT)	5.0 (TRQ - 65,000 MT)	3.75 (TRQ - 70,000 MT)	3.75 (TRQ - 90,900 MT)	3.75 (TRQ - 112,000 MT)	3.75 (TRQ - 112,000 MT)	3.75 (TRQ - 112,000 MT)	3.75 (TRQ - 112,000 MT)
3902 9000	Other polymers of propylene or of other olefins, in primary forms	7.5		7.0 (TRQ - 4,000 MT)	6.5 (TRQ - 4,500 MT)	6.0 (TRQ - 5,000 MT)	5.0 (TRQ - 5,500 MT)	3.75 (TRQ - 6,000 MT)	3.75 (TRQ - 7,700 MT)	3.75 (TRQ - 9,500 MT)	3.75 (TRQ - 9,500 MT)	3.75 (TRQ - 9,500 MT)	3.75 (TRQ - 9,500 MT)
3904 1010	Emulsion grade PVC resin / PVC Pastersin/ PVC dispersion resin	10	TR (Cumulative Annual TRQ of 60,000 MT)	9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
3904 1020	Suspension grade PVC resin	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
3904 1090	Other Poly (vinyl chloride), not mixed with any other substances	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
3904 2100	Non- plasticised poly (vinyl chloride), mixed with other substances	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
3904 3010	Poly(vinyl derivatives)	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
3904 3090	Other Vinyl chloride- vinyl acetate copolymer s	10		9	8	7	6	5	5	5	5	5	5
3904 6910	Poly (vinyl fluoride), in one of the forms mentioned in Note	7.5		7	6.5	6	5	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75

[illegible]

	with other precious and semi-precious stones												
7408 1110	Copper weld wire, cross sectional dimension > 6mm	5	TEP over 5 years (TRQ of 150% of 3 years moving average volume)	4.0	3.0 (TRQ - 85,000 MT)	2.0 (TRQ - 105,000 MT)	1.0 (TRQ - 115,000 MT)	0.0 (TRQ - 125,000 MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 2 to 4 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 3 to 5 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 4 to 6 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 5 to 7 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 6 to 8 in MT)
7408 1190	Other wire of refined copper, which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6 mm	5											
7408 1910	Copper weld wire, cross sectional dimension < 6mm	5	TEP over 5 years (TRQ of 150% of 3 years moving average volume)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7408 1920	Welding wire of copper, cross sectional dimension < 6mm	5		4.0	3.0 (TRQ - 270 MT)	2.0 (TRQ - 302.5 MT)	1.0 (TRQ - 335 MT)	0.0 (TRQ - 367.5 MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 2 to 4 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 3 to 5 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 4 to 6 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 5 to 7 in MT)	0.0 (TRQ - Moving Average of Years 6 to 8 in MT)
7408 1990	Other wire of refined copper, cross sectional dimension < 6mm	5											

Imports of Items under the TRQ of the India- Aus ECTA

HS code	Item Description	In Quota rate (%)	TRQ Quantity for Calendar year 2022	TRQ Quantity Calendar Year 2023 onwards
07134000	Lentils	50% of the applied rate of duty	1,233 MTs	1,50,000 MTs
08021100	In shell almonds	50% of the applied rate of duty	279 MTs	34,000 MTs
08021200	Shelled almonds			
08051000	Oranges	50% of the applied	113 MTs	13,700 MTs
08052100	Mandarins (including tangerines &			

	satsumas)	rate of duty		
08083000	Pears	50% of the applied rate of duty	30 MTs	3,700 MTs
52010020	Extra Long Staple Cotton of minimum 28 mm staple length	0% duty	419 MTs	51,000 MTs
# Imports will be permitted subject to the arrangements / Procedure as laid down in Annexure-I, II & III, IV & V of Appendix-2A.				

2.93 Rules of Origin (Non-Preferential)

(a) Rules of Origin (Non-Preferential) criteria are as under:

(I) Goods are to be manufactured by the exporting entity as per the definition of “Manufacture” in Paragraph 11.31 of FTP; and

(II) If imported inputs (Duty Paid or Duty Free) have been used for the production of export product, the export product can be considered to be originating in India (Non-Preferential) only if the imported inputs undergo the processing/ operations that exceed the following:

- (i) simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching (including the making-up of sets of articles), washing, painting, cutting;
- (ii) changes of packing and breaking up and assembly of consignments;
- (iii) simple cutting, slicing and repacking or placing in bottles, flasks, bags, boxes, fixing on cards or boards, and all other simple packing operations;
- (iv) operations to ensure the preservation of products in good condition during transport and storage (such as drying, freezing, keeping in brine, ventilation, spreading out, chilling, placing in salt, sulphur dioxide or other aqueous solutions, removal of damaged parts, and like operations);
- (v) affixing of marks, labels or other like distinguishing signs on products or their packaging;
- (vi) simple mixing of products;
- (vii) simple assembly of parts of products to constitute a complete product;
- (viii) disassembly;
- (ix) slaughter which means the mere killing of animals; and
- (x) mere dilution with water or another substance that does not materially alter the characteristics of the products.

(b) Government has also nominated certain agencies to issue Non-Preferential Certificate of Origin (CoO). These CoOs evidence origin of goods and do not bestow any right to preferential tariffs. List of notified agencies is provided in Appendix-2E. In addition, agencies authorised to issue Preferential CoO are also authorised to issue Non-Preferential CoO.

(c) All exporters who are required to submit CoO (Non-Preferential) would have to apply to any of agencies enlisted in Appendix 2E with following documents:

- (i) Details of quantum / origin of inputs / consumables used in export product.
- (ii) Two copies of invoices.
- (iii) Packing list in duplicate for concerned invoice.
- (iv) Fee of Rs.200/- per certificate

(d) The agency would ensure that goods are of Indian origin as per criteria defined in (a) above before granting CoO (Non-Preferential). Certificate would be issued as per format given in Annexure-II to Appendix 2 E. It should be ensured that no correction/re-type is made on certificate. Any agency desirous of enlistment in Appendix- 2 E may submit their application as per Annexure-I to Appendix 2E to DGFT.

(e) Non-preferential - Self Certification: Manufacturer exporters who are also Status Holders shall be eligible to self-certify their goods as originating from India, if goods qualify the criteria, as laid down in (a) above, as per Annexure -III to Appendix 2E.

2.94 Approved Exporter Scheme (AES) for self-certification

Details of the Scheme are provided in Appendix 2F of ANF.

POLICY INTERPRETATION AND RELAXATIONS**2.95 Application to PIC**

Application for seeking interpretation of any policy provision shall be made in ANF-2F to Policy Interpretation Committee (in the Hqrs.) under Para 2.58(b) of FTP.

2.96 Application to PRC

- (a) Application to the Policy Relaxation Committee (PRC) under Para 2.59 FTP is to be made online in ANF-2D with the prescribed fee and documents. Similarly, under Para 2.60 of FTP, application for review of decision of any committee or a decision/order by any subordinate Authority in the Directorate General of Foreign Trade is required to be submitted online in ANF-2E.
- (b) Director General of Foreign Trade shall be the Chairman of PRC with all Additional DGFTs, all Joint DGFTs in charge of Policy Divisions in Hqrs as members. The Additional/Joint DGFT (PRC) shall act as Member Secretary; and the Committee can Co-opt member/s with specific expertise/experience as and when required.

2.97 Application to EPCG Committee

- (a) Application to the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Committee under Para 2.59 of FTP is to be made online in ANF-2D with the prescribed fee in terms of Appendix-2K with required documents.
- (b) Additional DGFT in-charge of EPCG shall be the Chairman of the EPCG Committee, with Joint DGFT (EPCG) as Member Secretary and official from Department of Revenue as member. Representative(s) from concerned line Ministry / Department may be co-opted as member, as and when required.

Chapter-3**Developing Districts as Export Hubs****3.01 Policy**

Policy for Developing Districts as Export hubs is given in Chapter 3 of FTP.

3.02 Objective of policy

To convert each District of the country into an Export Hub by identifying products with export potential in the District, addressing bottlenecks for exporting these products, supporting local exporters/manufacturers to scale and find potential buyers outside India with the aim of promoting exports, manufacturing and services industry in the District. To enable a conducive foreign trade environment, any policy strategy to boost exports formulated by the Central Government can only be effectively implemented with the collaboration of State Governments and the District Administration. Earlier, export promotion was a subject, primarily dealt by only the Central government, without any active mechanism involving the State or District level stakeholders into the decision making to promote goods and services produced at the grassroots level. The export promotion activity needs to be decentralized, for both formulation and implementation purposes, with an objective to boost local production and make Districts active stakeholders in driving export of local products/services.

3.03 District Export Promotion Committees -Institutional Mechanism at District Level

Each District has a District Export Promotion Committee (DEPC) which is mostly chaired by Collector/DM/DC of the District and co-chaired by designated DGFT Regional Authority with various other stakeholders as its members.

The likely composition of the DEPC is as under:

Serial No.	Official/Department	Role
1	Collector/DM/DC	Chairperson
2	Designated DGFT Regional Authority	Co-Chair
3	GM – District Industries Center (DIC)	Convener
4	Nominated member from the State Government(Commerce& Industries Department)	Member
5	Lead Bank Manager	Member
6	Representative - Department of MSME, Govt. of India	Member
7	Representative – Sector Specific Export promotion Council	Member
8	Representative – Quality & Standards Implementation body	Member
9	Representative from District Trade/Commerce Associations	Member

10	Sector Specific Ministry in Government of India (Agriculture, Fisheries, plantation boards etc.)	Member
11	Sector Specific Ministry of the State Government	Member
12	Sectoral Agencies specific to Product identified in each District (NABARD etc.)	Member
13	Other State Government Representative (As per requirement)	Member

3.04 District Export Promotion Committees –Functions

The primary function of the DEPC will be to prepare and implement District specific Export Action Plans in collaboration with all the relevant stakeholders from the Center, State and the District level.

The preliminary exercise may include an assessment of a district to identify the current export profile, its further potential in the district, quantifiable targets to increase export performance from the District. This involves identifying and promoting products, which are currently being exported from there, and also identifying and promoting new products in the district with untapped export potential. These efforts are to be taken forward through an institutional mechanism to undertake a baseline study across goods and services, to map current export activities and the future potential along with the infrastructure and other constraints and bottlenecks that would need to be addressed to achieve this potential.

The suggestive functions of the District Export Promotion Committee may include:

S.No	Functions
1.	Prepare a time-bound, detailed District Export Action strategy / plan for the district to develop as an export hub.
2.	Benchmarking baseline export performance of the district, including identification of products and services currently exported with export volumes, destinations etc. and additional products/services with good promise of targeting export markets.
3.	Comprehensive analysis of the strength of each district and the gaps in product quality/design, production efficiency/competitiveness, infrastructure, logistics, utilities, enforcement of standards etc. with a view to identifying interventions to enhance export of existing goods and services being exported and achieving the potential available for export of new goods and services.
4.	Goods and services being manufactured/produced in the district, identify the export potential of items available in such districts (including GI products).
5.	Map the existing trade infrastructure available for thrust sector in the districts.
6.	Identify major bottlenecks and challenges hindering export of thrust sector in the districts. Identify thrust Items/GI Products/Agricultural items from export perspective for further in-depth analysis.
7.	Identifying training and development needs of District industries and coordination for training with other departments.
8.	Dissemination of information through trainings, seminars, guest lectures, practical training, and exchange visits with other Districts of excellence.
9.	Act as one point facilitator for export promotion at District level.
10.	Entry of all district level data/ information/progress into the portal being developed by DGFT and through the portal activate a virtual engagement/interaction forum for involving and reaching out to all stakeholders in the district, by enabling/facilitating them to come on board.
11.	Act as a grievance redressal forum for exporters and follow up with the concerned Central and State agency.
12.	Facilitate in organising buyer-seller meets, exhibitions, trade fairs etc. in the District to encourage the industries to showcase their products to the world.
13.	Implementing the District Export Action Plan in a phased manner to ensure the District achieves the targeted export growth.

DGFT Regional Authorities will be engaging with State and Central government agencies to take forward this initiative in each District.

3.05 District Export Action Plans for Each District

The District Export Action Plan may be prepared for each District. It may include the support required by the local industry and trade in boosting their manufacturing activity and exports with impetus on supporting the industry from the production stage to the exporting stage. Informative material on various incentives provided by the Government of India and the respective State Government of exporters may be disseminated to the industry and other potential exporters. The Plan may also include strategy to enhance logistics and infrastructure at the District level and better utilization of the Market Access Initiative (MAI) Scheme of the Department of Commerce for inviting foreign buyers under reverse buyer-seller meets at the District level and suitably gathering District level exports data.

District Export Action Plan may include the following:

S.No.	Indicative Content
1.	District Profile
2.	Industry Profile
3.	Comprehensive analysis of the major products (Goods and Services) with export potential from District.
4.	Identifying the bottlenecks faced by the Industry.
5.	Identifying institutional responsibilities, specifics of policy, regulatory and operational reforms.
6.	Identifying infrastructure/utilities/logistics/Policy interventions required.
7.	Action Plan must identify quantifiable targets with specific timelines for their implementation.
8.	Clear identification of incentives/Support provided by the State and Central Government.
9.	Training and development needs for identified export products/services.
10.	Analysis of the export data of the District and ways and means to effectively capture it.
11.	Mid-term and long-term export strategy/suggestions to promote exports of identified products/services from the district.

3.06 State/UT Export Promotion Committees

To synergise the efforts of the Department of Commerce/DGFT and the State/UT governments in promotion of exports from the State, each State shall constitute a State Export Promotion Committee(SEPC) headed by Chief Secretary of the State. The designated RA of DGFT shall be the co-convenor of the committee.

The primary function of the SEPC may be to prepare/monitor State specific Export Promotion Policy/Strategy, facilitating engagement of exporters with the State government, address all export promotion issues at the State level and monitor the progress of DEPCs in each District of the State. The designated RA of DGFT shall function as a local support to the State government on all matters related to trade and commerce.

3.07 Nodal DGFT Regional Authority

Districts of the States/UTs have been assigned to the Jurisdictional DGFT Regional Authority and the nodal RA shall be responsible for the Districts under their jurisdiction for all activities related to Districts as Export Hubs initiative in those Districts. Appendix 1A has the list of DGFT Regional Authorities with their District and State wise Jurisdiction.

3.08 Online Monitoring of District Export Action Plans

DGFT would develop an online monitoring portal that maybe accessed on the DGFT website to enable the States/ DGFT RAs to upload all information related to the products/services with export potential of every District. The portal mayalso help in monitoring the progress of District Export Action Plan in all the Districts. Each DGFT Jurisdictional RA will be primarily responsible for updating the information/progress made in implementing Export Action Plan for each District under their Jurisdiction. The information will also be available in public domain for the benefit of the trade.

3.09 District Outreach Programs

Each Jurisdictional DGFT RA in collaboration with the State and District administration and concerned agencies/EPCs of Central and State Government shall prepare a calendar of activities in each District to conduct awareness and training programs to promote exports from the District. Wide publicity shall be given to these outreach

events to reach every potential exporter in the District.

Chapter-4

Duty Exemption / Remission Schemes

4.01 Policy

Policy relating to Duty Exemption / Remission Schemes is prescribed in Chapter 4 of Foreign Trade Policy.

4.02 General Provision

- (i) Application for grant of Advance Authorisation / Special Advance Authorisation for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories / Advance Authorisation for Annual Requirement / Duty Free Import Authorisation (DFIA) shall be filed online (digitally signed) by IEC holder to the concerned jurisdictional Regional Authority as per Appendix 1A. Applicant could be either Registered office or Head office or a branch office or a manufacturing unit of the IEC holder.
- (ii) Applicant shall upload documents as prescribed in ANF 4A, if any, at the time of online filing of application. No physical copy of application is required to be submitted to Regional Authority.

4.03 Applicant details

Where applicant is a branch office or a manufacturing unit, name of branch office or manufacturing unit should appear in electronic RCMC and in IEC of the applicant.

4.04 Advance Authorisation

Applicant shall file application online in ANF 4A. Same form is applicable where Standard Input Output Norms (SION) have been notified or on the basis of adhoc norms or on self-declaration basis as per paragraph 4.07 of Hand Book of Procedures.

4.05 Advance Authorisation for items which are otherwise prohibited for export

- (i) Items covered under Chapter 7 and Chapter 15 of ITC (HS) Schedule 2, which are prohibited for export, may be allowed to be exported under the Advance Authorisation scheme, unless specifically disallowed. Export shall be allowed subject to pre-import condition under notified SION/prior fixation of norms by Norms Committee in terms of paragraph 4.06 of Hand Book of Procedures. Import and Export would be permitted only through EDI enabled ports.
- (ii) The Export Obligation Period (EOP) of Advance Authorisations issued for such items shall be 90 days from the date of clearance of import consignment and no extension in EOP shall be allowed. Such import shall be subject to actual user condition and no transfer of imported raw material, for any purpose, including job work, shall be permitted. In case of non-fulfilment of EO/ non-achievement of stipulated value addition, a penalty equal to five times of the CIF value of the imported material, corresponding to the shortfall in EO, shall be imposed in addition to the applicable duty and interest. Provisions of Paragraph 4.49 of Handbook of Procedures shall not be applicable in this case.
- (iii) "Wheat Flour (Atta)" is permitted to be exported under the Advance Authorisation Scheme, subject to pre-import condition of wheat under the notified SION only. No domestic/ indigenous sourcing of wheat is permitted and the invalidation letter/ARO facility is not available. Third party exports are also not allowed in this case. Import and Export would be permitted only through EDI enabled ports. The Export Obligation Period (EOP) of Advance Authorisation for wheat shall be 180 days from the date of clearance of each import consignment and no extension in EOP shall be allowed. Such import shall be subject to actual user condition and no transfer of imported wheat for any purpose, including job work, shall be permitted. In case of non-fulfilment of EO/ non-achievement of stipulated value addition, a penalty equal to five times of the CIF value of the imported material, corresponding to the shortfall in EO, shall be imposed in addition to the payment of applicable duty and interest. Provisions of Paragraph 4.49 of Handbook of Procedures shall not be applicable in this case.

4.06 Fixation of Norms

- (i) In case where norms have not been notified or where applicant wants to get the ad-hoc norms fixed before making an application for Advance Authorisation, application in ANF 4B, along with prescribed documents, shall be uploaded online to concerned Norms Committee (NC) in DGFT headquarters for fixation of SION/Adhoc norm. Details of Norms Committees along with products groups dealt by each Norms Committee and respective email addresses for correspondence relating to norms fixation is as follows:

Norms Committees (NC) in DGFT headquarters	For Fixation / Revision / Amendment of norms of Export Products under following ITC HS Chapters	Email addresses for communication with respective Norms Committee
NC-1	81 to 84, 86 to 93	nc1.dgft@nic.in
NC-2	72 to 76, 78 to 80, 85	nc2.dgft@nic.in
NC-3	29, 30	nc3.dgft@nic.in
NC-4	27, 28, 31 to 38, 44 to 49, 68 to 71	nc4.dgft@nic.in
NC-5	41 to 43, 50 to 67	nc5.dgft@nic.in
NC-6	1 to 26, 94 to 98	nc6.dgft@nic.in
NC-7	39, 40	nc7.dgft@nic.in

(ii) The decisions of Norms Committees shall be available on the website of DGFT (<http://dgft.gov.in>) periodically and the applicants shall update themselves the status of norms fixation in respect of Authorisation obtained by them.

(iii) Exporters / EPC shall provide data to the Norms Committee concerned for the fixation of SION/Adhoc Norms for an export product. Norms Committee shall endeavour to fix SION or adhoc norms on receipt of complete data. Any adhoc norm fixed under this para, on the basis of an application made by an exporter shall be valid for one authorisation for which such application is made and no repeat authorisations shall be issued. However, Norms Committee can specify extended validity period, not more than two years from the date of fixation of such adhoc norms, for grant of further authorisations under such norm.

(iv) Norms Committees shall also function as recommendatory authority for notification of SION and DGFT may notify such norms from time to time.

(v) It is mandatory for industry / manufacturers/ EPCs to provide production and consumption data etc. for the past three years, as may be required by DGFT for fixation of SION. Otherwise, applicants shall not be allowed to take benefit of Advance Authorisation scheme for taking repeat Advance Authorisations on self-declared basis. Norms Committee may also seek data from DoR (CBIC).

(vi) Experts may be invited from Scientific and Technological institutions as members of Norms Committee for fixation of Norms.

4.07 Self-Declared Authorisations where SION does not exist

- (i) Regional Authority may also issue Advance Authorisation where there is no SION/valid Ad hoc Norms for an export product or where SION / Ad hoc norms have been notified / published but exporter intends to use additional inputs in the manufacturing process, based on self-declaration by applicant. Wastage so claimed shall be subject to wastage norms as decided by Norms Committee. The applicant shall submit an undertaking to abide by decision of Norms Committee. The provisions in this regard are given in paragraph 4.03 and 4.11 of FTP.
- (ii) In case of revision / rejection, applicant shall pay duty and interest as notified by DoR within thirty days from the date of hosting of Norms Committee decision on DGFT website.
- (iii) No Authorisation under this paragraph will be issued by Regional Authority for items listed in paragraph 4.11 of FTP.

4.07A Self –Ratification Scheme

- (i) Policy related to Self-Ratification Scheme is provided at Para 4.06 of FTP. Applications shall be filed online along with complete details as per Appendix-4E along with a certificate from Chartered Engineer in Appendix-4K. For issuance of such a certificate, the Chartered Engineer shall act only in the domain of his/ her competence.
- (ii) General Notes given in the book titled Standard Input Output Norms including policy for packing material and fuel shall also be applicable to this scheme in so far as they are not inconsistent with this scheme.
- (iii) The applicant shall apply for inputs with specific descriptions along with 8 digit ITC (HS) Classification. Where ever the export product and/or inputs are given in brand names, the correct

- chemical /technical name shall also be given in the application.
- (iv) RA may issue Advance Authorisation as applied for subject to the conditions specified in FTP and HBP. Input Output Norms as applied and wastage claimed by the applicant shall be treated as final. Ratification of the same by NC is not required.
 - (v) Applicant or his supporting manufacturer/co-licensee shall maintain a proper account of consumption and utilization of duty free imported/ domestically procured inputs against each authorisation, as prescribed in Appendix-4H. Application for EODC shall be submitted in prescribed format along with Appendix-4H to the Regional Authority concerned. Regional Authority shall compare the details of Appendix-4H, with that of the inputs allowed in the Authorisation. Such records shall be preserved by the authorisation holder/manufacturer for a period of three years from the date of Export Obligation Discharge Certificate.
 - (vi) Production and consumption records of the export item under this scheme shall be audited by concerned Norms Committee. Such audit may be conducted within three years from the date of issue of Authorisation based on Risk Based Management System (RBMS). Exporters shall be required to provide necessary facility to verify Books of Accounts or other documents and assistance as may be required for timely completion of the audit. Concerned Norms Committee shall constitute the audit teams and specify the manner of audit from time to time through administrative orders.
 - (vii) Non submission of prescribed documents/information to the Audit team by the applicant shall make him liable for penal action under the provisions of FT(D&R) Act, 1992, as amended and Rules and order made there under. In case items imported/procured duty-free are found to be in excess or not consumed fully, the applicant shall suo moto pay immediately duty with applicable interest to the Customs Authority. However, if Audit team found that duty-free items were imported in excess and not consumed fully in the resultant products and duty and interest have not been paid suo moto, the applicant shall be placed under Denied Entity List (DEL) under Rule 7 of FT(Regulation) Rules, 1993, as amended, in addition to other penal action under FT(DR) Act/Customs Act. The Chartered Engineer shall also be liable for penal action for abetment under the provisions of Section 11(2) of the FT(DR)Act.
 - (viii) All the provisions of Advance Authorisation scheme shall also be applicable to this scheme in so far they are not inconsistent with the specific provisions of this scheme.

4.08 Cases involving Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo- ephedrine as inputs.

- (i) Where Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo- ephedrine is required as an input for import, applications shall be filed with Regional Authority concerned. After filing application online, printed copy of such application shall also be simultaneously endorsed by applicant to (a) Drug Controller of India, Nirman Bhawan, New Delhi, (b) Narcotics Commissioner, Central Bureau of Narcotics, Gwalior (c) respective Zonal Director of Narcotics Control Bureau. The applicant should declare that they would maintain prescribed records / documents and also submit prescribed returns to the relevant authorities, within time as prescribed by law from time to time.
- (ii) Regional Authority shall endorse a copy of such Advance Authorisation to the above three agencies. Regional Authority shall also endorse a condition that before effecting imports, 'No Objection Certificate' shall be obtained from Drug Controller and Narcotics Commissioner of India.

4.09 Cases requiring Sanitary Import Permit.

- (i) Where import of meat and meat products of any kind including fresh, chilled and frozen meat, tissue or organs of poultry, pig, sheep, goat; egg & egg powder; milk & milk products; bovine, ovine and caprine embryos, ova or semen; and pet food products of animal origin has been sought as an input under Advance Authorisation, the Regional Authority, while issuing Advance Authorisation shall endorse a condition that before effecting imports of any of these inputs, Sanitary Import Permit shall be obtained from the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries(DAHDF).
- (ii) Regional Authority shall also endorse a copy of authorisation to DAHDF, Krishi Bhawan, New Delhi.

4.10 Advance Authorisation for applicants with multiple units

- (i) Transfer of any duty free material imported or procured against Advance Authorisation from one unit of a company to another unit for manufacturing purpose shall be done with prior intimation to jurisdictional Customs Authority. Benefit of Input Tax Credit shall not be claimed on such transferred input.
- (ii) Imported duty free inputs can be taken from the port / domestic supplier's premises to the factory or the premises of the authorisation / co-authorisation holder or the factory of the supporting manufacturer (whose name is endorsed in the authorisation or allowed by the Jurisdictional Customs authority). However, such duty free material imported or procured against Advance Authorisation can also be taken

from the port directly to the project site of the project authority, subject to furnishing a bond to the customs authority at the port of import complying with the other provisions as per Department of Revenue guidelines, if any.

4.11 Advance Authorisation for Free of Cost and Paid Material

Authorisations granted in terms of paragraph 4.19 of FTP, a specific endorsement by Regional Authority shall be made in the condition sheet of Advance Authorisation, disallowing remittances for material being supplied free of cost. All imported inputs excluding wastage shall be utilised in manufacturing of export product.

4.12 Entitlement

Maximum CIF value of one or more authorisations to be issued under paragraph 4.07 of Handbook of Procedures shall be as under:

- (i) For Status Holders – up to 300% of FOB and / or FOR value of preceding year's exports and/or supplies.
- (ii) Other than Status Holders – upto 300% of FOB or Rs. 10 crore and / or FOR value of preceding year's exports and/or supplies, whichever is higher.
- (iii) Once adhoc norms are fixed by Norms Committee, value limits mentioned in sub paragraph (i) and (ii) above, would not be applicable to Advance Authorisations issued under paragraph 4.07 of Handbook of Procedures. Value of such authorisations, subsequent to fixation of norms by Norms Committee, may be enhanced, if the Advance Authorisation was issued restricting the CIF value to maximum of value in sub-paragraph (i) & (ii) above.
- (iv) In such cases Authorisations shall be issued by Regional Authority concerned under "Adhoc Norms Fixed" category and application copies need not be forwarded to NC for fixation / ratification of norms. Where the application has already been forwarded before the ratification of Norms, the Regional Authority shall finalise the case as per the norms subsequently ratified by NC in a similar case of the party.
- (v) Authorisation holder in such cases shall be entitled for further authorisation (s) as per norms ratified by Norms Committee without need for subsequent ratification by Norms Committee. In such cases the applicant would file application under "Adhoc Norms Fixed" category to the Regional Authority concerned.
- (vi) Norms ratified by any Norms Committee (NC) in the O/o DGFT on or after 01.04.2023 in respect of any Advance Authorisation obtained under paragraph 4.07 shall be valid for a period of three years from the date of ratification. Since all decisions of the Norms Committees are available in the form of minutes on the DGFT website, all other applicants of Advance Authorisation are also eligible to apply and get their authorisations based on such ratified norms on repeat basis during validity of these norms. This para is not applicable for authorisations applied for items listed under Appendix 4P.
- (vii) Wherever an applicant has applied for components on "net-to-net basis with accountability clause" and such cases fall under paragraph 6 of General Note for all Export Products, the same need not be referred to Norms Committee for fixation of norms. However, exporters shall indicate clearly details of such components imported on "net-to-net basis with accountability clause" in the export/supply documents namely Shipping Bills, Bill of Exports, Tax invoice for export/supplies prescribed under the CGST/SGST/UT GST rules evidencing that these imported inputs have been exported.

4.13 Authorisation in Excess of Entitlement

An applicant shall be entitled for authorisation in excess of entitlement of CIF mentioned in paragraph 4.12 above subject to furnishing of 100% Bank Guarantee to Customs authority to cover exemption from customs duties. Regional Authority shall make a specific endorsement to this effect on authorisation. This provision shall also apply to Status Holders.

4.14 Application and On-line Inter-Ministerial Consultations for fixation of norms/adhoc norms

- (i) Application filed online by the applicant shall be forwarded electronically to the concerned Technical / Administrative Ministry / Department / Scientific and Technological institutions or any other agency by the respective Norms Committee in the DGFT headquarters within three days.
- (ii) The concerned Technical / Administrative Ministry / Department / Scientific and Technological institutions or any other agency as the case may be, may communicate its views / comments / recommendations within 45 days electronically/online. In case no comments are received within 90 days, Norms Committee may take a view based on the facts available on record.

4.15 Undertaking

Applicant shall give an undertaking that he shall abide by norms fixed by Norms Committee and accordingly take following actions without any demur:

- (i) Pay customs duty saved, together with interest as notified by DoR, on excess inputs as per norms fixed by NC. However, in case Norms Committee allows lower norms for one, more, or all inputs, authorisation holder will have option to undertake additional EO in proportion to excess inputs.
- (ii) In case application is rejected by Norms Committee, authorisation holder shall pay duty saved amount along with interest on inputs, as applicable as notified by DoR. In cases of domestically procured inputs, the amount to be paid shall be based on exemptions/refund availed on customs duty/taxes/cess by the domestic supplier.
- (iii) Applicant shall deposit amount as per paragraph 4.49(a)(ii) of HBP in case the inputs were not freely importable. This amount is in addition to the amounts in sub-paragraph (i) above.

4.16 Fixation of norms by Norms Committees

- (i) All Norms Committees would endeavour for earliest fixation of norms.
- (ii) In case application for fixation of adhoc norms / SION is rejected on ground of non-furnishing of required documents/ information to Norms Committee or technical authority represented in Norms Committee, authorisation holder shall be liable to pay customs duty with interest as notified by DoR and amount as per paragraph 4.49(a)(ii) of HBP. In case SION for the said product is notified, SION would be made applicable for deciding wastage norms and Export Obligation.
- (iii) In cases where entitlement of the applicant for grant of Advance Authorisation as per paragraph 4.12 of HBP was lower than the quantity of input applied by the applicant under Advance Authorisation and export obligation is completed while fixation of norms by Norms Committee is pending, entitlement for authorisation as given in paragraph 4.12 of HBP may be re-credited upon production of documentary evidence (copies of Shipping bill / bill of export/ Tax invoice for supply prescribed under CGST/SGST/UT GST rules) showing fulfilment of export obligation in respect of previous authorisations. However, bond waiver / redemption shall not be allowed pending fixation of norms in such cases.

4.17 Time limit for Representation

Applicant may file representation against the decision of the Norms Committee with regard to the fixation of norms within a period of 90 days from the date of uploading of decision on DGFT website. Representation beyond 90 days shall be subject to payment of composition fee of Rs. 5000/-. However, no representation against the decision of Norms Committee after the period of 12 months from the date of uploading of the decision on DGFT website will be entertained.

4.18 Provision for Pharmaceutical Products

Regional Authority may issue Advance Authorisation for pharmaceutical products manufactured through Non-Infringing (NI) process. A manufacturer exporter can avail the benefit of this provision whether the SION or the adhoc norms (under self-declared basis in terms of paragraph 4.07 of the Handbook of Procedures) for the said product is available or not. "Input combination permitted under NI process, as approved by the concerned agency of the regulated markets", shall be exporter-specific and country-specific and shall be available only when the exports are destined for the same country.

4.19 Processing of Application for Pharmaceutical Products.

- (i) An application for grant of an Advance Authorisation under paragraph 4.18 shall be filed online in ANF 4E to concerned Regional Authority along with the documents uploaded therein.
- (ii) Input combination permitted under NI process for manufacturing the product shall be certified by the Chartered Engineer (Chemical) after due verification of the details of each input and its quantity as given in Abbreviated New Drug Application (ANDA) / Drug Master File (DMF) of the applicant. The Chartered Engineer (Chemical) will certify the details as per Appendix 4L prescribed in Hand Book of Procedures. Regional Authority shall cross-verify the requirement of inputs as per the details given in the application along-with Chartered Engineer Certificate accompanying the application and issue the authorisation. Regional Authority shall not forward such application to Norms Committee and the inputs and export product so allowed by Regional Authority shall be treated as input combinations permitted under NI Process.

4.20 Redemption of Authorisation issued under paragraph 4.18 of HBP

Provisions contained in paragraph 4.49 of HBP, except sub-paragraph (f), shall be applicable. Regional Authority shall compare the details of Appendix 4-I, duly verified and certified by the jurisdictional Customs Authority, or by the Chartered Engineer (Chemical) along with cross attestation by the Chartered Accountant who shall both independently verify the inputs consumed in the process, with that of the inputs made/allowed in the authorisation, before allowing redemption or Bond-waiver against individual Advance Authorisation issued for pharmaceutical product(s) manufactured through NI process. As a result of the verification process, in case, it is found that the

authorisation holder has consumed lesser quantity of inputs than imported, authorisation holder shall be liable to pay customs duty on unutilized imported material, along with interest thereon as notified by DoR, or effect additional export within the EO period to account for the export of the material remaining unutilized. However, for the Customs duty component, the authorisation holder has also the option to furnish valid duty credit scrip issued under Chapter 3 of FTP (2015-20).

4.21 Maintenance of Proper Accounts for Authorisations issued under Para 4.18 of HBP

Every Advance Authorisation holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilization of duty free imported / domestically procured inputs against each authorisation as prescribed in Appendix 4-I. This record in Appendix 4-I format, duly verified and certified by the jurisdictional Customs Authority, or by the Chartered Engineer (Chemical) along with cross attestation by the Chartered Accountant who shall both independently verify the inputs consumed in the process, shall be submitted to the concerned Regional Authority at the time of filing application for redemption / bond waiver. Regional Authority shall compare the details of Appendix 4-I, with that of the inputs allowed in the authorisation, before allowing redemption or bond waiver against individual authorisation. Such records shall be preserved for a period of at least three years from the date of Export Obligation Discharge Certificate.

4.22 Standardisation of Adhoc Norms

- (a) For standardization of norms, an application in ANF 4B shall be filed online along with complete data. Such applications shall be made to concerned Norms Committee in DGFT headquarters.
- (b) Import of fuel may also be allowed with actual user condition under SION by Norms Committee subject to following:
 - (i) Facility of import of fuel shall be allowed only to manufacturer having captive powerplant.
 - (ii) In cases where SION specifically allows fuel, same shall be permitted under Advance Authorisation. However, if fuel is not covered specifically under SION, it may be allowed as per general fuel Policy for products covered under SION or under paragraph 4.07 above.
 - (iii) Applications for fixation of fuel entitlement for new sectors and modification of the existing entitlement as per General Note for Fuel in Hand Book of Procedures shall be filed online to the Norms Committee along-with requisite data in ANF 4B.

4.23 Modification of SION

An application for modification of existing SION shall be filed online in ANF 4B to the concerned Norms Committee in DGFT headquarters.

4.24 Amendment of Export item and inputs

- (i) An application for amendment of an export item or input or quantity of input under SION or under ad-hoc Norms shall be filed online in ANF 4B.
- (ii) Applicant would give justification for seeking amendment and Regional Authority would consider it with specific approval of Head of Office. In case of any major change in input or request for more wastage to that allowed under SION or ad-hoc norm, same should be referred to Norms Committee for ratification.

4.25 Revision of SION by NC

Norms Committee may identify SIONs which in its opinion are required to be reviewed. Exporters are required to submit revised data in ANF 4B for such revision. It is mandatory for industry / exporter(s) to provide production and consumption data etc. as may be required by DGFT / EPC for revision of SION. Otherwise, applicant shall not be allowed to take benefit of Advance Authorisation scheme.

4.26 Description of an Advance Authorisation

An Advance Authorisation shall, inter-alia, specify:

- (a) Names and description of items including specifications, where applicable, to be imported and exported/supplied;
- (b) Quantity of each item to be imported or wherever quantity cannot be indicated, value of item shall be indicated. Wherever, quantity and value of individual inputs is a limiting factor in SION, same shall be applicable;
- (c) Aggregate CIF value of imports;
- (d) FOB/FOR value and quantity of exports/supplies; and
- (e) Validity period of import and Export Obligation Period.

4.27 Exports/Deemed Export supplies in anticipation or subsequent to issue of an Authorisation.

- (a) Exports / Deemed Export supplies made from the date of EDI generated file number for an Advance

Authorisation, may be accepted towards discharge of EO. Shipping Bills / Tax Invoices should be endorsed with File Number or Authorisation Number to establish co-relation of exports / Deemed Export supplies with Authorisation issued. Export/Deemed Export supply document(s) should also contain details of exempted materials/inputs consumed and technical characteristics of export and import items, as the case may be.

- (b) If application is approved, authorisation shall be issued based on input/ output norms in force on the date of receipt of application by Regional Authority. If in the intervening period (i.e. from date of filing of application and date of issue of authorisation) the norms get changed, the authorisation will be issued in proportion to provisional exports / Deemed Export supplies already made till any amendment in norms is notified. For remaining exports, Policy / Procedures in force on date of issue of authorisation shall be applicable.
- (c) The export of SCOMET items shall not be permitted against an Authorisation until and unless the requisite SCOMET Authorisation is obtained by the applicant.
- (d) Inputs with pre-import condition shall not be considered for replenishment against Exports/Deemed Export supplies made before import of such inputs.

4.28 Exporters Risk

Exports / supplies made in anticipation of grant of an Advance Authorisation shall be entirely on risk and responsibility of exporter.

4.29 Admissibility of drawback in case of rejection of application

Customs authorities in terms of DoR rules against shipping bills filed and processed under an Advance Authorisation, in case application for an Advance Authorisation is rejected or modified by Regional Authority, may permit drawback.

4.30 Advance Authorisation or DFIA for Intermediate Supplies

- (a) Application for grant of Advance Authorisation or DFIA for Intermediate supply may be made on the basis of a tie-up arrangement with an ultimate exporter (physical/deemed) holding an Advance Authorisation or DFIA. Regional Authority concerned shall consider such requests.
- (b) Advance Authorisation or DFIA for Intermediate supply shall be issued after making Authorisation of ultimate exporter invalid for direct import of item, to be supplied by intermediate manufacturer. In such case, a copy of the invalidation letter will be given to ultimate exporter holding Authorisation and copy thereof will be sent to intermediate supplier as well as Regional Authority of intermediate supplier. Intermediate Authorisation holder in such case has an option either to supply intermediate product to the holder of Advance Authorisation (i.e ultimate exporter) or DFIA or to export (physical / deemed) directly. Intermediate supplier can also supply the product(s) directly to the port for export by the ultimate exporter (holder of Advance Authorisation or DFIA). In such cases, shipping bill shall be in the name of the ultimate exporter with the name of intermediate supplier endorsed on it.
- (c) A suitable documentary evidence indicating the available quantity under Advance Authorisation shall be submitted along-with the application for invalidation. The above stated evidence is not required if invalidation is applied along with the application of Advance Authorisation.
- (d) Facility of Advance Authorisation shall be available even in cases where intermediate supplier has supplied or intend to supply material subsequent to fulfilment of EO by exporter holding Advance Authorisation / DFIA from where invalidation letter was issued.
- (e) The invalidation letter shall specify the following:
 - (i) Name, Address and GSTIN of supplier;
 - (ii) GSTIN & Address of recipient unit of Advance Authorisation/DFIA holder where inputs would be processed;
 - (iii) Name, description including specifications, where applicable, and quantity of items; and
 - (iv) Individual value of items to be procured.

4.31 Advance Release Order (ARO)

Application shall be filed online in ANF 4A to Regional Authority concerned for grant of ARO to procure inputs from indigenous sources / STEs. A suitable documentary evidence as outlined in Para 4.30 (c) of HBP shall be submitted, if applicable.

4.32 Application of ARO

- (a) Application for ARO and ARO shall specify:
 - (i) Name, Address and GSTIN of supplier;
 - (ii) GSTIN & Address of recipient unit of Advance Authorisation/DFIA holder where inputs would be processed;

- (iii) Name, description including specifications, where applicable, and quantity of items and
- (iv) Individual value of items to be procured.
- (v) For domestic procurement of steel at export parity price by MSME exporters of EEPC, (as per Ministry of Steel O.M. No. S- 21016/3/2020-TRADE-TAX-Part (1) dated 27.05.2020 read with OM dated 24.06.2020 as amended from time to time), the details of Service Centre/Distributor/Dealer/Stockyard of the domestic steel producer from where the steel is being procured, duly countersigned by EEPC, shall also be provided and the same shall be endorsed on the ARO by the Regional Authority at the time of issue.
- (b) An ARO may be issued along with Advance Authorisation / DFIA or subsequently, and its validity shall be co-terminus with validity of Advance Authorisation /DFIA.

4.33 Facility of Supporting Manufacturer/Jobber/co-licensee

- (a) Imported material may be used in any unit of holder of Advance Authorisation subject to condition of paragraph 4.10 of this Handbook or jobber / supporting manufacturer, provided same is endorsed on authorisation by Regional Authority. If applicant desires to have name of any manufacturer or jobber added to authorisation, he may apply. Such endorsement shall be mandatory where prior import before export is a condition for availing Advance Authorisation scheme and authorisation holder desires to have material processed through any other manufacturer or jobber.
- (b) Upon such endorsement made by Regional Authority, authorisation holder and co-authorisation holder shall jointly and severally be liable for completion of EO. Any one of co-authorisation holders may import goods in his name or in joint names. BG/LUT shall also be furnished in their joint names.
- (c) If authorisation holder is registered under GST Act, he has an option of getting names of jobber endorsed by jurisdictional Customs authority as per CGST/SGST/UT GST Rules in lieu of Regional Authority's endorsement. In case manufacturer exporter holding authorisation is not registered / not required to be registered under GST Act, job work may be allowed after endorsement of supporting manufacturer's name in the authorisation from Regional Authority concerned. However, authorisation holder shall be solely responsible for imported items and fulfilment of Export Obligation.

4.34 Execution of BG/LUT

- (a) Authorisation holder shall execute Bank Guarantee / Legal Undertaking, as the case maybe, in terms of paragraph 2.29 of Handbook of Procedures.
- (b) In case BG / LUT has been redeemed, Advance Authorisation holder can get duty free inputs processed from any manufacturer under Actual User condition as per job work regulations prescribed in terms of provisions of GST Acts under intimation to the Customs authority. However, such restriction shall not be applicable in case of transferable DFIA holder.

4.35 Port of Registration

- (a) Advance Authorisation shall be issued for purpose of import and export through one of sea ports or airports or ICDs or LCS specified below. Authorisation holder shall register authorisation at the port specified in authorisation and thereafter all imports against said authorisation shall be made only through that port, unless the authorisation holder obtains permission from customs authority concerned to import through any other specified port. However, exports may be made through any of the specified ports.

SEA PORTS:

Bedi (including Rozi-Jamnagar), Chennai, Dahej, Dharamtar, Dhamra, Digchi, Ennore (Tamil Nadu), Gopalpur, Haldia, Hazira (Surat), Jamnagar, Kakinada, Kandla, Kattupalli Sea Port (Tamil Nadu), Kochi, Kolkata, Krishnapatnam, Mangalore, Marmagao, Muldwarka, Mumbai, Mundhra, Nagapattinam, NhavaSheva, Okha, Paradeep, Pipavav, Porbander, Sikka, Surat (Magdalla), Tuticorin, Vadinar, Vishakhapatnam.

AIR-PORTS:

Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneshwar, Calicut Airport (Kerala), Chennai, Coimbatore Air Cargo Complex, Dabolim (Goa), Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kochi, Kolkata, Lucknow (Amausi), Mumbai, Nagpur, Rajasansi (Amritsar), Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Vishakhapatnam.

ICDS:

Agra, Ahmedabad, Anaparthi, Arakkonam (Tamil Nadu), Bangalore, Babarpur, Bhadohi, Bhatinda, Bhilwara, Bhiwadi, Bhusawal, Chettipalayam (Tamil Nadu), Chheharata (Amritsar), Coimbatore, Dadri, Delhi, Digchi (Pune), Dappar, Dera Bassi, Dhannad Rau (District Indore), Daulatabad, (Wanjarwadi and Maliwada), Durgapur (Export Promotion Industrial Park), Faridabad, Garhi Harsaru, Guntur, Guwahati

(Amingaon), Hyderabad, Irugur Village (Tamil Nadu), Jaipur, Jalandhar, Jamshedpur, Jodhpur, Kalinganagar and Tumb Village (Taluka Umbergaon, District Valsad) Kanpur, Karur, Kheda (Pithampur, District Dhar), Kota, Kundli, Loni (District Ghaziabad), Ludhiana, Madurai, Mallanpur, Mandideep (District Raisen), Merripalem, Guntur District (AP), Miraj, Moradabad, Nagpur, Nasik, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Patli (Gurgaon), Pondicherry, Raipur, Rewari, Rudrapur (Nainital), Salem, Singanalur, Surajpur, Surat, Talegoan (District Pune), Thudiyalur (Tamil Nadu), Tirupur, Todiarpur (TNPM), Tuticorin, Udaipur, Vadodara, Varanasi, Veerapandi (Tamil Nadu), Waluj (Aurangabad), Hosur (Tamil Nadu) and Nattakkam (Kottayam Taluk and District)

LCS:

Agartala, Amritsar Rail Cargo, Atari, Chengrabanda, Dawki, Ghogadanga, Hilly, Jogbani, Mahadipur, Nautanva (Sonauli), Nepalganj Road, Petrapole, Ranaghat, Raxaul, Singhabad, Sutarkhandi.

SEZ:

As notified by Central Government any SEZ can be a specified port for import and export.

- (b) Commissioner of Customs may permit imports and exports from any other seaport/airport/ICD or LCS.
- (c) For imports from Airport / Seaport / ICD / LCS other than port of registration, a TRA shall be issued by the customs authority at the port of registration to customs authority at port of import. However, this requirement of TRA shall not be required if the port of registration and port(s) of imports are EDI enabled and the authorisation holder has registered its authorisation.
- (d) For procurement from SEZs, where no TRA is issued by customs, RA may issue a "Certificate of supplies from SEZ", containing details as given in Para 4.30 (e) for the requested item, after making the import item "Invalid for direct imports". The "Certificate of supplies from SEZ" shall be marked in quadruplicate with a copy each to the authorisation holder, SEZ supplier unit, designated officer at SEZ, and the relevant port customs authorities. The above certificate shall be issued as an online amendment to the authorisation and has to be transmitted after verifying usage of issued authorisation in case it is already registered with customs at the time of application for the certificate. The application is to be made to the concerned RA from where authorisation is issued in the manner as prescribed under Para 4.30(c) and Para 4.34 of this Handbook.

4.36 Facility of Clubbing of Authorisations

- (i) No clubbing of Authorisations issued on or before 31st March, 2009 shall be allowed.
- (ii) Request for clubbing shall be made in ANF-4C to the concerned RA who has issued the Authorisations.
- (iii) Facility of clubbing of Advance Authorisations shall be available only for redemption / regularisation of such Authorisations and no further import or export shall be allowed.
- (iv) Facility of clubbing shall also be available for Advance Authorisations for Annual Requirement issued during Foreign Trade Policy period 2009-14, 2015-20, and 2023 wherever exports and imports have taken place as per Standard Input Output Norms (SION) notified.
- (v) Authorisations under which similar duty exemption has been availed shall only be allowed to be clubbed. Such Authorisations may pertain to different financial years.
- (vi) Only such authorisations shall be clubbed which have been issued within 18 months from the date of issue of earliest authorisation that is sought to be clubbed, whether such authorisations are valid or not. This is further subject to condition that upon clubbing only imports made within 30 months from the date of issue of earliest authorisation shall be considered. Any imports made beyond 30 months of earliest authorisation shall be regularized under Para 4.49 of the HBP.
- (vii) Exports made during initial or extended EO period of individual authorisations (after payment of composition fee as per provisions of Para 4.40 of HBP) shall be clubbed.
- (viii) Upon clubbing, if shortfall in value or quantity is noticed, the same shall be regularized under the provisions of Para 4.49 of HBP.
- (ix) Clubbing of Authorisations issued with different EO periods shall also be allowed.
- (x) Inputs which are common in all Authorisations shall be clubbed and duty free inputs shall be accounted for as per SION/Ad-Hoc Norms fixed by NC. In other words all inputs covered in all Authorisations need not be same.
- (xi) Minimum value addition as prescribed in FTP and Procedures for the export product will be required to be maintained on clubbing.
- (xii) After clubbing, Authorisations shall for all purposes, be deemed to be one Authorisation. The value addition would be calculated on the basis of total CIF and total FOB arrived at after clubbing the Authorisations.
- (xiii) All cases clubbed, as per earlier provisions would not be reopened.

- (xiv) No clubbing shall be permitted in respect of Authorisations where misrepresentation / fraud have come to the notice of RA. Further, no clubbing of Authorisations, where EODC/redemption letter has already been issued or adjudication orders have already been passed by RA/Customs Authority, shall be permitted.
- (xv) Additional provisions for clubbing of Authorisations covered under Appendix-30A (issued under FTP 2009-14) / Appendix-4J (issued under FTP 2015-20 and FTP 2023) and Authorisations issued with Export Obligation Period less than 18 months:
 - (a) Export obligation period of clubbed Authorisations shall be reckoned from the date of earliest import in any of the Authorisations proposed to be clubbed.
 - (b) Clubbing of such Authorisations shall be allowed provided all exports are completed within initial/extended Export Obligation period reckoned from date of earliest import in any of the Authorisations proposed to be clubbed.

4.37 Enhancement/Reduction in the value of Advance Authorisation

- (a) In respect of an Advance Authorisation, Regional Authority concerned(as per their financial powers) may consider a request:
 - (i) for enhancement / reduction in CIF value of Advance Authorisation;
 - (ii) Enhancement/ reduction in CIF value, quantity of inputs, FOB value and quantity of exports of an Advance Authorisation. However, Value Addition after such enhancement does not fall below minimum Value Addition stipulated (for the export product) in FTP and HandBook of Procedures laid there under and there is no change in input-output norms and FTP under which Advance Authorisation was issued.
- (b) Request for pro-rata enhancement in value and quantity may be made either before or after exports. In such cases where there is a change in SION prior to export of said product, pro-rata enhancement shall be given after calculating entitlement on revised SION.
- (c) Application for the enhancement in CIF or FOB value of Authorisation /reduction in the value of Authorisation / EOP Extension / Revalidation of Authorisation shall be filed online in ANF 4D to concerned Regional Authority.

4.38 Application fee for enhancement

Application fee payable for enhancement would be on the difference in CIF values of original and final Authorisation. However, no application fee would be charged if value of Authorisation is being reduced or applicant has already paid maximum fee of Rs 1,00,000 for Advance Authorisation / DFIA.

4.39 Validity period for import and Revalidation of Authorisation

- (a) Validity period for import of Advance Authorisation shall be 12 months from the date of issue of Authorisation.
- (b) Validity of Advance Authorisation for supplies under Chapter-7 of FTP shall be co-terminus with contracted duration of project execution or 12months from the date of issue of Authorisation, whichever is later.
- (c) For Advance Authorisations not covered under Para 4.39(b) above, only one revalidation for twelve months from expiry date shall be allowed. No further revalidation would be allowed for such authorisations. Applications for any such revalidation may be submitted online to the concerned Regional Authority.

4.40 Export Obligation (EO) Period and its Extension

- (a) Period for fulfilment of export obligation under Advance Authorisation shall be 18 months from the date of issue of Authorisation. Period of EO fulfilment under an Advance Authorisation shall commence from date of issue of Authorisation, unless otherwise specified.
- (b) In cases of supplies to projects in India under Chapter-7 of FTP or projects abroad, the Export Obligation period shall be co- terminus with contracted duration of the project execution or 18 months whichever is more.
- (c) Export Obligation for items falling in categories of defence, military store, aerospace and nuclear energy shall be 24 months from the date of issue of authorisation or co-terminus with contracted duration of the export order whichever is more.
- (d) Extension in export obligation period for Authorisations issued under Appendix-4J shall be allowed for a period not more than the half of the stipulated export obligation period. In such cases, composition fee shall be levied in such a manner as prescribed hereunder:

CIF VALUE OF ADVANCE AUTHORISATION (AA) LICENSES ISSUED	COMPOSITION FEE TO BE LEVIED (In Rupees)
Up to ₹2Crores	5,000
More than ₹2 Crores to 10 Crores	10,000
Above ₹10Crores	15,000

- (e) Regional Authority may consider a request of Advance Authorisation holder for one extension of EO period upto six months from the date of expiry of EO period subject to the payment of composition fee as prescribed hereunder:

CIF VALUE OF ADVANCE AUTHORISATION	COMPOSITION FEE TO BE LEVIED (In Rupees)
Up to ₹2Crores	5,000
More than ₹2 Crores to 10 Crores	10,000
Above ₹10Crores	15,000

- Authorisation holder will have to submit a self - declaration to RA stating that unutilised imported/domestically procured inputs are available with the applicant.
- (f) Request for further extension of six months after first extension as in (e) above can be considered by Regional Authority, subject to the payment of composition fee as prescribed hereunder:

CIF VALUE OF ADVANCE AUTHORISATION	COMPOSITION FEE TO BE LEVIED (In Rupees)
Up to ₹2Crores	10,000
More than ₹2 Crores to 10 Crores	20,000
Above ₹10Crores	30,000

- No further extension shall be allowed by Regional Authority. However, only two extensions of six months each as mentioned above can be allowed subject to payment of composition fee and under no circumstance Regional Authority shall allow any extension beyond 12 months from date of expiry of EO period. At the time of filing application for second EO extension, the Authorisation holder will have to submit a self - declaration to RA stating that unutilised imported/domestically procured inputs are available with the applicant.
- (g) Whenever a ban / restriction is imposed on export of any product, export obligation period in respect of Advance Authorisation already issued prior to imposition of ban, would stand automatically extended for a period equivalent to the duration of ban, without any composition fee.
- (h) The revised composition fee for EOP extension under para 4.40 of HBP (2023) will only be applicable for the requests made on or after 01.01.2023. However, existing/pending applications shall be governed by the earlier provision of HBP (2015-20).
- (i) For all Advance Authorisations where the Export Obligation Period is expiring between 01.02.2020 and 31.07.2020, the Export Obligation Period stands automatically extended by six months from the date of expiry. No separate application with composition fee, amendment/endorsement is required for this purpose. The option to avail further validity extensions under this para beyond this period would remain available for these authorisations as per eligibility.
- (j) (a) For Advance Authorisations, where original or extended Export Obligation (EO) period is expiring during the period between 01.08.2020 and 31.07.2021, the Export Obligation period would be extended till 31.12.2021 without any composition fees. However this extension is subject to 5% additional export obligation in value terms (in free Foreign Exchange) on the balance Export Obligation on the date of expiry of the original/extended export obligation period.
 (b) The option to avail EO extensions with payment of composition fees under this para (4.40(d), (e) (f)) would remain available for these authorisations as per eligibility.
 (c) In cases where Advance Authorisation Holder has already obtained EO extension upon the payment of composition fee, the refund of the composition fee will not be permitted.
- (k) For implementation of all PRC decisions involving levy of Composition Fee while allowing extension in EOP and/or regularisation of exports already made, the applicable Composition Fee shall be as prescribed hereunder:

CIF VALUE OF ADVANCE AUTHORISATION	COMPOSITION FEE TO BE LEVIED (IN ₹)
---	--

Up to ₹2Crores	25,000
More than ₹2 Crores to 10 Crores	50,000
Above ₹10Crores	100,000

No refund of earlier paid Composition Fee shall be admissible.

4.41 Provisional clearance of export consignment

Customs may allow provisional clearance of export consignment as and when Authorisation holder produces documentary evidence of having applied for Export Obligation extension to concerned Regional Authority.

4.42 Re-export of goods imported under Advance Authorisation Scheme

Goods imported against Advance Authorisation Scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per Department of Revenue guidelines. The authorisation holder has to inform the Regional Authority who has issued the authorisation before re-export of such defective goods.

4.43 Monitoring of Export Obligation

- (a) Regional Authority, with whom undertaking is executed by Advance Authorisation holder, shall maintain a proper record in a master register indicating starting and closing dates of obligation period and other particulars to monitor EO. In addition, this information may be generated from Computer System and maintained in a book form.
- (b) Within six months from the date of expiry of Export Obligation period, Authorisation holder shall file application online by linking details of shipping bills against the authorisation, failing which Regional Authority may initiate action as per FT (DR) Act by way of issuing Show-Cause Notice.
- (c) In case of online filing of EODC application, Exporters shall link all exports online on DGFT system by linking file number / authorisation number with the relevant shipping bill numbers / bill of exports / invoices in case of deemed exports/Tax invoices for supplies prescribed under CGST/SGST/UT GST rules.
- (d) In case of non EDI shipping bills and supplies under Chapter-7 of FTP, exporter shall file relevant details manually on the website of the DGFT within two months from the date of expiry of Export Obligation period. Copies of shipping bills shall be submitted to Regional Authority concerned for verification within two months from date of expiry of export obligation period. In case an applicant is not able to upload any prescribed document then such documents may be submitted in physical form to the concerned authority.
- (e) e-BRC/ export realisations from RBI's EDPMS wherever available in DGFT IT system shall be linked with these shipping bills within six months from the date of expiry of export obligation/realisation or as per the time period prescribed for realization of foreign exchange by RBI. Regional Authority shall not take action for non linking/ submission of e-BRC/ export realisations from RBI's EDPMS wherever available in DGFT IT system before expiry of said period, provided other documents substantiating fulfilment of Export Obligation have been furnished by the exporter.
- (f) In case Authorisation holder fails to complete Export Obligation or fails to submit relevant information / documents, Regional Authority shall enforce condition of Authorisation and Undertaking and also initiate penal action as per law including refusal of further authorisation to the defaulting exporter.

4.44 Advance Authorisation for Annual Requirement

- (a) Exporters eligible for such Authorisations shall file online application in ANF 4A to Regional Authority concerned. All provisions applicable to Advance Authorisation given above would apply except the following:
 - (i) Authorisation holder shall have flexibility to export any product falling under export product group using duty exempted material.
 - (ii) Within eligible entitlement, an exporter may apply for one or more than one authorisation in a licensing year, subject to the condition that against one Port of registration, not more than five authorisations can be issued for same product group. One time enhancement / reduction of the authorisation shall be available.
 - (iii) On completion of Export Obligation against one or more authorisations, all issued in same licensing year, entitlement of an exporter for that licensing year shall be deemed to be revived by an amount equivalent to Export Obligation completed against authorisation(s).
 - (iv) Authorisation for Annual Requirement shall be issued only where SIONs or valid Adhoc norms exists on the date of issue of Authorisation. However, no Authorisation for Annual Requirement shall be issued where input is listed in Appendix-4J.
- (b) At the time of clearance of the import consignment against the authorisation, exporter shall mention

technical characteristics, quality and specifications which shall be endorsed in the Bill of Entry / invoice, duly attested by the Customs authority, in respect of following inputs:

“Alloy steel including stainless steel, copper alloy, synthetic rubber, bearings, solvents, perfumes/ essential oils/aromatic chemicals, surfactants, relevant fabrics and marble.”

4.45 Special Advance Authorisation for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories covered under Chapter 61 and 62 of ITC(HS) Classification of Export and Import.

- (i) Policy relating to Special Advance Authorisation for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories covered under Chapter 61 and 62 of ITC(HS) Classification of Export and Import is prescribed in Para 4.04A of Foreign Trade Policy.
- (ii) Provisions of Para 4.05, 4.06, 4.07, 4.10, 4.11, 4.12(v)&(vi), 4.21, 4.24, 4.25, 4.26, 4.29, 4.33, 4.34, 4.35, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.46, 4.47(b), 4.49, 4.50, 4.51 of Handbook of Procedures shall be applicable to this scheme in so far as they are not inconsistent with this scheme.

4.46 Fulfilment of Export Obligation

Authorisation holder shall file online application in ANF 4F to Regional Authority concerned and upload prescribed documents in support of fulfilment of Export Obligation.

4.47 Redemption/No Bond Certificate

(a) Bond Waiver:

In case Authorisation holder exports first (before effecting imports) by using imported inputs/indigenously procured inputs, in that case the Authorisation holder can seek waiver of Bond condition by submitting evidence of export made and payment realised to that extent. If exports made are less than the export obligation stipulated in the Authorisation, request for waiver of bond condition, on pro-rata basis, can also be considered.

- (i) For such a request, an applicant has to file online application attaching Shipping Bills and e-BRC/ export realisations from RBI's EDPMS wherever available in DGFT IT system. Scanned copy of other documents as prescribed in the ANF 4F shall also be uploaded. In case of deemed exports or export from non-EDI ports, the documents evidencing proof of export/supply shall be submitted at the counter of Regional Authority concerned giving reference of online application in physical form except e- BRC/ export realisations from RBI's EDPMS wherever available in DGFT IT system.
- (ii) In case Export Obligation has been fulfilled, Regional Authority shall issue Bond Waiver Certificate (BWC) and forward a copy to the Customs authority at the port of registration of Authorisation enclosing details of shipping bill number(s), date(s), FOB value in Indian Rupees as per shipping bill(s) and description of export products in respect of shipment taken into account for allowing waiver of Bond condition. Such bond waiver shall not preclude the Customs Authority from taking bond in terms of the Customs notification.
- (iii) While allowing waiver of Bond for such exports, Regional Authority may revalidate the Authorisation in continuation for further six months for replenishment of inputs consumed in the production of exported product, from the date of endorsement provided applicant has made a specific request in ANF 4D and paid requisite fee for revalidation. It will be further subject to condition that the applicant had not obtained revalidation earlier in terms of Para 4.39 (c) of HBP. Maximum period of validity of the Authorisation including revalidation allowed under this para shall not exceed 24 months from the date of issue of Authorisation.
- (iv) Copy of the Bond Waiver Certificate will also be endorsed by the Regional Authority to the Customs at the Port of Registration eventually through EDI mode.

EXPORT OBLIGATION DISCHARGE CERTIFICATE (EODC):

- (v) On completion of exports and imports, the Authorisation holder shall submit online application in ANF-4F as in (a) (i) above. In such cases, if Export Obligation has been fulfilled, the Regional Authority may issue EODC / Redemption Certificate to Authorisation holder and forward a copy to the Customs authority at the port of registration of Authorisation indicating the same details of proof of fulfilment of Export Obligation as stated in paragraph(a) above evidencing fulfilment of Export Obligation.
 - (vi) Copy of EODC will also be endorsed by Regional Authority to Customs at the Port of Registration eventually through EDI mode thereby obviating the need for further calling of documents and its examination by concerned Customs Authority.
- (b) Ordinarily, redemption of BG / LUT shall not preclude customs authority from conducting random checks and from taking action against Authorisation holder for any misrepresentation, mis- declaration

and default detected subsequently as per the Customs Act.

- (c) Regional Authority shall take action against Authorisation holder in case of non-submission of Appendix 4H & 4-I duly filled in, as stipulated in paragraph 4.51 below or for any misrepresentation, mis-declaration and default detected subsequently in details declared and furnished in Appendix 4H & 4-I. An endorsement to this effect shall be made by Regional Authority in the redemption certificate.

4.48 Transitional Arrangement for Authorisations issued upto 31.03.2023

- (a) Advance Licences including Advance Licence for Annual Requirement issued up to 31.03.2023 shall be governed by respective provisions contained in Chapter-7 of HBP v1(RE-2001), Chapter 4 of HBP v1 (2002-2007) as Notified on 31.03.2002, Chapter 4 of HBP v1 (2004-2009) as notified on 31.08.2004, Chapter 4 of HBP v1 (2009-14) as notified on 27.08.2009 and Chapter 4 of HBP (2015-20) as notified on 01.04.2015 as amended from time to time, excepting provisions relating to clubbing and extension in Export Obligation period which shall be governed by provisions of paragraphs 4.36 and 4.40 respectively and any other provision, as notified by DGFT.
- (b) Wherever Customs duty is to be paid on unutilised material, same shall be paid along with interest there on as notified by DoR.

4.49 Regularisation of Bonafide Default

Cases of bonafide default in fulfilment of Export Obligation may be regularised by Regional Authority as under:

- (a) If Export Obligation is fulfilled in terms of value, but there is a shortfall in terms of quantity, the Authorisation holder shall, for regularisation, pay:
- To customs authorities, customs duty on unutilized value of imported / indigenously procured material along with interest as notified by DoR. Exporter shall pay Customs Duty along-with applicable interest online through ICEGATE Payment Gateway.
 - An amount equivalent to 10% of the CIF value of unutilised imported material, if the item of import is restricted, into "Head Account: 1453, Foreign Trade and Export Promotion and Minor Head 102". Provisions of this sub paragraph will not be applicable if unutilized material was freely importable on date of import/domestic procurement.
- (b) If the Export Obligation is fulfilled in quantity but there is shortfall in value, no penalty shall be imposed if Authorisation holder has achieved minimum Value Addition prescribed. However, if Value Addition falls below the minimum Value Addition prescribed, Authorisation holder shall be required to deposit an amount equal to 3% of shortfall in FOB value in Indian Rupee, online through DGFT website.
- (c) Value wise shortfall shall be calculated with reference to actual quantity of exports and FOB value of realisation with reference to pro-rata quantity of imports and CIF value. For example, if export performance is only 50% quantity wise but import has been for complete CIF value permitted, then Value Addition would be calculated on a pro- rata basis, i.e. with reference to 50% of CIF value of imports. This would, accordingly, imply that where Authorisation holder is unable to export, no penalty on value wise shortfall shall be imposed.
- (d) If Export Obligation is not fulfilled both in terms of quantity and value, the Authorisation holder shall, for the regularisation, pay as per a), b) and c) above.
- (e) In case an exporter is unable to complete Export Obligation undertaken in full and he has not made any import under Authorisation, Authorisation holder will also have an option to get the Authorisation cancelled and apply for drawback after obtaining permission from Customs authorities for conversion of shipping bills to Drawback Shipping Bills.
- (f) Regional Authority shall compare relevant portion of Appendix 4H duly verified and certified by Chartered Accountant / Cost Accountants with that of norms allowed in Authorisation(s) and actual quantity imported against Authorisation(s) in the beginning of licensing year for all such Authorisations redeemed in preceding licensing year. In this verification process, in case it is found that Authorisation holder has consumed lesser quantity of inputs than imported, Authorisation holder shall be liable to pay customs duty on unutilized value of imported material, along with interest thereon as notified, or affect additional export within the Export Obligation period.
- (g) Regularization of Bona fide default in the cases where Authorisation was issued for import of drugs from unregistered sources with pre import condition.

Import of drugs from unregistered sources issued with pre import condition shall be regularised in the following manner:

- (i) The Authorisation holder shall submit documents showing consumption of full imported quantity as per norms. In case, there is shortfall in fulfilment of Export Obligation and unutilised imported quantity remains with the authorisation holder, the Authorisation holder shall submit a self declaration along with Chartered Accountant's certificate regarding destruction of the

unutilised duty free imported material accompanied by an affidavit-cum-indemnity bond indemnifying the Government for any harm or loss occurring due to diversion of such imported material from unregistered sources into domestic market that may be detected in future by any authority, or proof of re-export of the same to the same supplier in-terms of para 4.42 of HBP.

- (ii) Exports made under free shipping bills/under same authorisation after expiry of Export Obligation period using unutilised quantity of drugs shall also be accepted in-lieu of submission of destruction certificate as stated in para(i) above, provided the exact description and technical characteristics of the drug exported matches with that of export item described in the Advance Authorisation. However, the Authorisation holder shall pay customs duty with applicable interest to the Customs Authority on unutilized quantity imported under Advance Authorisation. The exports made outside Export Obligation period shall only be considered for waiver of destruction certificate and not for waiver of liability of applicable duties and interest.

4.50 Payment of Customs Duty and Interest in case of bonafide default in Export Obligation

- (a) Customs duty with interest as notified by DoR to be recovered from Authorisation holder on account of regularisation or enforcement of BG/LUT, shall be deposited by Authorisation holder in relevant Head of Account of Customs Revenue i.e., "Major Head 0037 - Customs and minor head 001-Import Duties" Online through ICEGATE Payment Gateway within 30 days of demand raised by Regional / Customs Authority and documentary evidence shall be produced to this effect to Regional Authority / Customs Authority immediately. Exporter can also make suo motu payment of customs duty and interest based on self/own calculation as per procedure laid down by DoR, which would be adjusted at the time of closure of the case.
- (b) Mode of payment: Online through ICEGATE Payment Gateway
- (c) Exporter shall produce documentary evidence of online payment to Regional Authority along-with duty calculation sheet at the time of regularization of their case.
- (d) Regional Authority shall verify the quantity of excess import before redeeming the case. Regional Authority may direct license holders to pay balance amount of customs duty after informing the reasons of the difference in the liability worked out by Authorisation holder and the calculations by Regional Authority. In such case, the balance amount of duty and interest, if any shall be paid by Authorisation holder within 30 days, for regularization of the matter.
- (e) The interest shall be paid Online through ICEGATE Payment Gateway at the rate applicable on the date of payment of delayed duty amount to the Customs Authority.
- (f) On receipt of said documentary evidence from Authorisation holder, Regional Authority shall redeem the case, and endorse details of duty paid on the EODC/Redemption Letter and inform details of recovery/ deposits made to the Customs Authority at the port of registration or the Commissioner of Customs having jurisdiction over the factory of the Authorisation holder, as the case may be.
- (g) Payment of duty, interest and any dues for regularisation shall, however, be without prejudice to any other action that may be taken by Customs Authorities at any stage under Customs Act, 1962.

4.51 Maintenance of Proper Accounts

Every Advance Authorisation holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of duty free imported / domestically procured goods against each authorisation as prescribed in Appendix 4H or 4I, as applicable. These records are required to be filed online at the beginning of each licensing year for all those authorisations, which have been redeemed in previous licensing year. The same may be submitted on the DGFT Website under Dashboard----- Repository-----CA/CE Repository.

DUTY FREE IMPORT AUTHORISATION SCHEME (DFIA)

4.52 Policy

Policy relating to the Duty Free Import Authorisation (DFIA) Scheme is prescribed in Chapter 4 of FTP.

4.53 Application

- (a) Application in ANF 4G along with documents therein, shall be filed online to concerned Regional Authority.
- (b) Provisions of paragraphs 4.26, 4.27, 4.28 & 4.49 (f) of this Handbook of Procedures shall also be applicable for DFIA Scheme.
- (c) After completion of exports and realization of proceeds, request for issuance of transferable Duty Free Import Authorisation may be made to concerned Regional Authority within a period of twelve months from the date of export or six months (or additional time allowed by RBI for realization) from the date of

- realization of export proceeds, whichever is later.
- (d) Late cut provisions given in para 11.02 of Handbook of Procedures are also applicable for DFIA.

4.54 Facility for Split DFIA

Split Authorisations of DFIA subject to a minimum of CIF value of Rs. 10 lakh each and multiples thereof may also be issued, on request at the time of seeking transferability. Split-up DFIA's shall be permitted with the same port of registration as appearing on the original DFIA.

4.55 Re-export of goods imported under DFIA Scheme

- (i) Goods imported against transferable DFIA, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per Department of Revenue guidelines. In such cases, if the goods were not put to use after import, a certificate shall be generated by concerned Commissioner of Customs to the extent of 95% of CIF value debited against DFIA containing amount and description of exported goods and the details of original DFIA.
- (ii) Based on the certificate, a fresh DFIA shall be issued by Regional Authority concerned. Fresh DFIA, so issued, shall have same port of registration and shall be valid for a period equivalent to balance period available on date of import of such defective/unfit goods.

4.56 Maintenance of proper accounts of import and its utilisation

Original DFIA holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of duty free imported / domestically procured goods against each authorisation as prescribed in Appendix 4H. These records are required to be filed online to Regional Authority concerned along with request for transferability.

GEMS AND JEWELLERY SECTOR

4.57 General Provision

Policy relating to Gem Replenishment Authorisation and scheme for gold/ silver/platinum jewellery is given in FTP. Application in respect of export promotion scheme for gems & jewellery sector shall be made to concerned Regional Authority as per Appendix 4A.

4.58 Application for Replenishment Authorisation

- (a) Application for REP Authorisation shall be filed online in ANF-4H and upload the documents prescribed therein to concerned Regional Authority as per Appendix 4A.
- (b) Application shall be filed within six months following the month during which the export proceeds are realised. For export proceeds realised during a month, consolidated application for entire month shall be filed.
- (c) In case E.P Copy of Shipping Bill and Customs attested invoice is submitted to nominated agencies, exporter shall furnish a self-certified photo copy of same along with a certificate from nominated agencies certifying carat / value of studdings in case of studded jewellery.
- (d) In cases where payment is received in advance and exports take place subsequently, application for REP Authorisation shall be filed within six months following the month during which exports are made.
- (e) It is clarified that the month in which the export has been made in case of advance payment and the month in which export proceeds have been realised in part or full after making of exports, shall be excluded while calculating period of six months for filing of application for REP Authorisation.

4.59 WASTAGE NORMS

Maximum wastage or manufacturing loss on gold/ silver/ platinum jewellery and articles thereof is as follows:

Sl No	Items of export	Percentage of wastage by weight with reference to Gold/ Platinum / Silver content in export item	
		Gold / platinum	Silver
a)	Plain jewellery, articles, and ornaments like Mangalsutra containing gold and blackbeads / imitation stones, cubic zirconia diamonds, precious, semi-precious stones.	2.5 %	3.2 %
b)	Studded jewellery and articles thereof	5.0 %	5.0 %

c)	Mountings and findings manufactured (by non- mechanised process) indigenously	2.5 %	3.2 %
d)	Any jewellery/ articles manufactured by a fully mechanised process and unstudded. (not applicable under Advance Authorisation)	0.9 %	0.9 %
e)	Mountings, whether imported or indigenously procured/manufactured, used in studded jewellery	1.8 %	1.8 %
f)	Gold / silver / platinum medallions and coins (excluding coins of nature of legal tender)(not applicable under Advance Authorisation)	0.2%	0.2%
g)	Findings and mountings manufactured by mechanized process	0.9%	0.9%
h)	Gold religious idols (only gods and goddess) of 8 carats and above (upto 24 carats)	Plain Gold idols- 2.5% Studded Gold idols-5%	

4.60 Value Addition

Under scheme for export of jewellery, value addition shall be calculated as per Paragraph 4.37 of FTP. Minimum Value Addition shall be:

Sl No	Items of export	Minimum Value Addition
a)	Plain gold / platinum / silver jewellery and Articles and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads / imitation stones, except in studded form of jewellery.	3.5%
b)	All types of Studded gold / platinum / silver Jewellery and articles thereof.	6.0% (for those studded with coloured Gemstones) and 7.0% (for those studded with diamonds).
c)	Any jewellery / articles manufactured by fully mechanized process (not applicable under Advance Authorisation)	2%
d)	Gold / silver / platinum medallions & coins (excluding coins of nature of legal tender) (not applicable under Advance Authorisation)	1.5%
e)	Gold / silver / platinum findings / mountings manufactured by mechanized process	2.5%
f)	Gold religious idols (only gods and goddess of 8 carats and above (upto 24 carats)	10% in case of plain gold religious idols (Non studded). 14% in case of plain gold religious idols studded with colour gem stones. 15% in case of gold religious idols studded with diamonds.

4.61 Entitlement

Entitlement of quantity of gold / silver / platinum against the export of Articles made out of these metals shall be quantity of gold / silver / platinum in item of export plus claimed wastage / manufacturing loss within admissible

limits. In the case of Studded Jewellery, the calculation of the quantum of precious metal shall be done excluding the weight of studding.

4.62 Loss of Gem and Jewellery in transit

Consignments of gem and jewellery items exported out of country and lost in transit after exports, where foreign exchange against such exports has been realised or insurance claims settled, will also be eligible for REP Authorisation.

4.63 Gem & Jewellery Replenishment Authorisations

- (a) Gem REP Authorisations shall be valid for import of precious stones, semi-precious and synthetic stones and pearls used in export of Gems and Jewellery products. In addition, Authorisation shall also be valid for import of empty jewellery boxes up to 5% of value of Authorisation within its overall CIF value. Gem REP Authorisations issued against export of studded gold / silver / platinum jewellery articles, shall also be valid for import of cut and polished precious / semi- precious stones other than emerald up to 10% of CIF value of Authorisation within its overall CIF value.
- (b) Gem REP Authorisation will be as per the replenishment rate prescribed in Appendix 4F and the scale of replenishment on the remaining FOB value in the case of studded jewellery shall be as given in Appendix-4G.

4.64 Agency Commission

Exporter availing scheme of gold / silver / platinum jewellery are allowed to pay agency commission subject to the guidelines laid down by RBI. Value Addition shall be calculated after deducting agency commission.

4.65 Endorsement on Shipping Bill and Invoice

During export of jewellery, shipping bill and invoice presented to customs authorities shall contain description of item, its purity, weight of gold/ silver/ platinum content, wastage claimed thereon, total weight of gold/ silver/ platinum content plus wastage claimed and its equivalent quantity in terms of 0.995/0.999 fineness for gold / silver and in terms of 0.9999 fineness for platinum and its value, FOB value of exports and value addition achieved. If purity of gold/silver/platinum used is same in respect of all or some of items made out from each of these metals for export, exporter may give total weight of gold/silver/platinum and other details of such similar items which are of same purity. In case of studded items, shipping bill shall also contain description, weight and value of precious / semi-precious stones / diamonds / pearls used in manufacture and weight / value of any other precious metal used for alloying gold/silver

4.66 Conditions of Exports

Exports shall be allowed by customs authorities provided endorsement made on shipping bill and invoice are correct and value addition achieved is not below minimum prescribed in FTP.

4.67 Proof of Exports

- a) Exporter has to furnish the proof of exports, wherever required for export of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof, by furnishing following documents:
 - (i) Self attested copy of Exporter's copy of the Shipping Bill;
 - (ii) Tax invoice for export/supplies as prescribed under CGST/SGST/UT GST rules whose particulars are uploaded on LEO copy of Shipping Bill
 - (iii) Bank certificate/e-BRC of realisation in Appendix 2U/ export realisations from RBI's EDPMS wherever available in DGFT IT system.
- b) In case of personal carriage of jewellery by foreign buyer, following documents should be submitted by the exporter/seller as proof of exports for claiming export entitlements:
 - (i) Copy of shipping bill filed by Indian Seller;
 - (ii) Copy of Currency Declaration Form filed by Foreign Buyer with Customs at the time of his arrival; and
 - (iii) Foreign Exchange Encashment Certificate from Bank.
- c) In addition to this, Personal Carriage on Documents against Acceptance (DA)/Cash On Delivery (COD) basis is also allowed.

Exporter will have to furnish following documents as proof of exports for claiming export entitlements:

- (i) Copy of Shipping Bill filed by Indian Seller; and
- (ii) Bank Certificate/e-BRC of Export and Realisation/ export realisations from RBI's EDPMS wherever available in DGFT IT system.
- d) Instructions issued by Customs Department in this regard should be followed mutatis mutandis.

4.68 Conversion of Purity/Fineness

For conversion of quantity of gold/ silver/platinum in terms of equivalent quantity in terms of fineness, following formula shall be used:

- (i) Where items of gold has been exported in terms of carats, quantity of gold shall be multiplied by number of carat of gold exported, divided by 24 and thereafter again divided by 0.995/0.999/0.900 to arrive at equivalent quantity of gold in terms of fineness of 0.995/0.999/0.900 respectively; and
- (ii) Wherever purity of item of export is expressed in terms of fineness, the quantity of gold/silver/platinum shall be multiplied by fineness of gold/silver/platinum exported and thereafter divided by 0.995 / 0.999 / 0.900 to arrive at equivalent quantity of gold/ silver/platinum in terms of 0.995 / 0.999 / 0.900 fineness respectively.

4.69 Release of Gold/Silver/Platinum by Nominated Agencies

Gold / silver / platinum shall be released to exporter of jewellery by nominated agencies/RBI authorised banks in multiples of 10 gms or in Ten Tola Bars in respect of gold. However, silver shall be released to exporters in multiples of 1 Kg only. Any balance of gold/ silver/ platinum shall be available to exporter along with his future entitlement. Gold/ silver shall be released by the nominated agencies in terms of 0.995 fineness or more and platinum in terms of 0.900 fineness or more.

4.70 Terms of payment

Export of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof shall be against irrevocable letter of credit, payment of cash on delivery basis, Documents against Acceptance (DA) basis or advance payment in foreign exchange or replenishment of gold/silver/platinum content in exported jewellery / articles.

4.71 Port of Export

Exports under schemes of gold /silver/platinum jewellery and articles thereof shall be allowed by airfreight and Foreign Post Office through the Customs House at Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, Jaipur, Bengaluru, Kochi, Coimbatore, Ahmedabad, Dabolin Airport, Goa, Hyderabad and Surat (Surat Hira Bourse). Export by courier shall also be allowed through Custom Houses at Mumbai, Kolkata, Chennai, Kochi, Coimbatore, Delhi, Jaipur, Bengaluru, Ahmedabad and Hyderabad upto FOB value of Rs.20 lakh per consignment.

4.72 Export by Post

Policy for export of gems and jewellery parcel by post is in paragraph 4.47 of FTP. At the time of exports, exporter shall submit following documents:

- (i) Shipping bills or Tax invoice for export/supplies as prescribed under CGST/SGST/UT GST rules presented at foreign Post Office;
- (ii) Certificate from nominated agencies indicating price at which gold/ silver/platinum was booked or given on outright sale basis or loan basis;
- (iii) Three copies of Tax invoices for export/supplies as prescribed under CGST/SGST/UT GST rules.

4.73 Export of Cut & Polished Diamonds for Certification/Grading & Re- import

Following are authorized laboratories for certification / grading of diamonds of 0.25 carat and above:

- (1) International Gemological Institute (IG)—Hong Kong;
- (2) American Gem Society Laboratories (AGS Laboratories), 8917 West Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89117;
- (3) Central Gem Laboratory, Miyagi Building, 5-15-14 Ueno Taito- Ku, Tokyo, Japan;
- (4) Diamond Trading Company, Maidenhead, UK;
- (5) European Gemological Laboratory (EGL), USA;
- (6) Gemological Institute of America (GIA), USA;
- (7) Hoge Road Voor Diamond, Antwerp, (HRD);
- (8) International Diamond Laboratories DMCC, Dubai;
- (9) The Robert Mouawad Campus, International Gemological Institute (IGI) USA;
- (10) World Diamond Centre of Diamonds High Council, Antwerp, Belgium;
- (11) GIA Hong Kong Laboratory Ltd., HongKong;
- (12) Gemological Research(Thailand)Co. Ltd., Bangkok;
- (13) GIA Education and Laboratory(Pvt)Ltd., Johannesburg;
- (14) GIA Education and Laboratory, Gaborone(Botswana);
- (15) Forevermark NV, Antwerp, Belgium;
- (16) International Gemological Institute(IG)—Antwerp, Belgium;
- (17) Gemological Institute of America (GIA), Israel;
- (18) Gemological Institute of America (GIA), Japan.

4.74 Import of Diamonds for Certification/Grading & re-export

- (a) This facility has been stated in Paragraph 4.41 of FTP. At the time of imports of diamonds, the bill of entry shall have the detailed description, including the dimensions / specifications of the diamonds and at the time of re-export after grading/certification, the Bill of Entry details should be endorsed in the shipping bill, so far as the dimensions and other specifications/ details of the diamonds are concerned, so as to establish a clear correlation between the imported diamonds and the diamonds being re- exported. In addition, a separate self certificate shall be attached by GIA (or any other approved agency) along with the shipping bill at the time of shipment, for matching of the imports to that of the exports as per the documents and GIA (or any other approved agency) certificate.
- (b) GIA (or any other agency approved in this regard) shall obtain GR waiver as per the procedure laid down by RBI, in all such cases.
- (c) Re-export of the imported diamonds, shall be completed within a maximum time period of 3 months from the date of import(s). At the time of import, the agency shall give an undertaking to the customs to this effect. GIA (or any other agency approved in this regard) shall furnish a quarterly report to the customs authority at the port of import by 25th of the month, succeeding the end of the quarterly period, to ensure that the exports are effected within the stipulated time period.

4.75 Enlistment /Authorisation of Laboratories for Certification/ Grading of Diamonds of 0.25 carat and above

Applications for enlistment of laboratories should be submitted to Gems and Jewellery Promotion Council (GJEPC) for scrutiny of the application for fulfillment of the norms prescribed. GJEPC will forward the application after verification of bona fides with their clear recommendation for in principle approval of DGFT. After in principle approval of DGFT is granted, GJEPC will conduct inspection of the facility to verify the availability of equipments, technical manpower as well as other infrastructure required for the Laboratory, to function as Authorised Laboratory for certification/ grading of diamonds of 0.25 carat and above. Based on the Inspection Report and recommendations of the GJEPC, the concerned laboratory would be considered for inclusion in paragraph 4.41 or 4.42 of FTP as the case may be.

4.76 Export against Supply by Foreign Buyer

- (a) Before clearance of each consignment of import supplied by foreign buyer, Nominated Agency / Status Holder having Nominated Agency Certificate/Eligible Exporter shall execute a bond with Customs, undertaking to export within stipulated period in contract, gold/silver/platinum jewellery or articles equivalent to entire import quantity of gold/silver/platinum, mountings and findings etc excluding admissible wastage.
- (b) In case of direct supply of gold/silver/platinum, alloys, findings and mountings of gold/silver/platinum and plain semi-finished gold/silver/platinum jewellery to status holder/ exporter, Status Holder/exporter shall furnish a Bank Guarantee/LUT, as per Customs Rules and regulations to Customs equivalent to Basic Customs Duty leviable on imported gold/ silver/ platinum, alloys, findings and mountings of gold/ silver/ platinum and plain semi- finished gold/ silver/ platinum jewellery etc. Integrated Goods and Services tax and Compensation Cess leviable under Section 3(7) AND 3(9) of Customs Tariff Act shall be payable separately on imports.
- (c) BG /LUT, executed with Customs shall be valid for one year. In case of direct supply to Status Holder/exporter, exports shall be completed within 90 days. In case of non-fulfillment of EO / non-achievement of stipulated value addition, Customs Authority shall proceed to recover custom duty along-with interest as notified by DoR which may include enforcement of BG/LUT. Besides, importer will be liable to penal action under Customs Act.

4.77 Export Procedure/Payment of Customs Duty

- (a) Nominated Agency / exporter shall be liable to pay customs duty leviable on that quantity for which export obligation is not discharged within due date.
- (b) Goods shall be cleared through Customs by Nominated Agency / exporter. Even where export order is received by an Associate, goods shall be cleared through Customs by nominated agency only and not by Associate. Associate shall, in such cases, authorise Nominated Agency to act as its agent to file Bill of Entry and Shipping Bill.
- (c) At the time of export, shipping bill presented to Customs shall also contain the following:
 - (i) Name and address of associate /exporter;
 - (ii) An endorsement by Nominated Agency that export is made against an order received by concerned associate, its date of registration with nominated agency. In case of exports by exporter, a self declaration shall be provided to this effect;
 - (iii) Name of Customs House through which gold/ silver/ platinum/plain semi-finished gold/ silver/ platinum jewellery was imported and corresponding Bill of Entry No. and date and date of

- import.
- (d) Each shipping bill shall be valid for exports only through Customs House located at the place where office of Nominated Agency / exporter concerned is situated. It shall be valid for shipment for a period of seven days including the date on which endorsement was made by nominated agency in case of exports through nominated agency. If exports cannot be made within this period, exporter shall file a fresh shipping bill.
 - (e) At the time of export, exporter shall submit following documents:
 - (i) Shipping bill with two extra copies where exports are made from a Customs House other than Customs House through which corresponding import of gold/ silver/ platinum/plain semi-finished gold/silver/ platinum jewellery was effected. In other cases, shipping bill with an extra copy;
 - (ii) Three copies of tax invoices for export/ supplies as prescribed under CGST/SGST/UT GST rules;
 - (iii) Certificate from nominated agency indicating quantity and value of items supplied by foreign buyer.
 - (f) Customs authorities shall return two copies of shipping bill and connected invoice duly attested. One copy shall be sent to person who presented documents and the other copy shall be sent by Customs to office of nominated agency /exporter.
 - (g) In case of exports through nominated agency, exporter shall submit proof of exports to nominated agency within 15 days of exports, who shall, after verifying documents, release admissible quantity of the gold/ silver/ platinum etc. to exporter.
 - (h) Exporter may also obtain, in advance, gold/ silver/ platinum etc. supplied by foreign buyer by furnishing a BG /LUT for an amount equal to international price of such items plus customs duty payable thereon. Integrated Goods and Services tax and Compensation Cess leviable under Section 3(7) AND 3(9) of Customs Tariff Act shall be payable separately on imports. BG /LUT shall be redeemed only when the exporter has furnished proof of exports to nominated agency and accounted for the use of items supplied in advance in export product.
 - (i) For redemption of bond/ BG /LUT executed with Customs, Nominated Agency /exporter shall furnish a statement indicating items, its quantity and value supplied by foreign buyer, corresponding Bill of Entry number and date, number of each of shipping bills against which corresponding exports was made.

4.78 Maintenance of Accounts

Nominated Agency shall maintain complete account, consignment-wise, of the gold, silver, platinum, mountings, findings/ plain semi-finished gold/silver/ platinum jewellery etc. imported for execution of each export order, exports effected and quantity of gold, silver, platinum mountings, findings etc. released against such exports. Such accounts shall be maintained for a minimum period of three years from date of exports.

4.79 Export through Exhibitions/Export Promotion Tours/ Export of Branded Jewellery

- (a) Nominated Agencies shall produce to Customs Authorities letter in original or its certified copy, containing Government's approval for holding exhibition/export of branded jewellery. Any other person shall produce to the Asst. Commissioner, customs letter in original or its certified copy containing GJEPC's approval for holding exhibitions/ export promotion tour/export of branded jewellery.
- (b) In case of re-import, such items, on arrival, shall be verified along with export documents before clearance.
- (c) Exports under this scheme shall be subject to following conditions for following modes of export:
 - (i) Export of Gems and Jewellery for holding/participating in overseas exhibition.
 - (a) Items not sold abroad shall be re- imported within 60 days of close of exhibition. However in case exporter is participating in more than one exhibition within 45 days of close of first exhibition, then 60 days shall be counted from date of close of last exhibition. In case of exhibition in USA, the time period shall be 90 days instead of 60 days mentioned above. In case of personal carriage of gems and jewellery for holding /participating in overseas exhibitions, value of such gems and jewellery shall not exceed US \$ 5 million. Gold/ silver/ platinum content on items sold in such exhibitions may be imported as replenishment.
 - (b) Exporter shall take replenishment from nominated agency within 120 days from the close of the exhibition gold /silver / platinum for replenishment content against items sold abroad in exhibition.
- (d) Personal Carriage of gems & jewellery or export through airfreight/post parcel route for Export Promotion Tours/photo shoots/fashion shows overseas. Personal carriage/export through airfreight/post parcel route of gold/silver/ platinum jewellery, cut and polished diamonds, precious, semi-precious stones, beads and articles as samples upto US \$ 1 Million for export promotion tours/photo

shoots/fashion shows and temporary display/ sale abroad is also permitted with approval of Gem & Jewellery EPC subject to the condition that promoter would bring back jewellery / goods or repatriate sale proceeds within 45 days from date of departure through normal banking channel. In case of personal carriage for export promotion tours, exporter shall declare personal carriage of such samples to Customs while leaving country and obtain necessary endorsement on Export Certificate issued by Jewellery Appraiser of Customs. In such cases exporter shall book with nominated agency, within 120 days after export promotion tour or expiry of stipulated period of 45 days, whichever is earlier, gold/silver/ platinum for replenishment content against items sold abroad.

EXPORT OF BRANDED JEWELLERY.

- (i) Export of branded jewellery is also permitted with approval of Gem & Jewellery EPC for display/sale in permitted shops setup abroad or in showroom of their distributors/ agents. Items not sold abroad within 365 days shall be re-imported. Exporter shall book with nominated agency within 120 days after the end of stipulated period of 365 days, gold/silver/platinum for replenishment content against items sold abroad.
- (ii) Following documents shall be submitted for claiming such replenishment:
 - (a) LEO copy of Shipping Bill with Tax invoice for export supplies;
 - (b) Copy of the approval letter issued by Government/GJEPC;
 - (c) Certificate from Nominated Agency/ GJEPC as in Appendix 4-O. In case of exhibitions organised by nominated agencies, gold/silver/ platinum shall be imported as replenishment by nominated agencies within 60 days from close of exhibition.
- (e) Nominated Agencies shall maintain a complete account of exports made, goods sold abroad, goods re-imported, and metals purchased abroad and imported into India. Such account shall be maintained for a minimum period of three years from date of close of exhibition.

4.80 Export against supply by Nominated Agencies

Exporter may obtain gold/silver/ platinum on following basis:

- (i) Replenishment basis after completion of exports;
- (ii) Outright purchase basis in advance;
- (iii) Loan basis.

4.81 Replenishment Basis

- (a) Exporter may apply to Nominated Agency for booking of precious metal gold/silver/platinum. Quantity of precious metal booked with nominated agency shall be equivalent to precious metal content in the export product and admissible wastage.
- (b) Applicant shall at the time of booking deposit an earnest money for a minimum amount of 20% of notional price of precious metal, which shall be adjusted at actual sale. Exports shall be effected within a period of 120 days from date of booking and drawal of precious metal shall be completed within a period of 150 days from date of booking or within 30 days from date of export whichever is later.
- (c) Exporter may also export jewellery on a notional rate based on certificate provided by Bank. Exporter must fix price within credit terms allowed to buyer and realise proceeds within the due date of the credit terms or 180 days, whichever is earlier. Exporter exporting on a notional basis under Replenishment Scheme must book the same quantity of gold with Nominated Agency on same rate that he may have booked with buyer. Nominated agencies shall purchase precious metal on behalf of exporter at the rate so fixed and thereafter issue a purchase certificate bearing a serial number to exporter indicating quantity of gold/silver/platinum and CIF value, in dollars including the Rupee equivalent. Price shall be actual price at which gold/silver/platinum is purchased by nominated agencies plus permitted service charges levied by nominated agencies shall be included with the price of gold/ silver/ platinum for value addition. Duplicate and triplicate copies of exporter's application together with copies of purchase certificate for exporter shall be sent by nominated agencies to concerned Custom House as well as to the negotiating bank who will confirm realization at which gold has been purchased. Exporter exporting under notional rate will get replenishment only after proceeds are realised.

4.82 Outright Purchase Basis in Advance

- (a) Exporter may obtain required quantity of precious metal in advance on outright purchase basis subject to furnishing of BG/LUT to nominated agencies for an amount as may be prescribed by nominated agency. On failure to effect exports within period prescribed, the nominated agencies shall enforce BG / LUT, as the case may be.
- (b) Exports shall be effected within a maximum period of 90 days from date of outright purchase of precious metal.

4.83 Loan Basis

- (a) Exporter may obtain required quantity of precious metal on loan basis subject to furnishing of BG / LUT, for customs duty to nominated agencies for an amount as may be prescribed by nominated agencies. Integrated Goods and Services tax and Compensation Cess leviable under Section 3(7) AND 3(9) of Customs Tariff Act shall be payable separately on imports. On failure to effect exports within the period prescribed, the nominated agencies shall enforce the BG /LUT.
- (b) Exporter has to pay interest as notified by DoR on gold taken on loan basis at the rate as may be specified.
- (c) Export has to be completed within a maximum period of 90 days from date of release of gold on loan basis. No extension for fulfilment of EO shall be allowed.
- (d)
 - (i) Exporter shall be permitted to export jewellery on the basis of a notional rate certificate to be issued by nominated agency/ GJEPC. This rate will be based on prevailing Gold /US\$ rate and the US\$/INR rate in notional rate certificate. Certificate issued by nominated agency/GJEPC should not be older than 7 working days of date of shipment.
 - (ii) VA will have to be achieved on rate as may be got fixed with buyer and Nominated Agency.
 - (iii) Exporter shall have flexibility to fix the price and repay Gold Loan within 180 days from date of export. This price shall be communicated to nominated agencies who will issue a certificate showing final confirmation of the rate to the bank negotiating documents, to ensure export proceeds are realized at this rate.
- (e) Nominated agencies may accept payment in dollars towards cost of import of precious metal from EEFC account of exporter.

4.84 Exports against Advance Authorisation

- (a) Procedure applicable to Advance Authorisations under Chapter 4 of Hand Book of Procedures shall generally apply to this scheme except norms for value addition, Export Obligation period and regularization of default. Value addition for Gems and Jewellery items shall be as per paragraph 4.60 of this Handbook of Procedures.
- (b) Export Obligation will be required to be fulfilled within 120 days from date of import of each consignment against Authorisation. However, Export Obligation period shall be 180 days from date of import of findings, mountings made of gold, platinum and silver and export of jewellery. No further extension in Export Obligation period will be allowed. Advance Authorisation holder may also import gold as replenishment after completion of exports.
- (c) Advance Authorisation holder may obtain gold /silver / platinum from nominated agencies in lieu of direct imports. In such a case, Export Obligation will be required to be fulfilled within 90 days from date of supply of Gold/Silver/Platinum by nominated agency and the nominated agency shall also make, both exchange control copy and customs purpose copy of Authorisation invalid for direct imports.

4.84 A

For those cases, where the last date for exports/ replenishment/ imports/ drawal of precious metal as calculated under various sub-paras of para 4.82, 4.83, 4.84 and Para 4.85, expires between 01.02.2020 and 31.07.2020, such last date stands extended by six months. However, relaxation in the period for repatriation/forex realization would be equal to the period as allowed plus six months, or as per RBI guidelines, whichever is less.

4.84 B

For those cases, where the last date for exports/ replenishment/ imports/ drawal of precious metal as calculated under various sub-paras of para 4.82, 4.83, 4.84 of Handbook of Procedures, 2015-20 expires between 01.02.2021 and 30.06.2021, such last date stands extended by six months. However, relaxation in the period for repatriation/forex realization would be equal to the period as allowed plus six months, or as per RBI guidelines, whichever is less.

4.85 Regularisation of Bonafide Default

Cases of bonafide default in fulfillment of Export Obligation by an exporter who has obtained precious metals from nominated agencies may be regularised provided exporter has paid customs duty along-with interest thereon as notified by DoR. Exporter will have the option to pay customs duty through valid duty credit scrips issued under FTP. The interest / penalty shall be required to be paid in cash. In case of Advance Authorisation, the provisions as given in paragraph 4.49 above shall apply. This shall be without prejudice to any action that may be taken against exporter under FT(D&R) Act, Order or Rules issued hereunder as amended from time to time.

4.86 Replenishment Authorisation for Import of Consumables etc.

Application for import of consumables etc., as given in paragraph 4.35 of FTP shall be filed online to the concerned Regional Authority in ANF 4H.

4.87 Personal Carriage of Gems & Jewellery Export Parcels

- (a) Personal Carriage of gems & jewellery parcels by Foreign Bound Passengers from all EOU/SEZ units and all firms in DTA through Airports in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Kochi, Coimbatore, Bangalore, Hyderabad, and Jaipur is permitted. Procedure for Personal Carriage of exports shall be as prescribed by Customs. Export proceeds shall, however, be realised through normal banking channel.
- (b) For claiming Replenishment in case of Personal Carriage of Exports by Foreign Bound passenger, documents shall be same as mentioned under paragraph 4.81(c) of HBP. Authorised Courier Companies are also permitted to operate on the above lines.

4.88 Personal Carriage of Gems & Jewellery Import Parcels

Personal carriage of gems & jewellery import parcels by an Indian importer/Foreign National may be permitted into all EOUs/SEZ units and all firms in DTA through airports in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, and Jaipur. Procedure will be same as for import of goods by air-freight except that parcels shall be brought to Customs by Importer / Foreign National for examination and release. Clearance of imports under this scheme shall be as per normal customs clearance procedure.

4.89 Duty free import of samples

Duty free import of gems and jewellery samples upto Rs 3 lakh or 0.25% of the average of last three years export turnover of gems and jewellery items, whichever is lower, shall be allowed in a financial year as per Customs notification.

4.90 Re-import of rejected jewellery

An exporter of plain/ studded precious metal jewellery shall be allowed to re-import duty free jewellery rejected and returned by buyer up to 2% of FOB value of exports in preceding licencing year (based on CA certified copy of export of preceding year) with refund of any duty exemption/refund/replenishment benefit availed on inputs used as per customs rules and regulations.

4.91 Diamond & Jewellery Dollar Accounts

Policy for Diamond and Jewellery Dollar Accounts is given in paragraph 4.50 of FTP. Its operation will be governed by procedure specified by the RBI.

4.92 Export and import of Diamond, Gemstone & Jewellery on consignment basis

- (a) Policy for export and import of diamond, gem stone and jewellery on consignment basis is given in paragraph 4.53 of FTP.
- (b) Detailed procedure in this regard shall be governed as per the relevant Customs Rules & Regulations. Re-import of these items (either in complete or partial lot) exported on consignment basis shall be subject to condition that exporter follows prescribed provisions of relevant customs notification to establish that goods are the same which were exported.

4.93 Guidelines/ Monitoring for import of precious metal by the Nominated Agencies

The guidelines on import of precious metal by the nominated agencies and monitoring are as under:

- (a) Following guidelines for monitoring the import of precious metal and its distribution and / or own use by the Nominated Agencies will be followed, (other than the Banks nominated by RBI for this purpose):
 - (i) Every Nominated Agency is required to maintain records of imports of precious metal (both quantity and value) and its distribution for the purpose of exports of value added product as well as for the purpose of domestic consumption as per the format given in Appendix 4-M of Hand Book of Procedures. Nominated Agencies will also have to follow the guidelines/ rules/procedures /directions as prescribed by RBI and DGFT. Failure to comply will render Nominated Agency Certificate liable to be cancelled in addition to action under FT (DR) Act 1992, as amended, after affording opportunity of personal hearing.
 - (ii) Monitoring by Gems & Jewellery Export Promotion Council:
Monitoring in respect of Nominated Agencies Handicraft and Handlooms Exports Corporation Ltd, MSTC Ltd, Diamond India Limited will be by Gems & Jewellery Export Promotion Council (G&J EPC). Nominated Agencies shall file half yearly return as per format given in Appendix 4-M of Hand Book of Procedures, to the Gems & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), Mumbai within 15 days of every completed half year. In turn, G&J EPC shall compile the half yearly return and the figures submitted by the Nominated Agency and check the performance of the Nominated Agency. Thereafter, GJEPC shall forward the compiled half yearly returns along with its observation on performance of Nominated Agency to DGFT headquarters within one month of every completed half year. In case of delay in filing or non-submission of half yearly return within 15 days of every completed half year, GJEPC shall seek comments of defaulting

Nominated Agencies. GJEPC will also forward the particulars of defaulting Nominated Agency to DGFT headquarters for taking appropriate action against defaulting Nominated Agency.

Chapter-5

Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme

5.01 Policy

Policy relating to EPCG Scheme is given in Chapter 5 of FTP

5.02 Application Form

An application for grant of an authorisation may be made by Registered Office or Head Office or a Branch Office or Manufacturing Unit of an eligible exporter to RA concerned in ANF 5A along with documents prescribed therein.

5.03 Nexus Certification

- (a) RA concerned shall, on the basis of nexus certificate from an independent Chartered Engineer (CEC) submitted by the applicant in Appendix 5A, issue EPCG authorisation. For issuance of such certificate, the Chartered Engineer shall act only in the domain of his/her competence. In case of fabrication, reasonable wastage, if any, anticipated at the time of installation of capital goods shall be certified by the Chartered Engineer in the nexus certificate and the same would be mentioned in the condition sheet of the EPCG authorisation at the time of issue. The wastage so permitted at the time of issuance of authorisation would be allowed to be sold as scrap/waste on payment of applicable duty by the authorisation holder.
- (b) An application for amendment in the list of import item(s) including addition(s)/deletion(s), if any, may be filed with RA concerned provided the authorisation is valid for import. The applicant would give justification for seeking such amendment(s) along with fresh nexus certificate from an independent Chartered Engineer.
- (c) An application for amendment in the list of export item(s) including addition(s)/deletion(s) if any, may be filed with RA concerned provided the Export Obligation period of the authorisation is valid and the CG has nexus with export product. The applicant would give justification for seeking such amendment(s) along with fresh nexus certificate from an independent Chartered Engineer.

5.04 Certificate of Installation of Capital Goods

- (a) Authorisation holder shall produce, within six months from date of completion of import, to the concerned RA, a certificate from the jurisdictional Customs authority or an independent Chartered Engineer, at the option of the authorisation holder, confirming installation of capital goods at factory/premises of authorisation holder or his supporting manufacturer(s). The RA may allow one time extension of the said period for producing the certificate by a maximum period of 12 months with a composition fee of Rs. 5000/-. Where the authorisation holder opts for independent Chartered Engineer's certificate, he shall send a copy of the certificate to the jurisdictional Customs Authority for intimation/record. The authorisation holder shall be permitted to shift capital goods during the entire export obligation period to other units mentioned in the IEC and RCMC of the authorisation holder subject to production of fresh installation certificate to the RA concerned within six months of the shifting.
- (b) In the case of import of spares, the installation certificate shall be submitted by the Authorisation holder within a period of three years from the date of import.

5.05 Port of Registration

EPCG Authorisation shall be issued with a single port of registration as per paragraph 4.35 of HBP, for imports. However, exports can be made from any port specified in paragraph 4.35 of HBP.

5.06 Import of spares, tools, refractories and catalysts

- (a) Applications for procurement of capital goods covered under sub-paragraphs (a) (iii) and (iv) of paragraph 5.01 of FTP shall contain a list of plant/machinery installed in factory/premises of the applicant for which such capital goods are required, duly certified by independent Chartered Engineer or jurisdictional Customs Authorities.
- (b) In case of import of spares, EPCG authorisation shall not specify list of spares but shall indicate:
 - (i) Name of plant /machinery for which spares are required.
 - (ii) Value of duty saved allowed under the authorisation.
 - (iii) Description of product to be exported and value of export obligation.
- (c) Authorisation holder shall maintain a register of stock & utilisation of capital goods covered under sub-paragraphs (a)(iii) and (iv) of paragraph 5.01 of FTP imported under the scheme and at the time of

application for EODC, authorisation holder shall submit certificate from independent Chartered Engineer confirming their use in the installed capital goods on the basis of such register.

5.07 Conversion of EOU/Relocated SEZ Units to DTA Unit under EPCG Scheme

- (a) An EOU/a relocated SEZ unit, while converting to a DTA Unit, may apply for an EPCG authorisation along with documents prescribed. 'No Objection Certificate' should be produced from the concerned Development Commissioner.
- (b) The export obligation period for a unit which converts from EOU/SEZ Scheme to EPCG Scheme would be the same as is available to a direct EPCG Authorisation holder as per paragraph 5.01 of FTP.
- (c) If a standalone EOU / SEZ unit wishes to de-bond from EOU to EPCG Scheme, there shall be no requirement for maintenance of average export obligation and the unit shall be required to maintain only specific export obligation equivalent to six times of the proportionate duty saved amount of the depreciated value of capital goods for which the Authorisation has been obtained.
- (d) In case one unit of a firm / company opts to de-bond from EOU to EPCG Scheme, while other unit(s) are DTA units, then the average export obligation in respect of the authorisations issued to the firm / company (other than de-bonding unit) shall remain unchanged and the average EO, after de-bonding of the unit, shall be fixed by excluding the exports made by the de-bonded unit from the total exports of the firm/ company, which runs concurrently for all the units of the firm/ company. In such a case, specific EO equivalent to six times of the proportionate duty saved amount on the depreciated value of the Capital Goods would be imposed on the de- bonding unit shifting to the EPCG Scheme.

5.08 Procurement from SEZ

- (a) If the request is made along with the application for authorisation for procurement of new Capital goods from SEZs, the RA may issue a "Certificate of supplies from SEZ", containing the details for the requested items after making the import item "Invalid for direct imports". The "Certificate of supplies from SEZ" shall contain the following details:
 - (i) Name, Address and GSTIN of SEZ unit;
 - (ii) GSTIN & Address of recipient unit of EPCG authorisation holder where capital goods would be installed;
 - (iii) Name, description including specifications, where applicable, and quantity of items; and
 - (iv) Individual value of items to be procured.
- (b) The said "Certificate of supplies from SEZ" shall be marked in quadruplicate with a copy each to the authorisation holder, SEZ supplier unit, designated officer at SEZ and the relevant port customs authorities. The above certificate shall be issued as an online amendment to the authorisation and has to be transmitted.
- (c) In cases where the request for issue of "Certificate of supplies from SEZ" is made in due course, it shall be accompanied with an authorisation utilization status issued by the relevant Customs authorities mentioned on the authorisation for the RA to verify the actual utilization of authorisation at the time of application. The certificate may be issued to the extent of quantity available as per utilization status. In case the request for "Certificate of supplies from SEZ" is made along with the application for authorisation, the same procedure shall apply.

5.09 Sourcing of Capital Goods Manufactured Indigenously

- (a) EPCG authorisation holder intending to source capital goods manufactured indigenously shall make a request to the RA for issuance of Invalidation Letter or Advance Release Order (ARO).
- (b) Deemed export benefits as given in paragraph 7.03 of FTP shall be available.
- (c) This request can be made either along with application or during the validity period of EPCG Authorisation.
- (d) Applicant shall give the name and address of the manufacturer(s) of capital goods.
- (e) RA concerned will issue the invalidation letter/ARO, in quadruplicate.
- (f) Validity period of invalidation letter/ARO shall be co-terminous with the validity period of EPCG authorisation.

5.10 Conditions for fulfillment of Export Obligation

In addition to conditions in paragraph 5.04 of FTP, the following conditions shall also be applicable for fulfillment of export obligation:

- (a) Name of the supporting manufacturer as well as the exporter shall be indicated on export documents.

- (b) In case the Authorisation holder wants to export through a third party, export documents viz., shipping bills/Bill of exports etc. shall indicate name of both authorisation holder and supporting manufacturer, if any, along with EPCG authorisation number. Shipping bill/Bill of Export, GST invoice and e-BRC/ export realisation from RBI's EDPMS should be in the name of third party exporter. The goods exported through third party should be manufactured by the EPCG authorisation holder or the supporting manufacturer where the capital goods imported under the authorisation have been installed. The goods manufactured by the authorisation holder shall be exported as it is by the ultimate exporter (third party exporter) without further processing. Proceeds realised through normal banking channel from third party exporter's account to the authorisation holder's account on account of such exports shall only be counted towards fulfillment of export obligation.
- (c) Disclaimer certificate from third party that they shall not use such proceeds towards EO fulfillment of any EPCG authorisation (s) obtained by them.
- (d) The EPCG authorisation holder shall submit the following additional documents for discharge of EO through third party exporter(s):
- (i) Proof of having dispatched the goods from authorisation holder's factory premises to the ultimate exporter/port of export viz.
 - (a) ARE 1 certificate issued by Central Excise/Tax invoice for export prescribed under the GST rules with due authentication by the Customs verifying the exports along with the shipping bill number, date and EPCG authorisation number, or
 - (b) Invoice duly incorporating the relevant EPCG authorisation number & date at the time of dispatch in case the unit is not registered with Central Excise/GST.
 - (ii) Lorry Receipt (LR) /Logistical evidence for transportation of goods from the premises of the authorisation holder to the third party exporter/Port of export.
 - (iii) An undertaking from the third party exporter on a stamp paper, declaring that the products exported for fulfillment of EO by them on behalf of the license holder as per details given in the statement of exports, were manufactured by the license holder.
 - (iv) Financial evidence for having received proceeds through normal banking channel from third party exporter's account to the authorisation holder's account on account of such exports towards such third party supplies.
 - (v) Disclaimer certificate from third party exporter that they shall not use such proceeds towards EO fulfillment of any EPCG authorisation(s) obtained by them.

5.11 Realization of Export proceeds

Export proceeds shall be realized in freely convertible currency or in Indian Rupees as per para 2.53 of FTP, except for Deemed Exports supplies under Chapter-7 of FTP. Exports to SEZ units/Supplies to developers/co-developers irrespective of currency of realization would also be counted for discharge of Export Obligation. Realization in case of supplies to SEZ units shall be from foreign currency account of the SEZ unit.

5.12 Calculation of Average Export Obligation

While calculating Average Export Obligation, exports counted/being counted for fulfilling specific EO against EPCG Authorisations within valid EO Period (whether original or extended) that have been made in the preceding 3 years will not be taken into account.

5.13 Block-wise Fulfillment of EO

- (a) The Authorisation holder under the EPCG scheme shall, while maintaining the average export obligation, fulfill the specific export obligation over the prescribed block period in the following proportions:

Period from the date of issue	of Authorisation	Minimum export obligation to be fulfilled
	Block of 1st to 4th year	50%
B	BLOCK OF 5TH AND 6TH YEAR	Balance EO

- (b) The Authorisation holder would intimate the Regional Authority on the fulfilment of the export obligation, as well as average exports, within three months of completion of the block.
- (c) Request for extension of Export Obligation period of first block shall be submitted within 6 months from the date of expiry of first block EO period along with composition fee of 2% on duty saved amount proportionate to unfulfilled portion of EO pertaining to the block. RA may consider the request for extension of block wise EO period, received after 6 months, but within 6 years from date of issue of authorisation, with a late fee of Rs. 10,000/- per authorisation. Application made beyond 6 years, for extension of block-wise EO period for regularization purpose, shall also be considered by RA concerned, with an additional late fee of Rs. 5,000/- for each year per authorisation. This late fee is in addition to the composition fee that may be payable on account of shortfall in export obligation. Where EO of the first block is not fulfilled in terms of para (a) above, except in cases where the EO prescribed for first block is extended by the RA, the Authorisation holder shall, within 6 months from the expiry of the block, pay duties of customs (along with applicable interest as notified by DOR) proportionate to duty saved amount on total unfulfilled EO of the first block.
- (d)
 - (i) Authorisations issued from 1st April, 2002 upto 31st August, 2004 shall be governed by provisions of paragraph 5.8 of HBP Vol.1 (RE-02) as amended from time to time.
 - (ii) Authorisations issued from 1st September, 2004 upto 17th April, 2013 shall be governed by provisions of paragraph 5.8 of HBP Vol.1 (RE-12) as amended till 17.04.2013.
 - (iii) Authorisations issued from 18th April, 2013 till issue of Notification of FTP 2015-20 shall be governed by provisions of paragraph 5.8 of HBP Vol. 1 as amended vide PN No. 1 dated 18.04.2013.
 - (iv) Authorisations issued from 1st April, 2015 till 4th December, 2017 shall be governed by provisions of paragraph 5.14 of HBP as amended vide PN No. 1 dated 01.04.2015.
 - (v) Authorisations issued from 5th December, 2017 till 31st March 2023 shall be governed by provisions of paragraph 5.14 of HBP as amended vide PN No. 43 dated 05.12.2017.

5.14 Annual reporting of EO fulfilment

Authorisation holder shall submit to RA concerned by 30th June of every year, a report on fulfilment of export obligation through online. Such report shall contain a statement with details such as Shipping bill/GST invoice number, date of export/supply, description of product exported/supplied/service rendered and FOB/FOR value of export/supply for both specific as well as average export obligation. Any delay in filing such annual report shall be regularised on payment of a late fee of Rs. 5000/- per year for each authorisation.

5.15 Automatic Reduction/Enhancement upto 10% Duty saved amount and pro rata Reduction/Enhancement in export obligation

If authorisation issued has been utilized for import of goods:-

- (a) In excess of duty saved amount indicated on the authorisation by not more than 10%, the authorisation shall be deemed to have been enhanced by that proportion. Customs shall automatically allow clearance of such goods without endorsement by RA concerned. The authorisation holder shall furnish additional fee to cover excess imports effected, in terms of duty saved amount, to RA concerned, at the time of application for EODC. Export obligation shall automatically stand enhanced proportionately.
- (b) In excess of duty saved amount indicated on the authorisation by more than 10%, the RA concerned, as per its delegated powers, may allow enhancement in duty saved amount of the EPCG authorisation. The Authorisation holder shall furnish additional BG/LUT to the Customs Authority.
- (c) Less than the duty saved amount indicated on the authorisation, the export obligation shall stand reduced on pro-rata basis with reference to actual utilization of the authorisation.

5.16 Extension in Export Obligation Period

- (a) Extension in Export Obligation Period of EPCG authorisation issued prior to Notification of Foreign Trade Policy 2023 shall be governed by relevant provisions of HBP applicable on the date of issue of authorisation.
- (b) In case of extension of Export obligation period beyond 6 years, two extensions, from date of expiry, of one year each may be considered by RA concerned, on payment of composition fee equal to 2% of proportionate duty saved amount on unfulfilled export obligation for each year of extension. However, minimum composition fee shall be Rs.10,000/-.
- (c) Request for extension in EO Period shall be made to RA concerned within 6 months from the date of expiry of original EO Period. However, RA may consider the request for extension received after 6 months, but within the extendable validity of EO period, with a late fee of Rs. 10,000/-. The request for extension for regularisation purpose, from 6th to 8th year, may also be considered after expiry of EO period on payment of

late fee of Rs. 15,000/-. This fee is in addition to the composition fee that may be payable on account of shortfall in export obligation. However, EO extension, beyond 8 years from date of issue of authorisation, shall not be allowed by RA under this provision.

- (d) Notwithstanding sub-para (a) above, sub-paras (b) and (c) above shall also be applicable for authorisations issued under FTP (2015-20).

5.17 Relief in Average Export Obligation

- (a) To provide relief to exporters of those sectors where total exports in that sector/product group has declined by more than 5% as compared to the previous year, average export obligation for the year may be reduced proportionate to reduction in exports of that particular sector/product group during the relevant year as against the preceding year. However, in case export decline is continuous over consecutive years, the base year for calculation of eligibility and calculation of reduction in average export obligation will be taken as the year after which the exports have shown continuous decline.
- (b) The sectors /product groups for which this relaxation is to be allowed shall be conveyed by the DGFT to all the RAs within seven months of the end of the previous financial year and the RAs shall re-fix the annual average EO for previous year accordingly for exporters in that sector/ product group.

5.18 Maintenance of Annual Average Export Obligation

The excess exports done towards the average export obligation fulfilment of an EPCG authorisation during a year can be used to offset any shortfall in the Average EO done in other year(s) of the EO period or the block period as the case may be provided Average EO imposed is maintained on an overall basis, within the block period or the EO period as applicable.

5.19 Automatic EO extension in the event of ban on export product

Whenever a ban/restriction is imposed on export of any product, export obligation period in respect of EPCG authorisations already issued prior to imposition of ban on such export products would stand automatically extended for a period equivalent to duration of such ban, without any composition fee. Authorisation holder would not be required to maintain average EO as well for the ban period.

5.20 Export Obligation Discharge Certificate (EODC)

- (a) Authorisation holder shall apply for online EODC in ANF 5B with documents prescribed therein as a proof of EO fulfillment.
- (b) On being satisfied, RA concerned shall issue EODC to the EPCG authorisation holder and an online copy will be forwarded to ICEGATE through API message exchange for further action by Jurisdictional Customs Authorities with whom BG/LUT has been executed.
- (c) RA shall process such applications ordinarily within 30 days. Shortcomings, if any, shall be pointed out normally in one go. Once documents are complete in all respects, export obligation shall be discharged within 30 days of receipt of complete documents /information.

5.21 Regularization of bonafide default and exit from EPCG scheme

- (a) Authorisation holder shall have the option to surrender the unutilised authorisation at any point of time. In such cases no penalty or fees shall be levied.
- (b) In case, EPCG authorisation holder fails to fulfill prescribed export obligation, he shall pay customs duty/taxes/cess in proportion of shortfall in export obligation along with applicable interest as prescribed by Customs Authority. Such facility can also be availed by EPCG authorisation holder to exit at his option.
- (c) In case of domestic sourcing of capital goods through invalidation letter/ARO, the duties, taxes and cess payable shall be with reference to the notional Customs duties/taxes/cess saved on the FOR value of capital goods (including spares, jigs, fixtures, dies and moulds).
- (e) Authorisation holder can also provisionally pay duty and interest suo-moto on the basis of self/own calculation as per the procedure specified in paragraph 4.50 of HBP.

5.22 Maintenance of Records

Every EPCG authorisation holder shall maintain, for a period of 2 years from date of redemption, a true and proper account of exports/ supplies made and services rendered towards fulfillment of export obligation.

5.23 Re-Export / Repair/Replacement of Capital Goods Imported under EPCG Scheme

(a) Capital Goods imported under EPCG scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported to foreign supplier within three years from the date of clearance by Customs of such goods, with permission of RA/Customs

Authority. Consequently, EO would be re-fixed.

(b) Capital Goods imported and found defective or otherwise unfit for use may be exported, within two years from the date of clearance by Customs of such goods, with permission of RA / Customs Authority and Capital Goods in replacement thereof be imported under EPCG scheme. In such cases, while allowing export, the Customs shall credit the duty benefit availed which can be debited again at the time of import of such replaced Capital Goods.

(c) Capital Goods imported under EPCG scheme, may be re-exported for repairs abroad within three years from the date of clearance by Customs of such goods, with permission of RA / Customs Authority. The duty component on the expenditure incurred on the repairs as well as the insurance and the freight, both ways shall be taken into account for re-fixation of the EO.

5.24 Penal Action

In case of failure to fulfil export obligation or any other condition of authorisation, authorisation holder shall be liable for action under FT (D&R) Act, 1992, as amended, Orders and Rules made thereunder, provisions of FTP/HBP, Customs Act, 1962, as amended from time to time or any other law in force.

5.25 Clubbing of EPCG authorisations

(a) Clubbing of two or more EPCG authorisations issued to the same authorisation holder would be permitted.

(b) An application for clubbing can be made to RA concerned in ANF 5C. Clubbing shall only be permitted in case export products endorsed on the authorisations are same/similar and if authorisations are issued by the same RA.

(c) Total export obligation would be re-fixed taking into account total of duty saved amount of the clubbed authorisations.

(d) On Clubbing, authorisations for all purpose shall be deemed to be a single EPCG authorisation. Export obligation period for clubbed authorisations shall be reckoned from first authorisation issue date.

(e) Average export obligation for clubbed authorisations would be highest of average export obligations endorsed on individual authorisations so clubbed.

(f) Clubbing would be permitted during valid EOP including extended period, if any. However, clubbing in case of all authorisations where EO period is over may be allowed for regularisation purposes provided they have been issued under same policy period.

(g) In case of clubbing of EPCG authorisations where EO can be fulfilled by export of alternate product(s)/service(s), the proportion of alternate product(s)/service(s) for EO fulfillment/ regularization will be restricted to the lowest of the percentage of alternate product(s)/service(s) allowed in the clubbed authorisations.

(h) EPCG authorisations issued prior to 01.04.2007 shall be governed by provisions contained in Chapter 5 of HBP Vol.1 (RE-2006). The EPCG Authorisations issued between 01.04.2007 and 17.04.2013 shall be governed by provisions contained in Chapter 5 of HBP Vol.1 (RE-2012, as amended). The EPCG Authorisations issued from 18.04.2013 till the issue of notification of HBP 2015-20 shall be governed by provisions contained in Public Notice No.1 dated 18.04.2013. The EPCG Authorisations issued between notification of HBP 2015-20 till the notification of HBP 2015-20 (RE-2017) shall be governed by provisions contained in HBP 2015-20. The EPCG Authorisations issued between notification of HBP 2015-20 (RE-2017) till the notification of HBP 2023 shall be governed by provisions contained in HBP 2015-20 (RE-2017).

5.26 Green Technology Products

The Export Products covered under Paragraph 5.10 of FTP which provides for reduced export obligation of 75% for green technology products are :

- (i) Solar Energy Generating Systems and parts/Equipments thereof,
- (ii) Wind Energy Generating Systems and parts/equipment thereof,
- (iii) LED lights of various kind,
- (iv) Vapour Absorption Chillers,
- (v) Waste Heat Boiler,
- (vi) Waste Heat Recovery Units,
- (vii) Unfired Heat Recovery Steam Generators,
- (viii) Water Treatment Plants,

- (ix) Battery Electric Vehicles (BEV) [other than Hybrid Electric Vehicles (HEVs) and Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)] of all types,
- (x) Vertical Farming equipment,
- (xi) Wastewater Treatment and Recycling,
- (xii) Rainwater harvesting system and rainwater filters, and
- (xiii) Green Hydrogen.

Chapter-6

Export Oriented Units (EOUs), Electronics Hardware Technology Parks(EHTPs), Software Technology Parks (STPs) and Bio-Technology Parks (BTPs)

6.00 Scheme

Policy relating to EOUs, EHTPs, STPs and BTPs Schemes is given in Chapter 6 of Foreign Trade Policy (FTP).

6.01 Application / Approval / Renewal of approval

- (a) For setting up an EOU, three copies of application as in ANF 6A of Appendices & ANFs may be submitted to DC.
- (b) (i) Applications for setting up units under EOU scheme shall be approved or rejected by Units Approval Committee within 15 days, as per criteria indicated in Appendix 6A of Appendices & ANFs and sector specific conditions relating to approval as in Appendix 6B of Appendices & ANFs. In other cases, approval may be granted by DC after clearance by BOA.
- (ii) STP / EHTP complexes can be set up by Central Government, State Government, Public or Private Sector Undertakings or any combination thereof, duly approved by Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) in Ministry of Electronics & Information Technology-MeitY. Application for setting up EHTP / STP unit shall be in format prescribed by MeitY and shall be submitted to officer designated by MeitY.
- (iii) A BTP can be set up by Central Government, State Government, Public or Private Sector Undertakings or any combination thereof. Application for setting up of BTP shall be submitted to Department of Bio-Technology (DoBT) and such applications which meet guidelines prescribed by DoBT will be approved and recommended to DGFT for notification. Application for setting up of BTP unit shall be submitted to officer designated by DoBT.
- (c) On approval, a Letter of Permission (LoP) / Letter of Intent (LoI) shall be issued by DC / designated officer to EOU/ EHTP / STP / BTP unit. LoP / LoI shall have an initial validity of 2 years to enable the Unit to construct the plant & install the machinery and by this time the unit should have commenced production. In case the unit is not able to commence production in the initial validity period of 2 years, an extension of one year may be given by the DC for valid reasons to be recorded in writing. Subsequent extension of one year may be given by the Unit Approval Committee subject to condition that two thirds of activities including construction, relating to the setting up of the Unit are completed and a Chartered Engineer's certificate to this effect is submitted by the Unit. Further extension, if necessary, will be granted by the Board of Approval. Once unit commences production, LoP / LoI issued shall be valid for a period of 5 years for its activities. This period may be extended further by DC for a period of upto 5 years at a time. However, in case of extension of LoP required for completing exit formalities, the LoP may be extended for a limited period i.e. less than 5 years by the DC.
- (d) Proposals for setting up an EOU requiring industrial licence may be granted approval by the concerned DC after clearance of proposal by BOA (as per Appendix 6C of Appendices & ANFs) and Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) within 45 days.
- (e) LoP / LoI shall specify item(s) of manufacture / service activity, annual capacity, projected annual export for first five years in dollar terms, Net Foreign Exchange (NFE) earnings, limitations, if any, regarding sale of finished goods, by-products and rejects in DTA and such other matter as may be necessary and also impose such conditions as may be required.
- (f) LoP / LoI issued to EOU / EHTP / STP / BTP units by concerned authority would be construed as an authorisation for all purposes. Standard format for LoP for EOU is given in Appendix 6D of Appendices & ANFs.
- (g) EOUs shall have separate earmarked premises for separate LoP. Similarly, EOUs may be approved on leased premises provided lease has been obtained from Government Department

/ Undertaking / Agency. However, in case lease is obtained from private parties, it shall have a validity period of five years from date of LUT and DC shall satisfy himself of genuine nature of lease.

- (h) On completion of validity of LOP/LOI as provided for in Paragraph 6.05 of FTP, it shall be open to unit to continue under scheme or opt out of scheme. Where unit opts to continue, DC/Designated Officer will extend validity of the LOP/LOI. If no intimation in this regard is received from unit within a period of six months of expiry of the validity, DC/Designated Officer will, suo moto, take action to cancel approval under the scheme and take further action in this regard. Where units give their option to continue after expiry of six months as stipulated above, DC/Designated Officer will grant extension after obtaining approval of BOA/IMSC.

6.02 Legal Undertaking (LUT)

- (a) Approved EOU / EHTP / STP / BTP unit shall execute an LUT with DC / Designated Officer concerned as in Appendix 6E of Appendices & ANFs.
- (b) All EOU / EHTP / STP / BTP units should have permanent e-mail address. No LUT for new units shall be executed unless unit has its permanent e-mail address and digital signature on said e-mail ID. In event of an EOU not having permanent e-mail address and digital signature, further imports and DTA sale shall not be permitted by DC.

6.03 Export of Goods and Services

- (a) Software units may undertake exports using data communication links or in form of physical exports (which may be through courier service also), including export of professional services.
- (b) EOUs shall be permitted to export jewellery on basis of a notional rate certificate issued by nominated agency. This rate will be based on prevailing Gold / US\$ rate and US\$ / INR rate in notional rate certificate. Certificate issued by nominated agency should not be older than 7 working days of date of shipment.
- (c) Exporter shall have flexibility to fix price and repay gold loan within 180 days from date of export. Price shall be communicated to nominated agencies who will issue a certificate showing final confirmation of rate to bank negotiating document, to ensure export proceeds are realized at this rate.
- (d) Gems & Jewellery EOUs may re-export imported goods and export domestically procured goods, including goods generated out of partial processing/ manufacture. Besides, supply of unsuitable / broken cut and polished diamonds, precious and semi-precious stones upto 5% of value of imported or indigenously procured goods to DTA against valid Gems & Jewellery REP as applicable on payment of appropriate duty is also permitted.

6.04 Import / Domestic Procurement of Goods

Goods permitted to be imported / procured from DTA shall include:

- (a) Raw materials, components, consumables, intermediates, spares and packing materials.
- (b) Capital goods and its spares, whether new or second-hand which inter-alia includes the following:
- (i) Captive power plants (DG Sets, Wind Power, Solar Power), including transformers and accessories. This would be subject to the condition that no tax/duty benefits stipulated under EOU Scheme shall be available for setting up as well as operations and maintenance of such wind and solar power plants.
 - (ii) Pollution control equipment.
 - (iii) Quality assurance equipment.
 - (iv) Material handling equipment, like fork lifts and overhead cranes, mobile cranes, crawler cranes, hoists and stackers.
 - (v) Un-interrupted Power Supply System (UPS), Special racks for storage, storage systems, modular furniture, computer furniture, anti-static carpet, teleconference equipment, Servo Control System, Air- conditioners / Air conditioning system, panel for electricals and special data transmission cable.
 - (vi) Security Systems
 - (vii) Tools, jigs, fixtures, gauges, moulds, dyes, instruments and accessories.
- (c) Raw materials for making capital goods for use within unit.
- (d) Others including:
- (i) Prototypes and technical samples for existing product(s) and product diversification development or evaluation.

- (ii) Drawings, blue prints, charts, microfilms and technical data.
- (iii) Office equipment, including PABX, Fax machines, projection system, Computers, Laptop and Server.
- (e) Spares and consumables for above items.
- (f) Any other items not mentioned above with approval of BOA.

6.05 Repair / Remaking of Jewellery

EOUs may import plain / studded gold / platinum or silver jewellery for export after repairs /remaking.

6.06 Conditions of Import

Import of goods by EOU / EHTP / STP / BTP units shall be subject to following conditions:

- (a) Goods shall be imported into EOU / EHTP / STP / BTP premises. However, agriculture and allied sectors and granite sector units in EOU may supply / transfer capital goods and inputs in farm / fields / quarries with prior intimation to jurisdictional Customs authorities, provided ownership of goods rests with EOUs. Granite sector would also be allowed to take spares upto 5% of value of Capital Goods to quarry site.
- (b) Procedure as prescribed under Customs/Central Excise rules for EOUs and units in EHTP / STP / BTP will be followed and appropriate bond executed with Customs/Central Excise Authorities.
- (c)
 - (i) The period of utilisation of goods, including capital goods, shall be co-terminus with the validity of LoP.
 - (ii) However, imported tea shall be utilized within a period of 6 months from date of import. Similarly, export obligation against import of items {covered by Chapter 9 of ITC(HS)} and coconut oil shall be fulfilled within a period of 90 days from the date on which first import consignment is cleared by Customs Authorities.
 - (iii) Further, in case of import of spices for VA purpose like crushing / grinding / sterilization or for manufacture of oils and oleoresins of pepper, cardamom and chillies (and not for simple cleaning, grading, re- packing etc.), EO shall be fulfilled within 120 days from the date of importation of first consignment. In case of import of spices (other than pepper, cardamom and chillies) for manufacture of spice oils and oleoresins, EO shall be fulfilled within 12 months.
- (d) Goods already imported / shipped / arrived before issue of LoP / LoI are also eligible for clearance as provided under para 6.01 (d) (ii) of FTP under EOU / EHTP / STP / BTP scheme without payment of duty and/or taxes as applicable, provided, the said duties and/or taxes has not been paid and goods have not been cleared from Customs.
- (e) Consumption of inputs by the EOU / EHTP / STP / BTP unit shall be based on the Standard Input Output Norms (SION) provided that:
 - (i) where no SION have been notified, generation of waste, scrap and remnants upto 2% of input quantity shall be allowed;
 - (ii) where additional items other than those given in SION are required as inputs or where generation of waste, scrap and remnants is beyond 2% of input quantity, use of such inputs shall be allowed by the jurisdictional DC within a period of three months from the date of application and based on self declared norms, with the unit undertaking to adjust self- declared / ad hoc norms in accordance with norms as finally fixed by Norms Committee in DGFT;
 - (iii) in case of any difficulty in fixation of SION as above, BOA in consultation with Norms Committee in DGFT, will decide on a case to case basis.

6.07 Taking out of Fax Machines / Laptop / Computers outside approved premises

- (a) EOU / EHTP / STP / BTP units may install one fax machine at a place of its choice, outside premises of unit, subject to intimation of its location to concerned Customs authorities.
- (b) EOU / EHTP / STP / BTP units may, temporarily take out of premises of unit, duty and/or tax free laptop / computers and video projection systems for working upon by authorized employees.
- (c) EOU / EHTP / STP / BTP units may install personal computers not exceeding two in number, imported / procured duty and/or tax free in their registered / administrative office subject to DoR guidelines.
- (d) For IT and IT enabled services, persons authorized by software units may access facility installed in EOU / EHTP / STP / BTP unit through communication links.

6.08 Facility of working from a place outside the unit

Person(s) / employee(s) authorized by a unit of (i) IT related EOU or (ii) STP or (iii) EHTP or (iv) BTP may work from a place outside the said unit, subject to the following conditions:

- (i) There must be an Authorisation from the unit specifying the duration of such authorisation.
- (ii) The Unit shall be responsible for carrying out the work and supervision and shall be liable for any misuse.
- (iii) Export of the resultant products / services would take place only from the premises of the unit.

6.09 Leasing of Capital Goods

Value of imported capital goods financed through leasing companies or obtained free of cost and / or on loan / lease basis, shall also be taken into account for purpose of calculation of NFE as defined in FTP.

6.10 Net Foreign Exchange (NFE) Earnings

- (a) EOU / EHTP / STP / BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner. NFE earnings shall be calculated cumulatively in the block period as per Paragraph 6.04 of FTP, according to the formula given below. Items of manufacture for export specified in LoP / LoI alone shall be taken into account for calculation of NFE.

Positive NFE = A-B>0

Where,

“NFE” is Net Foreign Exchange;

“A” is FOB value of exports by EOU / EHTP / STP / BTP unit and other supplies under para 6.08 of FTP;

“B” is sum total of CIF value of all imported inputs and CIF value of all imported capital goods, and value of all payments made in foreign exchange by way of commission, royalty, fees, dividends, interest on external borrowings / high sea sales during first five year period or any other charges. It will also include payment made in Indian Rupees on high sea sales; and

“Inputs” mean raw materials, intermediates, components, consumables, parts and packing materials.

- (b) If any goods are obtained from another EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ unit, or procured from an international exhibition held in India, or bonded warehouses or precious metals procured from nominated agencies, value of such goods shall be included under “B”.
- (c) If any capital goods are imported duty and/or tax free or leased from a leasing company, received free of cost and / or on loan basis or transfer, CIF value of capital goods shall be included pro-rata, under “B” for period it remains with units.
- (d) For annual calculation of NFE, value of imported capital goods and lump sum payment of foreign technical know-how fee shall be amortized as under: 1st– 10th year : 10%. Provided that above amortization rates would be applicable only if an undertaking is given by a unit that it will not exit to DTA in the first 10 years. For existing units, proportionate Customs and excise duty must be paid where NFE is less than depreciation already claimed, before exit.

6.11 Maintenance of Accounts

- a) EOU / EHTP / STP / BTP unit shall maintain proper account, and shall file digitally signed quarterly and annual report as prescribed in Annexure to Appendix 6E of Appendices & ANFs to DC / Designated Officer in MeitY / DoBT and Customs and Central Excise authorities. In addition, STP unit shall file, every month, report of services classified in Annexure V of Appendix 6E of Appendices & ANFs in the ‘Service Exports Reporting Form (SERF)’ prescribed in Annexure VI of Appendix 6E of Appendices & ANFs to the designated officer in STP. Use of SERF would be limited to capturing information on services exports from STPs.
- b) Unit shall be able to account for entire quantity of each category of homogenous goods imported / procured duty and/or tax free, by way of exports, sales / supplies in DTA or transfer to other SEZ / EOU / EHTP / STP / BTP units and balance in stock. However, at no point of time, units shall be required to correlate every import consignment with its exports, transfer to other SEZ / EOU / EHTP / STP / BTP units, sales in DTA and balance in stock. Any matter for clarification as to whether goods are homogenous or not shall be decided by Units Approval Committee.

6.12 Monitoring of NFE

Performance of EOUs shall be monitored by Units Approval Committee as per guidelines given in Appendix 6F of Appendices & ANFs. Performance of EHTP / STP / BTP shall be monitored by MeitY / DoBT jointly with jurisdictional Customs authority.

6.13 Conversion of Scrap / Dust / sweeping of Gold / Silver / Platinum into Standard Bars

Scrap / dust / sweeping of gold / silver / platinum may be sent to Government of India Mint / private mint from EOU / EHTP / STP units and returned to them in standard bars in accordance with procedure prescribed by Customs authorities, or may be permitted to be sold in DTA on payment of applicable GST and compensation cess along with reversal of duties of Customs leviable under First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 availed as exemption on inputs, on basis of gold / silver / platinum content, as may be notified by Customs authorities.

6.14 DTA Supplies

Notwithstanding provision of DTA sales in Paragraph 6.07 of FTP, such DTA sales shall not affect application, to any goods, of any other prohibition or regulation affecting import thereof in force at the time, when such goods are imported. This also does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from any commitment or compliance with any requirements to which importer may be subject to under other laws or regulations.

6.15 Supplies to other EOU / EHTP / STP / SEZ / BTP Units

Supplies to other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ units shall be counted towards NFE provided that such goods are permissible for procurement by these units.

6.16 Transfer of Power from one Unit to another

Transfer of power from Captive Power plants from one unit of EOU / EHTP / STP / BTP unit to another is permitted as prescribed in sector specific condition in Appendix 6B of Appendices & ANFs.

6.17 Supply of Precious / Semi-precious / Synthetic Stones from DTA

Supplier of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from DTA to EOUs shall be eligible for grant of Replenishment Authorisation at rates and for items mentioned in HBP. Procedure for submission of application for grant of Replenishment Authorisation as contained in relevant Chapter of HBP Vol. I shall be applicable. However, application shall be made to DC concerned. Such supplies to EOUs are not eligible for any of deemed export benefits under Chapter 7 of the FTP.

6.18 Application for grant of entitlements

Application for grant of all entitlements may be made to DC/Designated Officer concerned.

6.19 Export through Other Exporters

An EOU / EHTP / STP / BTP unit may export goods manufactured / software developed by it through other exporter, or any other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ unit subject to condition that:

- a) Goods shall be produced in EOU / EHTP / STP / BTP unit concerned.
- b) Level of NFE or any other conditions relating to imports and exports as prescribed shall continue to be discharged by EOU / EHTP / STP / BTP unit concerned.
- c) Export orders so procured shall be executed within parameters of EOU / EHTP / STP / BTP schemes and goods shall be directly transferred from unit to port of shipment.
- d) Fulfilment of NFE by EOU / EHTP / STP / BTP units in regard to such exports shall be reckoned on basis of price at which goods are supplied by EOUs to other exporter or other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ unit.
- e) All export entitlements, including recognition as Status Holder would accrue to exporter in whose name foreign exchange earnings are realized. However, such export shall be counted towards fulfilment of obligation under this scheme only.

6.20 Other Entitlements

- a) FOB value of export of an EOU / EHTP / STP / BTP unit can be clubbed with FOB value of exports of its parent company in DTA or vice versa for the purpose of according Status Holder Certificate.
- b) Sectoral norms as notified by Government shall apply to FDI in service activities.
- c) STP Units / EHTP Units / Software EOUs may also use all duty and/or tax free equipment / goods for training purpose (including commercial training), subject to condition that no duty free equipment / goods shall be installed outside premises of the unit for this purpose.
- d) Export of iron ore shall be subject to decision of Government. Requirements of other conditions of exports like minimum export price / export in consumer pack etc. as per ITC (HS) shall apply in case raw materials are sourced from DTA and exported without further processing / manufacturing by EOU. Export of textile items shall be covered by bilateral agreements,

wherever applicable. Wood based units shall comply with direction of Supreme Court contained in its order dated 12.12.1996 in Writ (civil) No 202 of 1995- T.N. Godavarman Thirrumulppad v/s Union of India and others with WP (Civil) No 171 of 1996 in regard to use of timber / other wood.

6.21 Sub-Contracting

- a) Sub-contracting by EOU gems and jewellery units through other EOUs, or SEZ Units, or units in DTA shall be subject to following conditions:-
 - (i) Goods, finished or semi finished, including studded jewellery, taken out for sub-contracting shall be brought back to unit within 90 days. However, the Customs Authorities may grant an extension of time beyond 90 days in deserving cases.
 - (ii) No cut and polished diamonds, precious and semiprecious stones (except precious, semi-precious and synthetic stones having zero duty) shall be allowed to be taken out for sub-contracting.
 - (iii) Plain gold / silver / platinum jewellery can be received from DTA / EOU/ SEZ units in exchange of equivalent quantity of gold / silver / platinum, as the case may be, contained in said jewellery.
 - (iv) EOUs shall be eligible for wastage as applicable as per paragraph 4.59 of HBP for sub-contracting and against exchange.
 - (v) DTA unit undertaking job work or supplying jewellery against exchange of gold / silver / platinum shall not be entitled to deemed export benefits under Chapter 7 of FTP.
- b) Facility of getting job work done from DTA unit will be available subject to condition that goods are brought back to premises of unit on completion of job work.
- c) Export of finished goods from job worker's premises may be permitted, provided such premises are registered with Central Excise/GST authorities. Where job worker is SEZ / EOU / EHTP / STP / BTP unit, export may be effected either from job worker's premises or from premises of unit. Export of such products from job worker's premises shall not be allowed through third parties as provided in FTP.
- d) EOUs may be permitted to remove moulds, jigs, tools, fixtures, tackles, instruments, hangers and patterns and drawings to premises of sub-contractors, subject to condition that these shall be brought back to premises of units on completion of job work within a stipulated period. Raw materials may or may not be sent along with these goods.
- e) In case of sub-contracting of production process abroad, goods may be exported from sub-contractor premises subject to conditions that at the time of clearance of goods, the EOU / EHTP / BTP / STP unit shall declare
 - (i) the transaction value of the finished goods to be cleared from the sub-contractor's premises abroad;
 - (ii) job work charges to be paid to the sub-contractor abroad; and
 - (iii) value of intermediate goods;
 supported with documents like sale price contract / or invoice for the finished goods, job work contract and the basis of arriving at the value of intermediate goods. The EOU / EHTP / BTP / STP unit shall also ensure full repatriation of foreign exchange declared as the transaction value of the finished goods cleared from the sub-contractor's premises abroad.

6.22 Contract Farming

EOUs engaged in production / processing of agriculture / horticulture / aquaculture products may, on basis of annual permission from Customs authorities, take out inputs and equipments (specified in Appendix 6I of Appendices & ANFs) to DTA farm subject to following conditions:

- a) Supply of inputs by EOUs to contract farm(s) shall be subject to input-output norms approved by DGFT / BOA.
- b) There shall be contract farming agreement between EOU and DTA farmer(s).
- c) Unit has been in existence for at least two years and engaged in export of agriculture / horticulture / aquaculture products; otherwise it shall furnish bank guarantee equivalent to duty and/or taxes foregone on capital goods / inputs proposed to be taken out, to Deputy / Assistant Commissioner of Customs, till unit completes two years.

6.23 Exports through Exhibitions / Export Promotion Tour

EOU / EHTP / STP / BTP units may export goods for holding / participating in exhibitions abroad, with permission of DC, subject to following conditions:

- a) Unit shall produce to Customs authorities letter in original, or its certified copy containing approval of DC. For gems and jewellery items, a self certified photograph of products shall also be submitted.
- b) In case of re-import, such items, on arrival shall be verified along with export documents before clearance.
- c) Items not sold abroad shall be re-imported within 60 days of close of exhibition. However, in case exporter is participating in more than one exhibition within 45 days of close of first exhibition, then 60 days shall be counted from date of close of last exhibition. In case of exhibition in USA, the time period shall be 90 days instead of 60 days mentioned above.
- d) In case of personal carriage of goods and for holding / participating in overseas exhibitions, value of such gems and jewellery shall not exceed US \$ 5 million.

6.24 Personal Carriage of Gems and Jewellery as samples for Export Promotion Tours

Personal carriage of gold / silver / platinum jewellery, cut and polished diamonds, precious, semi-precious stones, beads and articles as samples upto US \$ 1 million for export promotion tours, and temporary display / sale abroad by EOUs, is also permitted with approval of DC subject to following conditions:

- a) EOU shall bring back goods or repatriate sale proceeds within 45 days from date of departure through normal banking channel.
- b) Unit shall declare personal carriage of such samples to Customs while leaving country and obtain necessary endorsement.

6.25 Export through Show-rooms abroad / Duty free shops

Export of goods is also permitted for display / sale in permitted shops set up abroad or in showrooms of their distributors / agents. Items not sold abroad within 180 days shall be re- imported within 45 days.

6.26 Sale through Showrooms / Retail outlets at International Airports

EOUs may set up showrooms / retail outlets at International Airports for sale of goods in accordance with procedure laid down by Customs authorities. Items remaining unsold after a period of 60 days shall be exported or returned to respective EOUs.

6.27 Personal Carriage of Import / Export Parcels including through Foreign Bound Passengers

- a) For Personal carriage of jewellery by foreign bound passenger, following documents shall be submitted by EOUs as proof of exports:
 - (i) Copy of shipping bill filed by EOUs;
 - (ii) A copy of Currency Declaration Form filed by Foreign buyer with Customs at time of his arrival; and
 - (iii) Foreign Exchange Realisation / Encashment Certificate from Bank.
- b) In addition to this, Personal Carriage by foreign bound passenger on Document Against Acceptance (DA) / Cash On Delivery (COD) basis is also allowed. EOUs will have to furnish following documents as proof of exports:-
 - (i) Copy of Shipping Bill;
 - (ii) Bank Certificate of Export and Realisation.
- c) Procedure for personal carriage of import parcels will be same as for import of goods by airfreight except that parcels shall be brought to Customs by EOUs / foreign national for examination and release. Instructions issued by Customs authorities in this regard should be followed mutatis mutandis.
- d) Personal carriage of parts by foreign bound passengers shall be allowed in case same are required for repairs of exported goods at customer site. Following documents should be submitted as proof of exports:
 - (i) Permission letter from Customs for exports.
 - (ii) Invoice with value (for payment or free of charge).

6.28 Replacement / Repair of Imported / Indigenous Goods

- a) Units may send capital goods abroad for repair with permission of Customs authorities. Any foreign exchange payment for this purpose will also be allowed. However, no permission will be required for sending capital goods for repair within country.
- b) EOU / EHTP / STP / BTP units may, on basis of records maintained by them and prior intimation to Customs authorities:

- (i) Transfer goods to DTA / abroad for repair / replacement, testing or calibration and return.
- (ii) Transfer goods for quality testing / R&D purpose to any recognised laboratory / institution upto Rs. 10 lakh per annum without payment of duty and/or taxes as applicable in such cases on giving suitable undertaking to Customs for return of goods. However, if goods have been consumed / destroyed in process of testing etc. a certificate from laboratory / institution to this effect be furnished to Customs.

6.29 Samples

- a) EOU / EHTP / STP / BTP units may on basis of records maintained by them, and on prior intimation to Customs authority, supply or sell samples in DTA for display / market promotion on payment of excise duty, if applicable, and/or payment of GST and compensation cess alongwith reversal of duties of Customs leviable under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, if availed on inputs.
- b) Remove samples without payment of duty and/or taxes on furnishing a suitable undertaking to Customs authorities for bringing back samples within stipulated period.
- c) An EOU may export free samples, without any limit, including samples made in wax moulds, silver mould and rubber moulds through all permissible mode of export including through courier agencies / post. For statutory requirement of Stability & Retention sample with manufacturer, an EOU / EHTP / BTP / STP unit may re-import with or without payment of duties/taxes as provided at para 6.01(d)(ii) of FTP those samples, which were exported by it, under intimation to Customs Authorities, and FOB value of such samples shall not be counted for NEFT purpose and other export benefits, if any.
- d) An EOU, on basis of records maintained by them and on prior intimation to Customs authorities, may send samples to other EOUs for display on returnable basis within a period of 30 days.

6.30 Donation of Computer and Computer Peripherals

EOU / EHTP / STP / BTP unit may be allowed by Customs authorities concerned to donate imported / indigenously procured (bought or taken on loan) computer and computer peripherals, including printer, plotter, scanner, monitor, keyboard and storage units without payment of duty other than applicable taxes under GST Law, two years after their import / procurement and use by units, to a school run by Central Government, or Government of a State, or a Union Territory, or a local body; an Educational Institution run on non-commercial basis by any organization; a Registered Charitable Hospital; a Public Library; a Public Funded Research and Development Establishment; a Community Information Center run by Central Government or, Government of a State or, a Union Territory or local body; an Adult Education Center run by Central Government or, Government of a State or, a Union Territory or a local body or, an organization of Central Government or, a Government of a State or, a Union Territory as per Customs / Central Excise notification.

6.31 Distinct Identity

If an industrial enterprise is operating both as a domestic unit as well as an EOU / EHTP / STP/ BTP unit, it shall have two distinct identities with separate accounts, including separate bank accounts. It is, however, not necessary for it to be a separate legal entity, but it should be possible to distinguish imports and exports or supplies effected by EOU / EHTP / STP / BTP units from those made by other units of enterprise.

6.32 Unit Approval Committee for EOUs

- a) Composition of Unit Approval Committee shall be as under:
 - (i) Development Commissioner : Chairperson
 - (ii) Jurisdictional Commissioner of CBIC or nominee: member
 - (iii) Joint DGFT or nominee: Member
 - (iv) Joint / Deputy Development Commissioner of the Zone: Member
 - (v) Any other nominee of any Department / Agency as special invitee.
- (b) Powers and functions of Unit Approval Committee of EOUs shall be as under:
 - (i) To consider applications for setting up EOUs. Items of manufacture requiring industrial licence under Industrial (Development & Regulation) Act, 1951 shall be considered by BOA.
 - (ii) to consider and permit conversion of units in SEZ to EOU;
 - (iii) to monitor performance of units;
 - (iv) to supervise and monitor permission, clearances, licences granted to units and take appropriate action in accordance with law;

- (v) to call for information required to monitor performance of unit under permission, clearances, licenses granted to it;
- (vi) to perform any other function delegated by Central Government or its agencies;
- (vii) to perform any other function as may be delegated by State Governments or its agencies; and
- (viii) to grant all approvals and clearances for establishment and operation of EOUs

6.33 Approval of EHTP / STP / BTP Units

In case of units under EHTP / STP scheme, necessary approval / permission shall be granted by officer designated by MeitY / Director (STPI). Designated officer shall also exercise powers of adjudication under Section 13 read with Section 11 of FT(D&R) Act, 1992, as amended, in respect of STP / EHTP as mentioned in Gazette Notification No. S.O. 106 (E) dated 30-1-2006. Similarly in case of units under BTP, necessary approval / permission shall be granted by officer designated by DoBT. However, designated officers shall adopt criteria for automatic approval of new units as laid down in Appendix 6A of Appendices & ANFs.

6.34 Powers of DC / Designated Officer

DC / Designated Officer shall have following powers in respect to units. Jurisdiction of DC is given in Appendix 6J of Appendices & ANFs.

- a) Conversion of sick / closed DTA unit into EOU;
- b) Conversion of EOU to STP / EHTP / BTP and vice-versa as per prescribed procedure;
- c) To allow increase in value of capital goods in terms of Indian Rupees, on account of foreign exchange rate fluctuations;
- d) To permit capacity enhancement without any limit in case of delicensed industries only;
- e) Permit broad-banding for similar goods and activities mentioned in LoP or to provide for backward or forward linkages to existing line of manufacture;
- f) Authorize change in name of company or implementing agency and change from a company to another provided new implementing agency / company undertakes to take over assets and liabilities of existing unit;
- g) Permit change of location from place mentioned in LoP to another and / or include or exclude additional location/space provided that no change in other terms and conditions of approval is envisaged and that new location/space is within territorial jurisdiction of DC / Designated Office
- h) Extend validity period of LoP beyond initial validity period of LoP (except in case where there is a restriction on initial period of approval, like setting up of oil refinery projects) as per Paragraph 6.05 (a) of FTP;
- i) Cancel LoP wherever warranted;
- j) Permit merger of two or more units into one unit provided units fall within jurisdiction of same DC / Designated Officer subject to condition that activities are covered under provision of broad banding;
- k) Exercise powers of adjudication under Section 13 read with Section 11 of FT (D&R) Act, in respect of EOUs as mentioned in Gazette Notification No. SO.194(E) dated 6.3.2000;
- l) Do valuation of exports declared on SOFTEX form by EOUs as per RBI A.D. (M.A Series) Circular AP (DIR series Circular No.9 dated 25.10.2001);
- m) Issue eligibility certificates for grant of employment visa to low level foreign technicians to be engaged by EOUs as per Ministry of Home Affairs letter No. 25022/7/99-F.1 dated 20.9.1999;
- n) Registration-cum-Membership Certificate Function as a Registering authority for EOU / EHTP / STP / BTP unit. A separate Registration-cum-Membership Certificate shall not be required in their cases as provided for in Paragraph 2.56 of FTP ;
- o) Green Card Issue of Green Card automatically after execution of LUT;
- p) Grant / renewal of Status Certificate in respect of EOUs provided it does not involve clubbing of FOB value of exports of its parent company in DTA;
- q) Publicity of EOU / EHTP / STP / BTP Scheme under their jurisdiction.
- r) Exit from EOU/EHTP/STP/BTP Scheme (including grant of 'in-principle' exit letter as per Appendix 6K).

6.35 Change of Location / Inclusion of Additional Location with BOA Approval

BOA may consider change of location of EOU / EHTP / STP / BTP unit from place mentioned in LoP to another and / or to include additional location outside territorial jurisdiction of original DC / Designated Officer, subject to such conditions as BOA may decide.

6.36 Clearance of Capital Goods in DTA

Clearance of capital goods, including second hand, in DTA shall be allowed as per para 6.14(b) of FTP and import policy in force on date of such clearance.

6.37 Depreciation Norms

Depreciation up to 100% is permissible for Computers and Computer peripherals in 5 years and 10 years in case of other items.

(a) Depreciation Norms for Computers and Computer Peripherals:

Depreciation for computers and computer peripherals shall be as follows.

10% for every quarter in first year;

8% for every quarter in second year;

5% for every quarter in third year;

1% for every quarter in fourth and fifth year.

(b) Depreciation Norms for Other Capital Goods:

For capital goods, other than above, depreciation rate would be as follows:

4% for every quarter in first year;

3% for every quarter in second and third year;

2.5% for every quarter in fourth and fifth year;

2% for every quarter thereafter.

6.38 Conversion

- a) Existing DTA units, may also apply for conversion into an EOU /EHTP / STP /BTP unit, but no concession in duties and taxes would be available under scheme for plant, machinery and equipment already installed. For this purpose, DTA unit may apply to DC / Designated Officer concerned in same manner as applicable to new units. In case there is an outstanding export commitment under Advance Authorisation Scheme, it will follow the procedure laid down in Appendix 6M of Appendices & ANFs. In case DTA unit has taken EPCG authorisation, the conversion would be permitted only if either the unit has fulfilled the stipulated Export obligation and obtained EODC or has made payment of applicable duties and taxes and compensation cess on capital goods imported under the EPCG Scheme.
- b) Existing EHTP / STP / BTP units may also apply for conversion / merger to EOU unit and vice-versa. In such cases, units will continue to avail permissible exemption in duties and taxes as applicable under relevant scheme. EHTP / STP/ BTP units desiring conversion as an EOU may apply to DC concerned through Officer designated by MeitY / DoBT in same manner as applicable to new units. Likewise, EOU desiring conversion into EHTP / STP / BTP may apply to officer designated by MeitY / DoBT through DC concerned.
- c) An EOU may be shifted to SEZ with approval of DC provided EOU has achieved pro-rata obligation under EOU scheme.

6.39 Fast Track Clearance Procedure

- a) Eligibility: EOUs having a status holder certificate under FTP shall be eligible for Fast Track Clearance Procedure.
- b) Examination of Import Cargo: Status holder units shall be exempted from examination of import cargo at port of import. However, jurisdictional Commissioner of Customs may examine consignments at unit's place on random basis.
- c) Installation of Computers: Eligible EOUs may install two computers in their administrative / registered office outside premises of the unit under prior intimation to jurisdictional Asstt. / Deputy Commissioner of Customs.
- d) Procurement of DG sets: Procurement of DG set of capacity commensurate with actual requirement of unit shall be permitted under intimation to DC and jurisdictional Customs authority.
- e) Temporary removal of Capital Goods: Eligible EOU may remove their capital goods or parts thereof for repairs under prior intimation to jurisdictional Asstt. / Deputy Commissioner of

- Customs or Central Excise.
- f) Personal carriage of samples: Personal carriage of samples of Gems & Jewellery by status holder EOUs are allowed subject to limit fixed in Paragraph 6.24 without a need for prior permission from DC / Customs.
- g) Activities which do not require permission: In respect of following activities of a status holder, permission will not be required from DC or jurisdictional Central Excise/Customs authority: DTA sale of finished products in terms of Paragraph 6.07(a) of FTP; Participation in exhibition and Personal carriage of Gems & Jewellery for export promotion tours subject to fulfilment of conditions of Paragraph 6.23 of HBP. However, prior intimation thereof needs to be given.

6.40 Time Bound Disposal of Applications

DC shall dispose of applications expeditiously. Following time schedule shall normally be followed to dispose of applications provided application is complete in all respects and is accompanied with prescribed documents.

S. No.	Category of Application	Time limit for disposal(days)
1	Issue of LoP / LoI	15
2	Conversion of LoP / LoI	15
3	Acceptance of LUT	3
4	Renewal of LUT	3
5	Permission for broad banding / Diversification	3
6	Permission for change in locations	7
7	Permission for Advance DTA sale	2
8	Permission for merger of units	7
9	Permission for enhancement of production capacity	3
10	Cancellation of LoP	3
11	Permission for debonding / exit	7
12	Permission for DTA sale	2
13	Eligibility certificate for employment visa for lower level technicians	2
14	Issue of Green Card	2
15	Renewal of Green Card	Same Day
16	Permission to lease CG	1
17	Permission for disposal of scrap / waste	2
18	Permission for change in name	2
19	Inter Unit Transfer	2
20	Wastage Norms, ad-hoc	2
21	Permission for re-import	Same day
22	Permission for re-export	Same day
23	Permission for replacement / repair of goods	Same day
24	Authorisation of softex form	1
25	Reimbursement of CST claims	7
26	Issue of GSP Certificate	Same day
27	Permission for conversion of EOU to STPI/EPCG	5
28	Permission of final exit of EOU	5

29	Permission of extension of EOU	2
30	Permission to allow increase in value of CG	2
31	Permission for export through exhibition / tour	2
32	Reimbursement of Duty Drawback / TED	7

Chapter-7 Deemed Exports

7.00 Policy

Policy relating to Deemed Exports is given in Chapter 7 of FTP.

7.01 Procedure for claiming Benefits

- (a) Supplier / Recipient of goods shall submit application for claiming deemed export benefits, in ANF-7A, along with the documents prescribed therein, to the concerned RA.
- (b) In case of supply of goods to an EOU, claim shall be filed with the concerned Development Commissioner. A DTA Unit shall claim benefits from the concerned RA.

7.02 Criteria for claiming Benefits

- (a)
 - (i) In respect of supply of intermediate goods to Advance Authorisation / DFIA holder, against Invalidation Letter, issued in terms of Paragraph 4.13 of HBP, application to obtain Advance Authorisation for import of duty free inputs, as provided under Chapter 4 of FTP, shall be made as per procedures given in Chapter 4 of HBP. For supplies against invalidation letter, TED refund shall be given in accordance with para 7.03(c) of FTP, provided, there is no exemption.
 - (ii) In respect of supply of goods to Advance Authorisation / DFIA, against ARO, procedure given in Chapter 4 of the HBP shall be followed. TED refund for supplies against ARO shall be allowed in accordance with para 7.03(c) of FTP, provided, there is no exemption. Duty Drawback shall be allowed in accordance with para 7.06 of FTP.
- (b) In respect of supply of goods to EOU / EHTP / STP / BTP, Advance Authorisation / DFIA can be obtained as per procedure given in the Chapter 4 of HBP for exemption from payment of Terminal Excise Duty, procedure as per Excise Circular number 851/9/2007-CX dated 3.5.2007 read with circular No. 10/2009- Cus dated 25.2.2009, shall be followed for removal of goods against CT-3. TED refund shall be given for supply of goods to EOU / EHTP / STP / BTP in accordance with para 7.03(c) of FTP, provided, there is no exemption. In case Advance Authorisation, as provided in Chapter 4 of FTP, is not obtained for import of duty free inputs against such supply, drawback claim for basic custom duty paid on inputs, used in the resultant product, shall be filed with the DC concerned. A DTA Unit shall claim benefits from the concerned RA.
- (c) In respect of supply of goods to an EPCG Authorisation holder, against Invalidation Letter, application for Advance Authorisation / DFIA shall be made as per procedures given in Chapter 4 of HBP. If Advance Authorisation / DFIA is not obtained for duty free inputs, Duty drawback shall be allowed on basic custom duty paid on inputs used in the resultant product.
- (d) In respect of supply of goods to other categories as listed in the Paragraph 7.02 (d), (e), (f) & (g) of FTP, Advance Authorisation / DFIA for import of duty free inputs as provided under Chapter 4 of FTP may be obtained against Project Authority Certificate as per Appendix-7C. However, if Advance Authorisation / DFIA is not obtained against such supplies for duty free inputs as provided in Chapter 4 of FTP, claim for duty drawback for basic custom duty may be filed as per ANF-7A. TED refund for projects mentioned in para 7.08(iii)(a) of FTP in respect of eligible items of supply covered under schedule IV of Central Excise Act, 1944, shall be available provided there is no exemption.

7.03 Eligibility criteria for claiming TED / Drawback

- (a) Application can be filed either by supplier or by recipient of goods, having IEC Number.
- (b) Application can be made by Registered office / Head office or Manufacturing unit.
- (c) In case supplier files claim for TED refund, it shall obtain a certificate for non- availment of CENVAT credit from the recipient of goods as per Annexure-I to ANF-7A and submit the same. In case recipient of goods is an applicant, then the applicant itself shall submit such certificate.
- (d) In case recipient unit files claim for TED / Duty Drawback, disclaimer certificate as prescribed in the Annexure-III to ANF-7A shall be obtained from supplier and shall be submitted along with the

application. In case supplier of the goods is an applicant then the disclaimer certificate from the recipient of the goods shall be submitted.

- (e) Claim can be filed only after payment is received in full, to the extent of supplies made.
- (f) Claim can be filed against payment received through normal banking channel, as per e-BRC. In other words, supply documents have to be negotiated through bank only. In respect of supplies covered under Paragraph 7.02 (d) to (g) of the FTP, payment certificate issued by Project Authority, in Appendix-7D, has also to be submitted.
- (g) Sub-contractor can also file claim provided its name is endorsed in the Project Authority Certificate / Contract before supply of such goods.

7.04 Procedure for claiming TED refund on Fuel

For supply of High Speed Diesel (HSD) from Depots of domestic oil Public Sector Undertakings under Paragraph 7.02(b) of FTP, terminal excise duty shall be refunded on the basis of duty paid certificate issued by concerned domestic oil Public Sector Undertaking in the format given in Annexure-IV to ANF-7A. Duty refund will be allowed for quantity of HSD procured by EOU / EHTP / STP / BTP unit for its production activities, as certified by concerned DC / Bond authorities.

7.05 Frequency of application and time period for claiming TED / Drawback

- (a) In respect of supplies covered in Paragraphs 7.02 (a) to (c) of FTP, application for TED refund / drawback (whichever applicable) may be filed within 12 months from the date of realisation of 100% payment against such supplies. In cases where payment is received in advance and supply is made subsequently, in such cases application can be filed within 12 months from the last date of such supplies. Claim can be filed 'Invalidation Letter / ARO wise' against individual Authorisation within the time limit as specified above.
- (b) In respect of supplies covered in Paragraphs 7.02 (d) to (g) of FTP, claim may be filed either on the basis of proof of supplies effected or payment received. Claims should be filed within a period of twelve months from date of receipt of supplies by project authority or from date of receipt of the payment by supplier as per the option of applicant, either against a particular project or all the projects. Claims may also be filed where part payments have been received. Deemed export benefits may be allowed after 100% supplies have been made. However, benefit will be limited to the extent of payment received.

7.06 Rate of Drawback

Normally drawback may be allowed as per All Industry Rate fixed by DoR in the Drawback Schedule where no CENVAT credit has been availed by supplier of goods. However, an application in ANF-7A, along with documents prescribed in ANF-7A & Appendix-7E, may be made to RA or DC concerned, as the case may be, for fixation of brand rate where All Industry Rate of Drawback is not available or same is less than 4/5th of duties actually paid on raw materials or components used in the production or manufacture of the said goods.

7.07 Time barred / supplementary claim

In case claim is filed after prescribed time period, provision of late cut, under Paragraph 11.02 of HBP and provision of supplementary claim under Paragraph 11.03 of HBP shall be applicable.

7.08 Exemption from payment of TED

For claiming exemption from payment of terminal excise duty, wherever applicable, procedure prescribed by Central Excise Authority shall be followed.

7.09 Applicability of other Rules

Subject to procedure laid down in HBP, Customs and Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995 or Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, as the case may be, shall apply mutatis mutandis to deemed exports scheme.

7.10 Payment of interest

- (a) RA shall make payment within 30 days from the date of issuance of Approval Letter. In case payment is not made within the time period as given above, then RA shall add interest component, along with principal amount, in accordance with paragraph 7.09 of the FTP. No separate application for claiming interest is required to be made. A single mandate shall be issued to the bank for principal amount and interest.
- (b) If interest is not added by RA/DC, a separate application, as per ANF-7B may be filed, within 30 days from the date of receipt of principal amount. No interest shall be paid thereafter. RA shall maintain separate account for disbursement of principal amount and interest for accounting purpose.
- (c) RA shall submit a monthly report regarding disbursement of deemed exports claims, in the proforma

as given in Appendix-7F. Wherever interest is paid, RA shall inform the reason for payment of interest.

7.11 Internal Audit Mechanism

The zonal offices of Additional DGFT shall constitute Audit team in their offices as per paragraph 7.10 of FTP and shall carry out post Audit.

Chapter-8 Quality Complaints and Trade Disputes

8.01 Committee on Quality Complaint & Trade Dispute (CQCTD)

For effective dealing of quality complaints and trade disputes, a Committee on Quality Complaint & Trade Dispute (CQCTD) is constituted in the 20 offices of the DGFT. Name of the office, where CQCTD has been constituted and jurisdiction of CQCTD is given in the table below:

Sl. No.	Location of CQCTD	Designation of Chairperson	Jurisdiction of the CQCTD
Northern Zone			
1	Addl. DGFT, CLA, New Delhi	Addl. DGFT	CLA, New Delhi
2	Jt. DGFT, Panipat	Jt. DGFT	RA, Panipat
3	Jt. DGFT, Jaipur	Jt. DGFT	RA, Jaipur
4	Jt. DGFT, Kanpur	Jt. DGFT	RA, Kanpur
5	Addl. DGFT, Ludhiana	Addl. DGFT	RA, Ludhiana; RA, Jammu and RA, Srinagar
6	Jt. DGFT, Varanasi	Jt. DGFT	RA, Varanasi
Western Zone			
7	Addl. DGFT, Mumbai	Addl. DGFT	RA, Mumbai and RA, Nagpur
8	Jt. DGFT, Pune	Jt. DGFT	RA, Pune
9	Dy. DGFT, Vadodara	Jt. DGFT	RA, Vadodara
10	Addl. DGFT, Ahmedabad	Addl. DGFT	RA, Ahmedabad
11	Jt. DGFT, Surat	Jt. DGFT	RA, Surat
12	Jt. DGFT, Indore	Jt. DGFT	RA, Indore and RA, Bhopal
13.	Jt. DGFT, Rajkot	Jt. DGFT	RA, Rajkot
Eastern Zone			
14	Addl. DGFT, Kolkata	Addl. DGFT	RA, Kolkata and RA, Guwahati
Southern Zone			
15	Addl. DGFT, Chennai	Addl. DGFT	RA, Chennai
16	Addl. DGFT, Bangalore	Addl. DGFT	RA, Bangalore
17.	Addl. DGFT, Hyderabad	Addl. DGFT	RA, Hyderabad
18	Jt. DGFT, Coimbatore	Jt. DGFT	RA, Coimbatore
19	Dy. DGFT, Vishakhapatnam	Dy. DGFT	RA, Vishakhapatnam
20	Jt. DGFT Cochin	Jt. DGFT	RA, Cochin

8.02 Composition of the CQCTD

The CQCTD may comprise the following members:

1. Additional DGFT/Joint DGFT/ (H.O.O):Chairperson
2. Representative of Bureau of India Standard (BIS):Member
3. Representative of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority

- (APEDA): Member
4. Representative of the Branch Manager of the concerned Bank: Member
 5. Representative of Federation of Indian Exporter Organisation (FIEO)/ and OR Export Promotion Council/Commodity Boards: Member
 6. Representative of Export Inspection Agency: Member
 7. Nominee of Director of Industries of State Government: Member
 8. Nominee of Development Commissioner of MSME: Member
 9. Officer as nominated by Chairperson: Member Secretary
 10. Any other agency, as co-opted by Chairperson: Member.

8.03 Online Filing and Tracking of Quality Complaints/Trade Disputes

A request for investigation and settlement of quality complaint/trade dispute would be filed online by an Indian/foreign entity at “www.dgft.gov.in>Services>Quality Complaints & Trade Disputes>fill Online Application Form”. Such complaint would be submitted online to the jurisdictional Regional Authorities of DGFT as well as to the concerned Indian Mission. On submission, a Unique Reference Number will be generated and sent to the email id of the complainant. The complainant can also upload supporting documents along with the complaint or later on.

8.04 Mechanism for resolving Quality Complaints/Trade Disputes

- i. CQCTD in the Regional Authorities of the DGFT would take up the matter with the concerned entity or authorities in their jurisdiction for resolving the complaint and would update status online on a regular basis,
- ii. Wherever necessary, action would be taken against the erring Indian Entity under the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended and the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993, as amended,
- iii. The Indian Missions would take up the issue with authorities concerned for resolving the complaint and would update status online on regular basis,
- iv. The facility of tracking and viewing status of the complaints/disputes by the complainant has also been provided on the DGFT website.

8.05 Choice to pursue other options

This mechanism is to provide an additional window for resolution of complaints/disputes to create confidence in business environment in the country. Efforts would be made to resolve the complaints amicably and expeditiously. However, this mechanism is only conciliatory in nature. The aggrieved parties are free to pursue any other course of action including legal action against the erring party. Disputes between two Indian parties or between two foreign parties are not covered under this mechanism.

Chapter-9 **Promoting Cross Border Trade in Digital Economy**

9.00 Policy

The given chapter elaborates on the procedures in relation to the Policy as notified under ‘Cross Border E-Commerce from India’ i.e., Chapter 9 of the Foreign Trade Policy.

9.01 Foreign Trade Policy Benefits/Schemes to e-Commerce Exporters

Suitable IT enablement shall be undertaken to ensure seamless delivery of Foreign Trade Policy Benefits/Schemes to e-Commerce Exporters.

9.02 E-COMMERCE EXPORT HUBs (ECEHs)

a) Creation of ECEH

- i. Application for creation/notification of an ECEH area shall be made to the DGFT.
- ii. The authority for approval for an ECEH vests with the DGFT. DGFT shall constitute a committee for evaluation of ECEH applications. The Committee shall have a member from the Department of Revenue besides any other members as required from time-to-time.
- iii. DGFT may specify export products or markets, which shall not be eligible for ECEH operations. The negative list of items that cannot be dealt within the ECEHs shall be notified separately.

b) Administration of ECEH

- i. The ECEH developer shall provide an annual statement of accounts as per instructions in this regard.
- ii. DGFT shall notify procedures for supervision and inspections at ECEHs. An independent evaluation and assessment mechanism may also be developed.

Chapter-10

SCOMET: Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies

10.00 Policy

Policy relating to general provisions governing the export of dual use items, munitions and nuclear related items, including software and technology, viz. SCOMET, is specified in Chapter 10 of FTP.

10.01 Coverage

This chapter covers the procedure for various applications relating to export of dual use items under SCOMET.

10.02 SCOMET categories and licensing jurisdiction

Export of dual use items, munitions and nuclear related items, including software and technology, covered under SCOMET list are permitted against an export authorisation, unless prohibited or specifically exempted. Licensing authorities for various categories of SCOMET items, as specified in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) and tabulated under Para 10.03 of FTP are as under:

- (a) The DGFT is the licensing authority for all SCOMET categories, including Sub-category 6A007, 6A008, except Categories 0, 6, Note 2 of Commodity Identification Note (CIN) of SCOMET list, and any other sub-category as may be specified.
- (b) The Department of Atomic Energy (DAE) is the licensing authority for items in Category 0 and Note 2 of the 'CIN'. Applicable guidelines are notified by the DAE for Nuclear Transfers (Exports) and Notification of schedule of Prescribed Substances, Prescribed Equipment and Technology" issued under Atomic Energy Act 1962 and Atomic Energy (Working of Mines, Minerals and Handling of Prescribed Substance) Rules 1984. For certain items in Category 0, formal assurances from the recipient State will include non-use in any nuclear explosive device. Authorisations for export of certain items in Category 0 will not be granted unless transfer is under adequate physical protection and is covered by appropriate International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards, or any other mutually agreed controls on transferred items.
- (c) The Department of Defence Production (DDP) in the Ministry of Defence is the licensing authority for items in Category 6 of SCOMET known as 'Munitions List' [except those covered under Note 2 of CIN to SCOMET and Note 3 of Munitions List (i.e. items under Category 6A007, 6A008)] irrespective of end use of the items, whether military or civil. Export Authorisation under Category 6 of SCOMET is granted by the DDP as per their extant guidelines/Standard Operating Procedure (SOP), to be issued from time to time.

10.03 Supply of SCOMET Items from DTA to SEZ/EoU and outside the country

No export authorisation is required for supply of SCOMET items from DTA to SEZ/EoU. Export Authorisation is, however, required if the SCOMET items are to be physically exported outside the country from SEZ/EoU, i.e. to another country (Refer Rule 26 of the SEZ Rules, 2006). All supplies of SCOMET items from DTA to SEZ/EoU will be reported to the Development Commissioner (DC) of the respective SEZ/EoU by the supplier in the prescribed proforma [Annexure 1 to Appendix-3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items] within one week of the supplies getting effected. An annual report of such supplies from DTA to SEZ/EoU shall be reported to DGFT (Hqrs), by the DC of SEZ/EoU in the prescribed proforma [Annexure 2 to Appendix-3] by 15th May of every financial year, in respect of supplies from DTA to SEZ/EoU during the preceding financial year.

10.04 Application and Documentation for SCOMET Authorisation

- (a) An application for grant of Export Authorisation in respect of SCOMET items, including software and technologies mentioned in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items may be made in prescribed proforma [ANF 10A, ANF-10B, ANF-10C, ANF-10D, ANF-10E, ANF-10F] as may be applicable, to the DGFT (Hqrs) along with documents as prescribed in relevant Appendices.
- (b) However, such applications are mandatorily to be filed through online system under the icon Services → Export Management System → SCOMET on the website of DGFT.
- (c) While submitting the online application, all the required documents as applicable and specified in relevant Appendices are to be uploaded as PDF files. Manual submission of application with DGFT (HQ) is dispensed. However, original End User Certificate(s) as per the applicable format (specified in relevant Appendix) or Legal Undertaking for temporary exports is/are to be submitted in hard copy along with covering letter clearly indicating file number of application on subject line to SCOMET Cell of DGFT (HQ), Vanijya Bhawan, New Delhi, besides electronic submission.
- (d) Application shall be accompanied by an EUC as per the applicable format (relevant Appendix), certifying

that:

- The item will be used only for stated purpose and that such use will not be changed, nor items modified or replicated without consent of Government of India;
 - Neither the items nor replicas nor derivatives thereof will be re-transferred without consent of Government of India;
 - End-user shall facilitate such verifications as are required by Government of India.
- (e) The end-user certificate will indicate the name of the item to be exported, the name of the importer and all the entities in the supply chain, the specific end-use of the subject goods, details of Purchase Order/Contract, etc.
- (f) Government of India may also require additional formal assurances, as deemed appropriate, including those on end-use and non-transfer, from the State of the recipient.

Additional end-use conditions may be stipulated in Authorisations for export of items, including software and technology, based on an assessment of proliferation concerns and other factors.

10.05 Additional controls on Non-SCOMET items for dual use (Catch-all controls)

If the exporter has been notified in writing by DGFT or he knows or has reason to believe that an item not covered in the SCOMET list has a potential risk of use in or diversion to Weapons of Mass Destruction (WMD) or in missile system or military use (including by terrorists and non-state actors), he shall apply for a SCOMET authorisation. The export of such an item may be denied or permitted as per the procedure provided for SCOMET items in Paragraph 10.06 of HBP.

Note: “Military use” shall mean incorporation into items listed under SCOMET Category 6 or for the use, development, or production of military items listed in this category.

Exporter who is going to export/transfer such items regulated under Catch-all Controls is required to obtain a SCOMET license from DGFT. IMWG examines such applications filed in prescribed proforma [ANF 10A] alongwith relevant documents in terms of Para 10.06 of HBP.

10.06 Inter Ministerial Working Group (IMWG)

An Inter-Ministerial Working Group (IMWG) in DGFT (Hqrs.) comprising representatives of other Ministries / Departments / Organisations of the Government of India, as considered appropriate, shall consider applications for export of SCOMET items as specified in Appendix-3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items based on the following guidelines / factors:

- I. Applications for Authorisation to export items or technology or software on SCOMET List are considered on the basis of following general criteria:
 - (a) Credential of end-user, credibility of declaration of end-use of the item or technology, integrity of chain of transmission of item from supplier to end-user, and on potential of the item or technology, including timing of its export, to contribute to end-uses that are not in conformity with India’s national security or foreign policy goals and objectives, goals and objectives of global non-proliferation, or India’s obligations under International Treaties/Agreements/Conventions to which it is a State party.
 - (b) Assessed risk that exported items will fall into hands of terrorists, terrorist groups, and non-State actors;
 - (c) Export control measures instituted by the recipient State;
 - (d) Capabilities and objectives of programmes of the recipient State relating to weapons and their delivery;
 - (e) Assessment of end-use(s) of item(s);
 - (f) Applicability of provisions of relevant bilateral or multilateral Agreements and Arrangements, to which India is a party, or adherent. This is including but not limited to the control lists of the Nuclear Suppliers Group, Missile Technology Control Regime, Australia Group (and its Warning List or Awareness Raising Guidelines) and Wassenaar Arrangement (and its Sensitive List and Very Sensitive List) as amended from time to time;
- II. **TIMELINE FOR COMMENTS/NOC BY IMWG MEMBERS:** THE MEMBERS OF IMWG WILL ENDEAVOUR TO FURNISH THEIR WRITTEN COMMENTS/VIEWS/NO OBJECTION TO DGFT WITHIN 30 DAYS FROM THE DATE OF FORWARDING OF ONLINE APPLICATION BY DGFT (HQRS.). IF NO COMMENTS/VIEWS/NO OBJECTION IS RECEIVED WITHIN THE STIPULATED PERIOD, THE CASES WILL BE PLACED BEFORE IMWG FOR TAKING A DECISION AS DEEMED APPROPRIATE.
- III. The IMWG shall normally meet once every month. Where a case has been deferred in the IMWG meeting and subsequently comments/views/NOC(s) are received from all concerned agencies with no divergence in views, authorisation shall be issued with the approval of Chairman, IMWG and the case shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for approval on ex-post facto basis.
- IV. Case(s) where a decision could not be arrived at in IMWG shall be placed before Director General of Foreign Trade for appropriate decision on grant of authorisation.

After the approval of SCOMET application by the IMWG or Chairman, IMWG, as the case may be, export authorisation shall be issued by the SCOMET Cell in DGFT (Hqrs).

10.07 Applicability of Weapon of Mass Development Act (WMD Act)

Export of items not on SCOMET List may also be regulated under provisions of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005.

10.08 Procedure/ Guidelines for filing / Evaluation of Applications for Entering into an Arrangement or Understanding for Site Visits, On-site Verification and Access to Records /Documentation

An application for entering into an arrangement or understanding involving site visit, on-site verification or access to records/documentation by a foreign government or a foreign third party either acting directly or through an Indian party as mentioned in Appendix 3 of Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items shall be made to DGFT (Hqrs.), New Delhi, in proforma ANF 10E along with relevant documents as prescribed therein, including Appendix 10L. These applications shall be considered by IMWG in DGFT (Hqrs.) based on the guidelines/general criteria as specified in Appendix-10A and permission for arrangement or understanding involving site visit, on-site verification or access to records / documentation will be subject to the conditions specified in Appendix-10A.

10.09 Issue of authorisation for Repeat Orders of SCOMET item(s)

An application for grant of an Authorisation for repeat orders (excluding Category 3A401 and software and technology under any category) for export of same SCOMET items to the same country/entities shall be made in prescribed proforma [ANF 10A] through online SCOMET portal along with other supporting documents, as prescribed in Appendix 10B(i) and Appendix 10B(ii). The application shall be considered by Chairman IMWG, without consultation with IMWG members. However, in cases of repeat orders for export of same SCOMET item to different country/entities approval will be granted by Chairman IMWG after verification of credentials of foreign buyer/consignee/end-user only. Subsequent to issue of export authorisation, the IMWG through relevant agency(ies) may verify exports made under repeat orders, based on an assessment of various factors.

The approval will be subject to the fulfilment of the following criteria:

- (i) Same SCOMET items would imply that the products, along with the technical specifications, are exactly the same for which export authorisation has been issued to the applicant exporter earlier after due consultation/verification;
- (ii) Same country/entities would imply that (a) the foreign buyer (b) the consignee or the intermediaries, if any (c) the end user and (d) the end use are exactly the same for which export authorisation has been issued to the applicant exporter earlier after due consultation/verification;
- (iii) Only the applications submitted within three years from the date of Issue of original SCOMET authorisation, after due verification/consultation process, will be eligible for repeat authorisation;
- (iv) The cumulative quantity permitted against repeat export authorisations shall be commensurate with the operational capacity of the end user in respect of the relevant product, as certified by the end user. A certificate to this effect from the end user on prescribed proforma [Appendix 10B(i)] shall be submitted by the exporter along with the application for a repeat authorisation;
- (v) A declaration by the authorized signatory of the exporter firm on the qualifying conditions as per (i) to (iv) above shall be submitted on prescribed proforma [Appendix 10B(ii)] along with the application for consideration under the repeat order route;
- (vi) The authorisations(s) for repeat orders shall be liable for recall/termination by the DGFT on receipt of an adverse report in respect of any of the export consignments;
- (vii) All authorisations for repeat orders shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for confirmation of approval, on ex-post facto basis, and the IMWG would reserve its right to refuse further repeat authorisations based on its assessment of proliferation concerns;

10.10 Issue of export authorisation for "Stock and Sale" of SCOMET items

Application for grant of authorisation for bulk export of SCOMET items (excluding Category 0, Category 3A4001, Category 6 and transfer of technology under any category) from an Indian exporter to an entity abroad (hereinafter referred to as 'stockist') for subsequent transfer to the ultimate end users shall be considered by IMWG, on the following conditions:

Applicability and scope of policy

- a. 'Stockist' refers to the entity abroad to whom the SCOMET items are originally exported by Indian principal/wholly owned subsidiary. The Stockist entity should be a subsidiary/principal company abroad of the

Indian exporter;

- b. Export shall be permitted from the Indian parent company (applicant exporter) to its foreign subsidiary company or from the Indian subsidiary of foreign company (applicant exporter) to its foreign parent/another subsidiary of foreign parent company and; on the basis of an End Use declaration from the stockist, through the specified End User Certificate (EUC) for 'stock & sale' purpose;

Note: IMWG may relax the provisions of a. and b. above in certain cases, considering the description/end use/end user of the item.

Application for export to stockist abroad and transfer to end users in specific countries

- c. The exporter shall submit application in prescribed proforma (ANF-10B) along with following documents from the stockist:
 - i. Documentary proof regarding corporate relationship between the Indian exporter and stockist;
 - ii. End-use/End-user Certificate from stockist entity abroad in Appendix-10J(iii)
 - iii. List of countries (in the EUC) to which the items imported from India would be exported by the stockist;
 - iv. Purchase Order(s)/Invoice(s) or a document in lieu thereof;
 - v. Technical specifications of the product(s);
 - vi. Copy of Internal Compliance Program (if applicant exporter/ stockist entity has one)

In-principle approval for export to the stockist, and, for sale by stockist within the country of the stockist, and, for re-export by stockist to end user in other countries

- d. The application would be assessed for grant of authorisation for export to the stockist, and, for grant of in-principle approval for re-export to specified countries of ultimate end use approved by the IMWG;
- e. No authorisation would be required for transfer from the stockist to the ultimate end user(s) within the country of the stockist and for re-export to end users in such approved countries;
- f. Re-export to such approved countries would be subject to the export control regulations of the country of the stockist;
- g. Country would denote an independent sovereign entity which is a distinct national entity in political geography. Hence, transfers within an economic union or a customs union would not qualify as "same country transfers";

Post-reporting for same country transfer and re-export to pre-approved countries by the stockist

- h. In case of sale/transfer by the stockist within the same country and for re-export/re-transfer to the end users in countries, for which, in-principle approval has been granted, the Indian exporter/licensee shall submit details of all such transfers to SCOMET Division of DGFT (Hqrs) in ANF-10B, including EUCs[Appendix-10J(i), 10J(ii) as applicable] from all ultimate end users and Bill of Entry into the ultimate destination countries(for export outside the country of stockist), within 3 months of every such transfer;

Application for re-export to other countries (other than pre-approved)

- i. In respect of re-export/re-transfer of items from the stockist entity to the end users outside the country of the stockist, for which, in-principle approval has not been granted at the initial stage, the Indian exporter (stock and sale authorisation holder) shall submit application for re-export/re-transfer to SCOMET Division in DGFT (Hqrs), in ANF 10B, through email (scomet-dgft@nic.in), after obtaining following documents from the stockist entity:
 - (i) End-use/End-user Certificate from each link in the supply chain as per Appendix-10J(i), 10J(ii), as applicable;
 - (ii) Purchase Order(s)/Invoice(s) or a document in lieu thereof ;
 - (iii) Technical specifications of the product to be transferred (only if there is any value addition in the product by the stockist)
- j. IMWG shall consider export authorisations for allowing such re-export/re-transfer based on end use/end user verification;

Repeat Order cases

- k. Applications for export of same SCOMET items to same stockist entity, and re-export/re-transfer of same SCOMET items from the stockist entity to the end-users (within the country of stockist entity and only the countries of ultimate end use where in-principle approval has been granted), i.e. repeat orders, shall be considered by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members;

Annual reporting on inventory of the stockist and transfers/re-exports

- l. The Indian exporter (Stock & Sale Authorisation holder) shall submit a statement of exports made from India to the stockist, transfers made by the stockist to the final end-users and inventory with the stockist, as on 31st December of each calendar year, by 31st January of the following year. A failure to do so may entail imposition of penalty and /or cancellation of authorisation under the stock and sale policy;
- m. The items exported to the stockist entity under the stock and sale authorisation should be transferred to the final end-user(s) within the validity period of the authorisation as in paragraph 10.17 of HBP;
- n. The authorisation may be revalidated as per the procedure mentioned in paragraph 10.20 of HBP;

10.11 Issue of export authorisation for spare parts of SCOMET items under Stock and Sale

An applicant may also apply for export of spare parts, under stock and sale arrangement in the application for export of main item/equipment along with justification of the same. The request for export of spare parts covered under SCOMET may be considered by IMWG along with the application for the main item/equipment, on the same conditions, as applicable for the main item/component. The applicant needs to indicate the requirement of spare parts after judicious and reasonable assessment with justification thereof.

10.12 Issue of authorisations for repair/replacement of defective SCOMET items

An application for grant of an Authorisation for export/re-export of SCOMET items, as the case may be for (i) repair/replacement of imported item(s) abroad and return (ii) repair/replacement of indigenous SCOMET items (iii) return of items imported for repair at a repair facility in India and (iv) Authorisation for export of SCOMET items after repair in India (GAER) shall be made in prescribed proforma [ANF 10A] through online SCOMET portal along with other supporting documents, as prescribed in Appendix 10D, 10E, 10F and 10F(i), as applicable. The application shall be considered by Chairman IMWG, on fulfilment of the following conditions:

A. Authorisation for export of imported SCOMET items for repair/replacement:

- i. Conditions to be fulfilled:
 - (a) The SCOMET items were imported to India and are to be exported for the purpose of repair and replacement, on being defective;
 - (b) There has been no change to the original characteristics/specifications of the SCOMET item(s);
 - (c) The SCOMET items are to be exported to the same entity from which they have been imported or to the OEM (including, agency¹ authorized by OEM);
 - (d) That the replacement or repair of defective/damaged items (whichever is applicable) is allowed under the conditions of import or contractual agreement;
 - (e) No Export Authorisation would be granted if the initial export authorisation has been suspended, modified or revoked by the exporting country;
 - (f) No Export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time; and
 - (g) No 'End Use' and 'End Use Certificate' would be required;
 - (h) The application is accompanied with relevant documents as prescribed in Appendix 10D;
 - (i) Legal Undertaking on the stamp paper of Rs. 200/-, in prescribed proforma (Appendix 10K).
- ii. Applications for grant of authorisations for export to the entity from which it was imported or to the OEM (including agency authorized by OEM) shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members. However, in cases of export to any other entity, approval will be granted by Chairman, IMWG after verification of the credentials of the foreign entity to which the item(s) are to be exported.
- iii. Return of item(s) after repair/replacement and post-reporting compliance:
 - (a) Exported items shall be brought back to India within 90 days repair is completed or item is replaced or within the extended time, as allowed by the DGFT;
 - (b) In case the defective/damaged item(s) cannot be imported due to any reason (beyond repair, testing failure analysis etc.), evidence of destruction in the importing country shall be submitted to DGFT within 90 days of export.
 - (c) In case time beyond 90 days is required for repair of imported defective/damaged item(s) before re-import, permission from DGFT shall have to be obtained in advance indicating detailed

¹Agency can include 'Approved Repair Centre' (facility approved by the original equipment manufacturer to repair the goods being exported under license).

justification for seeking extension of time.

- (d) Bill of Entry confirming the return back of such SCOMET item(s) to India shall be intimated by the licensee to the DGFT(Hqrs) in the prescribed proforma (Annexure-I of Appendix 10K), duly signed in ink and stamped by the authorised signatory.

B. Authorisation for re-export of indigenous SCOMET items after repair/replacement:

- i. Conditions to be fulfilled:
 - (a) The SCOMET items manufactured in India, were exported and brought back to India for repair or being replaced, on being found defective/damaged;
 - (b) The items are to be re-exported after repair/replacement to the same entity to which the item(s) were originally exported by the applicant exporter;
 - (c) There has been no change to the original characteristics/specifications of SCOMET item(s);
 - (d) That the defective/damaged item(s) has/have already been brought back or would be brought back to India within 90 days of its replacement(if applicable);
 - (e) That replacement/repair(whichever is applicable) is allowed under the conditions of export or purchase order or contractual agreement;
 - (f) No authorisation for re-export would be granted if the original licence has been suspended, modified or revoked.
 - (g) No Export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time; and
 - (h) No 'End Use' and 'End Use Certificate' would be required;
 - (i) The application is accompanied with relevant documents as prescribed in Appendix 10E;
 - (j) Legal Undertaking on the stamp paper of Rs. 200/-, in prescribed proforma (Appendix 10K).
- ii. Applications for grant of authorisations to export the replaced/repared item(s) to/through the same entity(ies), as specified in the original SCOMET license, shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members. However, in cases of export to/through a new entity (consignee), approval will be granted by Chairman, IMWG after verification of the credentials of the new foreign entity(ies) through which the item(s) are to be exported.
- iii. Return of item(s) after repair/replacement and post-reporting compliance:
 - (a) That the defective/damaged item(s) has/have already been brought back or would be brought back to India within 90 days of its replacement (in case of replacement);;
 - (b) In case the defective/damaged item(s) cannot be imported due to any reason (beyond repair, testing failure analysis etc.), evidence of destruction in the importing country shall be submitted to DGFT within 90 days of export of replacement;
 - (c) Bill of Entry confirming the return back of such SCOMET item(s) to India shall be intimated by the licensee to the DGFT(Hqrs) in the prescribed proforma (Annexure-I of Appendix 10K), duly signed in ink and stamped by the authorised signatory.

C. Authorisation for export of imported SCOMET items to same entity abroad, or any authorised entity after repair in India:

- i. Conditions to be fulfilled:
 - (a) The SCOMET items were imported to a designated/authorized repair facility in India for the purpose of repair under a contract agreement/Master Service agreement (MSA); **or**
Imported under a contract agreement between Indian exporter, entities of repair facility (if different from exporter) and entity abroad defining 'Statement of Work (SOW)'/ 'Scope of Work' including conditions for undertaking repair in India;
 - (b) The items are to be exported to the same entity abroad from which the item(s) has/have been imported or to the OEM (including agency² authorised by OEM);
 - (c) The repair of defective/damaged items is allowed under the conditions of import or contractual agreement between Indian exporter, entities of repair facility (if different from exporter) and the entity abroad/OEM (including agency authorized by OEM)(name and address);
 - (d) There has been no change to the original characteristics/specifications of the SCOMET item(s) after

²Agency can include 'Approved Repair Centre' (facility approved by the original equipment manufacturer to repair the goods being exported under license).

repair;

- (e) No Export Authorisation would be granted when the initial export authorisation has been suspended, modified or revoked by country of import;
- (f) No Export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time;
- (g) No details of 'End Use' and 'End Use Certificate' would be required;
- (h) The application is accompanied with relevant documents as prescribed in Appendix 10F;
- ii. Applications for grant of authorisations for export to the entity from which it was imported or to the OEM (including agency authorized by OEM) shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members. However, in cases of export to any other entity, approval will be granted by Chairman, IMWG after verification of the credentials of the foreign entity to which the item(s) are to be exported. All such authorisations shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for confirmation of approval, on ex-post facto basis.

D. Authorisation for export of same imported SCOMET items to same entity abroad under General Authorisation for Export after Repair in India (GAER)

- A.** Export of imported SCOMET items to the same entity abroad after repair in India will be allowed on the basis of a onetime General authorisation for Export after Repair in India (GAER) subject to post reporting on quarterly basis issued by DGFT, subject to the following conditions:
- a. The SCOMET items were imported to a designated/authorized repair facility in India for the purpose of repair under a contract agreement/Master Service agreement (MSA); **or** Imported under a contract agreement between Indian exporter, entities of repair facility (if different from exporter) and entity abroad defining 'Statement of Work (SOW)'/ 'Scope of Work' including conditions for undertaking repair in India;
 - b. The items are to be exported to the same entity and location abroad from which the item(s) has/have been imported;
 - c. The exporter is required to register and obtain General authorisation for export after repair only once during the validity period. Subsequent export/re-export is subject to post reporting;
 - d. The exporter is required to provide Bill of Entry for the imported item while applying for GAER for the first shipment.
 - e. General authorisation for export after repair shall be valid for a period of one year from the date of issue of General authorisation subject to subsequent post reporting(s) within 30 days from the date of such export;
 - f. Subsequent export would be allowed to the same entity and location to which the license has originally been issued. Note: *Same entity would imply that (a) foreign buyer (b) consignee or intermediaries, if any (c) the end user are exactly the same for which authorisation has been issued to the applicant exporter.*
 - g. There has been no change to the original characteristics/specifications of the SCOMET item(s) after repair and no value addition has been done during the repair work;
 - h. No Export Authorisation would be granted when the initial export authorisation has been suspended, modified or revoked by country of import;
 - i. No Export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time;
 - j. No details of 'End Use' and 'End Use Certificate' would be required;
 - k. GAER issued for specific item and specific entity(buyer/end user) shall not be applicable incase the re-export is of a different imported item or to a different entity or Authorised OEM. In such cases, either a new GAER authorisation may be applied or application may be filed under Para 10.12(D) of HBP.

B. Documents Required for GAER

1. Proof of import of the item(s):

- a. Export License (if applicable) issued by the foreign country for original import of the items to India;
- b. Documentary proof and/or self declaration that the item exempted from license requirement or place under no license requirement for India.
- c. Bill of Entry (first time)

2. Proof of obligation for repair of defective/damaged items:

Contract agreement and/or 'Statement of Work (SOW)'/ Master Service agreement (MSA) between Indian exporter and with the entity abroad (from which the goods were imported initially) defining conditions for undertaking repair in India.

An Undertaking from the Indian exporter;

An Undertaking from the applicant exporter (on the letter head of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory) stating:

- a. Details of imported items to be exported after repair alongwith their SCOMET Category /Sub-category number(s), quantity, item description and ECCN of foreign country (if available) ;
- b. That item(s) are being exported to the same entity from which it was originally imported for repair and return purpose.
- c. That there has been no change to the original characteristics/specifications of the item(s) after import and no value addition has been done during the repair work;
- d. That the repair of defective/damaged items is allowed under the conditions of import or contractual agreement between Indian exporters and entities from which goods were imported.
- e. That Shipping Bills and Bill of Entry into destination country of subsequent re-exports and any other information as sought by DGFT shall be submitted to DGFT on quarterly basis.
- f. That items would not used for military applications or to develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer or use, chemical, biological, nuclear weapons or for missile capable of delivering such weapons.

C. Post reporting for re-export of items/software/technology under GAER

- i. The Indian exporter shall submit post-shipment details of each transfer/consignment of exports of SCOMET items/software/technology under GAER to the SCOMET Division of DGFT (Hqrs), New Delhi, via E-mail (scomet-dgft@nic.in) or a procedure as prescribed by DGFT, on quarterly basis (March/June/September/December), by the end of subsequent month of each quarter, in respect of the exports made in the previous quarter.
- ii. The post-shipment details shall include submission of Bill of Entry (wherever available), shipping bill details, valid export license copy within the timelines mentioned above.
- iii. Failure to do so may entail imposition of penalty and/or suspension/revocation of GAER and action as per FTDR Act.

D. Suspension / Revocation

GAER issued shall be liable to be suspended / revoked by the DGFT on receipt of an adverse report on proliferation concern or for non-submission of mandatory reports /documents within the prescribed timelines or for non-compliance with the conditions of this Public Notice.

E. General conditions

- i. GAER would not be issued in case of items to be used to design, develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer and / or used for chemical, biological, nuclear weapons or for missiles capable of delivering weapons of mass destruction and their delivery system;
 - ii. GAER would not be issued for countries or entities covered under UNSC embargo/ sanctions or on assessment of proliferation concerns, or national security and foreign policy considerations, etc.;
 - iii. DGFT shall reserve the right to deny issuance of GAER or recall GAER without assigning any reason(s).
- F.** Applications for grant of General authorisations for export to the same entity from goods were imported shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members after the first export/shipment. In exceptional cases, consultation with IMWG may be done prior to issuance of GAER, incase required.
- G.** All such authorisations shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for confirmation of approval, on ex-post facto basis.

10.13 Issue of export authorisations for demo/display/exhibition/tenders/ RFP/RFQ/NIT of SCOMET items

An application for grant of an Authorisation for (i) export of indigenous/imported SCOMET item(s) for demo/display/exhibition/ tenders/RFP/RFQ/NIT purposes abroad; and (ii) export of SCOMET item(s) imported for participation in demo/display/exhibition /tenders/RFP/RFQ/NIT in India, shall be made in prescribed proforma [ANF 10A] through online SCOMET portal along with other supporting documents, as required in the prescribed proforma.

The application shall be considered by Chairman IMWG, on fulfilment of the following conditions:

(A) Authorisation for export of indigenous/imported SCOMET item(s) for demo/display/exhibition/tender/RFP/RFQ/NIT abroad

i. Conditions to be fulfilled:

Authorisations for export of items in SCOMET List (other than those under Category 0, 1, 2 and 6 or 'Technology' or 'Software' in any category) solely for purposes of (a) Demo (b) Display (c) Exhibition (d) Tenders/RFP/RFQ/NIT shall be considered by Chairman IMWG, on the following conditions:

- (a) Such cases would be considered purely on temporary export basis for a specified time period;
- (b) No end user certificate would be insisted upon in such cases;
- (c) There shall not be any commercial transaction in the form of selling/buying/renting/leasing;
- (d) The number of item(s) should be commensurate with the nature of export items and the purpose for which the application is being made;
- (e) There shall not be any exchange/disclosure of information which could lead to transfer of technology;
- (f) No export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time;
- (g) The application is accompanied with relevant documents as prescribed in Appendix 10G;
- (h) Legal Undertaking on the stamp paper of Rs. 200/-, in prescribed proforma (Appendix 10K);
- (i) Applications for grant of authorisations shall be approved after verifying the credentials of the event/organizer;

ii. Return of item(s) and post-reporting compliance:

- (a) Exported items shall be brought back to India within 90 days after the event gets over or within the extended time, as allowed by the DGFT;
- (b) Bill of Entry confirming the return back of such SCOMET item(s) to India shall be intimated by the licensee to the DGFT(Hqrs) in the prescribed proforma (Annexure-I of Appendix 10K) duly signed in ink and stamped by the authorised signatory.

(B) Authorisation for export of imported SCOMET items after participation in demo/display/exhibition/tenders/RFP/RFQ/NIT in India

Application for grant of authorisation for export of imported SCOMET items (other than those under Category 0, 1, 2 and 6 or 'Technology' or 'Software' in any category) to the entity from which it has been originally imported or to its OEM (including agency authorized by OEM), after Demo/Display/ Exhibition/tender/RFP/RFQ/NIT, shall be considered by Chairman IMWG, on the following conditions:

- a) The SCOMET item(s) were imported in India for the purpose of demo/display/exhibition/tender/RFP/RFQ/NIT under a contract agreement between Indian exporter and supplier/OEM(including agency authorized by OEM);
- b) The export should only be to the entity from which the item(s) has/have been imported or to the OEM (including agency authorized by OEM);
- c) No details on 'End Use' and 'End Use Certificate' would be required;
- d) No export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time;
- e) The application is accompanied with relevant documents as prescribed in Appendix 10H;
- f) Applications for grant of authorisations for export to the entity from which it was originally imported or to the OEM (including agency authorized by OEM) shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members.
- g) However, in cases of export to an entity other than the original supplier or OEM (including agency authorized by OEM), approval will be granted by Chairman, IMWG after verification of the credentials of the foreign entity to which the item(s) are to be exported.
- h) All such authorisations shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for confirmation of approval, on ex-post facto basis.

Note :

RFP refers to Request for Proposal;

RFQ refers to Request for Quotation and

NIT refers to Notice Inviting Tender.

10.14 Issue of export authorisations for re-export/return of imported SCOMET items to the same foreign

entity or to its OEM (including agencies authorized by OEM)

i. Conditions to be fulfilled:

An application for grant of an Authorisation for re-export/return of imported SCOMET items to the foreign entity from which it has been originally imported or to its OEM(including agency authorized by OEM),for reasons such as obsolescence of technology of imported items; cancellation of order by the Indian buyer /end user; dead on arrival etc., shall be considered by Chairman IMWG, on fulfilment of the following conditions :

- (a) The export should only be to the entity from which the item(s) has/have been imported or to the OEM (including agency/ies authorized by OEM);
- (b) No details on 'End Use' and 'End Use Certificate' would be required;
- (c) No export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time;
- (d) The application is accompanied with relevant documents as prescribed in Appendix 10I, including proof of obsolescence/cancellation of order for intended items and undertaking from the applicant firm;
- (e) Re-export/return of items due to reasons such as obsolescence of technology of imported items; cancellation of order by Indian buyer/end user; dead on arrival etc. (whichever is applicable) is allowed under the conditions of import or contractual agreement.

ii. Applications for grant of authorisations for export to the entity from which it was originally imported or to the OEM (including agency authorized by OEM) shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members. However, in cases of re-export/return to an entity other than the OEM (including agencies authorized by OEM), approval will be granted by Chairman, IMWG after verification of the credentials of the foreign entity to which the item(s) are to be exported.

iii. All such authorisations shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for confirmation of approval, on ex-post facto basis.

10.15 Global Authorisation for Intra-Company Transfers (GAICT) of SCOMET Items including /Software/Technology

A. Scope and Eligibility: Pre-export authorisation will not be required, for export and/or re-export of SCOMET items including software and technology under SCOMET Category 8 (except items listed in Appendix 10M), subject to the following conditions:

- i. where the export is an Intra-company transfer from the Indian parent company (applicant exporter) to its foreign subsidiary company or from the Indian subsidiary of foreign company (applicant exporter) to its foreign parent/another subsidiary of foreign parent company and;

Note: *In case of third party involvement in the supply chain, the end user has to be a foreign parent / another subsidiary of foreign parent company or a subsidiary company of Indian company.*

- ii. where the transfer fulfils the conditions mentioned at (a) to (h) below:

- a. The items/software/technology to be exported/re-exported is based on a Master Service Agreement / Contract between the Indian parent company/Indian subsidiary of foreign company and foreign subsidiary of Indian company/foreign parent company of Indian subsidiary for carrying out certain services but not limited to design, encryption, research, development, delivery, validation, calibration, testing, related services, etc.;

Note 1: As a result of the service carried out by the Indian exporter in case of re-export, the items/software/technology should not undergo change in classification.

Note 2: The list of services mentioned above is illustrative, not exhaustive. However, the final decision to approve a GAICT authorisation lies with the relevant authority.

- b. These items including software and technology are to be exported/re-exported to the countries listed in Table 1 below (entire supply chain including any third party should be in the countries listed in Table 1below);

Table 1

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico,
--

Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States.

Note: However, IMWG on a case to case basis may allow countries other than those listed in Table 1 considering description/end use/end user of the item.

- c. The applicant exporter declares that the exported items would be used for the purposes for which it is intended by the foreign subsidiary of Indian company / foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company, as the case may be;
- d. The applicant exporter furnishes either a certified/approved Internal Compliance Programme (ICP) or demonstrates compliance to the ICP of the foreign parent company or ICP certified by the Compliance Manager of the company or certified by any Government agency such as Authorized Economic Operator (AEO) scheme etc.
- e. The exporter agrees to allow on-site inspection, if required by the DGFT or authorized representatives of Government of India;
- f. No export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries;
- g. No export authorisation shall be granted to an exporter specified at (i) above if they have come to adverse notice previously;
- h. The exporter is granted a Global Authorisation for Intra-Company Transfers (GAICT) as per procedure mentioned in para 10.15 B below.

B. Procedure for grant of Global Authorisation for Intra-Company Transfers (GAICT)

Filing and Assessment of Application

- a. In respect of export/re-export of SCOMET items including software and technology, the applicant exporter shall submit an application for GAICT through online SCOMET portal and attach information in proforma – ANF10C ;
- b. The application would be assessed for the issue of GAICT by Inter-Ministerial Working Group (IMWG) based on the submission of the application and other supporting documents by the applicant exporter in the prescribed proforma;
 - i. Documentary proof of the corporate relationship between the Indian parent company (applicant exporter) and its foreign subsidiary company or between the Indian subsidiary of foreign company (applicant exporter) and its foreign parent / another subsidiary of foreign parent company ;
 - ii. Classification of item including software and technology in SCOMET (indicating SCOMET category and sub-category);
 - iii. Documentary proof of License Exception /Temporary license from the country of the parent company abroad or from subsidiaries of the parent company abroad, if available (optional)
 - iv. Detailed description of the item intended to be exported with relevant technical details with specifications; such as model, part number, etc. and in case of software/technology, relevant details like encryption algorithm, key length, encryption functionality, eligibility under cryptography note etc. to be provided (if applicable);
 - v. In case of third party involvement in the supply chain, a clear contract /service agreement/ Purchase order has to be furnished specifying SCOMET item description.
 - vi. Certified/approved ICP of the Indian parent company or self-certified copy of the ICP of the foreign parent company being adopted by Indian subsidiary of foreign company along with an undertaking thereon;
 - vii. Undertaking on the letterhead of the firm duly signed and stamped by the authorised signatory:
 - a. To allow on-site inspection, if required by the DGFT or authorized representatives of Government of India;
 - b. The applicant exporter declares that the exported items would be used for the purposes for which it is intended by the foreign subsidiary of Indian company / foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company, as the case may be;
 - c. The applicant exporter declares that subsequent to issue of export authorisation, if the licensee has been notified in writing by DGFT or if they know or has reason to believe that an item may be intended for military end use, the exporter would not be eligible for GAICT for export of that/those item(s) and would apply separately to DGFT for a fresh authorisation in terms of

regular policy. [Refer Para 10.05 of HBP].

viii. The Company must ensure that:

- a. They shall submit original End User Certificate in the prescribed format within 30 days of filing application and in case of subsequent exports, within 30 days of delivery at destination point, after issue of export authorisation;
 - b. They have Agreement/purchase order, excerpt of contract from entity (consignee) receiving the items which states the export is for a permitted use;
 - c. The documents include the name & contact number and email id of the authority signing the EUC.
- ix. A precise and clear contract /service agreement/ Purchase order has to be furnished indicating item description in case of third party involvement in the supply chain (if applicable)
- x. Additional details, if any, sought by DGFT

C. Post reporting for re-export of items/software/technology under GAICT

- a. The Indian exporter shall submit post-shipment details of each transfer/consignment of exports of SCOMET items/software/technology under GAICT to the SCOMET Division of DGFT (Hqrs), New Delhi, through online system on DGFT website, on quarterly basis (March / June / September / December), by the end of subsequent month of each quarter, in respect of the exports made in the previous quarter;
- b. The post-shipment details shall be submitted in proforma ANF 10D along with a copy of EUC in Appendix 10J(iv) within the timelines mentioned above, from the foreign subsidiary company or foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company;
- c. Failure to do so may entail imposition of penalty and / or suspension/revocation of GAICT.

Note: ANF (Aryat Niryat Form) –ANF 10C, ANF 10D and EUC Proforma Appendix 10J(iv) may be referred

D. Record Keeping

The exporter will be required to keep records of all the export documents, in manual or electronic form, in terms of Para 10.18 of HBP, for a period of 5 years from the date of GAICT issued by DGFT.

E. General conditions

- a. GAICT would not be issued in case of items including software and technology to be used to design, develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer and / or used for chemical, biological, nuclear weapons or for missiles capable of delivering weapons of mass destruction and their delivery system;
- b. GAICT would not be issued for countries or entities covered under UNSC embargo or sanctions list or to the countries or entities assessed for risk of proliferation concern, based on national security and foreign policy considerations;
- c. In case of inclusion or amendment of items (including software and technology) or inclusion of new companies or amendment in existing companies in the supply chain, the applicant exporter will obtain prior permission of DGFT with relevant details;
- d. IMWG shall reserve the right to deny issuance of authorisation GAICT for any reason and also relax any provision of the policy, if so required in exceptional cases.

F. Re-exports / re-transfer of the items including software and technology (processed or incorporated)

Further re-exports / re-transfers of the items including software and technology (processed or incorporated) from the foreign subsidiary company or foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company to end users in other countries would be subject to the export control regulations of the country of the foreign subsidiary of Indian company or foreign parent company / another subsidiary of foreign parent company.

G. Validity

- a) GAICT issued for intra-company transfers of SCOMET items including software and technology shall be valid for a period of three years from the date of issue of GAICT;
- b) GAICT cannot be revalidated in terms of Paragraph 10.20 of HBP of FTP.

H. Suspension / Revocation

GAICT issued shall be liable to be suspended by the DGFT on receipt of intimation about initiation of any inquiry from the country concerned or from any domestic agency. GAICT shall be revoked on receipt of an adverse report on

proliferation concern or for non-submission of mandatory reports/documents within the prescribed timelines or for non-compliance of any of the condition of this policy.

10.16 General Authorisation for Export of Chemicals and related Equipment (GAEC) of SCOMET items

A. Procedure for grant of General Authorisation for Export of Chemicals and related equipment (GAEC)

- I. In respect of export/re-export of SCOMET items under the Categories / Sub Categories of 1C, 1D, 1E, 3D001 and 3D004 (excluding software and technology), the applicant exporter shall submit an application for GAEC through online SCOMET portal and attach information in proforma –ANF 10A;
- II. The application would be reviewed/examined for the issuance of GAEC by Inter-Ministerial Working Group (IMWG) based on the submitted application and other supporting documents submitted by the applicant exporter in the prescribed proforma including:
 - a. Detailed description of the items that are intended to be exported under this authorisation with relevant technical details / specifications, such as model, part number, etc. to be provided (as applicable); In case of first intended export of items under the above Categories / Sub Categories, details of the entire supply chain (buyer, consignee, end user, etc.) of an intended export is to be provided. In case of previous exports of items under the above Categories / Sub Categories having been carried out, details of past exports including the EUC is to be provided.
 - b. Undertaking on the letterhead of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory stating the following:
 - i. Any on-site inspection will be allowed by the applicant exporter, if required by the DGFT or authorized representatives of Government of India;
 - ii. The applicant exporter declares that the items that are intended to be exported shall not be used for any purpose other than the purpose(s) stated in the EUC and that such use shall not be changed nor the items modified or replicated without the prior consent of the Government of India;
 - iii. The applicant exporter declares that subsequent to issue of export authorisation, if the licensee has been notified in writing by DGFT or if they know or has reason to believe that an item may be intended for military end use or has a potential risk of use in or diversion to weapons of mass destruction (WMD) or in their missile system, the exporter would not be eligible for GAEC for export of that/those item(s) and would apply separately to DGFT for a fresh authorisation in terms of regular policy.
 - iv. Action will be taken against the exporter under FT (D & R) Act, 1992 for any mis-declaration.
 - c. After issuance of GAEC authorisation and before actual export, the applicant exporter must ensure the following:
 - i. They shall notify the relevant government authorities in the online portal of DGFT, within 30 days of such export in the prescribed format [Aayat Niryat Form ANF 10A along with the End-Use Certificate (EUC) in the prescribed proforma [Appendix 10J (i) or (ii), as per applicability] and a copy of the bill of entry into the destination country within 30 days of delivery at destination point.
 - ii. They have an agreement or a purchase order, excerpt of contract from entity (consignee / end user) receiving the items which states that the export is for a permitted use / an end use as declared in the EUC before actual export;
 - iii. They possess documents include the name, contact number and email id of the authority signing the EUC before actual export.
 - iv. Additional details, if any sought by DGFT

B. Post reporting for export / re-export of items under GAEC

- a. The Indian exporter shall submit post-shipment details of each export/ re-export of SCOMET items under the above Categories/ sub-categories under GAEC, as mentioned above at II.c. (i) and within the timelines specified therein;
- b. Failure to do so may entail imposition of penalty and / or suspension/revocation of GAEC.

C. General Conditions & Exclusions

- a. GAEC would not be issued in case of items to be used to design, develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer and / or used for chemical, biological, nuclear weapons or for missiles capable of delivering weapons of mass destruction and their delivery system;
- b. GAEC would not be issued for countries or entities covered under UNSC embargo or sanctions list or on assessment of proliferation concerns, or national security and foreign policy considerations, etc.;
- c. IMWG shall reserve the right to deny issue of GAEC without assigning any reason(s).

D. Suspension/Revocation

GAEC issued shall be liable to be suspended / revoked by the DGFT on receipt of an adverse report on proliferation concern or for non-submission of mandatory post-shipment details / reports / documents within the prescribed timelines or for non-compliance with the conditions of the proposed policy.

10.17 Validity Period of SCOMET Authorisations

The validity period of SCOMET authorisations from the date of issue shall be as follows, unless specified otherwise

S.No.	Type of SCOMET Authorisation	Validity Period
1	SCOMET Authorisation	C THE VALIDITY PERIOD OF THE SCOMET AUTHORISATION SHALL BE FOR A PERIOD OF 24 MONTHS, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2	SCOMET Authorisation issued under GAICT Policy	GAICT authorisation issued for intra-company transfers of SCOMET items/software/technology shall be valid for a period of 3(three years) from the date of issue of authorisation and shall be further subject to the following validity timelines, whichever is earlier: i. Till the validity of license exception of foreign parent company ; or ii. Till the validity of license exception of foreign parent company for subsidiary(ies) of the parent company abroad; or iii. Till the validity of Master Service Agreement (MSA) / Contract with the foreign parent company and the Indian subsidiary.
3	SCOMET Authorisation issued under GAEC Policy	GAEC issued for export / re-export of SCOMET items under the above Categories / Sub Categories (excluding software and technology) shall be valid for a period of 5(five) years from the date of issue of GAEC subject to subsequent post reporting(s) on quarterly basis to be reported within 30 days from the last quarter;
4	SCOMET Authorisation issued under GAER Policy	GAER issued for export of imported SCOMET items after repair shall be valid for a period of 1 year from the date of issue of GAER subject to subsequent post reporting(s) within 30 days from such export.

10.18 Record Keeping

Every SCOMET export authorisation holder (including for GAICT and GAEC) shall maintain all the relevant records, including all the documents submitted while making an application for SCOMET Authorisation, in manual or electronic form, for a period of 5 years or till validity of export authorisation, whichever is higher, from the date of export or import, as applicable.

10.19 Voluntary Self Disclosure of export of dual use items

DGFT encourages voluntary self disclosures of failure to comply with the export control provisions, and supports raising awareness among exporters to avoid any incidents of non-compliance. In case, any exporter fails to comply with the export control provisions of the FTDR Act, WMD Act, Customs Act, or any regulation related to SCOMET, or SCOMET authorisation on export controls issued by DGFT, a voluntary self disclosure request along with the supporting documents shall be sent to the SCOMET Division of DGFT (Hqrs), New Delhi, through e-mail (scomet-dgft@nic.in) immediately after an export violation is discovered. Detailed procedure/guidelines in this regard will be notified by the DGFT separately.

The IMWG may consider each case on merit in accordance with the provisions of the Export and Import Policy determined by the Central Government from time to time under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 and the orders issued thereunder, and may make recommendations on further action to be taken by DGFT in the specific case(s).

Exporter is liable for strict action under the provisions of the FTDR Act for any violation of SCOMET policy brought to the notice of DGFT in cases other than voluntary self disclosure.

10.20 Revalidation of SCOMET Authorisation

Export Authorisation for SCOMET items may be revalidated, on merits for a period of six months at a time and maximum upto 12 months by the DGFT (Hqrs). An application for grant of revalidation may be made in prescribed proforma [ANF 10F] 30 days prior to the expiry of authorisation. The period of renewal of authorisation shall be counted from the date of actual expiry of authorisation. The total period of extension will not exceed 12 months. Revalidation to export authorisations issued for Technology/Software transfer under any category is not permitted. SCOMET Authorisations issued under GAEC, GAICT and GAER policy cannot be revalidated.

CHAPTER 11 MISCELLANEOUS MATTERS

11.01 Denomination of Import Authorisation/Licence/ Certificate/Permissions

- (a) CIF value of Authorisation / FOB value of export obligation shall be indicated both in Rupees and in freely convertible currency(s) at the exchange rate(s) prevailing on Authorisation issue date.
- (b) Remittance of foreign exchange and discharge of export obligation against Authorisation shall be regulated in freely convertible currency or in Indian Rupees as per para 2.52 and 2.53 of FTP.
- (c) No enhancement in Rupee value shall be necessary if remittance of foreign exchange is covered by CIF value of Authorisation shown in freely convertible currency.
- (d) However, on Advance Authorisation(s), issued for exports to ACU countries, export obligation shall be denominated and discharged in ACU dollars.
- (e) Export obligation in Advance Authorisation for intermediate supply and for deemed export, where supplies are to be made within the country, shall be denominated and discharged in Indian rupees.

11.02 Late Cut

Wherever any application for any fiscal/financial benefits under FTP complete in all respects is received after expiry of last date for submission of such application, the application may be considered after imposing a late cut in the following manner:

i.	Application received after the expiry of last date but within six months from the last date	2%
ii.	Application received after six months from the prescribed date of submission but not later than one year from the prescribed date	5%
iii.	Application received after 12 months from the prescribed date of submission but not later than 2 years from the prescribed date	10%

11.03 Supplementary Claims

Wherever any application for supplementary claim is received, within specified time limits, such application may also be considered after imposing a cut @2% on the entitlement.

11.04 Furnishing of Information

Every importer/ exporter shall furnish such information within the stipulated time as may be called for by DGFT or any officer duly authorised. Failure to furnish the requisite information within the stipulated time shall warrant Penal action as laid down in the FTP or as per the FT(D&R) Rules, 1993.

11.05 Clarifications on Policy/Procedure

A request seeking clarifications on any provision of FTP or HBP, importability or exportability of items under ITC(HS), made to DGFT in the form in ANF2F. Clarification may also be sought on E-mail.

11.06 Consumption Register

Importer shall maintain a register as in Appendix-4H (for 3 years period) of items imported under an Authorisation and separately for items imported with actual user condition and its consumption. In respect of particular schemes such register shall be maintained for specified period.

11.07 Export Facilitation

In order to resolve exporters' problems in a co-ordinated manner, field offices of DGFT shall act as Export Facilitation Centres and nodal agencies.

11.08 Standing Grievance Committee

For speedy redressal of genuine grievances of trade and industry pertaining to Export and Foreign Trade, Grievance Committees have been constituted chaired by (i) DGFT at Headquarters and (ii) head(s) of RA(s) in regional offices. Grievance Committee will include representatives of Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Export Promotion Councils/ Commodity Boards, Development Authorities, and Government Departments/ technical authorities, Custom Authorities, GST Authorities, DGARM, Banks (Public and Private Sectors), Export Inspection Agencies/ Councils, ECGC, Industries Commissioner (State/UT), Export Commissioner (State/UT), General Manager (GM) District Industries Centre (DIC) as their members.

11.09 Counter Assistance

- (a) While the endeavour of DGFT is to make filling/submission of all applications online, till the time the facility for online application is not available, applications will continue to be received at the counter.
- (b) For speedy disposal of applications, "Counter Assistance" will function in all offices of DGFT. An FTDO shall be in charge of counter in each office. On presentation of application at the counter, applicant would be advised whether his application is complete or there is any deficiency that needs to be rectified.
- (c) Counter Assistance may also be availed of for amendments of minor nature/enquiries. Applications, in such cases, will be received in regional offices at counter against a proper receipt. Authorisation / licence /list /enquiry shall be returned after carrying out necessary amendments/ giving necessary reply as far as possible on the same day, across the Counter.

11.10 Time Bound Disposal of Applications

RA shall dispose of applications expeditiously. Following time schedule shall normally be followed to dispose of applications provided it is complete in all respects and is accompanied by prescribed documents.

S. No.	Category of Application	Time Limit For Disposal (in working days)
	IEC Number	2
	Advance Authorisation where Input-Output norms are notified or under paragraph 4.07 of HBP, Advance Authorisation for Annual Requirement and DFIA.	3
	Issuance of Advance Authorisation through automatic route	1
	Fixation of Input Output Norms for SAAS covered under para 4.04A of FTP	90
	Issuance of EPCG Authorisations	3
	Issuance of EPCG authorisation through automatic route	1
	All Authorisations under Gem & Jewellery scheme	3
	Revalidation of Advance Authorisation and extension of Export Obligation period of AA/EPCG authorisations by R.A	1
	Acceptance of BG/LUT	3
	Redemption/EODC of Advance Authorisation/ DFIA	15
	Redemption of EPCG Authorisations and release of BG /LUT.	30
	Issuance/renewal of status certificate	3
	Amendment of any category of Authorisation	3
	Miscellaneous	10

Refund of DBK/ TED under deemed export	30
Fixation of Brand Rate for duty drawback	30

In all the above cases, the number day is counted from the date of submission of complete application. Cases of undue delay in disposal of applications may be brought to notice of head of regional offices by way of a written representation, which shall be promptly enquired into and responded to.

11.11 Date of shipment/Dispatch in respect of Imports

Date of shipment/dispatch for imports will be reckoned as under:-

S.No.	Mode of Transportation	Date of Shipment / Dispatch
(i)	By Sea	The date affixed on the Bill of Lading
(ii)	By Air	Date of relevant Airway Bill provided this represents date on which goods left last airport in the country from which the import is effected.
(iii)	From land-Locked Countries	Date of dispatch of goods by rail, road or other recognised mode of transport to consignee in India through consignment basis.
(iv)	By Post Parcel	Date stamp of office of dispatch on the packet or dispatch note
(v)	By Registered Courier Service	Date affixed on Courier Receipt / Waybill
(vi)	Multimodal Transport	Date of handing over goods to first carrier in a combined transport Bill of Lading

11.12 Date of Shipment/ Dispatch in respect of Exports

a) Date of shipment/dispatch for exports will be reckoned as under:

Sl. No.	Mode of Transportation	Date of Shipment / Dispatch
(i)	By Sea	(a) For bulk cargo, date of Bill of Lading or date of mate receipt, whichever is later? (b) For containerised cargo, date of "Onboard Bill of Lading", or "Received for Shipment Bill of Lading", where the L/C provides for such Bill of Lading. For exports by containers from Inland Container Depot (ICD), date of Bill of Lading issued by shipping agents at the time of loading of export goods in ICD after customs clearance. (c) For Lash barges, date of Bill of Lading evidencing loading of export goods on board.
(ii)	By Air	Date mentioned by appropriate Officer of Customs on Shipping Bill, evidencing loading or handing over of goods to air cargo complex, which are not international airports, or by way of rotation of flight number and date.
(iii)	By Post Parcel	Date stamped on postal receipt
(iv)	By Rail	Date of RR (Railway Receipt)
(v)	By Registered Courier Service	Date affixed on Courier Receipt/ Waybill.
(vi)	By Road	Date on which goods crossed Indian border as certified by Land Customs Authorities.

b) However, wherever Procedural / Policy provisions have been modified to disadvantage of exporters,

the same shall not be applicable to consignments already handed over to Customs for examination and subsequent exports up to Public Notice / Notification date.

- c) Similarly, in cases where goods are handed over to the customs authorities before expiry of export obligation period but actual Exports take place after expiry of the export obligation period, such exports shall be considered within export obligation period and taken towards fulfilment of export obligation.
- d) However, for benefit under FTP, Let Export Order (LEO) date shall be the date of reckoning of export.

11.13 General Power of Review

DGFT may, on his own or otherwise, call for records of any case pending with or decided by an officer subordinate to him or an officer of any EPC/FIEO including a Group/ Committee of officers nominated, appointed or authorised by him and pass such orders as he may deem fit.

GLOSSARY (ACRONYMS)

Acronym	Explanation
AA	Advance Authorisation
AANF	Appendices and Aayaat Niryaat Form
ACU	Asian Clearing Union
AEZ	Agri Export Zone
ANF	Aayat Niryaat Form
ARE-1	Application for Removal of Excisable Goods for Export (By Air/Sea/Post/Land)
ARE-3	Application for Removal of Excisable Goods from a factory or a warehouse to another warehouse
ACP	Accredited Clients Programme
AEO	Authorised Economic Operator
AES	Approved Exporter's Scheme
APEDA	Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority
ARO	Advance Release Order
ASEAN	Association of South-East Asian Nations
ASIDE	Assistance to States for Infrastructure Development of Exports
AU	Actual User
BCD	Basic Customs Duty
BG	Bank Guarantee
BIFR	Board of Industrial and Financial Reconstruction
BOA	Board of Approval
BOT	Board of Trade
BRC	Bank Realisation Certificate
BTP	Biotechnology Park
BIS	Bureau of Indian Standards
CBEC	Central Board of Excise and Customs
CCP	Customs Clearance Permit
CEA	Central Excise Authority
CEC	Chartered Engineer Certificate
CED	Central Excise Duty
CENVAT	Central Value Added Tax
CETF	Common Effluent Treatment Facility
CFCs	Common Facility Centres
CG	Capital Goods
CIF	Cost, Insurance & Freight

CIN	Corporate Identification Number
CIS	Commonwealth of Independent States
CKD	Completely Knocked Down
CoD	Cash on Delivery
CoO	Certificate of Origin
CQCTD	Committee on Quality Complaints and Trade Disputes
CRES	Certificate of Registration as Exporter of Spices
CST	Central Sales Tax
CIN	Company Identification Number
CRES	Certification of Registration as Exporter of Spices
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement
CBEC	Central Board of Excise and Customs
CSP	Common Service Provider
CECA	Comprehensive Economic Cooperation Agreement
CVD	Countervailing Duty
DA	Document against Acceptance
DBK	Drawback
DC	Development commissioner
DDA	Diamond Dollar Accounts
DEA	Department of Economic Affairs
DEL	Denied Entity List
DES	Duty Exemption Schemes
DFIA	Duty Free Import Authorisation
DGCI&S	Director General, Commercial Intelligence & Statistics
DIN	Director Identification Number
DPIN	Designated Partner Identification Number
DGFT	Director General of Foreign Trade
DoBT	Department of Bio Technology
DoC	Department of Commerce
DeitY	Department of Electronics and Information Technology
DoR	Department of Revenue
DoT	Department of Telecommunications
DRS	Duty Remission Schemes
DTA	Domestic Tariff Area
e-BRC	Electronic Bank Realisation Certificate
e-IEC	Electronic Importer-Exporter Code
ECA	Enforcement-cum-Adjudication
EDI	Electronic Data Interchange
ECGC	Export Credit Guarantee Corporation
EEFC	Exchange Earners' Foreign Currency
EFC	Exim Facilitation Committee
EFT	Electronic Fund Transfer
EGM	Export General Manifest
EHTP	Electronic Hardware Technology Park
EIC	Export Inspection Council

EO	Export Obligation
EODC	Export Obligation Discharge Certificate
EOP	Export Obligation Period
EOU	Export Oriented Unit
EPC	Export Promotion Council
EPCG	Export Promotion Capital Goods
EPO	Engineering Processing Outsourcing
EXIM	Export Import
FDI	Foreign Direct Investment
FE	Foreign Exchange
FEMA	Foreign Exchange Management Act
FIEO	Federation of Indian Export Organisation
FIRC	Foreign Exchange Inward Remittance Certificate
FOB	Free On Board
FOR	Freight on Road and Rails
FT (D&R) Act	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (22 of 1992)
FTDO	Foreign Trade Development Officer
FTP	Foreign Trade Policy
FT(R) Rules	Foreign Trade (Regulation) Rules
FTWZ	Free Trade and Warehousing Zone
FTA	Free Trade Agreement
G&J EPC	Gems & Jewellery Export Promotion Council
GOI	Government of India
GATS	General Agreement on Trade in Services
GR	Guarantee of Realisation
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Process
HBP	Handbook of Procedures
HHEC	Handicraft & Handlooms Exports Corporation
ICB	International Competitive Bidding
ICD	Inland Container Depot
ICM	Indian Commercial Mission
IEC	Importer Exporter Code
ISO	International Organisation for Standardisation
IAEA	International Atomic Energy Agency
INFCIRC	International Atomic Energy Agency Information Circular
IEM	Industrial Entrepreneurial Memorandum
IMSC	Inter-Ministerial Standing Committee
IL	Industrial Licensing
ISO	International Standards Organisation
ITC (HS)	Indian Trade Classification (Harmonised System) for Export & Import Items
KVIC	Khadi and Village Industries Commission
LC	Letter of Credit
LCS	Land Customs Station
LLPIN	Limited Liability Partnership Number
LPG	Liquefied Petroleum Gas

LoC	Line of Credit
LoI	Letter of Intent
LoP	Letter of Permit
LUT	Legal Undertaking
MAI	Market Access Initiative
MDA	Market Development Assistance
MEA	Ministry of External Affairs
MEIS	Merchandise Exports from India Scheme
MRA	Mutual Recognition Agreements
MoD	Ministry of Defence
MoF	Ministry of Finance
MSME	Ministry of Micro Small and Medium Enterprises
MSMED	Micro Small and Medium Enterprises Development
MSTC	Metal Scrap Trade Corporation
NBFC	Non-Banking Financial Company
NC	Norms Committee
NFE	Net Foreign Exchange
NI	Non-Infringing
NCB	National Competitive Bidding
NOC	No Objection Certificate
PDS	Public Distribution System
PEC	Project and Equipment Corporation of India Ltd.
PIC	Policy Interpretation Committee
PRC	Policy Relaxation Committee
PAN	Permanent Account Number
PH	Personal Hearing
PTA	Preferential Trade Agreement
PSU	Public Sector Undertaking
R&D	Research and Development
RA	Regional Authority
RBI	Reserve Bank of India
RCMC	Registration-cum-Membership Certificate
REP	Replenishment
RPA	Rupee Payment Area
S/B	Shipping Bill
SAD	Special Additional Duty
SCOMET	Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technology
SEI CMM	Software Engineers Institute's Capability Maturity Model
SEZ	Special Economic Zone
SEIS	Service Exports from India Scheme
SIA	Secretariat for Industrial Assistance
SIIC	State Industrial Infrastructure Corporation
SION	Standard Input Output Norms
SKD	Semi-Knocked Down
SLEPC	State Level Export Promotion committee

STC	State Trading Corporation
STCL	Spices Trading Corporation Limited
STE	State Trading Enterprise
STH	Star Trading House
STPI	Software Technology Park of India
STR	State Trading Regime
SUVs	Sports Utility Vehicles
TED	Terminal Excise Duty
TEE	Towns of Export Excellence
TH	Trading House
TPO	Trade Promotion Organization
TRA	Telegraphic Release Advice
TRQ	Tariff Rate Quota
TUFS	Technology Upgradation Fund Scheme
UAC	Units Approval Committee
UN	United Nations
VA	Value Addition
WCO	World Customs Organisation
WHOGMP	World Health Organisation Good Manufacturing Practices